दसवां भाग, खण्ड 50, अंक 15, शुक्रवार, 10 अगस्त, 1984/ 19 श्रावण, 1906 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(पन्द्रहवां सत्र)

(खंड 50 में अंक 11 से 20 तक है)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपए

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

शुक्रवार, 10 अगस्त, 1984/19 श्रावण, 1906 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

विषय सूची, पृष्ठ (i), पंक्ति 12 के सामने पृष्ठ संख्या "233-237" के पश्चात् "व 333-334" जोड़िये ।

पृष्ठ 11, पंक्ति 12, पृष्ठ 26, पंक्ति 22, पृष्ठ 27, पंक्ति 9, पृष्ठ 49, पंक्ति 7, पृष्ठ 51, पंक्ति 3, पृष्ठ 62, पंक्ति नीचे से 2, पृष्ठ 79, पंक्ति नीचे से 7, और पृष्ठ 188, पंक्ति 8, "श्रीखुरशीद आलम खां" के स्थान पर "श्री खुर्शीद आलम खां" पढ़िये ।

पृष्ठ 23, पंक्ति 10, "श्री एस0रामगोपाल रेड्डी" के स्थान पर "श्री एम0 रामगोपाल रेड्डी" पढ़िये ।

पृष्ठ 23, पंक्ति 17, "त्री" के स्थान पर "श्री" पढ़िये ।

पृष्ठ 31, नीचे से पंक्ति 7, "श्री रामप्रसाद अहिरबार" के स्थान पर "श्री रामप्रसाद अहिरवार" पढ़िये ।

पृष्ठ 45, पंक्ति 9, अं0प्र0संख्या "2845" के स्थान पर "2854" पढ़िये ।

पृष्ठ 65, पंक्ति 15, "मंत्री द्वारा करके अपवंचन" के स्थान पर "मंत्री द्वारा कर के अपवंचन" पढ़िये ।

पृष्ठ 68, पंक्ति 15, "श्री गिरधर गौमांगों" के स्थान पर "श्री गिरिधर गोमांगो" पढ़िये ।

पृष्ठ 72, अंतिम पंक्ति, अं0प्र0संख्या " ६ :894" के स्थान पर "2894" पढ़िये.

पृष्ठ 143, पंक्ति 8, "तर्द्विपरक" के स्थान पर "तद्विषयक" पढ़िये ।

पृष्ठ 155, पंक्ति 16, "(श्री एस0वी0चव्हाण)" के स्थान पर "श्री एस0बी0 चव्हाण" पढ़िये ।

पृष्ठ 217, नीचे से पंक्ति 7, "श्री वी0एस0विजयराघवन" के स्थान पर "श्री वी0एस0विजयराघवन" पढ़िये।

पृष्ठ 234, पंक्ति 12, संख्या एल0टी0 "859/84" के स्थान पर "8559/84" पढ़िये।

पृष्ठ 241, पंक्ति 15, "{चिदम्बारम}" के स्थान पर "{चिदम्बरम}" पढ़िये

पृष्ठ 258, पंक्ति 9, "श्री एडुआर्डो फैलीरो" के स्थान पर "श्री एडुआर्डो फैलीरो" पढ़िये।

पृष्ठ 269, पंक्ति 12, "श्री वृद्धिचन्द जैन" के स्थान पर "श्री वृद्धिचन्द्र जैन" पढ़िये।

पृष्ठ 271, पंक्ति 18, "श्री भेरा वदन के0 गधावी" के स्थान पर "श्री भेरावदन के0 गधावी" पढ़िये।

पृष्ठ 314, पंक्ति 25, "सभापति महोदय" के स्थान पर "सभापति महोदया" पढ़िये।

विषय-सूची

सप्तम माला, खण्ड 50, पन्द्रहवां सत्र, 1984/1906 (शक)

अंक 15, शुक्रवार 10 अगस्त, 1984/19 श्रावण, 1906 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—19
*तारांकित प्रश्न संख्या : 290 से 295, 297	1—31
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	20—232
तारांकित प्रश्न संख्या : 298; 300 से 311	31
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2841 से 2906, 2908 से 2937,2939 से 2979, 2981, 2982, 2984 से 3045, 3047 से 3049 और 3051 से 3062	31—228
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	233—237
राज्य-सभा से संदेश	238
चलचित्र (संशोधन) विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित	238
विधेयक पर अनुमति	238
सभा के पदों संबंधी संयुक्त समिति ग्यारहवां प्रतिवेदन	238
सभा का कार्य	238—244
विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प तथा विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) विधेयक	245—295

*किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विचार करने का प्रस्ताव

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी 245
श्री एस० एम० कृष्ण 256
श्री हन्नान मोल्लाह 256
श्री एडुआर्डो फैलीरो 257
श्री मूलचन्द डागा 260
श्री राजेश कुमार सिंह 263
श्री राम विलास पासवान 267
श्री वृद्धि चन्द्र जैन 269
श्री भेरावदन के० गधावी 271
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा 274
श्री के० ए० राजन 276
श्री बाई० एस० महाजन 278
श्री बी० के० नायर 279
श्री हरिकेश बहादुर 281
आचार्य भगवान देव 285

खण्ड 2, 3 और 1

पारित करने का प्रस्ताव

श्री एस० एम० कृष्ण
श्री रामावतार शास्त्री
प्रो० एन० जी० रंगा

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति 296
79 वां प्रतिवेदन

विधेयक—पुरःस्थापित

(एक) बालश्रमिक नियोजन विनियमन विधेयक 297
श्री जार्ज फर्नान्डीस

(दो) धार्मिक स्थानों का दुरुपयोग रोकना विधेयक 297
श्री बी० वी० देसाई

(तीन) भारतीय पेंशन विधेयक 297
प्रो० मधु दंडवते

(चार) धर्म के नाम पर भूमि पर अधिक्रमण की समाप्ति विधेयक 298
श्री बी० वी० देसाई

जनसंख्या वृद्धि रोक विधेयक 298—329

विचार करने का प्रस्ताव

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती 299
श्री विष्णु प्रसाद 305
श्री राजेश कुमार सिंह 308
श्री गिरधारी लाल व्यास 312
श्री रामावतार शास्त्री 314
श्रीमती विद्या चेन्नुपति 316
श्री एम० कंडा स्वामी 317
श्री भीम सिंह 321
श्री बी० के० नायर 322
कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी 323

इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय (बरेली में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक 330—333

विचार करने का प्रस्ताव

श्री हरीश रावत

लोक सभा

शुक्रवार, 10 अगस्त, 1984/19 श्रावण, 1906 (शक)

लोक सभा 11.04 म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हमारे यहां बड़ी कठिनाई से कोरम पूरा होता है।

श्री राम विलास पासवान : कोरम के लिए कभी कभी डांट दिया कीजिए मिनिस्टर को। पार्लियामेंटरी एफेयर्स मिनिस्टर यहां हैं नहीं।

श्री सत्यनारायण जटिया : हम ज्यादा हैं।...(व्यवधान)...

श्री राम विलास पासवान : कभी कभी तो डांट दिया कीजिए। यह तो आपका अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : इसी आशा से काम करते हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : मेरे विचार में यहां कोरम नहीं है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : संसदीय कार्य मंत्री 'कार सेवा' में व्यस्त हैं। उन्हें कम से कम संसद की सेवा करने के लिए तो कहिए।

श्री मनी राम बागड़ी : अध्यक्ष जी, ये तो मजाक कर रहे हैं, मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूं। यह फायदे की बात है कि दो में से एक संसदीय कार्य मंत्री को यहां जरूर होना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री यहां न हों यह तरीका अच्छा नहीं है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

वर्ष 1984-85 के लिए बाढ़ नियंत्रण के लिए धनराशि का आबंटन

*290. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-85 में देश में बाढ़ की स्थिति का सामना करने के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : 1984-85 के केन्द्रीय बजट में राज्यों को बाढ़ों/चक्रवातों, ओलावृष्टि आदि पर किए जाने वाले राहत-व्यय के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है।

श्री मोहन लाल पटेल : श्रीमन्, बाढ़ों के कारण औसत वार्षिक हानि 1500 करोड़ रुपये आंकी गयी है और हम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों पर प्रतिवर्ष 200 से 300 करोड़ रुपये तक खर्च कर रहे हैं। केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड गत बीस वर्षों से निवारात्मक उपायों के लिए कार्य कर रहा है लेकिन बोर्ड को केवल 600 करोड़ रुपए आबंटित किये गये हैं। यह बहुत कम धनराशि है। क्या शुरू किये जाने वाले निवारात्मक उपायों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है अथवा कोई परियोजना रिपोर्ट तैयार की गयी है ? यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था है और यह कितनी अवधि में पूरी होगी ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री महोदय निवारात्मक उपायों पर और अधिक ध्यान दिये जाने पर विचार करेंगे ?

श्री प्रणब मुखर्जी : श्रीमन्, मुझे आशंका है कि प्रश्न कुछ भिन्न-सा है। प्रश्न बाढ़ राहत देने और केन्द्रीय बजट में धनराशि का आवंटन करने के बारे में है। उसका उत्तर मैंने दे दिया है। स्पष्टतः यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है लेकिन मेरे साथी कृषि मंत्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपेक्षाकृत अधिक सक्षम हैं।

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से इस बिषय पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है और इस पर एक पृथक चर्चा भी हुई थी।

श्री मोहन लाल पटेल : बाढों से हुई हानि के कारण प्रत्येक मद की सहायता की अधिकतम सीमा कितनी है ? महोदय, सहायता की मौजूदा पद्धति वर्षों पहले सोची गयी थी। क्या वर्तमान मूल्यों को देखते हुए सहायता की पद्धति में संशोधन करना आवश्यक नहीं है ? मेरी जानकारी के अनुसार इस प्रकार की आपदाओं के कारण पूरी तरह तहस-नहस हुए कच्चे मकानों के लिए केवल 250 रुपये दिये गये हैं। महोदय, गरीब लोग अपेक्षाकृत अधिक हानि उठाते हैं। क्या मंत्री महोदय सहायता की मौजूदा पद्धति में संशोधन करने पर विचार करेंगे ?

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, सातवें वित्त आयोग ने इस मामले पर विचार किया और उसने राज्यों के सम्बन्ध में कुछ अधिकतम सीमाएं निर्धारित की और सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, यदि खर्चा उनको प्रदान किये गये मार्जिन धन राशि की सीमाओं के अंतर्गत है तो वह उससे पूरा किया जाता है। यदि खर्चा उससे भी अधिक हो जाता है तो उसमें 75 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरा किया जाता है और 25 प्रतिशत राज्यों द्वारा पूरा किया जाता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि मकानों की मरम्मत के लिए अथवा सामग्री मुहैय्या कराने के लिए जो धनराशि निश्चित की जा रही है वह पर्याप्त नहीं है लेकिन माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि यह वांछनीय है कि हम शत प्रतिशत क्षतिपूर्ति कर सकें लेकिन संसाधनों सम्बन्धी बाधाओं के कारण हम ऐसा नहीं कर सकते। आठवें वित्त आयोग ने अत्यंत विस्तार से इस समस्या पर विचार किया है और उसने सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों में इस रूप में एक सुधार किया है कि उसने 240 करोड़ की व्यवस्था की है—इससे पहले निर्धारित की गयी सीमा 100 करोड़ रुपए की थी। आठवें वित्त आयोग ने 240 करोड़ रुपए की सिफारिश की है और उन्होंने यह कहा है कि 120 करोड़ रुपये राज्यों की मांग पर केन्द्र सरकार द्वारा दिये जाने होंगें। अब इसका क्या प्रभाव होगा ? मैं

आपको कुछ उदाहरण दे सकता हूं। उदाहरण के लिये सातवें वित्त आयोग की आंध्र प्रदेश के लिए 8.58 करोड़ रुपए की सीमा थी और आठवें वित्त आयोग ने 24.50 करोड़ रुपए की सिफारिश की थी। सातवें वित्त आयोग में गुजरात के लिए 9.56 करोड़ की सीमा थी और आठवें वित्त आयोग ने 28.75 करोड़ रुपए की सिफारिश की है।

श्री हरिकेश बहादुर : इन धनराशियों का वास्तविक मूल्य कितना है ?

श्री प्रणब मुखर्जी : वास्तविक मूल्य के रूप में मुझे राजस्व नहीं मिलता मुझे बढ़ा हुआ मूल्य मिल रहा है। मेरे धन का कोई पृथक मूल्य नहीं है। इसलिए, जैसा कि माननीय सदस्यगण जानते हैं, हमने वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। उसके अलावा, जैसाकि मैंने पिछले अवसरों पर भी उल्लेख किया था, पहले राज्य सरकारें एक ज्ञापन पेश करती है, तत्पश्चात् एक दल जाता है और उन स्थानों का दौरा करता है और इसके बाद एक उच्चस्तरीय समिति इन पहलुओं की जांच करती है। इसके बाद उच्चस्तरीय समिति जो सिफारिशें करती है हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं कि अंतर काफी है। सामान्यतः वास्तविक स्थिति यह होती है कि यदि वे 200 करोड़ रुपये की मांग करते हैं तो हम 20 करोड़ रुपए देने की स्थिति में होते हैं। यही स्थिति है।

श्री एम० एम० लारेंस : महोदय, केरल में हाल की बाढ़ के कारण वहां जान व माल की भारी हानि हुई थी। केरल सरकार ने बाढ़ पीड़ित लोगों के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया है। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि केरल की राज्यसरकार ने कितनी वित्तीय सहायता की मांग की है और केन्द्र सरकार ने उसे बाढ़ राहत कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि मंजूर की है ?

श्री प्रणब मुखर्जी : हमें केरल सरकार से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिस पर कृषि मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है और उसके बाद अग्रेतर विचार करने के लिए उसे योजना आयोग के पास भेजा जाएगा। मुझे यह अभी प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूं कि उन्होंने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। जिस पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, सरकार का हमेशा जबाव रहता है कि फ्लड कंट्रोल हो रहा है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि फ्लड प्रवेंशन के लिए क्या आपने कुछ राशि आबंटित की है अथवा नहीं ?

दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि बिहार में जो बाढ़ की भयानक स्थिति है उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं। क्या बिहार सरकार ने असिस्टेंस के लिए लिखा है ? इस बाढ़ की विभीविका को देखते हुए कुछ राशि का प्रावधान किया गया है अथवा नहीं ?

श्री प्रणब मुखर्जी : यह एक आम प्रश्न है और इसका उत्तर भी आम किस्म का होगा जहां तक बाढ़ नियंत्रण के लिए प्रावधान का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य महोदय स्थिति से भली भांति परिचित हैं क्योंकि योजना प्रलेख हमने दे दिया है जिसमें केन्द्रीय क्षेत्र और राज्य क्षेत्र को मिलाकर

चालू योजना के दौरान हमने बाद की रोकथाम के लिए 1000 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की है। प्रश्न का दूसरा भाग बाढ़ विभीषिका के कारण अथवा बाढ़ों के कारण हुई क्षति वाले राज्यों को दी गई राहत से सम्बद्ध है। इसलिए ये दो भिन्न प्रश्न हैं।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा सरकार ने महानदी की बाढ़ों को रोकने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की थी ? प्रतिवर्ष हीराकुंड बाँध से आगे महानदी में आने वाली बाढ़ उन क्षेत्रों में जानमाल को भारी क्षति पहुंचाती रही है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या महानदी में हीराकुंड बाँध से आने के क्षेत्रों में बाढ़ ही विभीषिका को रोकने के लिए इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकेंगे।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : मुझे आशा है, महानदी की बाढ़ के बारे में माननीय मंत्री महोदय कुछ बतायेंगे। हमारे लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या है। माननीय मंत्री महोदय इसके बारे में कुछ कह सकते हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी : महानदी एक बहुत बड़ी समस्या है, यह मैं जानता हूं। लेकिन उस पर विचार करने के लिए दूसरा मंत्रालय है।

वनस्पति पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क लगाना

*291. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 11 मई, 1984 से वनस्पति पर नया अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया है ;

(ख) यदि हां; तो इसका पूरा ब्यौरा और पृष्ठभूमि क्या है ;

(ग) क्या इस लेवी के विरुद्ध कोई विरोध प्रकट किया गया है ; और

(घ) यदि हां ; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क)से(घ) एक विवरण सदन-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

दिनांक 28 फरवरी, 1965 की अधिसूचना सं० 24/65-केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अनुसार; वनस्पति उत्पाद पर 11 मई; 1984 तक उत्पादन शुल्क मूल्यानुसार पाँच प्रतिशत की रियायती दर से उद्ग्रहणीय था। यह अधिसूचना गलती से 11 मई; 1984 को रद्द कर दी गई

थी; जिसके परिणामतः वनस्पति उत्पाद पर उस तारीख से मूल्यानुसार दस प्रतिशत की टैरिफ दर से उत्पादन शुल्क उद्ग्रहणीय हो गया था। तथापि, एक जून, 1984 से मूल्यानुसार पांच प्रतिशत की रियायती दर फिर से लागू कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने यह फैसला किया है कि वनस्पति उत्पाद पर; 11 मई; 1984 से 31 मई; 1984 की अवधि के दौरान केन्द्रीय उत्पादन शुल्क मूल्यानुसार पाँच प्रतिशत की दर से अधिक नहीं लगाया जाये; जैसा कि इस संबंध में वनस्पति उद्योग ने अनुरोध किया था।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मंत्री महोदय ने अपने लिखित विवरण में बताया है कि वनस्पति उत्पादों पर 10 प्रतिशत के बजाय पांच प्रतिशत उत्पादन शुल्क की रियायती दर के बारे में अधिसूचना बिन सोचे-समझे वापस ले ली गयी थी। क्या मैं जान सकता हूं कि (क) इस लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है, (ख) क्या इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है और (ग) स्थायी उपचार क्या किया गया है ताकि इसके बाद इस प्रकार की लापरवाही न हो ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : श्रीमन्, इस सम्बन्ध में संवैधानिक और नैतिक सभी जिम्मेदारी मेरी है क्योंकि मैं मंत्रालय का संचालन करता हूं। लेकिन यह कैसे हुआ, यह मैं आपको कुछ विस्तार से बताऊंगा। जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, वित्त विधेयक में एक प्रस्ताव था कि चांदी केन्द्रीय उत्पादन शुल्क वर्गीकरण मद संख्या 24 से 68 में स्थानान्तरित कर दी जाएगी और जैसा कि माननीय सदस्य अवगत है यह अधिसूचना बहुत पुरानी है। यह अधिसूचना 28-2-1965 को जारी की गयी थी जिसमें यह बताया गया था कि यद्यपि इन में से एक मद—अर्थात वनस्पति—यह शुल्क 10 प्रतिशत है, उन्हें पांच प्रतिशत से अधिक का भुगतान नहीं करना है। मूल अधिसूचना में 14 मदे थीं और अनेक वर्षों की अवधि में अनेक मदों को इस अधिसूचना विशेष से हटा दिया गया था। जब 11 मई, को वित्त विधेयक आने के बाद, नई अधिसूचना जारी की गई थी, जैसाकि मैंने विवरण में उल्लेख किया है कि भूल से—और उसके लिए मुझे खेद है—ये दोनों मदों अर्थात चांदी और रेशमी वस्त्र जोकि उसीके अन्तर्गत आते हैं पर ध्यान नहीं दिया गया। सामान्यत यह जाना चाहिए था कि इन मदों के लिए उसी तारीख को एक पृथक अधिसूचना जारी की जाती।

जब यह बात हमारी जानकारी में आयी तो हमने तत्काल 1 जून को स्थिति को सुधारा और कहा कि 11 मई की अधिसूचना को रद्द करने के परिणामस्वरूप वनस्पति उद्योग को 10 प्रतिशत का भुगतान नहीं करना है, 1 जून से उन्हें पांच प्रतिशत का भुगतान करना है। अब प्रश्न यह आता है कि 11 मई से 1 जून तक 20 दिनों में क्या होता रहा है। उसका भी मैंने उत्तर दिया है कि उस सम्बन्ध में एक कानूनी औपचारिकता है, 11 (सी) वहां है, अधिसूचना जारी की जानी होती है और उससे पूर्व कुछ जानकारी प्राप्त करनी होती है। यह एक औपचारिकता है। उस बात की ओर भी ध्यान दिया जाना होता है। हमने अपनी भूल के परिणामस्वरूप पैदा हुई समस्या की ओर पहले ही ध्यान दिया है और मैं अपने विभाग द्वारा की गई भूल के लिए पुनः एक बार खेद व्यक्त करता हूं।

श्री हेमवती नंदन बहुगुणा : इस प्रकार के स्पष्ट उत्तर के लिये मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं क्योंकि ऐसा कभी-कभी होता है, यह एक आह्लादकारी परिवर्तन है। यहां तक मैं इससे प्रसन्न हूं।

अध्यक्ष महोदय : किसी अच्छे परिवर्तन का हमेशा स्वागत किया जाता है ।

श्री हेमवती नंदन बहुगुणा : जी हाँ और मैंने उनके द्वारा हुई भूल स्वीकार करने के इस आह्लादकारी परिवर्तन के लिए पहले ही बधाई देदी हैं क्योंकि इतने बड़े संगठन में भूलें हो सकती हैं ।

क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से इस बात के लिए अनुरोध कर सकता हूं कि वे वनस्पति उद्योग के सम्पूर्ण ढाँचे की जाँच करें? वनस्पति उद्योग में हो यह रहा है कि हम इसमें हाइडेजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें निकल को मिला रहे हैं इसमें अनेक उत्प्रेरक मिला रहे हैं उन्हें साफ कर रहे हैं विटामिन आदि मिला रहे हैं जो कि शेष विश्व में नहीं किया जाता । हम जो आयात करते हैं उसे हम 9.50 रुपये प्रति किलो की दर से वनस्पति उद्योग को देते हैं और वह उसे प्रोसेस करके 21 रुपए से 27 रुपये प्रति किलो दर से बेच देते हैं उनकी यह दर उनके मार्के और लेबल पर निर्भर करती है क्योंकि गणेश फ्लोर मिल एक मार्क देगा तो दूसरे उद्योग अन्य मार्क देंगे । क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या आप सोयाबीन, मूंगफली के तेल और अन्य प्रकार के तेलों को परिष्कृत किये जाने और तेल के रूप में बेचे जाने की अनुमति देंगे जोकि बहुत अधिक सस्ता होगा और इससे इस वस्तु विशेष के मूल्य कम हो जाएंगे जो कि जनहित में है ?

श्री प्रणब मुखर्जी : खाद्य तेलों की समस्या के सम्बन्ध में इस समय हम वनस्पति उद्योग को 65 प्रतिशत आयातित सामग्री दे रहे हैं । जैसाकि माननीय सदस्यगण जानते हैं इन मामलों पर विचार किया जा रहा है । सच पूछिये तो वित्त मंत्री के रूप में नहीं अपितु मंत्रिमंडलीय समिति के सभापति के रूप में मैं भी इसमें शामिल हूं और माननीय सदस्य जो सुझाव देंगे उन पर विचार किया जायेगा ।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, इस देश में चर्बी के सवाल को लेकर सूअर और गाय की चर्बी के सवाल को लेकर बहुत बबंडर चला और सरकार ने उस पर ऐक्शन लिया...

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : कहां लिया ? वह तो ओसवाल वूलन मिल्स को फिर दे दिया ।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, एक बात आपके माध्यम से जानना चाहता हूं उसका नतीजा क्या हुआ कि घी जो बनना चाहिये था उसकी मिकदार घटी, मिलें बन्द हुई, सजा जिन्होंने चर्बी लेकर दी उनको नहीं मिली, बल्कि देश की मशीनों को, मजदूरों को और खरीदारों को सजा दी गई और नफा, यानी सरकार को, सेठ को उसका नफा हुआ जो सरकार के पास मिल थी । तो क्या मंत्री जी देश हित के अन्दर, अगर बदबू आती है तो नाक को काटने के बजाय बदबू को हटाना चाहिये, न कि नाक को ही काट दिया जाये, तो मिलों के बन्द होने से जो मजदूर बेकार हैं, घी की पैदावार घट रही है और दाम बढ़ रहे हैं, कल कारखाने बेकार पड़े हैं क्या सरकार चर्बी के ऊपर पाबंदी लगा कर के कल कारखानों को चलाने और मजदूरों को काम देने पर पुनर्विचार कर रही है

और जिनके साथ पक्षपात करके जिनकी चर्बी को पकड़ा गया और छोड़ दिया गया, उनको पकड़ेंगे, बन्द करेंगे ? या सबके साथ बराबरी का व्यवहार करेंगे ?

श्री प्रणब मुखर्जी : जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है वह मेरी इस बात से स्वयं सहमत होंगे कि उसका उत्तर देना मेरे मंत्रालय अधिकार क्षेत्र से बाहर है। और इस पर विस्तार से चर्चा हो गयी है। मूल स्थिति से पैदा होने वाले मामलों, जिनका उन्होंने उल्लेख किया है के सम्बन्ध में वस्तुतः हमने खास तौर पर, केवल इसके बारे में नहीं, वनस्पति उद्योग तथा अन्य उद्योगों के सम्बन्ध में कुछ निर्णय लिए हैं। लेकिन जैसाकि माननीय सदस्य अवगत हैं साबुन उद्योग में चर्बी के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा कर कच्चे माल की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप एक समस्या पैदा की गयी थी। इसलिये, न केवल विभिन्न उद्योगों में पैदा हुई क्षमताओं की रक्षा करने और उनका प्रयोग करने अपितु इसके साथ ही मूल्यों के मोर्चे पर प्रभाव डालने के लिये स्थानापन्न वस्तु के रूप में चिकनार्ड वाले अम्लों (एसिडों) का आयात करने के लिये प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : आपने चर्बी वालों को खुला रखा है। आप तो चेयरमैन हैं केबिनेट कमेटी के। उसके बारे में क्या कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : बाद में देख लेना।

श्री मनीराम बागड़ी : बाद में क्या देखेंगे।

बंगलादेश से आये भारतीयों की सम्पत्ति के दावों का भुगतान

*292. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या वाणिज्य मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में शत्रु सम्पत्ति संरक्षक (कस्टोडियन आफ एनिमी प्रापर्टी फार इंडिया) से 1971 में नोटिस के जरिये पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगलादेश) के उत्पीड़ित व्यक्तियों से आवेदनपत्र आमंत्रित किये थे ;

(ख) क्या बंगलादेश बनने के पश्चात, सरकार ने वर्ष 1975 में उनके दावों के सत्यापन तथा भुगतान के लिये दो पैनल गठित किये थे ;

(ग) सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति के इस मामले पर वर्ष 1981 तथा 1984 में क्या निर्णय लिये गये थे ; और

(घ) बंगलादेश से आये भारतीयों को उनकी सम्पत्ति सम्बन्धी दावों के भुगतान हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रन्जन लास्कर) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां ।

(ख) 1974 में सरकार ने अनुग्रह राशि के भुगतान के लिये दावों के सत्यापन हेतु शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक, बम्बई की अध्यक्षता में एक पैनल गठित किया है ।

(ग) दावों की सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से 1980 में सरकार ने पैनलों की संख्या एक से बढ़ाकर आठ कर दी ; और प्रारम्भ में संवीक्षित किये जाने वाले दावे का मूल्य 1982 में 10 लाख रु० से बढ़ाकर 50 लाख रु० कर दिया ।

(घ) भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए बांगलादेश प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क करती रही है कि उनके द्वारा विहित सम्पत्तियां स्वामियों की सहमति के बिना अथवा दोंनों देशों के बीच मुआवजे के प्रश्न को तय किये बिना न निपटाया जाए । सरकार इन सम्पत्तियों के वैध स्वामियों, जिनमें वे भी शामिल हैं जो अब भारत में हैं, के हितों में वांगलादेश प्राधिकारियों के साथ इस मामले में सम्पर्क करती रहेगी ।

डा० वसन्त कुमार पंडित : मेरे प्रश्न के उत्तर में दिया गया विवरण अत्यंत दुखद स्थिति जतलाता है । मूलत 1971 में उन्होंने एक नोटिस के जरिए आवेदन आमंत्रित किए थे । तीन वर्षों के पश्चात उन्होंने अनुग्रह राशि के भुगतान हेतु दावों के सत्यापन पर विचार करने के लिए एक पेनल बनाया । पुनः 6 वर्षों के पश्चात उन्होंने पेनलों की संख्या एक से बढ़ाकर आठ कर दी ।

क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि अब तक कितने दावे मिले हैं ; क्या अब तक कभी किसी दावे को छोड़ दिया गया है ; ये दावे कुल कितनी धनराशि के हैं और इन दावों को शीघ्रता से निपटाने के लिए अब कोई तंत्र गठित किया जा रहा है क्योंकि हमने 1982 में राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ा कर 50 लाख रुपए कर दिया है जिससे नए आवेदन आएंगे ? उस बात को ध्यान में रखते हुए, क्या मंत्री महोदय सदन को इस बात की जानकारी देंगे कि उनके पास कितने आवेदन लम्बित पड़े हुए हैं, वे कितनी धनराशि के हैं, और क्या अब तक किसी दावे को छोड़ा गया है ?

श्री निहार रंजन लास्कर : मेरे विचार में मेरे मित्र ने ठीक ही कहा है कि दावे दायर करने की अवधि 15 अप्रैल, 1972 तक थी । उपलब्ध जानकारी के अनुसार उस समय लगभग 3944 व्यक्तियों ने शत्रु सम्पति अभिरक्षक वे पास अपने दावे पंजीकृत कराए थे । 3944 व्यक्तियों में से 43 को छोड़कर अब प्रत्येक व्यक्ति के दावे का निपटान कर दिया गया है ।

उसके पश्चात जानकारी यह है कि आवेदनों हेतु समय बढ़ा दिया गया था और इसके लिये 31 जुलाई, 1977 अन्तिम तारीख थी । दावे प्रस्तुत करने की यह अन्तिम तारीख थी । इस नई स्थिति के परिप्रेक्ष्य में हमें 53,549 दावे प्राप्त हुए । वे पंजीकृत हैं और पंजीकृत किए गए इन 53,549 दावों में से अब तक 14,180 दावों को निपटा दिया गया है । अन्य 14,710 दावों का निपटान किया जाना शेष है क्योंकि इन दावों के सभी विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं । इसलिए हम दावे पेश करने वाले व्यक्तियों को पुनः इस सम्बन्ध में लिखने की कोशिश कर रहे हैं । फिर

लगभग 24,659 दावे पेश करने वाले व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने दस्तावेज जमा नहीं कराए हैं और इस प्रकार उनके आवेदन अधूरे हैं और उनको अस्वीकृत करार कर दिया है। अब तक हमने 56.88 करोड़ रुपए वितरित किए हैं।

डा० बसन्त कुमार पण्डित : मेरे प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में दिया गया उत्तर बिना सोचे समझे दे दिया गया है। मंत्री महोदय हाल में बंगलादेश में हुए घटनाक्रम से अच्छी तरह वाकिफ हैं। क्या सरकार ने, भारतीयों की सम्पत्तियों की नीलामी द्वारा बिक्री हेतु बंगलादेश सरकार के हाथ के आदेश तथा बंगलादेश में भारतीय सम्पत्ति स्वामियों के दावों के वित्तीय आशयों का अध्ययन किया है; और क्या, जैसा कि किसी समय पश्चिमी पाकिस्तान के साथ हुए नेहरू-लियाकत समझौते के अंतर्गत इसका समाधान किया गया था; इस प्रकार का कोई समझौता होने जा रहा है ताकि बंगलादेश सरकार द्वारा बिना सोचे विचारे किये गये कार्य से उभरने वाले इन दावों का निपटान किया जा सके।

श्री निहार रंजन लास्कर : ये प्रश्न विदेश मंत्रालय से सम्बन्धित हैं लेकिन इस समय मैं माननीय सदस्य को यह बता सकता हूं कि भारत सरकार ने उच्चतम स्तर पर बंगलादेश के अधिकारियों के साथ यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से सम्पर्क बनाया हुआ है कि उनमे निहित सम्पत्तियों का, उनके स्वामियों की सहमति के बिना अथवा दोनों सरकारों अर्थात भारत सरकार और बंगलादेश सरकार के बीच क्षतिपूर्ति के प्रश्न को हल किए बिना निपटान न किया जाए। मैं उनको इस बात से आश्वस्त कर सकता हूं कि सरकार इन सम्पत्तियों के भारत में, रहने वाले न्यायसंगत स्वामिओं सहित इनके हित में बंगलादेश के अधिकारियों के साथ मामले पर विचार करना जारी रखेगी। यह हमारी स्थिति है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्हें इस तथ्य की जानकारी है कि बंगलादेश सरकार ने भारतीयों के स्वामित्व वाली कपड़ा मिलों को, स्वामियों की सहमति के बिना गैर सरकारी एजेंसियों को पहले ही दे दिया है। अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है—मुझे सरकार के नेक इरादों के बारे में कोई सन्देह नहीं है। मैंने सलाहकार समिति में इस मामले को उठाया था और मैं जानता हूं सरकार इस मामले में कार्यवाही कर रही है। लेकिन मुद्दा यह है कि बंगलादेश सरकार कृत संकल्प हो कर ऐसा कर रही है। जिस मामले का मैंने उल्लेख किया है वह दकेश्वरी काटन मिल्स का है। ऐसा किया गया है। क्या सरकार इसके विरुद्ध रोष व्यक्त करेगी क्योंकि उत्तर में यह बताया गया है :

> "...यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके द्वारा विहित सम्पत्तियां स्वामियों की सहमति के बिना अथवा दोनों देशों के बीच मुआवजे के प्रश्न को तय किए बिना न निपटाया जाए। सरकार बंगलादेश प्राधिकारियों के साथ इस मामले में सम्पर्क करती रहेगी...।"

वे ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अब तक उन्होंने करोड़ों रुपए मूल्य की दो मिलों का निपटान कर दिया हैं। इस बातके परिप्रेक्ष्य में क्या सरकार जोरदार दोष व्यक्त करेगी और उनका मूल्यांकन करने के लिए बंगलादेश को एक शिष्टमंडल भेजने सहित सक्रिय उपाय करेगी और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा दोनों देशों के बीच हुए समझौतों के अंतर्गत अन्य संभव उपाय करेगी।

श्री निहार रंजन लास्कर : इस काटन मिल विशेष के बारे में इस समय मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। तथापि हमारे पास कुछ ऐसी सूचना है कि बंगलादेश सरकार सम्पत्ति के निपटान की व्यवस्था कर रही है। जैसा कि उन्होंने कहा है हमने बंगलादेश सरकार के साथ इस मामले को उठाया है और वह इस पर विचार करने के लिए सहमत हो गए हैं। लेकिन अभी तक हमें कोई औपचारिक उत्तर नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय : आप पता कीजिए। वह तो कह रहे हैं, उनके पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री निहार रंजन लास्कर : हमें अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : उन्होंने भारत सरकार को एक ज्ञापन भेजा है। मैं चाहता हूं आप शिकायत दर्ज करें और एक शिष्टमण्डल वहां भेजें।

श्री निहार रंजन लास्कर : मैंने पहले ही कह दिया हैं कि सरकार ने बंगलादेश सरकार के साथ इस मामले को उठाया है लेकिन वहां शिष्टमंडल भेजने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह करोड़ों रुपयों का मामला है।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में सेवा और सफाई का स्तर

*293. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में सेवा की गुणवत्ता और सफाई का स्तर संतोषजनक नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में सेवा की गुणवत्ता और सफाई के मानक अपेक्षित स्तर के हैं।

श्री एन० के० शेजवलकर : इस उत्तर से मुझे आश्चर्य हुआ है। 3 अगस्त, 1984 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1915 पूछा गया था। उसमें मैंने अन्य बातों के अलावा यह पूछा था कि इन होटलों में कमरों के किराये पर लोग (ओकूचेन्सी) का अनुपात क्या है। यदि आप चार्ट पर दृष्टिपात करेंगे तो आप पाएंगे 15 केवल दो या तीन होटलों को छोड़कर कमरों के किराये पर लगने का अनुपात 50 प्रतिशत से भी कम है ; इतना ही नहीं, कहीं-कहीं यह अनुपात 20 प्रतिशत, 34 प्रतिशत और इसी तरह है। मैं समझता हूं कि प्रत्येक माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होगा कि आखिरकार किसी एजेंसी द्वारा इस बात का पता लगाया जाना चाहिए कि होटलों में

किराये पर कम कमरे लगने के क्या कारण हैं। नए होटल बन रहे हैं और इन होटलों में कमरों के किराये पर लगने का अनुपात वस्तुतः यहां दर्शाए गए अनुपात की तुलना में कहीं अधिक है। यदि हम यह कह कर संतुष्ट रहना चाहें कि सब ठीकठाक है तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मौर्या जैसे अन्य होटलों की दरें हमारे होटलों द्वारा वसूल की जा रही दरों की तुलना में कहीं अधिक है; तब भी उनमें किराये पर कमरों के लगने का अनुपात हमारे होटलों की तुलना में बहुत अधिक है। वहां कोई कमरा उपलब्ध नहीं होता। यदि आप इससे संतुष्ट हैं कि सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है तो मुझे कुछ नहीं कहना। क्या आपने कभी उन शिकायतों की जांच करने का प्रयास किया है जो वहां के कर्मचारियों, उनके व्यवहार, जल. व्यवस्था, सेवा और 'बाथरूम्स' के बारे में हैं? क्या कभी किसी समिति या किसी व्यक्ति ने इन सभी बातों के बारे में जांच की है? आप जिस आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सब कुछ ठीक-ठाक है? इन सभी होटलों में इन शिकायतों का क्या रिकार्ड है और जांच परिणाम क्या हैं?

श्री खुरशीद आलम खां : माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि कमरों के किराये पर लगने का अनुपात सन्तोष जनक नहीं है। लेकिन मैं यह बात अवश्य स्वीकार करूंगा कि इसके कुछ विशेष कारण हैं। खास तौर पर यह बात नोट की जानी चाहिए कि भारत पर्यटन विकास निगम के स्वामित्व वाले कुल 3834 कमरों में से 2740 कमरे दिल्ली में हैं और दिल्ली में 1981-82 में भारत पर्यटन विकास निगम और गैर सरकारी होटलों सहित, होटलों में कुल कमरे 3400 थे और 1982-83 में इनकी संख्या बढ़कर 7800 हो गयी है। इस अतिरिक्त क्षमता में निश्चय ही कमरों के किराये पर लगने के अनुपात पर प्रभाव डाला है।

इसके अतिरिक्त एक बात भारतीय पर्यटन विकास निगम के प्रतिकूल है अर्थात भारतीय विकास निगम के होटलों के किसी अन्तर्राष्ट्रीय समूह और हिलटन इंटरनेशनल. शेराटन जैसे अन्तर-र्राष्ट्रीय समूहों और ऐसे किसी अन्य समूह के साथ जोड़ा नहीं गया है। यह एक प्रतिकूल बात है।

जहां तक इसकी सेवाओं का संबंध है, समिति की नियुक्ति का सम्बन्ध है, यह एक सतत प्रक्रिया है और एक समिति इसकी सदा निगरानी रखती है और उस समिति में प्रबन्धकों के अति-रिक्त एक डॉक्टर और एक होटल विशेषज्ञ भी होता है। हमारे पास प्रयोगशालाएं हैं जिनमें पक्के हुए भोजन, कच्चे भोजन और आप पक्के भोजन की जांच की जाती है। यह सभी कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं और निरंतर उठाए जा रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि अगले वित्तीय वर्ष में अतीत की तुलना में बेहतर परिणाम होंगे।

श्री एन० के० शेजवलकर : तब न आप होंगे, न हम होंगे।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं आप को आश्वासन देता हूं कि हम तो यही होंगे, आप भले ही न हों।

श्री एन० के० शेजवलकर : आप नहीं। आपकी ओर मेरी बात नहीं, वास्तव में यहां कोई न कोई होगा ही। कोई समस्या की बात नहीं है।

मेरे प्रश्न को छोटा कर दिया गया है। मैंने यह नहीं पूछा था कि कुल कितने कमरे किराये पर लगते हैं। मैंने यह पूछा था कि अन्य होटलों में किराये पर लगने वाले कमरों का अनुपात बढ़ रहा है जबकि आपके होटलों का कम हो रहा है। इस प्रश्न के उत्तर में आपने अन्य होटलों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्कों आदि का उल्लेख कर दिया है।

इस प्रश्न में, जिसका मैंने हवाला दिया है, जो कि 3-8-1984 को पूछा गया था, मैंने यह भी पूछा था कि और अधिक मेहमानों को आकर्षित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। मैंने यह प्रश्न पूछा था। उत्तर में यह नहीं बताया गया है जो आप इसमें आने वाली रुकावटों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क तथा अन्य बातों के बारे में अब बता रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपके होटलों का रहन-सहन खर्चीला है। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि जो धन आप खर्च कर रहे हैं वह सार्वजनिक धनराशि है। क्या कृपया आप बता सकते हैं कि अन्य होटलों की तुलना में आपके किराये पर लगने वाले कमरों का अनुपात कम क्यों है—संख्या की बात छोड़िए—यह कम क्यों हैं।

श्री खुर्शीद आलम खां : माफ करना, मैं संख्या का उल्लेख कैसे न करूं। इसके अतिरिक्त यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटल ऐसे स्थानों पर बनाए गए हैं जहां पर्यटक तीन से छः महीने तक के लिए जाते हैं और वहां कोई भी गैर-सरकारी उद्यमी या होटल मालिक होटल नहीं बनाता।

आपने भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों के बारे में प्रश्न पूछा है और उदाहरणतया, मैं कान्हा वन क्षेत्र में होटल बनाता हूं जो कि केवल तीन या चार महीने के लिए आबाद होता है, तो मैं शेष नौ महीनों के लिए होटल के कर्मचारियों को कैसे हटा सकता हूं। मैं उनको निकाल नहीं सकता। यह बात न भूलें कि भारत पर्यटन विकास निगम एक पर्यटन विकास निगम है, इसे आधारभूत ढांचे का विकास करना होता है, पर्यटन के लिए ऐसी व्यवस्था करना निसंदेह बहुत महत्त्वपूर्ण है और हमें आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी होती हैं और विशेषकर उन स्थानों पर जहां गैर-सरकारी क्षेत्र में कोई भी होटल बनाने के लिए तैयार नहीं होता।

श्री विलास मुत्तेमवार : दिल्ली के अशोक होटल के करीब 100 कमरों को नये ढंग से सजाने का काम एक साल से चल रहा है, जिस पर करोड़ों रुपये खर्च होने का अनुमान है। वे कमरे एक साल से बन्द पड़े हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सचमुच उन कमरों को नये ढंग से सजाने की आवश्यकता थी, उस का उद्देश्य क्या है और उससे क्या लाभ होगा। क्या घाटे और मुनाफे का व्यावहारिक दृष्टिकोण सामने रख कर ही उन कमरों को सजाने का कार्य किया जा रहा है?

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि अशोक होटल लगभग 26 वर्ष पुराना है और यह महत्त्वपूर्ण है कि हम उसका नवीकरण करते रहें और विशेषकर इस बात को ध्यान में रखकर कि बड़ी संख्या में होटल बन गए हैं। इन होटलों का मुकाबला करना बहुत कठिन होगा और जाहिर है कि हमें धन खर्च करके इन होटलों को नया रूप देना पड़ेगा।

एक बार में 100 कमरे किए गए हैं। 500 कमरे हैं और सभी कमरों को हम एक साथ बंद नहीं कर सकते और एक ही समय में सभी कमरों को नया रूप नहीं दिया जा सकता।

श्री विलास मुत्तेमवार : अध्यक्ष महोदय, 800 रुपया रोज का एक रुम होता है। 100 रुम्स के बन्द रहने से 80 हजार रुपये रोज का नुकसान होता है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप दूसरा सवाल नहीं कर सकते। दरअसल बन्द के तो करना ही पड़ेगा।

श्री विलास मुत्तेमवार : एक साल से बिलकुल बन्द कर दिया गया है और पांच साल तक ये कमरे बन्द रहेंगे। इस तरह से करोड़ों रुपये का नुकसान होगा नये ढंग से सजाने के लिए, तो मैं यही जानना चाहता हूं कि इस में कोई व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हैं या नहीं?

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं इस बात पर पुनः बल देता हूं कि नया रूप देने के काम में कुछ समय लगता है। आप इसे एक वर्ष में नहीं कर सकते। (व्यवधान) यह केवल हम ही नहीं करते हैं बल्कि सभी करते हैं और वे भी इसी प्रकार करते हैं।

श्री विलास मुत्तेमवार : एक फ्लोर एक साथ कर सकते हैं, दो फ्लोर क्यों क्लोज कर रखा है?

श्री खुर्शीद आलम खां : हम एक-एक तल का बारी-बारी कर रहे हैं।

पान-पत्ता निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना का प्रस्ताव

*294. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पान-पत्ता निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पान के पत्तों का निर्यात नगण्य है। इस लिये केवल इस वस्तु के लिये एक निर्यात संवर्धन परिषद स्थापित करना प्रशासनिक और वित्तीय दृष्टि से अर्थक्षम नहीं होगा।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : पान-पतों की पैदावार अधिकतर पश्चिम बंगाल में तथा कुछ आन्ध्र-प्रदेश, उड़ीसा तमिलनाडु और बिहार में होती है। विभिन्न देशों को पान-पत्तों का निर्यात करने की काफी संभावना है। परन्तु मंत्री महोदय ने कहा है कि केवल एक ही वस्तु के लिये निर्यात संवर्धन

परिषद का गठन प्रशासनिक और आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं है। हमारे देश में अलग-अलग वस्तुओं के लिये अलग-अलग निर्यात संवर्धन परिषदें हैं परन्तु हमारी सरकार ने इस समय पान-पत्ता निर्यात संवर्धन परिषद गठन न करने का निर्णय किया है। चूंकि हमारे देश में इस समय पान पता—निर्यात संवर्धन परिषद नहीं है तो निश्चित रूप से इस कार्य की देख रेख कोई न कोई तो करता होगा। मैं उन एजेंसियों के नाम जानता हूं जो इस समय पान पत्ता आयात करने का काम करती है और मैं यह भी जानता हूं कि वे वास्तव में क्या कर रही हैं? सरकार ने पान पत्ता निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये हैं या उठाने का विचार है?

श्री पी० ए० संगमा : पिछले कुछ वर्षों में हमें पान-पत्ता निर्यात से 40 से 80 लाख रुपये तक प्राप्त हुये हैं। वर्ष 1980-81 में 40 लाख प्राप्त हुए है और 1983-84 में ये बढ़कर 80 लाख रुपये हो गए हैं, जिस वस्तु से लगभग 80 लाख रुपये प्राप्त होते हैं उसके लिए पृथक निर्यात संवर्धन परिषद बनाना संभव नहीं है। हमारे पास खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद है जो इस वस्तु के निर्यात का काम करती है।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : पान-पत्तों का निर्यात करके हम काफी बड़ी धनराशि अर्जित कर सकते हैं। पहले हमने 5 करोड़ रुपये के पान-पत्तों का प्रतिवर्ष निर्यात किया है। हाल ही में यह निर्यात कम हो गया है। अतः क्या मैं उन देशों के नाम जान सकता हूं जिनको पान पत्तों का निर्यात किया जाता है और हमने वर्ष 1983-84 और 1984-85 में पान पत्तों के निर्यात से कितनी मुद्रा अर्जित की है। क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने हमारे देश से पान पत्तों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। यदि हाँ, तो क्या भारत सरकार ने इस प्रतिबन्ध को हटाने के लिए पाकिस्तान सरकार से बातचीत की है।

श्री पी० ए० संगमा : हम पाकिस्तान को भी पान पत्तों का निर्यात करते हैं। मैं नहीं समझता कि वहां कोई प्रतिबन्ध लगा हुआ है। हम पाकिस्तान, साउदी अरब, यू० के०, कुवैत, नेपाल, बहरीन और यू० ए० ई० को पान पत्तों का निर्यात करते हैं। माननीय सदस्य द्वारा बताये गये तथ्यों व आंकड़ों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मेरी सूची के अनुसार हमने 1978-79 में पान-पत्तों का निर्यात सबसे अधिक किया था जो कि 132 लाख रुपये का था।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं एक पान पत्ता उत्पादक क्षेत्र की रहने वाली हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप पान पत्ता खाती हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : हम अच्छे पान पत्तों का उत्पादन करते हैं। हमारी क्षेत्र में जब लड़कियां बाहर जाती हैं तो पान पत्ता मुंह में देकर जाती हैं। मेरे मित्र द्वारा उठाये गये प्रश्न की मैं सराहना करती हूं। मंत्री महोदय द्वारा पान के पत्तों का निर्यात किये जाने वाले देशों की सूची से स्पष्ट है कि मध्य पूर्व के देशों मे पान-पतों के निर्यात की अच्छी संभावनाएं हैं क्योंकि वहां के लोग इस पत्ते को बड़े मजे से खाते हैं, यदि पान पत्तों का निर्यात बढ़ाया जाता है तो हमारे छोटे किसानों को इसका लाभ मिलेगा। दूसरी ओर यदि कीमतें गिर जाती हैं तो उन्हें कठिनाई का सामना करना

पड़ेगा। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या इन देशों में पान-पत्तों की प्रदर्शनी आदि के माध्यम से इसे लोक प्रिय बनाने के विशेष प्रयास किए जाएंगे ? इसके अतिरिक्त जब प्रतिनिधि मण्डल में इन देशों के लोग भारत आते हैं तो क्या सरकार उन्हें ये दिखाने के लिये विशेष उपाय तथा उन लोगों को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रदर्शन करेगी।

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें यह जरूर बतायें कि वे बरामदों में न थूकें।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या सभी प्रारंभिक कदम उठाये जा रहे हैं और यदि नहीं तो क्या उन पर विचार किया जाएगा।

श्री पी० ए० संगमा : हम पान-पत्तों को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयास करते रहे हैं। परन्तु पान-पत्तों को लोकप्रिय बनाना ही पर्याप्त नहीं होगा। इसके साथ ही हमें सुपारी को भी लोक प्रिय बनाना होगा। हम इन दोनों वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने के प्रयास कर रहे हैं। जो आंकड़े मैंने प्रस्तुत किये हैं उनसे स्पष्ट है इनका निर्यात बढ़ रहा है और यह हमारे प्रयासों से हो रहा है।

श्री भेरावदन के० गधावी : सरकार निर्यात अधिक से अधिक बढ़ाने के तरीकों का पता लगा रही है। पान पत्ता भी उनमें से एक है। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में पान पत्तों के बहुत अधिक बागान हैं। क्या सरकार को यह जानकारी है कि इन बागानों में समुद्र का पानी घुस कर इन्हें बुरी तरह प्रभावित कर रहा है ? इन बागानों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री पी० ए० संगमा : इसका उत्तर कृषि मंत्री दे सकते हैं ?

काफी विपणन में संकट की स्थिति

*295. **श्री एन० डेनिस** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 11 जुलाई, 1984 के 'बिजनस स्टेंडर्ड' की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि आगामी वर्षों में देश में काफी के विपणन का संकट उत्पन्न हो जाएगा जो कि 1940 के उस संकट से भी अधिक गम्भीर होगा जिसके कारण काफी बोर्ड की स्थापना करनी पड़ी थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या समस्याएं महसूस की जा रही हैं और देश में काफी के विकास हेतु स्थिति से निपटने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रन्जन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) काफी के विपणन में ऐसे किसी संकट का पूर्वानुमान नहीं है।

श्री एन० डेनिस : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि किसी संकट का पुर्नानुमान नहीं है। परन्तु गैर कोटा देशों को रियायत देने की पेशकश करने के मामले में कड़े मुकाबले, वर्ष

1983 में उत्पादन में गिरावट, काफी के बढ़ते मूल्यों, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भरमार और उत्पादन शुल्क लगाने के कारण विपणन सम्बन्धी काफी समस्याएं हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि काफी उत्पादकों को बहुत अधिक रियायत देकर बिक्री और अन्य कठिनाइयों के कारण हुए नुकसान की सरकार सीमा शुल्क और अन्य साधनों से संयुक्त रूप से सूचित धनराशि से प्रतिपूर्ति करेगी ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वर्ष 1984 तथा इसके बाद के बर्षों में काफी का निर्यात कोटा बढ़ाने के लिए कदम उठाएगी ?

श्री निहार रन्जन लास्कर : मैं पहले ही कह चुका हूं कि किसी संकट का पूर्वानुमान नहीं है क्योंकि अगले वर्ष 162,000 से 170,000 टन की भारी फसल होने की संभावना है। कोटे वाले देश के लिए 40,000 टन का करार है और गैर कोटा देशों के लिए कम मात्रा के ही आर्डर हैं। हमारे देश में काफी की खपत 60,000 टन होगी। कुछ अगले वर्ष के लिए बचा कर रखना है। अतः इन सब बातों को देखते हुए मेरे विचार में कोई संकट नहीं है।

श्री एन० डेनिस : महोदय, गैर-कोटा देशों को भारत में फालतू काफी की उपलब्धता की जानकारी नहीं है। हम मुख्यतयाः केवल एक देश पर निर्भर कर रहे हैं अर्थात गैर-कोटा बिक्री के लिये सोवियत रूस। अतः इस बिक्री में बहुत अधिक छूट है।

काफी उत्पादक और निर्यातक काफी बोर्ड द्वारा हाल ही में किये गये इस निर्णय से परेशान हैं कि लोक लेखा समिति की सिफारिशों के विरुद्ध जोकि 50-50 है। यह कुल निर्यात कोटे से आधे से अधिक मात्रा स्वयं रखेगा, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार काफी बोर्ड को निर्यात कार्यों से मुक्ति देकर चाय व्यापार निगम या इलायची व्यापार निगम की तरह काफी व्यापार निगम जैसा कोई संगठन बनाने का निर्णय करेगी ताकि काफी बोर्ड का ध्यान विकास कार्यों पर केन्द्रित हो सके।

श्री निहार रन्जन लास्कर : मैं समझता हूं कि किसी पृथक एजेंसी की आवश्यकता नहीं है। काफी बोर्ड स्वयं इसके लिए सक्षम है। उनके पास अपेक्षित विशेषज्ञता है और वे इस कार्य को कर सकते हैं।

भारत तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के बीच व्यापार

*297. **श्री ब्रज मोहन महन्ती** : क्या वाणिज्य मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 (जून के अन्त तक) के दौरान भारत तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के बीच विदेश व्यापार द्वारा कितने मूल्य की वस्तुओं का आयात और निर्यात किया गया ;

(ख) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के साथ भारतीय विदेश व्यापार प्रतिकूल सन्तुलन में चल रहा है ;

(ग) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों द्वारा भारतीय औद्योगिक वस्तुओं तथा वस्त्रों को आयात करने की अनिच्छा तथा भारतीय निर्यात के प्रति भेदभाव पूर्ण तरीके अपनाने के परिणाम-स्वरूप हमारा व्यापार सन्तुलन प्रतिकूल हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रन्जन लास्कर) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

1981-82 से 1983-84 (केवल दिसम्बर, 1983 तक उपलब्ध) के दौरान भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच व्यापार निम्नलिखित रहा है :

(करोड़ रु० में)

	निर्यात	आयात	व्यापार सन्तुलन
1981-82	1515.28	3016.86	—1501.28
1982-83	1436.77	3187.87	—1750.67
1983-84 (दिसम्बर, 1983)	1229.98	2294.75	—1094.77

यूरोपीय आर्थिक समुदाय में कुछ वस्तुओं का आयात विनियमित है । भारत अपने विशिष्ट हित के कतिपय उत्पादों के बाजार प्रदेश में सुधार के लिए प्रयास करता रहा है । ऐसे मुद्दों को समय समय पर विभिन्न स्तरों पर उठाया जाता है ।

श्री ब्रज मोहन महन्तो : महोदय हमें 1500 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष नुकसान हो रहा है । ऐसा प्रतीत होता है कि हम उपनिवेशी शोषण के शिकार हो रहे हैं । वास्तव में हम सभी औद्योगिक वस्तुओं का, विशेषकर कपड़े का निर्यात नहीं कर सकते । मंत्री महोदय ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया है । क्या वे बता सकते हैं कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को किन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है ।

श्री निहार रन्जन लास्कर : महोदय, भारत ने वर्ष 1982-83 में यूरोपीय समुदाय के देशों को 16.6 प्रतिशत निर्यात किया हैं और कुल आयात में से उनसे 22.7 प्रतिशत आयात करता है ।

माननीय सदस्य निर्यात की जाने वाली हमारी प्रमुख बस्तुओं के बारे में जानना चाहते हैं । कपड़े, मणि-रत्न, चमड़ा तम्बाकू, पशुओं और वनस्पतियों का कच्चा माल, हस्तशिल्प की वस्तुओं, मशीनरी और परिवहन उपकरणों तथा काफी का निर्यात किया जाता है ।

कपड़े के बारे में माननीय सदस्य का प्रश्न सही है। कपड़े का आयात भारत—यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्विपक्षीय समझौते की शर्तों के अनुसार होता है और कोटा आबंटित किया जाता है और कुछ वस्तुओं का कोटा पूरा करने में हम असमर्थ रहे हैं। कुछ वस्तुओं का कोटा हम पूरा नहीं कर पाते क्योंकि यूरोपीय आर्थिक समुदाय एक देश के बाजार से दूसरे देश के बाजार में कोटा हस्तांतरित करने के लिये सहमत नहीं है।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय को सूती कपड़ा उत्पादों के निर्यात की स्थिति महत्वपूर्ण है। पिछले दो वर्षों में सूती कपड़े का निर्यात कम हुआ है। वास्तव में सूती कपड़े का निर्यात तो और भी अधिक कम होता परन्तु कालीन और दरियों के निर्यात में निरन्तर सुधार होने के कारण स्थिति कुछ ठीक रही। तायवान, कोरिया, हांग-कांग और चीन जैसे पारंपरिक प्रतियोगियों की तुलना में सूती कपड़े के प्रमुख निर्यातक के रूप में हमारी स्थिति कमजोर हुई है। इसके विभिन्न कारण हैं। मांग पद्धति में आधारभूत परिवर्तन हुआ है। अब मिश्रित कपड़े (ब्लेन्डिड फैबरिक) की मांग बढ़ रही है जबकि हम शुद्ध सूती कपड़ा बनाने पर बल देते रहे हैं। इसके अतिरिक्त, हमारा निर्यात सूती कपड़े पर केन्द्रित है। सिंथेटिक कपड़े के मूल्यों में बहुत अधिक प्रतियोगिता होने के कारण सूती कपड़े का कोई मूल्य नहीं रहा है। महोदय, इंजीनियरी माल के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री ब्रज मोहन महन्ती : क्या मैं जान सकता हूं कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के साथ व्यापार को सुधारने के लिए सरकार ने क्या विशेष क़दम उठाये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि व्यापार के प्रतिकूल संतुलन की समस्या पर काबू पाने के लिए क्या कोई विशेष कदम उठाये गए हैं?

श्री निहार रन्जन लास्कर : जी हां। निश्चित रूप से हमने कुछ एजेंसियों के साथ हम बातचीत करते हैं। भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सम्बन्धों के बारे में अनेक मंचों पर चर्चा हुई है, जैसाकि भारत—यूरोपीय आर्थिक समुदाय संयुक्त आयोग। कुछ सदस्य राज्यों के साथ हमने द्विपक्षी आधार पर भी बातचीत की है। भारत में एफ० आई० सी० सी० आई० और अन्य देशों में उस जैसे संगठनों के साथ स्थापित संयुक्त व्यापार परिषदें स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय संयुक्त आयोग वर्ष 1981 में दोनों के बीच—हमारे और यूरोपीय आर्थिक समुदाय—हुए वाणिज्यिक और आर्थिक सहयोग समझौते के अन्तर्गत काय करता है। और जैसा कि आप जानते हैं संयुक्त आयोग का हाल ही में मई, 1984 में दिल्ली में तीसरा सत्र हुआ था। ये कुछ क्षेत्र हैं और मेलों जैसे व्यापार संवर्धन कार्यक्रम, व्यापार मिशन, वर्कशाप, क्रेता-विक्रेता बैठक, प्रशिक्षण पाठ्यकम और अन्य कार्य भी हैं। कुछ वित्तीय सहयोग कार्यक्रम भी हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या मैं तम्बाकू की स्थिति के बारे में जान सकता हूं? क्या यह सच नहीं है कि जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है तम्बाकू की स्थिति बदतर हो गई है। मेरे मित्र ने कुछ ऐसे संगठनों का ब्यौरा दिया है जो हमारे निर्यात को बढ़ावा देना चाहती हैं। हमारे वाणिज्य मंत्रालय में उच्चतम स्तर पर यूरोपीय आर्थिक समुदाय के प्राधिकारियों के साथ बातचीत करने और निर्यात संवर्धन के लिए क्या कदम उठाये गये हैं। हमारी स्थिति खराब होती जा रही है।

(व्यवधान)

श्री निहार रन्जन लास्कर : हम कदम उठा रहे हैं और विशिष्ट किस्म के निर्यात उत्पादों मे विर्जीनिया तम्बाकू उत्पाद भी एक है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने एक बात बताई है जो कि चिंता का विषय है। यदि आप आंकड़ों को देखें तो पता चलेगा कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय से भारत को निर्यात बढ़ रहा है। हमारा आयात बढ़ रहा है और निर्यात घट रहा है। प्रतिकूल व्यापार संतुलन में वृद्धि हो रही है। वर्ष 1977-78 में प्रतिकूल व्यापार संतुलन 120 करोड़ रुपए था। अब यह 1750-67 करोड़ रुपए पहुंच गया है जोकि 1982-23 के हैं। यह स्थिति है। जो कठिनाइयां मंत्री महोदय ने बताई हैं वे अन्य देशों में भी हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र के संगठन (ए० एस० ई०-ए० एन०) देशों को भी यही कोटा दिया गया है। हमारे पड़ोसी देशों का यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ व्यापार बेहतर है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने अपने निर्यात का मांग के साथ समायोजन करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। उदाहरणतया, जब उनकी ब्लेन्डिड फैबरिक की मांग है तो आप सूती कपड़ों का निर्यात क्यों करते हैं? डिलीवरी की अनुसूची के साथ समायोजन के बारे में आप क्या कर रहे हैं?

श्री निहार रन्जन लास्कर : महोदय, इस मामले पर नई दिल्ली संयुक्त आयोग की बैठक में चर्चा हुई थी। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ व्यापार में होने वाले घाटे के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं—सामान्य मंदी की स्थिति, यूरोपीय बाजार में कम मांग, और भारतीय उत्पादों का सामान्य प्रतियोगिता में मुकाबला न कर पाना। यह भी एक प्रमुख कारण है। जैसाकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि फैशन में परिवर्तन के बारे में वे लोग जागरूक हैं और विशेष रूप से कपड़ा उत्पादों के मामले में। मैंने विनियम दर में परिवर्तन के बारे में भी कहा है। पिछले तीन वर्षों में अमरीकी डालर की तुलना में ई० सी० यू० के मूल्य में काफी गिरावट आई हैं और भारतीय रुपए का मूल्य भी कम हुआ है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय देशों के निर्यातक शिकायत कर रहे हैं कि भारत से आयात महंगा पड़ रहा है। यू० एस० डॉलर की तुलना कोटा मूल्य इसका कारण है।

एक कारण यह भी है कि पी० ओ० एल० का निर्यात कम हुआ है। वर्ष 1982 में यह 372 करोड़ रुपए था। वर्ष 1983 में यह केवल 85.9 करोड़ रुपए रह गया है।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ भारत को वर्ष 1983 में जो घाटा हुआ है उसका 90 प्रतिशत तीन देशों से हुआ है, वे हैं ब्रिटेन, संघीय जर्मन गणराज्य, बेलजियम और लकमबर्ग। इंजीनियरिंग माल के आयात के कारण संघीय जर्मन गणराज्य के साथ बिना तराशे हीरों और कीमती पत्थरों का निर्यात कम हुआ है।

यह मुख्य कारण हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों को ऋणों का वितरण

*298. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों को मंजूर और वितरित किये गये ऋणों का प्रतिशत संतोष जनक और पर्याप्त नहीं है ;

(ख) अखिल भारतीय आंकड़ों की तुलना में इनकी स्थिति क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र में विकास और उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने हेतु पर्याप्त वित्त उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

1. जून 1983 के अंत में पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण : जमा का अनुपात 42% था । जब कि पूरे भारत में यह अनुपात 68·1% था ।

2. पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि का स्तर ऊंचा उठाने और अधिक ऋण उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्यिक बैंकों की और शाखाएं खोलकर, प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की स्थापना करके तथा बैंक के कर्मचारियों के साथ-साथ विकास कार्यक्रमों से जुड़ी सरकारी एजेंसियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार करके संस्थागत मूल ढांचे को मजबूत बनाने के प्रयास किए गए हैं ।

3. पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों के स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु क्षेत्र के सभी जिलों को 'क' क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है और उद्यमियों को इन क्षेत्रों में ओद्यौगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए आकर्षक प्रोत्साहन उपलब्ध कराए गए हैं । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने भी पूर्वोत्तर क्षेत्र की इकाइयों के लिए बहुत से प्रोत्साहन और रिआयतें देने की घोषणा की है ।

चीनी को निर्यात-प्रधान वस्तु बनाने के उपाय

*300. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने 1984 में 6.5 लाख टन चीनी का निर्यात करने का निर्णय लिया है चाहे इसके लिये कुछ आयात ही क्यों न करना पड़े ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्णय इस लिये लिया गया था कि अनेक देशों ने यह चिन्ता व्यक्त की थी कि भारत के पास इस वर्ष के अपेक्षित आई०एस०ओ० कोटे की 6.5 लाख टन चीनी सप्लाई करने के लिये पर्याप्त फालतू भंडार नहीं है ;

(ग) क्या तीन लाख टन के ठेके में से राज्य व्यापार निगम द्वारा 1.7 लाख टन चीनी पहले ही भेज दी गई है,

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने चीनी को निर्यात-प्रधान वस्तु बनाने से संबंधित विभिन्न प्रश्नों पर विचार करने के लिये एक कार्यकारी दल बनाया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस कार्यकारी दल द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार को कब तक प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) : स्वदेशी उपलब्धता तथा निर्यात योग्य अधिशेष के मूल्यांकन के आधार पर 1984 के दौरान 6.5 लाख मे० टन चीनी का निर्यात करने का निर्णय लिया जोकि अन्तर्राष्ट्रीय चीनी संगठन द्वारा भारत को इस वर्ष के लिए आबंटित कोटा है । तदनुसार , राज्य व्यापार निगम ने लगभग 3 लाख मै० टन के निर्यात के लिए संविदा की थी । तथापि , हाल ही में किये गए पूर्वमूल्यांकन से पूर्वानुमानित उत्पादन में कमी का पता चला। अतः फिलहाल के लिए आगे निर्यात संविदाकरण को निलम्बित कर दिया गया है । पूर्ण सावधानी के उपाय के रूप में लगभग 3.5 लाख मे०टन चीनी के आयात के लिए संविदा की गई है ।

(ग) 31 जुलाई, 1984 तक राज्य व्यापार निगम ने 2.51 लाख मे० टन चीनी का लदान किया ।

(घ) तथा (ङ) : जी हां । कार्य समूह अपनी रिपोर्ट 1984 के अन्त तक प्रस्तुत करेगा ।

कपड़ा उद्योग की मशीनरी का आयात करने और आधुनिकीकरण कार्यक्रम तेज करने के लिए प्रोत्साहन

*301 **श्री गुफरान आजम :**

श्री बालकृष्ण वासनिक :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने हाल में कपड़ा उद्योग को मशीनरी का आयात करने और आधुनिकी करण कार्यक्रम को तेज करने के लिये प्रोत्साहन देने की घोषणा की थी ;

(ख) यदि हां, तो उन कपड़ा मिलों का ब्यौरा क्या है जिन्हें इस प्रकार के प्रोत्साहन दिये जायेंगे ;

(ग) क्या देश के रुग्ण कपड़ा मिलों को भी ऐसे ही प्रोत्साहन दिये जायेंगे ; और

(घ) यदि हॉ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

वस्त्र उद्योग के आधुनिकी करण की गति को बढ़ाने तथा वस्त्र उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए उत्पादन आधार में सुधार करने के उद्देश्य से सरकार ने आयात शुल्क की रियायती दर पर कतिपय किस्म के अति आधुनिक करघों तथा रोटर कताई मशीन आयात करने के लिए एक स्कीम की घोषणा इस शर्त के अध्उधीन की है कि ऐसी मशीनों द्वारा उत्पादित माल का 75 प्रतिशत भारत से बाहर निर्यात होना चाहिए । यह निर्यात दायित्व उत्पादन के शुरू होने से 5 साल की अवधि में पूरा हो जाना चाहिए । इसके अलावा, वस्त्र मशीनरी की अनेक मदें खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात की जा सकती हैं । आधुनिकीकरण के लिए सुलभ ऋण स्कीम को और उदार कर दिया गया है। सभी इच्छुक मिलें सरकार द्वारा दी गई इन सुविधाओं का लाभ उठा सकती हैं।

हथकरघा कपड़े की निर्यात मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन में वृद्धि करना

*302. **श्री अमरसिंह राठवा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में हथकरधा कपड़े की भारी मांग है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं, और हथकरघा कपड़े का उत्पादन बढ़ाने तथा निर्यात संबंधी मांग को पूरा करने के लिये क्या उपाय किए जा रहे हैं ;

(ग) हथकरधा कपड़े के उत्पादन में लगे बुनकरों को दी जा रही रियायतों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में जो देश में बहुत ही पिछड़े क्षेत्र हैं इस उद्योग का विकास करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हाँ।

(ख) हथकरघा उत्पादों के प्रमुख आयातक देश संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देश हैं । अन्य महत्वपूर्ण आयातक देश हैं, सोवियत संघ, जापान, सिंगापुर, कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि । सरकार ने निर्यात माँग को पूरा करने के लिये देश के विभिन्न भागों में सरकार की सहायता से स्थापित आधुनिक संसाधन सदनों की मार्फत बेहतर सुविधाएं दे कर हथकरघा उत्पादन को बढ़ाने के लिये अनेक उपाय किये हैं । इसके अतिरिक्त ऐसे उत्पादन के लिये विभिन्न राज्यों में पूर्णतः निर्यात उत्पादन परियोजनाएं स्थापित की गई हैं।

(ग) हथकरघा क्षेत्र में बुनकर क्षेत्रों को दी गई रियायतों में शामिल हैं सहकारी समितियों के सदस्य के रूप में उनको दर्ज करने के लिये वित्तीय सहायता, प्राथमिक सहकारी समितियों के बेहतर प्रबन्ध के लिये प्रबन्धकीय उपदान, सहकारी क्षेत्र में करघों के सुधार और आधुनिकीकरण के लिये ऋण तथा सहायता देना, प्राथमिक समितियों से वसूली बढ़ाने और बाजार के कार्यक्षेत्र में

विस्तार करने के लिये शीर्ष विपणन सहकारी समितियों को शेयर पूंजी सहायता, बराबर रोजगार प्रदान करने के लिये हथकरघा जनता कपड़ा योजना और हथकरघा कपड़े की बिक्री पर विशेष छूट देना। इसके अतिरिक्त बुनकरों के लिये आवास तथा बचत निधि जैसी कल्याण योजनाएं 7वीं योजना में शामिल किये जाने के लिये विचाराधीन हैं।

(घ) हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिये बनाई गयी सभी योजनाएं ऐसे आदिवासी क्षेत्रों के लिये भी बराबर लागू होती हैं जहां ऐसे हथकरघे स्थापित हैं। अधिकांश हथकरघे ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं।

देश से यूरेनियम की तस्करी

*303. **श्री राम विलास पासवान :**
श्री एस० रामगोपाल रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता चला है कि यूरेनियम जो परिमाणु-बम बनाने के लिये आधार-भूत पदार्थ है, को उत्तर प्रदेश; बिहार तथा देश के कुछ अन्य भागों से नेपाल होकर पाकिस्तान को भारी मात्रा में गैर कानूनी ढंग से चोरी छिपे ले जाया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) (क) जी, नहीं।

(ख) इसका प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत-नेपाल सीमा के आर-पार तस्करी की गतिविधियों को रोकने के लिए, सरकार ने आमतौर पर तस्करी-निवारण संबंधी उचित उपाय किये हैं। गैर-कानूनी व्यापार को रोकने के लिए भारत-नेपाल के बीच सहयोग संबंधी करार के तहत द्विपक्षीय प्रबन्ध भी किये गये हैं। इस क्षेत्र में सीमाशुल्क विभाग के निवारक और गुप्त सूचना तन्त्र को, कर्मचारियों और उपकरणों के संदर्भ में, और मजबूत बना दिया गया है। भारत-नेपाल सीमा पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की सम्बन्धित एजेंसियां उचित कार्यवाही हेतु सतर्क बनी रहती हैं।

लोह-अयस्क का न उठाया जाना

*304. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**
श्री राम विलास पासवान :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भारी मात्रा में लौह अयस्क पड़ा हुआ है जिसे कुछ बाहरी देशों विशेष रूप से ईरान द्वारा नहीं उठाया गया है ;

(ख) कितना अयस्क नहीं उठाया गया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार उस अयस्क को किसी अन्य देश को निर्यात करने का है जिससे विदेशी मुद्रा का नुकसान न हो ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) (क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

भारतीय खनिज व धातु व्यापार निगम लि० (एम एम टी सी) द्वारा पत्तन लदान केन्द्रों पर निर्यात के लिए 31-3-1984 को लौह अयस्क का कुल भंडार 24. 15 लाख मै० टन था, जोकि दो महीनों से कम अवधि के लिए निर्यात करने के लिए पर्याप्त था। कुदरेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड के पास 30 जून 1984 को उसके द्वारा उत्पादित केवल लगभग एक लाख मै० टन लौह अयस्क सान्द्रण का भंडार था, लेकिन कुदरेमुख के पिट हैडों पर लौह अयस्क का कोई भंडार नहीं था क्योंकि कुदरेमुख लौह अयस्क कम्पनी उतनी मात्रा ही निकालती है जितनी मात्रा की जरूरत सांद्रणों के उत्पादन के लिए होती है। भारतीय खनिज व धातु व्यापार निगम लि० ईरान को लौह अयस्क का निर्यात नहीं करता है। कुदरेमुख आयरन और कम्पनी लि० ने अगस्त 1980 से ईरान के साथ लौह अयस्क सांद्रण के निर्यात के लिए एक संपिदा की थी। तथापि, ईरान ने इस सामग्री को उठाने में अपनी असमर्थता दर्शाई। अब ईरान शीघ्र ही भारत से आजमाइशी खेप लेने के लिए सहमत हो गया है।

एम० एम० टी० सी० द्वारा नए विदेशी निर्यात बाजारों का पता लगाने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। एम० एम० टी० सी० दिसम्बर 1984 में चीन को 30,000 मै० टन लौह अयस्क की आजमाइशी खेप भेज रहा है। वर्ष 1984-85 के लिए 25 मिलियन मै० टन का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है जबकि वर्ष 1983-84 के लिए 24 मिलियन मै० टन का लक्ष्य था।

जहां तक कुदरेमुख आयरन और कम्पनी लि० द्वारा उत्पादित लौह अयस्क सांद्रणों का सम्बन्ध है, कम्पनी द्वारा विदेशी निर्यात बाजारों का पता लगाने के लिए भरसक प्रयास किए गए हैं। परिणामस्वरूप, 1981 तथा 1985 के बीच 4.16 मिलियन मै० टन की कुल मात्रा के निर्यातों के लिए रूमानिया, चेकोस्लोवाकिया तथा वहरीन के शाथ संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें से 3 मिलियन मै० टन से अधिक मात्रा जुलाई 1984 तक निर्यात की जा चुकी हैं। शेष मात्रा के वर्ष 1984-85 के अन्त तक निर्यात किए जाने की संभावना है। अन्य देशों को लौह अयस्क सांद्रणों के निर्यात की संभावनाओं का भी पता लगाया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में दिए गए ऋण एवं जमा राशियों में अनुपात

*305. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **वित्त मंत्री** गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में दिये गये ऋण एवं जमा राशियों के अनुपात को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिये गये ऋण एवं जमा राशियों के अनुपात में 2 प्रतिशत की कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) इस संबंध में क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अनंतिम आंकड़ों के अनुसार जून 1981, जून 1982, और जून 1983 के तीन वर्षों में मध्य प्रदेश में सभी वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात 60·7 प्रतिशत पर ही स्थिर रहा ।

2. अलबत्ता उक्त अवधि के दौरान मध्यप्रदेश में ऋण जमा अनुपात अखिल भारतीय औषत से, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है , कम था :

जून 1981	67.2
जून 1982	67.0
जून 1983	68.1

3. बैंकों को उन राज्यों में जहां ऋण जमा अनुपात कम है ऋण के वितरण को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के वास्ते कहा गया है, राज्य सरकारों से अपने यहां आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने का अनुरोध किया गया है ताकि बड़े पैमाने पर ऋणों का उपयोग करने के लिए आर्थिक गतिविधियों के स्तर को बढ़ाया जा सके।

उन वस्तुओं के नाम जिसकी मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की लागत-वृद्धि हुई

*306. **श्री सूरज भान :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन महत्वपूर्ण वस्तुओं के नाम क्या हैं जिनके मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप छठी योजना में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की योजनाओं की लागत में वृद्धि हुई ;

(ख) मूल्यों में इन वृद्धियों के फलस्वरूप सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितना राजस्व वसूल किया गया और उनके परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की लागत में कितनी वृद्धि हुई तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए वित्तीय संस्थाओं से कितनी धनराशि जुटानी पड़ी ; और

(ग) ऐसी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि करने के सम्बन्ध में वर्तमान नीति क्या है जिसके फलस्वरूप सरकार तथा वित्तीय संस्थानों पर भारी बोझ पड़ता है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) निवेश्य वस्तुएं जैसे कि लोहा और इस्पात, सीमेंट, कोयला और एल्यूमिनियम आदि के प्रशासित मूल्यों में छठी योजना की अवधि के दौरान वृद्धिकारी संशोधन किए गए थे और इसमें सन्देह नहीं कि इनके फलस्वरूप परियोजना लागतों पर प्रभाव पड़ा होगा। इन मूल्यों में वृद्धिकारी समायोजन, लागतों को पूरा करने और उत्पादक एककों की सक्षमता में सुधार करने के लिए आवश्यक समझा गया था, न कि राजस्व में वृद्धि करने के लिए।

ऐसे संशोधन के अभाव में ऊंची लागतों का भार, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की हानियों से बजट पर पड़ने वाले प्रभाव के माध्यम से, सामान्यतः समूची अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। परियोजना लागतों पर प्रशासित मूल्यों के संशोधन के प्रभाव को पृथक करना संभव नहीं है क्योंकि लागतों पर एक साथ सक्रिय रहने वाले कई एक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। तथापि निवेश्य वस्तुओं के प्रशासित मूल्यों को संशोधित करते समय, परियोजना लागतों पर उनसे पड़ने वाले प्रभाव तथा बजट और वित्तीय संस्थाओं पर पड़ने वाले भार को ध्यान में रखा जाता है।

विमानों में खान-पान सम्बन्धी सेवाओं के बारे में शिकायतें

*307. **श्री विष्णु प्रसाद** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को इंडियन एयरलाइन्स के विमानों में खान-पान सम्बन्धी सेवाओं के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने उक्त शिकायतों के बारे में क्या कदम उठाए हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खां) : (क) इण्डियन एयरलाइन्स में खान-पान सेवा के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) उड़ानगत खान-पान सेवा के स्तर में सुधार करना जारी रहने वाली प्रक्रिया है। इण्डियन एयरलाइन्स का उड़ानों पर अच्छी किस्म का भोजन देने का निरन्तर प्रयत्न रहता है। उड़ानगत खान-पान व्यवस्था के स्तर को सुधारने के लिए हाल ही में किए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) प्रतियोगिता के जरिये अच्छे प्रकार के भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए इण्डियन एयरलाइन्स उसी स्टेशन पर एक से अधिक खान-पान प्रबन्धक से खाना लेता है ;

(2) उड़ान से पहले किस्म नियंत्रण जांच को और तेज किया गया है ; और

(3) अंतिम क्षण में होने वाली कमियों को पूरा करने के लिए सभी उड़ानों पर अतिरिक्त शाकाहारी भोजन रखा जा रहा है।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा उड़ीसा में होटलों का निर्माण

*308. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा उड़ीसा में कितने होटलों का निर्माण किया जा रहा है ;

(ख) उड़ीसा में विभिन्न स्थानों पर भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के संयुक्त सहयोग से कितने होटल बनाये जा रहे हैं ; और

(ग) इन होटलों के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खां) : (क) भुवनेश्वर में भारत पर्यटन विकास निगम के होटल का विस्तार किया जा रहा है ।

(ख) एक ।

(ग) परियोजना का नाम	प्रगति
(1) पुरी में 100 लाख रु० की अनुमानित लागत पर उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के सहयोग से 44 कमरों वाला 3 स्टार संयुक्त उद्यम होटल ।	भूमि-परीक्षण पूरे हो गये हैं । सिविल प्लम्बिंग के काम सौंप दिये गये हैं और निर्माण कार्य प्रगति पर हैं । बिजली के काम के लिए टैंडर आमंत्रित किये गये हैं ।
(2) होटल कलिंग अशोक भुवनेश्वर में 170 लाख रु० की अनुमानित लागत पर 36 कमरे जोड़ते हुये 4-स्टार स्तर के रूप में विस्तार ।	प्लिन्थ लैबल तक का काम पूरा हो चुका है । सिविल, प्लम्बिंग, बिजली और फिनिशिंग कार्यों के "टर्न—की कान्ट्रैक्ट" के लिये एजेंसी निर्धारित की जा चुकी है और मेजनीन फ्लोर तक काम पूरा हो गया है ।

सरकारी संसाधनों में वृद्धि करने के लिए बाण्ड जारी करना

*309. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने संसाधनों में वृद्धि करने के लिये बाण्ड जारी करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस-धनराशि में से कुछ धनराशि, राज्यों की परियोजनाओं के विकास के लिये, राज्य सरकारों को देने का भी निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) बांडों की नई श्रृंखला जारी करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड के अंतर्गत न आने वाले क्षेत्र

*310. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन क्षेत्रों की संख्या और नाम क्या हैं जो अभी भी बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड के अंतर्गत नहीं आये हैं ;

(ख) देश में कितने बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड स्थापित किये गये हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन बोर्डों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती के सम्बन्ध में जारी किये गये आदेशों का ब्यौरा क्या है और क्या इन आदेशों का पालन किया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) नौ बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए भारत भर में फैले हैं इनके कार्यालयों के वास्ते अधिकारियों तथा लिपिकों की भर्ती करते हैं। इन नो बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों के नाम तथा उनकी अवस्थिति, इनमें से प्रत्येक बोर्ड के अधीन भौगोलिक क्षेत्र आदि का ब्यौरा संलग्न विवरण-एक में दिया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक का केन्द्रीय भर्ती बोर्ड भारतीय स्टेट बैंक और इसके सात अनुषंगी बैंकों के लिये अधिकारियों की भर्ती करता है । भारतीय स्टेट बैंक के केन्द्रीय भर्ती बोर्ड के अधीन कार्यरत 13 क्षेत्रीय भर्ती बोर्ड देश भर में भारतीय स्टेट बैंक और उसके सातों अनुषंगी बैंकों के कार्यालयों के लिये लिपिकों की भर्ती करते हैं । इन 13 क्षेत्रीय भर्ती बोर्डों, उनकी अवस्थिति तथा इनमें से प्रत्येक के अधीन भौगोलिक क्षेत्र का ब्यौरा संलग्न विवरण-दो में दिया गया है ।

देश के सभी क्षेत्र एक अथवा अन्य बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों तथा केन्द्रीय भर्ती बोर्ड के एक या दूसरे क्षेत्रीय भर्ती बोर्ड के अंतर्गत आते हैं ।

(ग) केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवाओं की नियुक्ति के वास्ते अनु० जाति/अनु० जन जाति के उम्मीदवारों के आरक्षण के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेश, उपयुक्त संशोधनों के साथ सरकारी क्षेत्र के बैंकों में भर्ती पर भी लागू होते हैं । बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड/क्षेत्रीय भर्ती बोर्ड सरकारी क्षेत्र के बैंकों की भर्ती एजेंसियां है और ये बोर्ड अनु० जातियों/अनु० जन जातियों से सम्बन्धित उम्मीदवारों के वास्ते उपलब्ध कतिपय रियायतों एवं छूटों के सम्बन्ध में सरकारी अनुदेशों पर अमल करते हैं ।

विवरण-एक

लिपिकीय भर्ती के वास्ते बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों का भौगोलिक क्षेत्र और उनके सहभागी तथा समन्वयकारी बैंक

	भर्ती बोर्ड	अधिकारियों की सीधी भर्ती के लिये बैंको का समूह	लिपिकों की क्षेत्रीय भर्ती के लिए भौगोलिक क्षेत्र
1.	पूर्वी ग्रुप (कलकत्ता)	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
2.	दक्षिणी ग्रुप (मद्रास)	इंडियन बैंक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, आन्ध्र बैंक	तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश पांडिचेरी
3.	दक्षिणी ग्रुप (बंगलौर)	केनरा बैंक, सिंडीकेट बैंक, विजया बैंक, कारपोरेशन बैंक	कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप
4.	उत्तरी ग्रुप (दिल्ली)	पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ओरियंटल बैंक आफ कामर्स, न्यू बैंक आफ इण्डिया	पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और चंडी-गढ़
5.	पश्चिमी ग्रुप	बैंक आफ इण्डिया, यूनियन बैंक, बैंक आफ महाराष्ट्र	महाराष्ट्र और गोवा
6.	पश्चिमी ग्रुप (बड़ौदा)	बैंक आफ बड़ौदा, देना बैंक	गुजरात, राजस्थान, दादर और नगर हवेली, दमन व दीव
7.	मध्य ग्रुप (लखनऊ)	इलाहाबाद बैंक	उत्तर प्रदेश
8.	मध्य ग्रुप (भोपाल)	सेंटल बैंक आफ इण्डिया	मध्य प्रदेश
9.	पूर्वोत्तर ग्रुप (गौहाटी)	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

विवरण-दो

भारतीय स्टेट बैंक समूह के लिए केन्द्रीय भर्ती बोर्ड, बम्बई के अधीन
[कार्यरत क्षेत्रीय भर्ती बोर्डों की सूची]

	क्षेत्रीय भर्ती बोर्ड	अन्तर्गत आने वाला भौगोलिक क्षेत्र
1.	अहमदाबाद	गुजरात राज्य, संघ शासित क्षेत्र, दमन तथा दीव
2.	बंगलौर	कर्नाटक राज्य
3.	भोपाल	मध्य प्रदेश राज्य
4.	भुवनेश्वर	उड़ीसा राज्य
5.	बम्बई	महाराष्ट्र राज्य, तथा संघ शासित क्षेत्र दादर तथा नगर हवेली एवं गोवा
6.	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल राज्य, सिक्किम तथा संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
7.	चंडीगढ़	पंजाब राज्य, हरियाणा (सोनीपत और गुड़गांव जिलों के अलावा), जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़
8.	गौहाटी	असम राज्य, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, तथा संघ शासित क्षेत्र अरूणाचल प्रदेश और मिजोरम
9.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश राज्य
10.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश राज्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा
11.	मद्रास	तमिलनाडु राज्य, केरल और संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी और लक्षदीप
12.	नयी दिल्ली	राजस्थान राज्य, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली, गुड़गाँव और सोनीपत हरियाणा के जिले तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश
13.	पटना	बिहार राज्य

"फोर हैल्ड इन रूपीज 82 लैक एक्सचेंज रैकेट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

*311. श्री धर्मदास शास्त्री :

श्री के० लकप्पा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जुलाई, 1984 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "फोर हैल्ड इन रूपीज 82 लैक एक्सचेंज रैकेट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो बैंक अधिकारियों ने पूरी तरह और उचित जांच पड़ताल किए बिना विदेशी मुद्रा कैसे भेज दी ;

(ग) इस धोखा धड़ी में शामिल फर्मों का ब्यौरा क्या है और बैंक द्वारा प्रत्येक फर्म को कितनी राशि भेजी गई है; और

(घ) सरकार का इस मामले में क्या अग्रेतर कार्रवाई करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(क) से (घ) समाचार में सूचित किए गए मामले में, प्रवर्त्तन निदेशालय (विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम) ने अब तक 7 परिसरों की तलाशियां ली हैं जिसके परिणामत: 5 मामलों में दस्तावेज पकड़े गए हैं । निदेशालय ने 5 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है ।

इस मामले में अभी भी जाँच की जा रही है । प्रभावी जांच के हित में, इस अवस्था पर और अधिक ब्यौरे प्रकट करना कालोचित नहीं होगा । जाँच कार्य पूरा हो जाने पर ग्रस्त व्यक्तियों के विरुद्ध जिनमें बैंक के कर्मचारी भी, यदि कोई हों, शामिल हैं, कानून के अन्तर्गत उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी ।

कीटनाशकों का आयात

2841. श्री रामप्रसाद अहिरवार : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन रजिस्टर्ड कीटनाशकों के नाम क्या हैं जिन्हें भारत में इस समय किसी भी रूप में आयात किया जाता है और इनमें से प्रत्येक कीटनाशक के फार्म्युलेशन के नाम, ब्रांड, व्यापारिक नाम चिन्ह क्या है जिसके अन्तर्गत वे भारत में बेचे जाते हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : 1984-85 की आयात तथा निर्यात नीति (वाल्यूम-1) में विभिन्न कीटनाशी दवाओं, नाशक जीवमार दवाओं तथा घासपातनाशी दवाओं के ब्यौरे निम्नलिखित सूचियों में दिए गए हैं :

(क) पतिबंधित मदों की सूची

(ख) सीमित अनुमत मदों की सूची

(ग) स्वचालित अनुमत मदों की सूची

(घ) उन मदों की सूची जिनका आयात सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों द्वारा सरणीबद्ध किया गया है।

जो मदें कीटनाशी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं और उपरोक्त (क) से (घ) में उल्लिखित सूचियों में शामिल नहीं हैं, खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत उनके आयात की अनुमति है।

पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति में भी आयात की अनुमति है।

ऊपर बताई गई कीटनाशी, नाशीजीवमार, तथा घासपात नाशी दवाओं की अलग अलग मदों के आयात की आयातकों के वर्ग केलिए रखी गई शर्तों के अध्यधीन लागू नीति के अनुसार अनुमति दी गई है।

जिन ब्रांडों या व्यापार नामों या चिन्हों के अन्तर्गत भारत में ऐसी प्रत्येक कीटनाशी दवा बेची जाती है, उनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

आवश्यक वस्तुओं का निर्यात

2842. **श्री अजित बाग :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981-82 से 1983-84 की अवधि के दौरान प्रत्येक आवश्यक वस्तु का कुल कितने रुपए मूल्य का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : सरकार का मूल उद्देश्य निर्यातों को अधिकतम सीमा तक बढ़ाना है, परन्तु इस ढंग से कि देश में जरूरत की आवश्यक मदों के अनियमित निर्यातों से देश की अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव न पड़े। इसलिए उन सीमित मदों के सम्बन्ध में निर्यात में नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है जिनकी पूर्ति की स्थिति यह मांग करती है कि उनके निर्यात देश के अधिक हित में विनियमित किए जाएं।

आवश्यक तथा अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में वस्तुवार निर्यातों / आयातों के ब्यौरे केवल सितम्बर, 1982 तक ही उपलब्ध हैं। इसके अलावा व्यापार वर्गीकरण की मदों के विवरण आवश्यक वस्तुओं के विवरणों से यथार्थ रूप से मेल नहीं खाते हैं।

1981-82 और 1982-83 के पूर्वार्द्ध के लिये आवश्यक वस्तुओं से सम्बन्धित निर्यात का चुनिन्दा मदों के बारे में आंकड़े निम्नोक्त प्रकार हैं :

मूल्य : लाख रु० में

मद/मदों का समूह	1981-82	अप्रैल-सितम्बर, 1982 (अनन्तिम)
चावल (बासमती और गैर-बासमती)	36773	12276
गेहूं	56	—
चना	6	8
मसूर (मलका)	24	25
मूंगफली का तेल	21	—
दूध और क्रीम	58	5
मछली और मछली उत्पाद	28034	17201
मांस और मांस उत्पाद	7955	3515
आलू	52	103
ताजा प्याज	2944	1851
गन्ना चीनी शोधित	4918	1882
गन्ना गुड़	50	25
लाल मिर्च	242	471
चाय और मेट	39520	15023
माचिस	10	2
सादा नमक	80	227
कपड़े धोने का साबुन	311	9
कोयला, कोक और ब्रिकेट	396	221
सूती वस्त्र	29455	11599

1982-83 और 1983-84 के लिये कुछ मदों के निर्यात आँकड़े ही उपलब्ध हैं, जो निम्नोक्त प्रकार हैं :

मद/मद का समूह	1982-83 (अ)	1983-83 (अ)
चावल	19941	12283
गेहूं	—	129
मछली और मछली उत्पाद	34865	32247
मांस और मांस उत्पाद	8011	6247
चीनी और चीनी उत्पाद	5646	13695
चाय	36462	50085
सूती वस्त्र	26427	27097

(अ) अनन्तिम और संशोधन के अध्यधीन

स्रोत: वाणिज्यक जानकारी तथा अंक संकलन महानिदेशालय, कलकत्ता ।

ब्रिटेन की द्विपक्षीय सहायता की पेशकश

2843. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने भारत में वर्ष 1984-85 के दौरान अपने द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम पर कुल 1240 लाख पौंड (186 करोड़ रु० से अधिक) व्यय करने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो ब्रिटेन सरकार की इस वित्तीय सहायता में से किन कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं को वित्त उपलब्ध किया जा रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां । ब्रिटेन की सरकार ने जून, 1984 में पेरिस में हुई भारत सहायता संघ की बैठक में वर्ष 1984-85 के लिए 1240 लाख पौंड की बचनबद्धता की थी । यह राशि चालू वित्तीय वर्ष में भारत को संवितरित ब्रिटेन की सहायता के अधिकतम स्तर की द्योतक है । इसमें, यू० के० से वस्तुओं और सेवाओं के आयात के लिए आबद्ध सहायता, आपस में सहमति से तय परियोजनाओं की स्थानीय लागत के वित्तपोषण की व्यवस्था तथा ब्रिटिश विशेषज्ञों के खर्च की व्यवस्था और कोलम्बो आयोजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण छात्रवृत्तियों की लागत भी शामिल है ।

(ख) ब्रिटेन से मिलने वाली इस सहायता के अन्तर्गत जिन मुख्य परियोजनाओं की तथा मदों के लिए संभावित रूप से व्यवस्था की जाएगी ; उनके नाम इस प्रकार हैं ;

रिहन्द सुपर तापीय विद्युत परियोजना, भारत एल्यूमीनियम कंपनी का आबद्ध (केप्टिव) बिजलीघर, आमलोरी कोयला खान परियोजना, विद्युत, कोयला, रेलवे, तेल तथा प्राकृतिक गैस के क्षेत्रों में प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं के लिए उपस्कर का आयात तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए हुडको के आवास कार्यक्रम की स्थानीय लागत ।

गैर-सरकारी क्षेत्र की कुछ कम्पनियों की पूंजी जारी करने की योजनाओं को मंजूरी

2844. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र की लगभग 30 कंपनियों की अगले कुछ महीने में लगभग कुल 400 करोड़ रुपए की पूंजी जारी करने की योजनाओं को हाल ही में मंजूरी दी है ;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं और प्रत्येक कम्पनी को कितनी पूंजी जारी करने की मंजूरी दी गई है ;

(ग) क्या इन पूंजी निगमों में पूंजी जुटाने की विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं-कुछ मामलों में ऋणपत्रों की पहले जारी की गई सीरीज के अपरिवर्तनीय भाग को साधारण शेयरों में बदलना और कुछ अन्य मामलों में सामान्य रूप से शेयर तथा अपरिवर्तनीय अथवा परिवर्तनीय ऋण पत्र जारी करना ; और

(घ) प्रत्येक मामले में क्या योजनाएं मंजूर की गई हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) 31 जुलाई, 1984 को समाप्त हुए पिछले 4 महीनों के दौरान, 478.79 करोड़ रुपए के मूल्य की शेयर पूंजी/ऋण पत्र जारी करने के लिए, कंपनियों को 154 अनुमोदन प्रदान किए गए थे। ऐसी कम्पनियों के नाम तथा इन निगमों की राशि का ब्यौरा समाचार पत्रों में छपने वाली प्रेस विज्ञप्तियों के रूप में नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है।

(ग) और (घ) जी हां। जहां तक इन अनुमोदनों का सम्बन्ध है, एक कम्पनी के प्रस्ताव को उस कम्पनी द्वारा पहले से जारी किए गए ऋण-पत्रों के अपरिवर्तनीय-अंश को परिवर्तित करके इक्विटी शेयर पूंजी जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

त्रिवेन्द्रम में इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया की खानपान व्यवस्था का भारत पर्यटन विकास निगम के कोवलम यूनिट को दिया जाना

2845. **श्री ए० नीलालोहित दसन नाडार** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम में इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया की खानपान व्यवस्था (कैटरिंग) को जिम्मेदारी भारत पर्यटन विकास निगम के कोवलम यूनिट को दिये जाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खां) : (क) और (ख) इण्डियन एयरलाइन्स त्रिवेन्द्रम से प्रचालित अपनी सभी बोइंग-737 उड़ानों के लिए भोजन की व्यवस्था कोवलम स्थित भारत पर्यटन विकास निगम के अशोक बीच रिजोर्ट से करती रही है। भारत पर्यटन विकास निगम एयरबस उड़ानों के लिए भी खान-पान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अपनी क्षमता में वृद्धि कर रही है। एयर इण्डिया की उड़ानों की खान-पान व्यवस्था को अशोक बीच रिजोर्ट को सौंपने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

शास्त्री भवन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी "समन्वय समिति" मद्रास की मांगें

2846. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें शास्त्री भवन केन्द्रीय कर्मचारी समन्वय समिति, मद्रास से दिनांक 11 अप्रैल, 1984 का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त ज्ञापन में क्या-क्या मांगें की गई हैं ; और

(ग) उनकी माँगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये ब्याज मुक्त शिक्षा अग्रिम, जो 1000/-रुपये से कम न हो, की मांग की गई थी। वित्तीय कठिनाइयों और इस तथ्य को ध्यान में

रखते हुए कि उच्चतर तकनीकी शिक्षा के लिए सामान्य भविष्य निधि से पैसा निकालने की पहले से ही अनुमति है, इस मांग को स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया ।

बिहार के बीड़ी उद्योगपतियों से पैक की हुई बीड़ियों पर उत्पाद शुल्क की वसूली

2847. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के प्रत्येक बीड़ी उद्योगपति से पैक की हुई बीड़ियों पर पिछले दो वर्षों के दौरान कुल कितना उत्पाद शुल्क वसूल किया गया ;

(ख) क्या सरकार ने इन उद्योगपतियों द्वारा निर्मित की जा रही बीड़ियों की वास्तविक संख्या का पता लगाया है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक उद्योगपति के सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) बिहार राज्य के बीड़ी-निर्माताओं से पिछले दो वित्त वर्षों, 1982-83 और 1983-84 के दौरान पैकेट-बन्द बीड़ियों से उदग्रहीत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की कुल रकम निम्नानुसार है :—

वर्ष	उद्ग्रहीत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (लाख रुपयों में)
1982-83	637
1983-84	667 ×

× आंकड़े अनन्तिम हैं ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सम्बन्धी ब्यौरे कारखाना-वार रखे जाते हैं, न कि उद्योगपति-वार । बिहार में लाइसेंस-शुदा कारखानों की संख्या लगभग 600 है और इन कारखानों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध कराने में अनुपात के हिसाब से अत्यधिक समय और श्रम लगेगा । तथापि, यदि किसी कारखाने-विशेष अथवा किसी एकक-विशेष के सम्बन्ध में सूचना माँगी जायेगी तो उसे उपलब्ध करा दिया जाएगा ।

(ख) शुल्क अदा करने वाले प्रत्येक बीड़ी-निर्माणकारी एकक को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम के नियम 94 की शर्तों के अनुसार रिकार्ड रखना पड़ता है । इस नियम में अन्य शर्तों के साथ-साथ बीड़ियों के प्रतिदिन के उत्पादन तथा इस्तेमाल की गई कच्ची सामग्री की मात्रा का रिकार्ड रखने आदि का प्रावधान है । रिकार्डों की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा सावधिक जाँच की जाती है ।

(ग) प्रश्न के भाग (क) के उल्लिखित कारणों की वजह से प्रत्येक बीड़ी-निर्माता के सम्बन्ध में उत्पादन का वर्ष-वार ब्यौरा देना मुमकिन नहीं है ।

ग्रामीणों में बचत राशियां एकत्रित करने के प्रयत्न

2848. **श्री के० मालन्ना** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बचत संग्रह के प्रयास किए हैं विशेषकर जबकि कृषि पर आयकर नहीं लगता है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय राष्ट्रीय बचत परामर्श बोर्ड के माध्यम से क्या विशेष उपाय किए गए हैं क्योंकि गाँवों में लघु बचत आन्दोलन के विस्तार की काफी गुंजाइश है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) यह विषय मई, 1984 में हुई बैठक में केन्द्रीय राष्ट्रीय बचत सलाहकार बोर्ड के सामने लाया गया था । ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प बचत आन्दोलन का विस्तार करने के विशेष कदमों में कुछ ये हैं :—

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में और एजेंटों की नियुक्ति ;

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकारों की विस्तार सेवाओं और आधारभूत ढांचे का पूरा उपयोग ;

(iii) शाखा डाकपालों को प्रेरणा और प्रक्रिया सम्बन्धी विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना ; और

(iv) ग्रामीण क्षेत्रों में जोरदार प्रचार ।

मिलों के लिए आयातित कच्चे पटसन की उपलब्धता

2849. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास मिलों का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्द्धा में होड़ लेने हेतु सक्षम बनाने के लिये आयातित कच्चे पटसन को उपलब्ध कराने के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रन्जन लास्कर) : (क) तथा (ख) सरकार द्वारा पूर्ति तथा मांग स्थिति, कीमतों की स्थिति व पटसन उपजकर्ताओं के हितों के साथ ही साथ उद्योग को पर्याप्त कच्चे माल की सप्लाई के लिए जरूरत को ध्यान में रखने के बाद कच्चे पटसन के आयात के विषय पर निर्णय किया जाता है। सरकार द्वारा पूर्ति तथा मांग सम्बन्धी स्थिति को निरन्तर मानीटर किया जाता है और जब भी आवश्यक होता है सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं ।

विकलांगों को कारों के आयात के लिए विशेष रियायत

2850. **श्री दौलत सिंह जी जदेजा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोटर कारों के आयात के लिए नियम और विनियम क्या हैं ;

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान कितनी कारों का आयात किया गया ;

(ग) 1600 सी० सी० से कम और 1600 सी० सी० से अधिक वाली कारों के लिए कितना सीमा शुल्क दिया जाना होता है ;

(घ) क्या विकलांग व्यक्तियों को अपने निजी इस्तेमाल के लिए कारों के आयात के सम्बन्ध में कोई विशेष रियायत दी जाती है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रन्जन लास्कर) : (क) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये मोटर-कारों के आयात सम्बन्धी नियम तथा विनियम आयात तथा निर्यात नीति खण्ड-1 के पैरा 106 तथा अप्रैल 1984-मार्च, 1985 की हैंडबुक आफ इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट प्रोसीजर में दिए गए हैं। ये पुस्तकें संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) ऐसी कार के आयात सम्बन्धी आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं जिसमें विकलांग जुगत लगे हों।

(ग) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) तथा (ङ) वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25-5-83 के अन्तर्गत, विकलांग व्यक्तियों के लिये उनके निजी उपयोग हेतु विशेष रूप से बनाई गई कारों को उतने सीमा शुल्क से छूट दी गई थी जो कि कतिपय शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन 50 प्रतिशत यथामूल्य से अधिक थी। यह छूट 30-4-1984 तक वैध थी। यह रियायत, उन कारों के सम्बन्ध में जिन्हें 30-4-1984 से पहले जहाज से भेजा जा चुका है, 31 जुलाई, 1984 तक जिसमें यह तारीख भी शामिल है, बढ़ाई गई है।

विवरण	सीमा शुल्क			
	मूल शुल्क	सहायता शुल्क	अतिरिक्त शुल्क	कुल संचित सीमा शुल्क
पैट्रोल				
1. 1200 सी. सी. तक के क्षमता वाले इंजन की सैलून कारें।	100 प्र०श०	40 प्र०श०	5%+9500 रु०+5%	152.6%+9975 रु०
2. 1500 सी. सी. तक के क्षमता वाले इंजन की सैलून कारें।	100 प्र०श०	40 प्र०श०	5%+10500 रु०+5%	152.6%+11025 रु०
3. 1500 सी. सी. से अधिक तथा 1600 सी. सी. तक के क्षमता वाले इंजन की सैलून कारें।	100 प्र०श०	40 प्र०श०	5%+16000 रु०+5%	152.6%+16800 रु०
4. 1600 सी. सी. से अधिक तथा 2500 सी. सी. तक के क्षमता वाले इंजन की सैलून कारें।	150 प्र०श०	40 प्र०श०	5%+16000 रु०+5%	205.2%+16800 रु०
5, 2500 सी. सी. से अधिक	150 प्र०श०	40 प्र०श०	25%+5%	265.6 प्र०श०
डीजल				
1. 1500 सी. सी. से अनाधिक क्षमता वाली कारें।	100 प्र०श०	40 प्र०श०	5%+14000 रु०+5%	152.6%+14700 रु०
2. 1500 सी. सी. से अधिक तथा 1600 सी. सी. तक	100 प्र०श०	40 प्र०श०	5%+16000 रु०+5%	152.6%+16800 रु०
3. 1600 सी. सी. से अधिक 2500 सी. सी. तक	150 प्र०श०	40 प्र०श०	5%+16000 रु०+5%	205.2%+16800 रु०
4. 2500 सी. सी. से अधिक	150 प्र०श०	40 प्र०श०	25%+5%	265.6%

जीवन बीमा निगम के पास पड़ी व्यपगत हुई जीवन बीमा पालिसियां

2851. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस नवीनतम वित्तीय वर्ष के अन्त में, जिसके लेखे उपलब्ध हैं, जीवन बीमा निगम के पास ऐसी कितनी व्यपगत जीवन बीमा पालिसियाँ पड़ी थीं, जिनके सम्बन्ध में बीमा कराने वाले व्यक्तियों द्वारा नामांकित व्यक्तियों को कुछ धनराशि देय है ;

(ख) व्यपगत हुई पालिसियों के सम्बन्ध में कुल कितनी धनराशि देय है और ऐसी धनराशि पर प्रतिवर्ष कितना ब्याज देय है और प्रत्येक मामले में ब्याज की धनराशि खातों में जमा करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ;

(ग) जीवन बीमा निगम के प्रत्येक डिवीजन में व्यपगग हुई कुल पालिसियों की कुल संख्या कितनी है, और कितनी धनराशि देय है ; और

(घ) बीमा कराने वाले व्यक्तियों अथवा उनके द्वारा नामांकित व्यक्तियों को इस धनराशि का अब तक भुगतान न किए जाने के कारण क्या हैं और इस धनराशि को उसके कानूनी स्वामी को वापस करने के लिए जीवन बीमा निगम का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) जब किसी जीवन बीमा पालिसी के अन्तर्गत देय प्रीमियम का भुगतान विनिर्दिष्ट रियायती दिनों के अन्दर-अन्दर नहीं किया जाता तो वह पालिसी व्यपगत (लैप्स) हो जाती है। किन्तु, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 113 में यह व्यवस्था है कि यदि किसी पालिसी के अन्तर्गत सभी प्रीमियमों की कम से कम लगातार तीन वर्ष तक अदायगी की जाती है तो ऐसी पालिसी को गारन्टी शुदा समर्पण मूल्य प्राप्त हो जाएगा। इस धारा में आगे यह व्यवस्था भी की गई है कि ऐसी पालिसी आगे प्रीमियम अदा न किए जाने की वजह से व्यपगत नहीं होगी लेकिन उसे बीमे की चुकता घोषित राशि तक जीवित रखा जाएगा।

संभवतः सूचना उन जीवन बीमा पालिसियों के अन्तर्गत परिपक्वता दावों के सम्बन्ध में मांगी गई है जो आगे के प्रीमियम अदा न किए जाने की वजह से चुकता पालिसियों के रूप में घोषित कर दी गई है। 31 मार्च, 1983 को ऐसी बकाया पालिसियों के अन्तर्गत दावों के डिवीजन-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

अनिर्णीत दावे मोटे-तौर पर दो वर्गों में विभाजित किये जाते हैं, अर्थात वे दावे जो प्रचालन कार्यालयों में आगे की कार्रवाई के लिए पड़े हों तथा ऐसे दावे जो दावाकारों से वांछित सूचना के अभाव में अनिर्णीत पड़े हों। दूसरे वर्ग में दावों के अनिर्णीत रहने का मुख्य कारण पालिसी से सम्बन्धित कागजात और उन्मोचन फार्मों (डिस्चार्ज फार्म) को प्रस्तुत न किया जाना है।

पहले वर्ग के अन्तर्गत आगे वाले दावों के मामले में उनके शीघ्र निपटारे क लिये प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है। इस प्रयोजन के लिए, प्रक्रियाओं को सुचारू बना दिया गया है और काम का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है। दूसरे वर्ग के अन्तर्गत आने वाले दावों के सम्बन्ध में जीवन बीमा निगम लिखित कार्रवाई करता है तथा अनुस्मारकों के जरिए पालिसी धारियों के साथ अनुवर्ती

अपने क्षेत्रीय कार्मिकों को भी भेजता है ताकि वे पालिसीधारियों के साथ सम्पर्क करें और दावों के कुल भुगतान के सम्बन्ध में अपेक्षाओं को पूरा करने में उन्हें सहायता प्रदान करें ।

जीवन बीमा पालिसीयों के अन्तर्गत, बीमाकर्ता दावे के निपटारे में हुई देरी के कारण कोई ब्याज देने के लिए जिम्मेदार नहीं है । फिर भी जीवन बीमा निगम अपने कार्यालयों में हुई देरी की अवधि के लिये दावे की राशि पर अनुग्रही ब्याज देता है । क्योंकि दावे पर आगे की कार्रवाई करने के बाद प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर ब्याज की रकम का निर्धारण करना पड़ता है, इसलिए संलग्न विवरण में उल्लिखित दावों के सम्बन्ध में देय पाई जाने वाली ब्याज की राशि को नहीं बताया जा सकता ।

विवरण

31 मार्च, 1983 को चुकता घोषित की गई बकाया जीवन बीमा पालिसियों के अन्तर्गत परिपक्वता दावे

		संख्या	राशि करोड़ रुपयों में
1.	अजमेर	1576	0.21
2.	चंडीगढ़	1055	0.25
3.	जयपुर	1278	0.23
4.	जालंधर	398	0.05
5.	नई दिल्ली	1792	0.43
6.	आगरा	78	0.01
7.	इन्दौर	979	0.17
8.	जबलपुर	127	0.01
9.	कानपुर	632	0.44
10.	लखनऊ	219	0.09
11.	मेरठ	496	0.13
12.	रायपुर	65	0.01
13.	बाराणसी	863	0.13
14.	आसनसोल	1357	0.15
15.	कलकत्ता	4569	2.02
16.	कटक	495	0.04
17.	गोहाटी	1886	0.25
18.	जलपाईगुड़ी	914	0.10
19.	जमशेदपुर	162	0.03
20.	मुज्जफरपुर	405	0.15
21.	पटना	707	0.10
22.	सिल्चर	972	0.08

23.	बंगलौर	791	0.07
24.	कोयम्बतूर	455	0.10
25.	कुडाम्पा	100	0.02
26.	धारवाड़	772	0.08
27.	हैदराबाद	436	0.18
28.	कोजीकोड़े	614	0.05
29.	मद्रास	1104	0.09
30.	मदुरै	506	0.08
31.	मैसूलीपट्टनम	279	0.01
32.	तंजाबूर	212	0.02
33.	त्रिवेन्द्रम	961	0.17
34.	उद्यपी	313	0.03
35.	विशाखापत्तनम	578	0.07
36.	अहमदाबाद	1785	0.18
37.	बम्बई	4346	0.86
38.	नागपुर	1540	0.22
39.	नासिक	532	0.04
40.	पुणे	596	0.07
41.	राजकोट	76	0.01
42.	सतारा	356	0.03
43.	सूरत	953	0.17
44.	एकीकृत मुख्यालय	1710	0.27
45.	विदेश विभाग	2584	0.94
	जोड़ :—	42924	8.84

देश में चल रहे हस्तशिल्प विपणन और सेवा केन्द्र

2852. **श्री नवीन रावणी** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने हस्तशिल्प विपणन और सेवा केन्द्र चल रहे हैं ;

(ख) क्या संवर्धन कार्यक्रमों और विपणन में उत्पादन पर ध्यान देने के लिए इन केन्द्रों को कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या हस्तशिल्प वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिये ग्रामीण इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) उनतालीस ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रत्येक विपणन तथा सेवा विस्तार केन्द्र से कहा गया है कि वह ऋण, कच्चे माल, डिजाइनों तथा नये औजारों तथा उपस्करों के सम्बन्ध में शिल्पियों को सेवा सहायता देने के अलावा वर्ष के दौरान 4 उत्पाद संवर्धन कार्यक्रमों और एक बाजार सम्मेलन की व्यवस्था करे ।

(घ) चूंकि अनेक शिल्प ग्रामीण आधारित हैं, इसलिये ग्रामीण क्षेत्रो में उन शिल्पों के संवर्धन के लिए पर्याप्त ध्यान दिया जाता है ।

मध्य प्रदेश के जिलों/क्षेत्रों में "लीड बैंकों" का कार्यक्रम

2853. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले अथवा क्षेत्र में कार्यरत 'लीड बैंको" के नाम क्या हैं ;

(ख) अन्य बैंको द्वारा स्वीकृत ऋणों की तुलना में उज्जैन जिले में कार्य कर रहे "लीड बैंक' द्वारा वर्ष 1983-84 में स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित कितने लोगों को ऋण स्वीकृत किये गये और इस प्रकार स्वीकृत किए गए ऋणों की राशि कितनी है ; और

(ग) "लीड बैंक" को क्या विशेष कार्य सौंपे गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है ।

(ख) आंकड़े एकत्रित करने की वर्तमान प्रणाली में आंकड़े उस रूप में नहीं रखे जाते जिस रूप में वे प्रश्न पूछे गए हैं। अलबत्ता, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्व-रोजगार योजना के अधीन (जून 1984 तक) हुई प्रगति के सम्बन्ध में उपलब्ध आंकड़े नीचे दिये गए हैं :—

लाख रुपए

	स्वीकृतियां		संवितरण	
वास्तविक लक्ष्य	आवेदनों की संख्या	राशि	आवेदनों की संख्या	राशि
सभी बैंक 807	895	130.68	738	92.72
बैंक आफ इण्डिया (उज्जैन जिले का लीड बैंक) 140	141	19.11	123	9.62

(ग) लीड बैंक अपने अधीन जिले के वास्ते बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली उपर्युक्त योजनाएं तैयार करते हैं और जिला स्तर पर वित्तीय संस्थाओं तथा सरकारी अधिकारियों के समन्वित प्रयासों द्वारा उन्हें कार्यान्वित करते हैं। लीड बैंकों का जिला स्तर पर अपना संगठन होता है जो जिला ऋण आयोजनाओं/वार्षिक कार्रवाई आयोजनाओं के कार्यान्वयन में अपेक्षित दायित्वों के निर्वहन के लिए पर्याप्त होता है।

विवरण

मध्य प्रदेश में 'लीड' जिलों के आवंटन

लीड बैंक का नाम	आबंटित जिले
इलाहाबाद बैंक	सतना
बैंक आफ बड़ौदा	झाबुआ
बैंक आफ इण्डिया	1. भोपाल 2. देवास 3. धार 4. ईस्ट नींमाड़ 5. वैस्ट नीमाड़ 6. इन्दौर 7. राजगढ़ 8. सिहोर 9. शाजापुर 10. उज्जैन
सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	1. बालाघाट 2. बेतूल 3. भिंड 4. छिंदवाड़ा 5. ग्वालियर 6. होशंगाबाद 7. जबलपुर 8. मंदसौर 9. नरसिंहपुर 10. मुरैना 11. रायसेन 12. मंडया 13. रतलाम

	14. सागर
	15. सियोनी
	16. शहडोल
	17. सरगूजा
देना बैंक	1. दुर्ग
	2. रायपुर
	3. राजनंद गांव
पंजाब नेशनल बैंक	दतिया
भारतीय स्टेट बैंक	1. बस्तर
	2. विलासपुर
	3. छत्तरपुर
	4. दमोह
	5. पन्ना
	6. रायगढ़
	7. टीकमगढ़
स्टेट बैंक आफ इंदौर	1. गूना
	2. शिवपुरी
	3. बिदिशा
यूनियन बैंक आफ इण्डिया	1. रीवा
	2. सिधी

बागान कर्मचारियों के कल्याण के लिये चाय बोर्ड द्वारा चाय कम्पनियों को दी गई वित्तीय सहायता

2845. **श्री पियूष तिरकी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड बागान कर्मचारियों के कल्याण के लिये चाय कम्पनियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है ;

(ख) यदि हाँ, तो जनवरी, 1980 से आज तक चाय बोर्ड द्वारा इस प्रकार उपलब्ध कराई गई वित्तीय अनुपूरक सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ग) बागान कर्मचारियों के कल्याण कार्यक्रमों का जिनके लिये वित्तीय सहायता की मांग की जाती है ; ब्यौरा क्या है और इस सहायता के उपयोग की रिपोर्ट क्या है ;

(घ) क्या चाय बोर्ड द्वारा उक्त वित्तीय सहायता मंजूर करने से पूर्व श्रमिक नेताओं/मजदूर संघों आदि की राय जानी जाती है ;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्यमंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (च) चाय बोर्ड बागान कामगारों के कल्याण के लिये चाय कम्पनियों को वित्तीय सहायता नहीं देता है। तथापि, चाय बोर्ड द्वारा चाय बागान कामगारों के हित के लिये अपनाए गये कुछ कल्याण उपाय निम्नांकित प्रकार हैं :

(1) शैक्षणिक योजना : इस योजना में चाय बागान कामगारों के बच्चों को शिक्षा शुल्क, होस्टल प्रभारों, पुस्तकों के लिये निधियों की अदायगी की व्यवस्था है।

(2) योजना के अन्तर्गत शैक्षणिक संस्थाओं और हस्पतालों के लिये पूंजी देना । प्रमुख चाय उपज-क्षेत्रों में स्थित शैक्षणिक संस्थाओं और हस्पतालो को पूंजी निधियाँ दी जातीं हैं।

(3) चाय बागानों के अपंग कामगारों को वित्तीय सहायता : इस योजना में चाय बागान कामगारो को उनके द्वारा शिशु-सदनों, कैलीपर जूतों, कृत्रिम अंगों आदि की खरीदारियों पर किये गये व्यय की अदायगी की व्यवस्था है ।

(4) चाय बोर्ड की ओर से कुष्ठ रोग आदि से पीड़ित चाय बागान कामगारों के विशेषीकृत इलाज के लिये बिस्तरों का आरक्षण है।

(5) चाय बागान काममारों के आश्रितों के लिये मिडवाइफरी के प्रशिक्षण हेतु सीटों का आरक्षण।

हथकरघा वस्तुओं का निर्यात

2855. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश से वर्ष 1982-83 और 1983-84 में वर्ष-वार कुल कितने मूल्य के हथकरघा वस्तुओं का निर्यात किया गया ;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जो मुख्य रूप से भारत से हथकरघा वस्तुओं का आयात करते हैं ;

(ग) वर्ष 1984-85 में हथकरघा वस्तुओ के निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा)

(क) 1982-83 — 330.89 करोड़ रु०
1983-84 — 309.30 करोड़ रु०
(अनन्तिम)

(ख) हमारे कुल हथकरघा निर्यातों का लगभग दो तिहाई निर्यात अमरीका तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को होता है। अन्य महत्वपूर्ण आयातक देश हैं : सोवियत संघ, जापान, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया तथा बेनिन गणराज्य।

(ग) तथा (घ) निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं :

(करोड़ रु० में)

वर्ष	सूती			रेशम तथा अन्य	कुल
	वस्त्र	बने हुए वस्त्र	परिधान		
1984-85	90.00	50.00	168.00	100.00	408.00

तस्करी में अन्तर्ग्रस्त विदेशी राजनयिक

2856. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कुछ विदेशी राजनयिक तस्करी की गतिविधियों में लगे हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों से आज तक इस संबंध में कितने विदेशी राजनयिक गिरफ्तार देशों के हैं ;

(ग) वे किन-किन देशो के हैं ;

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) भारत में विदेशी राजनयिकों की तस्करी की गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क), (ख) और (ग) सरकार को मिली रिपोर्टों के अनुसार भारत में तैनात कुछ विदेशी राजनयिक वर्ष 1981, 1982, 1983 और 1984 (अप्रैल तक) के दौरान तस्करी की गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त पाये गये हैं। उपर्युक्त अवधि के दौरान तस्करी की गतिविधियो के सिलसिले में पकड़े गये विदेशी राजनयिको की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	अन्तर्ग्रस्त राजनयिकों की संख्या
1981	8
1982	4
1983	6
1984 (अप्रैल तक)	2

ये राजनयिक इन देशों के हैं---बंगलादेश, भूटान, मिस्र, फ्रान्स, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, कोरिया, मोरक्को, नेपाल, नाईजीरिया, सूडान, थाईलैण्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका और जाम्बिया।

(घ) और (ङ) सरकार ने सम्बन्धित देशों की सरकारों के साथ तालमेल स्थापित करके उचित कार्यवाही की है; और उनके साथ गोपनीय सम्पर्क बनाये हुए है ताकि ऐसे दुरुपयोग के मामले फिर नहीं होने पायें। सम्बन्धित सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे उन राजनयिकों को वापस बुला लें जो स्वयं तस्करी में लगे हुए थे अथवा जिनके निकटस्थ रिश्तेदार तस्करी की गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त थे। इस अनुरोध को निरपवाद रूप से मान लिया गया है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दिए गए ऋण

2857. **श्री मनोरन्जन भक्त**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के संघशासी क्षेत्र में अग्रणी बैंकों द्वारा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण देने के लिए गत तीन वर्षों से, वर्षवार, और तहसील-वार पता किए गए लाभ प्राप्तकर्ताओं की कुल संख्या कितनी है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) संघशासी क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुल कितनी धनराशि जमा हुई तथा इसकी 30 जून, 1984 तक की शाखावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) बैंकों ने 30 जून, 1984 तक प्रत्येक क्षेत्र में कुल कितना पूंजी निवेश किया?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में पिछले तीन वर्षों के दौरान, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने वाले हिताधिकारियों की वास्तविक संख्या नीचे दी गई है:—

वर्ष	हिताधिकारियों की संख्या
1981-82	प्राप्त नहीं हैं
1982-83	73
1984-85	257

केन्द्रीय स्तर पर अपनाई गई आंकड़े एकत्र करने की वर्तमान प्रणाली से तहसील-वार ब्यौरा प्राप्त नहीं होता।

(ख) और (ग) जून, 1983 के अन्त तक संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल जमा और अग्रिम ऋण क्रमशः 11.99 करोड़ रुपये और 3.84 करोड़ रुपये के थे। शाखा-वार अलग-अलग सूचना उपलब्ध नहीं है।

राउरकेला और भुवनेश्वर के बीच प्रतिदिन वायुदूत सेवा

2858. **श्री मनमोहन टुडू**: क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राउरकेला और भुवनेश्वर के बीच वायुदूत सेवा शुरू की गई है ;

(ख) यदि हां, तो यह सेवा कब से शुरू की गई है ;

(ग) क्या उपरोक्त स्थानों के बीच वायुदूत सेवा प्रतिदिन उपलब्ध कराने का विचार है ; और

(घ) उड़ीसा के अन्य कौन से महत्वपूर्ण स्थानों पर निकट भविष्य में वायुदूत सेवा उपलब्ध कराने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खां) : (क) और (ख) जी, हां। वायुदूत ने दि० 1-6-1984 से कलकत्ता-राउरकेला-भुवनेश्वर मार्ग पर सप्ताह में तीन बार की सेवा आरम्भ कर दी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) फिलहाल वायुदूत की उड़ीसा में अन्य किसी स्टेशन को विमान सेवा से जोड़ने की कोई योजनाएं नहीं हैं।

स्वीकृत उपभोक्ता पैकेटों में मसालों का निर्यात करने वाली कम्पनियों को अधिक नकद प्रतिपूर्ति सहायता

2859. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मान्यता प्राप्त उपभोक्ता पैकटों में मसालों का निर्यात करने वाली कम्पनियों को अधिक नकद प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों को भारी मात्रा में भारतीय मसालों का निर्यात होता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रन्जन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) उपभोक्ता पैकटों में मसाले मुख्यत: साउथ अरब, कुबैत, संयुक्त अरब अमिरात, मसकट, अदन, ब्रिटेन, बेल्जियम, आस्ट्रेलिया, आदि को निर्यात किए जाते हैं।

बिलासपुर और बस्तर को विमान सेवा से जोड़ना

2860. **श्री लक्ष्मण कर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में बिलासपुर और बस्तर (जगदलपुर) को हवाई सेवा से जोड़ने की घोषणा की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) बस्तर (जगदलपुर) के लिए हवाई सेवा कब तक आरम्भ कर दिए जाने की संभावना है ; और

(घ) क्या सरकार का बस्तर (जगदलपुर) को बरास्ता विजयवाड़ा विमान सेवा, जो पहले ही से चल रही है, से जोड़ने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) बिलासपुर तथा जगदलपुर उन स्टेशनों में से हैं जिनका वायुदूत सेवाओं के विस्तार के लिए सिद्धान्त रूप में अनुमोदन कर दिया गया है । वायुदूत अपनी भावी प्रचालनों के लिये इन स्टेशनों की क्षमता/संभाव्यता का पता लगाने के लिये फिलहाल इन स्टेशनों का यातायात सर्वेक्षण कर रही है ।

(ग) इस स्थिति में यह बताना संभव नहीं है कि किसी तारीख तक जगदलपुर को विमान सेवा से जोड़ दिया जाएगा ।

(घ) जी, नहीं ।

चेयरमैन, उत्तर बैरकपुर नगरपालिका पश्चिम बंगाल से ज्ञापन

2861. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें चेयरमैन, उत्तर बैरकपुर नगरपालिका, पश्चिम बंगाल से दिनांक 7 जुलाई, 1984 का ज्ञापन संख्या 747/21-7 प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त नगरपालिका ने लोगों को पेय जल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये ईचापुर में डिफेंस इस्टेट से पानी की मुख्य लाइन के विस्तार के लिये अनुमति मांगी है ; और

(ग) उत्तर बैरकपुर नगरपालिका द्वारा किये गये अनुरोध पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पो० सिंह देव) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

धनबाद को तृतीय स्तर की विमान सेवा और इंडियन एयरलाइन्स सेवा में शामिल करना

2862. **श्री ए० के० राय** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में छठी पंचवर्षीय योजना में पूरी की जाने वाली तृतीय स्तर की विमान सेवा का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उसमें धनबाद को शामिल किया जाएगा ;

(ग) क्या उन्हें यह जानकारी है कि धनबाद हवाई अड्डा नया बना है और इंडियन एयर-लाइन्स की उड़ानों के लिए तैयार हो गया है ; और

(घ) क्या धनबाद स्थित केन्द्रीय सरकार के संगठनों की भारी मांग को देखते हुए उन्हें धनबाद में रोकने के बारे में विचार किया जा रहा है और तत्सम्बन्धी तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खां) : (क) और (ख) छठी योजना की शेष अवधि में बिहार में किसी भी नए स्टेशन को तृतीय स्तर की विमान सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) धनबाद पर राज्य के अपने विमान क्षेत्र पर एक अच्छे मौसम के लिए हवाई पट्टी है जो इंडियन एयरलाइन्स के विमान-बेड़े के किसी भी प्रकार के विमान से विमान सेवा के प्रचालन के लिए उपयुक्त नहीं है ।

(घ) जी, नहीं ।

तम्बाकू कम्पनियों के पास पड़े तम्बाकू के अनबिके स्टाक का निपटान

2863. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आन्ध्र प्रदेश में कुछ तम्बाकू कम्पनियों के पास भारी मात्रा में पिछले वर्ष का अनबिका स्टाक पड़ा है ;

(ख) क्या ऐसी कम्पनियों ने किसानों को अभी तक भुगतान नहीं किया है ;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि ऐसी कम्पनियां किसानों को सूचित किए बिना अपना स्टाक न बेच सकें ;

(घ) क्या तम्बाकू बोर्ड का इस प्रकार का स्टाक को अपने कब्जे में लेने का विचार है ; और

(ङ) यदि नहीं तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस स्टाक को चोरी छिपे न बेच दिया जाए, तम्बाकू बोर्ड द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) यह नोटिस में आया है कि कुछ तम्बाकू कम्पनियों के पास पिछले वर्ष का अनबिका स्टाक है और यह कि इन कम्पनियों को अभी उपजकर्ताओं को भुगतान पूरा करना है ।

(ग) से (ङ) तम्बाकू बोर्ड यह सुनिश्चित करने के उपाय कर रहा है कि कम्पनियों द्वारा भुगतान तम्बाकू लीफ परचेस वाउचर (टी एल पी वी) विनियमों के अनुसार किए जाएं । कतिपय मामलों में कम्पनियों की पंजीकरण के नवीकरण के लिए मना कर दिया गया है । तम्बाकू बोर्ड का अधिनियम बोर्ड को तम्बाकू के स्टाक का अधिप्राप्ति की शक्ति प्रदान नहीं करता है ।

कम्पनियों द्वारा खरीदे गये ऐसे तम्बाकू की अधिकांश मात्रा निर्यात की जाती है जिसके लिये तंबाकू बोर्ड से अपेक्षित न्यूनतम निर्यात कीमत की पुष्टि करने वाला निर्यात मूल्य प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है । इस प्रकार के प्रमाणपत्र जारी करते समय तंबाकू बोर्ड द्वारा दोषी कम्पनियों के शिकायतकर्ता उपजकर्ताओं को भुगतान करने के लिए कहा जाता है ।

निर्यात संवर्धन परिषदों की कार्यकारी समिति और उप-समितियों की बैठकों पर किया गया व्यय

2864. **श्री एम० राजशेखर मूर्ति** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों की कार्यकारी समिति एवं उप-समितियों की बैठकों पर पिछले तीन वर्ष के दौरान वर्ष-वार अलग-अलग कुल कितना व्यय हुआ ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रक्षा लेखा विभाग, पटना के कर्मचारियों को विशेष प्रतिकर भत्ते की ग्राह्यता

2865. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सड़क संगठन में तैनात जी० आर० ई० एफ० कार्मिकों को 120 दिन के अवकाश के दौरान के विशेष प्रतिकर भत्ता ग्राह्य है ; और

(ख) यदि हां, तो रक्षा लेखा विभाग के इसी प्रकार पटना कमान में तैनात कर्मचारियों को यह रियायत न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के कार्मिक नौवहन और परिवहन मंत्रालय द्वारा बनाए गए सेवा शर्तों के द्वारा शासित होते हैं। जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के लिए जारी किए गए सभी आदेश रक्षा लेखा विभाग पर स्वतः ही लागू नहीं होते।

तम्बाकू का निर्यात

2866. **श्री चतुर्भुज** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 से 1984 तक की अवधि के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक देश को कितने टन तंबाकू निर्यात किया गया ;

(ख) पिछले चार वर्षों से कितने व्यक्ति और कंपनियां तंबाकू का निर्यात कर रही हैं और उनके नाम क्या हैं ;

(ग) पिछले चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष में देश में तंबाकू का कुल उत्पादन कितना हुआ और उसमें से कितने तंबाकू का निर्यात किया गया और तंबाकू का उत्पादन लक्ष्य कितना था ; और

(घ) क्या किसानों को कम लाभप्रद मूल्यों का भुगतान किए जाने के कारण तंबाकू के उत्पादन में प्रतिवर्ष कमी हो रही है, और यदि हां, तो किसानों के हितों को किस प्रकार सुरक्षित रखने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रन्जन लास्कर) : (क)

एक विवरण संलग्न हैं जिसमें वर्ष 1980-81 से 1983-84 के दौरान प्रमुख देशों को निर्यातित तंबाकू की मात्रा दशाई गई है।

(ख) विगत 4 वर्षों के दौरान तंबाकू के निर्यातकों के रूप में तंबाकू बोर्ड में पंजीकृत की गई फर्मों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	निर्यातक फर्मों की संख्या
1980	138
1981	155
1982	180
1983	223

तंबाकू के पहले 10 प्रमुख निर्यातक निम्नोक्त हैं :—

1. आई टी सी लि० (आई एल टी डी प्रभाग)
2. श्री जयलक्ष्मी टोबाको कं० प्रा० लि०
3. मद्दी लक्ष्मैया एण्ड कं० प्रा० लि०
4. मद्दी बैंकटरतनम एण्ड कं०
5. नवभारत
6. पोलिसेट्टी सोमसुन्दरम प्रा० लि०
7. अग्रिमकोर
8. वामडिला ब्रदर्स
9. ईस्ट इंडिया टोबाको कं०
10. मद्दी सत्यनारायणन एण्ड कं

(ग) 1979-80 से 1982-83 तक 4 वर्षों के दौरान देश में अनिर्मित तंबाकू का कुल उत्पादन तथा उसके निर्यात नीचे दिये गये हैं :—

(आंकड़े '000' मे० टन में)

वर्ष	उत्पादन	निर्यात
1979-80	438.5	76.3
1980-81	480.8	78.5
1981-82	520.1	114.6
1982-83 (अनन्तिम)	594.2	93.8

तंबाकू के लिये प्रतिवर्ष कोई उत्पादन लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है।

(घ) तम्बाकू के उत्पादन में विगत 4 वर्षों के दौरान गिरावट नहीं आई है। उपजकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए तम्बाकू बोर्ड तथा नेशनल कोआपरेटिव टोबाको ग्रोअर्स फैडरेशन लि० क्रमशः वर्जीनिया तम्बाकू उपजकर्ताओं तथा गैर-वर्जीनिया तम्बाकू उपजकर्ताओं की मदद करती है।

विवरण

1980-81 से 1983-84 के दौरान भारत से प्रमुख गन्तव्य स्थानों को अनिर्मित तम्बाकू के निर्यात

(मात्रा '000' मै० टन में)

देश	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84 (अनन्तिम)
ब्रिटेन	18.0	21.3	19.6	21.9
सोवियत संघ	28.7	33.7	43.2	35.8
चीन	11.2	30.4	2.8	0.2
जापान	1.9	2.0	1.6	0.7
सऊदी अरब	2.7	2.8	2.5	4.0
नीदरलैंड	1.2	1.8	1.8	1.9
बैल्जियम	0.8	1.3	2.5	1.0
इराक	1.1	0.3	0.8	—
वल्गारिया	1.3	1.3	1.7	1.4
चेकोस्लोवाकिया	0.3	0.4	0.8	0.6
सं० रा० अमरीका	0.8	0.9	0.4	0.1
योग (अन्य देशों सहित)	78.5	114.6	93.8	90.0

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के पात्र व्यक्तियों का पता लगाना

2867. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या वित्त मंत्री राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के पात्र व्यक्तियों का पता लगाने के बारे में 16 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3287 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में 2,000 व्यक्तियों को ऋण देने के लक्ष्य का जिन्हें शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण मंजूर किये जाते थे, राज्य के प्रत्येक जिले व प्रत्येक बैंक के सम्बन्ध में अलग-अलग ब्यौरा क्या है :

(ख) प्रत्येक जिले में प्रत्येक बैंक के लिए 31 मार्च, 1984 तक कितने लोगों को ऋण मंजूर किया गया और उनकी अदायगी की गई ;

(ग) योजना के अन्तर्गत आवेदन करने वाले 4496 व्यक्तियों का जिलावार और बैंकवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिन लोगों को ऋण लेने का पात्र पाया गया है और उन्हें 31 मार्च, 1984 तक ऋण नहीं दिया जा सका, उन्हें 15 अगस्त, 1984 तक ऋण दे दिया जाएं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वःरोजगार प्रदान करने की योजना से है। इस योजना के अन्तर्गत लक्ष्य, आवेदनों की संख्या, मंजूर किए गए मामलों की संख्या आदि का जिलाबार बैंकवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। अलबत्ता भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1983-84 के वास्ते हिमाचल प्रदेश राज्य में योजना के अधीन सहायता पाने वाले हिताधिकारियों का लक्ष्य 2000 रखा गया था। जबकि इसकी तुलना में हिमाचल प्रदेश में 31 मार्च, 1984 तक बैंकों ने 2465 आवेदनों के अन्तर्गत 449-69 लाख रुपए के ऋण मंजूर किए थे। बैंकों से मंजूर किए गए सभी मामलों में 15 अगस्त, 84 तक संवितरण का काम पूरा कर लेने के लिए कहा गया है।

ऊनी कपड़ा बनाने वाली मिलों की उत्पादन लागत और बिक्री लागत की लेखा-परीक्षा कराना

2868. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह पता है कि देश में ऊनी कपड़े की ऊंची उत्पादन लागत आम आदमी की पहुंच से बाहर है तथा इस उद्योग पर रेमण्ड, दिग्जाम, रिलायंस और बिड़ला मिलों जैसी कुछ मिलों का एकाधिकार हो गया है ;

(ख) क्या ये कम्पनियां बहुत अधिक मुनाफा कमा रही हैं और अपने अधिकारियों पर और समाचार पत्रों में आकर्षक विज्ञापन देने पर पानी की तरह पैसा खर्च कर रही हैं ;

(ग) क्या सरकार ने किसी भी स्तर पर इन मिलों की उत्पादन लागत और बिक्री लागत की लेखा परीक्षा करवाने और उनकी लाभ की राशि निर्धारित करने की आवश्यकता महसूस की है ; यदि हां, तो कब और किस तरीके से ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और क्या वे इस मामले में कार्रवाई करेंगे और इन फर्मों की उत्पादन लागत, और मुनाफे के अनुपात में कमी करेंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लाहिड़ी) : (क) लाइसेंसशुदा क्षमताओं के अनुसार इन मिलों का हिस्सा कताई के संबंध में 6.57 प्रतिशत तथा बुनाई के संबंध में 9.26 प्रतिशत केवल है। लागत उत्पादन के संबंध में इस मंत्रालय में इस विषय पर हाल-ही में कोई अध्ययन नहीं हुआ है।

(ख) 1983 के दौरान मै० रेमण्ड वूलन मिल्स, दिग्विजय वूलन मिल्स, जयंती टैक्सटाइल्स और ओ० सी० एम० (इंडिया) लि० की निवल लाभप्रदता क्रमशः केवल 12.09 प्रतिशत, 10.46 प्रतिशत, 7.16 प्रतिशत व 3.69 प्रतिशत थी।

(ग) इस मंत्रालय में ऐसी कोई लागत लेखा परीक्षा हाल में नहीं कराई गई है।

(घ) ऊनी वस्त्रों की कीमतों, क्वालिटी अथवा वितरण पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को विशेष (ड्यूटी) भत्ता दिया जाना

2869. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री ई० बालानन्दन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को विशेष (ड्यूटी) भत्ता दिया जा रहा है ;

(ख) क्या उक्त भत्ता केवल श्रेणी I और II के अधिकारियों को ही दिया जाता है जिनकी सेवायें स्थानान्तरणीय हैं ;

(ग) केन्द्रीय सरकार के अन्य सभी वर्गों अर्थात् ग और घ वर्ग के कर्मचारियों को भी उक्त भत्ता न दिए जाने के क्या कारण हैं जब कि वे भी उसी प्रकार की कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं ;

(घ) क्या गृह मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्य करने वाले राज्य संवर्ग के उन अधिकारियों को जिनका स्थानान्तरण नहीं होता है, उक्त भत्ता मुख्यतः इस कारण से दिया है, कि ये अधिकारी भी उन परिस्थितियों में कार्य करते हैं जिनमें स्थानान्तरण होने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को करना पड़ता है ; और

(ङ) क्या सरकार इस मामले में पुनर्विचार कर रही है और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उक्त भत्ता देने जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी असैनिक कर्मचारी, जिनका अखिल भारतीय स्तर पर स्थानान्तरण होता है और जिन्हें पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात किया गया है, को उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में विशेष (ड्यूटी) भत्ता स्वीकार किया गया है। लेकिन इनमें से ऐसे कर्मचारी जिन्हें आयकर से छूट है, इस विशेष (ड्यूटी) भत्ते के पात्र नहीं होंगे। ये भत्ता ग्रुप क और ख श्रेणी के कर्मचारियों के लिए सीमित नहीं है।

(घ) गृह मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को लिखा है कि कठिन परिस्थितियां, जिनमें अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को उस क्षेत्र में कार्य करना पड़ता है, उसी प्रकार हैं जैसी कि वहां तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मामले में। इसलिए उन्होंने राज्य सरकारों से वही रियायतें जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंजूर की गई हैं, अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को जो राज्य सरकारों के कार्यों के संबंध में सेवारत हैं, स्वीकार करने की सिफारिश की है।

(ङ) फिलहाल ऐसी कोई समीक्षा विचाराधीन नहीं है।

इलायची का निर्यात

2870. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से इलायची के निर्यात की स्थिति क्या है और आयात करने वाले देशों के नाम क्या हैं और प्रत्येक द्वारा कितनी मात्रा में इलायची का आयात किया गया और उसका मूल्य कितना था ; और

(ख) इलायची के निर्यात के लिए वर्तमान नियम क्या हैं और निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का बिचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) विगत वर्षों के दौरान भारतीय इलायची की निर्यात स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) इलायची (लाइसेंसिंग तथा विपणन) नियम, 1977 की शर्तों को पूरा करने के बाद कोई भी निर्यातक किसी भी स्थान को इलायची निर्यात कर सकता है। तथापि, किसी ऐसे देश को, जिनकी भारत के साथ सामान्य सीमाएं हों, जैसे कि पाकिस्तान, बंगलादेश आदि, इलायची के निर्यात के लिए निर्यातक को सम्बन्धित आयात-निर्यात नियंत्रण प्राधिकरण से निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना पड़ेगा। निर्यात बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रमुख उपाय नीचे दिए गए हैं :—

1. उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इलायची पुनर्रोपण ऋण-सह-उपदान जैसी योजनाएं आरम्भ की गई हैं ताकि निर्यात के लिए और अधिक इलायची उपलब्ध हो सके।

2. अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में इस मद को प्रतियोगी बनाने के लिए उपभोक्ता पैकों में इलायची के निर्यात पर सी सी एस की दर बढ़ाई गई है।

3. विदेशों में मेलों/प्रदर्शनियों में बोर्ड का भाग लिया जाना, तथा

4. विदेशों में बिक्री-सह-अध्ययन प्रतिनिधि मंडल भेजना।

विवरण

भारत से इलायची के निर्यात

मात्रा मे० टन में
मूल्य करोड़ रु० में

देश का नाम	1981-82		1982-83		1983-84	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
कुवैत	931	13.63	281	4.67	6	0.11
सऊदी अरब	420	6.53	299	5.25	नगण्य	
बेहरीन	3	0.04	8	0.14	1	0.03
कतार	54	0.37	5	0.08	—	—
ईरान	75	0.71	—	—	—	—

	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
सं० अ० आ०	27	0.42	13	0.25	1	0.03
इराक	95	1.19	3	0.04	—	—
जोर्डन	130	1.90	—	—	—	—
सोवियत संघ	330	2.83	260	3.87	168	3.44
ज० लो० ग०	40	0.32	57	0.58	3	0.07
जापान	101	1.00	44	0.60	32	0.78
सिंगापुर	31	0.24	19	0.25	18	0.47
अन्य	38	1.62	43	0.64	25	0.50
कुल योग	2325	30.20	1032	16.37	258	5.43

आयकर कानूनों और करों सम्बन्धी अन्य कानूनों के प्रयोजन से लागत-लेखाकार की स्थिति

2871. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत, नियुक्ति करने के उद्देश्य से चार्टर्ड एकाउन्टेंट और लागत लेखाकार को एक स्तर का समझा जाता है परन्तु आय कर अधिनियम की धारा 288 और सम्पत्ति कर अधिनियम की धारा 44 (एक) और उपहार कर अधिनियम की धारा 44 के अंतर्गत लेखाकार (एकाउंटेंट) का तात्पर्य चार्टर्ड एकाउंटेंट से है जैसाकि चार्टर्ड एकाउण्टेंट अधिनियम में परिभाषित किया गया है ;

(ख) क्या इंस्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउंटेंट्स आफ इंडिया से अर्हता प्राप्त लागत लेखाकार भी लेखाकार (एकाउंटेंट) ही है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार लागत-लेखाकार को "लेखाकार" (एकाउंटेंट) की परिभाषा में शामिल करने के लिये आयकर और करों सम्बन्धी अन्य कानूनों में उपयुक्त संशोधन करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत सनदी लेखाकार और लागत लेखाकार बराबर नहीं माने जाते ।

सनदी लेखाकार को कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 224 से 228 के अन्तर्गत कम्पनी के वित्तीय खाते की लेखा परीक्षा के कुछ कार्य सौंपे गए हैं, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 226 (1) के अन्तर्गत, कोई भी व्यक्ति कम्पनी के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति का पात्र तब तक नहीं होगा जब तक चार्टर्ड एकाउंटेंटस अधिनियम 1949 के अर्थ में वह सनदी लेखाकार नहीं

हो सकता लेखाकार को उक्त अधिनियम की धारा 209 (1) (घ) के साथ पठित धारा 233 ख के अन्तर्गत लागत लेखा परीक्षा का काम सौंपा जाता है।

आयकर अधिनियम की धारा 288, धन कर अधिनियम, 1957 की धारा 44 और दान कर अधिनियम, 1958 की धारा 43 के अन्तर्गत "लेखाकार" का अर्थ चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम 1949 के अर्थ में सनदी लेखाकार है और जिसमें किसी राज्य के सम्बन्ध में ऐसा व्यक्ति भी शामिल है जो कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 226 की उपधारा 2 के उपबंधों के कारण उस राज्य में पंजीकृत कम्पनियों के लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किए जाने के लिए पात्र हैं।

(ख) भारतीय लागत और निर्माण कार्य लेखाकार संस्था से उत्तीर्ण लागत-लेखाकार प्रत्यक्ष कर अधिनियमितियों के प्रयोजनार्थ "लेखाकार" नहीं है

(ग) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) सनदी लेखाकार के पास व्यावसायिक योग्यता और लेखा की लेखा परीक्षा करने और जांचे गये लेखों, तुलन-पत्र और लाभ तथा हानि खाते पर रिपोर्ट देने की सुविज्ञता होती है जबकि लागत लेखाकार की सुविज्ञता मुख्यतः उत्पादों की लागत का निर्धारण और आबंटन में होती है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत, सिर्फ सनदी लेखाकार ही कम्पनी के लेखा परीक्षा करने को सक्षम होता है। इसलिए, आयकर अधिनियम, के प्रयोजनार्थ लागत लेखाकारों को लेखा की लेखा परीक्षा करने की अनुमति देना उपयुक्त नहीं समझा गया है।

विदेशी मुद्रा भण्डार में हुई वृद्धि का प्रतिशत

2872. **श्री आनन्द सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 और 1982-83 के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भण्डार में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई और वर्ष 1982, 1983 और 1984 के 31 मार्च को विदेशी मुद्रा भण्डार आंकड़े क्रमशः क्या-क्या रहे ; और

(ख) उक्त वृद्धि किन-किन कारणों से हुई और किस हद तक ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) 31 मार्च, 1982, 1983 और 1984 को विदेशी मुद्रा भंडार (सोना और विशेष आहरण अधिकारों को छोड़कर) तथा 1982-83 एवं 1983-84 के दौरान उसमें हुई वृद्धि का प्रतिशत निम्नलिखित था :—

तारीख	राशि (करोड़ रुपए)	घटबढ़ का प्रतिशत
31-3-82	3354.47	—
31-3-83	4365.26	+27.15
31-3-84	5497.85	+28.90

(ख) उपर्युक्त आंकड़ों में विस्तारित कोष सुविधा के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से की गई निकासियां भी शामिल हैं। 1983-84 में मुद्रा भंडार की स्थिति में हुए सुधार के सम्बन्ध में विभिन्न तत्वों (जैसे, महत्वपूर्ण क्षेत्रों के घरेलू उत्पाद, प्रेषणाओं, अन्य अदृश्य प्राप्तियां आदि में हुई वृद्धि) के अंशदान के बारे में सरकार के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

देश में विदेशी निवेश

2873. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान हमारे देश में गैर सरकारी विदेशी निवेश का रुपयों में देश-वार विवरण क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए पिछले सर्वेक्षण के अनुसार 31 मार्च, 1972, 31 मार्च, 1973 तथा 31 मार्च, 1974 को समाप्त हुये वर्षों में, भारत में विदेशी निवेश का देशवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक अब 31 मार्च, 1984 को संदर्भ-तारीख मानकर भारत की विदेशी परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों की संगणना करने के कार्य में लगा हुआ है।

विवरण

भारत के शेष दीर्घावधिक विदेशी दायित्वों का देशवार विवरण-निगमित औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उद्यम :

(करोड़ रुपये)

		मार्च के अन्त में		
		1972	1973	1974
1.	कनाडा	28.0	33.9	32.4
2.	फ्रांस	49.3	63.0	49.0
3.	जर्मनी (संघीय गणराज्य)	136.7	159.2	180.8
4.	इटली	84.0	73.3	83.4
5.	जापान	54.7	51.6	41.6
6.	स्विटजरलैण्ड	46.4	49.6	44.9
7.	स्वीडन	20.2	28.6	34.3
8	यूनाइटेड किंगडम	641.0	656.0	689.1
9	संयुक्त राज्य अमेरिका	448.8	515.4	530.9
10.	अन्य देश	120.3	118.6	134.7
11.	अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं	90.1	108.2	121.2
	जोड़	1755.7	1855.7	1943.0

अमरीका में इलाज के लिए मुख्य मंत्रियों/अति विशिष्ट व्यक्तियों को दी गई विदेशी मुद्रा

2874. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका में इलाज के लिये अमरीका जाने वाले मुख्य मंत्रियों और अति-विशिष्ट व्यक्तियों के दैनिकव्यय को पूरा करने के लिये सामान्यता कितनी विदेशी मुद्रा दी जाती है ; और

(ख) पिछले दो वर्षों में आज तक इलाज के लिये अमरीका जाने वाले मुख्य मंत्रियों की संख्या कितनी है और प्रत्येक मुख्य मंत्री के लिये यात्रा व्यय पूरा करने के लिए कितनी विदेशी मुद्रा दी गई ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) मुख्य मंत्री/अति विशिष्ट व्यक्ति जो डाक्टरी इलाज के लिये विदेश जाते हैं और जहां व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है, हमारे मिशन को प्राधिकार प्राप्त है कि वह वास्तविक अस्पताल भर्ती के प्रभारों आदि के आधार पर व्यय वहन करें। वे विदेश में, हस्तपाल में भर्ती से पूर्व, हस्पताल में इलाज के पश्चात प्रवास के लिये वैयक्तिक प्रासंगिक व्यय तथा नकद भत्ते के रूप में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार विदेशी मुद्रा ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आकस्मिक खर्चों तथा स्थानीय परिवहन के लिए भी उपयुक्त मानदण्ड के अनुसार विदेशी मुद्रा प्राधिकृत की जाती है। उन मामलों में जहां सरकारी कर्मचारियों को मुख्य मंत्री अन्य अति विशिष्ट व्यक्तियो के साथ जाने की अनुमति दी जाती है, विदेशी मुद्रा सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार दी जाती है। इसके अतिरिक्त होटल में रहने की व्यबस्था भी हमारे मिशनों द्वारा की जाती है।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विदेशों में भारतीय फर्मों को सिविल निर्माण ठेकों में कमी

2875. **श्री एस० ए० दोराई सेबेस्तियन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिविल निर्माण निर्यात संवर्धन का उत्तरदायित्व अब इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद से नवनिर्मित समुद्रपारीय निर्माण परिषद को सौंप दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इससे उनके मंत्रालय की संवीक्षा समिति निष्क्रिय हो गई है और उसके कारण विदेशों में भारतीय फर्मों को सिविल निर्माण ठेकों की संख्या में कमी आई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रन्जन लास्कर) : (क) जी हां। निर्माण परियोजनाओं के निर्यातों के संवर्धन के लिये "ओवरसीज कंसट्रक्शन कांउसिल आफ इंडिया" नामक एक अलग निर्यात संवर्धन परिषद स्थापित की गयी है।

(ख) जी नहीं। संवीक्षा समिति, जो कि पहले इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद में कार्य कर रही थी, का कार्य ओ सी सी आई को अन्तरित कर दिया गया है क्योंकि ओ सी सी आई अब सिविल निर्माण निर्यातों की देख रेख कर रही है।

मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा नयी शाखाएं खोलना

2876. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984 के दौरान मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा कितनी नई शाखाएं खोली जाएंगी और बेनीपट्टी में इसकी शाखा कब खोली जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मार्च, 1984 के अन्त तक मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को निम्नलिखित 7 केन्द्रों के लिए प्राधिकार पत्र/लाइसेंस जारी किए गए थे :—

1. हरीनगर
2. सुगौना
3. खजेदिह
4. गरतौल
5. दीप
6. उसराही द्याढ़ा
7. बेनीपट्टी

जिन केन्द्रों में शाखाएं खोलने के लिये प्राधिकार पत्र/लाइसेंस जारी किये जाते हैं, वहां पर प्रारम्भिक कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद शाखाएं खोल दी जाती हैं। ग्रामीण बैंक को लाइसेंसों का उपयोग शीघ्र ही कर लेने के लिये कहा गया है।

भारत और सोवियत संघ के बीच व्यापार समझौता

2877. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ से कपड़ा मशीनरी के बदले भारत से रूई की सप्लाई के लिए भारत और सोवियत संघ के बीच दीर्घावधि व्यापार समझौता करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस समझौते से भारत के रुग्ण मिलों के पुनरोद्धार में कितनी सहायता मिलेगी और सोवियत संघ की भारत के साथ भुगतान शेष की समस्या का हल होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते की अदायगी

2878. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों को वर्ष 1980-81 की अवधि में बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद और मद्रास में (एक) इंजीनियरिंग कर्मचारियों और (दो) अन्य कर्मचारियों को अलग-अलग राशि समयोपरि भत्ते के रूप में दी गई है ; और

(ख) तत्सम्बन्धी वर्षवार और श्रेणीवार ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खां) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख) : 1980 तथा 1981 केलेन्डर वर्षों में. इन्डियन एयरलाइन्स द्वारा इंजीनियरी तथा अन्य कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते के रूप में किया गया भुगतान क्रमश: 33.12 लाख रु०, 36.40 लाख रु० तथा 43.80 लाख रु० और 45.94 लाख रु० था जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए है :—

विभाग	बम्बई ×		कलकत्ता ×		दिल्ली ×		मद्रास ×		हैदराबाद		मुख्यालय		योग	
	1980	1981	1980	1981	1980	1981	1980	1981	1980	1981	1980	1981	1980	1981
1. इंजीनियरी	10.39	11.59	5.59	5.11	11.45	11.83	2.33	3.54	3.13	4.14	0.23	0.19	33.12	36.40
2. वाणिज्यिक	4.76	5.95	7.47	10.40	3.50	4.60	3.68	6.22	1.30	2.34	0.73	0.77	21.44	30.28
3. प्रचालन	0 06	0.01	—	0.02	0·32	0.27	0.10	0.11	0.03	0.10	0.26	0.25	0.77	0.76
4. भंडार	0.62	0.29	1.83	0.26	0.29	0.42	0.10	0.07	0.01	0.03	0.07	0.10	2.92	1·17
5. परिवहन	3.77	1.22	2.53	2.92	11.45	1.10	0.98	0.65	0.47	0.16	0.48	0·56	9.68	6.61
6. वित्त	2.03	1.90	2.93	1·33	0.51	0.23	0.56	0.44	0.17	0.07	0.78	0.93	6.98	4.90
7. प्रशासन	0.62	0.28	0.59	0.63	0.12	0.34	0.15	0.16	0.14	0.32	0.39	0.49	2.01	2.22
कुल :	22.25	21.24	20.94	20.67	17.64	18.79	7.90	11.19	5.25	7.16	2.94	3.29	76.92	82.34

× बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास में उन क्षेत्रों में विभिन्न स्टेशनों के कर्मचारियों को दिया गया समयोपरि भत्ता भी सम्मिलित है ।

सोवियत संघ को काली मिर्च का निर्यात

2879. **श्री स्कारिया थामस** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोवियत संघ को गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की काली मिर्च का निर्यात किया गया ;

(ख) क्या सोवियत संघ ने वर्ष 1984-85 के दौरान और अधिक काली मिर्च खरीदने का अनुबंध किया है ;

(ग) यदि हां, तो कितनी मात्रा का अनुबंध किया है और उसका मूल्य कितना है ; और

(घ) काली मिर्च के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान सोवियत संघ को भारत से काली मिर्च के निर्यात इस प्रकार थे :

वर्ष	मात्रा (मे०टन)	मूल्य (लाख रु० में)	औसत इकाई मूल्य (रु० कि० ग्रा०)
1981	12803	1774·60	13·86
1982	11994	1576.10	13·14
1983	12842	1598·60	12.45

(ख) 1984 के लिये सोवियत संघ के साथ हस्ताक्षर किये गये द्विपक्षीय व्यापार करार में काली मिर्च की 12500 मे० टन की मात्रा शामिल है ।

(ग) निर्यातकों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) स्पाइसेज एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल इलायची बोर्ड के साथ मास्को मेले में भाग ले रही है । अन्य संवर्धनात्मक प्रयास हैं : व्यापार मेलों में भाग लेना, व्यापार प्रतिनिधिमण्डल प्रायोजित करना, विदेशी प्रतिनिधियों को आमंत्रित करना और बाजार सर्वेक्षण करना आदि ।

सरकारी सहायता से होटलों का निर्माण

2880. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुमोदित योजनाओं के अंतर्गत दिल्ली में बनाए जा रहे होटलों के नाम क्या हैं ;

(ख) सरकार द्वारा प्रत्येक होटल को कितनी सहायता दी गई है ;

(ग) योजनाओं के अंतर्गत इन होटलों का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ; और

(घ) इस संबंध में अन्य ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) पर्यटन विभाग की एक स्कीम है जिसके अंतर्गत स्टर-श्रेणी के होटलों को परियोजना अवस्था में अनुमोदित कर दिया जाताहै। इस स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित किए गये तीन होटलों का दिल्ली में निर्माण किया जा रहा है ये हैं पार्क होटल ,भारत होटल, मेरीडियन होटल ।

(ख) इन होटलों को भवन-निर्माण सामग्री हासिल कराने और केपिटल गुड्स का आयात करने में नियमानुसार सहायता दी गई थी ।

(ग) निम्नलिखित शड्यूल के अनुसार इन होटलों का निर्माण पूरा हो जाने की संभावना है :—

1. पार्क होटल	दिसम्बर, 1985
2. भारत होटल	जून, 1985
3. मेरीडियन होटल	जून. 1985

(घ) इन होटलो के पूरा हो जाने पर मौजूदा कक्ष-धारिता में 1262 कमरो की वृद्धि हो जाएगी ।

आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा करके अपवंचन का पता लगाने के लिए आय-कर विभाग द्वारा छापे

2881. **श्री के० राममूर्ति :**

प्रो० अजित कुमार मेहता :

श्री बापू साहिब परूलेकर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा किये गये कर-अपवंचन का पता लगाने के लिए आयकर विभाग द्वारा मारे गये छापो का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उक्त छापो के दौरान पाये गये अभिशंसी साक्ष्यों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) श्री एन० टी० रामा राव के रिहायशी परिसरों की निरीक्षण निदेशक (जांच), नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए प्राधिकार-पत्र के आधार पर 9-12-80 को एक तलाशी ली गई थी ; उसी दिन मैसर्स रामकृष्ण सीने स्टुडियो और मैसर्स थरकर्मा थियेटर की भी, जिनमें श्री एन० टी० रामा राव का हित निहित है, धारा 132 के अधीन तलाशी ली गई थी । रिहायशी परिसरों में अपराध आरोपणीय कोई सामग्री प्राप्त नहीं हुई । रामाकृष्ण सिने स्टुडियो में जो कमरा श्री एन० टी० रामाराव के कब्जे में था उस में 1,24,300 रु० की नकदी पाई गई थी । उस दिन चूंकि श्री एन० टी० रामाराव उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उनके पुत्र श्री जयकृष्णा से पूछताछ की गई । चूंकि स्पष्टीकरण सन्तोषप्रद

नहीं था, इसलिए 1,00,000/---रु० की राशि जब्त की गई और शेष राशि को छोड़ दी गई, ताकि कर-निर्धारिती/उनका पुत्र वैयक्तिक व्ययों की व्यवस्था कर सके ।

वर्ष 1981-82 के लिए कर-निर्धारण के दौरान, आयकर अधिकारी ने 1,19,182/-रु० की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया था, जिसमें श्री एन० टी० रामाराव के कमरे में प्राप्त हुई 1,24,300/- रु० की नकदी का वह भाग शामिल है जिसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था ।

धारा 133-क के अधीन की गई कार्यवाही में कुछ कागजात मिले थे जिसमें श्री एन० टी० रामाराव, सिने एक्टर को कर-निर्धारण वर्ष 1981-82 के लिए विवरणी में उनके द्वारा दिखाई गई राशि के अलावा की गई अधिक अदायगियां दिखाई गई थीं । इस सामग्री की जांच-पड़ताल की जा रही है और कर-निर्धारण के पूरा हो जाने पर ही पूरे तथ्य उपलब्ध होंगे ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को पेंशन का लाभ प्रदान करने संबंधी योजना

2882 **श्री भीखाभाई** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को उसी प्रकार पेंशन का लाभ देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है, जैसा कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को पेंशन संबंधी यह लाभ दिया जाता है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा इस योजना के कब तक क्रियान्वित हो जाने की संभावना है ;

(ग) क्या सरकार का विचार 1600/-रुपए से अधिक वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को बोनस अधिनियम के अन्तर्गत लाने के लिए इस अधिनियम का संशोधन करने तथा विभिन्न विभागों और सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों में अनुग्रह राशि के भुगतान को 750/- रुपए की वर्तमान निर्धारित सीमा को बढ़ाने का है ; और

(घ) समयोपरि भत्ते के बदले में कनिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों हेतु सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के किन विद्यमान सुविधाओं का सुझाव दिया है तथा ऐसे उपक्रम कौन-कौन से हैं ;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) सरकारी उद्यमों में पेंशन योजना लागू करने की व्यवहार्यता की जांच की जा रही है ।

(ग) सरकार न तो 1600 रुपये से अधिक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को बोनस संदाय अधिनियम के अन्तर्गत लाने के लिए या तो उसमें संशोधन करने अथवा विभिन्न सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुग्रह राशि के भुगतान को 750 रुपये की वर्तमान निर्धारित सीमा को बढ़ाने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ।

(घ) इस विषय में सरकारी उद्यम कार्यालय ने कोई अनुदेश जारी नहीं किये हैं।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में वेतन वृद्धि की उत्पादकता से सम्बद्ध करना

2883. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को वेतन वृद्धि को उत्पादकता से सम्बद्ध करने की सलाह दी है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर श्रम मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या इन उद्योगों में से अधिकांश भारी घाटे में चल रहे हैं और यदि वेतन वृद्धि को उत्पादकता से सम्बद्ध नहीं किया जाता तो भविष्य में उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) जी, हां।

(ख) श्रम मंत्रालय इस संकल्पना से सहमत है कि मजूरी को उत्पादकता से सम्बद्ध करना सिद्धान्ततः श्रेष्ठ है।

(ग) यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के अनेक उद्योग भारी घाटे में चल रहे हैं। मजूरी को उत्पादकता से सम्बद्ध किए बिना उसमें वृद्धि करना ऐसे बहुत से कारणों में से एक है जिससे भारी घाटा उठाने वाले सरकारी उद्यमों का अस्तित्व बनाए रखना कठिन हो जायेगा।

अभ्रक व्यापार निगम (मिटको) की डोम्याच फैक्ट्री के लिए बेनामी डीलर से अभ्रक की खरीद

2884. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभ्रक व्यापार निगम की झूमरी तलैया स्थित डोम्याच फैक्टरी बेनामी डीलर से अभ्रक की खरीद कर रही है और इसके पुनः शोधन के बाद (1980-84 तक ह्रास मूल्य के रूप में 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान का समायोजन करने के बाद) इसके मूल्य दिखा रही है ;

(ख) क्या अभ्रक व्यापार निगम को वर्ष 1980-84 तक अभ्रक व्यापार के दामों पर घटिया किस्म के अभ्रक की खरीद से करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है ; और

(ग) क्या निगम को हुए इस भारी नुकसान के लिए उत्तरदायी पाए गए अधिकारी के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। वास्तव में अभ्रक व्यापार निगम के कार्य लाभकारी रहे हैं और मिटको ने गत चार वर्षों के दौरान नीचे दर्शाए अनुसार सभी खर्च पूरे करने के पश्चात निम्नोक्त निवल लाभ अर्जित किये हैं :

वर्ष	लाभ (लाख रु० में)
1980-81	56.88
1981-82	102.39
1982-83	46.25
1983-84	25.00

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्थगन आदेश के कारण आयकर बकाया के लम्बित मामले

2885. **श्री आर० आर० भोले** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेश दिये जाने के कारण आयकर बकाया के कितने मामले लम्बित हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : न्यायालयों द्वारा दिए गए स्थगन आदेशों के कारण बकाया पड़े आयकर मामलों की संख्या के संबंध में वांछित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। तथापि, 31-3-84 की स्थिति के अनुसार, ऐसे मामलों में फंसी राशि 58.95 करोड़ रुपये की बैठती है।

उड़ीसा द्वारा वर्ष 1980-81 के लिये केन्द्रीय बाढ़-सहायता का उपयोग

2886. **श्री गिरधर गोमांगो** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार को वर्ष 1980-81 के दौरान बाढ़ से हुई क्षति के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता का राज्य सरकार द्वारा पूर्ण उपयोग कर लिया गया है; और इसकी रिपोर्ट केन्द्र को दे दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) अन्तिम रूप से अनुमोदित व्यय की उच्चतम सीमा तथा राज्य सरकार द्वारा बताया गया व्यय निम्न प्रकार है :—

(करोड़ रुपये)

शीर्ष	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित उच्चतम सीमा	राज्य सरकार द्वारा बताया गया व्यय
राहत	4.78	4.81
पुनर्वास	5.54	5-54
क्षतिग्रस्त लोक सम्पदा की मरम्मत और पुनः स्थापना	32.55	32.54
जोड़ :	42.87	42.89

गोवा के चारों ओर समुद्र में गैर-कानूनी रूप से मछली पकड़ने में लगे हुए ताइवान के मत्स्य पोत (ट्रालर)

2887. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताइवान के मत्स्य पोत, गोवा के चारों ओर समुद्र से गैर-कानूनी रूप से मछली पकड़ने में लगे हुए हैं और क्या सरकार ने इस संबंध में सूचना एकत्र की है ;

(ख) हाल ही में ऐसी कितनी घटनाओं का पता चला है ; और

(ग) देश की समुद्री संपत्ति की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय करने पर विचार किया जा रहा है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) पश्चिमी समुद्री तट पर चार्टर की शर्तों का उल्लंघन करने और गैर-कानूनी रूप से मछली पकड़ने के लिए जनवरी, 1981 से बाइस ताईवानी मत्स्य पोत पकड़े जा चुके हैं ।

(ग) हमारे समुद्री जॉन के क्षेत्रों को समुद्री संपत्ति से परिपूर्ण समझा जाता है और इसलिए बार-बार यहां आने-जाने वाले विदेशी गहरे समुद्री मत्स्य पोतों पर हमारे तट रक्षक विमान निगरानी रखते हैं और तट रक्षक पोत इन क्षेत्रों में गश्त लगाते हैं ।

अखिल भारतीय पेंशन भोगी संगठन की मांगें

2888, **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अखिल भारती पेंशन भोगी संगठन के कुछ सदस्यों द्वारा बम्बई से दिल्ली तक एक पद यात्रा की गई थी ;

(ख) क्या उन्होंने नई दिल्ली में प्रधान मंत्री को एक मांग पत्र प्रस्तुत किया था ;

(ग) यदि हां, तो उनकी प्रमुख मागें क्या हैं ; और

(घ) उसको कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) तथा (ख) जी, हाँ ।

(ग) तथा (घ) संगठन की मुख्य मागें, पेंशन की हकदारी में वृद्धि, पेंशन के संराशीकृत भाग की बहाली, 1-1-1964 से पूर्व सेवा-निवृत्त हुए कर्मचारियों की विधवाओं को परिवार पेंशन की मंजूरी, परिवार पेंशन की दरों में वृद्धि, पेंशन पाने वालों के लिए केन्द्रीय कल्याण बोर्ड का गठन, पेंशन अधिनियम, 1871 में संशोधनु आदि से सम्बन्धित हैं । इस संगठन से तथा पेंशन पाने वालों के अन्य संगठनों से विगत समय में समय-समय पर प्राप्त ऐसी ही मांगों की जांच की गई थी तथा उन्हें उपयुक्त उत्तर भेज दिये गये थे। पेंशन हकदारियों, जिनमें उक्त संगठन द्वारा उल्लिखित हकदारियां भी शामिल हैं, में सुधार के प्रश्न पर समय-समय पर विचार किया गया है तथा जब न्यायोचित समझा जाता है वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की शर्त के अधीन पेंशन को उदार बनाया जाता है।

सरकारी क्षेत्र में रुग्ण एकक

2889. **श्री चित्त बसु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में रुग्णता बढ़ती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो रुग्ण एककों के नाम क्या हैं और उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) उनकी रुग्णता के क्या कारण हैं ; और

(घ) उन्हें पुनः सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) जी, नहीं। गत 5 वर्ष अर्थात् 1979-80 से 1983-84 के दौरान लगातार नकद घाटा उठाने वाले उद्यमों की संख्या से आंकने पर यह स्पष्ट है कि 1982-83 और 1983-84 (अनन्तिम) के दौरान ऐसे एककों की संख्या न्यूनाधिक रूप से उतनी ही रही है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

उड़ीसा में कताई मिलों की स्थापना

2890. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान उड़ीसा में अब तक कितनी कताई मिलों की स्थापना की जा चुकी है ;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उड़ीसा में कुछ और कताई मिलों की स्थापना करने का है ;

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा में इन नई कताई मिलों की स्थापना किन-किन स्थानों पर की जायेगी ; और

(घ) इस संबंध में सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) छठी योजनावधि में एक सूती कताई मिल स्थापित की गई थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार छठी योजनावधि में उड़ीसा में कताई एककों की स्थापना के लिए 11 अनुमतिपत्र जारी किये गये हैं । छठी योजना के दौरान उड़ीसा में स्थापित किये जाने हेतु हथकरघा बुनकर क्षेत्र में चार सहकारी कताई मिलों को वित्तीय सहायता दी गई है ।

(ख) से (घ) सरकार अतिरिक्त तकुआ क्षमता की राज्यवार आवश्यकताओं का पूर्व निर्धारण नहीं करती।

सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक एककों का कार्यचालन

2891, **श्री रवीन्द्र वर्मा** :

श्री बापू साहिब परुलेकर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक एककों का कार्यचालन संतोषजनक नहीं है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में तथ्य क्या है ,

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, और

(घ) इनके क्या परिणाम निकलने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (घ) जी , नहीं ।

इसके अतिरिक्त 1973-74 से 1982-83 तक की 10 वर्ष की अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यचालन में बिक्री, पूंजी-निवेश, लगी पूंजी, निवल लाभ आदि के रूप में स्पष्टतः सुधार हुआ है जैसा कि लोक उद्यम सर्वेक्षण 1982-83 के खण्ड I में पृष्ठ 3 पर सारणी 1.4, पृष्ठ 9 पर सारणी 1.9 तथा पृष्ठ 187 पर पैरा 3.1 में देखा जा सकता है जिसे 28-2-84 को सभा-पटल पर रखा गया था । किन्तु, सरकार सरकारी उद्यमों की लाभकारिता में और अधिक सुधार करने का प्रयास करती रही है तथा इस विषय में किये गये उल्लेखनीय प्रयास इस प्रकार हैं :—

(1) जहां कहीं क्षमता के उपयोग में निरन्तर कमी दिखाई पड़े तो उसे विशिष्ट कारणों की जाँच के लिए विशेष अध्ययन दल गठित करना तथा अल्पावधिक एवं दीर्घावधिक सुधारात्मक उपाय सुझाना ।

(2) अवस्थापना संबंधी सुविधायें प्रदान करने वाले उद्यमों के कार्य-निष्पादन का निरन्तर परिवीक्षण करने तथा उनके कार्यचालन को बेहतर बनाने के लिए उपाय करने का कार्य अवस्थापना संबंधी मंत्रिमण्डल समिति को सौंपा गया है ।

(3) जहां कहीं औचित्यपूर्ण हो तो संलोलक सुविधाओं एवं निजी उपयोगार्थ बिजली संयंत्रों की व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पूंजी-निवेश किया जाता है ।

(4) संयंत्र और उपस्कर की प्रौधोगिकी का उन्नयन करना, आधुनिकी-करण करना तथा संयंत्र और उपस्कर का पुनर्स्थापन करना और जहां कहीं उपयुक्त समझा जाए वहां उत्पादों में विविधता लाना ।

(5) प्रत्येक उद्यम के बारे में तिमाही कार्य-निष्पादन समीक्षा बैठकों के माध्यम से सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों द्वारा नियमित रूप से कार्य-निष्पादन की समीक्षा करना ।

(6) शीर्ष प्रबंधकीय कार्मिकों के चयन और मूल्यांकन को बेहतर बनाना तथा शीर्ष रिक्तियों का यथा समय भरा जाना ।

(7) प्रमुख परियोजनाओं के निष्पादन एवं शीघ्र समापन की परिवीक्षण सम्बन्धी उच्च-स्तरीय समिति, कार्यान्वित की जा रही प्रमुख परियोजनानों की प्रगति की निरन्तर समीक्षा कर रही है ।

महाराष्ट्र के नांदेड़ और परभनी जिलों में बैंकों द्वारा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आवेदनों को अस्वीकार किया जाना

2892. **श्री उत्तम राठौर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के नांदेड़ और परभनी जिलों के प्रत्येक तालुका में शिक्षित स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए ;

(ख) क्या अगुड़ी बैंक भारतीय स्टेट बैंक सहित बैंकों द्वारा इन दोनों जिलों के अनेक आवेदनों को किसी न किसी कारण से अस्वीकार कर दिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से ताल्लुका-वार/जिला-वार सूचना उपलब्ध नहीं होती। फिर भी, 31 मार्च, 1984 तक महाराष्ट्र राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 4024.28 लाख रुपए की राशि के 24579 आवेदन मंजूर किए गए थे।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों द्वारा आवेदन अस्वीकार किए जाने के मुख्य कारण ये हैं : योजना में निर्धारित मानदंड़ों के अन्तर्गत आबेदनों की अपात्रता, आर्थिक रूप से परियोजना का सक्षम न होना या इस योजना के अधीन निर्धारित लक्ष्यों का पहले ही प्राप्त कर लिया जाना।

आर्थिक प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में सिफारिशें

2893. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्थिक प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रत्यक्ष करों के संबंध में कुल कितनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं, और

(ख) इनमें से कितनी सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है तथा शेष शिफारिशों पर अन्तिम रूप से कब तक विचार किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग ने प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में मुख्य-मुख्य लगभग 312 अिफारिशें की हैं। इनमें से, 55 सिफारिशें लागू की जा चुकी हैं। कुछ और सिफारिशें कराधान कानून (संशोधन) विधेयक के माध्यम से लागू की जानी हैं जिसे संसद के चालू सत्र में पेश किए जाने का प्रस्ताव है। सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 को संशोधित करने के सम्बन्ध में 47 सिफारिशें हैं जिन पर अलग से सम्पदा शुल्क संशोधन विधेयक प्रस्तुत करके कार्यवाही की जायेगी। आयोग द्वारा की गई ऐसी बाकी सिफारिशें, जो सरकार को स्वीकार्य हैं, यथा समय अलग कानून बनाकर लागू की जायेंगी।

बैंक प्रभार बढ़ाये जाने का प्रस्ताव

2894, **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बैंक प्रभार बढ़ाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) इस समय बैंक प्रभार बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

जैसलमेर जिले में पकड़ा गया तस्करी का माल

2895. **श्री राजेश कुमार सिंह :**
श्री दौलतराम सारण :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तानी सीमा के निकट जैसलमेर जिले के निकटवर्ती क्षेत्रों में 13 जुलाई, 1984 की रात को कितने मूल्य का तस्करी का माल पकड़ा गया, कितने हथियार पकड़े गए, और सुरक्षा बल व पुलिस के जवानों और तस्करों के बीच मुठभेड़ों में कितने व्यक्ति घायल हुए ;

(ख) इस क्षेत्र में 1 जनवरी, 1984 से अब तक पकड़े गए माल, नकदी, हथियारों आदि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हो रही तस्करी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री को विदेशी मुद्रा दिया जाना

2896. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 16 जुलाई, 1984 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित 'मीगर एलाउन्स एनांयज एन० टी० आर०' शीर्षक समाचार की ओर आकृर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो चिकित्सा के लिए विदेश जाने वाले लोगों को दैनिक भत्ते के रूप में विदेशी मुद्रा देने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ;

(ग) क्या व्यापार संवर्धन अथवा चिकित्सा के बहाने भ्रमण के लिए विदेश जाने वाले व्यापारियों/उद्योगपतियों का उनके साथ जाने वाले उनके परिवार के लोगों और निजी कर्मचारियों के लिए भत्ते के अतिरिक्त जो विदेशी मुद्रा भत्ते के रूप में दी जाती है वह आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री को दिए गए 35 डालर की तुलना में इससे तीन-चार गुणा होती है यदि हां, तो इस प्रकार के भेदभाव के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या वह वर्ष 1982-83, 1983-84 और जून 1984 तक चिकित्सा/उपचार के लिए ब्रिटैन, यूरोप और अमरीका जाने वाले उत्तर प्रदेश के उद्योग-पत्तियों और उनके साथ जाने वाले उनके परिवारों के लोगों; निजी कर्मचारियों तथा चिकित्सा-अनुचरों को दी गई विदेशी मुद्रा का एक विवरण एकत्रित करेंगे और उसे सभा पटल पर रखेंगे ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां। सरकार का ध्यान 16 जुलाई, 1984 के नई दिल्ली के 'इंण्डियन एक्सप्रैस' में 'मीगर एलाऊंस एनायज एन. टी. आर' शीर्षक से छपी खबर की ओर दिलाया गया है।

(ख) जिन मामलों में विदेश स्थित अस्पताल/डाक्टर से डाक्टरी इलाज के खर्च के अनुमान उपलब्ध नहीं होते उनमें इलाज के लिए विदेश जाने वाले व्यक्तियों को, अधिक से अधिक, 5000 अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा जारी की जाती है। परन्तु जिन मामलों में विदेशी अस्पतालों से अस्पताल खर्च/डाक्टरी इलाज की लागत के अनुमान उपलब्ध हों या जहां संबंधित राज्य के मुख्य प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी/स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक/विदेशों में चिकित्सा संबंधी अनिवार्यता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए मान्यता और ख्याति प्राप्त चिकित्सा प्रतिष्ठानों के प्रधान द्वारा अधिक रकम की सिफारिश की गई हो तो उतनी रकम की विदेशी मुद्रा जारी कर दी जाती है। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती रहो के अलावा, उपचार/स्वास्थ्य लाभ/जांच के लिए आवश्यक प्रवास के दौरान अनुरक्षण संबंधी खर्च के लिए रोगी को 85 अमरीकी डालर प्रतिदिन के हिसाब से विदेशी मुद्रा जारी की जाती है जबकि सक्षम प्राधिकारियों की सिफारिश के अनुसार, साथ रहने वाले परिचर (परिचरों) को 1500 अमरीकी डालर प्रतिमाह के हिसाब से विदेशी मुद्रा जारी की जाती है।

(ग) डाक्टरी इलाज के लिए विदेश जाने वाले व्यापारियों/उद्योगपतियों का भी प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में बताए अनुसार विदेशी मुद्रा जारी की जाती है। व्यापार प्रोत्साहन यात्राओं के सम्बन्ध में विदेश जाने वाले व्यापारियों/उद्योगपतियों को सामान्य मानदण्डों (जनरल स्केल) के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार एक नियत रकम-जारी की जाती है जो-ग्रुप 'एक' देशों के मामले में 160 अमरीकी डालर प्रतिदिन से लेकर ग्रुप 'सी' देशों के मामले में 120 अमरीकी डालर प्रतिदिन तक है, जबकि विशेष मानदण्डों (स्पेशल स्केल) के अन्तर्गत ग्रूप 'ए' देशों के मामले में 200 अमरीकी डालर प्रतिदिन से लेकर ग्रुप 'सी' देशों के मामले में 150 अमरीकी डालर प्रतिदिन तक हैं। दैनिक भत्ते की दरों में सभी खर्च शामिल हैं, अर्थात् विदेश में की जाने वाली आन्तरिक यात्रा संबंधी आकस्मिक खर्चे आदि भी इसमें शामिल है।

उपर्युक्त की तुलना में, जो मंत्री/सरकारी अधिकारी डाक्टरी इलाज के लिए विदेश जाते हैं और जिनका खर्च सरकार उठाती है, उनके मामले में हमारे विदेश स्थित मिशा वास्तविक अस्पताल खर्च आदि के आधार पर व्यय करने के लिए प्राधिकृत हैं। इसके अतिरिक्त, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती रहने से पहले या बाद के विदेश प्रवास के दौरान व्यक्तिगत प्रासंगिक व्यय और नकद भत्ते के रूप में भी उनको निर्धारित मानदण्डों के अनुसार विदेशी मुद्रा दी जाती है। इसके अतिरिक्त आकस्मिक व्यय और स्थानीय वाहन आदि के लिए भी विदेशी मुद्रा उचित

मानदण्डों पर प्राधिकृत की जाती है। लेकिन, जहां व्यय स्वयं मंत्रियों/अधिकारियों द्वारा वहन किया जाता है वहां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित और ऊपर भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित मानदण्ड लागू होते हैं।

सरकारी कार्य से विदेश जाने वाले मंत्रियों/सरकारी अधिकारियों को प्रथम दस दिनों के लिए 75 रुपए प्रतिदिन की दर से और उसके बाद 40 रुपए के हिसाब से, कुल 90 दिन की अवधि के लिए व्यक्तिगत प्रासंगिक-व्यय की अनुमति दी जाती है। वे नकद भत्ते के भी हकदार होते हैं जो अलग-अलग देशों के मामले में अलग-अलग होता है। इसके अलावा, संबंधित मंत्रियों/अधिकारियों के वास्तविक होटल संबंधी व्यय संबंधित मिशन द्वारा वहन किए जाते हैं। आकस्मिक खर्च स्थानीय वाहन और आतिथ्य-सत्कार के लिए भी निर्धारित मानदण्डों पर विदेशी मुद्रा प्राधिकृत की जाती है।

जहां तक आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री को दिए गए 35 डालर की विदेशी मुद्रा जारी किए जाने का सवाल है, इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि नकद भत्ते की दरें सरकार द्वारा प्रत्येक देश के लिए वहां के रहन-सहन के खर्च को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है और इसे उस होटल आवास सम्बन्धी खर्च के अलावा दिया जाता है जो भारतीय सरकार अथवा सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। सरकार द्वारा निर्धारित नकद भत्ते की दरें वे दरें हैं जो मंत्रिमण्डलीय मंत्रियों/मुख्य मंत्रियों सहित सरकारी यात्राओं पर जाने वाले सभी उच्च पदस्थ व्यक्तियों के लिए बिना किसी अपवाद के अनुमत हैं।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि सभी मामलों में, चाहे वे यात्राएं व्यापारियों/उद्योगपतियों की हों अथवा मंत्रियों/अधिकारियों की, विदेशी मुद्रा प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुसार जारी की जाती हैं तथा उसमें कोई भेद भाव बरते जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मसालों का उत्पादन और निर्यात

2897. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : **क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत पांच वर्षों के दौरान किन-किन और कितनी मात्रा में मसालों का उत्पादन हुआ तथा उसमें से कितनी मात्रा में निर्यात किया गया ;

(ख) क्या उन मसालों में जीरा, सौंफ और ईसबगोल भी शामिल है और यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान उनका अलग-अलग कुल कितना उत्पादन हुआ और कितना निर्यात किया गया ;

(ग) क्या इन मदों के लिये विपणन सुविधाओं के अभाव के कारण जीरा, सौंफ और ईसबगोल के उत्पादकों को अपने उत्पाद कम कीमत पर बेचने पड़ते हैं ; और

(घ) क्या सरकार का देश और हमारे किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए मसाला बोर्ड के अन्तर्गत लाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) मसालों में शामिल हैं जीरा तथा सौंफ परन्तु 'इसबगोल' नहीं। जीरे के उत्पादन तथा निर्यात-आंकड़े उपरोक्त पैरा (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण में दिये गये हैं। सौंफ तथा ईसबगोल के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) इस सम्बन्ध में एक विस्तृत नीति तैयार करने के लिए मसालों के विपणन और निर्यात सम्बन्धी समस्याओं के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई है।

विवरण

विगत पांच वर्षों के दौरान प्रमुख मसालों के मदवार उत्पादन और निर्यात निम्नोक्त प्रकार हैं :

मद	वर्ष	उत्पादन मात्रा हजार मे० टन	निर्यात मात्रा मे० टनों में	मूल्य हजार रु० में
1	2	3	4	5
1. काली मिर्च	1979-80	28	20898.5	335224.8
	1980-81	30	26363.7	389487.4
	1981-82	29	20607.9	279837.0
	1982-83	उ०न०	15413.5	206201.6
2. लाल मिर्च	1979-80	508	10262.8	77301.9
	1980-81	509	7681.6	55559.1
	1981-82	515	4659.2	42059.7
	1982-83	528	12888.5	123543.9
	1983-84	उ०न०	8783.3	69209.5
3. सोंठ	1979-80	71	11486.0	72696.1
	1980-81	82	6810.9	36797.0
	1981-82	90	4717.8	39522.7
	1982-83	91	3954.7	58849.1
	1983-84	उ.न.	1970.7	44608.1

1	2	3	4	5
4. हल्दी	1979-80	235	26609.8	198061.0
	1980-81	217	14517.2	78824.3
	1981-82	191	11985.9	51742.7
	1982-83	168	7594.8	42354.3
	1984-84	उ.न.	6487.3	59341.0
5. कड़ी पावडर	1979-80	उ.न.	2644.3	25563.4
	1980-81	उ.न.	2550.3	24158.1
	1981-82	उ.न.	1805.0	20018.1
	1982-83	उ.न.	2816.0	33607.9
	1983-84	उ.न.	1664.9	18450.1
6. धनिया	1979-80	90	4325.1	14698.4
	1980-81	111	2161.2	12556.3
	1981-82	145	1729.2	12333.4
	1982-83	154	7378.5	44593.9
	1983-84	उ.न.	6979.3	37556.9
7. जीरा	1979-80	उ.न.	17830.5	212068.9
	1980-81	उ.न.	8778.0	97426.3
	1981-82	उ.न.	6405.4	68531.1
	1982-83	उ.न.	1731.0	31100.2
	1983-84	उ.न.	3264.5	56899.1
8. अजमोद	1979-80	उ.न.	3153.5	19265.2
	1980-81	उ.न.	3197.9	15634.6
	1981-82	उ न.	1668.1	11170.4
	1982-83	उ.न.	2029.5	14068.7
	1983-84	उ.न.	1577.2	14229.7
9. सौंफ	1979-80	उ.न.	1911.6	12488.0
	1980-81	उ.न.	1416.1	10723.8
	1981-82	उ.न.	1033.4	8874.3
	1982-83	उ.न.	505.3	7117.6
	1983-84	उ.न.	785.4	13425.5
10. मेथी	1979-80	उ.न.	4798.3	15661.8
	1980-81	उ.न.	4469.5	17344.0

1	2	3	4	4
	1981-82	उ.न.	3241.5	13391.8
	1982-83	उ.न.	3966.8	16835.9
	1983-84	उ.न.	2132.4	11695.8
11. लहसुन	1979-80	206	3380.1	15398.6
	1980-81	216	7397.8	22824.1
	1981-82	230	6106.7	26505.6
	1982-83	246	5795.4	29289.5
	1983-84	उ.न.	4073.2	23805.4
	टिप्पणी : 1983-84 के लिए निर्यात आंकड़े केवल नवम्बर, 83 तक हैं।			
12. इलायची	1979-80	4.5	2636	485600.0
	1980-81	4.4	2345	347500.0
	1981-82	4.1	2325	302000.0
	1982-83	*2.9	(+) 1021	(+)162300.0
	1983-84	*1.6	(+) 269	57100.0

*प्रारम्भिक अनुमान

(+)अनन्तिम आंकड़े

महाराष्ट्र में बैंकों द्वारा बेराजगार स्नातकों को ऋण

2898. **डा० प्रताप वाघ** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रारम्भ की गई विभिन्न कल्याण योजनाओं के अंतर्गत बेरोजगार स्नातकों को बैंकों द्वारा ऋण और अन्य प्रकार की सहायता प्रदान की गई है ;

(ख) कितने बेरोजगार स्नातकों को बैंकों द्वारा ऋण दिए गए हैं ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य में ब्याज की दर में रियायत आदि में किस प्रकार की छूट दी गई ;

(घ) क्या केन्द्र अथवा बैंकिंग संगठनों ने उन बेरोजगार स्नातकों के नाम गुप्त रखने और उन्हें प्रकट न करने के अनुदेश जारी किए हैं जिन को ऋण दिये गए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) माननीय सदस्य का आशय संभवतः उस योजना से है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को स्व-रोजगार प्रदान करने के लिए बनायी गयी है ; इस योजना का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवकों को उद्योग, सेवा

और व्यापार में कुछ अपना काम खुद करने के लिए बढ़ावा देना है। यह योजना 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों को छोड़कर देश भर में चलाई जा रही है।

(ख) इस योजना में अन्तर्गत 1983-84 के लिए लक्षित 2.5 लाख हिताधिकारियों की तुलना में 31 मार्च, 1984 तक बैंकों द्वारा 2.42 लाख मामलों में ऋणों की मंजूरी दे दी गयी थी।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत पिछड़े क्षेत्रों में ब्याज की दर 10% वार्षिक और अन्य क्षेत्रों में 12% वार्षिक है। आर्थिक सहायता का अंश कुल ऋण राशि का 1.25 प्रति० होता है।

(घ) और (ङ) योजना को क्षेत्रीय स्तर पर सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से राज्य सरकारों से यह कहा गया है कि बैंकों को अन्तिम चयन के लिए भावी हिताधिकारियों के नाम भेजने के वास्ते प्रत्येक जिले में गठित सम्बन्धित कृतक बल (टास्क फोर्स) की सिफारिशों को गोपनीय समझा जाए। और उद्यमियों को निर्णय की सूचना योजना के अधीन अन्तिम रूप से आवेदन के मंजूर हो जाने के बाद दी जाए।

दिल्ली को दैनिक बोइंग सेवा द्वारा राज्य की राजधानियों/शहरों के साथ जोड़ना

2899. **श्री नित्यानन्द मिश्र :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन महत्वपूर्ण शहरों, और राज्य की राजधानियों के नाम क्या हैं जो दिल्ली के साथ दैनिक बोइंग सेवा से जुड़े हुए हैं ;

(ख) क्या सरकार के पास चालू वित्त वर्ष में, कुछ और स्थानों और राज्यों की राजधानियों को दिल्ली के साथ दैनिक बोइंग सेवा से जोड़ने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या चालू वित्त वर्ष में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर को भी दैनिक बोइंग सेवा से जोड़ने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) इंडियन एयरलाइन्स निम्नलिखित महत्वपूर्ण शहरों तथा राज्यों की राजधानियों के लिए दिल्ली से दैनिक बोइंग-737 उड़ानों का प्रचालन करती है :—

महत्वपूर्ण शहर	**राज्य-राजधानियां**	
आगरा	अहमदाबाद	जयपुर
अमृतसर	बंगलौर	जम्मू/श्रीनगर
औरंगाबाद	भोपाल	लखनऊ

बागडोगरा	बम्बई	मद्रास
इन्दौर	कलकत्ता	पटना
कानपुर	चण्डीगढ़	
खजुराहो	गौहाटी	
उदयपुर	हैदराबाद	
बाराणसी	इम्फाल	

(ख) से (घ) 1984-85 की शरदकालीन अनुसूची में, इंडियन एयरलाइन्स की वाराणसी से होकर दिल्ली तथा भुवनेश्वर के बीच वर्तमान चार दिन की बी-737 सेवा की आवृत्ति में वृद्धि करने की योजनाएं हैं।

प्रशिक्षण के दौरान वायुसेना के विमानों का क्षतिग्रस्त/दुर्घटनाग्रस्त होना

2900. **श्री विरदाराम फुलवारिया** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशिक्षण के दौरान वायुसेना के कितने विमान क्षतिग्रस्त/दुर्घटनाग्रस्त हुए ;

(ख) वर्ष 1980 से जुलाई, 1984 तक की अवधि से संबंधित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन दुर्घटनाओं में कितने विमान चालकों की मृत्यु हुई और मृतकों के परिवारों को मुआवजा की कितनी राशि का भुगतान किया गया ; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) यह बताना लोक हित में नहीं है कि दुर्घटनाओं के दौरान भारतीय वायु सेना के कितने विमान क्षतिग्रस्त/दुर्घटनाग्रस्त हुए या कितने व्यक्ति हताहत हुए।

हवाई दुर्घटनाओं में मारे गए भारतीय वायु सेना के फलाइट कैडिटों के निकटतम संबंधियों को 45,000 रु० की अनुग्रह-राशि दी जाती है। दुर्घटनाओं में मारे गए कमीशन प्राप्त अफसरों के निकटतम सम्बन्धियों को निम्नलिखित मुआवजे और सेवान्त रिआयतें अदा की जाती हैं :—

(1) 1,00,000/—रु० की अनुग्रह राशि।
(2) विशेष परिवार पेंशन।
(3) मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान।
(4) पारिवारिक उपदान।
(5) विशेष संतान भत्ता।

उपर्युक्त लाभों के अतिरिक्त वे सामूहिक बीमा योजना से भी धन-राशि पाने के हकदार हैं।

(घ) सभी बड़ी दुर्घटनाओं के कारणों की जांच, जांच अदालत द्वारा की जाती है और ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई आरम्भ की जाती है। उड़ान सुरक्षा में सुधार करने और विमान कर्मीदल तथा ग्राउण्ड कर्मीदल के प्रशिक्षण को तीव्र करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। हवाई मैदानों के इर्द-गिर्द पक्षियों को संख्या में वृद्धि होने को नियमित करने के

लिए अन्य सम्बन्धित संगठनों के साथ भी परामर्श करके कार्रवाई की जा रही है जिससे कि पक्षियों के टकराने के कारण दुर्घटनाएं न हों।

बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड (दिल्ली) द्वारा लिपिकों की भर्ती

2901. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड (दिल्ली) लिपिकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन करता है और उसके बाद सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार भी देना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो लिपिकों के पदों के लिए लिखित परीक्षा के अतिरिक्त साक्षात्कार भी लेने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या साक्षात्कार के समय पूछे जाने वाले प्रश्नों को लिखित परीक्षा में ही शामिल नहीं किया जा सकता ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) जी, हां।

(ख) और (ग) लिखित परीक्षा मुख्यतः वस्तु परक होती है। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। लिपिकों के चयन के लिए साक्षात्कार को भर्ती प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है क्योंकि इससे उन विशेष लक्ष्यों के मूल्यांकन में सहायता मिलती है जिनका केवल लिखित परीक्षा में मूल्यांकन नहीं हो सकता। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों को लिपिक रूप में अपनी नियुक्ति की अपेक्षाकृत छोटी अवधि में ही अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति पाने के अवसर मिल जाते हैं और एक बार पदोन्नति पा जाने पर उनसे ऊंची जिम्मेदारियों का भार उठाने की अपेक्षा की जाती हैं। इसलिए उम्मीदवार की योग्यता परखने के वास्ते साक्षात्कार अनिवार्य समझा जाता है।

कोर्टल्लम (तमिलनाडु) में आई० टी० डी० सी० होटल खोलने का प्रस्ताव

2902. **श्री एम० अरूणाचलम** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु में कोर्टल्लम नामक पर्यटक-स्थल सम्पूर्ण भारत से काफी बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है ;

(ख) क्या कोर्टल्लम में आई० टी० डी० सी० का होटल खोलने का कोई प्रस्ताव है :

(ग) क्या तमिलनाडु सरकार ने इस पर्यटक-स्थल को विकसित करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(घ) यदि हां, तो भारत सरकार ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) जी हां। राज्य सरकार ने फीडर सर्विसेज द्वारा प्रयोग के लिए कोर्टल्लम के निकट केआथार में एक हवाई पट्टी को एक हवाई-अड्डे में परिवर्तित करने तथा कोर्टल्लम में भारत पर्यटन विकास होटल के निर्माण का प्रस्ताव किया था। संसाधनों पर प्रतिबंध की वजह से, इन प्रस्तावों पर कोई निगम के एक 3-स्टार निर्णय नहीं लिया गया है।

राज्यों को विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले ऋण में से कमीशन की कटौती

2903. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राज्यों और अन्य नगरपालिका तथा सिविल निकायों को विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले ऋणों में से कमीशन की कटौती करती है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन ऋणों में से कितते प्रतिशत कटौती की जाती है ;

(घ) क्या प्रायोजक बैंकों/ऋणदाता संस्थाओं ने इस कटौती की कड़ी आलोचना की है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

उदयपुर में सुरक्षा जांच हेतु एक्स-रे मशीन लगाया जाना

2904. **श्री दीनबन्धु वर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदयपुर हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच की एक्स-रे मशीन को अन्य किसी हवाई अड्डे पर भेज दिया गया है ; और

(ख) यही नहीं, तो उदयपुर हवाई अड्डे पर एक्स-रे मशीन कब लगाई जाएगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) जिन 16 एक्स-रे सामान निरीक्षण प्रणाली एककों के दिसम्बर, 1984 तक प्राप्त हो जाने की आशा है, उनमें से एक उदयपुर हवाई अड्डे के लिए निर्धारित कर दी गई है। इसे प्राप्त होने की तारीख से लगभग 2 महीने में लगा दिया जाएगा और चालू कर दिया जाएगा।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम को हुआ घाटा

2905. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम की स्थापना से अब तक कुल कितना घाटा हुआ है और सकल तथा निवल घाटे का वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) किन कपड़ा मिलों को लम्बे समय से रुग्ण मिल करार दिया गया है ;

(ग) ऐसी मिलों को निरन्तर घाटे में चलते रहने से रोकने लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(घ) लम्बे समय से रूग्ण मिलों को बन्द करने के लिए किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) राष्ट्रीय कपड़ा निगम के वर्तमान एककों में घाटे को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है ।

(ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन मिलों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा से पता चलता है कि 1981-82 और 1982-83 के वर्षों में कुल हानियों का अधिकतम भाग 22 मिलों (19 राष्ट्रीयकृत और 3 प्रबन्धित) का था । इनमें से निम्नलिखित 8 राष्ट्रीयकृत मिलें विशेष रूप से कमजोर पाई गई :—

(1) इन्दौर मालवा यूनाइटेड मिल्स, इन्दौर ।

(2) कल्याणमल मिल्स, इन्दौर ।

(3) स्वदेशी काटन एण्ड फलोर मिल्स, इन्दौर ।

(4) हीरा मिल्स, उज्जैन ।

(5) मैसूर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, बंगलौर ।

(6) आजम जाही मिल्स, बारंगल ।

(7) सेन्ट्रल काटन मिल्स, हावड़ा ।

(8) लार्ड कृष्णा टैक्सटाइल मिल्स, सहारनपुर ।

(ग) इन मिलों के कार्यचालन में सुधार लाने के लिए उठाए गये कुछ प्रमुख कदम निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(1) विभिन्न अवस्थाओं में प्रोसेस पर नियंत्रण करके व्यर्थ होने वाले माल तथा नुकसान पर पर्याप्त नियंत्रण ।

(2) उत्पादन ढांचे तथा संस्थागत बिक्री का विविधीकरण ।

(3) मिलों के निष्पादन में सुधार के लिए निविष्ट साधनों की लागत, उपभोज्य स्टाकों, अतिरिक्त पुर्जों, रंजक तथा रसायन आदि की नियमित समीक्षा ।

(4) सभी स्तरों पर बेहतर प्रबन्ध की व्यवस्था ।

(5) श्रम का युक्तियुक्तकरण ।

राष्ट्रीय बस्त्र निगम की 8 अत्यधिक कमज़ोर मिलों के कार्यकरण का गठन अध्ययन करने के लिए सरकार ने एक अध्ययन दल भी गठित किया है ।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ङ) एन. टी. सी. के वर्तमान एककों में हानियों को कम करने के लिए पहले बताए उपायों के अलावा निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए गये हैं/उठाए जा रहे हैं :

(1) संयंत्र तथा मशीनों का आधुनिकीकरण तथा जहां कहीं आवश्यक हो, स्थापित क्षमता का विस्तार ।

(2) बिजली की कमी को पूरा करने के लिए डीजल से चलने वाले सैटों की स्थापना ।

(3) मानवनिर्मित रेशों, कोम्बर वेस्ट आदि का प्रयोग करके रूई मिश्रण लागतों में बचत तथा नियंत्रण ; और

(4) रेलवे प्राधिकारियों, कोल इंडिया आदि के साथ बेहतर सम्बन्ध स्थापित करके कोयला लागतों पर नियंत्रण ।

विवरण

(करोड़ रु० में)

वर्ष	राष्ट्रीयकृत मिलें		प्रबन्धित मिलें	
	निवल लाभ/हानि	कुल लाभ/हानि	निवल लाभ/हानि	कुल लाभ/हानि
1974-75	(—) 29.99	(—) 17.94	—	—
1975-76	(—) 59.86	(—) 42.20	—	—
1976-77	(—) 51.53	(—) 26.75	(—) 1.07	(—) 0.50 (दो मिलें)
1977-78	(—) 47.82	(—) 13.45	(—) 1.51	(—) 0.92 (दो मिलें)
1978-79	(—) 18.31	(+) 17.05	(+) 1.00	(+) 4.22 (आठ मिलें)
1979-80	(—) 16.74	(+) 21.18	(—) 1.32	(+) 2.20 (,,)
1980-81	(—) 18.57	(+) 29.03	(—) 1.88	(+) 2.73 (,,)
1981-82	(—) 71.24	(—) 21.36	(—) 15.90	(—) 7.41 (,,)
1982-83	(—) 78.05	(—) 31.37	(—) 17.87	(—) 7.68 (नौ मिलें)
1983-84 (अनन्तिम)	(—) 99.60	(—) 43.52	(—) 27.18	(—) 13.41 (,,)

× कुल लाभ/हानि में धारक कम्पनी का कुल लाभ/हानि शामिल नहीं है।

इलाहाबाद बैंक अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी कल्याण परिषद द्वारा दिया गया मांग पत्र

2906. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद बैंक अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी कल्याण परिषद (अखिल-भारतीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ के साथ सम्बन्ध) ने बैंक प्रबन्धकों को एक मांग पत्र दिया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया है :

(I) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को कम से कम 15 दिन का परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण दिया जाना क्योंकि पहले से दिया जा रहा प्रशिक्षण इस प्रयोजन के लिए नितान्त अव्यवहारिक है ।

(II) सभी श्रेणियों के पदों में भर्ती व पदोन्नति के मामले में तैनाती से पूर्व अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण ;

(III) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की तैनाती तथा स्थानान्तरण उनके निवास स्थलों के निकट करना ;

(IV) 1970 के पैनल के अधीनस्थ कर्मचारियों के मामले में पूर्व दिनांक न करना ;

(V) सरकारी निदेश के अनुसार पदों के सभी वर्गों के रोस्टर ठीक प्रकार से रखना ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) बैंक द्वारा सूचित स्थिति इस प्रकार है :—

(i) तथा (ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के वास्ते परीक्षा से पूर्व का प्रशिक्षण वास्तविक जरूरतों के आधार पर दिया जाता है । बैंक द्वारा लिपिकीय तथा अधिकारियों के संवर्ग में नये भर्ती हुए कर्मचारियों तथा पदोन्नत कर्मचारियों के वास्ते दो सप्ताह के प्रवेश पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है ।

(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों की तैनाती तथा तबादले बैंक के नियमों/प्रथाओं के अनुरूप किए जाते हैं ।

(iv) बैंक ने प्रबंधकों और बैंक के मान्यताप्राप्त संघों के बीच हुए चैनल के पूर्व-दिनांकन करार को कार्यान्वित कर दिया है ।

(v) बैंक में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सभी श्रेणियों के पदों के वास्ते रोस्टर बनाया गया है ।

ऋण पत्र से सम्बद्ध इक्विटी शेयर जारी करना

2908. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूंजी निगम नियंत्रक द्वारा विधिवत अनुमोदित परिवर्तनीय ऋण पत्र जारी करना अवरोधक व्यापारिक-व्यवहार नहीं होता है ;

(ख) यदि हां, तो ऋण पत्र से जुड़े इक्विटी शेयर जारी करने की अनुमति न देने का निर्णय किस आधार पर लिया गया ; और

(ग) सरकार छोटी तथा मध्यम दर्जे की कम्पनियों से कैसे यह आशा करती है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के इस आशय के अनुदेशों का अनुपालन करेंगे कि उन्हें अपने ऋणपत्रों को शेयरों से जोड़े बिना अपनी पूंजी बढ़ानी चाहिए विशेषकर तब, जबकि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों को अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों के लिए बाजार ढूढ़ने में कठिनाई होती है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जहां तक ऋण-पत्रों से जुड़े हुए सामान्य शेयरों का सम्बन्ध है, दो किस्मों की प्रतिभूतियों की पेशकश एक साथ निवेशकर्ताओं को की जाती है, अर्थात सामान्य (इक्विटी) शेयरों की तथा ऋण-पत्रों की । यह पेशकश इस शर्त पर की जाती है कि एक किस्म की प्रतिभूति के लिए तभी अभिदान करने की स्वीकृति दी जाएगी जब कि दूसरी किस्म की प्रतिभूति को भी ले लिए जाएगा । इस प्रकार का इकट्ठा सौदा एक निवेशकर्ता को स्वतंत्रता में अवरोधक होता है । इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि परिवर्तनीय ऋणपत्रों की मौजूदा ब्याज दर 13.5 प्रतिशत है जबकि इसकी तुलना में अपरिवर्तनीय ऋण पत्रों की ब्याज दर 15 प्रतिशत है, क्योंकि उत्तरोक्त ऋणपत्रों में पूंजी के मूल्य की वृद्धि की क्षमता सापेक्षतया कम है ।

(ग) छोटे और मध्यम दर्जे की कम्पनियां अपनी पूंजी के आधार को सामान्य शेयर जारी करके अथवा परिवर्तनीय ऋण-पत्र जारी करके बढ़ा सकती है ।

जाली करेंसी नोटों का परिचालन

2909. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 जुलाई, 1984 के 'पेट्रीओट' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यह चेतावनी दी है कि जाली करेसी-नोटों का विशेष-कर 100 रुपए के नोटों का, परिचालन बढ़ रहा है ;

(ख) क्या ब्यौरे ने यह भी चेतावनी दी है कि ये जालीनोट 'ए. आई' सीरीज से सम्बन्धित है जिनका कोड सी. वाई. 10 है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकार का ध्यान दिनांक 10 जुलाई, 1984 के "पेट्रीओट" में जाली करेंसी नोटों के सम्बन्ध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है। यह सच नहीं है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी० बी० आई०) ने यह चेतावनी दी है कि जाली करेंसी नोटों का विशेषकर 100 रुपये के नोटों का परिचालन बढ़ रहा है। जाली करेंसी बैंक नोटों के सम्बन्ध में मासिक समीक्षा करना केन्द्रीय जांच ब्यूरो का सामान्य कार्य है। इस समीक्षा में अन्य बातों के साथ-साथ पुलिस द्वारा पकड़े गए और बैंकों, वाणिज्यिक संस्थाओं आदि द्वारा बरामद किए गए जाली करेंसी नोटों की सूचना भी दी जाती है। मार्च, 1984 के महीने में कुल 1326 जाली नोट पकड़े अथवा बरामद किए गए। जैसी कि सामान्य प्रथा है, मार्च, 1984 की समीक्षा में जाली करेंसी नोटों की सीरीज और उनके वर्गीकृत समूह का विस्तृत ब्यौरा दिया गया था। मासिक समीक्षा का उद्देश्य संबद्ध राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में दर्ज किए गए मामलों की छानबीन करने के लिए सारे देश के पुलिस बलों के बीच समन्वय कार्य को सुविधाजनक बनाना है।

महाराष्ट्र में रूई एकाधिकार योजना का विस्तार

2910. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में रूई एकाधिकार योजना कब से लागू है तथा इस योजना के उद्देश्य, लाभ और अन्य मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या इसका कार्य-काल थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ाने से इसके काम-काज के कठिनाई पैदा हो रही है ;

(ग) क्या सरकार इसका कार्य-काल एक ही बार में दस वर्ष बढ़ाने के बारे में विचार करेगी ताकि यह आर्थिक स्थायित्व और कार्य दक्षता प्राप्त कर सके ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) महाराष्ट्र सरकार रूई एकाधिकार वसूली योजना को 1972-73 के सीजन से (दो छोटी अवधियों को छोड़कर जिनके दौरान यह योजना निलम्बित की गई थी) इस योजना के संचालन के लिए मुख्य एजेन्ट के रूप में महाराष्ट्र राज्य सहकारिता विपणन फैडरेशन लि० की मार्फत निम्नोक्त उद्देश्यों के लिए कार्यान्वित कर रही है :—

(1) राज्य में रूई उपजकर्ताओं को रूई की उचित और लाभकारी कीमत सुनिश्चित करना और कीमतों में घट-बढ़ से उनकी रक्षा करना ;

(2) बिचौलियों को हटाकर रूई उपजकर्ताओं के लिए अतिरिक्त आय की व्यवस्था करना और टर्मिनल कीमत का पूरा लाभ प्राप्त करना ;

(3) उपजकर्ताओं की आय में स्थिरता लाना और उससे राज्य में रूई के समग्र उत्पादन में स्थिरता और वृद्धि लाना ;

(4) उपरोक्त मिलों को वैज्ञानिक रूप से श्रेणीयुक्त क्वालिटी की रूई की सप्लाई करना ;

(5) सहकारी संस्थानों को रूई की वसूली, संसाधन तथा विपणन की प्रक्रिया में पूर्णरूप से अन्तर्ग्रस्त करके सहकारिताओं के संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाना और विपणन तथा सहकारी देयताओं की वसूली में कारगर सम्बन्ध स्थापित करना।

लाभ

(क) जब रूई उपजकर्ता रूई के लिए निविदा देते हैं तो उन्हें समय पर ध्यान दिये बिना उनकी सम्पूर्ण कपास के लिए गारन्टीयुक्त कीमत का आश्वासन दिया जाता है ;

(ख) वसूली होने पर गारन्टीयुक्त कीमत के अलावा 75 प्रतिशत रकम उन्हें अतिरिक्त कीमत के रूप में दी जाती है ;

(ग) इस योजना के चलाए जाने से सहकारी संस्थानों को विभिन्न स्तरों पर मजबूत किया गया है ;

(घ) सहकारी बैंकों का वित्तीय ढांचा मजबूत किया गया है।

(ख) से (घ) सरकार ने इस योजना को दो वर्ष अर्थात 30 जून, 1986 तक बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है।

अशोक होटल द्वारा वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक की अवधि में बट्टे खाते में डाली गई राशि

2911. **श्री पीताम्बर सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोक होटल के प्रबन्धकों, वित्तीय वर्षों 1980-81, 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान कुल बकाया राशि में से कितनी धनराशि बट्टे खाते में डाली है ;

(ख) बट्टे खाते में डाली गई राशि सम्बन्धी प्रत्येक मामले का इस औचित्य के साथ ब्यौरा क्या है कि इतनी बड़ी राशि कैसे वसूल नहीं की जा सकी ; और

(ग) क्या उक्त राशि के वसूल न किए जाने के लिये उत्तरदायी सम्बन्धित अधिकारी पर कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) कारणों, स्पष्टीकरणों तथा संबंधित अधिकारिक के दायित्वों को, यदि कोई हों, ध्यान में रखने के पश्चात धनराशि को बट्टे खाते में डालने से पूर्व, निगम प्रत्येक मामले की छानबीन करती है। अशोक होटल के सम्बन्ध में बट्टे खाते डाली गई राशि इस प्रकार है :—

वर्ष	डूबे कर्ज जो बट्टे खाते डाले गए
	(लाख रु० में)
1980-81	2.32
1981-82	1.61
1982-83	2.16

1983-84 की राशि एकाउंट्स को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही ज्ञात होगी ।

इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन द्वारा संचालन प्रणालियों के असुरक्षित होने का आरोप

2912. **श्री नीरेन घोष** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1984 से लेकर अब तक एयर बसों के इंजन फेल होने की 6 घटनाएं और बोइंग 737 विमानों के इंजन फेल होने की 3 घटनाएं हो चुकी हैं ;

(ख) क्या इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि प्रबंधकों द्वारा अनुमोदित संचालन प्रणाली "निश्चित रूप से असुरक्षित" है ;

(ग) उक्त एसोसिएशन (आई० सी० टी० ए०) द्वारा यह आरोप किस आधार पर लगाया गया है ;

(घ) क्या वर्तमान क्षमता का अधिक उपयोग करना यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करना है ; और

(ङ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) फरवरी, 1984 से इंडियन एयरलाइन्स के एयरबस विमानों के इंजन खराब होने के चार तथा बोइंग-737 विमानों के इंजन खराब होने के तीन मामले हुए हैं ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) जी, नहीं । विमान का उपयोग कभी भी अनुमत सीमाओं से अधिक नहीं किया जाता है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सीमा शुल्क द्वारा छापे में पकड़ा गया माल

2913. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क विभाग द्वारा जनवरी, 1984 से अब तक कितने छापे मारे गए, इन छापों के दौरान पकड़े गए माल का ब्यौरा क्या है और कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) वर्ष 1984 (जून तक) के दौरान सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा देश-भर में मारे गए छापों/ली गई तलाशियों, उनके जरिए पकड़े गए माल का मूल्य तथा गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित है :—

(मूल्य करोड़ रुपयों में)

वर्ष	मारे गए छापों/ली गई तलाशियों की संख्या	पकड़े गये माल का मूल्य	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
1984 (जून तक) ×	9837	9.53	1144

× आंकड़े अनन्तिम हैं ।

देश-भर से पकड़ी गई मुख्य जिंसों में सोना, कलाई-घड़ियां, सिंथैटिक फैब्रिक, इलैक्ट्रानिकी की वस्तुएं माल, आडियो/वीडियो कैसेट आदि शामिल हैं ।

तस्करी की गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय तौर पर तथा न्यायालय में मुकदमा दायर करके उचित कार्यवाही की जाती है। इसके अलावा, समुचित मामलों में, विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम के अधीन नजरबन्दी भी की जाती हैं ।

चूंकि मामलों की संख्या काफी ज्यादा है, इसलिये इनके बारे में ब्यौरे एकत्र करके उन्हें प्रस्तुत करने में अनुपात के हिसाब से अत्यधिक समय और श्रम लगेगा । तथापि, यदि माननीय सदस्य किसी मामले (मामलों) विशेष के सम्बन्ध में जानकारी चाहें तो उसे एकत्र करके उपलब्ध करा दिया जाएगा ।

जैसलमेर तथा कोटा के लिए वायुदूत सेवाओं को प्रारम्भ करना

2914. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने देश में किन-किन स्थानों को वायुदूत सेवा द्वारा जोड़ने का निर्णय किया था और उन्हें किस तारीख तक वायुदूत सेवा से जोड़े जाने का प्रस्ताव था ;

(ख) वहां वायुदूत सेवा अब तक आरम्भ न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार जैसलमेर और कोटा, जो कि दोनों ही जिला मुख्यालय हैं, के लिये वायुदूत सेवा आरम्भ करने का विचार है और यदि हां, तो कब तक ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) सरकार ने वायुदूत के प्रचालन की आरम्भिक प्रावस्थाओं में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के 14 स्टेशनों तथा देश के अन्य भागों में और 23 स्टेशनों को वायुदूत सेवाएं चालू करने के लिए चुना था। इन स्टेशनों के नामों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है। इन स्टेशनों को विमान सेवा से जोड़ने की कोई निश्चित तारीख निर्धारित नहीं की गई है।

वायुदूत द्वारा नये स्टेशनों को जोड़े जाने के बारे में योजनाओं की अब समीक्षा की गई है और नये विमान प्राप्त होने, प्रचालनों के आर्थिक दृष्टि से विकास क्षमता/साध्य होने और इन हवाई अड्डों पर अपेक्षित आधार संरचनात्मक सुविधाओं का विकास होने पर वर्ष 1984-85 में निम्न-लिखित स्टेशनों को विमान सेवा से जोड़ने का प्रस्ताव है :—

1. राजामुंदरी
2. कुडप्पा
3. बारंगल
4. मैसूर
5. कालीकट
6. रत्नागिरि
7. नांदेड
8. सूरत
9. रायबरेली
10. बीकानेर
11. जैसलमेर।

(ख) उपयुक्त विमानों की अपर्याप्तता तथा हवाई अड्डों पर आधार संरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिये अपेक्षित धनराशि की बाध्यकारिताएं इन स्टेशनों को न जोड़े जाने के मुख्य कारण हैं।

(ग) कोटा इंडियन एयरलाइन्स द्वारा पहले ही विमान सेवा से जुड़ा हुआ है और जैसलमेर को निकट भविष्य में वायुदूत सेवा से जोड़ने का प्रस्ताव है।

विवरण

केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में निर्धारित किए गए चौदह स्टेशन ये हैं :—

1. रूपसी
2. शिलांग
3. कमालपुर
4. कैलाशहर

5. गंगटोक
6. कूंच बिहार
7. एलोंग
8. दपोरिजो
9. ईटानगर
10. पासीघाट
11. सेदिया
12. तेजू
13. जेरो
14. ऐजवाल।

वायुदूत सेवा द्वारा पहली प्रावस्था में विस्तार के लिए मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से अलग 23 स्टेशन नीचे दिये गये हैं :—

आन्ध्र प्रदेश	1. कुडप्पा
	2. राजामुंदरी
	3. बारंगल
बिहार	4. जमशेदपुर
	5. गया
	6. मुजफ्फरपुर
	7. पूर्णिया
कर्नाटक	8. रामचूर
	9. हुबली
केरल	10. कालीकट
मध्य प्रदेश	11. विलासपुर
	12. जगलपुर
महाराष्ट्र	13. नांदेड
उड़ीसा	14. राउरकेला
पंजाब	15. लुधियाना
राजस्थान	16. कोटा
	17. बीकानेर
	18. जैसलमेर
तमिलनाडु	19. तंजावुर
उत्तर प्रदेश	20. देहरादून
	21. गाजीपुर
	22. पंतनगर
	23. राय बरेली।

वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक की अवधि में अशोक होटल, नई दिल्ली का नवीकरण

2915. **श्री सूर्य नारायण सिंह :**

श्री सूरज भान :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्षों 1980-81, 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान अशोक होटल, नई दिल्ली के नवीकरण कार्य पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है और जिस प्रकार का नवीकरण कार्य किया गया है, उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) आगामी दो-तीन वर्षों में यदि कोई नवीकरण कार्य किया जाना है, तो तत्संबंधी भावी कार्यक्रम तथा अन्य ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पांच सितारा होटल भवन के निर्माण की मूल लागत कितनी थी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) सूचना विवरण 1 और 2 में दी गई है।

(ग) 31-3-1960 की स्थिति के अनुसार अशोक होटल, नई दिल्ली के निर्माण की अनुमानित लागत 272.80 लाख रु० थी ।

विवरण-एक

वर्ष	जिस प्रकार का नवीकरण कार्य किया गया	किया गया खर्च (लाख रुपयों में)
(i) 1980-81	— 12 सिंगल सूटस का नवीकरण	34.85
	— तीसरी मंजिल एनेक्सी पर 52 अतिथि कक्षों का नवीकरण	
	— समोवार कॉफी शाप का नवीकरण	
	— शुल्क मुक्त दुकान की वृद्धि	
	— ओपन-एयर थिएटर की वृद्धि	
(ii) 1981-82	— 36 सिंगल सूटस का नवीकरण	70.11
	— छठी मंजिल पर डबल सूटस का नवीकरण	

वर्ष	जिस प्रकार का नवीकरण कार्य किया गया	किया गया खर्च (लाख रुपयों में)
	— दूसरी मंजिल पर पार्टी रूम का नवीकरण — मुख्य रसोईघर का नवीकरण — साइप्रस टैवर्ना की वृद्धि — कुछ क्षेत्रों में कालीनों को बदलना	
(iii) 1982-83	— पहली और दूसरी मंजिल एनेक्सी पर अतिथि कक्षों का नवीकरण — ओल्ड ब्लाक के अतिथि कक्षों तथा कारीडोर्ज, पहली व दूसरी मंजिल एनेक्सी रूम्स और कन्वेंशन हॉल में कालीनों को बदलना। — अतिविशिष्ट (वी० आई० पी०) प्रतिनिधियों के सूटस में सुधार — लावी और स्वागत-क्षेत्र में सुधार — ड्राइवअवे और पार्किंग क्षेत्रों पर विटूमन कालीन की सरफेसिंग — वाउन्डरि-वाल सहित स्वीमिंग पूल क्षेत्र का भूदृश्यांकन और नवीकरण	129.89
(iv) 1983-84	— सुपर क्लब का दरबार रैस्तरां में परिवर्तन — रोटेस्सरी रेस्तराँ का फंटियर वरगुंडी रेस्तरों और शाप्स में परिवर्तन — गार्डन-वार की वृद्धि — पीकांक रैस्तरों का चाईना रेस्तरां में परिवर्तन — नए स्वागत क्षेत्र का निर्माण और टी लॉज में सीटों की वृद्धि — ओल्ड ब्लाक में 83 गैस्ट रूम्स टायलेट का नवीकरण — ओल्ड ब्लाक में कलर टी० वी० की व्यवस्था। — कन्वेंशन हाल रिफर्बिशिंग।	346.67 (अनन्तिम एवं लेखापरीक्षा अभी होनी है।)

विवरण-दो

वर्ष	नवीकरण संबंधी निर्माण कार्य की प्रकृति
1984-85	— 176 गैस्ट रूम्स टॉयलेट का नवीकरण
	— पार्टी रूम का नवीकरण
	— लाबी के शेष भाग के नवीकरण को पूरा करना जिसे राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों के सम्मेलन से पूर्व पूरा नहीं किया जा सका था ।
1985-86	— बॉयलर सिस्टम को रिप्लेस करना ।
	— 1984-85 में यदि कोई कार्य छूट गया हो तो बकाया निर्माण कार्य को पूरा करना ।

मिर्जापुर में कालीन उद्योग तथा कालीनों की बुनाई में लगे दस्तकारों की स्थिति में सुधार करना

2916. **श्री उमा कान्त मिश्र** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों और अन्य संचार माध्यमों के जरिए मिर्जापुर में कालीन उद्योग और कालीनों की बुनाई में लगे दस्तकारों की स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान बार-बार आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) सरकार समाचार-पत्रों और अन्य माध्यमों सहित विभिन्न स्रोतों के जरिए स्वयं कालीन उद्योग की समस्याओं के प्रति जागरुक रहती है । इस उद्योग की स्थिति में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) कार्य-कुशलता की उन्नति के लिए प्रभावशाली और प्रगतिशील प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं ।

(2) निर्यातों पर उनके कर-मुक्त आयात की अनुमति दी गई है ।

(3) छोटी मशीनों के प्रयोग से विनिर्मित गलीचों पर लगाया गया उत्पाद शुल्क समाप्त कर दिया गया है ।

(4) अलग से एक निर्यात संवर्धन परिषद बनाई गई है।

(5) गलीचा प्रौद्योगिकी हेतु एक राष्ट्रीय संस्थान बनाए जाने की प्रक्रिया में है।

लघु और मध्यम दर्जे की औद्योगिक इकाइयों का आधुनिकीकरण

2917. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने लघु और मध्यम दर्जे की औद्योगिक इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए हाल में कोई विशेष योजना शुरू की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई. डी. वी. आई.) में पहली जनवरी 1984 से लघु और लघु मध्यम उद्योगों का आधुनिकीकरण करने के वास्ते अलग से एक पुनर्वित्त योजना शुरू की है। अति लघु एकक और कुटीर तथा ग्राम उद्योग क्षेत्र के कम से कम 5 वर्ष पुराने उद्योग भी इस योजना के अधीन सहायता के पात्र हैं। इस योजना का मूल उद्देश्य औद्योगिक एककों के आधुनिकीकरण के बकाया काम को पूरा करने और उन्नत तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी व उत्पादन के तरीके अपनाने के लिए बढ़ावा देना और बेकार पुरानी यांत्रिक तथा प्रौद्योगिकीय प्रक्रियाओं से बचना है। योजना के अन्तर्गत एककों को ऋणदाता संस्थाओं द्वारा मंजूर किए गए ऋणों की ब्याजदर 11.5 प्रतिशत वार्षिक और पुनर्वित्त दर 9 प्रतिशत वार्षिक निर्धारित की गई है। योजना में ऋण ईक्विटी अनुपात तथा प्रवर्तक के अंशदान के मामले में भी लचीले 'अप्रोच' का प्रावधान किया गया है।

भागीरथ ग्रामीण बैंक, सीतापुर में नियुक्तियों/पदोन्नतियों में कथित अनियमितताएं

2918. **श्री रामलाल राही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भागीरथ ग्रामीण बैंक, सीतापुर उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष नई नियुक्तियों तथा पदोन्नतियों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती गई थीं तथा सेवा की अवधि तथा शैक्षिक योग्यताओं का ध्यान रखे बिना पदोन्नतियां की गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों की संख्या क्या है जिनकी सेवा अवधि केवल एक वर्ष की नहीं थी लेकिन उनको क्षेत्र अधिकारी तथा (मैनेजर) प्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया था ;

(ग) ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनकी सेवा अवधि 2 वर्ष से कम थी परन्तु उन्हें क्षेत्र अधिकारी, प्रबंधक शाखा प्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया है ;

(घ) उन कर्मचारियों की संख्या क्या है जिनकी सेवा अवधि तीन वर्ष से अधिक थी और जिनके नाम वरिष्ठता सूची में उपयुक्त स्थान पर थे लेकिन उनको पदोन्नत नहीं किया गया है ; और

(ङ) क्या अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण कोटा पूरा कर लिया गया है और यदि नहीं, तो कितनी नियुक्तियाँ तथा पदोन्नतियां की गई तथा उनमें से अनुसूचित जातियों के अभ्यार्थियों की संख्या क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को इन शिकायतों की जांच करने के लिए कहा गया है। नाबार्ड से सूचना प्राप्त हो जाने के पश्चात् यथाउपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गैर-विकासात्मक व्यय में वृद्धि और मुद्रास्फीति की दर

2919. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-विकासात्मक व्यय 1951 में 950 करोड़ रु० से बढ़कर 1983-84 के दौरान 49,200 करोड़ रुपए हो गया है ;

(ख) क्या गैर-विकासात्मक व्यय में हुई भारी वृद्धि, मुद्रास्फीति और मूल्य सूचकांक में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है ; और

(ग) 1982-83 की तुलना में 1983-84 के दौरान मूल्य सूचकांक कितना था ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं। केन्द्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बजटों के एक विश्लेषण के अनुसार गैर-विकासात्मक व्यय 1950-51 में 534 करोड़ रुपए और 1983-84 (बजट अनुमान) में 20,300 करोड़ रुपए था।

(ख) सरकार के गैर-विकासात्मक व्यय और मुद्रा-स्फीति में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है।

(ग) थोक मूल्यों के सूचकांक का औसत (आधार : 1970-71=100) 1982-83 में 288 6 और 1983-84 में 315.3 था।

शत्रु सम्पत्ति अधिनियम में संशोधन

2920. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शत्रु सम्पत्ति अधिनियम की क्रियान्विति के फलस्वरूप अनेक नागरिकों विशेष रूप से अल्प/संख्यक समुदाय के लोगों को प्रताड़ित किये जाने के बारे में अभ्यावेदन मिले हैं ;

(ख) अब तक मिले इन अभ्यावेदनों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है कि शत्रु सम्पत्ति अधिनियम को समुचित रूप से संशोधित किया जाये ताकि अपेक्षित राहत दी जा सके और असंगति तथा विसंगति को दूर किया जा सके ; और

(घ) क्या बंगलादेश में इसी प्रकार के अधिनियम अर्थात् निहित सम्पत्ति अधिनियम को हिन्दू अल्प संख्यकों के अभ्यावेदन पर आगामी आदेशों तक रोक दिया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) ऐसा अभ्यावेदन दिया गया है कि शत्रु-सम्पत्ति अधिनियम लागू करने के फलस्वरूप कुछ व्यक्ति कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। जो मुख्य बात उठाई गई है वह इस आशंका से संबंधित है कि सम्पत्तियों की बिक्री तथा खरीदारी में अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ सदस्यों और अन्य व्यक्तियों को समय लगने वाली मुकदमेबाजी तथा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

(ग) सरकरर इस संबंध में प्रस्तावों पर ध्यान दे रही है।

(घ) ऐसे कोई आदेश सरकार की जानकारी में नहीं आए हैं।

मद्रास के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सोना पकड़ा जाना

2921. **श्री शिव शरण वर्मा :**

श्री जयपाल सिंह कश्यप :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास के सीमा शुल्क अधिकारियों ने जुलाई, 1984 में सिंगापुर से आने वाले ब्रिटेन के एक राष्ट्रिक से लगभग 12 किलोग्राम सोना पकड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो पकड़े गये सोने का क्या मूल्य अंकलित किया गया है और ब्रिटेन के इस राष्ट्रिक का नाम और पता क्या है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या उक्त सोने का मूल्य कम आंका गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) जी, हां।

दिनांक 17 जुलाई, 1984 को, 2210, एम० एच० डेल पियाल, मालेट मैट्रो ; मनीला के निवासी रॉबर्ट मिल्लिगन विग्गिंस, पुत्र श्री जार्ज क्रुक्शंक विग्गिंस नाम ब्रिटेन—राष्ट्रिक को, जो सिंगापुर से हवाई जहाज द्वारा मद्रास हवाई अड्डे पर उतरा था उस समय मार्ग में रोका गया था, जब ग्रीन चैनल से उसकी निकासी हो चुकी थी। उसकी जामा-तलाशी लिए जाने पर उसके पास से विदेशी मार्क के सोने की एक-एक किलोग्राम वजन की सोने की बारह छड़ें बरामद हुई। सोने की ये छड़ें उसने अपने शरीर में तथा अपने जांघिए और पेंट की जेबों में छिपाकर रखी हुई थी। अभिगृहीत सोने का बाजार-मूल्य 24.24 लाख रुपये है। उससे बरामद हुए इस सोने का अधिग्रहण सीमा शुल्क अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर लिया गया है। श्री विग्गिंस को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

उत्तर प्रदेश में विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के अन्तर्गत गलीचा बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र

2922. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 से वर्ष-वार उत्तर प्रदेश में विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के अन्तर्गत कितने गलीचा बुनाई प्रशिक्षण केन्द्रों को मंजूरी दी गई है और कितने ऐसे केन्द्र चल रहे हैं ;

(ख) क्या किसी वर्ष के दौरान स्वीकृत केन्द्रों से अधिक केन्द्र चल रहे थे, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित केन्द्रों पर बिना स्वीकृति कितनी धनराशि खर्च की गई तथा इसके लिए जिम्मेदार, निर्धारित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) उत्तर प्रदेश में स्वीकृत तथा कार्य कर रहे गलीचा बुनाई प्रशिक्षण केन्द्रों की वर्षवार संख्या निम्नोक्त प्रकार है :—

1975-76	29
1976-77	97
1977-78	153
1978-79	193
1979-80	218
1980-81	218
1981-82	212
1982-83	212
1983-84	212

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[रक्षा निर्माण एकक हेतु केरल सरकार का अनुरोध

2923. **श्री जेवियर अराकल** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड ने नए दो इन्जनों वाले हेलीकॉप्टर का विकास और निर्माण करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या एक नया निर्माण एकक बनाने का सरकार का विचार है ;

(घ) यदि हां, तो नया एकक किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा ; और

(ङ) क्या केरल सरकार ने आंध्र प्रदेश के नए आयुध कारखाने की तरह एक रक्षा निर्माण एकक के लिए अनुरोध सुझाने के लिए एक कार्यदल गठित किया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) उन्नत किस्म के हल्के हैलीकाप्टर का डिजाइन तैयार करने और विकास करने के लिए 21 जुलाई, 1984 को जर्मन संघीय गणराज्य की मैसर्स एम. बी. बी. के साथ एक करार किया गया है। 7 वर्षीय करार में कहा गया है कि हेलीकाप्टर का पहला आद्यरूप (प्रोटोटाइप) लगभग 4 वर्ष में उड़ने लगेगा। देश में बने हैलीकॉप्टर दसवें दशक के शुरू में सेनाओं को दे दिया जाएगा।

(ग) और (घ) जी, नहीं। उन्नत किस्म के हल्के हैलीकाप्टर का विकास और निर्माण बंगलौर कॉम्पलैक्स के हेलीकॉप्टर डिवीजन में करने का प्रस्ताव है जहां इसकी क्षमता विद्यमान है।

(ङ) एक सरकारी क्षेत्र यूनिट के स्थापन के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है।

तम्बाकू उत्पादकों की कठिनाइयां

2924. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तम्बाकू के परिष्करण के काम में लगे किसानों की समस्याओं पर अध्ययन करने और उनकी समस्याओं को हल करने के उपाय सुझाने के लिए एक कार्य-दल गठित किया है ,

(ख) यदि हां, तो इस दल ने क्या सुझाव दिए हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इन सुझावों को स्वीकार कर लिया है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ; तथा स्वीकार किये गये सुझावों को किस प्रकार और कब कार्यान्वित किया जायेगा ; और

(घ) क्या पिछले वर्ष आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात में तम्बाकू के परिष्करण में लगे किसानों के सामने आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, इस वर्ष शीघ्र ही बिक्री के लिए तैयार होने वाले तम्बाकू के लिए इस कार्यदल द्वारा दिए गए सुझावों को कार्यान्वित किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) कार्यकारी दल ने, जिसने 21 फरवरी, 1984 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, तम्बाकू बाजार के असन्तुलनों तथा कमजोरियों का विश्लेषण किया है और उसने एक व्यापक उपचारात्मक नीति की सिफारिश की है। जिसमें अनेक तत्व हैं जिनमें शामिल हैं : प्रभावी परामर्शदात्री व्यवस्था,

विभिन्न अवस्थाओं में सभी तम्बाकू उत्पादक क्षेत्रों को शामिल करने के लिए नीलामी प्रणाली का आरम्भ किया जाना, एक स्थिरीकरण अभिकरण के जरिये परम्परागत तथा साथ ही गैर-परम्परागत बाजारों में हस्तक्षेप, अधिक प्रभावी उत्पादन विनियमन, बाजार संवर्धन, घरेलू माँग के आधार को सुदृढ़ करना, तम्बाकू बोर्ड द्वारा किया जाने वाला व्यापक विस्तार प्रयास और तम्बाकू बोर्ड को उपयुक्त रूप से सुदृढ़ करना ताकि वह बढ़े हुए कार्य को करने के योग्य बन सके।

(ग) तथा (घ) कार्यकारी दल की मुख्य सिफारिशों पर पहले ही कार्यवाही आरंभ हो चुकी है जो इस प्रकार है :—

(1) कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसार तम्बाकू बोर्ड अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है।

(2) भारत तथा विदेश की अनुमानित माँग को देखते हुए तम्बाकू बोर्ड द्वारा वर्जीनिया तम्बाकू के उत्पादन का प्रभावशाली विनियमन किया जा रहा है।

(3) सितम्बर 1984 से शुरू होने वाले आगामी मौसम में कर्नाटक क्षेत्र में वर्जीनिया तम्बाकू की बिक्री के लिये नीलामी प्रणाली आरंभ करने का प्रस्ताव है। तम्बाकू बोर्ड स्थिरीकरण अभिकरण के रूप में कार्य करेगा और नीलामी से बचे हुए तम्बाकू के अनबिके स्टाक को न्यूनतम/आरक्षित कीमत पर खरीदेगा। ऐसे अनबिके स्टाक की खरीद के लिये तम्बाकू बोर्ड का एक व्यापारिक स्कंध स्थापित किया जा रहा है।

कर्नाटक के अनुभव को देखते हुए अन्य तम्बाकू उत्पाद क्षेत्रों में चरणों में नीलामी प्रणाली आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

ओपन जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत वस्तुओं का आयात

2925. **श्री डी० एम० पुत्ते गौड़ा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओपन जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों में किन विभिन्न वस्तुओं का आयात करने की अनुमति दी गई है ;

(ख) वर्ष 1984-85 के लिए उसकी सूची क्या है ; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वस्तु का आयात मूल्य कितना था ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) खुले सामान्य लाइसेंस तथा उनके आयात को संचालित करने वाली शर्तों के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के आयातकों द्वारा आयात करने के लिए अनुमति प्राप्त विभिन्न मदें आयात तथा निर्यात नीति (खंड-I), 1984-85 में दी गई है, जो संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात की गई मदों के संबंध में अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

मसाला बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव

2926. **श्री वी० एस० विजयराघवन :**

प्रो० पी० जे० कुरियन :

श्री स्कारिया थामस :

श्री मोतीभाई आर० चौधरी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक मसाला बोर्ड गठित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) मसालों के विपणन तथा निर्यात से संबंधित समस्याओं के सभी पहलुओं पर विचार करने, इस संबंध में व्यापक नीति तैयार करने और उसके कार्यान्वयन के लिए समुचित संस्थागत व्यवस्था की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मण्डलों में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के निदेशक

2927. **श्री टी० नागरत्नम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी क्षेत्र में बैंकों के निदेशक मण्डलों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के निदेशकों के बैंक-वार नाम और पूरे पते क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : जहां तक 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक और इसके अनुषंगी बैंकों का संबंध है, यह कहा जा सकता है कि यद्यपि इन्हें नियंत्रित करने वाली संविधियों में इन बैंकों के निदेशक बोर्डों में निदेशकों की नियुक्ति के मामले में अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के वास्ते आरक्षण का कोई उपबंध नहीं है, लेकिन व्यवहारिक रूप में सरकार द्वारा इनमें से प्रत्येक बैंक के बोर्ड में अनु० जातियों/अनु० जनजातियों से संबंधित कम से कम एक योग्यताप्राप्त व्यक्ति की नियुक्ति करने का प्रयास किया जाता है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध उन व्यक्तियों की सूची, जो कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों में निदेशक के तौर पर सेवारत हैं, संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निदेशक बोर्ड में अनु० जाति/अनु० जनजाति से सम्बद्ध निदेशकों के नाम और उनके पते

क्रम सं०	बैंक का नाम	पूरे पते सहित निदेशक का नाम	अनु०जाति/अनु०जनजाति में से किस से सम्बद्ध है
1	2	3	4
1.	बैंक आफ इंडिया	श्री जयदेव बाघेल, मूर्तिकार, कांस्य और पीतल धातु, भेलवापदर पाड़ा, पोस्ट कोडागांव-494226. जिला बस्तर (मध्य प्रदेश)	अनुसूचित जनजाति
2.	पंजाब नेशनल बैंक	डा० भानुप्रसाद वी० पांडया, निदेशक, इंडियन रिसर्च सोसायटी, 5, आनन्द धाम सोसायटी, न्यू वडाज, अहमदाबाद-380013. (गुजरात)	अनुसूचित जाति
3.	बैंक आफ बड़ौदा	श्री भाग सिंह, भूतपूर्व निदेशक, पंजाब मार्कफेड, गांव रामपुर कलां, छतबीर के नजदीक, जिला पटियाला (पंजाब)	अनुसूचित जाति
4.	केनरा बैंक,	डा० एन. डी. काम्बले, प्रोफेसर तथा प्रमुख, सामाजिक सेवा प्रबंधक एकक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्था, नगरभवी पोस्ट, बंगलौर—560072.	अनुसूचित जाति

1	2	3	4
5.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	श्री होरेन जौंसे आर. जीन जमथलौंग रोड, नवलई नोंगकवर, शिलोंग—793008. (मेघालय)	अनुसूचित जनजाति
6.		श्री कालीदास एम. परमार, 26, न्यू कॉटन नगर, चिकनीवाल्स एस्टेट के पीछे, गोमतीपुर, अहमदाबाद (गुजरात)	अनुसूचित जाति
7.	सिंडीकेट बैंक	डा० आई. जी. चवान, प्रमुख, पशु विज्ञान और डेयरी विज्ञान विभाग, महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ रहुरी, जिला अहमदनगर, (महाराष्ट्र)	अनुसूचित जाति
8.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	डा० के. डी. वासव, × रीडर, वाणिज्यिक स्नातकोत्तर विभाग, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी सी-7, यूनिवर्सिटी कालौनी, वल्लभ विद्यानगर—388120. (गुजरात)	अनुसूचित जनजाति
9.	इलाहाबाद बैंक	श्री दिनेश चन्द्र बर्मन, कृषक, गांव बड़ाबक पोस्ट जिरानपुर, जिला कूच बिहार (पं० बंगाल)	अनुसूचित जाति

× त्याग पत्र दे दिया है।

1	2	3	4
10.	इंडियन बैंक	श्री ए० पोन्नुदुराई, भूतपूर्व अध्यक्ष, कलरायण लैम्प सोसायटी, मणियारन कुंराम पोस्ट आफिस, करूमन्दुराई (वाया) चिन्नाकरल्याण हिल्स, अत्तर तालुक, जिला सलीम, (तमिलनाडु)	अनुसूचित जनजाति
11.	बैंक आफ महाराष्ट्र	श्री रमेश जीवन बंसोद, न्यू शुकरवाड़ी, दरवाड़ा चौक, नागपुर—2 (महाराष्ट्र)	अनुसूचित जाति
12.	इंडियन ओवरसीज बैंक	श्री राम चरण, आई. ए. एस. (सेवा निवृत्त) 1. जयपुर हाउस, आगरा—282002 (उत्तर प्रदेश)	अनुसूचित जाति
13.	आंध्र बैंक	श्री खुशी राम, डी—63, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली—110015.	अनुसूचित जाति
14.	कारपोरेशन बैंक	श्री टी. बाबू मास्टर, उर्वा, वोल्सपेटा, मंगलौर—575006. (कर्नाटक)	अनुसूचित जाति
15.	न्यू बैंक आफ इंडिया	श्री दौलत राम नेगी, गाँव तथा पोस्ट आफिस निछार, जिला किन्नोर, (हिमाचल प्रदेश)	अनुसूचित जनजाति
16.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, पंडरिया बंगलो,	अनुसूचित जनजाति

1	2	3	4
		नोर्मल स्कूल के नजदीक, पोस्ट आफिस बिलासपुर—495001 (मध्य प्रदेश)	
17.	पंजाब एंड सिंध बैंक	श्रीमती जमुना सोलंकी, भूतपूर्व अध्यक्ष, राजस्थान हैन्डलूम प्रोजैक्ट बोर्ड, 8/474, रामनगर, पोस्ट आफिस बस्तर (राजस्थान)	अनुसूचित जाति
18.	विजया बैंक	श्री के. पी. बस्तावर, एडवोकेट, 12 वीं लेन, बुलोक मार्किट के नजदीक इटारसी (मध्य प्रदेश)	अनुसूचित जाति
19.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	श्री बाथुला वेंकटेश्वर राव, मकान नं० 269/2 आर. टी. विजयनगर कालोनी, हैदराबाद—500047.	अनुसूचित जाति
20.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	श्री विजय सिंह, 19, बक्शी गली, इंदौर	अनुसूचित जाति
21.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	श्री एम. पी. केशवमूर्ति, 756, 8 क्रास रोड, विजयनगर, बंगलौर	अनुसूचित जाति
22.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	श्री जोगीन्दर सिंह, 217, सेक्टर 11—ए, चंडीगढ़—160011.	अनुसूचित जाति

1	2	3	4
23.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	श्री पूनमचन्द एम. लूबा, पोस्ट आफिस कोलससदा (गेरिटा), तालुका बीजापुर, जिला मेहसाना	अनुसूचित जाति
24.	स्टेट बैंक आफ ट्रावनकौर	श्री एम. कुन्जाप्पन, कक्कातुपरइल, इराथल, अलवई	अनुसूचित जाति
25.	भारतीय स्टेट बैंक (कलकत्ता स्थानीय बोर्ड)	प्रो० श्रीपदा दास, 22, कालेज स्ट्रीट, पोस्ट आफिस कृष्णानगर, जिला नादिया (पं. बंगाल)	अनुसूचित जाति
26.	भारतीय स्टेट बैंक (बम्बई स्थानीय बोर्ड)	श्री दासू रामास्वामी, 5. आशा कालोनी, जूहा रोड, बम्बई—400054.	अनुसूचित जाति
27.	भारतीय स्टेट बैंक (मद्रास स्थानीय बोर्ड)	श्री ई. गोविंदराज, 104, ईस्ट स्ट्रीट, तिरुकोइलुर एस. ए. जिला तमिलनाडु	अनुसूचित जाति
*28.	भारतीय स्टेट बैंक (लखनऊ स्थानीय बोर्ड)	श्री मोतीलाल कदम, आर. टी. ओ. कम्पाउंड के पीछे, प्रताप पुरा, आगरा	अनुसूचित जाति

औरंगाबाद स्थित कारखाने से रबड़ से बने गर्भ-निरोधकों की खरीद

2928. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या **पूर्ति मंत्री**, औरंगाबाद स्थित कारखाने से रबड़ से बने गर्भ निरोधकों की खरीद के बारे में, 7 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1804 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त-कम्पनी ने पूर्ति विभाग को नमूनों के संबंध में जांच रिपोर्ट अब भेज दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके विलंब होने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) रिपोर्ट के अनुसार, कम्पनी द्वारा भेजे गए नमूने, ड्रग्स एंड कांसमेटिक्स अधिनियम, 1940 में की गई परिभाषाओं और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, मानक प्रकार के हैं।

कपास के उत्पादन पर कृमि संक्रामक रोग और प्रतिकूल जलवायु स्थितियों का प्रभाव

2929. **श्री एन० डेनिस**: : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की कपड़ा मिलों को इस बात की आशंका है कि कपास का अकाल पड़ने वाला है क्योंकि उत्तरी क्षेत्र में कपास की फसल को एक अज्ञात किस्म के कृमि का संक्रामक रोग लग गया है ;

(ख) क्या उत्तरी क्षेत्र में कृमि संक्रामक रोग तथा मध्य तथा पश्चिमी भारत में विपरीत जलवायु स्थितियों से इस बात के सन्देह बढ़े हैं कि क्या कपास परामर्शदात्री बोर्ड का 77 लाख गांठों का आंकलन प्राप्त किया जा सकेगा ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का क्यौरा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) : वर्तमान कपास मौसम के दौरान कृमियों की वजह से तथा मौसम परिस्थितियों के खराब होने की वजह से कपास की फसल दुष्प्रभावित हुई है, जिसके परिणामस्वरूप कपास का, विशेष रूप से लघु तथा मध्यम रेशों वाली किस्म की कपास का कम उत्पादन हुआ। 14 मई, 1984 को कपास सलाहकार बोर्ड द्वारा निर्धारित कपास उत्पादन अब 77 लाख गांठों का आंका गया है जिसका अनुमान पहले 85 लाख गांठों का लगाया गया था। तथापि, 1983-84 कपास मौसम के लिये कपास उत्पादन के अन्तिम अनुमान अभी तक रिलीज नहीं किए गये हैं।

(ग) कपास की उपलब्ध सप्लाई पर दबाव को कम करने के लिए तथा विस्कोस स्टैपल

फाइबर के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने हाल ही में, विस्कोस स्टैपल फाइबर पर आयात शुल्क कम कर दिया है जो मूल्यानुसार 45% से 30% है।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उपयोग के लिये हिन्दुस्तान कान्टेसा कार की खरीद पर प्रतिबन्ध

2930. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने नियंत्रण में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा स्टाफ कार के रूप में उपयोग करने के लिये हिन्दुस्तान कान्टेसा कार की खरीद पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ;

(ख) क्या सरकार ने अपने नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को भी उनकी गैर वातानुकूलित कारों में बदलने से मना कर दिया है, और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अपनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने सरकारी उद्यमों को सलाह दी है कि वे योजनागत तथा योजनेतर व्यय में किफायत बरतें। इन नीति-निर्देशों के अनुरूप उद्यमों को यह सलाह भी दी है कि वे हिन्दुस्तान कौन्टेसा कारें नहीं खरीदें या मौजूदा गैर-वातानुकूलित कारों का वातानुकूलन न किया जाय।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ/उनको हुआ नुकसान

2931. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (तेल कम्पनियों को छोड़कर) ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में कितना शुद्ध लाभ कमाया/उन्हें कितना नुकसान हुआ ; और

(ख) इन उद्यमों में अब तक कुल कितना पूंजीनिवेश किया जा चुका है और उन्हें आशानुरूप कुशल बनाने के लिये उनमें अनुमानतः और कितना पूंजी निवेश किया जाना चाहिये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) वर्ष 1982-83 और 1981-82 के दौरान सरकारी उद्यमों के (तेल कम्पनियों के लाभ/हानि के आंकड़े अलग से दिए गए हैं) लाभ/हानि के क्षेत्रवार आंकड़े लोक उद्यम सर्वेक्षण 1982-83 (खंड 1) के पृष्ठ संख्या 33 पर विवरणी संख्या 2.21 में उपलब्ध हैं, जिसे संसद के सभा-पटल पर 28.2.84 को रखा गया था। वर्ष 1980-81 के दौरान इसी प्रकार की जानकारी लोक उद्यम सर्वेक्षण खंड 1 के पृष्ठ संख्या 32 पर सारणी संख्या 2.23 में भी उपलब्ध है, जिसे संसद के सभा-पटल पर 25.2.83 को रखा गया था। इन तीन वर्ष के दौरान अलग-अलग उद्यमों के लाभ और हानि की स्थिति लोक उद्यम सर्वेक्षण 1982-83 के खंड 3 में भी उपलब्ध है। 1993-84 के दौरान लेखा परीक्षित आंकड़ों को सम्बद्ध उद्यमों द्वारा अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) 31.3.83 को इन उद्यमों में पूंजी निवेश का क्षेत्रवार विवरण लोक उद्यम सर्वेक्षण 1982-83 के खंड 1 में पृष्ठ 187 पर पैरा संख्या 4 में दिया गया है। चूंकि, सरकारी उद्यमों का कार्य-निष्पादन केवल पूंजी-निवेश पर नहीं बल्कि, अनेक बातों पर निर्भर करता है, अत: इन उद्यमों के कार्य-निष्पादन को अभीष्टत: सुचारु बनाने के लिए अपेक्षित पूंजी निवेश का आवश्यक अनुमान लगाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जब कभी और अधिक पूंजी लगाना आवश्यक होता है तो प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर सरकार द्वारा विचार किया जाता है।

थोड़ी दूरी की उड़ान आदि हेतु ईंधन की कम खपत वाले विमानों के लिए बिल्लिमोरिया समिति की सिफारिशें

2932. **श्री के० प्रधानी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 26 जनवरी 1981 से जब वायुदूत सेवा शुरू हुई थी, इसे अब तक कितना नुकसान हुआ है ;

(ख) इसे लगातार नुकसान होने के क्या कारण हैं ;

(ग) वायुदूत के संबंध में थोड़ी देर की उड़ान हेतु ईंधन की कम खपत वाले उपयुक्त विमानों की आवश्यकता, पुन: मार्ग-निर्धारण तथा विमान चालकों, ग्राउण्ड स्टाफ के पृथक संवर्ग बनाने आदि के बारे में बिल्लिमोरिया समिति ने क्या सिफारिशें की थीं तथा उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या भुवनेश्वर को पर्यटन स्थलों से जोड़ने के लिए इस वर्ष के दौरान वायुदूत की, उड़ीसा में कोई सेवा शुरू करने/चलाने की योजना है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जून 1984 तक वायुदूत को 161.35 लाख रुपए की संचयी हानि हुई है।

(ख) हानि के लिए मुख्य कारण निम्नलिखित थे :—

(1) अधिकतर मार्गों पर यातायात उपलब्ध क्षमता के अनुरूप नहीं रहा है ;

(2) कई क्षेत्रकों पर किराया कम रखा गया था ;

(3) ईंधन की उच्च लागत ; और

(4) यातायात को बढ़ाने में आरंभिक विकास अवधि।

(ग) इस उद्देश्य के लिए बनाई गई एक अलग उच्चाधिकार समिति की सिफारिश पर सरकार ने वायुदूत के विमान बेड़े में सम्मिलित करने के लिए डोर्नियर विमान खरीदने का निर्णय किया है। तथापि विमानसंचालकों और स्थल कर्मचारियों, आदि के लिए अलग संवर्ग बनाए जाने के सम्बन्ध में अभी तक अन्तिम रूप से कोई विचार नहीं किया गया है।

(घ) जी नहीं।

एयर इन्डिया, इन्डियन एयरलाइन्स और वायुदूत के हितों को देखने के लिए होल्डिंग कम्पनी बनाने का प्रस्ताव

2933. **श्री के० प्रधानी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के पास ऐसी होल्डिंग कम्पनी बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है जो तीनों एयरलाइनों अर्थात एयर इण्डिया, इन्डियन एयरलाइन्स और वायुदूत के हितों की देखभाल करेगी और ये एयरलाइनें उक्त कम्पनी की सहायक कंपनियां बन जाएगी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य रूपरेखा क्या है और इस होल्डिंग कम्पनी का मुख्यालय कहां होगा ; और

(ग) क्या बेहतर प्रबंध और कार्य क्षमता सुनिश्चित करने के लिए इन तीनों सहायक एयरलाइनों के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य तकनीकी कर्मचारी परस्पर एक दूसरी एयरलाइन में भी आ-जा सकेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं है ।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों में समानता

2934. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के सभी होटलों के सभी कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों में समानता है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सभी होटलों में समान दर पर बोनस देने के लिए कार्यवाही की गयी है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम की होटल एवं केटरिंग स्थापनाओं के कर्मचारियों को होटलों के आकार तथा वर्गीकरण के अनुरूप वेतन दिए जाते हैं। कुल मिलाकर इन कर्मचारियों की सेवा शर्तें एक-समान हैं ।

(ग) और (घ) लाभप्रदता और आबंटन-योग्य अधिशेष (एलोकेबल सरप्लस) पर निर्भर करते हुए बोनस संदाय अधिनियम के अधीन बोनस विभिन्न यूनिटों में विभिन्न दरों पर विनियमित किया जाता है ।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों से ऋण प्राप्त करने में विभिन्न ब्याज दर योजना के अन्तर्गत लाभान्वित व्यक्ति

2935. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो 1980 और उसके बाद के प्रत्येक वर्ष में, कम आय वाले व्यक्तियों के लिए ब्याज की रियायती दरों पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों से ऋण प्राप्त कर ब्याज की विभिन्न दर योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए हैं ;

(ख) क्या इस बारे में सरकारी और अर्द्ध सरकारी संस्थानों द्वारा किए गए किसी अध्ययन से, उक्त लाभ प्राप्तकर्ताओं में से अधिकांश लोग अपात्र पाए गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो 1980 और उसके बाद के वर्षों में ऐसे व्यक्तियों का क्या अनुपात था ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें दिसम्बर, 1980, 1981 और 1982 के अंत में विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत ऋण खातों की संख्या का ब्यौरा दिया गया है ।

(ख) जी, नहीं । राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान (नेशनल इंस्टिट्यूट आफ बैंक मैनेजमेंट) द्वारा देश भर में किए गए नमूना सर्वेक्षण के अनुसार विभेदी ब्याज दर योजना से प्रायः उन्हीं वर्गों ने लाभ उठाया है जिनके वास्ते यह योजना बनाई गई है और अधिकांश लाभार्थियों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति में निश्चय ही ठोस परिवर्तन हुए हैं जिनका उनकी बढ़ी हुई आय और उनकी परिसम्पत्तियों के मूल्य से पता चलता है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत राज्यों और क्षेत्रों द्वारा कुल ऋण खातों की संख्या

राज्य-क्षेत्र	दिसम्बर के अन्त तक खातों की संख्या		
	1980	1981	1982
हरियाणा	63153	77554	84550
हिमाचल प्रदेश	42041	54911	69182
जम्मू तथा कश्मीर	31585	26935	26500
पंजाब	100148	134393	137826
राजस्थान	64680	71889	82867
चंडीगढ़	6203	6380	4176
दिल्ली	7132	10944	10838

उत्तरी क्षेत्र	315842	383006	415939
असम	30919	34178	41640
मनीपुर	2116	1940	1727
मेघालय	4028	3893	5440
नागालैंड	1119	1072	1544
सिक्किम	89	109	782
त्रिपुरा	6648	6829	7911
अरूणाचल प्रदेश	426	530	1043
मिजोरम	572	515	767
पूर्वोत्तर क्षेत्र	45917	49066	60854
बिहार	241133	269991	328501
उड़ीसा	118963	139838	174760
पं० बंगाल	124490	176476	228698
अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह	461	514	476
पूर्वी क्षेत्र	485052	586819	732435
मध्य प्रदेश	153345	177478	216202
उत्तर प्रदेश	290719	305902	330905
मध्य क्षेत्र	444064	483380	547107
आंध्र प्रदेश	193467	240178	270148
कर्नाटक	206805	223593	255724
केरल	185397	202462	213471
तमिलनाडु	202827	239096	251921
लक्ष्य द्वीप समूह	170	284	256
पांडीचेरी	9507	7665	10797
दक्षिणी क्षेत्र	798174	913228	1002317
गुजरात	205756	261656	316496
महाराष्ट्र	200464	231731	252391
दादर एंड नगर हवेली	252	330	377
ग्रोवा, दमन एंड द्वीप	14750	16062	16428
पश्चिमी क्षेत्र	421222	509779	585692
अखिल भारत	2.10271	2926278	3344344

आंकड़े अनन्तिम

कृषि उत्पादों का निर्यात

2936. **श्री अमरसिंह राठवा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु वर्ष 1984-85 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ; और

(ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हेतु सरकार का क्या कार्यक्रम है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) कृषि सम्बन्धी निर्यातों के लिए 1984-85 के लिए 2873 करोड़ रु० का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

(ख) तथा (ग) अनेक योजनाओं द्वारा कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के निर्यात योग्य अधिशेष में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके एक नई नीति विकसित की जा रही है । इन उत्पादों के निर्यात पर चुनिन्दा आधार पर दिये जाने वाले प्रोत्साहन जारी हैं । मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने और प्रतिनिधिमण्डलों/अध्ययन दलों को प्रायोजित करके नये बाजारों/उत्पादों का पता लगाया जा रहा है । निर्यात निष्पादन तथा साथ ही लक्ष्यों पर सतत मानिटरिंग की जा रही है और, जहां कहीं आवश्यक होता है, उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं ।

जीवन बीमा निगम के दिल्ली स्थित कार्यालयों में व्यपगत हुई बीमा पालिसियां

2937. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सबसे अन्तिम वर्षों के उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जीवन बीमा निगम की दिल्ली स्थित प्रत्येक शाखा में ऐसी कितनी जीवन बीमा पालिसियां पड़ी हैं जो व्यपगत हो गई हैं तथा इस प्रकार की पालिसियों के लिए प्रत्येक शाखा द्वारा कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया जाना है ;

(ख) दिल्ली स्थित जीवन बीमा निगम की 'उस शाखा में', जहां व्यपगत हो जाने वाली सबसे अधिक पालिसियां पड़ी हैं उन पालिसियों के एवज में सबसे अधिक धनराशि का भुगतान किया जाना है, ऐसे पहले 109 ग्राहकों के नाम और पते क्या हैं जिन्हें व्यपगत हो जाने वाली बीमा पालिसियों पर धनराशि का भुगतान किया जाना है और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को आज की तारीख तक कितनी धनराशि का भुगतान किया जाना है तथा जीवन बीमा कराने वालों और उनके नामांकितों के नाम और पते क्या हैं ; और

(ग) उपरोक्त (ख) भाग में उल्लिखित उस प्रत्येक व्यपगत पालिसी के बारे में धनराशि की अदायगी कब से देय हो गई है तथा जीवन बीमा निगम द्वारा अदा की जाने वाली धनराशि

प्राप्त करने के लिए बीमाशुदा व्यक्ति अथवा उसके नामांकितों को क्या कार्रवाई करनी चाहिए ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) जब किसी जीवन बीमा पालिसी के अन्तर्गत देय प्रीमियम का भुगतान विनिर्दिष्ट रियायती दिनों के अन्दर-अन्दर नहीं किया जाता तो वह पालिसी व्यपगत (लेप्स) हो जाती हैं। किन्तु, बीमा अधिनियम, 1933 की धारा 113 में यह व्यवस्था है कि यदि किसी पालिसी के अन्तर्गत सभी प्रीमियमों की कम से कम लगातार 3 वर्ष तक अदायगी की जाती है तो ऐसी पालिसी को गारण्टी शुदा समर्पण मूल्य प्राप्त हो जाएगा। इस धारा में आगे यह व्यवस्था भी की गई है कि ऐसी पालिसी आगे प्रीमियम अदा न किए जाने की वजह से व्यपगत नहीं होगी लेकिन उसे बीमे की चुकता घोषित राशि तक जीवित रखा जाएगा।

संभवत: सूचना दिल्ली डिवीजन की उनकी जीवन बीमा पालिसियों के अन्तर्गत परिपक्वता दावों के सम्बन्ध में मांगी गई है जो आगे के प्रीमियम अदा न किए जाने की वजह से चुकता पालिसियों के रूप में घोषित कर दी गई हैं। 30 मार्च, 1983 की स्थिति के अनुसार दिल्ली जीवन बीमा निगम डिवीजनल कार्यालय में ऐसे निलम्बित दावों की संख्या 1,792 थी, जिनका मूल्य 48 लाख रुपए है। दावों के सम्बन्ध में और सूचना उपलब्ध नहीं है, तथा प्रश्न में मांगी गई सूचना को निजी पालिसियों के रिकार्ड से खोज निकालने और इस सूचना को एकत्र करने में जो समय और श्रम लगेगा वह उससे प्राप्त होने वाले फल के अनुरूप में नहीं होगा।

अनिर्णीत दावे मोटे-तौर-पर दो वर्गों में विभाजित किए जाते हैं, अर्थात् वे दावे जो प्रचलन कार्यालयों में आगे की कार्रवाई के लिए पड़े हों तथा ऐसे दावे जो दावाकारों से वांछित सूचना के अभाव में अनिर्णित पड़े हों। दूसरे वर्ग में दावों के अनिर्णीत रहने का मुख्य कारण पालिसी से संबंधित कागजात और उन्मोचन फार्मों (डिस्चार्ज फार्म) को प्रस्तुत न किया जाना है।

पहले वर्ग के अन्तर्गत आने वाले दावों के मामले में उनके शीघ्र निपटारे के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है। जहां तक दूसरे वर्ग के अन्तर्गत आने वाले दावों का सम्बन्ध है, दावों के निपटान के लिए आवश्यक विभिन्न दस्तावेज तथा विवरण मुख्यत: स्वयं दावेदारों द्वारा ही प्रस्तुत किए जाने होते हैं। अपेक्षित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यदि वे जरूरी समझें तो जीवन बीमा निगम के विभिन्न कार्यालयों की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

आयात किए गए खाद्य तेलों का मूल्य और मात्रा

2939. **श्री नवीन रावणी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 के दौरान आयात किए गए खाद्य तेलों का मूल्य और मात्रा तथा किन देशों से आयात किया गया ;

(ख) राज्य व्यापार निगम और गैर-सरकारी व्यापारियों के माध्यम से कितनी-कितनी मात्रा का आयात किया गया है ;

(ग) खाद्य तेलों के आयात करने वाले गैर-सरकारी व्यापारियों का विवरण क्या है ; और

(घ) वे आयातित तेल का क्या उपयोग कर रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) ऐसी सूचना मिली है कि सरणीकरण अभिकरण के रूप में राज्य व्यापार निगम ने वर्ष 1983-84 के दौरान 855.00 करोड़ रु० (अनन्तिम) के मूल्य का 14.09 लाख/मैं० टन (अनन्तिम) खाद्य तेल का आयात किया है। खाद्य तेल का आयात सामान्य रूप से अमेरिका, ब्राजिल, यूरोप, कनाडा, मलेशिया तथा इण्डोनेशिया से किया जाता है। आयातों के सरकारी तथा गैर सरकारी तौर पर इसके प्रयोग के आंकड़े नहीं रखे जाते।

पश्चिमी बंगाल में रुग्ण एककों की सहायता के लिए नियत की गई धनराशि को होटलों के निर्माण में लगाना

2940. **श्री अजित बाग** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय आई० आर० सी० आई० के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन पश्चिम बंगाल के औद्योगिक संस्थानों का क्या ब्यौरा है ;

(ख) क्या यह आरोप लगाया है कि कुछ मामलों में रुग्ण एककों की सहायता के लिए नियत की गई धनराशि को आई० आर० सी० आई० ने चार-सितारा अथवा पांच सितारा होटलों के निर्माण में लगा दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अधीन पश्चिम बंगाल में स्थित मैसर्स बंगाल पाटरीज लि०; इंडिया मशीनरी कम्पनी लि० और श्री दुर्गा कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लि० के प्रबन्ध को देखने के लिए भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम (आई० आर० सी० आई०) को प्राधिकृत किया गया है।

(ख) और (ग) आई० आर० सी० आई० ने सूचित किया है कि रुग्ण एककों की सहायता के लिए निश्चित की गई किसी राशि का उपयोग चार-सितारा या पांच-सितारा होटलों के निर्माण के लिए नहीं किया गया है।

पश्चिम बंगाल से वसूल किए गए करों में उस राज्य का हिस्सा

2941. **श्री अजित बाग** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977-78 से 1983-84 की अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल से कर राजस्व-आय कर केन्द्रीय उत्पादक शुल्क, दानकर, धनकर, निगम कर और सम्पदा शुल्क के रूप में कुल कितनी राशि वसूल की गई, और

(ख) इस अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल की इन करों में उसके हिस्से के रूप में कुल कितनी राशि दी गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण I तथा II में दी गई है।

विवरण-1

वित्तीय वर्ष 1977-78 से 1983-84 के दौरान पश्चिम बंगाल से आयकर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, दानकर, धनकर, निगम कर तथा सम्पदा शुल्क आदि के रूप में सरकार द्वारा वसूल की गई राशि का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण पत्र

(करोड़ रुपयों में)

वित्तीय वर्ष	आयकर	के०उ०शु० (सकल)	अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व का माल अधिनियम 1978)	अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (वस्त्र तथा वस्त्र निर्मितियां अधिनियम 1978)	दानकर	धनकर	निगम कर	सम्पदा शुल्क
1977-78	90.64	442.72	13.94	—	0.57	4.83	254.62	1.14
1978-79	98.47	515.00	15.22	0.64	0.55	5.33	243.52	1.01
1979-80	99.64	591.12	15.70	1.64	0.52	5.55	270.00	1.04
1980-81	103.35	624.05	17.88	1.67	0.61	6.52	289.46	1.20
1981-82	106.94	693.42	19.04	2.25	0.75	7.42	439.23	1.36
1982-83	106.48	722.93	20.81	2.27	0.71	7.96	471.72	1.34
1983-84	121.80 (अनन्तिम)	770.67	26.95	2.18	0.67	8.12	371.20 (अनन्तिम)	2.02

विवरण-2

वर्ष 1977-78 से 1983-84 के दौरान पश्चिम बंगाल को प्रदत्त आयकर संघीय उत्पाद शुल्क, सम्पदा शुल्क तथा कृषि सम्पत्ति पर धनकर के कारण सहायता अनुदान का हिस्सा दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

वर्ष	आयकर	मूल उत्पादन शुल्क	बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क	सम्पदा शुल्क	कृषि सम्पत्ति पर धनकर के कारण सहायता अनुदान
1977-78 (संशोधित अनुमान)	60,05	63,23	25,05	76	(—) 11
1978-79 (संशोधित अनुमान)	62,81	73,00	25,10	81	1
1979-80 (संशोधित अनुमान)	69,35	175,66	31,29	1,28	—
1980-81 (संशोधित अनुमान)	80,07	192,50	34,44	2,84	—
1981-82 (संशोधित अनुमान)	81,07	223,47	42,29	1,20	27
1982-83 (संशोधित अनुमान)	91,10	243,16	43,73	1,26	33
1983-84 (संशोधित अनुमान)	93,94	275,90	58,35	5,73	34

स्वदेशी पर्यटकों के लिए "पर्यटक प्रचार साहित्य" का प्रकाशन

2942. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष में "पर्यटक प्रचार साहित्य" के प्रकाशन के लिए 100 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन भाषाओं के नाम क्या है जिनमें प्रचार साहित्य प्रकाशित होगा ;

(ग) क्या सरकार ने प्रचार साहित्य के संबंध में अब तक स्वदेशी पर्यटकों की अवहेलना की है क्योंकि स्वदेशी पर्यटकों के लिए बहुत कम साहित्य उपलब्ध है और वह भी बंगला, असमिया, तमिल, तेलुगू, मलयालम, मराठी, गुजराती, आदि जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित नहीं होता है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) साहित्य अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, इटेलियन, पुर्तगाली, रूसी, जापानी,अरबी तथा सिंहली में प्रकाशित किया जाता है।

विभाग स्वदेशी पर्यटकों के लिए हिन्दी में सामग्री प्रकाशित करता है।

(ग) और (घ) जी नहीं। अब तक निम्नलिखित सामग्री हिन्दी में प्रकाशित की जा चुकी है :

हिन्दी

1. हमारा भारत
2. पूर्व भारत
3. दक्षिण भारत
4. उत्तर भारत
5. पश्चिम भारत
6. यात्रा परिपथ

द्विभाषिक—हिन्दी/अंग्रेजी

1. भारत डायरी
2. बधाई पत्र
3. पर्यटक आँकड़े
4. पर्यटक आगमन : विशिष्टताएं

निम्नलिखित मदों को हिन्दी में प्रकाशित किया जा रहा है :—

1. बद्रीनाथ-पुरी-द्वारिका-रामेश्वरम् को शामिल करते हुए चार-धाम फोल्डर

2. भारत के प्रमुख तीर्थ स्थान

3. वर्धा-पौनार

विभाग क्षेत्रीय भाषाओं में कोई साहित्य प्रकाशित नहीं करता । राज्य सरकारें तथा राज्य पर्यटन विकास निगम क्षेत्रीय भाषाओं में ऐसे साहित्य का प्रकाशन करती हैं।

बर्मा के साथ व्यापार सम्बन्ध

2943. **श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बर्मा के साथ व्यापार संबंध बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो बर्मा के साथ किए गए आयात और निर्यात सौदे का ब्यौरा क्या है जिनको अन्तिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ग) बर्मा के साथ वर्ष 1984-85 में होने वाले सरकार के व्यापार कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) जी हां । वाणिज्य सचिव के नेतृत्व मे एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल अप्रैल 1984 में रंगून गया था । व्यापार वार्ताओं के दौरान द्विपक्षीय व्यापार हित की मदों तथा आर्थिक सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाया गया । वर्ष 1983-84 के दौरान बर्मा से 3.50 लाख मे० टन चावल आयात करने के लिए संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए ।

(ग) बर्मा के साथ कोई वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार कार्यक्रम नहीं है ।

अफ्रीका को दिया गया वाणिज्यिक ऋण

2944. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ्रीका, भारत से वाणिज्यिक ऋण लेता रहा है ;

(ख) यदि हां, तो अफ्रीका को वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में कुल कितनी धनराशि के वाणिज्यिक ऋण दिए गए हैं ; और

(ग) तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां । भारतीय निर्यात आयात बैंक, अफ्रीकी देशों सहित विभिन्न देशों को वाणिज्यिक ऋण प्रदान करता है । ऐसे ऋण, बहुत सी समुद्रपारीय सरकारी

निर्यात ऋण एजेंसियों द्वारा वसूल की जाने वाली दरों की तुलना में कम दरों पर दिए जाते हैं। ये ऋण 9 प्रतिशत से 9.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की प्रतियोगितात्मक दर पर 5 से 12 वर्ष की अवधि तक के लिए परियोजनाओं के निर्यात पूंजीगत वस्तुओं, उपस्कर तथा संबंधित सेवाओं के निर्यात के लिए प्रदान किए जाते हैं।

(ख) तथा (ग) निर्यात-आयात बैंक ने अफ्रीकी देशों को, पूंजीगत वस्तुओं और उपस्कर के निर्यात के संबंध में, निम्नलिखित ऋण प्रदान किए हैं :—

वर्ष	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपए)
1982	66.40
1983	43.28
1984 (पहली छमाही)	16.33

अफ्रीकी देशों को प्रदान किए गए ऋणों का स्कीमवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

स्कीम	वर्षवार स्वीकृत राशि (करोड़ रुपए)		
	1982	1983	1984 (जनवरी-जून)
1. विदेशी आयातकों को क्रेता ऋण	—	8.85	—
2. आस्थगित ऋण के आधार पर भारतीय निर्यातकों को प्रत्यक्ष वित्तपोषण के लिए व्यवस्था	33.25	20.94	2.87
3. भारतीय वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित ऋण	0.65	12.37	2.28
4. अफ्रीकी सरकारों/उनकी नामित एजेंसियों को ऋण की श्रृंखलाएं	32.50	2.00	12.28
5. समुद्रपारीय निवेश वित्त	—	0.12	—
योग :—	66.40	43.28	16.33

इसके अलावा, अफ्रीकी देशों को भारतीय वस्तुओं की निर्यात के कुछ उपर्युक्त मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्यात राशि की वसूली के लिए 180 दिनों की सामान्य अवधि की बजाए 365 दिन तक की बढ़ी हुई अवधि अपनाने की अनुमति प्रदान कर दी है ।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र खोलने हेतु अभ्यावेदन

2945. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र खोलने हेतु कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का अभ्यावेदन कब मिला और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के केन्द्र शासित क्षेत्र में एक रिसर्च स्टेशन की स्थापना के लिए नवम्बर, 1982 में सुझाव मिला था । तदनुसार, केन्द्रीय रेशम बोर्ड से इस द्वीप समूह में रेशम उत्पादन आरंभ करने की संभाव्यता के बारे में अध्ययन करने के लिए कहा गया था । बोर्ड इस उद्देश्य के लिए इस द्वीप समूह को एक अधिकारी प्रतिनियुक्त करने के लिए राजी हो गया है और उन्होंने प्राधिकारियों से इस अध्ययन को सुकर बनाने के लिए कतिपय मूल आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया है । बोर्ड को इस मामले में अनुसरण करने के लिए निदेश दिया गया है । इन आंकड़ों के मिल जाने पर बोर्ड अध्ययन करेगा और तब उस द्वीपसमूह में रिसर्च स्टेशन की स्थापना संबंधी प्रश्न पर विचार किया जाएगा ।

बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में पर्यटन स्थलों का विकास

2946. **श्री ए० के० राय** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में विकसित किए गए पर्यटन-स्थलों का ब्यौरा क्या है, तथ्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में उपरोक्त क्षेत्र में पर्यटन के विकास का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या छोटा नागपुर जहां पर पहाड़, जंगल और सिंचाई परियोजनाएं हैं, में पर्यटकों को आकर्षित करने के साधन हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कायवाही की गयी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) राज्य सरकार के परामर्श से बिहार के लिए निर्धारित किए गए 3 यात्रा परिपथों में से एक में छोटा नागपुर क्षेत्र के हजारीबाग, बेतला, नेतरहाट, रांची और तिलैया बांध को शामिल किया गया है ।

(ख), (ग) और (घ) छोटा नागपुर की पर्यटन संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए विभाग ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित परियोजनाएं प्रारंभ की हैं :—

(1) तिलैया बांध में 6.12 लाख रु० की लागत पर नौकाओं की व्यवस्था ।

(2) बेतला में 1.35 लाख रु० की लागत पर प्रशिक्षित हाथियों की व्यवस्था ।

(3) हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान में 2.40 लाख रु० की लागत पर मिनी बस की व्यवस्था ।

(4) बेतला में 46.76 लाख रु० की अनुमानित लागत पर एक वन-गृह का निर्माण ।

(5) रांची में 141.00 लाख रु० की अनुमानित लागत पर भारत पर्यटन विकास निगम और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संयुक्त उद्यम होटल ।

समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना

2947. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत के समुद्री उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ;

(ख) क्या झींगा मछली के मूल उत्पादकों को उनके मंत्रालय से किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है ;

(ग) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग की जो हमारे समुद्री उत्पाद निर्यात का आधार है जरूरतों की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) किए गये उपायों में शामिल हैं : झींगा मछली पालन सम्बन्धी कार्यक्रम, गहरे समुद्र में मछली पकड़ना, संसाधन सुविधाओं का आधुनिकीकरण, क्वालिटी में सुधार और बाजार संवर्धन ।

(ख) मछुआरों के लाभ के लिए स्वीकृत योजनाओं में शामिल है : इंसुलेटेड फिश बाक्सों की सप्लाई, आउटबोर्ड मोटरों के लिए आर्थिक सहायता मछली उतारने के लिए प्लेटफार्मों की स्थापना । ये राज्य सरकारों और कृषि मंत्रालय की योजनाएं हैं ।

(ग) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग को विकसित करने के लिए प्रयासों में शामिल हैं : जलयानों को प्राप्त करने को सुकर बनाने सम्बन्धी योजनाओं द्वारा विदेशी मछली पकड़ने के जलयानों के चार्टर को अनुमति, प्रशिक्षण सुविधाएं, गहरे समुद्री स्रोतों का सर्वेक्षण, विदेशी सहयोग से संयुक्त उद्यम और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए 100% निर्यात अभिमुख योजनाएं ।

(घ) प्रश्न का यह भाग स्पष्ट नहीं है ।

एम० एफ० ए०, जी० ए० टी० टी० आदि के सरकारी प्रतिनिधिमंडल में सम्मिलित होने के लिए अपने कार्यकारी के सदस्य पर परिधान निर्यात संवर्द्धन परिषद द्वारा खर्च की गई धनराशि

2948. **श्री एम० राजशेखर मूर्ति** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिधान निर्यात संवर्द्धन परिषद के कार्यकारी समिति का कोई सदस्य एम. एफ. ए., जी. ए. टी. टी. आदि के लिए सरकारी प्रतिनिधिमण्डलों के साथ जाता है अथवा सम्मिलित होता है ; और

(ख) यदि हां, तो उस सदस्य का नाम क्या है और प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल में भाग लेने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष परिधान निर्यात संवर्द्धन परिषद ने कितनी धनराशि खर्च की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष 1981 में जेनेवा में एम. एफ. ए. वार्ताओं के लिये सरकारी प्रतिनिधिमंडल के साथ गए थे । परिषद् की कार्यकारी समिति का कोई अन्य सदस्य एम. एफ. ए. वार्ताओं के लिए गाट जाने वाले सरकारी प्रतिनिधिमंडल के साथ नहीं गया ।

(ख) अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद् ने 1981 में परिषद् के तत्कालीन अध्यक्ष श्री मोहन जीत सिंह को भेजने पर 34, 184.39 रु० खर्च किए ।

तम्बाकू निर्यातकों को नये लाइसेंस

2949. **श्री चतुर्भुज** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू निर्यातकों को नए लाइसेंस नहीं दिये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तम्बाकू निर्यातकों के कितने आवेदन पत्र उनके मंत्रालय के विचाराधीन पड़े हैं ;

(ग) क्या भारतीय तम्बाकू कम्पनियां, जो स्वयं तम्बाकू खरीदती हैं ; नए लाइसेंस जारी किये जाने में बाधा खड़ी करती हैं ताकि भारत में ही तम्बाकू की खपत हो और उसके मूल्य बढ़ने न पायें ; और

(घ) यदि हां, तो गत चार वर्षों के दौरान तम्बाकू कम्पनियों के अतिरिक्त व्यक्तिगत तौर पर तम्बाकू का निर्यात करने वाले लोगों के नाम क्या हैं और तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) तम्बाकू का निर्यात खुले सामान्य लाइसेन्स के आधार पर होता है । तथापि, निर्यातकों को अपने आपको तम्बाकू बोर्ड के पास पंजीकृत करना अपेक्षित है । तम्बाकू बोर्ड ने 1983-84 के लिए पंजीकरण की मंजूरी केवल ऐसी कम्पनियों को, जिसमें विशिष्ट निर्यातक भी शामिल हैं, देने

का निर्णय किया है जो कि नियमों की सभी शर्तों को पूरा करते हैं तथा उपजकर्ताओं को भुगतान करने में चूके नहीं है। तम्बाकू बोर्ड द्वारा इस वर्ष के दौरान निर्यातकों के रूप में पंजीकरण के लिए प्राप्त 251 आवेदनों में से 203 आवेदकों का पंजीकरण हो गया है।

(ग) ऐसा कोई उदाहरण नहीं बताया गया।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मुद्रा प्रसार में मुद्रा के अनुपात में वृद्धि

2950. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुद्रा प्रसार में मुद्रा का अनुपात 1982-83 में 58.4% से बढ़कर 1983-84 में 59.7% तक हो गया है जैसा कि 19-26 मई, 1984 के इकानामिक एंड पोलीटिकल वीकली में प्रकाशित एक लेख में विश्लेषण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और 1984-85 में स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हाँ।

(ख) मुद्रा (करेन्सी) और मुद्रा विस्तार (एम०) का पारस्परिक अनुपात प्रतिवर्ष बदलता रहता है, जिससे वित्तीय परिसम्पत्तियों को मुद्रा के रूप में रखने की जनता की पसंद प्रकट होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि 1983-84 में, इस अनुपात में थोड़ी-सी वृद्धि अधिक कृषि उत्पादन के परिणाम स्वरूप, ग्रामीण आय में वृद्धि होने के कारण हुई है। वित्तीय वर्ष 1984-85 की पहली छमाही में नकदी (लिक्वीडिटी) का विनियमन करने के विचार से भारतीय रिजर्व बैंक ने सांविधिक नकदी अनुपात को 28 जुलाई, 1984 से 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 35.5 प्रतिशत और 1 सितम्बर, 1984 से 36 प्रतिशत कर दिया है।

चाय उद्योग में कम ऊर्जा के उपयोग हेतु आधुनिक मशीनों तथा तकनीकियों को लागू करना

2951. **श्री एन० डेनिस** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार यह महसूस करती है कि चाय उद्योग में ऐसी आधुनिक मशीनों तथा तकनीकियों को लागू करने की अत्याधिक आवश्यकता है, जो वर्तमान की अपेक्षा ऊर्जा का कम उपयोग करे ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय चाय संघ द्वारा इस संबंध में कुछ सुझाव दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) ऊर्जा के संरक्षण के उद्देश्य से चाय उद्योग में आधुनिक मशीनों तथा तकनीकों को अपना ने के प्रश्न पर चाय उद्योग द्वारा चाय बोर्ड के साथ विचार-विमर्श किया जाता रहा है। चाय बोर्ड द्वारा स्थापित टास्क कोर्स के विचारार्थ विषयों में से एक चाय मशीनरी की विभिन्न मदों के प्रचालनों का अध्ययन करने और उनके डिजाइन में सुधार का सुझाव देने के बारे में है ताकि अधिक उत्पादन, ऊर्जा खपत में कमी आदि हो सके।

पेंशन में संशोधन के लिए आवेदनों पर धीमी गति से कारवाई किया जाना

2952. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार के पेंशन भोगियों द्वारा पेंशन में संशोधन करने के लिए दिए गए आवेदनों और उनके मंत्रालय द्वारा इस बारे में दिनांक 22 अक्टूबर, 1983,22 नवम्बर, 1983 और 3 दिसम्बर, 1983 को जारी किए गए आदेशों के कार्यान्वियन में धीमी गति से कार्रवाई किए जाने का पता है,

(ख) क्या इन सब बातों से इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बहुत दु.ख पहुंच रहा है और उन्हें आर्थिक हानि भी हो रही है, यदि हां, तो क्या उनका सभी संबंधित प्राधिकारियों अर्थात विभिन्न महालेखाकारों, वेतन और लेखा अधिकारियों तथा अन्य संबंधित भुगतान अधिकारियों को सभी बकाया आवेदनों के शीघ्र भुगतान करने और इनके निपटाने के लिए एक लक्ष्य तिथि निर्धारित करने का विचार है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) गत वर्ष के बजट में किए गए 234 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान के समक्ष पेंशन की राशि में संशोधन के फलस्वरूप देय बकाया राशि के खाते में 31 मार्च, 1984 तक कितनी धनराशि अदा हो चुकी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित करते हुए वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये आदेशों में दस लाख से अधिक पेंशन भोगियों की पेंशन का संशोधन अन्तर्ग्रस्त है। सेवा रिकार्डों के संदर्भ में पेंशन भोगियों की इतनी भारी संख्या की पेंशनों में संशोधन की संभावित कठिनाईयों की प्रत्याशा करते हुए, पेंशनों की शीघ्र गणना करने के लिए 'रेडी रेकनर' जारी कर दिये गए हैं। ऐसे पेंशन-भोगियों के संबंध में, जो इस तरीके से अपनी पेंशन में संशोधन किए जाने का विकल्प देते हैं, पेंशन संवितरण कार्यालयों जैसे राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं, डाकघरों और खजाना कार्यालयों को पेंशन की संगणना 'रेडी रेकनर' के संदर्भ में करने के अनुदेश दिए गए हैं। ऐसे पेंशन भोगियों के सम्बन्ध में जो अपनी पेंशन में संशोधन वास्तविक सेवा रिकार्ड के सन्दर्भ में कराने का चयन करते हैं, ऐसे रिकार्डों को खोजने में कुछ समय लग सकता है क्योंकि पेंशनभोगियों की काफी संख्या एक दशक से भी पहले सेवा-निवृत्त हो चुकी होगी। इस प्रकार के बिलम्बों से पेंशन-भोगियों को हुई कठिनाईयों की सरकार को पूर्ण जानकारी है और संबंधित प्राधिकारियों को पेंशन में संशोधन के मामलों को

शीघ्र निपटाने के लिए बार-2 अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन, पूरे देश में पेंशन संवितरण प्राधिकारियों और अर्न्तग्रस्त पेंशनभोगियों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए पेंशन में संशोधन के कार्य को पूरा करने की एक निश्चित तारीख निर्धारित करना कठिन होगा।

(घ) 31-3-1984 तक पेंशन में संशोधन के बाद बकाया राशि की अदायगी के कारण होने वाले व्यय के आंकड़े कुछ महीनों के पश्चात् सरकारी लेखों को अन्तिम रूप से बन्द कर दिए जाने के बाद ही उपलब्ध होंगे।

बंगला देश द्वारा गलीचों के नीचे लगाए जाने वाले कपड़े और हैसियन के मामले में भारत से कम मूल्य प्रस्तावित किया जाना

2953. **श्री सनत कुमार मंडल :**

श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय निर्यातक विदेशी बाजार में न तो गलीचों के नीचे लगने वाले कपड़े के मामले में और न ही हैसियन के मामले में बंगलादेश द्वारा प्रस्तावित मूल्यों का मुकाबला कर सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) बंगला देश द्वारा इस क्षेत्र में भारत की तुलना में कम मूल्य प्रस्तावित किए जाने से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) जबकि, कच्चे माल के मूल्यों में तथा कामगारों को दी जाने वाली मजदूरी में वृद्धि होने के कारण भारत में उत्पादन की लागत बढ़ती जा रही है, विदेशी बाजारों में, सस्ते मूल्यों पर कच्चे पटसन की बेहतर किस्म होने की वजह से, पटसन मिलों में प्रति एकक में श्रम लागत अपेक्षतया कम होने की वजह से तथा विनिमय दर भी अधिक अनुकूल होने की वजह से, पटसन उत्पादकों की अधिक प्रतियोगी दर कोट करने के कारण बंगलादेश की स्थिति भारत की अपेक्षा लाभप्रद है।

(ग) हमारी पटसन वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

1. हैसियन तथा सी. बी. सी. सहित पटसन वस्तुओं के लिए नकद मुआवजा सहायता की बढ़ी हुई दरें घोषित की गई हैं जो 9-5-1984 से लागू हुई हैं।

2. अमेरिका को सी. बी. सी. का निर्यात करने के लिए 50 : 50 की हानि को साझे के आधार पर राज्य व्यापार निगम तथा निर्यातक मिलों के बीच एक संघ बनाया गया है।

3. 100 प्रतिशत निर्यातोमुख एकक स्थापित किए गए हैं।

4. पटसन विनिर्माता विकास परिषद पुनः गठित की गई है तथा आर. एंड. डी. कार्यक्रमों को सक्रिय बनाने एवं बाजार में पटसन वस्तुओं के बढ़ाने हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए दो अलग-अलग अधिनियमों के अधीन पटसन उत्पादों पर ऊंची दर पर उपकर लगा दिए गए हैं।

चाय उद्योग के विकास हेतु कृतिक बल

2954. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या **वाणिज्य मंत्री**,यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय अनुसंधान संगठन द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग गोष्ठी में यह निर्णय लिया गया है कि चाय बोर्ड चाय उद्योग के विकास हेतु एक कृतक बल का गठन करें ;

(ख) यदि हां, तो क्या कृतिक बल का गठन कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो इसका गठन क्या है और यह कब से कार्य प्रारम्भ करेगा ; और

(घ) कृतिक बल द्वारा किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है और यह उद्योग में सुधार के लिये कहां तक सहायक सिद्ध होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) चाय अनुसन्धान संगठन द्वारा आयोजित इन्जीनियरी गोष्ठी में की गई सिफारिशों के आधार पर, चाय बोर्ड ने चाय मशीनों के विकास हेतु एक कृतक बल गठित किया है। कृतक बल का गठन इस प्रकार है :—

1. श्री जे. खट्टर अध्यक्ष, चाय बोर्ड	अध्यक्ष
2. श्री आर. के. त्रिपाठी उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड	सदस्य
3. श्री यूनुस अहमद वैज्ञानिक, संसाधन, विकास तथा डिजाइन क्षेत्र, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर	सदस्य
4. श्री टी. सी. बरुआ प्रमुख, रिसर्च इंजीनियरिंग टोकलाइ एक्सपैरीमैंटल स्टेशन	सदस्य
5. डा० बी. सी. विष्णु वैज्ञानिक, सैन्ट्रल मैकेनिकल इन्जीनियरिंग रिसर्च इस्टीट्यूट दुर्गापुर	सदस्य

6. डा० ए. मुखर्जी
सहायक प्रोफेसर
मेकेनिकल इन्जी० विभाग,
आई० आई० टी० खरगपुर — सदस्य

7. श्री आर० सी० पुन्शी
कलकत्ता — सदस्य

8. श्री अनिकपाल चौधरी,
स्माल टूल्स मैन्यू० कं०
आफ इंडिया लि०, कलकत्ता — सदस्य

9. डा० के. के. मैत्रा
निदेशक (अनुसंधान)
चाय बोर्ड — सदस्य सचिव

कृतक बल के विचारार्थ विषय निम्नोक्त प्रकार हैं :—

1. लागत कम करने, उत्पादन बढ़ाने तथा श्रम उत्पादकता में सुधार करने के उद्देश्य से छंटाई, स्किफिंग, तुड़ाई, उरर्वकों का प्रयोग, कीटनाशक तथा फफूंदीनाशक दवाइयों के छिड़काव जैसे खेत के कार्यों के लिए सुधरी हुई मशीनों/यांत्रिकसहायता के प्रयोग की संभाव्यता का अध्ययन करना।

2. सुखाने के काम में इस समय प्रयोग में आ रही गर्म हवा संचलन प्रणालियों की कार्यक्षमता का अध्ययन करना और उनकी कार्यक्षमता में सुधार के सम्भव तरीके बताना।

3. सुखाने, रोलिंग, फार्मेन्टेशन, खुष्क करने, छांटने तथा डंठल अलग करने के लिए लगी चाय मशीनों की विभिन्न मदों के कार्यचालन का अध्ययन करना तथा उनके डिजाइनों को बनाने में सुधार अपनाने के लिए तरीके सुझाना।

4. प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से मोनीटर करने तथा नियंत्रण करने के लिये चाय के विनिर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में साधन विनियोग आरम्भ करने संबंधी गुन्जाइश का अध्ययन करना।

5. चाय विनिर्माण में अन्य खाद्य संसाधित उद्योगों में उपयोग की जाने वाली कतिपय किस्म की मशीनों के इस्तेमाल की सम्भाव्यतायें बताना।

6 कोई अन्य पहलू जो कि कार्यदल के विचार से अध्ययन के संबंध में बोर्ड के लिए उपयुक्त हो।

कार्यदल की पहली बैठक 8 अगस्त, 1984 को हुई थी।

असम में राष्ट्रीय बचत संगठन के कर्मचारियों की संख्या

2955. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में राष्ट्रीय बचत संगठन के कर्मचारियों की वर्तमान संख्या कितनी है ;

(ख) प्रति व्यक्ति वसूली को आधार मानते हुए, क्या असम स्थित कार्यालय के फील्ड कर्मचारियों की संख्या अन्य दक्षिणी राज्यों में स्थित इस संगठन के कार्यालयों के कर्मचारियों की संख्या के अनुरूप है ; और

(ग) क्या राष्ट्रीय बचत संगठन को दिए गए वाहनों के साथ उन्हें चलाने के लिए चालक भी दिए गए हैं और चालकों के अभाव में कितने वाहन बेकार पड़े हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राष्ट्रीय बचत संगठन के आसाम क्षेत्र में आसाम एवं नागालैंड राज्य तथा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं। राष्ट्रीय बचत संगठन के मौजूदा स्वीकृत स्टाफ में एक क्षेत्रीय निदेशक, 3 सहायक क्षेत्रीय निदेशक, 20 जिला बचत अधिकारी और 29 अन्य कर्मचारी शामिल हैं।

(ख) जिला बचत अधिकारियों की संख्या सामान्यतः जन-संख्या तथा अन्य बातों, जैसे बचत की क्षमता, भौगोलिक क्षेत्र आदि, के आधार पर निश्चित की जाती है। आसाम क्षेत्र के फील्ड कर्मचारियों की संख्या मोटे तौर पर दक्षिणी राज्यों के कर्मचारियों की संख्या के अनुरूप है।

(ग) राष्ट्रीय बचत संगठन को दिए जाने वाले वाहनों के साथ, उन्हें चलाने के लिए चालक भी दिए जाते हैं। आसाम क्षेत्र के लिए चार वाहनों के लिए चालकों के चार पद स्वीकृत हैं। इन चार पदों में से इस समय दो पद रिक्त हैं, परन्तु नियमित चालकों के भर्ती होने तक, समय-समय पर दैनिक मजदूरी पर चालक नियुक्त करके इन वाहनों को चलाया जाता है।

असम में राष्ट्रीय बचत संगठन में कार्यरत फील्ड-अधिकारियों के लिए आवास

2956. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम क्षेत्र में राष्ट्रीय बचत संगठन के जिला बचत अधिकारियों को आवास नहीं दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी नीति क्या है ;

(ग) क्या योजना के लिए संसाधन जुटाने के उद्देश्य से सरकार का विचार राष्ट्रीय बचत संगठन का एक स्थायी कार्यालय बनाने का है ; और

(घ) राष्ट्रीय बचत संगठन के फील्ड अधिकारियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय बचत संगठन

के आसाम क्षेत्र में आसाम, नागालैंड राज्य और मिजोराम और अरुणाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं। 31 जुलाई, 1984 की स्थिति के अनुसार, आसाम क्षेत्र के 12 जिला बचत अधिकारियों में से 7 अधिकारियों को कार्यालय आवास प्रदान किया गया है।

शेष 5 जिला बचत अधिकारियों के लिए कार्यालय आवास की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों के साथ परामर्श करते हुए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ग) राष्ट्रीय बचत संगठन का एक स्थाई केन्द्रीय कार्यालय है।

(घ) जहां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सामान्य पूल में से सरकारी रिहायशी आवास उपलब्ध है, वहां राष्ट्रीय बचत संगठन के फील्ड अधिकारी रिहायशी आवासों के आवंटन के लिए हकदार हैं। जिन स्थानों पर केन्द्रीय सरकारी रिहायशी आवास उपलब्ध नहीं है, वहां राष्ट्रीय बचत संगठन के फील्ड अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों की तरह आवास का प्रबन्ध स्वयं करना होता है। सरकारी आदेशों के अनुसार, जहां कहीं मकान किराया भत्ता दिया जा सकता है, वहां उन्हें यह भत्ता पाने का हक होता है।

हेलिकाप्टरों का निर्माण और निर्यात

2957. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने हेलिकाप्टरों का निर्माण हो रहा है ;

(ख) क्या सरकार इनमें से कुछ हेलिकाप्टरों का निर्यात भी करती है ;

(ग) यदि हाँ, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिनको इनका निर्यात किया जाता है ; और

(घ) इस संबंध में अन्य ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) 1965 में निर्माण सुविधाओं की स्थापना होने से अब तक 400 से भी अधिक हैलिकॉप्टर निर्मित हो चुके हैं।

(ख) से (घ) पिछले वर्ष आठ चेतक हैलीकॉप्टर, उनके संबंधित उपकरणों और फालतू पुर्जों सहित, रूस को निर्यात किए गए। दूसरे देशों को इसका निर्यात करने के प्रयास जारी हैं।

भारत पर्यटन विकास निगम की होटल डिवीजन और शुल्क मुक्त दुकानों का परिचालन लाभ/हानि

2958. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82, 1982-83, 1983-84 तथा चालू वर्ष में, शुल्क मुक्त दुकानों द्वारा

अर्जित लाभ को शामिल किए बिना भारत पर्यटन विकास निगम की होटल-डिवीजन का परिचालन लाभ/हानि क्या रहा है ; और

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम के पांच सितारा होटलों में से प्रत्येक होटल का अधिवास अनुपात (ओकुपेंसी रेशो) क्या रहा तथा समान अवधि के दौरान इसी क्षेत्र में गैर-सरकारी सेक्टर के होटलों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) आवश्यक सूचना नीचे दी गई है :—

वर्ष		परिचालन लाभ
		(लाख रुपयों में)
1981-82		722.48
1982-83		804.24
1983-84	(अनन्तिम)	790.84

मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए परिचालन लाभ/हानियां वर्ष के समाप्त होने के बाद ही उपलब्ध होंगी।

(ख) जबकि प्राइवेट सैक्टर में होटलों की ओकुपेंसी की दरें उपलब्ध नहीं हैं बाई. टी. डी. सी. के 5-स्टार होटलों में 1981-82 से लेकर 1984-85 तक के वर्षों के लिए अप्रैल-जून तक की अवधि में ओकुपेंसी की प्रतिशतता को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

आई० टी० डी० सी० के स्वामित्व के अंतर्गत 5-स्टार होटलों के नाम और 1981-82, 82-83, 83-84, और 84-85 के वर्षों में अप्रैल से जून की तिमाही के दौरान प्रत्येक होटल में औसत ओकुपेंसी

	अप्रैल से जून तक की ओकुपेंसी %			
	81-82	82-83	83-84	84-85
अशोक, नई दिल्ली	46	45	26	36
अकबर, नई दिल्ली	68	58	46	28
अशोक, बंगलौर	65	53	24	26
कोवलम अशोक बीच रिसार्ट	28	27	29	36
कुतब, नई दिल्ली	72	75	52	46
ललिता महल पैलेस होटल मैसूर	32	37	22	42
एअरपोर्ट अशोक कलकत्ता	56	56	40	51
सम्राट होटल, नई दिल्ली	—	—	17	19

आन्ध्र प्रदेश को बाढ़ राहत

2959. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1983-84 तथा जून 1984 तक आंध्र प्रदेश को बाढ़ राहत के लिए कुल कितनी धनराशि दी गयी है,

(ख) क्या सरकार ने राहत राशि के समुचित उपयोग पर कोई विस्तृत प्रतिवेदन मांगा है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस पर कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वर्ष 1983-84 के दौरान तथा जून, 1984 तक बाढ़ों तथा चक्रवात राहत के कारण आन्ध्र प्रदेश सरकार को 59.88 करोड़ रुपए दिए गए जिनमें 1984-85 के दौरान पीछे से चले आ रहे व्यय के लिए अग्रिम में दिए गए 5 करोड़ रुपए शामिल हैं।

(ख) राज्य सरकार ने केन्द्रीय सहायता को अनंतिम रूप से दिए जाने के प्रयोजनों के लिए बाढ़ और चक्रवात के कारण राहत पर प्रत्याशित व्यय प्रस्तुत किया है। उन्हें अब व्यय के लेखा-परीक्षित आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

(ग) तथा (घ) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा 1983-84 के दौरान बाढ़ों के सम्बन्ध में किया गया प्रत्याशित व्यय

(लाख रुपए)

मद	31 मार्च, 1984 तक राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया व्यय
I. **अगस्त, 1983—बाढ़**	
(क) आयोजना-भिन्न	
(i) राहत	165.51
(ii) पुनर्वास	351.74
(iii) मरम्मत तथा पुनः स्थापना	1406.00
उप जोड़ :	1923.25

(ख) आयोजनागत		100.00
	कुल जोड़ :	2023.25
II. अक्टूबर, 1983 चक्रवात/बाढ़		
(क) आयोजन-भिन्न		
(i) राहत		457.17
(ii) पुनर्वास		804.58
(iii) मरम्मत तथा पुनः स्थापना		4370.77
(iv) अन्य मदें		59.90
	उप जोड़ :	5692.42
(ख) आयोजनागत		300.00
	कुल जोड़ :	5992.42

मेसर्स ओसवाल वनस्पति एण्ड एलायड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, लुधियाना पर उत्पादन शुल्क की बकाया राशि

2960. **श्री श्रीखाभाई :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स ओसवाल वनस्पति एण्ड एलायड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लुधियाना दिल्ली पर 1980 से 1984 तक उत्पादनबार कुल कितना उत्पादन शुल्क बकाया था ; और

(ख) बकाया उत्पादन शुल्क को वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और उसकी वसूली में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) 1980 से 1984 तक दो मामलों में मैसर्स ओसवाल वनस्पति एण्ड एलायड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, लुधियाना की तरफ उत्पादन शुल्क के रूप में लगभग 2.29 लाख रुपये की रकम देय है। यह रकम केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की टैरिफ मद 13 के अन्तर्गत आने वाले वनस्पति उत्पादों के सम्बन्ध में है।

(ख) एक मांग से सम्बन्धित 1.59 लाख रुपये की वसूली पर समाहर्ता (अपील), दिल्ली ने रोक लगा दी है। 0.70 लाख रु० के दूसरे मामले में समाहर्ता (अपील) ने सहायक समाहर्ता को रकम के पुनर्निर्धारण के निर्देश दिए हैं। विभाग ने समाहर्ता (अपील) के आदेश के खिलाफ सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील दायर की है।

उड़ीसा में छोटे और सीमान्त किसानों की राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण दिया जाना

2961. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में छोटे और सीमांत किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य एजेंसियों द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण दिये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1984 तक ऐसे कितने किसानों को लाभ हुआ है ;

(ग) क्या बड़ी संख्या में ऐसे किसान ऋणों की वापस अदायगी करने की स्थिति में नहीं हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन किसानों के ऋण माफ करने पर विचार करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां ।

(ख) वर्ष 1980-81 से 1983-84 के चार वर्षों के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य के हिताधिकारियों की संख्या लगभग 7.08 लाख थी । छोटे और सीमांतक किसानों की अलग से संख्या उपलब्ध नहीं है ।

(ग) और (घ) बैंक प्राकृतिक आपदाओं या नियंत्रण से बाहर के अन्य कारणों से प्रभावित चूक करने वालों की सहायता करते हैं जो, जानबूझकर चूक नहीं करते यह सहायता ऋण चुकाने के पुनर्निर्धारण, वापसी के समय में वृद्धि, और/अथवा ऋणकर्ता की वापस करने, साधनों का प्रबंध करने और आय को बढ़ाने की क्षमता आदि को मद्दे नजर रखते हुए नई ऋण सीमाओं की मंजूरी के रूप में होती है । सरकार किसी भी क्षेत्र के ऋणों को सामान्यतः बट्टे खाते डालने के पक्ष में नहीं है । बैंक उन्हीं ऋणों को बट्टे खाते डालते हैं, जो वसूल नहीं किये जा सकते ।

हथियारों तथा गोला बारूद के गुम पाए जाने की कमी अथवा चोरी के मामले

2962. **श्री ए० के० राय** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना के पास उपलब्ध हथियारों तथा गोला बारूद के लेखे-जोखे के लिये कठोर उपाय अपनाया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) पिछले चार वर्षों के दौरान हथियारों तथा गोला, बारूद के डिपुओं से लाने अथवा ले जाने के दौरान गुम पाये जाने, कमी अथवा चोरी के कितने मामले हुये और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या उनको पहले बोकारो इस्पात संयंत्र से राकेट मिलने और अब स्वर्ण मंदिर से अन्य विभिन्न हथियार ऐसे हथियार प्राप्त होने की जानकारी है जो केवल सेना के पास ही होते हैं ; और

(ङ) क्या इस प्रकार के मामलों में कोई जांच की गई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) सेना में शस्त्रों और गोला-बारूद का हिसाब रखने के लिए तथा उसके भंडारण और लाने-लेजाने में उचित सुरक्षा बनाये रखने के लिए व्यापक और स्पष्ट अनुदेश मौजूद हैं । ये अनुदेश रक्षा स्थापनाओं के संदर्भ और मार्ग दर्शन के लिए सेना मुख्यालय द्वारा जारी किए गए तकनीकी/विशेष सेना अनुदेशों में शामिल किए गए हैं ।

(ग) यह सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) राकेटों की बरामदगी सम्बन्धी जांच के लिये वायु सेना ने एक जांच अदालत बिठाई थी और यह पाया गया कि राकेटों का गुम होना बैंगन तोड़ने वाले कुछ व्यक्तियों द्वारा की गई चोरी का एक मामला था । जहां तक स्वर्ण मंदिर से शस्त्रों की बरामदगी का प्रश्न है, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो इस मामले की जांच कर रही है ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कार्यरत स्वीपर-कम-मैसेन्जर को भविष्य निधि, बोनस आदि के लाभ

2963. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भविष्य निधि, बोनस, मृत्यु के बाद सम्बन्धी को रोजगार जैसे सेवा के किन्ही लाभों के बिना स्वीपर-कम-मैसेन्जर वर्ष 1976 से दिहाड़ी आधार पर काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या कई राज्यों में इन कर्मचारियों को अवकाश मंजूरी तथा छुट्टी सुविधा प्रदान नहीं की जाती है और न ही उन्हें नियमित किया जाता है ;

(ग) क्या श्रम सम्बन्धी ऐसे अनुचित कार्यों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक योजना के अधीन इन बैंकों में नियमित रूप से चपरासी रखने की व्यवस्था नहीं है । लेकिन, परिचालन सम्बन्धी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये इन बैंकों को स्थानीय परिस्थितियों और जरूरतों को ध्यान में रखकर अंशकालिक संबाहकों की नियुक्ति करने की अनुमति दी गई थी । ऐसे कर्मचा-

रियों का वेतन, कार्यालयों में उनके द्वारा प्रतिदिन किये जाने वाले कार्य के घन्टों को ध्यान में रख-कर निश्चित किया जाना होता है। ग्रामीण बैंकों से कहा गया है कि दिहाड़ी पर काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों को भविष्य-निधि, अवकाश तथा रविवार के दिनों के वेतन का भुगतान, ग्रेच्युटी तथा बोनस जैसे सभी लाभ प्रदान किये जाये जिनके लिए कानूनन अथवा ऐसे कर्मचारियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार में प्रचलित प्रथाओं के अनुसार वे पात्र हों।

यद्यपि, हाल ही में ग्रामीण बैंकों को प्रधान कार्यालयों और बड़ी शाखाओं में नियमित आधार पर पूर्णकालिक संवाहकों की भर्ती करने की अनुमति देने का निर्णय ले लिया गया, लेकिन छोटी शाखाओं में पूर्णकालिक संवाहकों की नियुक्ति को परिचालनात्मक तौर पर अथवा ग्रामीण बैंकों की परिचालनों सम्बन्धी लागत में मितव्ययिता बरते जाने की आवश्यकता के अनुरूप नहीं समझा जाता।

लाइसेंस प्राप्त स्थानों पर परिधानों की सिलाई

2964. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में सिले-सिलाये परिधानों की भारी मांग है ;

(ख) क्या सिले-सिलाये कपड़ों के लिये निर्यात-आर्डर की मंजूरी बिहार, सहित विभिन्न राज्यों के लोगों के नामों पर है लेकिन उन कपड़ों की सिलाई केवल दिल्ली में हो रही है ;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि नालन्दा सहित बिहार के विभिन्न जिलों में हजारों दर्जी मुश्किल से जीवन निर्वाह कर पा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि केवल लाइसेंस प्राप्त स्थानों पर ही बने बनाये कपड़ों की सिलाई की जाये ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) निर्यात-आर्डर विदेशी क्रेताओं से निर्यातकों द्वारा सीधे ही प्राप्त किए जाते हैं। सरकार द्वारा बनाई गई नीति के अधीन निर्यात हकदारी प्रदान करने के लिए निर्यातक का स्थान कोई कसौटी नहीं हैं।

(ग) तथा (घ) जी नहीं।

देश में स्थापित किए गए विद्युतचालित करघों की संख्या

2965. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में सरकार की अनुमति से कितने विद्युतचालित करघों को स्थापित किया गया है, उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रन्जन लास्कर) : वैद्य

परमिटों द्वारा कवर किए गए विद्युतचालित करघों की संख्या, 6,34,880 है । राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

वैध परमिटों द्वारा कवर किए गए विद्युत-चालित करघों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा

आन्ध्र प्रदेश	18,200
असम	1,576
बिहार	7,677
चण्डीगढ़	56
दादर तथा नगर हवेली	250
दिल्ली	1,909
गोआ, दमन तथा दियू	100
गुजरात	1,06,392
हरियाणा	1,890
हिमाचल प्रदेश	614
जम्मू तथा कश्मीर	572
कांडला फ्री ट्रैड जोन	68
कर्नाटक	36,129
केरल	6,498
मध्य प्रदेश	16,024
महाराष्ट्र	2,60,697
मणिपुर	32
नागालैंड	6
उड़ीसा	3,688
पांडिचेरी	1,120
पंजाब	23,543
राजस्थान	8,236
तमिलनाडु	1,09,304
त्रिपुरा	24
उत्तर प्रदेश	24,584
पश्चिम बंगाल	14,662
कुल	6,34,880

स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड के एककों की देनदारियां

2966. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वदेशी कॉटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड के 6 एककों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेते समय और आज के दिन उनकी कुल कितनी देनदारियां हैं तथा इस सम्बन्ध में बिजली की बकाया अदायगियों निश्चित अवधि की ज़मा राशियों और उनके ऊपर ब्याज की जमा राशियों, भविष्य निधि,श्रमिकों की मजदूरी, सप्लाई करने वाले को अनुग्रह राशि की अदायदी और बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों की देय बकाया राशियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) सरकार का विचार उक्त देनदारियों को निपटाने के बारे में क्या उपाय करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) प्रबंधग्रहण के समय और 30-6-1984 की स्थिति के अनुसार मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, कं० लि०, कानपुर के छः एककों की उक्त देयतायें दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार सावधि जमा राशियों के सम्बन्ध में कम्पनी की देयतायें प्रबंधग्रहण, के समय 88.19 लाख रु० थी। इन सावधि जमा राशियों पर उत्तरदायी ब्याज का लेखा राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा नहीं रखा जाता।

(ख) उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम, 1951 की धारा 18 एफ. वी के अंतर्गत समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार प्रबंधग्रहण की तारीख को बकाया सभी दायित्व तथा देयतायें (उन्हें छोड़कर बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की प्रतिभूत देयताओं से सम्बन्धित हैं) निलम्बित हो गई हैं। जहां तक प्रबंध ग्रहण पश्चात की देयताओ का सम्बन्ध है, वे न्यूनाधिक रूप में चालू देयतायें हैं जो मिल कार्यप्रचालनों की सामान्य प्रक्रिया के दौरान वहन तथा निष्पादित करती हैं।

विवरण

मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, कम्पनी लिमिटेड, कानपुर से सम्बन्धित छः वस्त्र औद्योगिक उपक्रमों की विभिन्न देयताओं का ब्यौरा

क्र० सं०		प्रबंध ग्रहण के समय	30-6-84 के अनुसार प्रबंध ग्रहण पश्चात	योग
1	2	3	4	5
1.	बिजली	117.77	18.90	136.67
2.	ई० एस० आई० सहित भविष्य निधि	135.71	73.29	209.00
3.	कामगारों को वेतन	49.47	--	49.47

1	2	3	4	5
4.	कामगारों को अन्य देय राशियां	151.37	उपलब्ध नहीं	—
5.	ग्रेच्युटी	541.28	102.00	643.28
6.	पूर्तिकर्ताओं को देय राशियां	752.20	690.45	1442.65
7.	बैंकों को देय राशियां	975.36	451.04	1426.40
8.	प्रबंधग्रहण पूर्व की देयताओं पर ब्याज	738.66×	—	38.66×
9.	वित्तीय संस्थायें	3.87	—	3.87

×प्रबंधग्रहण पूर्व की बैंक देयताओं पर 30-6-84 तक बना ब्याज ।

भारतीय निवेश केन्द्र के भारत तथा विदेशों में कार्यालय

2967. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अनिवासी भारतीयों को निवेश करने के लिये आकर्षित करने के लिए तथा संयुक्त उद्यमों के संवर्धन हेतु विदेशों में कितने कार्यालय खोले गए हैं ;

(ख) भारतीय निवेश केन्द्र में प्रत्येक विदेश कार्यालय के खोले जाने की तिथि इस पर 30 जून, 1984 तक किए गए व्यय तथा उनमें से प्रत्येक के द्वारा आकर्षित किए गए विदेशी निवेश सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) भारतीय निवेश केन्द्र के भारत में कार्य कर रहे कार्यालयों की संख्या क्या है तथा उनमें बहुत से कार्यालयों को हाल ही में बन्द करने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार ने कुछ भारतीय निवेश केन्द्र के विदेशों में स्थित कुछ कार्यालयों को बन्द करने की योजना बनाई थी ; और

(ङ) विदेश स्थित इन कार्यालयों की क्या परिणामोन्मुखी उपयोगिता है तथा विदेशी मुद्रा में उनके भारी व्यय का क्या औचित्य है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ङ) इस समय भारतीय निवेश केन्द्र के निम्नलिखित पांच समुद्रपारीय कार्यालय हैं, अर्थात :—

क्रम संख्या	स्थान	स्थापित किए जाने की तारीख
1.	न्यू-यार्क	अक्टूबर, 1961
2.	फ्रांकफर्ट (पहले यह कार्यालय डसलडोर्फ में स्थित था किन्तु बाद में इसे फ्रांकफर्ट ले जाया गया)	अक्टूबर, 1984
3.	लंदन	अप्रैल, 1969
4.	टोकियो	दिसम्बर, 1973
5.	आबू धाबी	अगस्त, 1981

पिछले तीन वर्षों में इन कार्यालयों पर जो व्यय किया गया है, उसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	1981-82	1982-83	1983-84
1.	लन्दन	35,684.78 पौंड	13,298.38 पौंड	77,274.37 पौंड
2.	न्यू-यार्क	1,30,105.13 डालर	1,44,620.14 डालर	1,85,964.97 डालर
3.	टोकियो	20,825,618 येन	22,316,585 येन	29,388,810 येन
4.	आबू धावी	2,53,683.80 दि०	10,58,247.96 दि०	8,72,866.49 दि०
5.	फ्रांकफर्ट/डसलडोर्फ	2,20,492.37 डयूशमार्क	2,16,246.54 डयूशमार्क	2,47,027.29 डयूशमार्क

3. भारतीय निवेश केन्द्र के देश में स्थित पांच क्षेत्रीय कार्यालय, (जिनको उद्यमकर्त्ता मार्गदर्शक कार्यालय कहा जाता था) इस लिए बन्द कर दिए गए ताकि इन कार्यालयों और अन्य राष्ट्रीय/राज्य स्तर के अभिकरणों के कार्यकलापों में दुहरकम न होने पाए ।

4. 1981 में, समुद्रपारीय कार्यालयों की गतिविधियों की समीक्षा करने के परिणामस्वरूप, लंदन, न्यू-यार्क तथा डसलडोर्फ स्थित समुद्रपारीय कार्यालयों को बन्द करने का फैसला किया गया । परन्तु बाद में, विदेशों से प्रेषणाओं को तथा निवेश योग्य पूंजी को देश में आकर्षित करने के हमारे

संवर्धक प्रयास को और सुदृढ़ करने के लिए तथा 1982-83 के बजट में भारतीय मूल/भारतीय राष्ट्रीयता के अनिवासियों को दी गई नई सुविधाओं की देखते हुए, इन कार्यालयों को इस परिवर्तन के साथ जारी रखने का फैसला किया गया कि डसलडोर्फ स्थित कार्यालय को फ्रांकफर्ट में स्थानान्तरित कर दिया जाए।

5. भारतीय निवेश केन्द्र एक संवर्धनात्मक संगठन है और इसे विदेशी निवेश/सहयोग संबंधी भारत सरकार की नीतियों तथा अनिवासी भारतीयों आदि को दी गई सुविधाओं का प्रचार करने के किए स्थापित किया गया है। इसलिए यह केन्द्र, भारत में विदेशी पूंजी के निवेश, विदेशों से प्रौद्योगिकी के आयात, भारत की निवेश नीतियों तथा तद्विषयक प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में समुद्रपारीय निवेशकर्ताओं में यथेष्ठ जानकारी का प्रसार करने से सम्बन्धित कार्य सम्पन्न करता है और विदेशी तथा भारतीय कम्पनियों के बीच मुनासिब सहयोग स्थापित कराने के कार्य में सहायता पहुंचाता है। उपर्युक्त क्षेत्रो में भारतीय निवेश केन्द्र उपयोगी भूमिका निभा रहा है। संवर्धनात्मक संगठन होने के नाते इसकी सफलताओं को गिनाना कठिन है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम को हुआ लाभ/हानि तथा उसे शुल्क-मुक्त दुकानों से होने वाली आय

2968. श्री एन० के० शेजवलकर : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम को वर्ष 1983-84 में कितना लाभ और हानि हुई है ;

(ख) वर्ष 1983-84 में उसे शुल्क मुक्त दुकानों से कितना लाभ हुआ है ;

(ग) क्या शुल्क-मुक्त दुकानों से हुई इस आय को शामिल न करने से भारतीय पर्यटन विकास निगम को घाटा होगा ; और

(घ) निगम के होटल प्रभाग में घाटा होने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) वर्ष की समाप्ति पर संकलित किए गए अनंतिम वित्तीय परिणामों के अनुसार, वर्ष 1983-84 के लिए भारत पर्यटन विकास निगम का निवल लाभ 52.48 लाख रुपये और शुल्क मुक्त दुकानों से निवल लाभ 151.67 खाख रुपये है।

(ग) जी, हां।

(घ) 1983-84 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के होटल प्रभाग में हानियों का मुख्य कारण, नई दिल्ली में तीन नए होटलों के चालू होने पर मूल्यह्रास, ब्याज, आदि का भारी बोझ है।

बीमा एजेन्ट बने रहने के लिए नया बीमा कारोबार दाखिल करने की अनिवार्यताएं

2969. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीमा एजेन्ट के कर्तव्य क्या हैं ; और

(ख) क्या यदि वह हर बार नया बीमा कारोबार हासिल नहीं करता है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय जीवन बीमा निगम (एजेन्ट) विनियमावली, 1972 में बीमा एजेन्ट के लिए निम्नलिखित कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं : -

(1) प्रत्येक एजेन्ट नए जीवन बीमा कारबार के लिए प्रयत्न करेगा और उसे प्राप्त करेगा जो कि निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम नहीं होना चाहिए ।

(2) नए जीवन बीमा कारबार को प्राप्त करते समय एजेन्ट :—

(क) जीवन बीमा के लिए प्रस्तावक की आवश्यकताओं और प्रीमियम अदा करने की उसकी क्षमता पर विचार करेगा ;

(ख) प्रस्ताव को स्वीकारार्थ भेजने से पूर्व बीमा किए जाने वाले जीवनों के बारे में यथोचित सभी जांच करेगा और निगम को उन सब परिस्थितियों से अवगत कराएगा जिनसे बीमा-जोखिम के सम्बन्ध में प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी यथोचित कदम उठाएगा—कि बीमा किए गए जीवन (व्यक्ति) की आयु पालिसी शुरू होने के समय स्वीकृत हो चुकी है ; और

(घ) किसी अन्य एजेन्ट द्वारा दिए गए प्रस्ताव में हस्तक्षेप नहीं करेगा ।

(ङ) प्रत्येक एजेन्ट प्राप्त किए गए कारबार को बनाए रखने के लिए प्रयत्न करेगा । कारबार को बनाए रखने की दृष्टि से, एजेन्ट, अपने माध्यम से बने निगम के पालिसीधारकों से सम्पर्क बनाए रखेगा और—

(क) प्रत्येक-पालिसीधारक को यह सलाह देगा कि वे अपनी पालिसी के बारे में नामांकन या समनुदेशन का कार्य पूरा करे और इस बारे में उनकी आवश्यक सहायता करेगा ;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न करेगा कि निगम के प्रत्येक पालिसीधारक द्वारा छूट की अवधि के अन्दर-अन्दर प्रीमियम की किस्त जमा करा दी जाए ;

(ग) किसी पॉलिसी के चुकता पालिसी में बदलते-समय उस पालिसी को व्यपगत होने से बचाने के लिए प्रयास करेगा ; और

(घ) दावेदारों द्वारा-दावा फार्म के भरे जाने के समय और मामान्यतः दावों के निपटारे के सम्बन्ध में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करवाने के लिए सभी यथोचित सहायता प्रदान करेगा।

(ख) कोई भी व्यक्ति बीमा एजेन्ट के रूप में कार्य कर सकता है, यदि वह बीमा अधिनियम की धारा 42 के अन्तर्गत बीमा नियंत्रक के प्राधिकार से जारी किया गया लाइसेन्स प्राप्त कर लेता है और जीवन बीमा निगम द्वारा बीमा एजेन्ट नियुक्त कर दिया जाता है। उक्त नियमावली में दी गई कतिपय परिस्थितियों में, उदाहरण के लिए, यदि बीमा एजेन्ट निर्धारित न्यूनतम कारबार प्राप्त करने में असफल हो जाए तो जीवन बीमा निगम द्वारा उसकी नियुक्ति (लाइसेन्स नहीं) रद्द की जा सकती है।

बिना अनुमति के बीमा करने वाले बीमा ऐजेण्ट

2970. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक बीमा ऐजेण्ट उचित अनुमति/अधिकार के बिना बीमा करने का काम सक्रिय रूप से कर रहे हैं ; और

(ख) क्या अनेक ऐजेन्ट केवल नाम मात्र के लिए हैं और बेनामी लेनदेन हो रहा है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : जी, नहीं।

(ख) जी नहीं। इस संबंध में अगर कोई विशिष्ट शिकायतें मिलेंगी तो इस मामले की जांच-पड़ताल की जाएगी।

बीमा एजेंटों को पारिश्रमिक का भुगतान न किया जाना

2971. **श्री एन०के० शेजवलकर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने बीमा एजेंटों का अब तक कुल कितना पारिश्रमिक बकाया है ;

(ख) अब तक इसका भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस संबंध में एजेंटों ने अनेक अभ्यावेदन भेजे हैं और यदि हां, तो उन पर यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) बीमा एजेन्टों को कमीशन के रूप में पारिश्रमिक मिलता है जो उनके द्वारा लाए गए कारबार के संबंध में प्राप्त प्रीमियमों से संबद्ध होता है। जीवन बीमा निगम द्वारा जैसे ही प्रीमियमों का समायोजन कर दिया जाता है वैसे ही कमीशन दे दिया जाता है।

प्रस्तावक के साथ दिए गए पहले प्रीमियम से संबंधित कमीशन बीमा प्रस्ताव संबंधी औपचारिकताओं के पूरे होने के तुरन्त बाद दे दिया जाता है। कारबार में तेजी के कारण बीमा प्रस्तावों को पूरा करने में कुछ देरी हो सकती है क्योंकि लेखा वर्ष के अन्तिम दिनों में बड़ी संख्या में बीमा प्रस्ताव एक साथ प्राप्त होते हैं और उन पर आगे की कार्रवाई करनी पड़ती है। इन परिस्थितियों में, जीवन बीमा निगम यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष कदम उठाता है कि इन बीमा प्रस्तावों को यथाशीघ्र अन्तिम रूप दिया जाए।

अनुवर्ती प्रीमियमों के संबंध में कमीशन डिवीजनल कार्यालयों द्वारा हर महीने तैयार किए गए बिलों के आधार पर दिया जाता है। मशीन की खराबी के कारण अथवा पालिसी की सही संख्या के बारे में सूचना के अभाव में कमीशन देने में देरी हो सकती है।

कमीशन बिलों को तैयार करना और कमीशन जारी करना एक ऐसी प्रक्रिया है जो डिवीजनल कार्यालयों और शाखा कार्यालयों में बराबर जारी रहती है और इसलिए ऐसे मामलों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है जिनमें किसी विशिष्ट अवधि से अधिक समय के लिए कमीशन की अदायगी करना बकाया रहा हो। जीवन बीमा निगम के रजिस्टरों में दर्ज एक लाख से अधिक पालिसीधारियों के व्यक्तिगत रिकार्ड की जांच करने के बाद ही यह सूचना एकत्र की जा सकती है और इस सूचना को एकत्र करने में जो समय और श्रम लगेगा वह उससे प्राप्त होने वाले फल के अनुरूप नहीं होगा।

जीवन बीमा निगम को कुछएक एजेण्टों से उनकी बकाया रकमों के बारे में अभ्यावेदन मिलते रहते हैं। इनकी जांच की जाती है और बकाया रकमों के भुगतान के संबंध में फौरन कार्रवाई की जाती है। कमीशन के भुगतान में देरी होने के कारण कुछएक मामलों में कठिनाई हो सकती है जिसे दूर करने के लिए जीवन बीमा निगम ने हर महीने की पहली तारीख को बीमा एजेण्टों को मासिक स्तर पर अग्रिम देने की एक पद्धति भी शुरू कर दी है जिसकी राशि बीमा एजेण्टों की औसत आमदनी पर आधारित है।

पणजी के निकट कण्डूलिम गांव से हिरोइन की बरामदगी

2972. **श्री त्रिलोक चन्द :**

श्री दौलत राम सारण :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पणजी के निकट गांव कण्डूलिम में एक घर से जुलाई के दूसरे सप्ताह में उत्पादन शुल्क विभाग के कर्मचारियों द्वारा मारे गए एक छापे में लगभग 5 लाख रु० के मूल्य की हिरोइन बरामद की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है तथा अभी भी कितने व्यक्तियों की तलाश जारी है तथा इन व्यक्तियों के विरुद्ध किस प्रकार के मामले दर्ज किये गये हैं तथा तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) सरकार को मिली

रिपोर्टों के अनुसार गोवा संघ राज्य-क्षेत्र के उत्पादन शुल्क विभाग के स्टाफ ने दिनांक 11-7-1984 को केण्डोलिम, गोवा स्थित एक आवासीय परिसर से 1.07 किलोग्राम ब्राउन हिरोईन पाउडर पकड़ा। निषिद्ध माल पोलिथीन की दो थैलियों में एक तकिए में छिपाया हुआ मिला था। चूंकि हिरोइन जैसे औषध-द्रव्यों का गैर-कानूनी मूल्य उनकी शुद्धता, बिक्री के स्थान आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है, इसलिए अभिगृहीत औषध-द्रव्य का कोई ठीक-ठीक मूल्य नहीं दिया जा सकता।

इस संबंध में बम्बई के दो व्यक्तियों को अर्थात् श्री अली रजा और श्री केशव के० पवार को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में किसी और व्यक्ति के अन्तर्ग्रस्त होने की सूचना नहीं मिली है। गोवा, दमण और दीव उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1964 के तहत मामले न्यायालय में दायर किए गए हैं।

सोवियत संघ के साथ भारत का व्यापार

2973. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-सोवियत संघ के साथ व्यापार में मात्रा की दृष्टि से अमरीका, ब्रिटैन और कनाडा जैसे औद्योगिक देशों से आगे है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सोवियत संघ भारत का प्रमुख व्यापार भागीदार है ;

(ग) क्या भारत द्वारा आयात की जाने वाली मिट्टी के तेल और डीजल ईंधन की 500 प्रतिशत से अधिक मात्रा सोवियत संघ से प्राप्त होती है ;

(घ) यदि हां, तो क्या पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ ही एक ऐसा देश है, जिसने दोनों क्षेत्रों के बीच हुये वार्षिक व्यापार समझौते के वायदों को पूरा किया है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या सोवियत संघ ने 1983 में कतिपय कृषि वस्तुओं की खरीद में काफी कमी कर दी थी ;

(च) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या थे ;

(छ) क्या सोवियत संघ और साम्यवादी देशों के साथ व्यापार की तुलना में अमरीका, ब्रिटेन और कनाडा के साथ भारत का व्यापार बहुत कम है ; और

(ज) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) 1982-83 में 3071.74 करोड़ रु० के कुल व्यापार सहित सोवियत संघ भारत का सब से बड़ा व्यापारिक साझीदार था चूंकि संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन और कनाडा के साथ सोवियत संघ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं अतः भारत सोवियत व्यापार की इन औद्योगिक देशों के साथ सोवियत संघ के व्यापार के साथ तुलना नहीं की जा सकती है।

(ग) जी हां।

(घ) पूर्वी यूरोप के रुपया भुगतान देशों के साथ वार्षिक व्यापार योजनायें केवल संकेतात्मक हैं लेकिन दोनों व्यापार-साझीदार व्यापार योजनाओं में की गई वचनबद्धताओं की प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए हर सम्भव प्रयास करते हैं। तथापि, सोवियत संघ के साथ भारतीय व्यापार योजनाओं का कार्यान्वयन अन्य देशों की अपेक्षा काफी बेहतर है।

(ङ) तथा (च) 1983 में, भारत से सोवियत संघ द्वारा कतिपय कृषि संबंधी मदों की खरीद में कुछ गिरावट आई। इसका कारण था सोवियत संघ के पक्ष में रुपया निधियों की कमी।

(छ) तथा (ज) भारत का सोवियत संघ के साथ व्यापार संयुक्त राज्य अमरीकी, ब्रिटेन और कनाडा के साथ अलग-अलग रूप में उसके व्यापार की अपेक्षा कहीं अधिक है इसका मुख्य कारण यह है कि सोवियत संघ से हमारे आयातों में अधिकतर कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम पदार्थ शामिल हैं और हमारे कृषि उत्पादों, वस्त्रों, रसायन मदों तथा इंजीनियरी माल के लिए सोवियत संघ द्वारा हमें अच्छे बाजार को दिया जाना भी है।

समेकित ग्रामीण विकास परियोजनाओं में बैंकों का योगदान

2974. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने बैंकों से समेकित ग्रामीण विकास परियोजनाओं में अपना अधिक योगदान देने का अनुरोध किया है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सार्थक सहायता पहुंच सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समय भारत में बैंकों की अनेक शाखाएं होने के के बावजूद इस बारे में बैंक अपना सक्रिय योगदान देने में सफल नहीं हो पाये हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या है ; और

(घ) सरकार का विचार उन बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है जिन्होंने अभी तक समेकित ग्रामीण परियोजनाओं में किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण देने की जिम्मेदारी मुख्यत: सरकारी क्षेत्र के बैंकों और सहकारी बैंक को सौंपी गई है। छठी आयोजना के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 3000 करोड़ रुपए के ऋणों का लक्ष्य रखा गया था जबकि इसकी तुलना में 1983-84 के अन्त तक वास्तव में 2244.12 करोड़ रुपए के ऋण दिए गए। यह उपलब्धि संतोषजनक है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय ड्रेसिंग गाउन्स का अमरीका को निर्यात

2975. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने भारतीय ड्रेसिंग गाउन्स के अपने देश को निर्यात पर इस पूरे वर्ष के लिए एक तरफा प्रतिबन्ध लगा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीका के निर्णय के विरुद्ध सरकार इस मामले को जी० ए० टी० टी० के वस्त्र निगरानी निकाय के पास ले जाने पर विचार कर रही है ;

(ग) क्या सरकार ने अमरीका द्वारा वर्ष 1984 की पूरी अवधि के लिए एक-तरफा पाबन्दियां लगाने पर कठोर आपत्ति व्यक्त की है ;

(घ) क्या हांल ही तक अमरीका द्वारा भारतीय वस्त्रों पर केवल 90 दिनों के लिए पाबन्दी लगाई जाती है, जिसके लिए यह तर्क दिया जाता रहा है कि इनके बाजार में प्रविष्ट होने से घरेलू उद्योग को हानि हो रही है , और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का अन्य क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ङ) अमरीकी सरकार ने 1984 के दौरान कतिपय परिधान श्रेणियों पर जिसमें श्रेणी 350 (काट्रन ड्रेसिंग गाउन्स) शामिल हैं मात्रात्मक प्रतिबंध न केवल 90 दिन की अवधि के लिए लगाया बल्कि 1984 के सम्पूर्ण वर्ष के लिए भी लगाया है । 90 दिन की अवधि के लिए लगाये गये प्रतिबन्ध औपचारिक तौर पर परामर्श होने तक थे । दूसरी ओर सम्पूर्ण वर्ष के लिए प्रतिबन्ध औपचारिक रूप से परामर्श के निष्कर्ष के बाद लगाया गया था । परामर्श के दौरान भारतीय पक्ष ने अमरीका सरकार के उन प्रस्तावों जिसमें दोनों, 90 दिन की अवधि और पूरे वर्ष के लिये भी प्रतिबन्ध शुरू करना है, का प्रतिरोध किया क्योंकि यह द्विपक्षीय करार और साथ ही बहु-रेशा करार (एम. एफ. ए.) के प्रावधानों के अन्तर्गत न्यायसंगत नहीं है। श्रेणी 350 (ड्रेसिंग गाउन्स) के संबंध में और आंकड़े तथा जानकारी एकत्र करने के प्रयास किये जा रहे हैं तथा उसके बाद समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

मलेशिया कपड़े का निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यात क्षमता में सुधार हेतु राष्ट्रीय कपड़ा निगम को निदेश

2976. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम को कलेशिया कपड़े के निर्यात में वृद्धि के लिए अपनी निर्यात क्षमता में सुधार करने व विश्व बाजारों का सर्वेक्षण करने के निदेश दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने वर्ष 1983-84 में कुल कितना निर्यात किया ;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितना निर्यात किए जाने का विचार है ;

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने कहा है कि सरकार इसके वित्तीय निष्पादन पर प्रसन्न नहीं है क्योंकि इसमें अभी तक अधिक सुधार दिखाई नहीं दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो राष्ट्रीय कपड़ा निगम में सुधार और वर्ष 1984-85 में इसकी निर्यात

क्षमता में वृद्धि के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) एन. टी. सी. के निर्यात-निष्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार एन. टी. सी. को निर्यात-बाजारों के अध्ययन के लिए समय-समय पर निदेश देती है ।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1983-84 के दौरान एन. टी. सी. के उत्पादों के कुल निर्यात लगभग 14.00 करोड़ रु० मूल्य के हुए ।

(ग) 1984-85 के दौरान एन. टी. सी. उत्पादों के प्रस्तावित निर्यात लगभग 20 करोड़ रु० मूल्य के होने की आशा है।

(घ) तथा (ङ) सरकार एन. टी. सी. मिलों के कार्य निष्पादन की सावधिक समीक्षा करती है । 1974-75 से वित्तीय परिणामों से पता चलता है कि 1975-76 से 1979-80 तक कार्यकरण के परिणामों में प्रगामी सुधार हुआ है । तथापि, 1980-81 के बाद एन. टी. सी. की हानियों में वृद्धि हो रही है । हानियों में वृद्धि के लिए प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :—

1. अन्य निविष्टों की लागत में भारी वृद्धि ;

2. मंहगाई भत्ता बढ़ने से मजदूरी तथा वेतन में वृद्धि ;

3. बिजली में कटौती तथा केप्टिव पावर की ऊंची लागत ; और

4. वस्त्र उद्योग में मंदी का रुख ।

एन. टी. सी. मिलों के समग्र तथा निर्यात निष्पादन में सुधार के लिये निम्नोक्त महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं :—

(1) संयंत्र तथा मशीनरी का आधुनिकीकरण जहां कहीं आवश्यक हो, स्थापित क्षमता का विस्तार ;

(2) उत्पादन और संस्थागत बिक्रियों के तरीकों में विविधीकरण ;

(3) बिजली की कमी पूरा करने के लिये डीजल जनरेटिंग सेटों की स्थापना और काम के भार तथा श्रमिक बल का यौक्तिकीकरण ।

जापान से नौकाओं का आयात

2977. **श्री गुफरान आजम :**

श्री बाल कृष्ण वासनिक

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 जुलाई 1984 के इंडियन एक्सप्रैस में "एक्सपोर्ट आफ जापानीज वोट्स ए मिस्टरी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो जापान से किस उद्देश्य हेतु नौकाओं का आयात किया गया था ;

(ग) क्या इस प्रकार की नौकाओं का आयात करने से पूर्व कोई शर्तें तय की गई थीं तथा किसी समझौते पर भी हस्ताक्षर किये गये थे ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और क्या नौकाओं के आयात के लिए हस्ताक्षर किया गया समझौता वैध है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (घ) जी, हां। तट रक्षक संगठन के लिए चार खोज और बचाव नौकायें सप्लाई करने और इन नौकाओं का देश में निर्माण करने के लिए डिजाइन और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करने के लिए जापान की मैसर्स सुमिदागावा के साथ जुलाई, 1982 में एक करार किया गया था। इन नौकाओं की सप्लाई के लिए कोई शर्त नहीं थी और किया गया करार यथोचित है।

हथकरघा कपड़े का उत्पादन, निर्यात और जमा भंडार

2978. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान हथकरघा कपड़े का वर्षवार उत्पादन, निर्यात और जमा भंडार कितना हुआ है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : गत तीन वर्षों के दौरान तैयार किए गए हथकरघा कपड़े की मात्रा नीचे दी गई है :—

वर्ष	उत्पादन (मिलियन मीटर)	निर्यात मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1980-81	3100	326.33
1981-82	3113	368.75
1982-83	3253	330.89 (अनन्तिम)

जमा भंडार के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

विदेशी मत्स्य नौकाओं द्वारा अवैध रूप से मछली पकड़ना

2979. **श्री अमर सिंह राठवा :**

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय जल सीमा के भीतर विदेशी नौकाओं द्वारा बार बार अवैध रूप में मछली पकड़ने की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान ऐसी कितनी नौकाएं पकड़ी गई और वे किन देशों की थीं तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) हमारे समुद्री क्षेत्र में विदेशी मत्स्य नौकाओं द्वारा अवैध रूप से मछली पकड़े जाने की रोकथाम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हाँ। सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशी नौकाएं कभी-कभी भारतीय समुद्री सीमा के भीतर चोरी से मछली पकड़ती हैं।

(ख) इस संबंध में ब्यौरों को दर्शाते हुए एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

(ग) इसके लिए तट रक्षक पोतों और विमानों द्वारा बराबर निगरानी रखी जाती है और विशेषकर हमारी समुद्री सीमा के उन क्षेत्रों में जहाँ मछली पकड़ने वाली विदेशी नौकाएं प्रायः आती-जाती हैं। तट रक्षक विकास योजनाओं में की गई व्यवस्था के अनुसार अधिक पोतों और विमानों की क्रमिक खरीद से तटरक्षक संगठन इन क्षेत्रों में अपनी निगरानी शीघ्र करने में सक्षम होगा।

विवरण

वर्ष	पकड़ी गई नौकाओं की संख्या	समुद्री क्षेत्र पश्चिमी तट	समुद्री क्षेत्र पूर्वी तट	समुद्री क्षेत्र अंडमान और निकोबार	किस देश की है	की गई कार्रवाई
1982	3	—	1	2	थाइलैंड-3	दो नौकाओं को जब्त कर लिया गया है। तीसरी नौका के बारे में तटरक्षक द्वारा की गई अपील लंबित है।
1983	7	5	1	1	ताईवान-6 थाईलैंड-1	5 ताईवानी मछली पकड़ने वाली नौका के परमिटों को उनके मामलों के निर्णय होने के बाद 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। छठी ताईवानी मछली पकड़ने वाली नौका के बारे में तटरक्षक द्वारा की गई अपील लंबित है थाई की मछली पकड़ने वाली नौका से संबंधित मामले में कार्रवाई की जा रही है।
1984 (31-7-84 तक)	9	8	1		ताईवान-9	सभी 9 मछली पकड़ने वाली नौकाओं से संबंधित मामलों में कार्रवाई की जा रही है।

विश्व व्यापार में भारत का भाग

2981. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व व्यापार में इस समय भारत का भाग (प्रतिशत) कितना है ;

(ख) ब्रिटेन, अमरीका, सोवियत संघ जैसे विकसित देशों के मामले में संबद्ध आँकड़े क्या है ; और

(ग) विश्व व्यापार में भारत के भाग को बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) यू. एन. मन्थली बुलेटिन आफ स्टेटिस्टिक्स (मई, 1984) में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार कैलेण्डर वर्ष 1982 के दौरान, कुल विश्व निर्यातों में भारत तथा विशिष्ट विकसित देशों का अनुपातिक भाग निम्नोक्त प्रकार रहा है :—

देश	विश्व निर्यातों में प्रतिशत भाग
भारत	0.46
ब्रिटेन	5.23
सं. रा. अमरीका	11.45
सोवियत संघ	4.69

(ग) सरकार ने निर्यात को बढ़ाने के लिये विभिन्न उपाय किये हैं जिनमें शामिल हैं : निर्यात उत्पादन पर लाइसेंस संबंधी बाधायें हटाना, 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों की स्थापना, आयातित अंतर्निविष्ट साधनों का आसानी से मिलना, विशेष रूप से निर्यात उत्पादन के लिये प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाना, निर्यातों पर कतिपय वित्तीय छूट का विस्तार, विद्यमान दो मुक्त व्यापार जोनों के अतिरिक्त कोचीन, मद्रास, नौएडा तथा फाल्टा में 4 और मुक्त व्यापार जोनों की स्थापना, चालू वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये आयात तथा निर्यात नीति विश्व-व्यापी आर्थिक वातावरण और घरेलू अर्थव्यवस्था की जरूरतों को ध्यान में रख कर हमारे निर्यात निष्पादन को सुधारने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस नीति की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं निर्यातों में उच्चतर मूल्य-वर्धन को प्रोत्साहन, कम्प्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात नये उत्पादों का या नये बाजारों को निर्यात, निर्यात उत्पादन जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय विकास हेतु आयात, व्यापार सदनों तथा उनके सहायक विनिर्माताओं में स्थिर दीर्घकालीन सम्बन्ध स्थापित करना और निर्यात उत्पादन में लघु क्षेत्र को सहायता देना।

जुलाई, 1984 के दौरान गिरफ्तार किये गये तस्कर

2982. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री राम विलास पासवान :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1984 के दौरान प्रत्येक राज्य में गिरफ्तार किये गये तस्करों के नाम क्या हैं ; और

(ख) सरकार ने प्रत्येक तस्कर के खिलाफ किस प्रकार की कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

रक्षा अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा "चेतक" का विकास

2984. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा अनुसंधान प्रतिष्ठान के "चेतक" नाम के सर्वश्रेष्ठ प्रकार के युद्ध में, काम आने वाले टैंक का विकास किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख बातें क्या हैं तथा भारतीय सेना में उपयोग के लिये बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन कब प्रारम्भ किया जायेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा एक मुख्य युद्धक टैंक (एम. बी. टी.) का विकास किया जा रहा है ।

(ख) पूरी तरह विकसित होने पर यह टैंक विश्व स्तर के मुख्य युद्धक टैंकों के ही समान होगा । इस टैंक का उत्पादन, इसके सफलतापूर्वक विकास और उपभोक्ताओं द्वारा इसका परीक्षण किए जाने के बाद शुरू होगा ।

विजयन्त टैंक

2985. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विजयन्त टैंकों को जारी रखने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या-क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) सेना की युद्धक क्षमता

को प्रभावी बनाए रखने के विचार से सरकार ने विजयंत टैंक बेड़े का आधुनिकीकरण करने का निश्चय किया है।

इस प्रकार आधुनिकीकृत विजयंत टैंक रक्षा सेनाओं की वर्तमान और भावी जरूरतों को पूर्ण रूप से पूरा कर सकेगा।

भारत में अमरीकी कम्पनियों द्वारा पूंजी निवेश

2986. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू.एस. ओवरसीज इनवेस्टमेंट कारपोरेशन, जो कि अमरीकी कम्पनियों को विदेशी भागीदार तलाश में समन्वय और सलाह देती है, की रिपोर्ट में यह दिखाया गया है कि अमेरिकी कम्पनियों को भारत में पूंजीनिवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो 1983-84 के दौरान अमेरिकी कम्पनियों द्वारा (एक) भारत में पूंजीनिवेश और (दो) भारतीय कम्पनियों के साथ सहयोग समझौतों के बारे में क्या ब्यौरा है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) संभवत: माननीय सदस्य ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन (ओ. पी. आई. सी.) के हाल ही के एक प्रकाशन की ओर निर्देश कर रहे हैं, जिनका शीर्षक "भारत में निवेश-अमरीकी-भारत व्यापार सहयोग के लिए मार्गदर्शन (इनवेस्टिंग इन इंडिया—ए गाइड टू इंडो-यू. एस. विजनेस कोलोबोरेशन्स)" है। अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकाशन में यह लिखा है कि भारत में व्यापारिक सहयोग के लिए स्थायी राजनीतिक और ठोस आर्थिक वातावरण उपलब्ध है।

(ख) भारतीय और अमरीकी फर्मों के बीच विदेशी तकनीकी/वित्तीय सहयोग के बारे में सरकार के द्वारा दिए गए अनुमोदनों के संबंध में सूचना नियमित रूप से भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने मासिक सूचना-पत्र में छापी जाती है। इस सूचना-पत्र की प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

बजट घाटे को पूरा करने के लिए राज्य को वित्तीय सहायता

2987. **श्री अजित बाग** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 (बजट) में राज्य-वार बजट प्रावधानों में आधिक्य और घाटे की क्या स्थिति थी ; और

(ख) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 (बजट अनुमान) के दौरान बजट घाटे को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा, राज्य-वार क्या वित्तीय सहायता दी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) सभा-पटल पर रखे गए विवरण-एक में 1932-83 तथा 1983-84 के दौरान राज्य बजटों में वास्तविक अधिशेष/घाटे को तथा राज्य सरकारों द्वारा अपने बजटों में 1984-85 के लिए प्रस्तुत किए गए अनुसार अधिशेष/घाटे को भी दिखाया गया है।

(ख) सभा पटल पर रखे गए विवरण दो में राज्यों के बजटीय घाटे को पूरा करने के लिए 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान उन्हें उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता को दिखाया गया है। केन्द्रीय बजट में 1984-85 के दौरान राज्यों के घाटे को पूरा करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

विवरण-एक

राज्य	बजटीय अधिशेष (+) घाटा (—) (करोड़ रुपये)		
	1982-83	1983-84	1984-85
	वास्तविक	वास्तविक	बजट अनुमान
1 2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	+ 9.19	— 82.00	— 40.32
2. असम	— 30.87	— 50.99	— 62.22
3. बिहार	—235.36	+ 92.01	—126.94
4. गुजरात	+ 42.15	— 52.70	— 50.63
5. हरियाणा	— 66.87	+ 36.24	+ 3.70
6. हिमाचल प्रदेश	— 11.36	— 11.40	+ 5.10
7. जम्मू तथा काश्मीर	— 1.15	— 3.20×	— 3.00
8. कर्नाटक	— 46.91	— 32.19	—149.72
9. केरल	— 1.48	— 73.76	— 19.95
10. मध्य प्रदेश	— 64.45	— 15.05	— 36.66
11. महाराष्ट्र	+ 23.58	— 30.31	— 42.40
12. मणिपुर	— 17.58	— 1.13	+ 13.80
13. मेघालय	— 4.55	— 2.44	+ 20.62
14. नागालैण्ड	— 18.94	— 18.65	+ 17.35

× संशोधित अनुमान

1 2	3	4	5
15. उड़ीसा	— 55.96	+107.87	+ 2.01 δ
16. पंजाब	+ 25.60	—108.79	— 95.68
17. राजस्थान	— 26.07	+ 27.73	—165.45
18. सिक्किम	— 6.54	— 2.63	— 0.01
19. तमिलनाडु	— 40.50	— 21.98	— 72.19
20. त्रिपुरा	— 5.13	— 3.44	— 3.60
21. उत्तर प्रदेश	— 86.00	— 52.61	— 59.42
22. पश्चिम बंगाल	— 82.51	— 24.22	— 54.41
जोड़ :—	—701.71	—323.64	—939.92
	—802.23	—587.49	—982.50
	+100.52	+263.85	+ 42.58

δ राजस्व प्राप्तियों में दर्शाए गए 5 करोड़ रुपए का ए. आर. एम. इसमें शामिल नहीं है।

विवरण-दो

बजटीय घाटे को पूरा करने के लिए 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान केन्द्र द्वारा राज्यों को उपलब्ध करायी गयी वित्तीय सहायता

(करोड़ रुपए)

राज्य	1982-83	1983-84
1 2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	18.95	—
2. असम	127.43	—
3. बिहार	197.39	169.29
4. गुजरात	74.60	—
5. हरियाणा	75.79	19.63

1	2	3	4
6.	हिमाचल प्रदेश	36.91	—
7.	जम्मू तथा काश्मीर	—	—
8.	कर्नाटक	—	4.84
9.	केरल	93.93	42.26
10.	मध्य प्रदेश	154.88	10.27
11.	महाराष्ट्र	81.40	—
12.	मणिपुर	66.29	—
13.	मेघालय	16.41	—
14.	नागालैंड	21.96	—
15.	उड़ीसा	24.43	41.00
16.	पंजाब	97.35	21.32
17.	राजस्थान	283.46	48.71
18.	सिक्किम	—	—
19.	तमिलनाडु	—	55.78
20.	त्रिपुरा	30.72	—
21.	उत्तर प्रदेश	0.85	2.00
22.	पश्चिम बंगाल	340.71	73.72
	जोड़ :—	1743.46	499.12

इनाम जीतने वाली टिकटों की खरीद द्वारा काला धन को वैद्य धन में बदलना

2988. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 अप्रैल, 1984 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "मिस्ट्री सांउड्स नेवी रैफल प्राइज विनर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इनाम जीतने वाली टिकटों की अवैध ढंग से खरीद द्वारा बड़े पैमाने पर काले धन को वैध में बदलने की इन मामलों की जैसा कि समाचार में बताया गया है, कोई जांच की ; और

(ग) अब तक की गई जांच से क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण): (क) जी हां।

(ख) और (ग) लाटरी से ईनाम जीतने वाली टिकटों के माध्यम से काले धन की बहुत बड़ी रकम को सफेद धन में बदलने का कोई भी मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है। फिर भी आयकर विभाग इस मामले में सतर्क है तथा जब भी कोई ऐसा मामला जानकारी में आयेगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

भारत द्वारा व्यापार मेलों में प्रदर्शित वस्तुयें

2989. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने वर्ष 1983-84 के दौरान किन-किन देशों में आयोजित व्यापार मेलों में भाग लिया ;

(ख) इन व्यापार मेलों में प्रदर्शित मुख्य वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारत को उक्त मेलों से वस्तुओं की सप्लाई का कोई आदेश प्राप्त हुआ है और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर): (क) 1983-84 वर्ष के दौरान भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण ने इटली, जापान, जम्बाबवे, हंगरी, स्पेन, पौलैंड, इण्डोनेशिया, तुर्की, सीरिया, यूगोस्लावाकिया, स्विट्जरलैंड, ईरान एफ आर जी, इराक, हांगकांग, सेचिलस, सऊदी अरब, आस्ट्रेलिया, अमरीका, फ्रांस, नीदरलैंड, ब्रिटेन व सिंगापुर, बेनेजुएला नाइजीरिया, मिस्र, जी डी आर, वियतनाम तथा आइवरी कोष्ट में मेलों में भाग लेने का आयोजन किया।

(ख) इन प्रदर्शनियों में प्रदर्शनी के लिए हस्तशिल्प, चाय, कॉफी पटसन मसाले आदि जैसी परम्परागत मदों के अलावा उत्पादों की विस्तृत श्रेणियों में ये क्षेत्र शामिल हैं :—

इंजीनियरी, पूंजीगत उपकरण, मशीनी औजार, बसें, अर्थमूविंग मशीनरी, इलैक्ट्रॉनिक उत्पाद तथा कम्प्यूटर पैरीफियल्स और इंजीनियरी क्षेत्र में अन्य अनेक हल्की तथा मध्यम वस्तुयें, रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद, सभी किस्मों के वस्त्र, खेल का सामान, साधित खाद्य पदार्थ, सिलेसिलाये परिधान, वैज्ञानिक उपकरण, परामर्शी सेवायें तथा जानकारी।

(ग) तथा (घ) 1983-84 के दौरान भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा भाग लेने से उपलब्ध परिणाम दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1983-84 में भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा भाग लेने से प्राप्त परिणाम

(लाख रु० में)

क्रमांक	मेले का नाम	वस्तुओं की बिक्री	बुक किया गया कारोबार
1	2	3	4
1.	मिलान इंटरनेशनल फेयर, मिलान, इटली अप्रैल, 1983	40.00	50.00
2.	टोकियो इंटरनेशनल फैयर टोकियो (जापान) मई, 1983	5.11	110.00
3.	जिम्बाब्वे इंटरनेशनल फेयर, बुलवायो (जिम्बाब्वे) मई, 1983	0.05	4.00
4.	बुडापेस्ट इंटरनेशन स्पिरिंग फेयर, बुडापेस्ट (हंगरी) मई, 1983	0.01	—
5.	बार्सीलोना इंटरनेशनल फेयर, पोजनाम (पौलैंड) जून, 1983	0.73	13.00
6.	पोजनान इंटरनेशनल फेयर, पोजनाम. (पौलैंड) जून, 1983	—	—
7.	जकार्ता इंटरनेशनल फेयर, जकार्ता, (इंडोनेशिया), जुलाई/अगस्त, 1983	2.00	41.00
8.	इजमीर इन्टरनेशनल फेयर, इजमीर (तुर्की) अगस्त/सितम्बर, 1983	0.02	85.00
9.	दमिश्क इंटरनेशनल फेयर, दमिश्क (सीरिया) अगस्त/सितंबर, 1983	0.78	200.00
10.	जेगरेब इन्टरनेशनल फेयर, जेगरेब (यूगोस्लावाकिया) सितम्बर, 1983	—	—
11.	स्विस नेशनल फेयर, लुसाना (स्विटजरलैंड) 10-25 सितम्बर, 1983	10.00	43.50
12.	तेहरान इन्टरनेशनल फेयर, तेहरान (ईरान) सितम्बर, 1983	—	505.00

1	2	3	4
13.	21 वें ओवरसीज इम्पोर्ट फेयर "पार्टनर्ज फार प्रोग्रैस" बेरलीन, एफ आर जी अक्तूबर, 1983	0.30	539.00
14.	बगदाद इन्टरनेशनल फेयर, बगदाद (ईराक) नवम्बर, 1983	4.30	103.00
15.	हांगकांग इन्टरेनेशनल कंजूमर गुड्स फेयर हांगकांग, नवम्बर 1983	2.00	80.00
16.	कदूना इन्टरनेशनल फेयर, कदूना (नाइजीरिया) फरवरी, 1984	2.11	0.30
17.	लेपजिग स्पिरिंग फेयर, लेपजिग (जी डी आर), मार्च, 1984	1 68	414.70
18.	कारिया इन्टरनेशनल फेयर, कारिया (ए आर ई) मार्च, 1984	3.00	500.00
19.	वेलैन्सिया इन्टरनेशनल फेयर, वेलैन्सिया (वैन्जूला) मार्च, 1984	1.52	—
20.	इन्डिया वीक एट माहे (सेचिलीन) जून, 1983	0.60	—
21.	इन्डियन एग्जीविशन, उद्दाह (सं० अरब) दिसम्बर, 1983	0.00	1100-00
22.	इन्डियन एग्जीविशन, आबिदजान (ईवोरी कोस्ट) जनवरी, 1984	4.60	39.50
23.	इंडियन एग्जीविशन, हनोई (वियतनाम) फरवरी, 1984	0.39	2.50
24.	आस्ट्रेलिया इंटरनेशनल इन्जीनियरिंग एग्जीविशन, मेलबोर्न, आस्ट्रेलिया, अगस्त, 1983	—	1.50
25.	नेशनल शो फेयर आफ अमरीका, न्यूयार्क (यू. एस. एस) सितम्बर, 1983	—	9.62
26.	नेशनल हाईवेयर शो, चिकांगो (यू. एस. ए.) अगस्त, 1983	—	58.67

1	2	3	4
27.	इंटरनेशनल मैन्ज फैशन वीक कोलांग (एफ आर जी) अगस्त, 1983	—	2.00
28.	एम ए सी ई एफ— इंटरनेशलन एग्जीविशन आफ हाऊसोल्ड गुड्स, सेरीमीक वेयरज, सेरीमीक हार्डवेयर टूल्ज आदि, मिलान (ईटली) सितम्बर, 1983	—	10.30
29.	सीमेनाइन इन्टरनेशनल दू-केयर पेरिस (फ्रांस) सितम्बर, 1983	—	920.70
30.	प्रैअ-ए-पोर्टर फमिनी, पेरिस (फ्रांस) सितम्बर, 1983	—	720.00
31.	ब्रिटिश फुटवीयर शो, लंदन (यू. के.) अक्तूबर, 1983	—	26.00
32.	मोडेक्सपो-इन्टरनेशनल फेयर फार लेडीज वीर, जूरिच (स्विटजरलैंड) अक्तूबर, 1983	—	28.00
33.	अनुगा फूड फेयर, कोलोगने (एफ आर जी) अक्तूबर, 1983	—	146.80
34.	इन्टरकामा-इन्टरनेशनल कांग्रेस एण्ड एजिहिबिशन फार इंस्ट्रूमेंटेशन एण्ड ओटोमेशन, डुसेल्डोर्फ (एफ आर जी) नवम्बर, 1983	—	4.00
35.	मशीन टूल इन्डोनेशिया, जकार्ता (इन्डोनेशिया) नवम्बर, 1983	3.25	—
36.	हेमटैक्सहिल-फ्रन्कफर्ट (एफ आर जी) जनवरी, 1984	"	125.00
37.	प्रेट-ए-पोर्टर फैमिनिन पैरिस, (फ्रांस) फरवरी, 1984	—	00.00
38.	इन्टरनेशनल हार्डवेयर शो, कोलोगने (एफ आर जी) मार्च, 1984	—	400.00
39.	होटरस एण्ड फुडेक्स फेयर, टोकियो (जापान) मार्च,, 1984	—	407.00

दानापुर छावनी बोर्ड के अधीन बनाए गए जलाशय को चालू करना

2990. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दानापुर क्षेत्र में लोगों की जल समस्या को सुलझाने के लिए छावनी बोर्ड के अधीन कुछ महीने पहले बनाए गये जलाशय को चालू नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन कारणों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और उससे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) यह जलाशय अभी चालू नहीं हुआ है क्योंकि पंप स्थापित करने, बिजली चालू करने और ट्रांसफारमर फिट करने से सम्बन्धित जिन निर्माण कार्यों को निष्पादित करने की जिम्मेवारी राज्य लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग को सौंपी गई थी वे कार्य अभी पूरे करने बाकी हैं।

(ग) निर्माण कार्य को यथाशीघ्र पूरा करने और जलाशय को चालू करने के लिए छावनी वोर्ड के प्राधिकारी राज्य सरकार के प्राधिकारियों से बराबर संपर्क बनाए हुए हैं।

उड़ीसा में विदेशी और स्वदेशी पर्यटकों के यातायात में वृद्धि

2991. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने देश में पर्यटक महत्व के स्थानों पर स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों के यातायात में वृद्धि करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकों के यातायात में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय और स्वदेशी पर्यटकों के बढ़े हुए प्रवाह की सुविधा के लिए पर्यटन आधार-संरचना का निर्माण करने के वास्ते निम्नलिखित स्कीमें उड़ीसा में प्रारम्भ की गई हैं :—

1. नंदन कानून में 19.23 लाख रु० की अनुमानित लागत पर एक लॉयन सफारी पार्क की स्थापना।

2. 4.00 लाख रु० की लागत पर ललितगिरि, रत्नगिरि और उदयगिरि की मास्टर प्लान तैयार करना।

3. चिल्का झील में जल-कीड़ाओं के विकास के लिए 2.00 लाख रु० की अनुमानित: लागत पर नौकाओं की व्यवस्था।

4. कोर्णाक के सूर्य मन्दिर के समीप 3.49 लाख रु० की अनुमासित लागत पर एक प्रसाधन ब्लाक का निर्माण।

5. सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क में 36.76 लाख रु० की अनुमानित लागत पर एक बन-गृह का निर्माण।

6. खंड-गिरि-उदयगिरि में 8.10 लाख रु० की अनुमानित लागत पर प्रकाश-पुंज व्यवस्था।

7. एक रजिस्टर्ड सोसाइटी, भारतीय यात्री आवास विकास समिति द्वारा पुरी में यात्रिका का निर्माण।

8. भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा होटल कलिंग, भुवनेश्वर का 19.75 लाख रु० की लागत पर विस्तार।

9. भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के सहयोग से 134.00 लाख रु० की अनुमानित लागत पर पुरी में एक संयुक्त उद्यम होटल का निर्माण।

10. भारत पर्यटन विकास निगम के भुवनेश्वर स्थित परिवहन यूनिट में सुविधाओं को बढ़ाना।

हथकरघा बुनकरों की स्थितियों में सुधार हेतु धनराशि के लिए राज्य सरकारों का अनुरोध

2992. **श्री जी० वाई कृष्णन :**
श्री लक्ष्मण मलिक :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन राज्यों ने, जिनसे केन्द्र सरकार ने हथकरघा बुनकरों, की स्थितियों में सुधार हेतु कार्यक्रमों का वित्त पोषण करने के लिए कहा था, वापस केन्द्रों को लिखा है कि इस प्रयोजन के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायी जानी चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) हथकरघा विकास कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सरकार से निधियों का आबंटन निरन्तर आधार पर होता है तथा समान अन्शदान अपना भाग देने वाले राज्यों पर निर्भर करता है क्योंकि अधिकांश स्कीमें समान आधार पर कार्यान्वित की जा रही हैं। प्रत्येक वर्ष में भिन्न भिन्न योजना स्कीमों के लिए आवंटन की वार्षिक योजना कार्यक्रम के दौरान योजना आयोग के साथ परामर्श करके अन्तिम रूप दिया जाता है ।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा मकान बनाने के लिए भविष्य निधि से धन निकालना

2993. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मकान बनाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को 100 महीने के वेतन के बराबर ऋण देने की अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो यह किस तारीख से किया गया है ;

(ग) क्या भविष्य निधि एवं उपदान योजना में अन्शदान करने वाले कर्मचारियों के लिए मकान बनाने हेतु भविष्य निधि में से ऋण लेने की अधिकतम सीमा भी बढ़ा दी गई है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) मकान के अधिग्रहण/निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को स्वीकार्य गृह निर्माण अग्रिम की राशि को 1 अप्रैल, 1984 से बढ़ाकर 100 महीने का वेतन या मकान के अधिग्रहण/निर्माण की लागत या कर्मचारी की ऋण वापिस करने की क्षमता या 1.25 लाख रुपये, इसमें से जो भी कम हो, कर दिया गया है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होने वाले अंशदायी भविष्य निधि/सामान्य भविष्य निधि से गृह निर्माण के लिये धन निकालने की सीमा में निकट अतीत में कोई वृद्धि नहीं की गई है । विद्यमान सीमा पर्याप्त समझी जाती है, विशेषरूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि मकानों की बढ़ी हुई लागत को पूरा करने के लिये गृह निर्माण अग्रिम की मात्रा में वृद्धि कर दी गई है।

गुजरात की रुग्ण मिलों के लिए रूई की गांठों का आयात

2994. **श्री छोटूभाई गामित** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कपड़ा उद्योग में कच्चे माल की बेहद कमी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गुजरात में उन रूग्ण मिलों के लिए रूई की गांठों का आयात करने के प्रस्ताव पर विचार किया है ; जिन्हें पुनः खोलने के लिये राज्य सरकार कदम उठा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) माननीय संसद सदस्य शायद वस्त्र उद्योग को रूई की सप्लाई की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं। चालू मौसम के दौरान आरम्भ में रूई के उत्पादन का अनुमान 85 लाख गांठें लगाया गया था लेकिन बाद में कतिपय रूई उत्पादक राज्यों में खराब मौसम तथा कीट के कारण रूई की फसल को नुकसान हुआ, परिणामस्वरूप रूई विशेष रूप से छोटी तथा मध्यम स्टेपल किस्मों का कम उत्पादन हुआ। अब 77 लाख गांठों का रूई का अनुमान लगाया गया है जबकि पहले यह 85 लाख गांठों का था।

(ख) इस समय रूई के आयात का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में शीतागार उद्योग के लिए वित्त

2995. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में शीतागार उद्योगों को (एक) पूंजी वित्त (दो) कार्यचालन वित्त (तीन) कृषि वित्त के मामले में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वित्त दिया जा रहा है ;

(ख) क्या बिहार शीतगार संघ के अध्यक्ष का यह वक्तव्य सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 80 प्रतिशत शीतागार उद्योग को वित्त प्रदान किया जाता है लेकिन भारतीय स्टेट बैंक की बिहार शाखाओं द्वारा कार्यगत पूंजी तथा कृषि विकास हेतु पिछले तीन वर्षों से अर्थात् 1982 से उनको वित्त प्रदान नहीं किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या बिहार में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं को यह निदेश देने का प्रस्ताव है कि भारत के अन्य राज्यों के समान शीतागार उद्योगों के सफलतापूर्वक कार्यकरण के लिए वित्त प्रदान किया जाये और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध और नियमों के अधीन अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार में स्व-रोजगार के लिए युवकों को उपलब्ध कराए गए ऋण

2996. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में 1983-84 और 1984-85 के दौरान प्रत्येक वर्ष स्व-रोजगार के लिए 30,000 युवकों को ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो खंडों से बैंकों की शाखाओं को कितने आवेदनों पर सिफारिश की गई और भेजे गए तथा कितने लोग नियोजित हुए ;

(ग) क्या बैंकों ने अपने निवेश पर 5 से 10 प्रतिशत का अनुचित लाभ प्राप्त करके सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य का केवल 10 प्रतिशत ही प्राप्त किया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बेरोजगारी बढ़ाने के आरोप पर ऐसे बैंकों को दंडित करने के लिए ठोस कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) स्वःरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 में बिहार के लिए 29,000 हिताधिकारियों को ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। बैंकों से 15 अगस्त, 1984 तक मंजूर किए गए सभी मामलों में ऋण की राशि संवितरित कर देने के लिए कहा गया है ।

(ख) हाल ही में उपलब्ध सूचना के अनुसार, बिहार राज्य में 31 मार्च, 1984 तक के 2278.64 लाख रुपए की राशि के 14230 आवेदन मंजूर किए गए थे।

(ग) बिहार राज्य के लिए स्वः रोजगार योजना के अन्तर्गत 29,000 हिताधिकारियों के लक्ष्य की तुलना में बैंकों द्वारा 14230 आवेदन मंजूर किए जा चुके हैं अर्थात 31-3-84 को सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य का 49 प्रतिशत प्राप्त कर लिया गया था । बैंकों द्वारा इस योजना पर कुछ प्रतिशत का लाभ उठाने का सवाल पैदा ही नहीं उठता । पात्र उद्यमियों को 25,000 रुपए से कम की राशि के संयुक्त ऋण पिछड़े क्षेत्रों में 10 प्रतिशत ब्याज दर पर और अन्य क्षेत्रों में 12 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध है ।

(घ) यह सवाल ही पैदा नहीं होता।

स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड से कोयले और कपड़े की चोरी के बारे में न्यायालय में लंबित पड़े केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अपराधिक मामले

2997. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** स्वदेशी काटन मिल्स का सुव्यवस्थित ढंग से चलना के बारे में 6 अप्रैल 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6803 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड के एककों में कपड़े और कोयले की चोरी के बारे में न्यायालय में लंबित पड़े केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अपराधिक मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड के एककों में इन चोरियों की पुनरावृत्ति रोकने और अन्य कदाचारों को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) कोयले की कथित चोरी का

मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया था, जिसने अपनी जांच पूरी करने के बाद नियमित विभागीय जांच करने की सिफारिश की है। यह विभागीय जांच इस बीच विभागीय जांच आयुक्त, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली द्वारा पूरी की जा चुकी है।

कपड़े की कथित चोरी के सम्बन्ध में अपराधिक मामला सम्बन्धित व्यक्ति को निर्दोष ठहराते हुये समाप्त हो गया है।

(ख) स्वदेशी काटन मिल्स के एककों में सुरक्षा बनाये रखने/सुदृढ़ करने की दृष्टि से निम्नोक्त उपाय किये जा रहे हैं :—

1. एन० टी० सी (उ० प्र०) लि० का सतर्कता प्रभाग नियमित रूप से अचानक जांच करता है ;

2. मिलों के दरवाजों पर क़ामगारों की तलाशी ली जाती हैं ;

3. कपड़े की गांठे सुरक्षा कार्मिक की उपस्थिति में ट्रकों तथा गाड़ियों में लादी जाती हैं ;

4. मिलों को कोयले के समुचित परिवहन का निरीक्षण करने के लिये रेलवे कोयला यार्डों पर निगरानी स्टाफ तैनात किया गया है। कोयले की प्राप्ति तथा उसके उपयोग के सम्बन्ध में आवश्यक रिकार्ड रखे जाते हैं।

बिहार में राजगीर, नालन्दा और पावापुरी के पर्यटन-स्थलों का विकास

2998. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में राजगीर, नालन्दा और पावापुरी के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए क्या कार्यवाही की गई है और इस पर कितना खर्च हुआ है ;

(ख) क्या सरकार उपरोक्त महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की अपेक्षा कर रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन स्थलों के विकास और सुधार की प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) केन्द्र राज्य और प्राइवेट सेक्टरों के मिश्रित संसाधनों से अवस्थानुसार विकास के लिए राजगीर, नालन्दा और पावापुरी को बिहार के लिए निर्धारित यात्रा परिपथ में शामिल किया गया है। विभाग का राजगीर में एक अल्पाहार-गृह का निर्माण करने का प्रस्ताव है। राजगीर में एयर इंडिया और होक्के क्लब आफ जापान द्वारा एक संयुक्त उद्यम होटल निर्माणाधीन है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

विभाग ने नगर व ग्राम आयोजना संगठन (टी० सी० पी० ओ०) के जरिए राजगीर और नालन्दा के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार कराए हैं।

दिल्ली और बंगलौर क्षेत्रीय डिजाइन और तकनीकी विकास केन्द्रों का "रंग अतंत्र" को हस्तान्तरण

2999. **श्री विजय कुमार यादव :**

श्री अजित बाग :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड ने 1957-58 में दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और बंगलौर में चार क्षेत्रीय डिजाइन और तकनीकी विकास केन्द्रों की स्थापना की थी ;

(ख) प्रत्येक केन्द्र में प्रत्येक ग्रेड में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ; उनके वेतनमान क्या हैं तथा उनमें से कितने स्थाई और कितने अस्थाई हैं ;

(ग) क्या इन केन्द्रों के कार्यचालन के सम्बन्ध में कोई कमियां, खामियां/शिकायतें हैं ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या दिल्ली और बंगलौर स्थित दो केन्द्रों को "रंग अतंत्र" नामक एक डिजाइन सोसाइटी को हस्तांतरित किए जा रहे हैं ;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसा निर्णय लिए जाने के क्या कारण हैं ;

(च) "रंग अतंत्र" की स्थापना कब हुई थी और इसके आयोजकों और इस संस्था से सम्बद्ध व्यक्तियों के नाम क्या हैं ;

(छ) क्या इन संस्थाओं के कर्मचारी उन्हें व्यक्तिगत रूप से मिले थे और उन्हें कोई अभ्यावेदन दिया था, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ज) उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां। क्षेत्रीय डिजाइन केन्द्र 1957-59 में स्थापित किए गए तथा 1974 में प्रत्येक केन्द्र के साथ तकनीकी विकास विंग जोड़े गए।

(ख) इन केन्द्रों में कार्य कर रहे स्टाफ सदस्यों की संख्या प्रत्येक केन्द्र के सम्बन्ध में निम्नोक्त प्रकार है :—

क्र० सं०	केन्द्र का नाम	कुल स्टाफ संख्या
1.	आर. डी. टी. डी. सी. नई दिल्ली	62
2.	,, बंगलौर	133
3.	,, बम्बई	44
4.	,, कलकत्ता	59

मांगे गये और ब्यौरे एकत्र किये जा रहे हैं।

(ग) जी हां। इन केन्द्रों के कार्य निष्पादन की सरकार द्वारा स्थापित समितियों द्वारा समय-समय पर महत्वपूर्ण समीक्षा की गई है। शिल्पों के लिए डिजाइनों के विकास में योगदान अपर्याप्त आंका गया है तथा यह पाया गया कि स्टाफ में सृजनात्मक योग्यता और विशेषज्ञता का अभाव है।

केन्द्रों के बारे में अद्यतन आरोप 1979-80 में लेखा-परीक्षा के दौरान नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा लगाया गया। उन्होंने यह कहकर इन केन्द्रों की आवश्यकता के बारे में ही आक्षेप उठाया कि विगत में इनके कार्य को देखते हुए उनको जारी रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। उन्होंने उन केन्द्रों द्वारा दी गई प्रगति रिपोर्टों की सच्चाई पर भी आक्षेप किया।

(घ) जी हां।

(ङ) सरकार ने आर डी एण्ड टी डी सी के वर्तमान ढांचे के वैकल्पिक स्वरूप के रूप में स्वायत्तशासी संस्था स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा बोर्ड की डिजाइन तथा प्रशिक्षण सलाहकार समिति द्वारा गठित उप समिति की सिफारिश स्वीकार की थी।

(च) "रंगतंत्र" डिजाइन सोसाइटी का पंजीकरण 3-3-84 को सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत किया गया। "रंगतंत्र" की कार्यकारी के नामों को दर्शाने वाला अनुबन्ध संलग्न है।

(छ) तथा (ज) कर्मचारियों के प्रतिनिधि उप मंत्रियों से मिले हैं। उनका अभ्यावेदन विचाराधीन है।

विवरण

दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र पर लागू होने वाले पंजाब संशोधन अधिनियम 1957 के साथ पठित सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम 1960 की धारा 2 के अन्तर्गत अपेक्षित रूप में कार्यकारी समिति के उन प्रथम सदस्यों के नाम पते व्यवसाय और पदनाम, जिन्हें सोसाइटी के कार्यों का प्रबंध सौंपा गया है, इस प्रकार है :—

क्र० सं०	नाम तथा पता	व्यवसाय	पदनाम
1	2	3	4
1	श्रीमती पीपुल जैकर 11-ए, सफदरजंग रोड़, नई दिल्ली	सलाहकार, हथकरघा तथा हस्तशिल्प, भारत सरकार	अध्यक्ष

1	2	3	4
2.	श्री शिरोमणि शर्मा सी-II 78, बापा नगर, डा० जाकिर हुसैन मार्ग	विकास आयुक्त (हस्त-शिल्प), वाणिज्य मंत्रालय	सदस्य
3.	श्री डी० अरोड़ा डी-61, पंचशील एनक्लेब, नई दिल्ली	अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, भारतीय हस्तशिल्प निर्यात निगम, लि० नई दिल्ली	सदस्य
4.	श्री एस० कृष्णामूर्ति 4/39 डब्ल्यू ई-एरिया, करोल बाग, नई दिल्ली	निदेशक, वित्त प्रभाग, वाणिज्य मंत्रालय उद्योग भवन, नई दिल्ली	सदस्य
5.	श्री रजीव सेठी सी-49 नीति बाग, नई दिल्ली	डिजाइनर कन्सलटेर	सदस्य
6.	श्री मारतन्दा सिंह, 71, लोधी एस्टेट नई दिल्ली	———	
7.	श्रीमती राठी विनय झा डी-11,5 शाहजहाँ रोड नई दिल्ली	अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) वाणिज्य मंत्रालय	कार्यकारी निदेशक

लौह-अयस्क का निर्यात

3000. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज और धातु व्यापार निगम ने देश से लौह अयस्क के निर्यात के सम्बन्ध में क्या विचार व्यक्त किये हैं ;

(ख) वर्ष 1984-85 में बन्दरगाहवार लौह अयस्क का निर्यात करने के लिए खनिज और धातु व्यापार निगम के लिए क्या मार्गनिर्देश रखे गये हैं ; और

(ग) उड़ीसा से लौह अयस्क का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) खनिज व धातु व्यापार निगम का ऐसा विचार है कि राष्ट्रीय हित में देश से लौह अयस्क के निर्यातों में उल्लेखनीय रूप से तथा तेजी से वृद्धि की जानी चाहिए ।

(ख) खनिज व धातु व्यापार निगम 1984-85 के दौरान सभी पत्तनों के माध्यम से 16 मिलियन मे. टन लौह अयस्क निर्यात करने के लक्ष्य के अनुसार कार्य कर रहा है। वर्ष के दौरान निर्यातों के पत्तनवार प्रक्षेपण निम्नोक्त प्रकार है :—

पत्तन	1984-85 (निर्यात प्रक्षेपण)
विजाग	6.00
मद्रास	4.00
मर्मुगांव	3.21
पारादीप	1.39
रिदि	1.20
अन्य पत्तन	0.20
	16.00

खनिज व धातु व्यापार निगम पत्तन क्षमता, अयस्क की उपलब्धता तथा क्रेता अभिसूचियों के अनुरूप इन पत्तनों के माध्यम से अधिकाधिक निर्यात संभाव्यता के लिए भरसक प्रयास कर रहा है।

(ग) उड़ीसा से लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः पारादीप पत्तन के माध्यम से किया जाता है। विदेशी खरीदार पारादीप पत्तन के माध्यम से, उसकी डुबाव परिसीमाओं एवं बहुत अधिक गाद होने की वजह से लौह अयस्क उठाने के लिए अनिच्छुक है। तथापि, उड़ीसा से लौह अयस्क का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नोक्त प्रयास किए जा रहे हैं :—

(1) एम. एम. टी. सी. को लौह अयस्क के निर्यात के लिये ऐसे देशों में नये बाजारों का पता लगाने के लिए कहा गया है जो पारादीप पत्तन पर छोटे पोत भेजने के इच्छुक हों। एम. एम. टी. सी 1983-84 में पारादीप पत्तन से लगभग 10 लाख मे० टन लौह अयस्क निर्यात कर सका है। 1984-85 में भी, एम. एम. टी. सी. के प्रयासों के फलस्वरूप ऐसी संभावना है कि अब दक्षिण कोरिया लगभग 5 लाख मे. टन. जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य 2 लाख मे. टन और जापान 5 लाख मे. टन का खरीद करेगा, जिससे 1984-85 के लिए उनके अनुमानित निर्यात लगभग 1.2 मिलियन मे. टन हो जाएंगे।

(2) एम. एम. टी. सी. इस बात के लिए सहमत हो गया है कि कीमतों में छूट देकर पारादीप से अयस्क उठाने में अन्तर्ग्रस्त भाड़े के उच्चतर भार के सम्बन्ध में खरीदारों की प्रतिपूर्ति की जाए।

(3) दो पत्तन वाले लदान अर्थात् पारादीप पर आरम्भिक लदान और मद्रास पत्तन पर आटापिंग की सम्भावना और आर्थिक क्षमता के बारे में एम. एम. टी. सी. विचार कर रहा है।

(4) पारादीप पत्तन पर लौह अयस्क की उतराई चढ़ाई की सुविधाओं में हाल में काफी लागत से पर्याप्त सुधार कर दिया गया हैं।

(5) रात के समय जलयानों की व्यवस्था करने के लिए रात्रि नौवहन आरम्भ किया गया है।

(6) उड़ीसा सरकार एम. एम. टी. सी. से परामर्श करके पारादीप पत्तन में ट्रांसशिपर-सह-ड्रेजर स्थापित करने की सम्भावना के बारे में विचार कर रहा है ताकि पत्तन की लदान क्षमता बढ़ाई जा सके और मिट्टी जमा होने का सतत आधार पर हल ढूंढा जा सके।

सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में विस्थापितों का पुनर्वास

2001. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उद्यम ब्यूरो की प्रमुख परियोजनाओं में विस्थापितों के पुनर्वास के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय से कोई मार्ग-निर्देश प्राप्त हुए हैं,

(ख) क्या सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा मार्ग-निर्देशों की जांच कर ली गई है,

(ग) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए सरकारी उद्यम कार्यालय के वर्तमान मार्ग-निर्देशों में पुनर्वास नीति को सम्मिलित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं,

(घ) क्या मंत्रालय और सरकारी उद्यम ब्यूरो ने सिद्धान्त रूप से यह स्वीकार कर लिया है कि पुनर्वास की लागत परियोजना लागत का ही भाग होनी चाहिए, और तदनुसार सरकारी क्षेत्र की सभी परियोजनाओं और उपक्रमों को नए मार्ग-निर्देश जारी कर दिए गए हैं, और

(ङ) यदि हां, तो नए मार्ग निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) (क) जी हां।

(ख) और (ग) कोयला औद्योगिक परियोजनाओं तथा ऐसी अन्य परियोजनाओं के लिए जिन व्यक्तियों की भूमि अधिग्रहीत की गई है उन्हें रोजगार, पुनर्वास आदि प्रदान किये जाने के प्रश्न पर सरकार फिलहाल उच्च स्तर पर जांच कर रही है। परियोजना स्थलों से विस्थापित व्यक्तियो के पुनर्वास के विषय में गृह मंत्रालय द्वारा परिचालित मार्ग निर्देशों पर भी सरकार द्वारा विधिवत विचार किया जायेगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

राज्यों की राजधानियों में यात्री निवास का निर्माण

3002. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने देश और विदेशों के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राज्यों की राजधानियो और पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर यात्री निवासों के निर्माण के प्रस्तावों की जांच कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब तक क्रियान्वित की जायेगी ;

(ग) क्या राजधानी में भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबन्ध वाले अन्य होटलों की अपेक्षा अशोक यात्री निवास में स्वदेशी पर्यटक अधिक ठहरते हैं ;

(घ) क्या सस्ती दरों के कारण ऐसा होता है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार उच्च स्तर के 5 सितारा होटलों की अपेक्षा यात्री निवास किस्म के होटलों का अधिक निर्माण करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) विदेशी पर्यटकों सहित बजट पर्यटकों को सस्ते होटल मुहैया कराने के लिए, भारत पर्यटन विकास निगम ने यात्री निवास किस्म के होटलों का निर्माण करने के एक कार्यक्रम की शुरूआत की थी। नई दिल्ली में 560.00 लाख रु० की अनुमानित लागत पर एक यात्री निवास का निर्माण पहले ही किया जा चुका है।

(ग) और (घ) अशोक यात्री निवास में आकुपैंसी की, भारत पर्यटन विकास निगम के अन्य होटलों की तुलना में, उच्चतर दर केवल इसके साधारण टैरिफ की वजह से ही नहीं है बल्कि नई दिल्ली के बीचो-बीच इसकी केन्द्रीय स्थिति की वजह से भी है।

(ङ) दिल्ली परियोजना के पहले 2-3 वर्षों के परिचालन परिणामों का मूल्यांकन कर लेने के बाद ही अन्य स्थानों पर यात्री निवासों के निर्माण पर विचार किया जाएगा।

आदिवासी, पिछड़े और विकसित क्षेत्रों में स्थित सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में रोजगार की सुविधाएं

3003. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो ने आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों तथा विकसित क्षेत्र में स्थित सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में रोजगार और अन्य सुविधाओं के प्रश्न की जांच की है,

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि जांच की है, तो रोजगार और अन्य सुविधाओं के मामले में उनमें क्या अन्तर है, और

(घ) क्या उनका मंत्रालय सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो से मार्ग-निर्देशों में इस प्रकार संशोधन करने का अनुरोध करेगा, जिससे आदिवासों और पिछड़े क्षेत्रों के स्थानीय लोगों को लाभ प्राप्त हो ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ग) जी, हां।

आदिवासी, पिछड़े और विकसित क्षेत्रों में स्थित सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में रोजगार एवं अन्य सुविधाओं जैसे आवास व्यवस्था तथा शिक्षा आदि के विषय में अनुदेश जारी किए गए हैं जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) **रोजगार**—जिन पदों का वेतनमान 800/- रुपये मासिक (संशोधन पूर्व) से अधिक नहीं है तथा केन्द्रीय सरकार/औद्योगिक महंगाई भत्ता दरें अपनाने वाले या उन उद्यमों में 1250/- रुपये मासिक (जहाँ 1982 से वेतनमान परिशोधित किये गये हैं) जिन्होने महंगाई भत्ते की औद्योगिक दरें अपना ली हैं. उनके लिये भर्ती रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती है। किन्तु उन क्षेत्रों से विस्थापित व्यक्तियों अथवा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों को रोजगार के मामले में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।

(2) **आवास व्यवस्था**—आवास सुविधा प्राप्त कर्मचारियों का निर्धारित प्रतिशत भिन्न-भिन्न हैं जैसे—10 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले कस्बे के 10 मील के भीतर स्थित परियोजनाओं के लिये 40 प्रतिशत, मध्यम आकार के शहरों के नजदीक स्थित परियोजनाओं के लिये 55 प्रतिशत और दुर्गम तथा दूरवर्ती स्थानों के लिये 70 प्रतिशत है।

(3) **शिक्षा**—सरकारी उद्यमों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कर्मचारियों के बच्चों को शैक्षिक सुविधायें प्रदान करें। परियोजना क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना किये जाने तथा जिन उपक्रमों के कर्मचारियों के 20 या उससे अधिक बच्चे क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हों, उनके लिये क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षण प्रदान किये जाने का भी संभवतः प्रयास किया जाता है।

(4) **अन्य सुविधायें**—सरकारी उद्यमों को चाहिये कि वे अपनी बस्तियों की योजना इस प्रकार तैयार करें जिससे सामुदायिक सुविधाओं जैसे—औषधालयों और अस्पतालों, मनोरंजन सुविधाओं जैसे सामुदायिक केन्द्रों, खेल के मैदानों आदि की व्यवस्था की जा सके।

(ख) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ग) को देखते हुये प्रश्न ही पैदा नहीं होते।

अफीम के उत्पादन पर व्यय में वृद्धि

3004. **श्री चतुर्भुज** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों, कीटनाशकों, श्रम और जुताई आदि की लागत में वृद्धि होने के कारण अफीम के प्रति हैक्टेयर उत्पादन व्यय में वृद्धि हो रही है

(ख) यदि हां, तो अफीम के मूल्य कब से पुनरीक्षित नहीं किए गए हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और भविष्य में अफीम की खेती का क्षेत्र कम न होने देने तथा उसके मूल्य में वृद्धि करने के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) यह बताया गया है कि अफीम के उत्पादन में काम आने वाले कुछ उपकरणों की लागत में वृद्धि हो जाने की वजह से अफीम का प्रति हेक्टेयर उत्पादन व्यय बढ़ गया है । तथापि, काश्तकारों को अफीम का मौजूदा देय मूल्य पर्याप्त रूप से लाभकार है ।

काश्तकारों को अफीम के देय मूल्य का संशोधन/युक्तियुक्तकरण विगत में फसल वर्ष 1981-82 में किया गया ।

विभागीय नारकोटिक्स के वार्षिक सम्मेलन में, आगामी फसल वर्ष में पोस्त की काश्त के रकबे और काश्तकारों को देय मूल्य सहित पोस्त की काश्त संबंधी विभिन्न मुद्दों पर विचार किया जाता है, और सम्मेलन सरकार को विचारार्थ सिफारिशें पेश करता है ।

भारतीय अफीम को लगातार वैकल्पिक स्वापक कच्ची सामग्री-मुख्यतया पोस्त की भूसी के सांद्रण-के सांद्रण-के कारण कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है । उक्त सम्मेलन काश्तकारों को अफीम के देय मूल्य पर ये-ये बातें ध्यान में रखकर विचार करता है—अफीम के निर्यात मूल्य को प्रतिस्पर्द्धी बनाने की जरूरत, काश्त की फसल से होने वाली आय तथा पोस्त की काश्त वाले क्षेत्रों में काश्त की गई अन्य नकदी फसलों से होने वाली आय की परस्पर तुलना, अफीम अन्तरराष्ट्रीय बाजार-स्थिति, हमारे पास मौजूद अफीम का स्टाक, आदि । अफीम की मूल्य-संरचना नियत करते वक्त यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखा जाता है कि काश्तकारों को पोस्त की फसल से होने वाली आय, उत्पादन-लागत से अधिक हो । तदनुसार, फसल वर्ष 1984-85 के लिए काश्तकारों को अफीम के देय मूल्य तथा पोस्त की काश्त के लिए कितने रकबे की अनुमति दी जाए, इनसे सम्बन्धित मुद्दों पर अन्य सभी संगत कारकों को ध्यान में रखकर शीघ्र ही होने वाले आगामी वार्षिक विभागीय नारकोटिक्स सम्मेलन में विचार किया जाएगा ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम को वित्तीय संकट से बचाने के उपाय

3005. **श्री के० राममूर्ति**: क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम लगभग 21 करोड़ रु० के मूल्य के नियन्त्रित कपड़ों के भण्डारों को नहीं बेच सका है तथा राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ को पहले बेचे जा चुके कपड़े के लिए इतनी ही धनराशि राष्ट्रीय कपड़ा निगम को देय है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद ने संशोधित नियन्त्रित कपड़ा योजना के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ग) नियन्त्रित कपड़ा उत्पादन के फलस्वरूप राष्ट्रीय कपड़ा निगम को इस प्रकार के भारी वित्तीय दबाव से बचाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के पास 30-6-84 की स्थिति के अनुसार लगभग 22.72 करोड़ रु० के कन्ट्रोल के कपड़े के स्टाक बताए जाते हैं। राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अभिलेखों के अनुसार राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ से लगभग 19 करोड़ रु० प्राप्त हैं।

(ख) कन्ट्रोल के कपड़े की घरेलू खरीदारी के संबंध में राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट का प्रथम भाग प्राप्त हो गया है।

(ग) कंट्रोल के कपड़े की स्थिति की आवधिक समीक्षा मंत्रालय में एन. टी. सी. और एन. सी. सी. एफ. के प्रतिनिधियों के साथ की जाती है।

दिल्ली हवाई अड्डे पर तस्करों की मदद कर रहे सीमा शुल्क अधिकारी

3006. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क के अधिकारी तस्करों की मदद कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह पता लगाने के लिये कि क्या दिल्ली में तैनात सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के फील्ड कर्मचारियों की आस्तियां उनके ज्ञात स्त्रोतों से प्राप्त आय से अधिक तो नहीं है सरकार ने उनकी आस्तियों और देयताओं की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) प्रश्न में किसी कर्मचारी विशेष का अथवा किसी मामले-विशेष का उल्लेख नहीं है, इसलिए कोई निश्चित उत्तर देना संभव नहीं है। दिल्ली हवाई अड्डे पर कुछेक सीमाशुल्क अधिकारियों के अन्तर्ग्रस्त होने की सम्भावना के प्रमाण मिले हैं और जांच-पड़ताल जारी है।

(ख) सभी अधिकारियों की परिसम्पत्तियों एवं देनदारियों का संचालन केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के उबबन्धों के तहत विभाग द्वारा किया जाता है। उक्त नियमों में इस संबंध में परिसम्पत्तियों आदि की सूचना देने विषयक विस्तृत कार्यविधि निर्धारित की गई है।

(ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए इसका प्रश्न नहीं उठता।

भारत पर्यटन विकास निगम के वाहनों का समुचित उपयोग

3007. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के पास इस समय कुल कितने वाहन हैं और क्या इन वाहनों का समुचित उपयोग किया जा रहा है ;

(ख) अनुमानित उपयोग की प्रतिशतता की तुलना में वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान इन वाहनों को वास्तव में कितने प्रतिशत उपयोग में लाया गया ;

(ग) उन वाहनों की संख्या क्या है जिनका मरम्मत और रखरखाव के कारण अनेक दिनों तक उपयोग नहीं किया जा सका ;

(घ) उन वाहनों की संख्या क्या है जो प्रत्येक वर्ष के दौरान मरम्मत तथा देखरेख के लिये रखे गए तथा उन वाहनों को कितने दिनों मरम्मत तथा देखरेख में रखा गया तथा उसके परिणामस्वरूप कितने धन की हानि हुई ; और

(ङ) क्या वाहनों पर ईंधन के उपयोग पर किया गया खर्च भी सामान्य खर्च की अपेक्षा अधिक था और इसके परिणामस्वरूप भी निगम को हानि हुई और यदि हां, तो वर्षवार हुई हानि का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) 30 जून, 1984 की स्थिति के अनुसार भारत पर्यटन विकास निगम के पास कुल 220 वाहन थे। उनके उपयोग की प्रतिशतता इस प्रकार है :—

वर्ष	उपयोग की प्रतिशतता
1981-82	45.06
1982-83	53.11
1983-84	53.91

निगम द्वारा वाहनों का समुचित उपयोग करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं।

(ग) और (घ) वाहनों की मरम्मत/देख-रेख के लिए कुल निम्नलिखित दिनों तक रखा गया :—

वर्ष	वाहन दिन
1981-82	26438
1982-83	13433
1983-84	14469

(ङ) वाहनों में प्रयोग किया गया औसत ईंधन वाहनों के मेक और मॉडल के अनुसार संतोषजनक है।

देवास बैंक नोट प्रेस से सौ रुपये के बिना नम्बर वाले नोटों का परिचालन

3008. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो

वर्षों के दौरान देवास बैंक नोट प्रेस से सौ रुपये के नम्बर रहित नोटों अथवा "शीट" के अनियमित परिचालन के मामले के बारे में तथ्य क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा उसके क्या परिणाम रहे ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : बैंक नोट प्रेस, देवास में 22 जुलाई, 1983 को 100 रुपये मूल्य वर्ग के नोटों की एक बिना नम्बर की छपी हुई शीट कम पायी गई थी। इस मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई थी और मामले की जांच राज्य के खुफिया विभाग (सी० आई० डी०) द्वारा की जा रही है। इसकी सूचना केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी० बी० आई०) को भी दे दी गई थी और वे जांच कर रहे हैं। प्रेस के एक कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है और दो अन्य कर्मचारियों को आरोप-पत्र दिए गए हैं। जिन परिस्थितियों में चोरी हुई उनका पता राज्य के खुफिया विभाग और केन्द्रीय जांच ब्यूरो से रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही चल सकेगा।

विमानपत्तनों को अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों में परिवर्तित करना

3009. **श्रीमती जयंती पटनायक :**

श्री चिरन्जी लाल शर्मा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुछ विमानपत्तनों को अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या सरकार का दिल्ली में (पालम के निकट) तथा कुछ अन्य राज्यों में भी कुछ और अन्तर्राष्ट्रीय "एयर टर्मिनल" स्थापित करने का भी कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो उन विमान पत्तनों के क्या नाम है जिनका अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के रूप में विस्तार करने का प्रस्ताव है तथा उन विमानपत्तनों के क्या नाम हैं जहां पर अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के निर्माण करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) इसके लिए कितने धन की व्यवस्था की गई है तथा अन्तर्राष्ट्रीय एयर टर्मिनल के निर्माण को प्रारम्भ करने तथा उसे पूरा करने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) और किसी विमान क्षेत्र को अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जिन विमान क्षेत्रों पर अन्तर्राष्ट्रीय अन्तस्थ भवनों का निर्माण किया जा रहा है उनके नाम, उनके लिए की गई वित्त व्यवस्था तथा समय-सीमा नीचे दी गई हैं :

विमान क्षेत्र का नाम	अनुमानित लागत	पूरा होने की संभावित तारीख
	(करोड़ रुपये)	
1. अंतर्राष्ट्रीय विमान अंतस्थ, पालम, दिल्ली	95.00	अक्तूबर, 1985
2. अंतर्राष्ट्रीय यात्री अंतस्थ परिसर (प्रावस्था 2) सहार, बम्बई ।	41.23	जून, 1985
3. अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की व्यवस्था के लिए त्रिवेन्द्रम पर एक नए अंतस्थ भवन का निर्माण ।	5.37	दिसम्बर, 1984
4. अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की व्यवस्था के लिए पटना पर एक आगमन हॉल का निर्माण ।	14.85	31 अगस्त, 1984

इसके अतिरिक्त, अंतर्देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय यातायात के लिए अधिक अच्छी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए त्रिची पर वर्तमान अंतस्थ भवन में संवर्धन और परिवर्तन की परियोजना आरम्भ की गई है। लगभग 12.83 लाख रुपये के व्यय से इस परियोजना की पहली प्रावस्था के दिसम्बर, 1984 के अन्त तक पूरा हो जाने की संभावना है । अन्तर्देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात के लिए अधिक अच्छी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए वाराणसी पर वर्तमान अन्तस्थ भवन के विस्तार का कार्य भी आरम्भ करने का प्रस्ताव है। लागत तथा समय के अनुमानों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

गुजरात में अधिक वायुदूत सेवाएं आरम्भ करना

3010. **श्री नवीन रावणी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कौन-कौन से नगर वायुदूत सेवा से जुड़े हैं ;

(ख) क्या गुजरात में कुछ और स्थानों, विशेष रूप से सौराष्ट्र क्षेत्र में, को जोड़ने हेतु वायुदूत की और सेवाएं आरम्भ करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) वायुदत कांडला को बम्बई से जोड़ते हुए एक दैनिक सेवा प्रचालित करती है।

(ख) और (ग) 1984-85 के दौरान वायुदूत सेवा से सूरत को जोड़ने का प्रस्ताव है।

फिल्म कलाकारों की आय का सर्वेक्षण

3011. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई फिल्म कलाकार निर्माताओं से बहुत अधिक धनराशि लेते हैं लेकिन अपनी आयकर विवरणीकर में अत्यन्त कम राशि दिखाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन लोकप्रिय कलाकारों की आय का कोई सर्वेक्षण किया है जो आयकर अधिकारियों को गलत जानकारी देते रहे हैं ; और

(ग) क्या लोकप्रिय कलाकारों का विलासितापूर्ण रहन-सहन शान-शोकत और भारी सम्पदा और उनके द्वारा किए गए निवेश का उन आयकर अधिकारियों पर कोई प्रभाव पड़ा है जो वर्ष दर वर्ष इन फिल्म कलाकारों का निर्धारण करते रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) जी हां। कुछ मामलों में पकड़े गये दस्तावेजों से यह पता चला है कि फिल्मी कलाकारों को आयकर विवरणियों में उनके द्वारा प्रकट की जाने वाली रकमों से अधिक रकम दी जा रही है।

(ख) इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

(ग) कर-निर्धारण प्राधिकारी इन गतिविधियों का आवश्यक ध्यान रखते हैं जिससे प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अन्तर्गत उपयुक्त कार्रवाई की जा सके।

व्यपगत जीवन बीमा पालिसियों के सम्बन्ध में जीवन बीमा निगम की और बीमा की बकाया धनराशि

3012. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यपगत जीवन बीमा पालिसियों के संबंध में बीमा कराने वाले अथवा उनके नियत व्यक्तियों की कुल कितनी धनराशि जीवन बीमानिगम की ओर अब तक बकाया है तथा ऐसी पालिसियों की संख्या क्या है ;

(ख) जीवन बीमा-निगम द्वारा इन धनराशियों को उनके कानूनी मालिकों को वापस देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं तथा इन धनराशियों को शीघ्र वापस करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) इन धनराशियों पर कितना ब्याज देय है तथा प्रत्येक खाते में यह कैसे जमा किया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) जब किसी जीवन बीमा पालिसी के अन्तर्गत देय प्रीमियम का भुगतान विनिर्दिष्ट रियायती दिनों के अन्दर-अन्दर नहीं किया जाता, तो वह पालिसी व्यपगत (लेप्स) हो जाती है। किन्तु, बीमा अधिनियम, 938 की धारा 113 में यह व्यवस्था है कि यदि किसी पालिसी के अन्तर्गत सभी प्रीमियमों की कम से कम लगातार तीन वर्ष तक अदायगी की जाती है तो ऐसी पालिसी को गारंटीशुदा समर्पण मूल्य प्राप्त हो जाएगा। इस धारा में आगे यह व्यवस्था भी की गई है कि ऐसी पालिसी आगे प्रीमियम अदा न किये जाने की वजह से व्यपगत नहीं होगी लेकिन उसे बीमे की चुकता घोषित राशि तक जीवित रखा जाएगा।

संभवत: सूचना उन जीवन बीमा पालिसियों के अन्तर्गत परिपक्वता दावों के संबंध में मांगी गई है जो आगे के प्रीमियम अदा न किये जाने की वजह से चुकता पालिसियों के रूप में घोषित करें दी गई हैं। मार्च, 1983 की स्थिति के अनुसार इस प्रकार की चुकता पालिसियों के अधीन 8.84 करोड़ रुपए के 42,924 परिपक्वता दावे निलंबित पड़े हुए थे।

अनिर्णीत दावे मोटे तौर पर दो वर्गों में विभाजित किए जाते हैं, अर्थात वे दावे जो प्रचालन कार्यालयों में आगे की कार्रवाई के लिए पड़े हैं तथा ऐसे दावे जो दावाकारों से वांछित सूचना के अभाव में अनिर्णीत पड़े हैं। दूसरे वर्ग में दावों के अनिर्णीत रहने का मुख्य कारण पालिसी से संबंधित कागजात और उन्मोचन फार्मों (डिस्चार्ज फार्म) को प्रस्तुत न किया जाना है।

पहले वर्ग के अन्तर्गत आने वाले दावों के मामले में, उनके शीघ्र निपटारे के लिए प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है। इस प्रयोजन के लिए प्रक्रियाओं को सुचारू बना दिया गया है और काम का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है। दूसरे वर्ग के अन्तर्गत आने वाले दावों के संबंध में जीवन बीमा निगम लिखित अनुस्मारकों के जरिए पालिसीधारियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करता है तथा अपने क्षेत्रीय कार्मिकों को भी भेजता है ताकि वे पालिसीधारियों साथ संपर्क करें और दावों के भुगतान के संबंध में अपेक्षाओं को पूरा करने में उन्हें सहायता प्रदान करें।

जीवन बीमा पालिसियों के अन्तर्गत बीमाकर्ता दावे के निपटारे मे हुई देरी के कारण कोई ब्याज देने के लिए जिम्मेदार नहीं है। फिर भी जीवन बीमा निगम अपने कार्यालयों में हुई देरी की अवधि के लिए दावे की राशि पर अनुग्रही ब्याज देता है। चूंकि दावे पर आगे की कार्रवाई करने के बाद प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर ब्याज की रकम का निर्धारण करना पड़ता है इस लिये उल्लिखित निलंबित परिपक्वता दावों के सम्बन्ध में देय पाई जाने वाली ब्याज की राशि को बताया नहीं जा सकता।

उदयपुर हवाई अड्डे पर रात को विमान उतरने की सुविधा

3013. **श्री दीनबन्धु वर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदयपुर हवाई अड्डे पर रात्रि के समय विमान उतरने की सुविधा प्रदान करने वाले उपकरणों को किसी अन्य हवाई अड्डे पर स्थानांतरित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो यह हवाई अड्डा रात्रि के समय विमान उतरने के लिए कब तक तैयार हो जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) उदयपुर पर जिन सुविधाओं की व्यवस्था की गई है वे सीमित रात्रि अवतरण प्रचालनों के लिए पर्याप्त हैं। उदयपुर हवाई अड्डे के आस-पास की कुछ पहाड़ियों पर प्रकाश की व्यवस्था करने की आवश्यकता है जिसके लिए स्वीकृति जारी कर दी गई है। इस कार्य के अगस्त, 1985 तक पूरा हो जाने की आशा है। इस हवाई अड्डे पर मौजूदा रात्रि अवतरण सुविधाओं को और अधिक उन्नत करने और उनमें सुधार करने के लिए निम्नलिखित कार्यों की स्वीकृति दी गई है जिनके दिसम्बर, 1984 तक पूरा हो जाने की आशा है :—

(1) मध्यम तीव्रता धावनपथ प्रकाश व्यवस्था को बदलकर उच्च तीव्रता धावन प्रकाश व्यवस्था करना ।

(2) 3-बार अवासिस लगाना ।

काजू बोर्ड की स्थापना के लिए अभ्यावेदन

3014. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें काजू बोर्ड की स्थापना के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) काजू बोर्ड को बनाने के लिए किये गये अनुरोध पर कृषि मंत्रालय के साथ परामर्श करके विचार किया गया तथा यह पाया गया कि फिलहाल बोर्ड बनाना उपयोगी नहीं है ।

इलायची के मूल्य में अत्यधिक गिरावट के कारण उत्पादकों को हानि

3015. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें देश में इलायची के मूल्य में भारी गिरावट और उसके परिणामस्वरूप उत्पादकों को हो रही हानि की जानकारी है ; और

(ख) इस संकट को हल करने तथा उत्पादकों को भारी हानि से बचाने के लिए उनका क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां ।

(ख) उपजकर्ताओं के लाभ के लिए निम्नोक्त योजनाएं/प्रोत्साहन प्रस्तुत किए गए हैं :—

1. छोटे उपजकर्ताओं के लिए पुनर्रोपण ऋण-सह-उपदान योजना ।

2. बड़े उपजकर्ताओं के लिए पुनर्रोपण-सह-उपदान योजना का दिया जाना ।

3. उपजकर्ताओं के बीच वितरण के लिए प्रमाणिक नर्सरियों में पोलिथीन की थैलियों में बीजाँकुरों का उत्पादन ।

4. उपजकर्ताओं के बीच विवरण के लिऐ प्रति वर्ष 24000 इलायची बीजांकुरों के उत्पादन के लिए 200 प्रमाणिक नर्सरियां खोलना ।

मध्य प्रदेश के बस्तर मण्डल के केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की विशेष प्रोत्साहन भत्ते हेतु मांग

3016. **श्री लक्ष्मण कर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बस्तर मण्डल के केन्द्र सरकार के कर्मचारी, विशेष प्रोत्साहन भत्ते और अन्य सुविधाओं, जोकि मध्य प्रदेश के राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलती हैं, की अपनी मांगों के समर्थन में भूख हड़ताल पर हैं,

(ख) यदि हां, तो उनको विशेष भत्ता देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्य-वाही किए जाने का विचार है,

(ग) राज्य सरकार के कर्मचारियों को क्या विशेष सुविधाएं दी गयी हैं, और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के संघों आदि से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि यदि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को स्वीकृत की गई रियायतों के आधार पर ही विशेष भत्ता आदि जैसी रियायत देने की उनको मांगें स्वीकार नहीं की गईं तो वे भूख हड़ताल करेंगे । मध्य प्रदेश सरकार ने अनुसूचित/पिछड़े क्षेत्रों मे कार्य करने वाले अपने कर्मचारियों के लिए वेतन के 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच विशेष भत्ते तथा अन्य सुविधाएं मंजूर की हैं । ये प्रोत्साहन राज्य सरकार की जनजाति क्षेत्र की योजना के एक भाग के रूप में जनजाति क्षेत्र की उन्नति के लिए अपेक्षित उचित योग्यता, प्रवीणता तथा दक्षता प्राप्त व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए प्रदान किये गये हैं, क्योंकि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का राज्य सरकार की जन जाति क्षेत्र योजना के कार्यान्वियन से सीधा सम्बन्ध नहीं है इसलिए वही भत्ते तथा सुविधाएं उन्हें देना न्यायोचित नहीं पाया गया है ।

इलाहाबाद बैंक की एस० सी०/एस० टी० इम्प्लाईज वेलफेयर कौंसिल द्वारा प्रस्तुत मांगें

3017. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद बैंक की शेड्यूल्य कास्ट/ट्राइब्ज इम्प्लाइज वेलफेयर कौंसिल (आल इंडिया एस० सी०/एस० टी० बैंक इम्प्लाइज फेडरेशन से संबद्ध) ने बैंक प्रबंधकों को अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित मांगों वाला एक मांग पत्र प्रस्तुत किया है ;

(एक) अधीनस्थ सेवाओं से लिपिक संवर्ग के पदों पर पदोन्नति से सम्बन्धित आरक्षण अंकों और सेवावधि में पर्याप्त छूट देकर किया जाना चाहिए ;

(दो) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधीनस्थ कर्मचारियों की कुल संख्या का हिसाब लगाते समय सफाई कर्मचारियों को शामिल नहीं किया जाना चाहिये ;

(तीन) स्केल—3 तक के अधिकारियों की अंतर-ग्रेड पदोन्नतियों के बारे में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों को आरक्षण संबंधी नियमों में निर्धारित प्रतिशत के अनुसार आरक्षित रिक्त पदों की सीमा तक, तत्संबंधी अपेक्षित स्तर में छूट दी जाये ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) बैंक द्वारा बताई गई स्थिति इस प्रकार हैं :—

(एक) चूंकि बैंक में लिपिकीय संवर्ग के पदों की सीधी भर्ती 66-2/3 प्रतिशत से अधिक होती है, इसलिए अधीनस्थ कर्मचारियों की लिपिकीय वर्ग में पदोन्नति के वास्ते कोई आरक्षण उपलब्ध नहीं है । यह सरकारी नीति के अनुरूप है ।

(दो) पूर्णकालिक तथा अंशकालिक सफाई कर्मचारियों को बैंक का स्थायी स्टाफ माना जाता है और इसलिए उन्हें अधीनस्थ स्टाफ की कुल संख्या में शामिल किया गया है ।

(तीन) सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार अधिकारियों के संवर्ग के भीतर पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होता । अलबत्ता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन अधिकारियों को, जिनके नाम वरिष्ठता सूची में रिक्तियों की संख्या के अन्तर्गत आते हैं, वेतनमान—3 तक की पदोन्नति के वास्ते शामिल किया जाता है बशर्ते कि उन्होंने पदोन्नति की प्रक्रिया में हिस्सा लिया हो और उन्हें पदोन्नति के वास्ते अयोग्य न समझ गया हो ।

उड़ीसा में जाजपुर स्थित वैतरणी तीर्थ को एक अखिल भारतीय पर्यटन केन्द्र के रूप में घोषित करना

3018. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक जिले में जाजपुर स्थित वैतरणी तीर्थ को एक अखिल भारतीय पर्यटन केन्द्र के रूप में घोषित करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी इस समय क्या स्थिति है ; और

(ग) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) सरकार की किन्हीं स्थानों को अखिल भारतीय पर्यटक केन्द्र के रूप में घोषित करने की कोई नीति नहीं है। पर्यटक केन्द्रों का विकास अन्तर्राष्ट्रीय और स्वदेशी दोनों प्रकार के पर्यटकों को आकर्षित करने की उनकी संभाव्यता पर निर्भर करता है। पर्यटन आधार-संरचना संबंधी सुविधाओं का विकास करने के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उड़ीसा के लिए निर्धारित दो यात्रा परिपथों में जिन केन्द्रों को शामिल किया गया है उनमें जिला कटक के जाजपुर स्थित वैतरणी तीर्थ नहीं है।

मद्रास में ऋण-मेलों का आयोजन

3019. **श्री चित्त बसु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मद्रास में 25 और 26 जून, 1984 को एक सामूहिक ऋण वितरण समारोह आयोजित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि वितरित की गयी ; और

(ग) ऋणों के लेने वालों की चयन करने के लिये क्या पद्धति अपनायी गयी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) मद्रास में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने 25,106 हिताधिकारियों को 228.42 लाख रुपये तक की ऋण सहायता दिये जाने के लिए 25 और 26 जून, 1984 को दो सार्वजनिक समारोहों का आयोजन किया था।

(ग) इस प्रयोजन के वास्ते ऐसी कोई विशेष कार्यप्रणाली तैयार नहीं की गई थी। इन हिताधिकारियों का चयन विभिन्न योजनाओं के अधीन ऋण सहायता प्राप्त करने की पात्रता के आधार पर किया गया था। बैंक हिताधिकारियों का चयन स्थानीय संस्थाओं, स्थानीय समाज सेवकों आदि की मदद से स्वयं अपने विकास सम्बन्धी स्टाफ द्वारा करते हैं। विशिष्ट योजनाओं के अन्तर्गत हिताधिकारियों का चयन इस प्रयोजना के वास्ते योजना में निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा किया जाता है। विशिष्ट वर्गों में से हिताधिकारियों का चयन करने के लिए अनुसूचित जाति विकास निगमों जैसी विशेष एजेंसियों का भी उपयोग किया जाता है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के विभिन्न एककों से उपरि खर्च की वसूली

3020. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम के बोर्ड निदेशकों द्वारा इसके विभिन्न एककों से उपरि खर्च वसूल करने के सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण विषय पर कोई नीति निर्णय न किये जाने के क्या कारण हैं तथा विभिन्न एककों से किस आधार पर उपरि खर्च वसूल किया जाता है ; और

(घ) क्या विभिन्न एककों से वित्तीय वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान वसूल किये गये उपरि खर्च को दर्शाते हुए एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम के विभिन्न एककों से वसूल किए गए उपरि खर्च के बारे में ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(I) **केन्द्रीय उपरि खर्च** : का निर्धारण होटल, परिवहन, शुल्क मुक्त दुकानें और प्रस्तुति तथा प्रचार जैसे क्रियाशील प्रभागों को उनके टर्नओवर के अनुपात में किया जाता है।

(II) **प्रभागीय उपरि खर्च** : केन्द्रीय उपरि खर्च, जो इस प्रकार प्रभागों को मुख्यालय में उनके निजी खर्चों सहित निर्धारित किया जाता है, को सम्बन्धित यूनिटों को उनके टर्नओवर के आधार पर आबंटित कर दिया जाता है।

(III) **प्रस्तुति और प्रचार उपरि खर्च** : निर्धारित केन्द्रीय उपरि खर्च सहित प्रस्तुति और प्रचार व्यय, पर्यटन विभाग को निश्चित शत प्रतिशतता के आधार पर और राज्य सरकारों तथा भारत पर्यटन विकास निगम के एककों को विभिन्न एककों द्वारा किए गए कार्य के आधार पर प्रभारित किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 1980-81, 1981-82 आर.बी.ई. 1982-83, और 1983-84 के दौरान आई० टी० डी० सी० के विविध यूनिटों से उगाहे गए ऊपरी खर्चे (ओवर हैड प्रभार)

प्रभाग/यूनिट का नाम	1980-81	1981-82	1982-83
1	2	3	4
1. आवास			
क. होटल			
1. अशोक होटल, नई दिल्ली	52.60	69.08	69.46

1	2	3	4
2. जनपथ, नई दिल्ली	16.94	19.58	21.76
3. लोधी, नई दिल्ली	0.72	11.88	2.79
4. रणजीत, नई दिल्ली	7.59	9.42	9.08
5. अशोक, बंगलौर (एयरपोर्ट रैस्तरां, बंगलौर को शामिल करते हुए)	14.26	18.25	14.06
6. अकबर, नई दिल्ली	21.81	31.46	32.68
7. हसन अशोक	0.92	1.23	1.25
8. जम्मू अशोक	1.12	1.32	1.72
9. औरंगाबाद अशोक (एयरपोर्ट रैस्तरां, औरंगाबाद को शामिल करते हुए)	1.94	1.56	2.17
10. खजुराहो, अशोक	1.56	1.33	1.21
11. कोवलम अशोक बीच रिसार्ट (होटल एण्ड ग्रोव)	9.32	8.93	10.41
12. लक्ष्मी विलास पैलेस होटल उदयपुर	1.27	2.08	2.37
13. टैम्पल बे अशोक बीच रिसार्ट महाबलीपुरम	0.79	0.99	0.98
14. वाराणसी अशोक (एयरपोर्ट रैस्तरां वाराणसी को शामिल करते हुए)	2.74	3.15	3.20
15. कुतब, नई दिल्ली	5.61	7.24	9.31
16. एलएमपी होटल, मैसूर	3.22	3.53	3.27
17. एअरपोर्ट अशोक, कलकत्ता (एयरपोर्ट रेस्तरां कलकत्ता को शामिल करते हुए)	11.21	15.03	16.10
18. पाटलीपुत्र अशोक पटना	1.14	1.73	2.09
19. जयपुर अशोक	2.34	2.65	3.67
20. कलिंग अशोक भुवनेश्वर	2.28	2.48	3.26
21. मदुरै अशोक	0.64	1.25	1.42
22. सम्राट, नई दिल्ली	—	—	4.57
23. कनिष्क, नई दिल्ली	—	—	14.34

1	2	3	4
24. अशोक यात्री निवास	—	—	1.85
25. विज्ञान भवन केटरिंग	1.94	2.47	3.69
26. वैस्टर्न कोर्ट केटरिंग	0.10	0.13	0.11
27. एशियन गैम्स	—	—	10.26
28 टीएलएस एण्ड रैस्टोरेंट	2.24	2.47	2.59
"ख" प्रभाग			
1. पी एण्ड पी	5.85	5.67	5.72
2. एटीटी	10.15	15.16	21.29
3. डीइएस	7.60	13.78	26.47
4. एस० ई० एल० लालकिला	0.74	0.49	0.47

वर्ष 1983-84 के सम्बन्ध में ऊपरि खर्चों का अभी हिसाब किया जाना है।

आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों वाले विभागों/सरकारी उपक्रमों की जांच के लिए एक समिति का गठन

3021. **श्री भीखा भाई** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे विभागों, मंत्रालयों और सरकारी उपक्रमों का निरीक्षण अथवा जांच करने के लिए कोई समिति गठित की है जहां आवश्यकता से बहुत अधिक संख्या में कर्मचारी हैं ;

(ख) उनमें अधिकारियों और लिपिक श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या का क्या अनुपात है ; और

(ग) क्या आरक्षित कोटे की कमी को छोड़कर मितव्ययता के लिए कोई उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) सरकारी स्थापनाओं के कर्मचारी वर्ग की अभिरचना के पुनरीक्षण/जांच का कार्य वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक (एस० आई०यू०) को सौंपा गया है। प्रशासनिक कार्य कुशलता के अनुरूप कर्मचारीवर्ग की संख्या में किफायत को सुनिश्चित करने के लिये तथा कार्य-निष्पादन के मानकों और कार्य-परिमानों को तैयार करने के लिये यह एकक रिरीक्षण के चक्रीय कार्यक्रमों तथा तदर्थ अध्ययनों द्वारा सरकारी स्थापनाओं (रेलवे को छोड़कर जिसकी अपनी व्यवस्था है) के कर्मचारीवर्ग का पुनरीक्षण करता है। यदि अनुरोध किया जाता है तो यह एकक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार के पुनरीक्षण करता है। कुछ सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों के पास अपने उपक्रमों के सम्बन्ध में इसी प्रकार के कार्य करने के लिये उनके अपने औद्योगिक अभियांत्रिक एकक हैं।

दिसम्बर, 1983 से वैज्ञानिक विभागों को कर्मचारी निरीक्षण एकक के कार्य क्षेत्र से निकाल दिया गया है। ऐसे विभागों के सम्बन्ध में कर्मचारी निरीक्षण एकक के कार्यों को सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किये गये एक दल को सौंपा जायेगा जिसमें वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक का एक प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित विभाग/अभिकरण से वैज्ञानिक/तकनीकी अधिकारी शामिल होंगे।

(ख) एक संगठन से दूसरे संगठन में अधिकारियों तथा लिपिकवर्गीय कर्मचारियों के अनुपात में अन्तर होता है जो कार्य की प्रकृति तथा मात्रा पर निर्भर करता है।

(ग) कर्मचारी निरीक्षण एकक के ऐसे पुनरीक्षणों के परिणामस्वरूप सामान्यतः पदों की समाप्ति के कारण व्यय में किफायत होती है यद्यपि इन पुनरीक्षणों से प्राप्त उपलब्धि द्वारा समग्र अर्थव्यवस्था को प्रभावित किये बिना कुछ संगठनों के मामले में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि भी होती है।

इस्पात मिश्रित धातु और धातु मिश्रित इस्पात पर सीमा शुल्क

3022. **श्री मोखाभाई** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क टैरिफ के शीर्ष संख्या 7315 (1) के अन्तर्गत आने वाले धातु मिश्रित इस्पात (स्टेनलेस स्टील को छोड़कर) की तुलना में इस्पात और मिश्रित धातु पर सीमाशुल्क बहुत कम है ;

(ख) क्या इसका लघु क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस विषमता को दूर करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) मिश्रित इस्पात से भिन्न इस्पात पर उद्ग्रहणीय मूल सीमाशुल्क की प्रभावी दर अलग-अलग है, जो मूल्यानुसार 40% से मूल्यानुसार 100% के बीच है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसका आयात किस रूप में किया जाता है। दूसरी तरफ स्टेनलेस स्टील से भिन्न मिश्रित इस्पात पर मूल सीमा शुल्क की प्रभावी दर मूल्यानुसार 70% है। इसके अलावा उपसंगी शुल्क और अतिरिक्त (प्रतिसंतुलनकारी) शुल्क भी लगाए जाते हैं।

(ख) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं हुई है जिससे यह पता चलता हो कि आमतौर पर शुल्क ढांचे की वजह से लघु उद्योग पर प्रतिकूल असर पड़ा हो।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ओसवाल वूलन मिल्स लिमिटेड की लाइसेंसशुदा उत्पादन क्षमता

3023. **श्री मोखा भाई** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय ओसवाल वूलन मिल्स लिमिटेड की लाइसेंसशुदा उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ख) उनके मंत्रालय द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार वर्ष 1980-83 के दौरान उक्त कम्पनी को वर्षवार, कितनी मात्रा में कच्चे माल की सप्लाई की जानी है ;

(ग) उक्त कंपनी द्वारा प्राप्त कच्चे माल की तुलना में उसका उत्पादन कितना होता है ; और

(घ) उक्त कम्पनी ने किन-किन मामलों में इस सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन किया है और नियमों का उल्लंघन करने के कारण उक्त कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) इस मिल की लाइसेंसशुदा क्षमता निम्नलिखित अनुसार है :—

ऊन धुलाई	—	2.5 मिनियन पाउन्ड ऊन के गोले प्रति वर्ष
गैर-वर्स्टेड तकुए	—	3,080
वर्स्टेड तकुए	—	8,316
विद्युत करघे	—	76

(ख) तथा (ग) कम्पनी के प्रकाशित तुलन पत्र के अनुसार 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 के वर्षों के लिए उत्पादन के आंकड़े नीचे दिये गये अनुसार हैं :—

उत्पादित मात्रा

उत्पादन की मद	जुलाई 80-जून 81	जुलाई 81-जून 82	जुलाई 82-जून 83
1	2	3	4
यार्न सभी किस्में (किग्रा में)	3889504	3258960	3240219
वस्त्र माल (अददों में)	807354	1398328	3679862
वस्त्र माल (मीटरों में)	209543	114227	97834
होजरी के बुने हुए वस्त्र (अददों में)	2101486	2272991	2271923
सूती बुने हुए वस्त्र (अददों में)	1087846	140198	कुछ नहीं

1	2	3	4
बच्चों के चुस्त कपड़े/मोजे	1871603	2020280	298028
ऊन/मोहेअर के गोले (किग्रा में)	1237224	1456089	1639051
अन्य मध्यवर्ती उत्पाद (किग्रा० में)	231608	284786	357710

खपत में आये कच्चे माल के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि उन्हें इस मंत्रालय में नहीं रखा जाता ।

(घ) जुलाई—अगस्त, 1983 के दौरान गाय की चर्बी के अनधिकृत आयात के सम्बन्ध में मैसर्स ओसवाल वूलन मिल्स लि० को 9-11-1983 को छः महीने की अवधि के लिए प्रास्थगन के अन्तर्गत रखा गया था जिसे 9-5-1984 को चार महीनों की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया गया। इसके बाद दिनांक 6 जून, 1984 के एक आदेश द्वारा इस फर्म और इसके दस निदेशकों को 9-11-83 से 31-3-1987 तक की अवधि के लिए, की जा सकने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी माल के आयात तथा आयात लाइसेंस/सीमाशुल्क निर्बाधन परमिट प्राप्त करने और सरणीकरण अभिकरणों के माध्यम से आयातित माल के आबंटन से विवर्जित किया गया । मै० ओसवाल वूलन मिल्स लि० लुधियाना द्वारा पेश की गई रिट याचिका पर पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ ने उक्त आदेशों का इस आधार पर अभिखंडन किया है कि प्रार्थियों को आदेश पारित करने से पहले सुनवाई के पर्याप्त अवसर नहीं दिए गए थे और मामला उस प्राधिकारी को दोबारा निर्णय लेने के लिये वापस भेज दिया गया है जिन्होंने विवर्जन आदेश पारित किये थे । उपरोक्त के परिणामस्वरूप, प्रास्थगन अवधि वृद्धि आदेश दिनांक 9-5-1984 को एक आदेश दिनांक 6-8-1984 द्वारा पुनः प्रवर्तित किया गया और न्याय निर्णयन प्राधिकारी ने 9-11-83 से 31-3-1988 तक की अवधि के विवर्जन आदेश पारित कर दिए हैं ।

भागीरथ ग्रामीण बैंक, उत्तर प्रदेश को हुई हानि

3024. **श्री राम लाल राही** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भागीरथ ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश को वर्ष 1982-83 और 1983-84 में भारी हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) हानि के क्या कारण हैं और क्या विभिन्न स्रोतों से लिए गए ऋण का राशि पर देय ब्याज को हानि में शामिल नहीं किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भागीरथ ग्रामीण बैंक सीतापुर को 1982 में 6.67 लाख रुपए का लाभ हुआ। वर्ष 1983 के दौरान इसे 13.0 लाख रुपए की हानि हुई जो वेतन और मजदूरी, किराया, करों, बीमा आदि और बैंक की सम्पत्ति के अधिक मूल्यह्रास के कारण हुई।

(ग) और (घ) भागीरथ ग्रामीण बैंक जिस लेखा प्रणाली का अनुसरण कर रहा है उसके अनुसार ए० आर० डी० सी०/नाबार्ड और डी० आर० आई० पुनर्वित्त पर ब्याज सहित कुछ खर्चों को अदायगी के आधार पर दिखाया जाता है। इस सम्बन्ध में 1983 के दौरान वास्तव में अदा की गई राशि को "जमा राशियों, उधारों पर ब्याज" शीर्षक के अंतर्गत दिखाया गया है।

इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात हेतु आधुनिक जांच सुविधाओं के लिए प्रयोगशालाओं का स्थापना

3025. **श्री के० मालन्ना :**
श्री चिरंजी लाल शर्मा :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'पाइलट टैस्ट हाउस स्कीम' के अन्तर्गत निर्यात किए जाने वाले इंजीनियरी उत्पादों के लिए आधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु अनेक प्रयोगशालाओं को स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां पर इन प्रयोगशालाओं को स्थापित किया जाएगा ; और

(घ) इन प्रयोगशालाओं को किस अवधि तक स्थापित किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) इंजीनियरी उत्पादों की मात्रा सम्बन्धी मूल्यांकन करने के लिए निर्यातकों को आधुनिक तथा शीघ्र प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिये बम्बई में अंधेरी में एक पाइलट टेस्ट हाउस स्थापित किया जा रहा है। टेस्ट हाउस में 13 परीक्षण अनुभागों सहित योगिक, विद्युत तथा रासायनिक प्रयोगशालाएं होगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत निम्नोक्त प्रकार है :—

(1) भवन निर्माण लागत	115.28 लाख रु०
(2) प्रयोगशाला उपस्कर	121.3 लाख रु०
योग	236.59 लाख रु०

(घ) परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, ये प्रयोगशालाएं टेस्ट हाउस के लिए भवन निर्माण कार्य आरम्भ होने से दो वर्षों के भीतर स्थापित कर दी जाएगी।

शुल्क वापसी में कटौती का हौजरी उत्पादों तथा बुने वस्त्रों के निर्यात पर प्रभाव

3026. **श्री के० मालन्ना** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 i जुलाई, 1984 के 'फाइनेंसियल एक्सप्रैस' की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि इस वर्ष जुलाई से शुल्क वापसी में क्रमशः 80 प्रतिशत तथा 0.5 प्रतिशत की कटौती के कारण चालू वित्त वर्ष के दौरान हौजरी उत्पादों तथा बुने हुये वस्त्रों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या परिधान निर्यात संवर्धन परिषद ने इस सम्बन्ध में अपनी चिन्ता व्यक्त की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रन्जन लास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद ने सरकार से अभिवेदन किया है, जिसमें कहा गया है कि हाल ही में निटवेयर तथा हौजरी परिधानों पर शुल्क वापसी दरों में की गई कटौती से निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । ए० ई० पी० सी० से कहा गया है कि उच्चतर दरों के लिए अपने दावे को प्रमाणित करने हेतु वह समर्थनकारी आंकड़े प्रस्तुत करे ।

उड़ीसा में मयूरभंज जिले में सरकारी क्षेत्र के बैंको द्वारा आई० टी० डी० ए० आई० आर० डी० टी० और ई० आर० पी० आर० योजनाओं के अन्तर्गत दिए गए ऋण

3027. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उड़ीसा के मयूरभंज जिले में आई० टी० डी० ए०, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत समितियों को ऋण दे रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत मयूरभंज जिले में लोगों को ऋण उपलब्ध कराने वाले ऐसे वाणिज्यिक बैंकों के नाम क्या हैं ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उस जिले में इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभार्थियों को कितनी राशि के ऋण दिए गए ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) जिलों में बैंकिंग और ऋणों सम्बन्धी विकास की जिम्मेदारी लीड बैंकों की है । ये बैंक अपने अधीन जिलों का विकास करने के

लिए बैंकों की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएं बनाते हैं और जिले में कार्यरत वित्तीय संस्थाओं तथा जिला स्तर के सरकारी अधिकारियों के प्रयासों का समन्वय करके इन योजनाओं को कार्यान्वित करते हैं। उड़ीसा के मयूरभंज जिले का यह उत्तरदायित्व बैंक आफ इंडिया को सौंपा गया है। मयूरभंज जिले में बैंकों द्वारा सुलभ कराए गए ऋणों का समन्वित आदिवासी विकास आयोजना (आई० टी० डी० पी०) और ग्रामीण निर्धनों का आर्थिक पुनर्वास योजना (ई० आर० आर०पी०) के लिए मयूरभंज जिले में बैंकों द्वारा सुलभ कराये गये ऋणों का योजनावार ब्यौरा उस प्रकार उपलब्ध नहीं है जिस प्रकार प्रश्न में पूछा गया है। मयूरभंज जिले में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्धियों के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार द्वारा भेजी गई सूचना इस प्रकार है :—

लाख रुपए

वर्ष	सहायता प्राप्त हिताधिकारियों की संख्या	उपयोग की गई आर्थिक सहायता	दिए गए सावधि ऋण
1982-83	17863	190.13	200.57
1983-84	16458	127.92	151.47

पूरे देश तथा असम में बैंक शाखाओं का खोला जाना

3028. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक सुविधाओं के विस्तार के मामले में अन्तर्क्षेत्रीय विषमताएं अब भी विद्यमान है, चूंकि असम सबसे कम बैंक शाखाओं वाला राज्य है ;

(ख) देश के विभिन्न भागों, राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में पृथक-पृथक बैंक की बैंक शाखाओं की तुलनात्मक स्थिति क्या है ; और

(ग) बैंक रहित क्षेत्रों में नई शाखाओं को खोलने के बारे में क्या प्रस्ताव है तथा उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ग) बैंकों की शाखाओं के विस्तार के मामले में असम कम शाखाओं वाले राज्यों में से एक है। अप्रैल 1982 से मार्च 1985 तक की अवधि के लिए शाखा-विस्तार नीति के अनुसार कम बैंक वाले जिलों में बैंक रहित ग्रामीण अर्ध शहरी केन्द्रों में शाखाएं खोलने की परिकल्पना की गयी है ताकि ग्रामीण/अर्ध शहरी केन्द्रों में बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ाकर प्रत्येक 17 हजार की आबादी के पीछे एक बैंक कार्यालय का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। इस परिकल्पना के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य में 469 अतिरिक्त ग्रामीण/अर्ध शहरी शाखाएं खोले जाने की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक शाखा विस्तार राज्य सरकार के विकास कार्यक्रमों का पूरक हो, भारतीय रिजर्व बैंक शाखाएं खोलने के लिये बैंक रहित ग्रामीण/अर्ध-शहरी केन्द्रों का चयन करने के वास्ते बैंकों और

अन्य एजेंसियों के परामर्श के साथ-साथ राज्य सरकार पर निर्भर करता है। असम सरकार से प्राप्त सिफारिशों तथा अलग-अलग बैंकों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी तक असम के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में 348 और बैंक कार्यालय खोलने के लिए प्राधिकार पत्र जारी किये हैं। अप्रैल 1982 से मार्च 1985 तक की अवधि के शाखा विस्तार कार्यक्रम को पूरा करने के वास्ते राज्य सरकार को अतिरिक्त केन्द्रों का चयन करने के लिए कहा गया है।

(ख) मार्च 1984 के अन्त में देश में बैंक शाखाओं का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार और जन-संख्या समूहवार ब्यौरा दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

31 मार्च, 1984 को भारत में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं का राज्यवार, जनसंख्या समूहवार ब्यौरा

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शाखाओं की संख्या			
		ग्रामीण/अर्ध शहरी	शहरी/महानगरीय/ पत्तननगर	कुल	ए.पी.पी.वी.ओ. (हजारों में)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2699	723	3422	16(18)
2.	असम	651	56	707	28(30)
3.	बिहार	2835	323	3158	23(24)
4.	गुजरात	1982	748	2730	13(15)
5.	हरियाणा	891	108	999	14(14)
6.	हिमाचल प्रदेश	486	—	488	9(9)
7.	जम्मू और कश्मीर	493	129	622	10(11)
8.	कर्नाटक	2510	858	3368	10(13
9.	केरल	2186	380	2566	10(11)
10.	मध्य प्रदेश	2634	443	3077	18(18)
11.	महाराष्ट्र	2623	1716	4339	14(19)
12.	मणिपुर	37	14	51	27(36)
13.	मेघालय	94	1	95	14(14)

1	2	3	4	5	6
14.	नागालैंड	54	—	54	14(44)
15.	उड़ीसा	1254	144	1398	19(20)
16.	पंजाब	1478	358	1836	9(10
17.	राजस्थान	1750	339	2089	16(18)
18.	सिक्किम	17	—	17	19(19)
19.	तमिलनाडु	2454	1127	3581	14(17)
20.	त्रिपुरा	89	—	89	23(23)
21	उत्तर प्रदेश	4607	1147	5754	19(22)
22.	पश्चिम बंगाल	1695	988	2683	21(28)
23.	अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीप समूह	9	4	13	15(16)
24.	अरुणाचल प्रदेश	35	—	35	17(17)
25.	चण्डीगढ़	17	81	98	5(4)
26.	दादर एवं नगर हवेली	6	—	6	17(17)
27.	दिल्ली	70	895	973	7(9)
28.	गोवा, दमन एण्ड द्वीप	253	4	257	4(4)
29.	लक्षद्वीप	5	—	5	8(8)
30.	मिजोरम	15	—	15	33(33)
31.	पाण्डचेरी	36	22	58	11(14)
	जोड़	33975	10608	44583	16(18)

कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े प्रति ग्रामीण/अर्ध शहरी कार्यालय के ग्रामीण/अर्ध शहरी जन-संख्या (हजारों में) के द्योतक हैं।

फलों, सब्जियों और डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों का निर्यात

3029. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी :**

श्री कृष्ण कुमार गोयल :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूलभूत ढांचे की कमी के कारण फलों, सब्जियों और डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों के निर्यात में कोई प्रगति नहीं हुई है ;

(ख) क्या फलों और सब्जियों के निर्यात में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और शीतागारों की कमी तथा परिवहन की समस्या के कारण काफी बड़ी मात्रा में ये बर्बाद हो जाते हैं ; और

(ग) सब्जियों का निर्यात बढ़ाने के लिए प्रस्तावित सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) फलों, सब्जियों तथा साधित खाद्य पदार्थों के निर्यातों में, उत्तरोतर रूप में बढ़ रहे थे, विश्व-व्यापी मन्दी की प्रवृतियों तथा तेल की संकट जैसे कारणों की वजह से 1982-83 तथा 1983-84 वर्षों में गिरावट आई। पर्याप्त अवस्थापना का अभाव भी प्रभाव डालने वाले कारणों में से एक कारण रहा है।

मूल्य वर्धित तथा उपभोक्ता पैकबन्द कृषीय उत्पादों के निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहनों की व्यवस्था करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय में एक प्रक्रिया शुरू की गई है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निराशाजनक कार्य निष्पादन

3030. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य-निष्पादन पिछले वर्षों की तुलना में 1983-84 में निराशाजनक रहा है ;

(ख) यदि हां, तो 1982-83 की तुलना में 1983-84 में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कुल लाभ कितना रहा है ;

(ग) किन-किन महत्वपूर्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को 1983-84 के दौरान घाटा हुआ ;

(घ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को होने वाले इस प्रकार के भारी घाटे के क्या कारण हैं ; और

(ङ) इन उपक्रमों के कार्य निष्पादन को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण): (क) और (ख) 1983-84 में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कुल मिलाकर वित्तीय कार्य-निष्पादन, जो पूर्णतया अनन्तिम अनुमानों पर आधारित है, उतना अच्छा नहीं है जितना यह 1982-83 में रहा था। 1983-84 में 188 उपक्रमों ने कुल मिलाकर 32.24 करोड़ (अनन्तिम) का निवल लाभ कमाया है जबकि 1982-83 में 193 उद्यमों ने 617.45 करोड़ रुपये का निवल लाभ कमाया था।

(ग) 1983-84 में अनन्तिम अनुमानों के आधार पर 25 करोड़ रुपये और इससे अधिक की हानि उठाने वाले उद्यमों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) 1983-84 में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के समग्र वित्तीय परिणामों पर मुख्यतः इस्पात, कोयला, कपड़ा और उर्वरक क्षेत्र के उद्यमों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उनके वित्तीय कार्य-निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अनेक कारण हैं, जैसे मांग में कमी, कच्चे माल, बिजली, ईंधन आदि जैसी काम में आने वाली सामग्री की कीमतों में हुई वृद्धि।

(ङ) इन उपक्रमों के कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए शुरू किए गए सदुपायों में से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :—

(1) जहां कहीं क्षमता के उपयोग में निरन्तर कमी दिखाई पड़े तो उसके विशिष्ट कारणों की जांच के लिए विशेष अध्ययन दल गठित करना तथा अल्पावधिक एवं दीर्घावधिक सुधारात्मक उपाय सुझाना।

(2) अवस्थापना सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करने वाले उद्यमों के कार्य निष्पादन का निरन्तर परिवीक्षण करने तथा उनके कार्यचालन को बेहतर बनाने के लिए उपाय करने का कार्य अवस्थापना संबंधी मंत्रिमंडल समिति को सौंपा गया है।

(3) जहां कहीं औचित्यपूर्ण हो तो संतोलक सुविधाओं एवं निजी उपयोगार्थ बिजली संयंत्रों की व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पूंजी-निवेश किया जाता है।

(4) संयंत्र और उपस्करं की प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना, आधुनिकीकरण करना तथा संयंत्र और उपस्कर का पुनर्स्थापन करना और जहां कहीं उपयुक्त समझा जाए वहां उत्पादों में विविधता लाना।

(5) प्रत्येक उद्यम के बारे में तिमाही कार्य-निष्पादन समीक्षा बैठकों के माध्यम से सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों द्वारा नियमित रूप से कार्य-निष्पादन की समीक्षा करना।

(6) शीर्ष प्रबन्धकीय कार्मिकों के चयन और मूल्यांकन को बेहतर बनाना तथा शीर्ष रिक्तियों का यथासमय भरा जाना।

(7) प्रमुख परियोजनाओं के निष्पादन एवं शीघ्र समापन की परिवीक्षण संबंधी उच्च स्तरीय समिति, कार्यान्वित की जा रही प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की निरन्तर समीक्षा कर रही है।

विवरण

1983-84 के दौरान अनन्तिम अनुमानों पर आधारित 25 करोड़ रुपये तथा उससे अधिक का घाटा उठाने वाले उपक्रमों की सूची

1. भारतीय इस्पात प्राधिकरण (इसकी सहायक कम्पनी इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कं० लि०)
2. कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लि०
3. कोल इण्डिया लि० (इसकी सहायक कम्पनियों सहित)
4. नेशनल टेक्सटाइल कारपो० लि० (इसकी सहायक कम्पनियों सहित)
5. भारतीय उर्वरक निगम लि०
9. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपो० लि०
7. दिल्ली परिवहन निगम
8. भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि०
9. भारी इन्जीनियरी निगम लि०
10. नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कारपो० लि०
11. भारतीय रुई निगम लि०
12. भारतीय नौवहन निगम लि०

पाकिस्तान सरकार द्वारा भारतीयों की अधिग्रहीत संपत्ति

3031. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शत्रु सम्पत्ति अधिनियम के अन्तर्गत निहित संपत्ति का कुल मूल्य और इससे होने वाली वार्षिक आय क्या है ;

(ख) इस अधिनियम के अन्तर्गत कितने मामले और अभ्यावेदन कब से लम्बित पड़े हैं ;

(ग) पाकिस्तान सरकार द्वारा अधिगृहित भारतीयों की संपत्ति का कुल मूल्य क्या है ; और

(घ) क्या इस मुद्दे पर पाकिस्तान से कोई समझौता होने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) अभिरक्षक में विहित शत्रु सम्पत्ति का मूल्य 24.15 करोड़ रु० है। 1983-84 के लिए वार्षिक आय 88.13 लाख रु० थी।

(ख) 1965 से इस अधिनियम के अन्तर्गत लम्बित मामले तथा अभ्यावेदनों की संख्या 1659 है। विभिन्न न्यायालयों में लम्बित न्यायालय मामले 370 हैं।

(ग) पाकिस्तान सरकार द्वारा अधिग्रहीत भारतीयों की सम्पत्ति का कुल मूल्य लगभग 109 करोड़ रु० होने का अनुमान है।

(घ) इस मुद्दे पर इस समय पाकिस्तान के साथ कोई करार विद्यमान नहीं है।

किसानों पर बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की बकाया राशि

3032. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों ने किसानों से ऋण की कितनी बकाया राशि लेनी है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उनके द्वारा दिए गए ऋणों को बट्टे खाते में डालने में कुछ सहायता देने का सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक और कब तक ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अनन्तिम अनुमानों के अनुसार, सितम्बर, 1983 के अंत में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कृषि क्षेत्र के नाम 5591 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी। राज्य-वार ब्यौरा दिसम्बर, 1982 के अन्त तक का ही उपलब्ध है और संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) बैंक प्राकृतिक आपदाओं या नियंत्रण से बाहर के अन्य कारणों से प्रभावित चूक करने वालों की सहायता करते हैं, जो जानबूझ कर चूक नही करते। यह सहायता ऋण चुकाने के पुनर्निर्धारण, वापसी के समय में वृद्धि, और/अथवा ऋणकर्ता को वापस करने, साधनों का प्रबंध करने और आय को बढ़ाने की क्षमता आदि को मद्देनजर रखते हुए नई ऋण सीमाओं की मंजूरी के रूप में होती है। सरकार किसी भी क्षेत्र के ऋणों को सामान्यतः बट्टे खाते डालने के पक्ष में नहीं है। बैंक उन्हीं ऋणों को बट्टे खाते डालते हैं, जो वसूल नहीं किए जा सकते।

विवरण

1982 के अंत तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में राज्य-वार बकाया अग्रिम

(राशि लाख रुपये)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष
1	2	3	4
i.	**उत्तरी क्षेत्र**	79060.81	25108.51
1.	हरियाणा	19103.71	2535.27
2.	हिमाचल प्रदेश	1899.37	897.44
3.	जम्मू एण्ड कश्मीर	857.92	306.82
4.	पंजाब	36150.57	5787.56
5.	राजस्थान	15929.95	4891.49
6.	चंडीगढ़	3747.43	8583.06
7.	दिल्ली	1371.86	2106.87
ii.	**पूर्वोत्तर क्षेत्र**	2263.79	1233.01
1.	असम	1310.55	1011.48
2.	मेघालय	221.67	10.20
3.	मणिपुर	90.92	68.99
4.	नागालैंड	155.02	38.79
5.	सिक्किम	18.00	—
6.	त्रिपुरा	425.95	103.55
7.	अरुणाचल प्रदेश	21.13	—
8.	मिजोरम	20.55	—

1	2	3	4
iii.	**पूर्वी क्षेत्र**	40034.25	17320.85
1.	बिहार	16157.53	9090.23
2.	उड़ीसा	6352.90	7911.31
3.	पश्चिम बंगाल	14700.88	4652.62
4.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	22.94	66.69
iv.	**मध्य क्षेत्र**	66673.37	2278.23
1.	मध्य प्रदेश	20507.17	5788.12
2.	उत्तर प्रदेश	46166.20	17190.11
v.	**पश्चिमी क्षेत्र**	57334.03	2246.76
1.	गुजरात	20859.71	10890.88
2.	महाराष्ट्र	35025.72	1530.51
3.	गोवा, दमन व दीव	1440.60	25.42
4.	दादर तथा नगर हवेली	8.00	—
vi.	**दक्षिणी क्षेत्र**	149857.08	26001.80
1.	आंध्र प्रदेश	5760.29	9919.86
2.	कर्नाटक	3251.24	6763.07
3.	केरल	1818.97	1263.96
4.	तमिलनाडु	4002.53	8022.20
5.	पांडिचेरी	1483.83	32.69
6.	लक्षद्वीप	4.17	—
	कुल जोड़	395423.28	115889.16

भारतीय कपड़ा उद्योग का दोषरहित कपड़ा तैयार करने में असमर्थ होना

3033. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कपड़ा उद्योग, दोष-रहित कपड़ा तैयार करने में असमर्थ है और बाजार में घटिया सिले-सिलाए कपड़े बेचकर लोगों को लूटा जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो आम आदमी का शोषण रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) भारत में वस्त्र उद्योग, जिसमें संगठित तथा विकेन्द्रीकृत क्षेत्र शामिल हैं, कई किस्मों के वस्त्रों का उत्पादन कर रहा है। घटिया परिधानों के विपणन के बारे में आमतौर पर कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) विभिन्न वस्त्र नियंत्रण आदेशों में उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखने की पहले ही व्यवस्था है।

दिल्ली में तस्करी की वस्तुएं बेचने पर की गई गिरफ्तारियां

3034. **श्री मनोहर लाल सैनी** :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पहले दिल्ली में तस्करी की वस्तुएं बेचने वाले बहुत से लोगों को सीमा शुल्क अधिकारियों ने गिरफ्तार किया है ;

(ख) यदि हां, तो ब्यौरा सहित तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) दिल्ली में कार्यरत तस्करों के गिरोहों को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) दिल्ली के सीमाशुल्क अधिकारियों ने, तस्करी के माल के भंडारण, खुले प्रदर्शन और बिक्री को रोकने के लिए, नगर के मुख्य-मुख्य बाजारों में तस्करी के माल में कार्यरत दुकानों, वेण्डरों और फेरीवालों पर कई छापे मारे हैं/तलाशियां ली हैं। वर्ष 1984 (जुलाई, तक) के दौरान तस्करी के माल की बिक्री खुले प्रदर्शन के संबंध में मारे गए ऐसे छापों/ली गई तलाशियों की संख्या अभिगृहीत माल का मूल्य और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है :—

वर्ष	मारे गए छापों/ली गई तलाशियों की संख्या	अभिगृहीत माल का मूल्य	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
1984 (जुलाई तक) ×	143	4.6 लाख रु०	28

× आंकड़े अनन्तिम हैं ।

(ग) तस्करी के माल की सप्लाई/भंडारण के स्रोतों का पता लगाने और तस्करों के गिरोहों की पहचान करके उनको समाप्त करने के बारे में सीमा शुल्क अधिकारी सतर्क बने रहते हैं ।

तस्करी की गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के तहत सख्त कार्यवाही की जाती है । उचित मामलों में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के तहत नजरबंदी का सहारा भी लिया जाता है ।

"रुपीज 100 करोर्स ट्रैवलर्स चैक फ्राड बस्टेड" शीर्षक में प्रकाशित समाचार

3035. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जुलाई, 1984 के 'इंडियन एक्सप्रेस में' रुपीज 100 करोड़ ट्रेवलर्स चैक फ्राड बस्टेड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो जारी किए जाने से पूर्व रजिस्टर में हस्ताक्षर किए बिना और पासपोर्ट में उनकी प्रविष्टि किए बिना ट्रेवलर चैक जारी किए जाने के क्या कारण थे,

(ग) उन बैंक कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जिन पर धोखाधड़ी करने वाले लोगों के साथ मिले होने का सन्देह है ; और

(घ) ऐसे बैंक कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) प्राप्त हुई सूचना के आधार पर प्रवर्त्तन निदेशालय (विदेशी मुद्रा विनियमिन अधिनियम) ने 11-6-1984 को मद्रास में कुछ परिसरों की तलाशियां ली । जिसके परिणामतः विदेश यात्रा योजना/पड़ौसी देश यात्रा योजना के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा जारी करने से संबंधित कुछेक कदाचार जानकारी में आए हैं । इस संबंध में प्रवर्त्तन निदेशालय द्वारा जांच पड़ताल अभी पूरी नहीं की गई है । जांच पड़ताल के पूरा हो जाने पर कानून के अन्तर्गत ग्रस्त व्यक्तियों के विरुद्ध जिनमें बैंक के कर्मचारी भी, यदि कोई हो, शामिल है, उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी । प्रभावी जांच पड़ताल के हित में इस अवस्था पर और अधिक ब्यौरे देना कालोचित नहीं है ।

आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य कार्यक्रमों हेतु अनुसूचित जातियों को अतिरिक्त धन और सहायता उपलब्ध कराने के लिये वाणिज्यिक बैंकों को निदेश

3036. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा में स्थापित अनुसूचित जाति वित्त सहकारी निगम आर्थिक रूप से व्यवहार्य कार्यक्रमों के लिये अनुसूचित जातियों को लाभ-राशि (मार्जिन मनी) दे रहा है और इसमें उनकी सहायता कर रहा है ,

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से दिये जाने वाली इस लाभ राशि (मार्जिन मनी) के मामले में उड़ीसा में स्थापित वाणिज्यिक बैंकों की तरफ से वास्तव में समुचित सहयोग नहीं मिल रहा है क्योंकि अधिकांश वाणिज्यिक बैंक इस राशि के वितरण और वसूली की जिम्मेदारी उठाने के इच्छुक नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में उड़ीसा में कार्यरत विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों को उनके मंत्रालल द्वारा क्या विशिष्ट निदेश भेजे जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां। विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हिताधिकारियों के लाभ के लिए मार्जिन मनी योजना चला रहे हैं।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निगमों द्वारा दी गई मार्जिन मनी की वसूली करने के लिए उसके वास्ते बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली विशिष्ट योजना का निर्धारण करना वाँछनीय नहीं है। यह मामला अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निगमों पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वे इस काम में लगी संस्थाओं के बीच परस्पर विचार-विमर्श के पश्चात् बैंकों के साथ कोई सुकार्य प्रबंध करें। भारतीय रिजर्व बैंक के सुझाव सरकार के विचाराधीन हैं।

भुगतान शेष

3037. **श्री आर०पी० गायकवाड़** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 मार्च, 1983 को समाप्त हुए वर्ष की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 1984 को भुगतान शेष की स्थिति क्या थी ;

(ख) क्या भुगतान शेष की स्थिति प्रतिवर्ष बिगड़ती जा रही है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) भुगतान शेष की स्थिति का ब्यौरा काफी अन्तराल के बाद प्राप्त होता है। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में हुए

परिवर्तन को देखते हुए, कुल मिलाकर देश की भुगतान शेष की स्थिति में पिछले दो वर्षों में, कुछ सुधार देखने में आया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

हाजिरा से जगदीशपुर तक प्राकृतिक गैस की लाइन

3038. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हाजिरा से जगदीशपुर तक प्राकृतिक गैस की 1700 कि० मी० लम्बी लाइन बिछाने का कार्य करने हेतु कोई एकमुश्त वित्तीय प्रावधान किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी वित्तीय पद्धति का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इसमें कुल कितनी पूंजी लगने और विदेशी मुद्रा खर्च करके कितनी विदेशी कल पुर्जे लगने का अनुमान है ;

(घ) इस परियोजना की उपयोगिता क्या है ;

(ङ) इस परियोजना के लिये धन देने और इसे कार्यान्वित करने में कौन से देशों ने रूचि दिखलाई है ;

(च) प्रत्येक देश ने कितनी धनराशि देने की पेशकश की है, किस ब्याज दर पर और उसके वापिस चुकाने की किन शर्तों पर ;

(छ) क्या विश्व बैंक से भी ऋण देने का अनुरोध किया गया है ; और

(ज) क्या इस परियोजना के लिए कोई अन्तर्राष्ट्रीय निविदायें मँगाई गई हैं तथा क्या यह कार्य कतिपय कंपनियों के संघ को दिया जाएगा या इसे कई चरणों में बांटा जाएगा ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ज) हाजिरा से जगदीशपुर तक 1700 किलोमीटर लम्बी गैस की पाइप लाइन के जरिए उसकी गैस पर आधारित उन छ उवर्रक परियोजनाओं को निवेश्य सामग्री (फीडस्टाक) और ईंधन भेजा जाएगा, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में स्थापित की जायगी। इस पाइप लाइन पर अनुमानतः 1700.17 करोड रुपए की लागत आएगी जिसमें 680.35 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा अंश भी शामिल है।

इस परियोजना का वित्तपोषण आन्तरिक साधनों और उचित विदेशी निधियों से किया जाएगा।

नीदरलैंड संपूरक परामर्श सेवा के लिए 1.13 करोड़ रुपए का अनुदान दे रहा है। जापान ने लाइन पाइपों की खरीद के लिए और हाजिरा-बीजापुर खंड में पाइप बिछाने के लिए समुद्रपारीय आर्थिक सहयोग निधि की सहायता के अन्तर्गत 55 अरब येन (लगभग 250 करोड़ रुपए) देने की

पेशकश की है (जिस पर 3.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज़ लगेगा और जिसे 10 वर्षों की रियायती अवधि के साथ 30 वर्ष में वापस अदा करना होगा)। इस परियोजना के हेतु सहायता देने के लिए विश्व बैंक से भी अनुरोध किया गया है। अन्य देश जिन्होंने इस परियोजना के वित्तपोषण में रुचि दिखाई है, जर्मन संघीय गणराज्य, कनाडा, फ्रांस और इटली हैं। इन ऋणों की राशि और ब्यौरेवार शर्तों का पता तभी चलेगा जब उनसे पक्की पेशकशें वास्तव में प्राप्त हो जाएंगी और उन पर बातचीत होगी। इस संबंध में निर्णय भी आयात के स्रोतों पर निर्भर करेगा जो निविदा मूल्यांकन द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

लाइन पाइपों तथा लाइन पाइप की सामग्रियों के लिए और पाइप लाइन के निर्माण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निविदाएं मांगी गई हैं। यह निर्णय कि क्या परियोजना कंपनियों के समूह से या अवयवों में कार्यान्वित कराई जाएगी, निविदा आमंत्रण के उत्तर में प्राप्त बोलियों पर निर्भर करेगा।

लुधियाना की ओसवाल वुलन मिल्स लिमिटेड पर पाबन्दियां

3039. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओसवाल वूलन मिल्स लिमिटेड, लुधियाना पर इस फर्म तथा इस की सहयोगी कंपनियों के गाय की चर्बी के अवैध आयात से संबद्ध होने के कारण पाबन्दियां लगा दी गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इस संबंध में कुछ संसद सदस्यों ने प्रतिवेदन भेजे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस फर्म पर कोई जुर्माना किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जुलाई-अगस्त, 1983 के दौरान गाय की चर्बी के प्रथमदृष्टया अनधिकृत आयात के संबंध में मैसर्स ओसवाल बूलन मिल्स लि०, लुधियाना को 9-11-1983 को छः महीनों के लिए प्रास्थगन के अन्तर्गत रखा गया। यह अवधि 9-5-1984 को चार महीनों की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाई गई।

इसके बाद, एक आदेश दिनांक 6, जून, 1984 के द्वारा इस फर्म और इसके दस निदेशकों को 9-11-1983 से 31-3-1984 तक की अवधि के लिए, की जा सकने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी माल के आयात तथा आयात लाइसेंस/सी०सी०पी० प्राप्त करने और सरणीकरण अभिकरणों के माध्यम से आयातित माल के आबंटन से विवर्जित किया गया।

यह आदेश मैं० ओसवाल वनस्पति एण्ड एलाईड इन्डस्ट्रीज जी० टी० रोड, शेरपुर, लुधियाना (2) मैं० ओसवाल आयल्स एन्ड वनस्पति इन्डस्ट्रीज यूनिट सं० (8), 17, कोचरेन बसीन रोड, मद्रास-2, (3) मैं० ओसवाल एग्रो मिल्स प्रा० लि०, जी० टी० रोड, लुधियाना तथा मैं० ओसवाल वूलन मिल्स लि० लुधियाना की अन्य सभी शाखाये यदि कोई हो, तथा उन फर्मों पर जहां इनके निदेश (ें) के नाम प्रोपराइटर (ें) पार्टनर (ें), अथवा निदेशक (ें) के रूप में

आते हों, पर भी लागू होते हैं। मैं० ओसवाल वूलन मिल्स लि० लुधियाना द्वारा पेश की गई रिट-याचिका पर पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ ने उक्त आदेशों का इस आधार पर खंडन किया है कि प्राथियों को आदेश पारित करने से पहले सुनवाई के पर्याप्त अवसर नहीं दिये गये थे और मामला उस प्राधिकरण को दोबारा निर्णय लेने के लिये वापस भेज दिया गया है जिन्होंने विवर्जन आदेश पारित किए थे।

उपरोक्त के परिणामस्वरूप, प्रास्थगन अवधि वृद्धि आदेश दिनांक 9-5-1984 को पुनः प्रवर्तित किया गया। एक आदेश दिनांक 6 अगस्त, 1984 द्वारा इसे मैसर्स ओसवाल वनस्पति एन्ड एलाइड इन्डस्ट्रीज, लुधियाना और मैसर्स ओसवाल आयल्स एन्ड वनस्पति इन्डस्ट्रीज, मद्रास के संबंध में भी प्रयोज्य बनाया गया।

तथापि, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के खंड 8 के अन्तर्गत कार्यवाहियों को पुनः अन्तिम रूप दिया गया है और 8 अगस्त, 1984 को एक आदेश निकाला गया है, जिसके अन्तर्गत मैसर्स ओसवाल वूलन मिल्स लि०, लुधियाना और इसके 10 निदेशकों को 9-11-1983 से 31-3-1988 तक आयात लाइसेंस/सी० पी० पी० प्राप्त करने और सरणीकरण अभिकरणों के जरिए आयातित माल के आवंटन से विवर्जित किया गया है। इस आदेश को (i) मैसर्स ओसवाल वनस्पति एण्ड एलाइड इन्डस्ट्रीज, लुधियाना, (ii) मैसर्स ओसवाल आयल्स एण्ड वनस्पति इन्डस्ट्रीज, मद्रास (iii) मैसर्स ओसवाल एग्रो मिल्स प्रा० लि०, लुधियाना और मैसर्स ओसवाल वूलन मिल्स लि०, लुधियाना की अन्य सभी शाखाओं, यदि कोई हों, और साथ ही उन फर्मों, जिनमें उनके निदेशकों के नाम प्रोप्राइटर (ों) पार्टनर (ों) अथवा निदेशक (ों) के रूप में हों, पर भी प्रयोज्य बनाया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स का राष्ट्रीयकरण

3040. **श्री जार्ज फर्नान्डीस** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वदेशी टैक्सटाइल मिल्स का राष्ट्रीयकरण करने का अन्तिम रूप से निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) मामले की परिस्थितियों को देखते हुए कई पहलुओं की जांच की आवश्यकता है और इसलिये अब तक कोई निर्णय लेना सम्भव नहीं हो सका है ।

हवाई अड्डों पर अतिरिक्त जांच से देश के अन्दर उड़ानों के मामले में हो रहा विलम्ब

3041. **श्री कमल नाथ** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के विमान को हाल में अपहरण करके लाहौर ले जाने के बाद हवाई अड्डों पर की जा रही अतिरिक्त जांच से देश के अन्दर उड़ानों में विलम्ब हो रहा है ; और

(ख) यात्रियों की कठिनाइयों को दूर करने तथा एयरलाइन प्राधिकारियों की कार्य-कुशलता को बढ़ाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) श्रीनगर सहित केवल कुछ महत्वपूर्ण विमानक्षेत्रों पर यात्रियों की सीढ़ियों पर अतिरिक्त सुरक्षा जांच आरंभ की गई है। अतिरिक्त सुरक्षा जांच के कारण श्रीनगर में इंडियन एयरलाइन्स की कुछ उड़ानों में देरी हो गई थी ।

(ख) अतिरिक्त सुरक्षा जांच के कारण श्रीनगर हवाई अड्डे से उड़ानों में कोई देरी न होने देने के लिए यह निर्णय किया गया है कि यात्रियों के लिए रिपोर्टिंग समय एयरबस उड़ानों के प्रस्थान से दो घंटे पहले तथा बोइंग-737 विमानों के प्रस्थान से 90 मिनट पहले होगा । जांच काउण्टर एयरबस उड़ानों के प्रस्थान से 45 मिनट पहले तथा बोइंग उड़ानों के प्रस्थान से 30 मिनट पहले बन्द कर दिए जाएंगे ।

कर्नाटक में हुबली को जाने वाली वायुदूत सेवा शुरू करना

3042. **श्री डी० के० नायकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में हुबली को जाने वाली "वायुदूत-सेवा" शुरू करने के संबंध में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) हुबली को "वायुदूत सेवा" से कब तक जोड़ दिया जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) वायुदूत द्वारा किए गए एक यातायात सर्वेक्षण से पता चलता है कि हुबली के लिए उड़ानों के प्रचालन

के लिए यातायात की क्षमता/संभाव्यता मौजूद है । विमान क्षेत्र का निर्माण पूरा हो जाने तथा अन्य आधार संरचनात्मक सुविधाओं का विकास हो जाने के बाद ही सेवाओं का प्रचालन शुरू होगा । इस प्रयोजन के लिए भूमि ली जा चुकी है तथा राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा नागर विमानन के महानिदेशक के परामर्श से निर्माण और विकास के विस्तृत प्राक्कलन तैयार किए जा रहे हैं ।

एयर इन्डिया द्वारा खाड़ी देशों के लिए एक नई विमान सेवा शुरू करने का प्रस्ताव

3043. **श्री ए० के० बालन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983 में "एयर इंडिया" द्वारा खाड़ी देशों के यात्रियों से भाड़े के रूप में कितनी धनराशि एकत्र की गई ;

(ख) इसी वर्ष के दौरान, उसमें से केरल से खाड़ी देशों को जाने वाले यात्रियों का हिस्सा क्या था ;

(ग) क्या एयर इंडिया द्वारा खाड़ी देशों को नई विमान सेवाएं शुरू करने का इस समय कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) एयर इंडिया ने किराए के रूप में वर्ष 1983-84 में कुल लगभग 22.00 करोड़ रुपये का राजस्व कमाया ।

(ख) राज्यवार यातायात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बहुरेशा करार (मल्टिफाइबर अरेंजमेंट)

3044. **श्री राम प्रसाद अहिरवार :**

श्री सतीश अग्रवाल :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिधान आयात करने वाले देशों को, उत्पादन के गैर-प्रतियोगी क्षेत्रों में लगे अपने संसाधनों को वहां से हटा कर, भारत जैसे परिधान निर्यात करने वाले प्रतियोगी देशों से अधिक मात्रा में आयात करने के लिये बहुरेशा करार में क्या विशेष उपाय किये गये हैं ;

(ख) पिछले कुछ वर्षों के दौरान अमरीका तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के प्रत्येक सदस्य

देश के द्वारा अपने पूंजी निवेश तथा मानवीय संसाधनों को गैरप्रतियोगी परिधान उद्योग से हटाकर अधिक प्रतियोगी उत्पादन में लगाने के लिये क्या विशिष्ट कदम उठाये गये हैं और सरकार द्वारा बहुरेशा करार के अन्तर्गत इन सरकारों को इस प्रकार के दायित्वों का स्मरण कराने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) क्या बहुरेशा करार की एक प्रतिलिपि, इसके अनुबन्धों, पृष्ठाधार कागजात तथा स्पष्टीकरणों (अद्यतन संशोधित) तथा इसके हस्ताक्षरकारों की सूची सहित सभा पटल पर रखी जाएगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) बहुरेशा करार (एम. एफ. ए.) में जो कि टैक्सटाइल्स तथा कलोदिंग में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करता है, इस विषय पर एक प्रावधान है, बहुरेशा करार का अनुच्छेद 1.4 इससे सम्बन्धित है ।

(ख) एम. एफ. ए.—3 के अन्तर्गत गाट वस्त्र समिति के अन्तर्गत समायोजन उपायों सम्बन्धी एक उप समिति स्थापित की गई है । इस समिति के समायोजन प्रक्रियाओं में होने वाले परिवर्तनों की आवधिक समीक्षा करने और उनके सम्बन्ध में वस्त्र समिति को रिपोर्ट करने के कार्य दिये गए हैं । इस उप-समिति ने समायोजन प्रक्रियाओं पर अपनी अन्तिम रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की है और इसलिए आयातक देशों द्वारा किये गए समायोजन उपायों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है । एम. एफ. ए. के अन्तर्गत 1981 के प्रोठोकोल आफ एक्सटैन्शन के पैरा 15 में समायोजन उपायों तथा नीतियों को मानिटर करने की जरूरत पर पुन: जोर दिया गया है ।

(ग) एम. एफ. ए. की प्रतियां, अनुबंधों तथा नवीनतम प्रोटोकोल आफ़ एक्सटैन्शन की प्रतियों सहित संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है । एम. एफ. ए.—3 के हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची विवरण के रूप में संलग्न है ।

विवरण

1 जून, 1984 की स्थिति के अनुसार एम. एफ. ए.—3 के सहभागी

अर्जेंटीना, आस्ट्रिया, बंगलादेश, ब्राजील, कनाडा, चीन, कोलम्बिया, चैकोस्लावाकिया, डोमनीशिकन गणराज्य, मिस्र, एल सालवेडोर, यूरोपियन कम्यूनिटी, फिनलैंड, गौटेमाला, हैटी, हंगरी, भारत, इंडोनेशिया, इजराइल, जमायका, जापान, दि रिपब्लिक आफ कीरिया, मलेशिया, मालदिवस, मैक्सिको, पाकिस्तान, पेरू, फिलीफिन, पौलैंड, पुर्तगाल आन बिहाफ आफ मैकाओ, रुमानिया, सिंगापुर, श्रीलंका, स्वीडन स्विटजरलैंड, थाईलैंड, तुर्की, यूनाईटिड किंगडम आफ बिहाफ आफ हांगकांग, यूनाईटिड स्टेटस, युरुग्वे, यूगोस्लावाकिया ।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा एशियाई खेलों की खान-पान व्यवस्था के लिए खरीदा गया पूंजीगत-सामान

3045. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा एशियाई खेलों की खान-पान व्यवस्था के लिये कौन-कौन सा पूंजीगत सामान खरीदा गया था, इसका मूल्य क्या था किन स्रोतों से ये वस्तुएं खरीदी गई थीं; तथा एशियाई खेलों की खान-पान व्यवस्था का काम समाप्त हो जाने के बाद इनका क्या उपयोग किया गया ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

आई० टी० डी० सी० द्वारा एशियाड केटरिंग के लिए खरीदे गए कैपिटल गुड्स की सूची, जिसमें उनका मूल्य, वे स्रोत जहां से ये उपकरण खरीदे गए थे और एशियाड के बाद उनके उपयोग का उल्लेख है ।

क्रम सं०	आइटम	पार्टी जिससे खरीद की गई	मूल्य (लाख रुपयों में)	
1.	किचन उपकरण (आयातित)	मैसर्स एलैक्ट्रौलक्स वाशकेटर स्वीडन	132.00	(लगभग)
2.	केटरिंग उपकरण (देशी)	मैसर्स केटरिंग इक्विपमैंट कम्पनी	9.00	
3.	विविध किचन उपकरण (देशी)	मैसर्स राम लाल बनारसी लाल	6.01	
4.	साउंड कालमस सलैक्शन स्विच, डैस्क स्टेंड, फिलिप माइक, फिलिप म्यूजिक सालिड स्टेट माइक्रो एम्पलीफायर	मैसर्स रवि ट्रेडर्स	0.15	
5.	वाटर कूलर	मैसर्स श्री राम एफ ई एफ इण्ड	0.09	
6.	मैटाडौर व्हिकल वैन	मैसर्स जे० जे० एण्ड मोटर्स कारपोरेशन	0.90	
7.	स्टील स्टोरेज रैक	मैसर्स न्यू एज बसीन, सिस्टम प्रा०लि०	0.15	
8.	लाइफ लॉंग टी ट्राली	मैसर्स देव क्राकरी स्टोर	0.03	
9.	साउथ इंडिया ग्राइंडर मोटर 15 लीटर सहित	मैसर्स कान्टीनेंटल इक्विपमेंट एण्ड इण्टूमैंट कम्पनी	0.35	
10.	इलैक्ट्रिक होट प्लेट	मैसर्स सचदेवा सैल्स कारपोरेशन	0.09	
11.	मिक्सी बजाज	मैसर्स सुपर बाजार	0.01	
12.	वुडन प्लेट फार्म	मैसर्स जमिल सिंह एण्ड संस	0.04	
13.	कन्वेयर टोस्टर	होटल कनिष्क से हस्तांतरित	0.24	

एशियाड के बाद उपकरण आई० टी० डी० सी० द्वारा विविध यूनिटों को उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए ट्रांसफर कर दिए गए हैं ।

बेयपुर, कालीकट बन्दरगाह में "एम० वी० एनास्तेसिस" नामक जहाज का आना

3047. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार :**
श्री टी० एस० नेगी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 दिसम्बर, 1980 अथवा उसके आस पास केवल के बेयपुर, कालीकट बन्दरगाह में "एम० वी० एनास्तेसिस" नामक कोई जहाज आया था ;

(ख) यदि हां, तो पिछली बन्दरगाह से उसे मिली अनुमति (जावक), बन्दरगाह में आने के लिये उसे जारी की गई अनुमति उस जहाज के कर्मी दल के सदस्यों की सूची, उसके मालिकों, प्रबन्धकों, ऐजेन्टों, मास्टर के नामों और उसके सम्बन्ध में सीमाशुल्क अधिकारियों के पास उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त जहाज से कोई शुल्क, उत्पाद शुल्क, कर प्रभार आदि वसूल किये गये हैं, यदि हां, तो उसके मालिकों, प्रतिनिधियों से कितनी धनराशि वसूल की गई है तथा अधिकारियों के पास उसके सम्बन्ध में क्या अन्य विवरण उपलब्ध हैं ;

(घ) जहाज "एम० वी० ऐनास्तेसिस", उसके उपकरणों और उसके कर्मी दल के सामान की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या उक्त जहाज ने अपनी सारी देयतायें पूरी कर दी है ; तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या अधिकारियों को उक्त जहाज के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) (क) जी हां ।

(ख) विगत पत्तन निकासी (बहिर्गामी) कलकत्ता से सिंगापुर के लिऐ थी, जिसे बाद में बदल कर कालीकट के लिऐ कर दिया गया । कर्मीदल के सदस्यों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

मालिक का नाम —मैसर्स इफसो मैरिटाइम कम्पनी, ग्रीस
ऐजेण्ट —मैसर्स मैरिटाइम सर्विस प्रा० लिमिटेड, कोचीन
जल-यान का मास्टर —कप्तान ऐम० रेबेल्लो

(ग) मैसर्स स्टील इण्डस्ट्रियल केरला लिमिटेड से 23-11-1981 को 10, 66, 318.92 रुपये का कुल आयात शुल्क वसूल किया गया था । इस कंपनी ने जलयान को टूटा हुआ होने के कारण खरीदा था ।

(घ) जल-यान की स्क्रैपिंग के पश्चात् उसके उपकरणों तथा सभी कर्मीदल के सामान की निकासी की अनुमति दे दी गई है, लेकिन कप्तान के निजी सामान की निकासी की अनुमति नहीं

दी गई है। कप्तान ने कम्पनी के साथ विवाद होने के कारण मामले के निपटान हेतु अभी तक हस्ताक्षर नहीं किये हैं।

(ङ) देय रकमों की अदायगी नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कप्तान से अभ्यावेदन की एक प्रति प्राप्त हुई थी। चूंकि इस अभ्यावेदन पर वाणिज्य नौवहन अधिनियम के अधीन कार्यवाही की जानी अपेक्षित है, इसलिए कप्तान को प्रशासी मंत्रालय से सम्पर्क करने की सलाह दी गई है।

विवरण

कर्मीदल के सदस्यों की सूची

क्रमांक	नाम
1.	एस० एम० रेबेल्लो (कप्तान)
2.	एम० आर० कारनेरो
3.	ई० एस० सनापो
4.	पी० सी० मंगटनगोब
5.	ओलीवरोस रून
6.	ओ० मसूदी
7.	जी० वासिलास
8.	आर० आर० कोनटिनेंटे
9.	ओडिलोन सिपरियानो
10.	हुसैन किगवाना
11.	सिद्दिक ए० मुहम्मद
12.	इल्डे फौनसो रमोस
13.	के० बी० एच० विजेटुंगा
14.	एस० टी० एन० टेंगा
15.	जापामुनी शिल्वर
16.	महबूब आलम
17.	रियलेटो सेनटियागो
18.	एस० नवा कुमार

भारत और तन्जानिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार शुरू करना

3048. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और तन्जानिया के बीच खनिज की खोज तथा खनन सम्बन्धी क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार शुरू करने का विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे खनिजों का ब्यौरा क्या है, जिनके सम्बन्ध में भारत और तन्जानिया के बीच संयुक्त खोज कार्यक्रम शुरू करने का विचार किया गया है ; और

(ग) ऐसे संयुक्त कार्यक्रम कब क्रियान्वित किये जायेंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) (क) से (ग) तंजानिया के खान मंत्री के नेतृत्व में जनवरी, 1984 में प्रतिनिधि मंडल ने भारत का दौरा किया और खनिज तथा निकल, स्वर्ण, हीरे तथा कोयले की खनन सम्बन्धी खोज के बारे में भारतीय सहयोग एवं सहायता की इच्छा व्यक्त की। तंजानिया की ओर से अब तक कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के यार्न बैंक

3049. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के नाम क्या है जहां पर राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने यार्न बैंक स्थापित किये हैं, और

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने केन्द्र को बुनकर आवास योजना जिसके लिये केन्द्र ने राज सहायता के रूप में 10 करोड़ रुपये नियत कर रखे हैं को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने कोई यार्न बैंक स्थापित नहीं किया है। तथापि, राष्ट्रीय वस्त्र निगम सीधे राज्य अभिकरणों शीर्ष और क्षेत्रीय समितियों तथा हथकरघा विकास निगम को एक्स मिल कीमतों पर सप्लाईयों को हथकरघा क्षेत्र को सहायता करने के लिए सहमत हो गया है। इसके अलावा, हथकरघा अभिकरणों की सुविधा के लिए प्रमुख नगरों में एक्स राष्ट्रीय वस्त्र निगम यार्न डिपुओं से भी सप्लाइयां की जायेंगी।

(ख) ऐसी किसी स्कीम को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

एयर इंडिया द्वारा खाड़ी के मार्ग में किराया कम करने हेतु प्रस्ताव

3051. **श्री पी० जे० कुरियन :**
श्री ए० के० बालन :
श्री बी० एस० विजयराघवन :
श्री स्कारिया थामस

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया की खाड़ी क्षेत्र और यूरोपीय क्षेत्र से तुलनात्मक आय क्या है ;

(ख) क्या खाड़ी-त्रिवेन्द्रम क्षेत्र किराया कम करने के लिये खाड़ी क्षेत्र में यात्रियों की मांग बढ़ती जा रही है ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को आई० ए० टी० ए० के साथ उठाया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) अद्यतन सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) किराये कम करने के लिये कुछ मांग की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राज्यों को अपने बजट घाटों के समक्ष प्राप्त धनराशि

3052. **श्री नीरेन घोष** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 मई, 1984 को कलकत्ता से निकलने वाले स्टेटसमैन में मित्रांस चार्ज अगेन्स्ट टन्र शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडू को अपने बजट घाटों के समक्ष क्रमशः कितनी-कितनी धनराशि प्राप्त हुई ;

(ग) बिहार को 27.36 करोड़ रुपये के अपने बजट घाटे के समक्ष कितनी धनराशि प्राप्त हुई ;

(घ) क्या कई राज्यों ने बजट में घाटा न होने के बाद भी धनराशि प्राप्त की ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) समाचार मद को देख लिया गया है।

(ख) से (ङ) राज्यों को दिये जाने वाले मध्यकालिक ऋण की वास्तविक राशि का निर्धारण करते समय निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखा गया था; अर्थात्

(i) 1983-84 के अन्त में राज्यों का प्रत्याशित ओवरड्राफ्ट

(ii) वर्ष 1982-83 की समाप्ति पर राज्यों के ओवरड्राफ्ट ; तथा

(iii) भारतीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम, उत्तरी क्षेत्र विद्युत कार्यक्रम, जल पूर्ति तथा ग्रामीण सड़कों जैसी चार मुख्य निर्धनता-विरोधी कार्यक्रमों पर 1983-84 के व्यय में राज्यों का हिस्सा।

राज्यों को मध्यकालिक ऋण इस मुख्य उद्देश्य से दिया गया कि जो राज्य वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहें हैं वे अपने यहां निर्धनता-विरोधी कार्यक्रम को गतिशील बनाएं रखें और ये राज्य जहां कहीं भी संभव हो, 1984-85 में उचित आयोजनागत परिव्यय प्राप्त कर सके। केन्द्र ने न तो कुछ राज्यों के साथ अनुचित पक्षपात दिखाया और न ही दूसरों को किसी प्रकार की सहायता से वंचित रखा जो कि उपरोक्त योजना की रूपरेखा के अनुसार दी जा सकती थी।

1983-84 के अन्त में प्रायोजित घाटे तथा 1983-84 के दौरान प्रत्येक राज्य के मामले में दी गई विशेष सहायता को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1983-84 के अन्त में राज्यों का प्रायोजित घाटा तथा 1983-84 के दौरान राज्यों को दिया गया मध्यकालिक ऋण

(रुपये करोड़ों में)

	राज्य	मुख्य मंत्रियों तथा वित्त मंत्री योजना मंत्री के बीच सहमति से 31-3-1984 को प्रायोजित घाटा	1983-84 के दौरान राज्यों को दिए गए मध्यकालिक ऋण
1.	बिहार	200.24	169.29
2.	हरियाणा	37.93	19.93
3.	कर्नाटक	37.00	4.84×
4.	केरल	85.91	42.26
5.	मध्य प्रदेश	—	20.27×
6.	उड़ीसा	41.00	41.00
7.	पंजाब	49.62	21.32
8.	राजस्थान	61.87	48.71
9.	तमिलनाडु	126.00	55.78
10.	उत्तर प्रदेश	102.00	2.00×
11.	पश्चिम बंगाल	132.63*	73.72
	कुल	874.20	499.12

*भारत सरकार द्वारा सुझाये गये आंकड़े।

× 1982-83 के अन्त में वास्तविक ओवरड्राफ्ट।

पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के आर्डर के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन को बालाशाली नामक खराब कर्ष-पोत सप्लाई किया जाना

3053. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के आर्डर के अंतर्गत अंडमान

और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन को बालाशाली नामक सप्लाई किया गया कर्ष-पोत खराब है और उसका इन्जन क्षतिग्रस्त है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्माता को दंडित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रन्जन लास्कर) : (क) बालाशाली नामक कर्ष-पोत, मैसर्स गार्डन रीच शिप विल्डर्स एन्ड इन्जीनियर्स लि०, कलकत्ता द्वारा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह प्रशासन को, जनवरी, 1984 में सप्लाई किया गया था। मर्केन्टाइल मैरिन विभाग, कलकत्ता द्वारा उचित निरीक्षण करने के बाद की गई सुपुर्दगी के पश्चात् अन्डमान और निकोबार प्रशासन के बन्दरगाह अध्यक्ष (मैरिन) ने यह रिपोर्ट की कि कर्ष-पोत का इंजिन क्षतिग्रस्त है। पूर्तिकर्ता, उस क्षतिग्रस्त इंजिन दि० 31-8-84 तक बदल देने के लिए सहमत हो गये हैं।

(ख) पूर्तिकर्ता को दंडित किए जाने के प्रश्न पर, उनके द्वारा कार्य को पूरा कर देने के बाद ही, नियम के अनुसार गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

जर्मनी की फर्म के साथ अत्याधुनिक लाइट हैलीकाप्टरों के उत्पादन और डिजाइन के सम्बन्ध में बातचीत

3054. **श्री लक्ष्मण मलिक :**
श्री अर्जुन सेठी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना और नौ सेना के लिए एक अति-अत्याधुनिक लाइट हैलीकाप्टर का स्वदेश में डिजाइन और उत्पादन करने हेतु पश्चिम जर्मनी की फर्म के साथ समझौते की बातचीत चल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) एक उन्नत किस्म के हल्के हैलीकॉप्टर के डिजाइन तैयार करने और उसका विकास करने के लिए जर्मन संघीय गणराज्य के मैसर्स एम० बी० बी० के साथ 21 जुलाई, 1984 को एक करार किया गया है। इस सात वर्षीय करार में यह कहा गया है कि हैलीकॉप्टर का प्रथम आद्यरूप (फर्स्ट प्रोटोटाइप) लगभग चार वर्ष की अवधि में उड़ने लगेगा। भारत में बने हैलीकाप्टर दसवें दशक के आरम्भ में सेनाओं को दे दिए जाएंगे।

पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के काम को कारगर बनाना

3055. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 3 अप्रैल, 1984 के "इकोनामिक टाइम्स" में "डी० जी० एस० एण्ड डी० वर्क बोइंग स्ट्रीम लाइन्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो लागू की गयी नयी नीति का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) क्या बराबर लाभ सुनिश्चित करने हेतु सभी विभिन्न मदों के निर्माताओं अथवा सप्लायरों के लिए वितरक निर्धारित कर दिए गए हैं ; और

(घ) विभाग को भ्रष्टाचार और पक्षपात की कितनी शिकायतें मिली हैं और उनमें से कार्यवाही योग्य कितनी शिकायतें हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां।

(ख) स्थिति, संलग्न विवरण में निर्दिष्ट कर दी गई है।

(ग) चूंकि खरीद सीधी सप्लाईघरों से, टेण्डर के आधार पर की जाती है, इसलिए वितरक निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विभाग को प्राप्त होने वाली शिकायतों में, सामान्यतया अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार का कोई निश्चित आरोप नहीं होता, परन्तु उनमें सामान्यतया ठेके देने में तथा उसके बाद की अनियमितताओं के सम्बन्ध में आरोप होते हैं। आरोप चाहे किसी भी प्रकार का हो, यदि आरोपित तथ्य या अनियमितताएं ऐसी हैं, जिनकी जांच की जा सकती है, तो विभाग के सतर्कता स्कंध द्वारा उन शिकायतों की जांच की जाती है। यदि जांच/जांच-पड़ताल से सम्बन्धित अधिकारी की सत्यनिष्ठा की कमी का पता चलता है या यह पता चलता है कि उस अधिकारी ने किसी अनुचित उद्देश्य या अभिप्राय से कार्य किया है, दस्तावेजों में जालसाजी की है और सतर्कता की दृष्टि से किसी प्रकार के कदाचार या दुराचार का कार्य किया है, तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिये या तो विभाग द्वारा या केन्द्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से उन मामलों पर आगामी कार्यवाही की जाती है।

दि० 1-4-84 से 31-3-84 के दौरान विभाग को प्राप्त ऐसी शिकायतों की संख्या, जिनमें सतर्कता की दृष्टि से संभावना थी	200
उन मामलों की संख्या, जिन्हें और अधिक जांच-पड़ताल के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजा गया	9
उन मामलों की संख्या, जिनमें विभाग द्वारा की गई जांच-पड़ताल के परिणामस्वरूप अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई।	29

विवरण

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की कार्य-प्रणाली का सरलीकरण करने के लिये, अभी हाल ही में, निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

1. खरीद के सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय लेने के विचार से, कुछ समय पहले पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के चार निदेशालयों में प्रयोग के आधार पर टेंडर समिति प्रणाली आरम्भ की गई थी। चूंकि क्रय सम्बन्धी निर्णय लेने के लिए इस प्रणाली को लाभदायक पाया गया है, अतः अभी हाल ही में यह निर्णय लिया गया कि 75 लाख रु० और उससे अधिक मूल्य के सभी टेंडरों के बारे में क्रय की टेंडर समिति प्रणाली को आरम्भ किया जाये।

2. अस्पष्ट और अनुत्तरदायी निवेदों के मामलों में जिनमें क्रास पत्राचार करना पड़ता है, उनसे उत्पन्न होने वाली देरी को रोकने के लिये, यह निर्णय लिया गया है कि अनुत्तरदायी/अस्पष्ट निवेदों की सीधें ही उपेक्षा कर दी जाये। इस सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धांत भी जारी किये गये हैं कि वे कौन से कारण होंगे जिनके कारण उन्हें अनुत्तरदायी/अस्पष्ट माना जायेगा।

3. सोफिस्टिकेटिड उपकरणों के लिये, निवेदों को दो भागों—एक तकनीकी प्रकार के निवेदा और दूसरे मूल्य सम्बन्धी निवेद-में आमंत्रित करने की प्रणाली को पहले एक निदेशालय में, प्रयोग के आधार पर, आरम्भ किया गया था। उसे अब अन्य निदेशालयों में भी लागू कर दिया गया है।

4. यह निर्णय लिया गया कि टेंडर के संदर्भ में किसी फर्म की पंजीकरण सम्बन्धी हैसीयत के बारे में निर्णय लेते समय यह देखा जाये कि उस विशेष टेंडर को खोलने की तारीख को उस फर्म की क्या हैसीयत थी।

5. एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि दर ठेका केवल पंजीकृत और अजमाई हुई फर्म को ही दिया जाना चाहिये। यदि कोई फर्म पंजीकृत हो, लेकिन अजमाई हुई न हो तो उसके मामले में उचित आर्थिक सीमा के अन्तर्गत परीक्षण के रूप में दर ठेका की पद्धति को अपनाया जा सकता है जिसका संचालन सीधे मांगकर्त्ता द्वारा किया जाये।

6. एक महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी निर्णय किया गया है कि निश्चित मूल्य वाले प्रस्तावों को किसी भी प्रकार की वरीयता नहीं दी जाये। मूल्य विभिन्नता खण्ड वाले टेण्डरों तथा निश्चित मूल्य वाले टेण्डरों पर गुणदोष आधार पर विचार किया जायेगा।

7. शक्तियों का सौंपा जाना अधिप्राप्ति में बेहतर सक्षमता लाने के लिए और देरी को कम करने के लिये महानिदेशक (पूर्ति तथा निपटान) और अपर महानिदेशक की क्रय सम्बन्धी शक्तियों को एक करोड़ रु० से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रु० कर दिया गया है और अन्य अधिकारियों के सम्बन्ध में भी उचित शक्तियों को बढ़ाया जा रहा है।

8. देरी से प्राप्त या विलम्बित टेंडर-पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में किसी भी प्रकार के देरी से प्राप्त या विलम्बित या पोस्ट टेंडरों पर विचार न करने का निर्णय लिया गया है, जिससे टेंडरों के बीच कुछ अनुशासन लाया जा सके और टेंडरों के लेनदेन में निष्पक्षता तथा मामलों के शीघ्र ही निपटान का सुनिश्चित किया जा सके। पंजीकृत और अपंजीकृत फर्मों से लैटर-हैड पर कोटेशनों/तार द्वारा प्राप्त कोटेशनों इत्यादि के सम्बन्ध में, उचित टेण्डर-फार्मों में उनकी पुष्टि होने के लिये निश्चित अवधि 3 दिन के स्थान पर 7 कार्य दिवस कर दी गई है।

9. भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक आयोग के राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन० आई० सी०) के साथ एक करार किया गया है, ताकि महानिदेशालय के आंकड़े, उनके कम्पयूटर और उनकी अन्य सुविधाओं की सहायता से तैयार किये जा सकें।

10. पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के ठेकों में मध्यस्थता सम्बन्धी खण्ड को उचित रूप से संशोधित किया गया है, जिससे मध्यस्थ के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि उन सभी मामलों में, जिनमें किसी भी पार्टी का दावा एक लाख रु० से अधिक है, पंचाट अवश्य प्रस्तुत करें।

11. पेन्टस में कोटि-नियंत्रण की सुनिश्चितता के विचार से यह निर्णय लिया गया है कि पेन्ट सम्बन्धी मदों की पूर्ति करने वाली फर्में, निरीक्षण के लिये दिये भंडारों के अभिरक्षण के लिये अपने कार्य-क्षेत्र के अहाते में अथवा उसके समीप ही बॉन्ड रूप की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। ये बान्ड--भंडार परीक्षण के परिणामों के प्राप्त होने तक निरीक्षक के सुरक्षक में रहेंगे।

12. माल की शीघ्र उपलब्धि सुनिश्चित करने की दृष्टि से पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में प्राप्त होने वाले सभी मांग पत्रों का मासिक पुनरीक्षण करने का निर्णय लिया गया है। 7 लाख रु० से अधिक मूल्य के मांग पत्रों का पुनरीक्षण कम्पयूटर प्रिन्ट आउट के आधार पर किया जायेगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि उन संविदाओं के सम्बन्ध में जिनके मदें पूर्ति, मूल-परिदान अवधि से एक वर्ष से अधिक समय तक नहीं हुई, हर तिमाही में विशेष पुनरीक्षण बैठकें की जाएं।

13. फर्मों की ओर से प्राप्त शिकायतों को ध्यान में रखते हुये, विशेष रूप से वे, जो लघु उद्योग क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं और देश के अभ्यन्तर मांगों में स्थित हैं, उनके लिये यह निर्णय लिया गया है कि विज्ञापित मांगों के मामले में, टेंडरों को भेजने की समय-सीमा को 6 सप्ताहों तक बढ़ा दिया जाए।

14. पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के ठेकों की शर्तों में परेषिती द्वारा प्राप्त माल को अस्वीकार करने की व्यवस्था है, यदि वह माल ठेके के अनुसार नहीं है। सामान्यतया माल की प्राप्ति के 45 दिनों के अन्दर माल को अस्वीकार करने की सूचना दी जानी चाहिए। व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण, सरकार के हितों को सुरक्षित रखने के विचार से कुछ मदों के सम्बन्ध में इस अवधि को 60 दिन तक बढ़ा दिया जाए।

15. पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की मानक शर्तों में, निरीक्षण और प्रेषण के सबूत पर 95% का पेशगी भुगतान और परेषिती द्वारा माल की प्राप्ति पर शेष 5 प्र० श० के भुगतान

के लिए व्यवस्था की गई है । सरकार के हितों को सुरक्षित रखने के विचार से यह निर्णय लिया गया कि सीमित शैल्फलाइफ वाली मदों (अर्थात कुछ पेन्टस) का निरीक्षण और स्वीकृति, परेषिती की ओर से की जाये और परेषिती द्वारा माल के स्वीकार करने के बाद ही केवल पूरा भुगतान किया जाए ।

16. प्रक्रिया को और अधिक कड़ा करने के विचार से तथा किसी भी प्रकार के कपटपूर्ण दावे को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि भुगतान के लिए बिल के साथ फोटोस्टेट कापी अथवा सम्बद्ध रेलवे रसीद की अनुप्रमाणित प्रति भी संलग्न की जाये, क्योंकि प्रेषण का सबूत तथा रेलवे रसीद नम्बर तथा तिथि का उदघ्रत किया जाना काफी नहीं होता है ।

17. पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के ठेकों के अन्तर्गत सप्लाई के लिये भुगतान, मुख्य लेखा नियंत्रक (पूर्ति विभाग) द्वारा किया जाता है । मुख्य लेखा नियंत्रक ने हाल ही में एक पुस्तिका प्रकाशित की है जिसमें ऐसी कमियां/त्रुटियां दिखाई गई है, जो सामान्यतया पूर्तिकर्ताओं द्वारा भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए बिलों में पाई जाती हैं, तथा जिनके कारण ऐसे बिल लौटाए जाते हैं । यह पुस्तिका सभी सम्बद्ध पक्षों को भेज दी गई है, ताकि ऐसी कमियों/त्रुटियों से बचा जा सके ।

आर्मी शूटिंग रेंज, इन्द्रपुरी, नई दिल्ली से चलायी गई छुट-पुट गोलियों द्वारा जख्मी होना

3056. **श्री राम विलास पासवान**: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जुलाई, 1984 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह कहा गया है निकटवर्ती आर्मी शूटिंग रेंज से प्रतिदिन गोलियां बरसने के कारण इन्द्रपुरी, नई दिल्ली के निवासियों पर आतंक छाया हुआ है ;

(ख) इन छुट-पुट गोलियों के परिणाम स्वरूप कितने व्यक्ति जख्मी हुए हैं ; और

(ग) इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्रवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव): (क) सरकार ने इस आशय का समाचार देखा है । लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है ।

(ख) वर्ष 1984 में जख्मी होने का कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ है ।

(ग) लघु शस्त्र वर्गीकरण रेजों के बारे में व्यापक प्रबंध किये हुये हैं ताकि फायरिंग के कारण जनता को कोई जोखिम न हो। सामान्य सुरक्षा सावधानियों के अलावा इन्द्रपुरी रेंज के मामले में निम्नलिखित और सावधानियां अपनाई गई हैं :—

(1) "स्टाप बट" की ऊंचाई निर्धारित 23 फीट से बढ़ाकर 30 फीट कर दी गई है।

(2) 300 मीटर से अधिक की फायरिंग वर्जित कर दी गई है । फायरिंग केवल 200 मीटर और उससे कम दूरी से ही की जाती है ।

(3) सबसे बाहर जो दो लक्ष्य खाचें हैं उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है ।

(4) मीडियम मशीन गनों से कोई फाइरिंग नहीं की जाती ।

(5) फायरिंग का सर्वेक्षण योग्य अफसरों द्वारा किया जाता है ।

(6) रंगरूटों को फायरिंग सिखाने में मदद देने के लिये जूनियर कमीशन असफरों और नान-कमीशन अफसरों को प्रशिक्षकों (कोचों) के रूप में तैनात किया जाता है ।

(7) खाइयों के अलावा खड़े होकर फायरिंग नहीं की जाती ।

(8) हथियारों को खड़ा करके नहीं लादा जाता ।

विश्व बैंक द्वारा बम्बई नगर निगम को मंजूर किए गए ऋण को रोकना

3057. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विश्व बैंक द्वारा एक बिशेष परियोजना हेतु बम्बई नगर निगम को मंजूर किये गये ऋण के करोड़ों रुपये की धनराशि की अदायगी नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो (i) में विश्व बैंक द्वारा कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई तथा इसको किस तिथि को दिया गया (ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा बम्बई नगर निगम को कितनी धनराशि दी गई ; और

(ग) एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा एक विशेष उद्देश्य के लिए बम्बई नगर निगम को दी गई धनराशि को केन्द्रीय सरकार द्वारा किन विशिष्ट कारणों से रोका गया ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) विश्व बैंक से ऋण भारत सरकार द्वारा प्राप्त किये जाते हैं, न कि राज्य सरकारों या स्थानीय निकायों द्वारा । भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मानक शर्तों के अनुसार आगे दी जाती है । ऐसी सहायता को आगे स्थानीय निकायों को देना राज्य सरकारों का काम है । भारत सरकार ने विश्व बैंक से प्रथम तथा द्वितीय बम्बई जल-पूर्ति और मल-निकासी परियोजनाओं के लिए दो ऋण प्राप्त किये हैं, जिनका कार्य-निष्पादन बम्बई नगर निगम द्वारा किया जायेगा । प्रथम: परियोजना के लिये प्राप्त 550 लाख डालर के ऋण को जनवरी 1974 से जून, 1981 के दौरान पूर्णत: संवितरित कर किया गया था । दूसरी परियोजना के लिये, 1960 लाख डालर का ऋण मंजूर किया गया है, जिसमें से अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा 31-3-84 तक 479.6 लाख डालर की धनराशि संवितरित की गई है । पहली परियोजना के सम्बन्ध में जिसें पूरा कर लिया गया है 32,875 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जो कि राज्य सरकार की समूची हकदारी की द्योतक है, उन्हें दे दी गई है । इस परियोजना के अन्तर्गत कोई अन्य अतिरिक्त सहायता देनी शेष नहीं है । दूसरी निर्माणाधीन परियोजना के मामले में राज्य सरकार को ऋण संवितरण के आधार पर 31 मार्च, 1984 को समाप्त अवधि के लिये 33.309 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जा चुकी है ।

(ग) उपर्युक्त को देखते हुए यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता ।

दिल्ली स्टाक एक्सचेंज में कमियों को दूर करने के उपाय

3058. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार की जानकारी में आई है कि स्टाक एक्सचेंज के एक दलाल ने दिल्ली स्टाक एक्सचेंज के साथ लगभग 30 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस धोखाधड़ी में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, और

(घ) इस सम्बन्ध में कमियों का दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं जिससे भविष्य में इस तरह की धोखाधड़ी और ठगी न हो ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) : हाल ही में, दिल्ली स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दिल्ली स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड के एक सदस्य श्री सरदारी लाल मेहरा•शेयरों की सुपुर्दगी से सम्बन्धित रकम और बंद सोदों से उत्पन्न अंतर की राशि के रूप में 6,94,015-50 रुपए अदा करने के अपने दायित्व को पूरा करने में असफल रहे हैं। स्टाक एक्सचेंज को उसके कई एक अन्य सदस्यों से भी बहुत सी शिकायतें मिली हैं, जिनसे उपर्युक्त सदस्य ने कोई 11 लाख रुपये के बैंक डेविट नोटों अथवा चैकों के आधार पर, जिनको उनके खाते में रकम जमा न होने के कारण सकारा नहीं जा सका, शेयरों की सुपुर्दगी हासिल कर ली थी। इसके अलावा उपर्युक्त आढ़ती द्वारा शेयरों की बिक्री के एवज में धनराशि अदा न किये जाने अथवा अदायगियों के बाद भी शेयरों की सुपुर्दगी न देने के सम्बन्ध में लगभग 10 लाख रुपये तक की राशि के बारे में विभिन्न निवेशकर्ताओं से एक्सचेंज के पास शिकायतें पहुंची हैं।

(ग) तथा (घ) दिल्ली स्टाक एक्सचेंज ने सूचित किया है कि अशोधित प्रतिभूतियों के सौदों को निपटाने के सम्बन्ध में संबंधित उप-विधियों और विनियमों को कड़ाई से लागू किया जा रहा है। 9 जुलाई, 1984 को संपन्न हुई बैठक में एक्सचेंज के निदेशक बोर्ड ने दिल्ली स्टाक एक्सचेंज की उप-विधि 308 के अन्तर्गत श्री सरदारी लाल मेहरा को चूककर्ता (डिफाल्टर) घोषित कर दिया है।

मंत्रालय में नयी सामान्य भर्तियां

3059. **श्री निहाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1983 से सभी सरकारी सेवाओं में नई भर्ती पर प्रतिबन्ध लगाया गया था चाहे वे स्थायी हो अथवा दैदिक मंजूरी पर ;

(ख) क्या इस प्रतिबंध के बावजूद कई विभागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नई भर्ती की गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और नई आम भर्ती कब तक की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) मुद्रा-स्फीति-निवारक उपायों के एक भाग के रूप में 3 जनवरी, 1984 को भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को परामर्श दिया गया था कि केवल ऐसे मामलों को छोड़कर, जहां इन आदेशों के जारी होने की तारीख से पहले ही भर्ती की कार्यवाही की जा चुकी थी, वर्तमान रिक्तियों को 30-9-1984 तक न भरें। अनुकम्पा के आधार पर भर्ती या विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति, फालतू कर्मचारियों को फिर से लगाने, वर्ग "घ" रिक्तियों पर अनियमित श्रमिकों को नियमित करने, भर्ती नियमों के अनुसार विशुद्ध रूप से पदोन्नति द्वारा पदों के भरे जाने, बशर्ते कि प्रतिबंध आदेशों की अवधि के दौरान संवर्ग के निम्नतम स्तर में इनकी परिणामी रिक्ति को न भरा जाए, के मामलों में भी, प्रतिबन्ध से छूट दी गई है। ये प्रतिबन्ध आदेश प्रतिनियुक्ति की अवधि के आधार पर ग्रहण किए गए पदों के मामले में पदधारियों के परिवर्तन के परिणामस्वरूप हुई रिक्तियों को भरने तथा भर्ती नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों के संबंध में लागू नहीं होते, बशर्ते कि मूल विभाग/संवर्ग में श्रृंखला में परिणामी रिक्ति को प्रतिबंध आदेशों की अवधि के दौरान खाली रखा जाए। ऊपर लिखित छूट प्राप्त श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के पात्र उम्मीदवारों को भर्ती किया जा सकता है।

क्रम्ब रबड़ फैक्टरियों द्वारा विपणन सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना

3060. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत क्रम्ब रबड़ फैक्टरियों द्वारा अनुभव की जा रही विपणन सम्बन्धी समस्याओं की जानकारी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के पास इस बात का कोई निवेदन लम्बित है कि टायर निर्माताओं को इस बात से सहमत कराया जाये कि वे अपनी क्रम्ब की मांग का एक नियत अन्श रबड़ बोर्ड के परामर्श से केरल राज्य रबड़ विपणन संघ से खरीदें ; और

(ग) यदि हां, तो निवेदन का ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) जी हां। समस्या यह थी कि केरल में टायर विनिर्माता सहकारी क्षेत्र की क्रम्ब रबड़ खरीदने में उदासीन थे। समस्या अस्थायी थी और रबड़ बोर्ड और केरल राज्य सहकारी रबड़ विपणन परिसंघ के मिले-जुले प्रयासों से अब इसका लगभग समाधान हो गया है। मंत्रालय में इस मामले पर कोई अनुरोध प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता। तथापि, रबड़ बोर्ड क्रम्ब रबड़ की विपणन समस्याओं के लिए स्थायी हल सुनिश्चित करने के लिए उपायों पर सक्रियता से विचार कर रहा है।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा खाद्य सहायता

3061. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ई० ई० सी) ने विभिन्न विकासशील देशों और अन्तर्राष्ट्रीय सहायता संगठनों को खाद्य सहायता के लिए 1500 लाख डालर से अधिक की धनराशि निर्धारित की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत को कितनी सहायता प्राप्त होने की आशा है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां ।

(ख) भारत की लगभग 360 लाख अमरीकी डालरों के मूल्य की खाद्य सहायता प्राप्त होने की आशा है ।

भारत से चीन और नेपाल को खाद्यान्नों की तस्करी

3062. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 जुलाई, 1984 के "ब्लिटज" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि कुमाऊं पहाड़ियों के सीमावर्ती जिलें पिथोरागढ़ के रास्ते भारत से चीन और नेपाल को खाद्यान्नों की तस्करी की जाती है और बंदूकों की तस्करी का भी पता चला है तथा पड़ोसी राज्यों के निकटवर्ती गांवों में रहने वाले दोहरी नागरिकता वाले व्यक्ति मुख्य रूप से यह काम करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या इस बारे में इस बीच कोई जांच की गई है ; और

(घ) इस देश से चीन और नेपाल को खाद्यान्नों की तस्करी रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) भारत से चीन और नेपाल को खाद्यान्नों को तस्कर-निर्यात के बारे में दिनांक 7 जुलाई, 1984 के "ब्लिट्ज" में प्रकाशित समाचार की तरफ सरकार का ध्यान दिलाया गया है । सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों से ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है कि 1983 और 1984 के दौरान उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले से चीन और नेपाल को बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों का तस्कर-निर्यात हुआ है । इस सीमा के आरपार बन्दूकों की तस्करी का कोई भी मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है ।

(घ) भारत-नेपाल सीमा के आरपार तस्करी की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने सामान्य रूप में तस्करी-निवारण के समुचित उपाय किए है । अधिकृत व्यापार पर रोक लगाने के लिए सहयोग संबंधी समझौते के अन्तर्गत भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय प्रबन्ध-व्यवस्था भी विद्यमान है । इस क्षेत्र में स्थित सीमा शुल्क विभाग के निवारक और गुप्तचर्या तन्त्र को, कर्मचारियों और उपकरणों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, सुदृढ़ बना दिया गया है । भारत नेपाल सीमा पर केन्द्र और राज्य सरकार की संबंधित एजेंसियां उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए सतर्क रहती है ।

12.00 म० प०

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : विपक्ष के कई सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव की पूर्व सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रो० तिवारी को बोलने की अनुमति दी है।

यदि आपने स्थगन प्रस्ताव की कोई पूर्व सूचना दी है तो उसकी अनुमति नहीं दी गई है। यदि आप कोई प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव के अलावा देना चाहें, तो मुझे दे सकते हैं।

मैंने प्रो० तिवारी को अनुमति दी है।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि पाकिस्तान आणविक शक्ति बन रहा है और अमरीकी सीनेट में एक संकल्प पारित हुआ है कि अमरीका को पाकिस्तान को सहायता देना बन्द कर देना चाहिए।

उनके पास इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि पाकिस्तान ने आणविक·····

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे नोटिस दीजिए और मैं कुछ न कुछ करूंगा।

प्रो० के० के० तिवारी : हमने पहले ही चर्चा के लिए नोटिस दे दिया है। हम मच्छरों के संकट से लेकर बाढ़ तक सब पर चर्चा करते रहे हैं। परन्तु यह ···

अध्यक्ष महोदय : कोई समस्या नहीं है आप दे दीजिए, कर लेंगे। इसमें कोई प्राब्लम नहीं है। कर लेंगे डिस्कसन, कोई बात नहीं।···(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : दिल्ली अपराधियों का स्वर्ग बन गई है। इसमें एक आदर्श प्रशासन होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए। आप इस पर अनावश्यक रूप से उत्तेजित क्यों हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं उत्तेजित नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कभी रोका है, जब कभी आपने मोशन दिया है। आप और कोई मोशन दे दीजिए, कालिंग अटेंशन का नोटिश दीजिए, हम देख लेंगे।

···(व्यवधान)···

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : दिन-दहाड़े चार डकैतियां पड़ी थीं। हर रोज हत्याएं हो रही हैं। क्या दिल्ली में कोई प्रशासन है?

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक सामान्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दीजिए। मैं उस पर

विचार करूंगा । स्थगन प्रस्ताव का कोई प्रश्न नहीं है : आप मुझे अन्य कोई प्रस्ताव दे सकते हैं। मैं उस पर विचार करूंगा । उसमें कोई समस्या नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : जामिया मिलिया कैम्पस में क्या हुआ ?

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : एक-एक मिनट सबको दे दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुन तो लिया है । ···(व्यवधान)··· आप कालिंग अटेंशन का नोटिस दीजिए या कोई और मोशन दीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यादव जी, आपने जो लिखकर दिया है, उसमें पुलिस का तो कोई अर्थ नहीं है ? मैंने उसे देखा है । ···(व्यवधान)···

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह संसद की असफलता है । हमें सभा को स्थगित कर देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : इसे संसद से कुछ लेना-देना नहीं है । मैं इसे आपको प्रचार का मंच नहीं बनाने दूंगा ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : इसमें संसद को प्रचार का मंच बनाने का कोई प्रश्न नहीं है । मुझे बहुत खेद है ।···(व्यवधान)···

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : इसमें प्रचार का कोई प्रश्न नहीं है । यदि किसी संसद सदस्य को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो सभा को सूचना देनी होती है । इसमें प्रचार का कोई प्रश्न नहीं है, बल्कि नियमों के अन्तर्गत ऐसा ही होना चाहिए । इसे प्रचार मत कहिए । कृपया अपनी टिप्पणी को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं करूंगा ।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : यहाँ पर सदस्य को गिरफ्तार किया गया है । आपको सूचना नहीं दी गई है ।

प्रो० मधु दंडवते : कृपया अपनी टिप्पणी को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दीजिए । आप कह रहे हैं कि नियमों को क्रियान्वित करना सदस्यों के लिए एक मंच है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सुन रहा हूं और मैंने यह पत्र पढ़ा है जिसमें कहा गया है :

"परन्तु लगता है पुलिस ने पूरे प्रकरण को दबा दिया है ।"

मैं इसकी बात कर रहा हूं । इधर देखिए । मैं इसकी बात कर रहा हूं ।

मैंने यह कभी नहीं किया है। यह आपका काम है करो। मैं तो यह कहता हूं जो मुझे लिख कर दिया गया है।

प्रो० मधु दंडवते : हम केवल उनकी गिरफ्तारी की सभा को सूचना देने की असफलता की बात कर रहे हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव : हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप उसका उल्लेख करते हैं, तो मैं उस पर विचार करूंगा। परन्तु मैं इसकी बात कर रहा हूं।

प्रो० मधु दंडवते : इसे प्रचार मत कहिए। कृपया इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं दूसरी बात आपको कहना चाहता हूं। आप रेडियो के खिलाफ कर सकते हो। इन्होंने आपकी अरेस्ट के बारे में नहीं किया है, आप इनके खिलाफ कर सकते हो।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल इस पर ध्यान दे सकता हूं। आप उत्तेजित क्यों हैं ? इसकी कोई जरूरत नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं उसका उल्लेख नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल नियमों के क्रियान्वयन की बात कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल इसके बारे में बात कर रहा हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैंने समझा आप मेरी गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। मैं आपकी गिरफ्तारी की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने आपकी गिरफ्तारी का उल्लेख नहीं किया है।

आप अपनी जगह खड़े हो जाइए, आप ऐसे क्यों खड़े हैं ? आप अपनी सीट पर खड़े हो जाइए।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं अपने आप उत्तेजित हो गया हूं। मैंने सोचा यदि अध्यक्ष महोदय इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं कि सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया है और अध्यक्ष महोदय को सूचना नहीं दी गई है और फिर, आप कहते हैं, यह राजनीतिक प्रचार का मंच नहीं है, फिर मैं इसे गम्भीरता से लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : चन्द्रजीत जी आपने मुझे लिखकर नहीं दिया। मुझे किसी भले आदमी ने, किसी आनरेबल मेम्बर ने लिख कर दिया और उसमें गलत लिखा हुआ था।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह मेरी गिरफ्तारी का प्रश्न नहीं है कि मैं पूछ रहा हूं। यह किसी सदस्य का प्रश्न है जिसे गिरफ्तार किया गया है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हमें इसे बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहिए। मैंने इसे बुलेटिन में भी दिया है। आपने मुझे कहा नहीं कि आपके अरेष्ट का जिक्र आया है या नहीं। जो मेरे पास अरेष्ट के बारे में आया, वह बुलेटिन में लिखा है। जो आपने मुझे लिख कर दिया उसके विषय में मैंने कहा कि वह ठीक नहीं था। आप कहो तो मैं पढ़कर सुना देता हूं—

"सर्वश्री हेमवती नन्दन बहुगुणा, टी० एस० नेगी, रामलाल राही, हरिकेश बहादुर, ए० नीलालोहितदसन नाडार, चन्द्रजीत यादव, राजेन्द्र प्रसाद यादव, छांगुर राम, सी० टी० दण्डपाणि, और डा० ए० कलानिधि को निरुद्ध किया जाना और छोड़ा जाना।"

2. "लोक सभा अध्यक्ष के नाम पुलिस सहायक आयुक्त संसद मार्ग (नई दिल्ली) का 9 अगस्त, 1984 का निम्न आशय का संदेश 9 अगस्त, 1984 को प्राप्त हुआ :—

> मुझे आपको सादर सूचित करना है कि लोक सभा के सदस्यों, सर्वश्री हेमवती नन्दन बहुगुणा, टी० एस० नेगी, राम लाल राही, हरिकेश बहादुर, ए० नीलालोहितदसन नाडार, चन्द्रजीत यादव, राजेन्द्र प्रसाद यादव, छांगुरराम, सी० टी० दण्डपाणि और डा० ए० कलानिधि को, पुलिस द्वारा दिये गये विधिसम्मत निदेशों को न मानने के कारण आज (9-8-1984) को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अन्तर्गत, 1405 से 1445 बजे तक निरुद्ध किया गया। उन्हें आज 9 अगस्त, 1984 को लगभग 14.45 बजे छोड़ दिया गया।"

बस यही है। हमने इस पर ध्यान दिया। इसमें कोई समस्या नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यन स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : महोदय, क्या आप अगले सप्ताह श्री लंका की स्थिति पर चर्चा की अनुमति दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : हम चर्चा करेंगे।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : मान्यवर, मेरा कहना यह है कि आवश्यक वस्तुओं की इतनी मंहगाई हो गई है···

अध्यक्ष महोदय : मैं कर रहा हूं।

श्री राजेश कुमार सिंह : मान्यवर, टिमाटर 12 रुपये किलो हो गया है···

अध्यक्ष महोदय : हम इसे पहले ही कर रहे हैं। यह मन्डे को आ रहा है।

श्री राजेश कुमार सिंह : मैंने इसके बारे में नोटिस दे रखा है।

अध्यक्ष महोदय : हम कर रहे हैं।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, ला एण्ड आर्डर का क्या हो रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : आपने लिखकर दे दिया हो तो मैं कर दूंगा। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। चर्चा के लिए, कोई समस्या नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में···

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा करेंगे। मैंने आपको वचन दिया है। इसमें कोई समस्या नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या आप दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति से खुश हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप उनसे पूछिए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, आप उन्हें निर्देश दे दीजिए (व्यवधान) क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि दिल्ली अपराधियों का स्वर्ग बन गई है।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल प्रस्ताव गृहित करता हूं। बस।

12.06 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड कलकत्ता के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा उन्हें सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कार्पोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण :

(दो) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कार्पोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8558/84]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयोग का वर्ष 1980 81 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसमें अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयोग के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) इस प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8559/84]

1 मार्च, 1984 की अधिसूचना संख्या 33/84 सीमा शुल्क को रद्द करने संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन और मुद्रित कागज की रद्दी का भारत में आयात पर प्रतिबंध लगाने और भारतीय मुद्रा को रूसी रूबल में बदलने अथवा रूसी रूबल को भारतीय मुद्रा में बदलने की संशोधित दर के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन और न्यू इंडिया इंश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड, ओरिएन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड आदि के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 537 (अ), जो 27 जुलाई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा 1 मार्च, 1984 की अधिसूचना संख्या 33/84 सीमा शुल्क को रद्द किया गया है।

(दो) सा० का० नि० 585 (अ), जो 2 अगस्त, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा पवित्र ग्रंथों के पृष्ठ या उसके अंशों वाले मुद्रित कागज की रद्दी का भारत में आयात सर्वथा निषिद्ध किया गया है ।

(तीन) सा० का० नि० 552 (अ), जो 1 अगस्त, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो भारतीय मुद्रा को रूसी रूबल में बदलने अथवा रूसी रूबल को भारतीय मुद्रा में बदलने की संशोधित दर के बारे में है ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी. 8560/84]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) न्यू इंडिया एन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, बम्बई के 31 दिसम्बर 1983 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, बम्बई, के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुये वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी. 8561/84]

(ख) (एक) ओरिएन्टल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली, के 31 दिसम्तर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) ओरिएन्टल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली, के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी. 8562/84]

(3) (एक) भारतीय आयात-निर्यात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 19 की उपधारा (5) और धारा 24 की उपधारा (5) के अन्तर्गत, भारतीय आयात-निर्यात बैंक, बम्बई, के वर्ष 1983 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) भारतीय आयात-निर्यात बैंक, बम्बई के वर्ष 1983 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी. 8563/84]

(4) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1870 की धारा 10 की उपधारा (8) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(दो) बैंक आफ इण्डिया के 31 दिसम्बर 1983 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(तीन) पंजाब नेशनल बैंक के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(चार) बैंक आफ बड़ौदा के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(पांच) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(छः) केनरा बैंक के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(सात) यूनाईटेड बैंक आफ इण्डिया के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(आठ) देना बैंक के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(नौ) सिंडीकेट बैंक के 31 दिसंबर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(दस) यूनियन बैंक आफ इन्डिया के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(ग्यारह) इलाहाबाद बैंक के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(बारह) इण्डियन बैंक के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(तेरह) बैंक आफ महाराष्ट्र के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(चौदह) इण्डियन ओवरसीज बैंक के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(6) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1980 की धारा

10 की उपधारा (8) के अन्तर्गत, निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) आन्ध्र बैंक के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन ।

(दो) कारपोरेशन बैंक के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(तीन) न्यू बैंक आफ इण्डिया के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(चार) ओरिएन्टल बैंक आफ कामर्स के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(पांच) पंजाब एण्ड सिंध बैंक के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(छः) विजया बैंक के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी. 8564/84]

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखे तथा लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन और इन्हें सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं, निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(11) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 12-क के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(12) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी. 8565/84]

12.07½ म० प०

राज्य सभा से सन्देश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 8 अगस्त, 1984 को हुई अपनी बैठक में पारित चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 1984 की एक एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

चलचित्र (संशोधन) विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित

महासचिव : महोदय, मैं चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 1984, राज्य सभा द्वारा यथापारित रूप में सभा-पटल पर रखता हूं।

12.08 म० प०

विधेयक पर अनुमति

महासचिव : महोदय, 24 जुलाई, 1984 की सभा को सूचित करने के पश्चात् पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक, 1984 को मैं सभा पटल पर रखता हूं।

12.08½ म० प०

लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति
ग्यारहवां प्रतिवेदन

श्री गुलशेर अहमद (सतना) : मैं लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

12.09 म० प०

सभा का कार्य

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री

एच० के० एल० भगत) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 13 अगस्त, 1984 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

(1) आज की कार्यसूची की बकाया किसी सरकारी मद पर विचार ।

(2) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा पारित करना :—

(क) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में, भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, 1984

(ख) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में, प्रत्यायोजित विधान उपबन्ध (संशोधन) विधेयक, 1984

(ग) दहेज प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 1984

(घ) भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1984

(ङ) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में, चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 1984

(3) अवैध प्रवासी (अधिकरण द्वारा अवधारण) नियम, 1984 में संशोधन संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा ।

(4) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के प्रतिवेदनों पर मंगलवार, 14 अगस्त 1984 को अपरान्ह 3.00 बजे, चर्चा ।

श्री एम० एम० लारेंस (इदुक्की) : सीमेंट घोटाले के विषय में···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें कई काम करने हैं । यदि मुझे समझ आ जाए कि इस पर चर्चा की जा सकती है, तो मैं करवाऊंगा । अन्यथा नहीं । मुझे कुछ सूचना मिली है । आपने कुछ और बातें उठाई हैं और मैं पुन: तथ्य मंगाऊंगा ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के बारे में···

अध्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया है । आप कालिंग अटेंशन दे दीजिए. मैं देख लूंगा ।

(व्यवधान)

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) मैंने आपको नोटिस दिया है। चर्चा के लिए सहमत होकर बड़ी कृपा की है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं कर रहा हूं ।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदय, ओलम्पिक में एक भी पदक प्राप्त नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे चर्चा करनी होगी । आपको एक प्रस्ताव देना होगा ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : यह चर्चा करने अथवा सरकार द्वारा कार्यवाही करने का कोई मामला नहीं है । यह सरकार को सुनिश्चित करना है । कानून और व्यवस्था बनाए रखना किसी सभ्य सरकार का प्राथमिक कार्य है ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कठुवा) : ओलम्पिक में भारत का निराशाजनक प्रदर्शन शर्मनाक बात हैं । इसमें चयन और भारतीय दल को विभिन्न खेलों के लिए भेजने का प्रश्न शामिल है । इसमें हेरा-फेरी और धोखाधड़ी शामिल है और यह हमारे देश के युवकों के लिए एक प्रश्न है । खेल हमारे देश में अनाथ हो गए हैं । इस सभा को इस पर ध्यान देना चाहिए । इस पर सभा में चर्चा होनी चाहिए । मैंने चर्चा के लिए नियम 193 के अन्तर्गत नोटिस दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह अगले सप्ताह के कार्य में आ रहा है ।

श्री मनी राम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह कम्युनल रायट बन जाएगा । इसको संभालना होगा ।

अध्यक्ष महोदय : देखेंगे । आप कुछ दीजिए, उस पर विचार किया जाएगा । अब यहां पर एक मिनट में तो कुछ नहीं कर पाऊंगा ।

श्री मंगल राम प्रेमी (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, मथुरा जनपद के भैंसा गांव में···

(व्यवधान) ××

अध्यक्ष महोदय : नाट अलाउड । यह स्टेट सब्जैक्ट है । मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है ।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : अध्यक्ष महोदय, रांची में मजदूरों का आन्दोलन चल रहा है और एक मजदूर नेता मारे गए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : नाट अलाउड । आप समझते क्यों नहीं हैं कि स्टेट गवर्नमेंट भी किसी चिड़िया का नाम है । यह कोई पुलिस स्टेशन तो नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : वह चिड़िया आजकल कुछ कर नहीं रही है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं कर रही है तो उसको हटा दीजिए ।

(व्यवधान)

×× कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई-उत्तर पूर्व) : महोदय, बम्बई शहर के लोगों की लम्बे समय से यह मांग है कि इस शहर का नाम पूरे विश्व में मुम्बई माना जाए, इसका अंग्रेजी नाम बम्बई नहीं है। मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु किया गया और हाल ही में जालंधर के हिज्जे ठीक किए गए थे। पहले क्वानपुर को कानपुर किया गया था।

मैं भी यह मांग करता हूं कि हमारे देश का नाम संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दुस्तान हो, ताकि इसका ग्रीक संस्करण इंडिया। सरकार को इस आशय का एक संकल्प सभा में लाना चाहिए।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : निम्नलिखित मदों को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए :—

(1) आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निरन्तर बढ़ना, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्रतिदिन बढ़ना।

(2) सरकार के श्रमिक विरोधी और लोकतंत्र विरोधी रवैये के कारण कोयला क्षेत्रों में व्याप्त नाजुक स्थिति।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : निम्नलिखित मद को आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाए :

"देश और विशेष रूप से दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति।"

डा० वी० कुलनदईवेलु (चिदम्बारम) : मैं अगले सप्ताह के कार्यसूची में निम्नलिखित विवरण को शामिल करने का अनुरोध करता हूं :

यह समय की जरूरत है कि शिक्षा के क्षेत्र में समाज के ग्रामीण और गरीब तबके के हितों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाय।

इस बात से कोई भी व्यक्ति इन्कार नहीं कर सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने प्रगति की है लेकिन यह प्रगति समाज के गरीब और ग्रामीण वर्गों की कीमत पर हुयी है।

सम्पन्न और गरीब वर्गों के बीच शिक्षा के स्तर में असमानता होने का मूल कारण शिक्षा के प्रावधान में दोषपूर्ण नीति है।

चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कृषि आदि जैसे व्यावसायिक पाठयक्रमों में प्रवेश के लिए उम्मीद-वारों के बौद्धिक स्तर का मूल्यांकन करने और कार्य-कुशलता बनाये रखने हेतु अंकों और योग्यता के मापदंड पर चर्चा की गयी है। वास्तव में इस प्रकार की नीति सरल और उचित प्रतीत हो सकती है लेकिन इस मामले में जब हम गहराई पर जायें, तो तब पता लगेगा कि इससे हमारे समाज के ग्रामीण, गरीब और गैर प्रभावी वर्ग के हितों की उपेक्षा किए जाने की कमजोरी का पता लगेगा।

किसी खास मामले के अलावा यदि केवल अंकों पर ही विचार किया जाता है तो केवल वही छात्र अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं जिनके पास सुविधाएं और साधन उपलब्ध हैं। चूंकि किसी

व्यक्ति के बौद्धिक स्तर का मूल्यांकन करने के लिए कोई-कोई सिद्ध तरीका उपलब्ध नही है इसलिए केवल अंकों के आधार पर योग्यता का निर्धारण करना, अर्हता परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं में जिनके लिए आजकल हेराफेरी की जा सकती है, बहुत जोखिम भरा है ।

केवल ग्रामीण और उपेक्षितवर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए ही नहीं अपितु समाज में शिक्षा के बराबर और समान वितरण को सुनिश्चित करने हेतु भी मैं आगे से व्यावशायिक पाठयक्रमों के चयन के लिए केन्द्र सरकार से प्रवेश परीक्षा समाप्त करने और सार्थक, निष्पक्ष और स्वतंत्र साक्षात्कार लिए जाने का अनुरोध करता हूं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष जी, अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्न-लिखित विषय को समाविष्ट करने का सुझाव देता हूं :—

आज के कुछ विदेशी समाचार प्रसारणों में यह कहा गया है कि प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने श्रीलंका के तमिलों की समस्या का समाधान निकालने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति श्री रीगन तथा ब्रिटिश प्रधान मंत्री श्रीमती थ्रैचर की सहायता मांगी है और इस आशय के उन्हें पत्र लिखे हैं।

यदि यह समाचार सत्य है तो सरकार को सदन को विश्वास में लेकर यह स्पष्ट करना चाहिए कि भारत और श्रीलंका के बीच तमिलों की सुरक्षा के द्विपक्षीय मामले में इस भूखंड से बाहर के देशों, बिशेषकर महाशक्तियों को, हस्तक्षेप के लिए निमंत्रित करना कहां तक उचित है ।

अभी तक श्रीलंका पर यह आरोप लगाया जाता था कि वह बड़ी शक्तियों को इस भूखंड में लाना चाहता है । आज के विदेशी समाचारों से, भारत की स्थिति और रवैये के बारे में जो भ्रम पैदा हो सकता है उसका निराकरण आवश्यक है ।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : माननीय अध्यक्ष जी, अगले सप्ताह की कार्यवाही सूची में नीचे लिखे विषयों को जोड़ा जाए :

(1) भूतपूर्व फौजी पेंशनरों को जो मुसीबतें आ रही हैं और जो सहूलियतें उनको मिलनी चाहिएं, मिल नहीं रही हैं । उसके बारे में लोकसभा में बार-बार सवाल उठे और रक्षा मंत्री ने एक कमेटी बना कर उनकी तकलीफों की जांच के लिए चण्डीगढ़ इत्यादि गये । लेकिन अभी तक कोई सहूलियत नहीं दी गई है । इसके ऊपर अगले सप्ताह की कार्यवाहियों में चर्चा की जाये और फौजियों को बसाने और काम देने, रोजगार देने का प्रबन्ध करें ।

(2) हमारे देश में इतनी दरिद्रता है कि सबसे कम आमदनी वाले, जिसको गरीबी की रेखा के नीचे मानते हैं, उसकी औसत आमदनी एक रुपया रोज और देश के 18 सम्पन्न परिवारों की आमदनी 10 लाख रु० रोज तक है । यह अमीरी और गरीबी के अतर

को मिटाना जरूरी है। अगर यह खाई इसी तरह पड़ी रही या बढ़ गई तो देश तबाह हो जायेगा। इसलिए जरूरी है कि आमदनी और खर्च पर रोक लगे। अगले सप्ताह में इस पर चर्चा हो।

12.21 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : महोदय, मैं अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विवरण को शामिल करने का सुझाव देता हूं।

दक्षिण कोरिया, जो पूर्वी क्षेत्र का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक हैं, से हुए नवीनतम संकट सहित लौह अयस्क निर्यात संबंधी व्यापक नीति की कमी के कारण गम्भीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, इसलिए पारादीप पत्तन पर गाद भर जाने से पैदा हुयी गम्भीर समस्या के कारण आगे से पारादीप पत्तन से आयात बन्द कर देना होगा। ऐसे संकेत हैं कि जापान द्वारा नालिस किए जाने की सम्भावना है। सरकार को पारादीप पत्तन में गाद भरने से बचाने के लिए तलमार्जन का काम शुरू करने के लिए शीघ्र उपाय करने चाहिए ताकि लौह अयस्क आयात करने का काम न रुकने पाये।

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 13-8-84 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह की संसद की कार्यवाही में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए :

(1) सरकार सवा तीन एकड़ से कम जोत की खेती को अलाभकर मानती है तथा ढाई एकड़ से कम भूमि रखने वाले परिवार को भूमिहीन की श्रेणी में मानकर इतनी भूमि पर आश्रित परिवारों को खेतिहर मजदूरों की श्रेणी में रखा गया है। हमारे देश में भूमि वितरण में भूमिहीन लोगों को मात्र दो-दो बीघा तक जमीन दी गई है। पांच प्रतिशत परिवार भी ऐसे नहीं होंगे जिन्हें दो एकड़ अथवा उससे अधिक आबंटन में भूमि दी गई हो। स्पष्ट है कि ऐसे परिवार बेरोजगार तथा खेतिहर मजदूर की श्रेणी तक ही सीमित रह गए हैं। हमारी सरकार से मांग है कि ऐसे परिवारों को जो खेतिहर मजदूर की श्रेणी में आते हैं अथवा बिल्कुल भूमिहीन बेरोजगार हैं, उनके परिवारों में से कम से कम एक व्यक्ति को किसी सरकारी/सहकारी संस्था अथवा विभाग अथवा प्रतिष्ठान में लगाने के लिए एक नीति बनाने पर सदन में विचार करने के लिए प्रस्ताव लाये और बेरोजगारी उन्मूलन की दिशा में प्रभावी कदम उठाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत बनाने पर विचार करे।

(2) उत्तर प्रदेश में लगभग 20 हजार नियुक्त तदर्थ माध्यमिक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं तथा कुछ की पदावनति कर दी गई है। यह तदर्थ नियुक्तियां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के गठन न कर पाने के कारण एक अध्यादेश के माध्यम से की गई और सेवा अवधि बढ़ती रही। आयोग गठन होने के बाद भी अभी तक शिक्षकों की नियुक्तियां

नहीं हो पायी हैं। जुलाई से शिक्षा सत्र पुनः चालू हो गया है। शिक्षकों को हटाने से जहां वह बेरोजगार हो गए हैं और पदावनति से वेतनमानों पर कुप्रभाव पड़ा है, वहीं लगभग दस लाख माध्यमिक शिक्षा पढ़ने वाले छात्र कुप्रभावित हो रहे हैं। सरकार की दोषपूर्ण शिक्षा नीति तथा अस्थिर शिक्षकों की नियुक्ति नीति के कारण ही, जहां उत्तर प्रदेश के माध्यमिक तदर्थ शिक्षकों का भाग्य अधर में लटक गया है, वहीं छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। हमारी मांग है कि वर्तमान सत्र के अगले सप्ताह में सदन की कार्यसूची में शिक्षा-नीति में विचार करने के लिए इस विषय को कार्यसूची में सम्मिलित किया जाये जिससे शिक्षण तथा शिक्षा-नीति प्रभावी बनाने के लिए कोई निष्कर्ष निकाला जा सके।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : निम्नलिखित मद को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित किया जाय।

देश में खेल कूदों और शारीरिक शिक्षा की स्थिति के बारे में गम्भीर चिन्ता करने के कुछ कारण हैं। पी० टी० ऊषा के बेहतरीन प्रदर्शन के अपवाद को छोड़कर हमारी औलम्पिक टीम कोई प्रदर्शन नहीं कर पाई। सरकार को वैज्ञानिक ढंग से खेलों और हमारे लोगों के शारीरिक शिक्षा के विकास पर जितना ध्यान अब तक दिया गया है उससे अधिक महत्व देना चाहिए। खेल उपमंत्री ने पिछले 23 जुलाई को घोषणा की थी कि राष्ट्रीय खेल नीति सदन के सभा पटल पर टाली जायेगी, यह शीघ्र किया जाना चाहिये और मैं अगले सप्ताह में राष्ट्रीय खेल नीति पर एक पूर्ण चर्चा किए जाने के बारे में आग्रह करता हूं।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में संलग्न दो विषय सम्मिलित किये जायें।

देश में दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना और विस्तार का कार्य जारी है। किन्तु मध्य प्रदेश के अनेक जिले दूरदर्शन प्रसारण से वंचित हैं उज्जैन भी अब तक दूरदर्शन प्रसारण से वंचित है। इन्दौर का दूरदर्शन प्रसारण कम क्षमता का है जिसे उच्च क्षमता प्रसारण में परिवर्तित किया जाना है। उच्च क्षमता विस्तार से ही उज्जैन को प्रसारण प्राप्त होगा। उपयुक्त तो यह होगा कि उज्जैन में उच्च क्षमता का स्वतंत्र दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र स्थापित किया जाय। वर्तमान में उज्जैन में येन केन प्रकारेण इन्दौर से क्षीण प्रसारण प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि उज्जैन को उपयुक्त दूरदर्शन प्रसारण से वंचित नहीं किया जाये।

देश के दूरदर्शन प्रसारण विस्तार कार्यक्रम के साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि वर्तमान अंग्रेजी प्रसारण के स्थान पर हिन्दी में प्रसारण की उपयुक्त प्रणाली स्थापित की जाये।

देश के समाचार पत्रों और पत्रकारों को सुरक्षा दी जानी चाहिए। विगत समय भोपाल में पत्रकारों को आतंकित करने की कार्यवाही के उपरांत इसी माह एक अगस्त को उज्जैन के दैनिक

"अवन्तिका" समाचार पत्र के पत्रकार पर एक घटना के दौरान पुलिस ने आक्रामक कार्यवाही की जब कि उस घटना से उनका कोई सम्बन्ध नहीं था। अवन्तिका के पत्रकार को पुलिस के लोगों ने जानबूझकर इसलिये पिटाई की कि वह पुलिस प्रशासन के बारे में अपने समाचार पत्र में वास्तविक घटनाओं को वैसा का वैसा ही प्रकाशित करते हैं जिसमें पुलिस की अनियमितताएं भी प्रकट होती हैं।

उक्त स्थिति अत्यन्त चिंताजनक है जिसकी ओर केन्द्र सरकार को ऐसी आतंकित करने वाली गतिविधि को नियंत्रित करना चाहिये।

श्री एच० के० एल भगत : मैंने सभी माननीय सदस्यों द्वारा उल्लिखित मुद्दों को सुना है। वास्तव में यह समय की उपलब्धता का प्रश्न है। फिर भी मैं इसे कार्यमंत्रणा सलाहकार समिति के सामने प्रस्तुत करूँगा।

12.27 म० प०

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

तथा

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन विधेयक)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन मद संख्या 10 और 11 पर एक साथ विचार करेगा। डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 19 जुलाई 1984 को प्रख्यापित विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1984, (1984 का अध्यादेश संख्या 8) का निरनुमोदन करती है।"

महोदय, अध्यादेश का विरोध करने के लिए मैंने सांविधिक संकल्प का एक नोटिस दिया है क्योंकि मैं सरकार के इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण को कठोर बनाये जाने से तस्करी के मामलों को रोकने में किसी प्रकार की प्रगति होगी, अध्यादेश द्वारा तुरन्त इस कानून को बनाये जाने वाली परिस्थितियों के विवरण में कहा गया है—

"विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974, के प्रावधानों का निवारक प्रभाव पड़ा है और वह तस्करी की गतिविधियों का मुकाबला करने में प्रभावी हुआ

है। फिर भी खुफिया विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार तस्करी के वर्तमान रुख को ध्यान में रखते हुए,.. "

मुझे नहीं पता इसका निवारक प्रभाव कहाँ पड़ा। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारक अधिनियम की क्रियान्विति के दौरान पिछले दस वर्षों में क्या तस्करी कम हुयी है। क्या वे इसे प्रभावी ढंग से रोक पाये हैं, मैं यह बात जानना चाहता हूं।

महोदय, मैंने हर समय यही देखा है कि वे इस प्रकार का कानून लाते हैं और होता यह है कि नये रास्ते खुल जाते हैं और नयी कमियां आ जाती हैं जिसके कारण ये जिन तस्करों को पकड़ना चाहते हैं वे छूट जाते हैं। मुझे मालूम नहीं है कि वे इस नये अध्यादेश से वे किस प्रकार से संगठित होंगे क्योंकि विधेयक में कहा गया है :

"9 (1) के बावजूद इस अधिनियम में उल्लिखित, कोई व्यक्ति (विदेशी सहित) जिसके संबंध में 31 जुलाई 1987 से पूर्व किसी भी समय इस अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं, को गिरफ्तार किया जा सकता है।"

यह गलत है। इसे 1987 नहीं होना चाहिये। इसे 1977 होना चाहिए। यह 1987 कैसे हो सकता है ? यह एक खामी हो सकती है। भारत सरकार के प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो द्वारा जारी किए गए वक्तव्य में आगे कहा गया है :

"इस प्रकार के मामलों में गिरफ्तारी की अधिकतम अवधि सामान्य एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष होगी"

विधेयक में गिरफ्तारी की अवधि को एक वर्ष से दो वर्ष तक बढ़ाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

मुझे मालूम नहीं है कि सरकार में क्या हो रहा है। आज पी. आई. बी. एक-एक प्रसारण करता है और विधेयक में 1987 का उल्लेख किया गया है जिसका कोई मतलब नहीं होता है फिर वे आगे आते हैं और कहते हैं कि हम तस्करी रोकने के कानूनों को कठोर बनाना चाहते हैं, लेकिन ये कमियां हैं। तस्करों को मालूम है कि इन कमियों का किस प्रकार दुरुपयोग किया जा सकता है। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण की एक धारा में यह व्यवस्था है कि संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तारी के आदेश उस भाषा में जारी किए जाने चाहिए जिसे वह समझता है। इसलिए वे किसी गुजराती को पकड़ेंगे और उसे मराठी भाषा में गिरफ्तारी के आदेश पकड़ा देंगे और उच्च न्यायालयों में ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें इन आदेशों को इस आधार पर रद्द कर दिया गया है कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति गुजराती था और उसे गिरफ्तारी के आदेश मराठी भाषा में थे।

यदि सरकार के पिछले दस वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधि-

नियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सूची और ऐसे मामलों की सूची को लेकर आगे आती है तो मैं कह सकता हूं कि यह जानबूझ कर की गयी सांठ-गांठ है और ये वे रास्ते हैं जिनसे कानून को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। इसका क्या रिकार्ड है? उच्च न्यायालय ने उनके विरुद्ध मामलों को किस प्रकार से किनारे कर दिया? न्यायालय उन्हें रिहा कर रहे हैं और मैं उनको रिहा करने के कारण जानना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि गिरफ्तारी के आदेश समुचित ढंग से क्यों जारी नहीं किये जाते हैं, जरूर कोई सांठ-गांठ होगी यह सिद्धांत मेरी समझ से बाहर है जब आप किसी पटेल नामक आदमी को पकड़ते हैं तो उसकी भाषा गुजराती होगी इसमें इस बात को जानने की कोई जरूरत नहीं है कि उसकी भाषा क्या है, यदि आप किसी वर्दराजन नामक आदमी को गिरफ्तार करते हैं तो उसकी भाषा तमिल होगी। इस बात को जानने के लिए खास बुद्धिमानी की आवश्यकता नही है। इसलिए किसी खास उद्देश्य से इन्हें गढ़ा गया है।

वर्ष 1974 में जब पहला अधिनियम लागू हुआ था, तब से वास्तव में तस्करी में वृद्धि हुई है। बम्बई के ज्ञात स्रोतों के अनुसार 1983 में 1982 के स्तर से दुगनी तस्करी हुयी और 1982 में 1981 के मुकाबले 66% अधिक तस्करी हुयी।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : रुपये के मूल्य में कमी आने के कारण ऐसा हुआ है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : रुपये के मूल्य में इतनी गिरावट नहीं आयी है। इसलिए, महोदय, तस्करी में इस दर से वृद्धि हुयी है और आज ये कहते हैं कि तस्करी कम हुयी है और यह प्रतिवर्ष 7000 करोड़ रुपए की दर से हो रही है। माननीय मंत्री ने हमसे कानूनों को कठोर बनाने में सहायता मांगी है, जिससे छूट का और अधिक उल्लंघन होता है।

लेकिन इस स्थिति में उन्हें हमें पृष्ठाधार भूमिका बतानी चाहिए। यहाँ पर इस बात का उल्लेख किया गया था कि 3 जुलाई को 124 तस्कर गिरफ्तार किए गए थे। मैं सरकार से यह जानकारी जानना चाहता हूं कि वह हमें यह बताये कि उनमें से अभी भी कितने आदमी जेल में हैं कितने आदमियों को रिहा किया गया है और क्यों रिहा किया गया? यह ऐसी बात है जिसे सरकार को हमें अवश्य बताना चाहिए और वे यदि सभा पटल पर तथ्य पेश करते हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि वास्तव में पृष्ठभूमि में क्या हुआ? आपको मालूम है बम्बई में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी नियमन अधिनियम के अन्तर्गत तस्कर गिरफ्तार किए गए थे लेकिन वे दिन में जेल में रहते हैं रात में वे अपने घरों में चले जाते हैं और घर में सोते हैं और दूसरे दिन जेल में चले आते हैं। बम्बई में यह हो रहा है, आप दूसरा पता लगा सकते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी (वाराणसी) : ऐसा कैसे हो सकता है?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप सरकार में हैं। आपको हमें बताना चाहिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी : मैं विस्तृत विवरण जानना चाहता हूं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हां, आज सदन की कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात् कांग्रेस (ई) के कार्यकारी अध्यक्ष को संक्षेप में मैं बता सकता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उन्हें गुप्त रूप से जानकारी दे सकते हैं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हां, मैं सरकारी नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहता हूं । इसलिए क्या आज के अखबार में छपी यह खबर सही है इसका शीर्षक इस प्रकार है—"प्रणव पुल्स अप दादा स्मगलर्स रिलीज"

"ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने बंबई में साम्प्रदायिक दंगे भड़काने और अपराधियों को हथियार बंटवाने के लिए गिरफ्तार किए गए हाजी मस्तान और अन्य तस्करों को रिहा करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री बसन्त दादा पाटिल की खिचाई की है ।" इसमें और आगे कहा गया है—

"श्री मुखर्जी ने अपने पत्र में, जो श्रीमती इंदिरा गांधी और अन्य सहयोगियों की सलाह से लिखा गया है, कहा है कि महाराष्ट्र सरकार की कार्यवाही का बचाव नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह तस्करी रोकने के केन्द्र के प्रयास के प्रतिकूल थी ।"

अब यह सब समाचार पत्रों में छप गया है यह आज के पेट्रियाट में प्रकाशित हुआ है । मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि यह सच है अथवा गलत । मैं चाहता हूं कि सरकार आगे आये और हमें बताये कि तस्करी समाप्त करने के लिए उन्होंने क्या रास्ता अपनाया है और इस बात की क्या गारन्टी है कि इस प्रकार की कठोरता बरतने से आगे यह समाप्त हो जायेगी । वास्तव में सारे आंकड़ों से यह पता लगता है कि नये किस्म की तस्करी शुरू हो गयी है । कुछ वर्षों तक इस देश में तस्करी से सोना आना बन्द हो गया था लेकिन यह फिर से शुरू हो गया है । चांदी की भी तस्करी बढ़ रही है । मुझे बताया गया है कि 4.8 टन चांदी पकड़ा गया था जबकि लंदन स्थित करोड़पति व्यापारी के कथनानुसार इस देश से 400 टन चांदी बाहर भेजे जाने की सम्भावना है । तस्करी इतनी आम हो गयी है कि हमारे राष्ट्रीय स्तर के अखबारों में ऐसी वस्तुओं के विज्ञापन निकलते हैं जिन्हें आप इस देश में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यह एक विज्ञापन है । जो 3 अगस्त 1984 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित हुआ है । वास्तव में आज के "टाइम्स आफ इण्डिया" में भी यह प्रकाशित हुआ है । यह इस प्रकार है :

"बड़े पर्दे (स्क्रीन) और एम/एफ. एम. स्टीरियो सहित कैसियो पाकेट टेलीवीजन"

आप इसे कहां से खरीद सकते हैं ? इसके अनुसार आप इसे गिब्सन ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड,

साफात स्क्वायर कुवैत, अल-जाजीरा, अल-अराबियल लाइब्रेरी, कुवैत से खरीद सकते हैं और उसके बाद करांची और दुबई के पते भी छपे हैं, इन पतों पर से आप इन्हें खरीद सकते हैं, यह भारतीय समाचार पत्रों में छप रहा है। इस बात पर मुझे आश्चर्य हो रहा है, इसके बाद उसमें अनेक विज्ञापन प्रकाशित हुए हैं। मेरे पास इसकी प्रतिलिपियां हैं, यहां तक कि 'स्वागत' नामक इण्डियन एयर लाइन्स की पत्रिका, जो स्वदेशी उड़ानों में उपलब्ध हैं, में भी ऐसी चीजों के विज्ञापन छपे हैं जिन्हें आप तस्करी बाजार को छोड़कर देश में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस संबंध में एक के बाद एक विज्ञापन छपे हैं। हाल में मुझे कुछ आंकड़े प्राप्त हुए हैं जिनसे पता लगता है कि भारत के पड़ोस में स्थित छोटे-छोटे देश कुछ ऐसी वस्तुओं का आयात करते हैं जिनकी उन्हें कोई जरूरत नहीं होती है। उदाहरण के लिए दुबई में 400 मिलियन लोग रहते हैं और वे अमेरिका से भी ज्यादा पालियस्टर और सिंथेटिक धागों का आयात करते हैं उसका क्या मतलब है? ये आंकड़े जापान की पत्रिका के हैं। यदि मंत्री महोदय को यह मालूम नहीं है तो मैं उन्हें इसकी एक प्रतिलिपि दे सकता हूं। यदि आप इस देश में तस्करी से आने वाली वस्तुओं को देखें तो उनमें सोना, उपकरण, हेरोइन आदि शामिल हैं। मुझे बताया गया है कि फरवरी में उनका एक सम्मेलन हुआ था जब अमेरिका ने भारत से कहा था कि भारत औषधियों के अवैध धंधे का एक प्रमुख केन्द्र बन गया है। वे इस बारे में नहीं जानते थे। फरवरी में हुए हाल के सम्मेलन में उन्हें यह बात कहनी पड़ी। तस्करी खुलेआम चल रही है, और इसका लक्ष्य भारत है। इस सब का आशय यह है कि आने वाले वर्षों में हमें विदेशी मुद्रा के भारी संकट का सामना करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अपने वक्तव्य से आप इस संशोधन का औचित्य सिद्ध कर रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मेरा कहना यह है कि इनका इरादा इसका प्रयोग करने का बिलकुल नहीं है। मैं बता रहा हूं कि क्या हो रहा है, वे कहते हैं कि 1974 के संशोधन का निरोधक प्रभाव पड़ा है। ऐसा नहीं हुआ। इस संशोधन से तस्करों को और आगे छूट मिल रही है।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : आप कह रहे हैं कि तस्करी जारी है। आगे उसे रोकने के लिए इस अध्यादेश को जारी किया गया है। आप अध्यादेश की आलोचना कर रहे हैं। कृपया इसके कारण बताइये।

उपाध्यक्ष महोदय : हमेशा की तरह पहले वे उसके समर्थन की बात करते हैं और फिर उसके विपक्ष में कहते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : लगता है श्री डागा तस्करों के बारे में कुछ ज्यादा ही चिन्तित हैं। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि उनकी सरकार का इसे समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है।

महोदय, मुझे इन सभी आंकड़ों का उल्लेख इसलिए करना पड़ा है कि मैंने एक मामला बनाना है। महोदय इस सरकार ने इस देश के स्रोतों को किस हद तक समाप्त कर दिया है इसका स्पष्ट उल्लेख विश्व बैंक के प्रकाशन में किया गया है जिसको भारत सरकार आंकड़े उपलब्ध कराती है।

मैं तालिका संख्या 4,5 से उद्धरण दे रहा हूं : इसमें कहा गया है कि वर्ष 1979-80 में कुल आरक्षित विदेशी मुद्रा 7.6 अरब डालर थी। मैं विश्व बैंक के आंकड़ों का उल्लेख कर रहा हूं जो भारत सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों पर आधारित है। अब दिसम्बर 1983 में जिसके नवीनतम आंकड़े आज उपलब्ध हुए हैं उसके अनुसार 7.6 अरब डालर की कुल आरक्षित राशि घटकर केवल 1.6 अरब डालर रह गयी है जो 1966 से अब तक के समय में न्यूनतम है। 6 अरब डालर की आरक्षित राशि खर्च हो गयी और किसी को इसकी जानकारी नहीं हुयी, और अगले साल के बाद अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिए गए ऋण जैसे सभी अन्य ऋण लौटाने होगे। यह पैसा कहां से आने वाला है? यह सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा संकट आने वाला है। सरकार ने सदन को नहीं बताया है और कानून की चालबाजी के कारण उन्होंने सदन की मंजूरी भी नहीं ली है।

1990 में 8 रुपया प्रतिडालर की सरकारी विनिमय दर थी। आज इसकी दर कितनी है? आप मंत्री से पूछें। यह 11 रुपया प्रति डालर है जिसमें 45 प्रतिशत अवमूल्यन हुआ है और इस बारे में सदन को जानकारी नहीं है।

एक माननीय सदस्य : डालर का मूल्य बढ़ा है।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : डालर का मूल्य बढ़ा है। एक आश्चर्यजनक तर्क है, रुपये का मूल्य घटा है, इस बात को वे लोग क्यों स्वीकार नहीं करते हैं? आज अन्तर्राष्ट्रीय दर, और काले बाजार की दर 15 रु० प्रति डालर है। आज यही सब कुछ हो रहा है और इसका मतलब यह है कि इन सब बातों को सरकार करवा रही है और इस प्रकार की बातों को समाप्त करने के लिए ये कानून और संशोधन नहीं है। इन्हें कुछ और करना है, सिंगापुर में मुझे बताया गया है कि यदि आप रुपया देते हैं तो आपको वहीं पर डालर मिल जायेगा। वहां पर कोई रोक नहीं है। इसलिये मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इस संशोधन का निष्कर्ष केवल यही है कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण कानून का लक्ष्य तस्करों की गतिविधियों को उस ढंग तक नियंत्रित करना है जिस प्रकार से सत्ताधारी पार्टी उन्हें चाहती है और मैं सत्तापार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं। सत्ता-पार्टी एक सामान्य नाम है। यह तस्करी रोकना नहीं है।

लगता है आप तस्करों को तभी पकड़ते हैं जब चुनाव होने वाले होते हैं, फरवरी 1977 में उन्होने कुछ तस्करों को गिरफ्तार किया था जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। यहां भी उन्होंने कुछ तस्करों की गिरफ्तार किया और उन्होंने उन्हें रिहा कर दिया है। हमने सुना था कि श्री प्रणव मुखर्जी ने इसके विरोध में उन्हें लिखा था। यदि आप इसका विरोध करते हैं तो आपके पास उन्हें पुनः गिरफ़्तार करने का अधिकार है, इसलिए मेरे विचार से तस्करी रोकने के लिए कानून का उपयोग करने का आपका कोइ इरादा नहीं है। यह और अधिक रस निकालने के लिए नीबू को निचोड़ने का एक और तरीका है और मेरे विचार से कानून में छोड़ी गयी त्रुटियां सभी को मालूम हैं।

सरकार को आगे आना चाहिये और हमें बताना चाहिये कि गिरफ्तारी के कितने आदेशों की अबहेलना की गयी है, इसलिए मैं इससे असहमत हूं। आज तस्करी को समाप्त करने का एक-मात्र तरीका यह है कि आर्थिक नीति का चमत्कारिक पुनर्गठन इस ढंग से किया जाय कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि बाजार के आधार पर आयात-निर्यात नीति बन रही है। क्योंकि रुपये का मुक्त रूप से चलन हो रहा है यदि आप रुपये को परिवर्तनशील मुद्रा में बदल दें और विनिमय दर गतिशील बना दें तो आप तस्करी रोक सकते हैं। अन्यथा आज जो 7000 करोड़ रुपये की तस्करी चल रही है यह बहुत जल्दी दुगनी हो जायेगी और इससे हमारी अर्थ व्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ेगा और उसका प्रभाव घातक होगा और इस पर कानून का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

यह सदन तस्करी, जमाखोरी, कर अप, बंचन और काले धन जैसी सामाजिक बुराइयों के विरूद्ध सरकार द्वारा निरंतर कड़ी कार्यवाही के दृढ़ संकल्प से अवगत है। इस नीति के अनुरूप, सरकार ने, समय-समय पर विभिन्न निवारक, आर्थिक, विधायी और प्रशासनिक उपाय किए हैं, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम सरकार के तस्करी विरोधी उपायों का एक महत्वपूर्ण अंग है।

जैसा कि माननीय सदस्यों को याद होगा कि निवारक नजरबंदी का प्रावधान विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन और तस्करी गतिविधियों के कारण देश की सुरक्षा पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव और इस प्रकार की गतिविधियों और उल्लंघन को प्रच्छन्न और संगठित रूप से किए जाने को ध्यान में रखकर किया गया था।

हाल के वर्षों के दौरान, सरकार की प्रवर्तक एजेंसियों ने तस्करी-विरोधी कार्यों में तेजी दिखाई है, जिसके परिणामस्वरूप 1982 में 66 करोड़ और 1981 में 40 करोड़ रुपए की तुलना में 1983 में 90 करोड़ रुपये का प्रतिबंधित सामान जब्त किया गया। 1984 के पहले छः महिनों के दौरान 50 करोड़ रुपये से अधिक का प्रतिबंधित सामान जब्त किया गया है।

तस्करी विरोधी अभियान के परिणामों की उच्चतम स्तर पर समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है और जनशक्ति और उपकरणों, पश्चिमी तटवर्ती, दक्षिण-पूर्वी तटवर्ती, भारत-पाकिस्तान और भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी वाले चुनींदा क्षेत्रों में निवारक और आसूचना तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

तस्करी-गतिविधियों वाले क्षेत्रों में निवारक गतिविधियों को सुचारू और सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न समाहर्त्ता कार्यालयों को पुनर्गठित किया गया है और कुछ निवारक समाहर्त्ता कार्यालय स्थापित किए गए हैं।

तस्करी-विरोधी कार्यों के लिए 40 देशीय गश्ती नौकाएं लेने की योजना के एक भाग के रूप में तस्करी-विरोधी कार्यों के लिए 10 सीमा शुल्क गश्ती नौकाएं खरीदने के आदेश दिए गए हैं। तस्करी विरोधी कार्यों के लिए अधिक देशीय नौकाएं प्राप्त करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। इस प्रकार के कार्य में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों की कुछ मदें भी प्राप्त की गई हैं।

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के प्रावधानों को भी अत्यधिक उत्साह से लागू किया गया है। वर्ष 1981 के दौरान जारी किये गये 360 आदेशों और पकड़े गए 265 व्यक्तियों और 1982 के दौरान जारी किये गये 524 नजर बंदी आदेशों और पकड़े गये 443 व्यक्तियों की तुलना में वर्ष 1983 के दौरान 563 नजरबंदी आदेश जारी किये गये और 463 व्यक्ति पकड़े गये। वर्ष 1984 में (21-7-84 तक) 542 आदेश जारी किये गये हैं और 443 व्यक्तियों को पकड़ा गया है।

फिर भी, इन प्रयत्नों के बावजूद, हाल ही में तस्करी गतिविधियों में विशेषकर पश्चिमी तट व, दक्षिण-पूर्वी तट, भारत-पाक सीमा के अत्यधिक तस्करी गतिविधि वाले क्षेत्रों और दिल्ली हवाई अड्डे पर वृद्धि होने के समाचार प्राप्त हुये हैं जैसा कि इन क्षेत्रों में जब्त हुये उन प्रतिबंधित सामान के मूल्य से साबित होता है। आंकड़ों से पता चलता है कि अधिकतर तस्करी पश्चिम और दक्षिण-पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों, भारत-पाक सीमा और दिल्ली हवाई अड्डे में और इन क्षेत्रों से होती है।

इस प्रकार, निवारक और आर्थिक उपायों के अतिरिक्त, उपयुक्त विधायी उपाय भी अपेक्षित हैं। यह कहने से कोई लाभ नहीं होगा कि यह तथ्य कि 'कोफीमोसा' के प्रावधानों का कोई निवारक प्रभाव रहा है और यह तस्करी गतिविधियों को रोकने में काफी उपयोगी रहे हैं। प्राप्त सूचना और की गई जब्तियों आदि से मिले संकेतों के अनुसार हाल में तस्करी गतिविधियों में वृद्धि की दृष्टि से विशेषकर अत्यधिक तस्करी वाले क्षेत्रों में जिनका मैंने जिक्र किया है, उन क्षेत्रों में तस्करी से संबद्ध अधिनियम की धारा 9 के विशेष उपबन्धों के प्रावधानों को लागू करना आवश्यक हो गया है। अधिनियम की धारा 9, 31 दिसम्बर, 1977 से पूर्व किसी भी समय जारी नजरबंदी आदेशों के सम्बन्ध में ही लागू की जा सकती थी। अतः यह आवश्यक हो गया था कि धारा 9 में वर्तमान मामलों से निपटने के लिए भी संशोधन किया जाए।

जैसाकि माननीय सदस्यों ने ध्यान दिया होगा कि सरकार धारा 9 के कार्य क्षेत्र के बारे में अत्यधिक चयनात्मक रही है। उदाहरण के लिए, निरस्त धारा में, किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की अनुमति लिए बिना नजरबंदी की तारीख से एक वर्ष तक के लिए नजरबंद किया जा सकता था जबकि नई धारा 9 में इस अवधि को छः महिनों तक सीमित कर दिया गया है। आगे, "अत्यधिक तस्करी वाले क्षेत्र" शब्द का परिभाषा को सीमित कर दिया गया है—जबकि निरस्त धारा में समस्त भारतीय सीमा शुल्क जल क्षेत्र को शामिल किया था, नई धारा में, सरकार ने

इसे पश्चिमी-तट और दक्षिण-पूर्वी तट पर राज्यों के निकटस्थ भारतीय सीमा शुल्क जलक्षेत्र तक सीमित कर दिया है।

माननीय सदस्यों ने इस पर भी ध्यान दिया होगा कि नई धारा 9, 31 जुलाई, 1977 से पूर्व किसी भी समय जारी किए गए नजरबंदी आदेशों के सम्बन्ध में ही लागू होगी। कर अपवंचक इमानदार कर दाताओं और कुल मिलाकर राष्ट्र का कीमत पर लाभ कमाते हैं जबकि इस प्रकार के समाज विरोधी तत्वों के प्रयत्नों को रोकने का भार आधारभूत रूप से सरकार की प्रवर्तक एजेंसियों पर है, और यदि मैं ऐसा कहता हूं, तो इस सदन के माननीय सदस्यों की भी इस प्रकार की गतिविधियों के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है।

मुझे इस पर अधिक जोर नहीं देना है कि इस प्रकार की गतिविधियों के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करना है जिसके लिए हमें इस देश के सभी नागरिकों के समर्थन की आवश्यकता है। मैं, सरकार की ओर से इस सदन को आश्वस्त करता हूं कि हम निरंतर तस्करी-विरोधी उपायों की पुनरीक्षा कर रहे हैं और इसमें संदेह नहीं है कि इस प्रयास में हमें इस सदन का समर्थन प्राप्त होगा।

अत: मैं यह विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आपने मुख्य मंत्रियों को लिख दिया है?

उपाध्यक्ष महोदय : अभी वह इसका उत्तर नहीं देंगे, यह अंत में दिया जाएगा। प्रत्येक सदस्य 10 मिनट से अधिक समय न ले।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियां संशोधन विधेयक 1984 सदन के समक्ष 1974 के "कोफीयोसी" अधिनियम पारित होने के दस वर्ष पश्चात लाया गया है। इस मूल विधेयक के रखे जाने के समय हमने अपने दल की ओर से यह पूर्ण रूप से स्पष्ट किया था कि हम बिना मुकदमा चलाए सभी प्रकार के बंदीकरण के विरुद्ध हैं। आज भी हमारा वही मत है, क्योंकि यह समाजवादी लोकतंत्र की विचारधारा है जिसमें हम विश्वास करते हैं और जिसके लिए हम कोई भी समझौता किए बिना इस देश में सभी प्रकार के अधिनायकवाद और सत्तारुढ़ दल और उसके प्रतिनिधित्व दलों द्वारा उठाए गए सभी अलोकतांत्रिक कदमों का विरोध करते हैं। हमारा विश्वास है कि मुकदमा चलाए बिना बंदीकरण लोकतंत्र और मानव स्वतंत्रता के विरुद्ध है और राष्ट्र के साथ न्याय का घोर उल्लंघन है।

हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि तस्करी रोकने में हम किसी से कम नहीं हैं। उन्हें देश के साधारण कानून की सहायता से उचित रूप से दंडित किया जाना चाहिए ; शीघ्र मुकदमें चलाए जाएं और हमें उन्हें, उन समाज विरोधी तत्वों को किसी प्रकार की सजा, जिसके वे हकदार हैं, दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है वे हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन को बर्बाद

कर रहे हैं। अब सरकार कहती है कि वह मामले पर ध्यान देगी ; वह बड़े-बड़े वायदे करती है ; यही सब तब भी हुआ था जब 1974 में यह विधेयक लाया गया था ; और उन्होंने यह वायदा किया था कि इस प्रकार के असाधारण कानून से तस्करी बन्द हो जाएगी। क्योंकि आप देश के साधारण कानूनों का, जो कि किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त हैं, उचित प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। परन्तु आप अपनी अलोकतांत्रिक प्रकृति के कारण, आप अधिकाधिक कठोर, असामान्य शक्तियां अपने हाथ में लेना चाहते हैं। लेकिन इस वर्ष पूर्व आपने जो अधिनियम पारित किया था उसके क्या परिणाम रहे ?

क्या आप इस अपराध को रोकने के काबिल हैं ? वरन मैं यह कह सकता हूं कि आप इसे नियंत्रित करने में भी असफल रहे हैं। आपने अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है कि इसमें वृद्धि हुई है। शक्ति के गढ़ को इसकी जानकारी है और तस्कर हमेशा ही उन लोगों के आस-पास घूमते रहते हैं जो सत्ता में हैं और केन्द्रीय सरकार और सत्तारूढ़ दल के आप सभी सदस्य उनकी सहायता लेते हैं। क्योंकि वे इसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, यही एक ससस्या है। आप उन्हें रोक नहीं सकते हैं। और अब, आप पुनः इस अधिनियम की अवधि बढ़ाना चाहते हैं।

किसी भी तरह के, अब आप यह वक्तव्य दे रहे हैं कि आप निकट भविष्य में इस अपराध पर काबू पा सकेंगे। परन्तु इसमें कोई विश्वास नहीं है क्योंकि आपका भविष्य आपके पिछले कार्यों से न तो अलग होगा और न हो सकता है। जो कोई भी कानूनी उपबन्ध आप करेंगे उनसे स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो असली बात, दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है और मेरा आरोप है कि आप में वह नहीं है। आप में कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है और आप में वह हो भी नहीं सकती क्योंकि आप एक वर्ग के रूप में उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। आप पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आप विषमता की अपनी आर्थिक नीति का पालन कर रहे हैं और यही इस आपराधिक स्थिति का जनक है। अतः मुझे पूरा संदेह है कि आप में काम करने की भावना नहीं है।

कभी-कभी आप क्या करते हैं कि आप एक छोटे आपराधिक को पकड़ लेते हैं। चुनावों से पूर्व एक निश्चित समय पर कुछ स्कीमों पर आप छोटे-छोटे अपराधियों को पकड़ लेते हैं अथवा कभी-कभी आप उनके एक वर्ग को डराने के लिए उनका उपयोग करते हैं और चुनावों में आप उनकी सहायता लेते हैं। यही एक मुद्दा है। कई पत्रिकाएं और अखबार इस विषय में कहते हैं, वे इसके सैकड़ों उदाहरण देते हैं। परन्तु आप कोई उचित कार्यवाही नहीं करते हैं। वरन मुझे संदेह है कि आप हमेशा ही अपराधियों को बचाने का प्रयत्न करते हैं। परन्तु मेरा प्रश्न केवल बंदीकरण के बारे में है। अभियोजन पक्ष क्या कर रहा है ? तस्करों के बारे में क्या किया जा रहा है ? आप उनकी सम्पत्ति जब्त क्यों नहीं करते हैं।

आप जानते हैं कि वे दो अथवा तीन हजार लोग हैं। इन गतिविधियों में कौन-कौन शामिल हैं। आप उन्हें सजा क्यों नहीं दिलाते हैं। कई लोग पुलिस से मिले हुए हैं और उनमें से हाजी मस्तान

जैसों लोगों ने लगभग 30 करोड़ रुपए के बराबर की सम्पत्ति इकट्ठी कर ली है ; आप इन सभी के बारे में जानते हैं।

कुछ समय पूर्व राज्य सभा में प्रधान मंत्री से पूछा गया था कि वे हाजी मस्तान जैसे कुछ कुख्यात तस्करों से क्यों मिलीं थीं। उन्होंने उत्तर दिया था कि वह उनके बारे में कुछ नहीं जानती थीं कि वे कौन हैं ? आपके एक विशिष्ट महासचिव का हाल ही में बम्बई में एक लालाजी द्वारा माला डालकर स्वागत किया गया था और उनका चित्र भी समाचार पत्रों में छपा था। क्या आप इसी तरीके से तस्करों से निपटना चाहते हैं। अप्रैल में बम्बई का एक ज्ञात तस्कर 'कोफायोसा" के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था। परन्तु बाद में उसे क्यों रिहा कर दिया गया ? क्या वह इस कारण रिहा किया गया था कि उसने आपके एक शक्ति संपन्न महासचिव द्वारा आयोजित पदयात्रा में सहायता की थी। परन्तु मुद्दा यह है कि यदि इसमें कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है तो यह बातें बार-बार होतीं रहेंगी।

1.00 म० प०

अतः जब आप इन लोगों के विरुद्ध यह जेहाद छेड़ते हैं तो मुझे आपकी गंभीरता पर संदेह होता है, क्योंकि इस जेहाद के बावजूद तस्करी बढ़ रही है। आपने हमें बताया था कि राशि की दृष्टि से भी इसमें वृद्धि हुई है। 1982 में 65 करोड़ रुपए की जब्ती हुई, 1983 में 89 करोड़ रुपए की और इस वर्ष के चार महिनों में यह 33 करोड़ रुपए है।

पाकिस्तान सीमा पर 1978 में 50 लाख रुपए का माल जब्त किया गया और 1982 में 1.8 करोड़ रुपए का नेपाल सीमा पर 1.94 करोड़ रुपए और 2.31 करोड़ रुपए का माल जब्त किया गया है। इस प्रकार, प्रत्येक सीमा पर तस्करी बढ़ रही है। यह तो समस्या का एक छोटा सा हिस्सा है। मैं नहीं जातता कि क्या यह सच है कि प्रतिबंधित सामान का कुल अनुमानित मूल्य 6000 करोड़ रुपए से 8000 करोड़ रुपए तक है और आप केवल 60 करोड़ का सामान जब्त करते हैं। इस प्रकार आप देश की अर्थव्यवस्था की रक्षा नहीं कर सकते हैं। इसके कारण भी हमारी अर्थव्यवस्था और राजस्व को हानि पहुंची है। इस देश से कई वस्तुएं तस्करी करके बाहर भेज दी जातीं हैं। उससे भी हमारी अर्थव्यवस्था और राजस्व को हानि हुई है। कुछ समाचार पत्रों में यह समाचार आए थे कि जापान 1000 मिलियन मीटर सिंथेटिक नायलॉन कपड़े का उत्पादन करता है और उसका 50 प्रतिशत हमारे देश में तस्करी द्वारा भेजा जाता है। इस प्रकार हमें लगभग 800 करोड़ रुपए की हानि हो रही है। मैं नहीं समझता, कि इस प्रकार हम आज राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बचा सकते हैं।

प्रत्येक व्यक्ति बम्बई के तस्कर सम्राटों के विषय में जानते हैं। परन्तु आप में उन्हें पकड़ने की राजनीतिक इच्छा नहीं है। जैसाकि डा० स्वामी ने कहा, उन्हें केन्द्रीय सरकार के विदेशों पर छोड़ दिया गया था। अब क्योंकि यह एक चुनाव वर्ष है, आप उनकी सत्रुता मोल नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि आपको उनकी सहायता की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका काम बहुत आसान है। आप न तो उन्हें गिरफ्तार करें और नहीं उन्हें रिहा करें।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : जब आप प्रत्यक्ष पीठ से कुछ कहें, तो आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने किसी राज्य अथवा व्यक्ति की बात नहीं कही है।

श्री एस० एम० कृष्ण : आपने एक सही वक्तव्य दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कह रहा हूं, कोई गिरफ्तारी नहीं और कोई रिहाई नहीं।

श्री हन्नान मोल्लाह : श्री सुकुर नारायण बखिया को 1 करोड़ रुपए मूल्य की तस्करी के आरोप में दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। परन्तु कुछ केन्द्रीय मंत्रियों ने हस्तक्षेप करके उन्हें बचा लिया। यह सर्व-विदित है। बहुत से लोग यह जानते हैं, आप राजधानी में हैं और राजधानी में ही तस्करी लगातार बढ़ रही है। प्रधान मंत्री विदेशी हाथ के परिस्थितिक सबूत की बात करती हैं। परन्तु यहां कोई परिस्थितिक सबूत नहीं है। (**व्यवधान**)

पिछले अप्रैल में वर्धन नामक एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था और कुछ ही घंटों में उसे छोड़ दिया गया। यह स्थिति है। उस आदमी को गिरफ्तार किया गया और फिर छोड़ दिया गया। क्या परिणाम निकला? उसने आपके दल की सहायता की। यह समाचार पत्रों में भी छपा था। वह एक मंदिर बनवा रहा है और आपके मुख्य मंत्री उसका उद्घाटन करेंगे। यही सब बातें हो रही हैं। यह परिस्थितिक सबूत है। यही स्थिति बम्बई में है, गोवा में ऐसा नहीं है जबकि गोवा भी तस्करी वाला क्षेत्र है।

मैं सीधे तौर पर यह जानना चाहता हूं आप इन लोगों के विरुद्ध कड़े उपाय क्यों नहीं करते हैं? आप उन्हें जानते हैं। आप उनकी सम्पत्ति कुर्क क्यों नहीं करते हैं? आप जानते हैं कि उन्होंने सम्पत्ति जमा कर रखी है। परन्तु आप उनकी सम्पत्ति कुर्क नहीं कर रहे हैं...(**व्यवधान**) यह सब चुनाव के लिए धन के कारण हो रहा है। मेरा सुझाव है कि एक जांच समिति गठित की जाएं। वे 30 से 40 करोड़ रुपए तक की तस्करी करते हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप सत्ता में हैं आपको इसका उत्तर देना होगा।

दूसरे आप उनकी सम्पत्ति जब्त क्यों नहीं कर रहे हैं। आपने उसके लिए कानून बनाया है और यह सब करने के लिए विधान पालिका में आपको बहुमत प्राप्त है। जब आपके पास शक्ति है, आप तस्करों और जो विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करते हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं और जो दोषी पाए जाएं उन्हें सजा दे सकते हैं। मेरे विचार से, यह अधिनियम भी प्रभावी तौर पर लागू नहीं किया जाएगा, वरन यह किसी-किसी पर लागू होगा। आप लोगों के कुछ वर्गों को डराना चाहते हैं; आप तस्करी का उन्मूलन नहीं चाहते हैं। यह पूंजीवादी प्रणाली का नया रूप

है । यह एक समस्या है । आप उन्हें पकड़ सकते हैं और उनकी सम्पत्ति जब्त कर सकते हैं । परन्तु आप ऐसा नहीं कर रहे हैं ।

यदि आपने कोई कार्यवाही की है तो कितने मुकदमे चलाए गए हैं और क्या सजा दी गई है ? कितने मूल्य का प्रतिबन्धित सामान जब्त किया गया है और कितने मूल्य की सम्पत्ति कुर्क की गई है ? आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा । मैं अब भी कहता हूं कि आप उन्हें सजा दिलाने में असफल रहे हैं। यह तस्करों, अधिकारियों और राजनीतिक व्यक्तियों की मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता है । आपको गहराई से इस मामले को देखना होगा ।

एक समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है। आपकी सहायता और मिलीभगत से, वे समानांतर बैंक, डाक-संचार और बीमा योजनाएं चला रहे हैं । उनकी अपनी समानांतर आसूचना संस्थाएं हैं और समानांतर सेना भी है ।

स्थिति यह है कि हमारे देश में इन समाज-विरोधी तत्वों द्वारा एक समानांतर सरकार चलाई जा रही है । अतः, मैं माननीय मंत्री जी से पूछता हूं कि क्या आप एक विशेष आयोग और विशेष न्यायालय स्थापित कर रहे हैं ताकि इन लोगों पर शीघ्र मुकदमे चलाए जा सकें । आप यह संशोधन लाए हैं, परन्तु मेरा आरोप केवल यही है कि इस उपबन्ध द्वारा आप इस बीमारी को दूर नहीं कर सकते हैं। इसके सामाजिक व्यवस्था की बीमारी होने के साथ-साथ आपकी ओर से राजनीतिक इच्छा की कमी है जिसके कारण यह कायम है । अतः, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस पर पुनः विचार करें और यदि आप सभी देश से इस बीमारी को दूर करने के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनके दबाव को दूर करने का प्रयत्न करके अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति को सुदृढ़ करें ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमा गाओ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस कानून का स्वागत करता हूं और माननीय मंत्री जी को इसे सदन में लाने पर बधाई देता हूं । इस सदन को याद होगा कि 1974 में मूल अधिनियम इस सदन में किस प्रकार लाया गया था । उस कानून को पारित करते समय समाज-विरोधी आर्थिक अपराधियों और तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी इस देश के लोगों ने उसका स्वागत किया था । जब इन तस्करों को बन्द किया गया था तब लोगों ने कुछ राहत महसूस की थी । दुर्भाग्यवश जब यह सरकार सत्ता में नहीं-रही और जनता सरकार आई तो उस समय भी यही तर्क दिया गया था जो कि अभी मेरे पहले के वक्ता द्वारा दिया गया है कि कुछ चुने हुए लोगों को ही गिरफ्तार किया गया और राजनीतिक प्रतिशोध लिया जा रहा है । परन्तु, श्रीमान वह वास्तव में अराजकता का समय था । अतः जब जनता सरकार सत्ता में आई इस तर्क के कारण उन्होंने सैकड़ों तस्करों को छोड़ दिया ।

श्री कमलापति त्रिपाठी : तब उन्हें स्वतंत्रता सेनानी कहा गया था ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : हां, तो उन्हें स्वतंत्रता सेनानी कहा गया था । 1971 के नए स्वतंत्रता सेनानियों को जैसाकि पंडित जी ने कहा है वे अग्रणी रहे हों और उन्हें स्वतंत्रता सेनानी माना गया और उन्होंने अपनी छवि से नहीं तो चुनाव के लिए धन देकर अपना योगदान दिया ।

मेरे माननीय सहयोगी राजनीतिक इच्छा शक्ति पर जोर देते रहे हैं। उन्होंने माननीय मंत्री जी से अन्य कई प्रश्न पूछे हैं। मैं मंत्री जी यह कहने का साहस कर रहा हूं कि वह इस सदन को विश्वास में लें और हमें बताएं कि जिस राज्य से मंत्री जी हैं वहां कितने तस्करों और काला बाजारियों को गिरफ्तार किया गया था और कितने लोगों को सजा दी गई। हम जानना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में कितने तस्करों को गिरफ्तार किया गया और पिछले कुछ वर्षों में कितने लोगों को सजा दी गई।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : जी, यहां, वहां सबसे अधिक संख्या में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : हम आंकड़े मालूम करेंगे फिर उन्हें देखेंगे। माननीय मंत्री जी को इस सदन को सूचना देने दीजिए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं जानता हूं वह गुमराह करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी को सही सूचना दे सकता हूं। क्योंकि हम 'कोफेयोसा' लागू नहीं करते हैं वरन राज्य के साधारण कानून के अन्तर्गत बड़ी संख्या में लोगों पर मुकदमे चलाए हैं और उन्हें सजा दी है। परन्तु मंत्री जी गुमराह करेंगे। वह कहेंगे, नहीं हम 'कोफेयोसा' लागू नहीं करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप आंकड़े दीजिये।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं आंकड़े पहले से जानता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह आंकड़े नहीं जानते हैं केवल संख्या जानते हैं। वह संख्या क्या है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, यह दुःखद बात है कि पश्चिम बंगाल की यह सरकार और सदस्य जो समाजवादी होने का दावा करते हैं इस सदन में आकर कहते हैं कि हम 'कोफेयोसा' के विरुद्ध हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, वे सभी व्यवधान डाल रहे थे। उनका कहना है कि हम समाजवादी होने का दावा करते हैं। हां, हम करते हैं। हम तस्करी के विरुद्ध हैं, परन्तु तस्करी रोकने के नाम पर वे निवारक नजरबन्दी का कानून लाए हैं। जिसके परिणामस्वरूप बेकसूर लोगों को बन्दी बनाया गया है। हम उसके विरुद्ध हैं। इसे स्पष्ट किया जाना चाहिये।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मुझे प्रो० चक्रवर्ती के साथ समाजवादी देशों में एक देश कोरिया जनवादी गणराज्य जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां निवारक नजरबन्दी का कोई प्रश्न नहीं है। वहां लोगों को यदि वे आर्थिक अपराधों में किया हों तो उन्हें पकड़ कर फांसी दे दी जाती है अथवा गोली मार दी जाती है। वहां वह सबसे बुरा अपराध है। कोरिया जनवादी गणराज्य में जहां मैं अपने माननीय सहयोगी के साथ गया था सबसे बुरा अपराध आर्थिक अपराध है।

उपाध्यक्ष महोदय : उनके यहां ऐसी प्रणाली हो सकती है ।

(व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं क्यूबा भी गया था और जब मैं क्यूबा गया तो उन्होंने मुझे बताया कि हम उनसे जिस तरीके में निपटते हैं वह है उन्हें "एल पैरेलान" को सजा देते हैं । उसका मतलब है. हम उन्हें दिवार की ओर मुंह करके खड़ा करके वहीं पर गोली मार देते हैं । समाजवादी देश इस प्रकार कार्य करते हैं । (व्यवधान) परन्तु यहां का समाजवाद दूसरे किस्म का समाजवाद है । इस समाजवाद में यहां बैठे उन सज्जनों को भी स्थान प्राप्त है, जिनमें उच्चतम न्यायालय के जाने माने विधिवेत्ता श्री राम जेठमलानी भी हैं, जो कि इन कानूनों के सुप्रसिद्ध जानकार हैं और इस कानून के विकास में जिनका सहयोग रहा है ।

अब, तस्करी गतिविधियों के कारण उत्पन्न आर्थिक बुराइयां स्पष्ट हैं । इनके सामाजिक दुष्परिणाम कोई कम नहीं है । हम इस सदन में इसके पुनः समवेत होने के समय से ही देश में अस्थिरता, देश के विघटन आदि के बारे में बोलते रहे हैं ।

तस्करों का हमारे समाज में अस्थिरता लाने हमारे परम्परागत समाज को विघटित करने, उपभोक्तावाद लाने, और विशेष कर शहरी क्षेत्रों में लोगों को अमानवीय बनाने में काफी योगदान है । सम्पूर्ण बम्बई अमानवीय हो चुका है । एक अत्यन्त अनुदार अनुमान के अनुसार अकेले बम्बई नगर में 5 लाख वीडियो केसेट रिकार्डर हैं, जिनमें से अधिकांश तस्करी द्वारा लाए गए हैं ; वीडियो अब केवल अमीरों के इस्तेमाल की वस्तु नहीं रहा । अब वे मध्यम वर्ग के लोगों के पास भी हैं । वीडियो रिकार्डर अब बम्बई की झुग्गी झोंपडी बस्तियों में भी देखे जा सकते हैं । उनमें से कुछ ही लोग करदाता हैं । बहुत अमीर लोग भी वहां रहते हैं जिसका कारण उन्हीं को ही मालूम है । वे लोग वीडियो तथा अन्य सुविधाओं के कारण वहां से कहीं और जाना नहीं चाहते ।

मैं अस्थिरीकरण की बात कर रहा था । विशेष रूप से अभी दो दिन पहले ही हम इस सदन में साम्प्रदायिक दंगों के विषय में बातचीत कर रहे थे । हमने भिवंडी के बारे में चर्चा की, जहां पर साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं । किन्तु बम्बई निश्चित रूप से साम्प्रदायिक दंगों का स्थल नहीं था । तस्करों के गिरोहों के बीच झगड़ा हुआ । बाल ठाकरे के समर्थक आपराधिक गतिविधियों में संलग्न हैं और हाजी मस्तान के अनुयाइयों का बम्बई में हुए दंगों में भाग लिया जाना भी प्रकट है ।

हाजी मस्तान को यह कहते सुना गया है कि 'जो लोग दिन में मुझे गालियां देते हैं रात को मेरे ही पास आते हैं" उन लोगों के अलावा जो रात को हाजी मस्तान के पास आते हैं, ऐसे भी कई लोग हैं, जो उसे बहुत अधिक महत्व देते हैं और हाल ही में बम्बई में दंगे हुए हैं । हाजी मस्तान द्वारा गठित धर्मार्थ संगठन ने इनमें सक्रिय भाग लिया । यह कानून 1974 में लाया गया क्योंकि इस व्यापार में संलग्न सरगनों से निपटने के लिये कोई और मार्ग नहीं था । जैसा कि मेरे सहयोगी कह रहे थे कि छोटे मोटे अपराधी ही पकड़े जाते हैं, बड़े काबू में नहीं आते । वे उसे ही कहते हैं ।

ऐसा क्यों है ? क्योंकि वह इस मामले में सावधान रहते हैं। कानूनी नुक्तों के कारण, जिसकी वजह से यह बड़ी मछलियां नहीं पकड़ी जा सकती, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) अधिनियम (कोफीपोसा) बनाया गया। इसके क्या परिणाम निकले ? महोदय, पता चला है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में किसी प्रसिद्ध वकील की 50,000 रुपए से एक लाख रुपये तक के बीच दिया जाएगा।

श्री सी० टी० दंडपाणि (पोल्लापी) : जैसे ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : ऐसे लोगों की, जो वहां बैठते है जहां पर इस समय आप बैठे हैं। कुछ प्रसिद्ध वकील – मैं इस संबंध में इस सदन के सदस्यों का उल्लेख नहीं करना चाहता हालांकि यहां पर है.....

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : अप्रत्यक्ष रूप से आपने उल्लेख कर दिया है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : कम से कम वह एक अत्ययंत प्रसिद्ध वकील हैं। एक बड़ी मछली की जमानत कराने के लिए 50,000 रुपए से एक लाख रु० तक फीस है और कई बार यह इससे भी अधिक है। यह कानूनी प्रतिभा है। यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि इस अधिनियम, जिस का उद्देश्य कानूनी नुक्तों को दूर करना था, का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सका। यह एक प्रमुख कारण है। इसलिये, अदालतें... **(व्यवधान)**

मैं आपसे सहमत हूं। आप कानूनी खामियों के द्वारा सम्पत्ति को जब्त नहीं कर सकते। मैं अपने सहयोगी से बात करूंगा। मैं स्वयं राज्य की यात्रा पर था। इसलिये, इसमें कठिनाइयां हैं और दोष हैं। इस विधिशास्त्र ने ऐसा खेल खेला है कि पहले जैसी स्थिति हो गई है। यह विधिशास्त्र तकनीकी जटिलताओं, खामियों और न्यायालय की शरण लेने वाले तस्करों को सहायता देने के तरीके ढूंढने में मदद करता है। तकनीकी जटिलताएं इस किस्म की हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च-न्यायालय के निर्णय से पैदा हुई है।

एक मामले में बन्दी को रिहा कर देने का आधार यह था कि, कैदी को, सचिव, जो कि निरोधक प्राधिकारी था, द्वारा हस्ताक्षारित मूल प्रति तामील करने की बजाए, भारत सरकार के उपसचिव द्वारा हस्ताक्षरित निरोधक आदेश की पृष्ठाचित्र तामील की गई थी।

पूछताछ के दौरान जिन व्यक्तियों से सम्पर्क किया गया था उनमें से एक का बयान निरोधक प्राधिकारी के समक्ष नहीं रखा गया। उस पर कभी निर्भर ही नहीं किया गया।

न्यायालय के समक्ष बन्दी द्वारा अपने को वापस लेने के आवेदन को निरोधक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था हालांकि निरोधक प्राधिकारियों द्वारा बयान वापस लेने के तथ्यों पर विचार किया गया था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि उपभोक्त आवेदन पर विचार न किये जाने से व्यक्तिपरक संतुष्टी का उल्लंघन हुआ है।

बन्दी को दी गई दस्तावेजों की जोरोक्त प्रतियों में छपी हुई सामग्री पढ़ी नहीं जा सकती थी और इस प्रकार अभ्यावेदन के अधिकार का उल्लंघन हुआ ।

कुछ तकनीकी कठिनाइयां हैं। उन्हें छोड़ दिया जाता है । उन्हें बड़ी संख्या मैं छोड़ा गया है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन किया जाए । यह करने के पश्चात सरकार को इन तकनीकी अड़चनों के सुधार में उपायों पर विचार करना चाहिए ताकि इस विधेयक का उद्देश्य पूरा हो सके। न्यायपालिका में कुछ विचार विमर्श होना चाहिए ताकि इस विधेयक का उद्देश्य पूरा हो सके जो इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है ।

इसलिए, मेरा यह निवेदन है कि हमें इस विधेयक या पूरी तरह से समर्थन करना चाहिए ।

पिछले माननीय सदस्य ने बीच में बोलते हुए कहा था कि तस्कर की सम्पत्ति कुर्क की जानी चाहिए : मैं, विशेष रूप से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि तस्करों की सम्पत्ति कुर्क करने के लिए कितने मुकदमे चलाए गए ? मेरे विचार से एक भी नहीं । यदि हां, तो क्यों नहीं चलाए गए ? मामले अदालतों में लम्बित पड़े हैं और वहां पर कुशल वकील और रुकावटें हैं। आर्थिक अपराधियों को जो कानूनी प्रतिमा उपलब्ध है, उसके लिए न्यायाधीशों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता ।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय हमें वताएं कि पिछला विधान अपने उद्देश्यों में सफल क्यों नहीं हो सका ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में आर्थिक व्यवस्था को आज यह एक कैंसर हो गया है और जितने स्मग्लर्स यहां हैं, उनकी समाज में बहुत इज्जत होने लग गई है । उनके लिए समारोह होते हैं, फंवशन्स आयोजित किये जाते हैं और उनका स्वागत होता है। कोई भी सरकार उनके खिलाफ कदम नहीं उठा सकती । इन स्मगलर्स के सम्बन्ध में एन. डी. तिवारी जी ने एक बात कही थी—

उद्योग मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जैसे बहुत से लोग हैं, जो यह दलील देते हैं कि तस्करी, विदेशी वस्तुओं की अंधाधुंध मांग के परिणामस्वरूप होती है । तिवारी परिवार को मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है और लोगों को इन वस्तुओं की इच्छा करने से रोका नहीं जा सकता। उनके अनुसार ऐसा हो गया और हर आदमी वैसा चाहता है। हमारे प्रणव कुमार मुखर्जी ने भी अपनी बात में कहा है कि—

उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं स्मगलिंग बन्द हो। लेकिन देश में कितनी स्मगलिंग होती है उसके आंकड़े वित्त मंत्री 1984 के बतायें :

30 जुलाई-12 अगस्त, 1984 के 'बिजनेस इण्डिया' में निम्नलिखित आंकड़े दिये गये हैं :

भारत में तस्करी द्वारा लायी गई वस्तुएं

(जनवरी-अप्रैल 1984)	(लाख रुपये में)
सोना	264.00
घड़ियां	412.59
वाच मूवमेंट्स	59.30
सिन्थेटिक यार्न	19.72

चूंकि आपने मुझे कम समय दिया है, इसलिए मैं उन सभी वस्तुओं का उल्लेख नहीं कर रहा हूं जो इस लेख में दी गई हैं। गैर-सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि कुल प्रच्छन्न व्यापार 4,000 करोड़ रुपए है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के अध्यक्ष श्री रामकृष्ण बजाज ने दावा किया है कि प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपये के लगभग सिन्थेटिक कपड़ा देश में लाया जाता है।

इसमें आगे कहा गया है :

"1976 में सरकार ने 35 करोड़ रुपए की वस्तुयें पकड़ी। इस वर्ष जनवरी और अप्रैल के बीच में 33.5 करोड़ रुपये की वस्तुयें पकड़ी जा चुकी हैं··· सरकार देश में लाई जाने वाली वस्तुओं का केवल 5 और 10 प्रतिशत ही पकड़ पाती है।

इस प्रकार, अत्यन्त उदार अनुमानों के अनुसार, सरकार आने वाले कुल माल का 5 से 10 प्रतिशत तक ही पकड़ पाती है।"

सरकार केवल 3 से 10 प्रतिशत ही स्मगल्ड सामान पकड़ती है। मैं जानना चाहता हूं आपने कितनों को अरेस्ट किया और कितनों को सजा हुई? हमारे अधिकारी कहते हैं कि उनके पास ऐक्वपमेंट नहीं हैं। स्मगलिंग कनायवेंस से होती है, कुछ उनको पौलिटिकल प्रौटेक्शन मिल जाता है। और समाज में भी उनको प्रतिष्ठा मिलती है। अभी हमारे माननीय पासवान जी स्मगलर्स की बात करेंगे और सबके नाम लेंगे, जबकि मैं तो नाम भी नहीं जानता हूं क्योंकि मेरी उनसे जान पहचान नहीं है। जितने बड़े-बड़े वकील हैं सब स्मगलर्स की रक्षा करते हैं। 1 जुलाई, 1984 को कुल 488 स्मगलर्स कोफेमोसा में पकड़े गये···

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : कितने रूलिंग पार्टी के लोग पकड़े गये?

श्री मूल चन्द डागा : चुनाव वाला भाषण यहां न दो।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : यू० पी० में एम० एल० ए० के पकड़े जाने के बाद शक होने लगा है।

श्री मूल चन्द डागा : जी, नहीं ।

दिनांक 24 अप्रैल, 1984 के 'इकानामिक टाइम्स' में बताया गया है :

"वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने आज देश के उन प्रमुख वकीलों की भर्त्सना की जो विभिन्न न्यायालयों में तस्करी विरोधी कानूनों के विरुद्ध उद्देश्यों के आर्थिक अपराधियों की पैरवी करते हैं, और उन्होंने इस प्रकार की राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को कुचलने के लिए सामाजिक जागरुकता पैदा करने का आव्हान किया।"

23 अप्रैल, 1984 को लोक सभा में वित्त विधेयक पर 15 घन्टे की बहस के जबाब में उन्होंने कहा कि बहुत से वकील तस्करों की पैरवी कर रहे हैं ।

इतना नुकसान है । लोक लेखा समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अफसरों ने समिति को बताया कि न तो उनके पास ऐक्वपमेंट हैं, इतना बड़ा समुद्र का किनारा है, नैपाल और पाकिस्तान से मिला हुआ बौर्डर है, बाड़मेर में पाकिस्तान का सब कपड़ा मिलता है । गोआ और बम्बई के बाजारों में मिलेगा, मद्रास में गलियों में रात के 9 बजे बाद बाजार लगे हुए हैं जिसमें जाइये और स्मगल्ड सामान खरीद कर ले आओ···

यह सामान आज हर आदमी को मिलता है । जब तक समाज में जागरूकता नहीं होगी यह नहीं हो सकेगा । हम लोग जो खादी पहनने वाले हैं, वह भी चाहते हैं कि घड़ी इंपोर्टेड हो ।

एक माननीय सदस्य : आपकी घड़ी कौनसी है ?

श्री मूलचन्द डागा : मेरी घड़ी एच. एम. टी. की है ।

मैं कहना चाहता हूं कि जो कानून आप लाये हैं, इसका इम्पलीमैंटेशन कौन करेगा ? इसके लिये समाज को जागरूक करना चाहिये, और बड़े-बड़े नेताओं को इन्हें प्रौटेक्शन नहीं देना चाहिये । बड़े-बड़े लोग इनका सम्मान न करें । मैं पासवान जी से कहूंगा कि वह उनका नाम बता दें जिनको प्रोटेक्शन देते हैं और जिनसे वे परिचित हैं ।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी जो कन्जर्वेशन आफ फारेन एक्सचेंज एंड प्रिवैंशन आफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट, 1974 में संशोधन करने के लिये यह बिल लाये हैं, उसके सन्दर्भ में मैं कुछ चन्द बातें कहना चाहता हूं ।

वित्त मंत्री जी ने इस कानून में संशोधन की जरूरत इसलिये समझी क्योंकि स्मगलर निकल जाते हैं, बच जाते हैं और छूट जाते हैं, इसलिये कोई कानून सख्त बनना चाहिये ।

आपने इसमें 124 तस्करों की गिरफ्तारी की । 1974 में जो कानून बना, उसमें 1976 में भी तबदीली की गई । उस जमाने में वित्त राज्य मंत्री श्री के० आर० गणेशन ने बड़ा प्रयास किया कि तस्करी को रोका जाये, लेलिन इसे रोकते-रोकते वह खुद चले गये और असली जामा नहीं पहना

पाये । श्री प्रणव मुखर्जी का कहना यह है कि इसमें तबदीली करना जरूरी है, मैं उन्हें चेतावनी देता हूं कि कहीं ऐसा न हो कि वह भी यह करते-करते वित्त मंत्री से कोई और मंत्री न बना दिये जायें ।

एक ही मुख्य मुद्दा है । आप कानून कितना सख्त बना रहे हैं ? आपने खुद कहा है कि पिछले साल 2115 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसमें से बहुत से लोग छूट गये क्योंकि कानून में खामियां थीं । मैं जानना चाहता हूं कि आपने कितने लोगों पर मुकदमा कायम किया, लेकिन आपके पास कोई ठोस जवाब नहीं है ।

सरकार की मंशा है, लेकिन उसके इम्पलीमैंटेशन की बात है । कानून तो आप सख्त बना देंगे, पहले सिक्योरिटी एक्ट बना हुआ है, उसके अधीन 6 महीने तक आप उन्हें रख सकते हैं, लेकिन खाली लोगों को गुमराह करने के लिये आपने इस कानून में संशोधन की आवश्यकता समझी है, उसे इम्पलीमैंट करने की ओर आपका ध्यान नहीं है ।

1981 में 36 करोड़ रुपये की स्मगलिंग गुड्ज आपने जप्त कीं, 1982 में 66 करोड़ की और पिछली बार 90 करोड़ की और आज इसकी औसत 100 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की है । यह जो स्मगलिंग की एक्टीविटीज बढ़ी हैं, इसको बढ़ाने में किसकी जिम्मेदारी है, यह आपको देखना होगा ।

आपके विभाग में जो भ्रष्टाचार पनप रहा है उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिये । सी बी आई की जांच की बात अखबारों में आई । गुजरात और कच्छ में समुद्र के पास 1800 किलोमीटर का इलाका है जहां पर स्मगलर्स का एक तरह से साम्राज्य है, जाल बिछा हुआ है । वहां के एक उच्चाधिकारी के खिलाफ सी. बी. आई. की जांच हुई, उसके यहां से लाखों रुपये का सामान मिला । उनका क्या हुआ, आप जवाब दें कि उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

जो कानून को लागू करेंगे, वही अगर गड़बड़ करेंगे तो आपका कानून कहां रखा रह जायेगा ?

भड़ौच में भी यही हुआ । एक अधिकारी पकड़ा गया, लेकिन आपने कोई कार्यवाही नहीं की । इसके पीछे एक फैक्टर है, कालाधन, स्मगलिंग की एक्टीविटीज और अधिकारियों की सांठ-गांठ । ये तस्करी को बढ़ावा देते हैं । कानून तो ठीक हैं, लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं है । मैं 24 फरवरी, 1984 के **नवभारत टाइम्ज** को उद्धृत करता हूं :

> "मस्तान की सम्पत्ति वापस । कुख्यात तस्कर हाजी मस्तान की जब्त की गई सारी सम्पत्ति उसे वापस मिल जाएगी । उसके रिश्तेदारों की सम्पत्ति उन्हें लौटा दी जाएगी ।
>
> उच्चतम न्यायालय ने आज हाजी मस्तान की विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निरोधक कानून (काफेपोसा) के तहत गिरफ्तारी के आदेश को रद्द कर दिया ।
>
> न्यायाधीश एस० मुर्तजा फजल अली, न्यायाधीश ए० वरदराजन और न्यायाधीश

रंगनाथ मिश्रा ने आदेश में कहा कि सम्बद्ध अधिकारी हाजी मस्तान के बारे में वे दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके, जिनके आधार-पर उसकी गिरफ्तारी के आदेश जारी हुए थे।"

न्यायालय ने साफ कहा है कि अधिकारी निष्क्रिय थे और उनके कार्य में त्रुटियां थीं। इसीलिए आज तस्करी को रोकना मुश्किल हो गया है। सत्ताधारी दल के सदस्य सुन कर नाराज हो जाएंगे, लेकिन अगर उनकी मंशा यह है कि चुनाव आ रहे हैं, इस लिए तस्करों को डरा-धमका कर उनसे पैसा वसूल कर लिया जाए, तब तो बात दूसरी है···

उपाध्यक्ष महोदय : चुनाव हम सभी के लिए आ रहे हैं न केवल सत्ताधारी दल के लिए।

श्री राजेश कुमार सिंह :··· लेकिन अगर वे तस्करी को बन्द करना चाहते हैं, तो उन्हें सख्ती से कदम उठाने पड़ेंगे।

पहले सोने चांदी की तस्करी होती थी, लेकिन अब मादक द्रव्यों, हेरोइन जैसी चीजों और हथियारों की भी तस्करी हो रही है। पंजाब के बारे में श्वेतपत्र में कहा गया है कि 52 चाइनीज राइफलें बरामद की गईं। वे हमारे देश में किस तरह आईं? सीमा पर तैनात हमारे लोग इन चीजों को क्यों देश में आने देते हैं? इसका अर्थ यह है कि हमारी मशीनरी में त्रुटि है, उसको मजबूत बनाना होगा। केवल कानूनों से काम नहीं चलने वाला है।

उत्तर प्रदेश के सत्ताधारी दल के एक विधायक के पास से एक करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ा गया है। अब राजनैतिक लोग भी—सारे नहीं—तस्करी में शामिल हो रहे हैं। अधिकारियों, पालिटीशन्ज और स्मगलरों की सांठ-गांठ से तस्करी हो रही है और इसमें काले धन की एक विशेष भूमिका है। इसके आर्थिक पहलू पर भी विचार करना होगा। जैसा कि श्री डागा ने कहा है, मद्रास में चाइना बाजार और कलकत्ता में एसप्लेनेड में स्मगल की हुई चीजें खुले-आम बिकती हैं। मद्रास में चाइना बाजार तो कस्टम्ज विभाग के सामने स्थित है। कस्टम्ज विभाग के अधिकारी इन चीजों की बिक्री देखते होंगे।

जहां तक सोने की तस्करी का प्रश्न है, जब इन्टरनेशनल मार्केट में सोने का भाव गिरता है, तो सोने की स्मगलिंग बढ़ जाती है और जब वहां पर भाव चढ़ जाता है, तो स्मगलिंग कम हो जाती है। इस लिए सरकार का यह कहना ठीक नहीं है कि उसके अधिकारियों और कर्मचारियों की दक्षता और जागरूकता के कारण स्मगलिंग को रोका गया है। वास्तव में तस्करी की मात्रा इन्टरनैशनल मार्केट पर डिपेंड करती है। रोज चार किलो सोने के उत्पादन से देश के लोगों की आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा सकता। हम सब लोग सोने के मोह से मुक्त नहीं हैं। स्मगलिंग का कारण सप्लाई और डिमांड, विदेशी चीजों का मोह और देश में बनी चीजों पर विश्वास की कमी है। बड़े लोग यह मोह आम लोगों में फैलाते हैं।

स्मगलिंग को रोकने के लिए सरकारी मशीनरी को साफ करना होगा। अगर उस पर

राजनैतिक प्रभाव पड़ता रहेगा, तो स्मगलिंग नहीं रुकेगी और हमारा आर्थिक ढांचा चरमरा जाएगा। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि उन्होंने कानून बहुत अच्छा बनाया है।

हम भी चाहते हैं देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए जो देश की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ रहे हैं, वह देशद्रोहिता का कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जितनी भी सख्त कार्यवाही की जाय वह कम है, लेकिन उन लोगों को भी न बख्शा जाय जो ऐसे लोगों के इस प्रकार के कार्यों में सहयोगी हैं। चाहे वह पालिटिशियन हैं या आपके उच्चाधिकारी हैं—उनके खिलाफ भी आपका प्रावधान इतना सख्त होना चाहिए कि वह ऐसे लोगों को संरक्षण न दे सकें।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे दूसरे पक्ष के साथी ने कई महत्वपूर्ण बातें यहां रखीं। डागा जी और एडुवर्डा फैलेरिओ जी, दोनों ने कहा कि विधान को और कड़ा करना चाहिये। मैं भी इस बात को मानता हूं। लेकिन आप कानून चाहे जितना बना लें, नीति चाहे जितनी बना लें, आपकी नीयत साफ न रहे तो कुछ होने वाला नहीं है। अभी तक सरकार की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया है, ये दो तीन जो हादसे हुए हैं और रिसेंट का जो हाजी मस्तान का, करीम लाला का और दूसरे लोगों का हुआ है, इसके सम्बन्ध में सरकार चुप्पी साधे हुए है : कृष्णा साहब के महज यह कह देने से कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनको छोड़ दिया, यह आपकी जवाबदेही नहीं है, काम नहीं चलने वाला है। इसलिये मैंने उस दिन कहा था कि आपने नेशनल सेक्योरिटी ऐक्ट क्यों बनाया ? आप नेशनल सेक्योरिटी ऐक्ट हम लोगों पर लागू करने के लिए बना रहे हैं ? जो स्मग्लर्स हैं उनको आप छोड़ रहे हैं, जो कुख्यात स्मग्लर्स हैं वह खुलेआम घूम रहे हैं। अभी डागा साहब उनके बारे में कुछ कह रहे थे, लेकिन उन्होंने कब कहा हाजी मस्तान और यूसुफ ने कि जो लोग हमको दिन में गालियां देते हैं वह रात में हमारे सामने आकर हाथ पसारते हैं ? कब उसने कहा था और किस सरकार के लिये कहा था, वह भी आपको मालूम है और यह भी मुझे मालूम है कि जब भी कोई सरकार का मंत्री कड़ा स्टेप किसी पर लेता है तो उसका क्या हश्र होता है ? के० आर० गणेश का नतीजा हम लोगों के सामने है। आप भी कोई कड़ा स्टेप लें तो कहीं आप को भी वही दुर्दिन न देखना पड़े।

इसलिए मैंने कहा कि कानून आप लाख बना दें लेकिन नीयत साफ नहीं रहेगी तो कुछ नहीं हो सकता। अभी आप कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा दी जाय। फांसी की सजा देना तो दूर रहा आप उनको मुक्त कर रहे हैं, उनको एम० एल० ए० बना रहे हैं।

आप पढ़िये एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट में दिया है। यह जो शिपिंग कारपोरेशन है उसमें जो कॉंट्रेक्ट दिया गया है यूसुफ को, जिस व्यक्ति को कांट्रेक्ट दिया गया है उसके सम्बन्ध में एस्टीमेट्स कमेटी ने कहा है कि यह स्मगलर है, यह तस्करी करता है और आपने करोड़ों, अरबों रुपये का उसको कान्ट्रैक्ट दे रखा है।××

तो इस तरीके से आप स्मगलिंग को रोक नहीं सकते हैं। इसलिए विपक्ष के सब लोगों का

××कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

यह चार्ज है आपके ऊपर कि यह स्मगलिंग का कानून क्यों बनता है ? क्यों कानून कड़ा करते हैं···

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी जो प्रधान मंत्री के ऊपर एक आक्षेप इन्होंने लगाया कि × ×

बिना सबूत के इनको इस तरह की बात कहने का अधिकार नहीं है। यह गलत है बिलकुल, सरासर × है, इसमें सत्यता नहीं है और रिकार्ड पर नहीं आना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्डों की जांच करूंगा।

श्री राम विलास पासवान : यदि उसमें कुछ असंसदीय हुआ तो।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आप मुझ पर छोड़ दें। यही प्रक्रिया है। हम प्रक्रिया का पालन करेंगे।

श्री राम विलास पासवान : × × कार्यालय में × ×

कोई भी आदमी आ सकता है। कोई भी आदमी जा सकता है लेकिन एक ही व्यक्ति क्यों जाता है पता लगाना सरकार का काम है।

सरकार ने दूसरी बात कही है कि कानून में खामी है। कानून कौन बनाता है ? पार्लियामेंट एक पालिसी देती है। कानून बनाने वाले आपके विद्वान लोग हैं जो डिग्री ले लेकर बैठे हुए हैं। प्रत्येक वर्ष जब सरकार कोई नया अमेंडमेंट ले कर आती है तो कहती है कि पुराना जो कानून था उसमें खामी निकल गई। खामी निकल गई या खामी छोड़ दी जाती है ? खामी निकलना और जानबूझ कर खामी छोड़ देना स्मग्लर्स या कल्प्रिट्स के पक्ष में ये दोनों दो बातें हैं। इसलिए मंत्री जी इस बार कोशिश करेंगे कि इस बार ऐसी कोई खामी न बच जाय कि फिर दोबारा आपको एक साल बाद अमेंडमेंट के साथ आना पड़े।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अखबार की कटिंग पढ़कर सुनाना चाहता हूं। यह 30-7-84 का हिन्दी का "नवभारत टाइम्स" है। इसकी बड़ी मोटी हेडिंग है "इनकम टैक्स कैसे बचायें।" यह एक एडवर्टीजमेन्ट है और एडवर्टीजमेंट देने वाले हैं राम निवास लखोटिया, कर सलाहकार, भूतपूर्व इनकम टैक्स अफसर। इस एडवर्टीजमेन्ट में वे कहते हैं :

"पिछले 30 वर्षों के अनुभव के आधार पर भारत के ख्याति प्राप्त कर सलाहकार द्वारा सरल हिन्दी में एक ऐसी पुस्तक लिखी गई है जिसके अध्ययन से प्रत्येक व्यापारी अपना एवं अपने परिवार वालों का प्रचुर मात्रा में इनकम टैक्स बचा सकता है। क्या आप जानते हैं कि आज भी आपके नाबालिग (माइनर) बच्चे एवं स्त्री की पृथक इनकम टैक्स

× × कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

फाइल बन सकती है ? साथ ही साथ नावालिग पृथक व्यापार भी कर सकता है तथा मृत व्यक्ति की इनकम टैक्स फाइल भी चालू रह सकती है । नयी जमीन अथवा जायदाद की खरीद सम्बन्धी टैक्स प्लानिंग कैसे करें एवं इसी प्रकार इस पुस्तक में वर्णित सैकड़ों तरीकों द्वारा इनकम टैक्स बचाया जा सकता है । आज ही अपनी प्रति सुरक्षित करवायें ।

		मूल्य
1. इनकम टैक्स छापों से कैसे बचें	—	45 रु०
2. इनकम टैक्स सर्वे से कैसे बचें	—	45 रु०
3. इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरें	—	45 रु०
4. सम्पत्ति कर कैसे बचायें	—	45 रु०

यह था इन किताबों का एडवर्टीजमेन्ट जो 30-7-84 के "नवभारत टाइम्स" में छपा था। यदि आप कहेंगे तो मैं इसको सभा पटल पर भी रख सकता हूं ।

आपके जो कर अफसर वे इस तरह से करों की चोरी करवाते हैं प्राइवेट कम्पनियों से । अभी आप बिड़ला को संसद में ले आए और अगर आपका बस चले तो स्मगलर्स को भी पार्लमेंट में आप भर दें । (व्यवधान)

मैं दोनों में कोई फर्क नहीं समझता हूं । आज किसी की सम्पत्ति एक लाख है और चार साल के बाद 400 करोड़ हो जाए तो सीधी सी बात है जबतक दो नम्बर का गड़बड़ नहीं करेगा तबतक कैसे बढ़ेगी । गरीब आदमी काम करते-करते मर जाते हैं लेकिन मरने के लिए कपड़ा भी नसीब नहीं होता है । कोई सरकारी अफसर भी अगर ईमानदार हो तो आज की इस मंहगाई के जमाने में उसको भी कफन के लिए कपड़ा नहीं मिल पायेगा । इसलिए अगर कोई कुली से करोड़पति बन जाता है तो कैसे बनता है ? यह देखना सरकार का ही काम है । आपने हाजी मस्तान के बारे में बतलाया कि कैसे उनको छोड़ा गया, आपने कहा राज्य सरकार ने छोड़ दिया लेकिन मैं जानना चाहता हूं आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेन्ट क्या करता है ? क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेन्ट का यह राइट नहीं है कि वह उससे पूछें कि तुम्हारा सोर्स आफ इनकम क्या है ? अगर कोई कुली से करोड़पति बनता है तो उसका क्या सोर्स आफ इनकम है ? यह तो इनकम टैक्स डिपार्टमेन्ट की ही जवाबदेही है ।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक तो आपकी पालिसी में ही खामी है और दूसरे आपकी नीयत में भी खामी है । कोई भी आदमी अगर विदेश जायेगा तो वह 450 डालर लेकर जायेगा, 15-20 दिन वह विदेश में घूमेगा और उसके बाद वह सामान लेकर आयेगा तो कितना सामान लेकर आ सकता है ? वह 100 डालर का सामान लेकर आए—यह व्यावहारिक है ? किसी होटल में 10-20 दिन रहने पर ही उसके हजार डालर लग जायेंगे । इस तरह से कोई भी 100 डालर

का सामान लेकर नहीं आ सकता है लेकिन उसके सामान को कस्टम अधिकारी जरूर पकड़ेंगे और जो चार हजार डालर का सामान लेकर आयेगा उसको हमेशा ग्रीन सिग्नल मिलता है। इस तरह से जिसका कोई माई बाप नहीं होता है वही पकड़ा जाता है।

मैं आपसे यह भी आग्रह करूंगा कि आप थोड़ा अपनी पालिसी को भी देखने का काम कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो भी कानून बनाते हैं, उस प्रत्येक कानून के पीछे आपकी कोई न कोई चाल रहती है। सरकार के ऊपर मेरा चार्ज है, सरकार इसको देखे, ज्यों-ज्यों आप अधिक कानून बनाते जा रहे हैं, त्यों-त्यों देश में स्मगलिंग बढ़ती जा रही है। स्मगलिंग को आप प्रोटैक्शन देते हैं। आप एक भी स्मगलर का नाम नहीं बता सकते हैं, जिसका सरकारी पार्टी के साथ और सरकार के साथ सांठगांठ न हो। बल्कि आप उसको पनपाने का काम करते हैं। उसके ऊपर छत्रछाया देने का काम करते हैं। यदि यही आपकी इन्टैंशन हैं, तो इस इन्टैंशन से देश को कोई फायदा होने वाला नहीं है। यही मेरा सरकार के ऊपर आरोप है।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1984, जो सदन में प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करता हूं।

स्मगलिंग और ब्लैक मार्केटिंग हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था के बड़े दुश्मन हैं। हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था में स्मगलिंग और ब्लैक मार्केटिंग बड़े बाधक हैं। इसके लिए हमारी सरकार बड़े प्रयास कर रही है कि स्मगलिंग को कैसे काबू किया जाए और ब्लैक मार्केटिंग को कैसे काबू किया जाए। इस संबंध में पूर्ण रूप से प्रयास चल रहे हैं। लगातार कानून में परिवर्तन किया जा रहा है। कानूनों में लगातार परिवर्तन करने के बावजूद भी हम इस रोग को अभी तक पूरी तरह से निवारण नहीं कर सके हैं।

1.52 म० प०

(श्री आर० एस० स्पैरो पीठासीन हुए)

विरोधी दल का यह चार्ज हैं कि ब्लैक मार्केटिंग के लिए और स्मगलिंग के लिए हम जिम्मेदार हैं या हम ब्लैक मार्केटिंग और स्मगलिंग को सहयोग देते हैं--यह आरोप बिल्कुल मिथ्या है। स्थिति यह है कि स्मगलर्स और ब्लैक मार्केटियर्स एक प्रकार की फोर्स है, एक ताकत है, वह अपनी सम्पत्ति के बलबूते पर, धन के बलबूते पर इस प्रकार के कार्य करती हैं। अधिकारियों को भी अपने कब्जे में कर लेती हैं और जो केस कोर्ट में चलते हैं, उन पर भी काबू कर लेती है और सफलता प्राप्त कर लेती हैं। हम यह जानना चाहें कि इन चार-पांच सालों के अन्दर किन- किन केसेस में कितना-कितना कन्विक्शन हुआ है, तो स्थिति यह है कि जो भी चालान किए गए हैं, उन चालान किए गए केसेस में भी कन्विक्शन बहुत कम लोगों का हुआ है। कितने चालान प्रस्तुत किए गए हैं, कितनों का कन्विक्शन हुआ है और कन्विक्शन में कितनों को जेल की सजा दी गई है, इस दृष्टिकोण से भी हमें देखने की आवश्यकता रहेगी।

साधारणतया यह भी देखा गया है कि इस प्रकार के केसेज में गवर्नमेंट की तरफ से प्लीड

करने वाली प्रोसीक्यूशन की साइड में योग्य वकील नहीं होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ केस को प्लीड करने के लिए पैसे के बलबूते पर शक्ति प्राप्त कस्के अच्छे से अच्छे वकील मुकर्रर कर लेते हैं। जिसकी वजह से हमारी तरफ के वकील उन केसेस में सफल नहीं होते हैं। यह बहुत ही आवश्यक है कि उन केसेज को प्लीड करने के लिए हमारी प्रोसीक्शन साइड स्ट्रांग हो। इसके लिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि कैस चाहे स्मगलिंग से संबंधित हो, कस्टम से संबंधित हो या विदेशी मुद्रा से संबंधित हो, इनमें यदि एडवोकेट्स सफल नहीं होते उनको प्रोसीक्यूशन साइड से निकाल देना चाहिए। उनको रिमूव कर देना चाहिए । चाहे वे एक साल या दो साल या तीन साल के लिए मुकर्रर किए गए हैं, उनको प्रोसीक्यूशन साइड में से निकाल देना चाहिए, जो अच्छी तरह से पैरवी नहीं करते हैं। अधिकारी इस प्रकार से डिटेन्शन आर्डर को फ्रेम करते हैं जिस में टेकनीकल डिफेक्ट रह जाता है। अभी एक उदाहरण दिया गया, उस पर स्पेशल सैक्रेटरी के सिगनेचर के स्थान पर डिप्टी सैक्रेटरी के सिगनेचर थे या जिस भाषा में नोटिस दिया जाना चाहिये, उस भाषा में न देकर दूसरी भाषा में दिया। इस प्रकार के टैकनीकल डिफैक्ट्स रखे जाते हैं जिसके कारण अपराधी छूट जाते हैं। हाजी मस्तान एक बहुत ही मशहूर स्मगलर है, इतने वर्षों के बाद भी हमने उस के खिलाफ क्या एक्शन लिया ? अभी तक उसका कन्विक्शन कराने में सफल नहीं हो सके हैं, उस को जेल भेजने में सफल नहीं हो सके हैं।...

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : करीम लाला।

श्री वृद्धि चन्द जैन : करीम लाला, यूसुफ पटेल, वगैरह हैं। प्रश्न यह उठता है कि आज अपोजीशन वाले जो चार्ज लगा रहे हैं इस को क्लियर करना चाहिये। महाराष्ट्र गवर्नमेन्ट ने उन को डिटेन किया, लेकिन बाद में फिर क्यों छोड़ दिया ? हम आज जो प्रावीजन कानून में कर रहे हैं, हमारे अपोजीशन वाले यह कह रहे हैं कि डिटेन्शन तब तक नहीं करना चाहिये, जब तक उस का अपराध सिद्ध न हो। निर्पराधी व्यक्तियों का डिटेन्शन करें यह उचित नहीं है। हम भी यही चाहते हैं कि निर्पराधी व्यक्ति का डिटेन्शन नहीं होना चाहिये, निर्पराधी व्यक्ति पर इस कानून का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये लेकिन जो वास्तव में स्मगलर हैं, ब्लैक-मार्केटियर हैं, वे छूट नहीं जाने चाहिएँ। वे तो राष्ट्रद्रोही हैं, राष्ट्र के दुश्मन हैं, हमारी अर्थव्यवस्था के दुशमन हैं, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिये इसमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में आप जो भी कानून प्रस्तुत करना चाहें, हम उनको मन्जूर करने के लिये तैयार हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि सभी कानूनों का इम्प्लीमेन्टेशन गवर्नमेन्ट मशीनरी से होता है। हम यह भी जानना चाहते हैं कि पिछले दस सालों में आपके जिस अधिकारी ने ठीक ढंग से काम नहीं किया, कानून का सही इम्प्लीमेन्टेशन नहीं किया, स्मगलर्स को सहयोग दिया उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में बतलाना चाहता हूं मेरा क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर, पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं,वहां कपड़ा, घड़ियां, इलैक्ट्रोनिक गुड्स और बादाम का स्मग्लिंग होता है। जो स्मगलर्स हैं वे पैट्रोल की जीप का इस्तेमाल करते हैं जब कि हमारे अधिकारियों के पास पैट्रोल की जीपें नहीं हैं। हम ने राजस्थान गवर्नमेन्ट से कहा कि आप हमारे अधिकारियों को भी पैट्रोल की जीपें

दें, लेकिन अभी तक उन के लिये पैट्रोल की जीपों की व्यवस्था नहीं हो सकी है। आज पोजीशन यह है कि वहां स्मगलर्स जिस प्रकार के साधनों, इक्विपमेन्ट्स का प्रयोग करते हैं, हमें भी उनके मुकाबले में अपने को वेल-इक्विप करना होगा जिस से कि हमारे लोग उनको अरेस्ट कर सकें। इसी तरह 'सी' में हमें ऐसे मल्लाह रखने चाहिये जो उनको पकड़ सकें। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें इसकी पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी, अपने को हर तरह से वेल-इक्विप्ड करना पड़ेगा और वेल-इक्विप्ड हो कर स्मग्लिंग को रोकने का प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन इस के लिये हम प्रयास नहीं कर रहे हैं।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि विभिन्न प्रान्तों में जो वलनरएबिल प्वाइन्ट्स हैं, जोकि गुजरात में, राजस्थान में कर्नाटक पांडिचेरी और बम्बई में भी ऐसे एरियाज हैं, वहां के लिए आप क्या कर रहे हैं। आज बम्बई में, मद्रास में खुल्लमखुल्ला स्मगल्ड गुड्स एवेलएबिल हो रहे हैं। क्यों नहीं आप उन के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते ? वहां पर ओपन मार्केट के अन्दर स्मगल्ड गुड्स मिल रहे हैं लेकिन आप उन के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। तो यह हमारी कमजोरी है और मैं चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में सख्त कार्यवाही करे। स्मगलिंग और ब्लैक-मार्केटिंग के खिलाफ हम से जो भी हो सकता है, ठोस कदम उठा कर उसे करें क्योंकि जितना हम स्मलिंग और ब्लैक-मार्केटिंग पर काबू पा सकेंगे, उतना ही हमारी अर्थ-व्यवस्था को बल मिलेगा।

इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

2.00 म० प०

श्री मेरा वदन के० गधावी (बनासकांठा) : सभापति महोदय, कोई व्यक्ति इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि तस्करी हमारी अर्थ व्यवस्था के लिए खतरा बनी हुई है। और बाहरी तौर पर विरोधी दल भी यह कहने की दिक्कत नहीं कर सकते कि तस्करों को सजा न दी जाए और उनकी गतिविधियों को रोका न जाए।

महोदय, मैं इस कदम का स्वागत करता हूं। यह एक विशाल समस्या है और इसका क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय है। किन्तु, महोदय मैं मंत्री जी से एक पहलू के विषय में पूछना चाहता हूं। जबकि तमाम देश में साफे पोसा के अन्तर्गत किए गए उपायों का स्वागत किया गया, क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की राज्य सरकारें कोई कार्यवाही नहीं कर रही है ? जैसाकि हमें पता चला है कि कार्रवाई राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी और जहां तक काफे पोसा का संबंध है, यह कहा गया है कि पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा ने उस पर कार्यवाही करने से मना किया है। यदि ऐसा है, तो मैं पूछता हूं कि क्या यह तस्करी संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना नहीं है ?

एक माननीय सदस्य : खुल्लम खुल्ला प्रोत्साहन देना है।

श्री भेरावदन के० गधावी : हां, स्पष्ट और खुल्लम खुल्ला।

प्रो० रूप चन्द पाल (हुगली) : हम निवारक नजर बन्दी के विरुद्ध हैं। किन्तु पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में सबसे अधिक संख्या में मुकदमे चलाए गए हैं और अधिकतम तस्करों को सजा दी गई है।

श्री भेरावदन के गधावी : यह स्वीकार करने के लिए धन्यवाद कि आप इसके विरुद्ध हैं। यह सर्वविदित है कि जब मामला अदालत में आता है तो वे किसी सक्ष्म तकनीकी खामी के कारण बच निकलते हैं और नजरबन्दी निरस्त कर दी जाती है। दिए जाने वाले कारणों में एक यह है कि यद्यपि बन्दी दस्तावेजों की भाषा जानता है और यह उसकी मात्र भाषा भी हो सकती है वह अदालत में आकर कहता है कि इसे वह भाषा नहीं आती। ऐसे मामले भी हैं जिनमें उन्होंने फ्रैंच और पश्तो भाषा की मांग की है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा और जानना चाहूंगा कि हम ऐसा संशोधन क्यों नहीं करते कि काफे पोसा के अन्तर्गत नजर बन्द किए गए व्यक्तियों को अंग्रेजी या हिन्दी, जो कि हमारी राष्ट्र भाषा है, अथवा दोनों में ही दस्तावेजों की प्रत्रियां उपलब्ध करायी जाएं। अदालतों के पास भी नियम है कि वह इसे टैक्नीकल बना दें और जिस चीज का प्रयत्न कर रहे है उसे बेकार कर दे। दूसरा पहलू यह है कि जहां तक तस्करी की प्रबलता वाले क्षेत्रों का संबंध है, मैं यह आरोप नहीं लगाता कि तंत्र सुस्त है। मैं यह नहीं कहता कि तस्करों के साथ उनकी पूरी सांठगांठ है। किन्तु क्या यह सच नहीं है कि उपस्करों के मामले में वह मजदूर हैं। हमने पदों का सृजन किया। उन्हें तीव्र गति वाली नौकाएं दी जानी थीं। उन्हें कुछ चॉपर दिए जाने थे। उन्हें कुछ विभाग दिए जाने थे। यह उनकी योजनाओं में शामिल था। आप कह सकते हैं कि कुछ अड़चनें हैं, कि किन्तु जब इन गतिविधियों से देश की अर्थव्यवस्था को खतरा पैदा हो गया है तो वित्तीय बाधाएं मार्ग में आड़े नहीं आनी चाहिए। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि देश में तस्करी को समाप्त करने के काम पर लगाए गए सभी व्यक्ति उपकरणों से पूरी तरह लैस होने चाहिए।

जिन व्यक्तियों को इस काम पर लगाया गया है, उन्हें भी खतरा है। उन्हें गोली मार दी जाती है। वे मुठभेड़ों में मारे जाते हैं और हमें उनके परिवारों के लिए व्यवस्था करनी होती है, एक ऐसी व्यवस्था जिससे उन्हें प्रोत्साहन मिले और वह अपने कर्त्तव्य का निर्वाह अधिक निष्ठा से कर सकें। इस संबंध में हमारी प्रक्रिया अभी तक पुराने ढर्रे पर है। सीमा पर काम, करने वाला यदि कोई व्यक्ति मारा जाता है तो उसे सचिवालय में बैठे व्यक्ति के समकक्ष माना जाता है। इसलिए मैं, सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पहलू को भी देखना होगा। अन्यथा हम इन लोगों से जिस उत्साह की आशा करते हैं वह नहीं आ पाएगा वह उन लोगों के उत्साह को क्षीण कर देगा जिन्हें यह काम सौंपा गया है।

तीसरे, हमारे मित्र किसी निवारक कार्रवाई में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। (**व्यवधान**) वे रोग के फैलने के बाद ही कार्रवाई करने में विश्वास करते हैं। किन्तु यदि वह संशोधन को देखें तो पायेंगे कि यह पिछले वाले से अधिक लोकतांत्रिक है, क्योंकि नजरबन्दी की अवधि कम कर दी गई है। वे इसमें खामियों का उल्लेख कर सकते हैं। तब हम इसमें संशोधन कर देंगे। जिन उपायों पर हम चर्चा कर रहे हैं उसका एक पहलू यह है कि अब तस्वीर में कुछ नई किस्म की वस्तुएं भी शामिल हो गई हैं। दस या पन्द्रह वर्ष पूर्व यह शायद सोना, चांदी अथवा कपड़ा थी अब विभिन्न किस्म की वस्तुओं की तस्करी होने लगी है। जहां तक हमारी सीमाओं का संबंध है, न केवल समुद्र में बल्कि

देश के भीतर भी, तस्करी में वृद्धि हो रही है। इसलिए श्री जैन ने ठीक ही कहा है कि रेत के टीलों में जहां मोटर गाड़ियां ठीक प्रकार से नहीं चल सकती वहां ऊंटों आदि के दस्ते बनाए जाने चाहिए।

हम सीमा सुरक्षा बल और विशेष पुलिस पर निर्भर करते हैं। किन्तु, जहां तक देश के भीतर तस्करी का संबंध है पश्चिम में कच्छ से लेकर पूर्व में त्रिपुरा तक और ऐसे स्थानों में जहां पर विशेष परिस्थितियां हैं हमें ऊंटों वाले दस्ते तैयार करने चाहिए क्योंकि जैसाकि समाचार पत्रों में बताया गया है ऊंटों के काफिले पाकिस्तान के क्षेत्रों में जाते हैं और वहां से हमारी दिशा में आते हैं। इसलिए, जब हमारे वर्तमान आधुनिक उपस्करों से काम करना और इन गतिविधियों को रोकना अत्यंत कठिन हो जाता है तो हमें परम्परागत साधन अपनाने होंगे यदि हम वास्तव में विश्वास करते हैं यदि तमाम विरोधी यह विश्वास करते हैं कि तस्करी एक समाज-विरोधी गतिविधि है, यदि यह वास्तव में कहा जा सकता है कि तस्कर एक समाज-विरोधी तत्व है तो क्या हम ऐसा कानून नहीं बना सकते कि कम से कम संसद सदस्य, न्यायालयों में उन्हें नहीं बचाएंगे ?

इस उपाय का स्वागत करते हुए नीयत बहुत अच्छी है किन्तु जहां तक खामियों, विशेष कर भाषा के बारे में, का संबंध है जैसाकि मैंने पहले कहा हमें बात को स्पष्ट करना चाहिए कि वे किसी भाषा विशेष में दस्तावेजों की प्रतियाँ उपलब्ध कराएंगे न कि किसी ऐसी भाषा में जिसकी वह लोग मांग करे। अन्यथा आप इसे नहीं कर सकते।

हमारे दिलों में न्यायपालिका के प्रति बहुत सम्मान है किन्तु दुर्भाग्य से कुछ ऐसे मामले हैं, जब किसी व्यक्ति को बम्बई में गिरफ्तार किया जाता है या उसकी संपत्ति बम्बई में कुर्क की जानी होती है तो वह दिल्ली, कलकत्ता अथवा मद्रास से स्थगन आदेश प्राप्त कर लेता है। ऐसा क्यों है। जहां तक कुर्की का संबंध है, नजरबन्दी का संबंध है, स्थगन आदेश का संबंध है, भारत सरकार की फाइलों में ऐसे स्थगनों की भरमार है जहां पर अत्यंत तुच्छ आधार पर स्थगन आदेश जारी कर दिए गए हैं। हमारी यह इच्छा है कि यह संसद देश की सर्वोच्च संस्था होने के नाते, जहां तक समाज विरोधी गतिविधियों का संबंध है, न्याय पालिका को भी चाहिए कि वह गड़बड़ाने के बजाए आदेश का पालन करे ; इसलिए इस पहलू जांच की जानी चाहिए।

श्री जैन ने अन्तःकरण की बात की। मैं जानता हूं कि बहुत बार जब सीमा-शुल्क समाहर्ता और अन्य लोग न्यायालयों को जाते हैं तो वह मजबूर होते हैं क्योंकि अपराधी लोग बशुमार पैसा खर्च कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा वकील कर सकते हैं जबकि सरकारी तंत्र को विधि मंत्रालय की शरण में जाना पड़ता है। वे किसी वकील विशेष को इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसकी फीस बहुत अधिक है और इसलिए आप उसे नहीं कर सकते। यह सभी रुकावटें हैं। यदि हम वास्तव में कुछ कर रहे हैं तो हमें निसन्देह रूप से संबंधित अधिकारी को थोड़ी छूट देनी होगी। बेशक आप उसकी जांच कर सकते हैं। यह नहीं है कि वह पक्षपात पूर्ण तरीके से किसी भी वकील के पास जाएंगे किन्तु अधिकारी को कुछ छूट अवश्य दी जानी चाहिए ताकि वह अच्छे वकीलों की सेवाएं प्राप्त कर सकें।

श्री पासवान ने सामान और अन्य वस्तुओं के बारे में कुछ कहा। सामान (बैगेज) एक हुतत छोटी सी वस्तु है। वास्तव में आप देखेंगे कि हवाई अड्डे पर हजारों बार माल पकड़ा जाता है किन्तु धन और वस्तुओं की मात्रा के रूप में यह अत्यन्त नगण्य है। वास्तविक तस्करी कहीं और होती है। यदि आप हवाई अड्डे पर किसी गरीब फकीर खां को पकड़ते हैं तो उससे कुछ नहीं मिलेगा। किन्तु, आपको उस व्यक्ति को पकड़ना होगा जो उसका जहाज लाता है। यदि उसे पता चलता है कि बम्बई में कानून है तो वह अपना जहाज बड़ी आसानी से कहीं ओर ले जा सकता है और इस प्रकार वह उत्पाद शुल्क अथवा सीमा शुल्क से बच सकता है या बिना कोई शुल्क दिए सभी वस्तुओं की तस्करी कर सकता है। इस प्रकार की घटनाओं के संबंध में जानकारी है। हम जानते हैं कि सीमा शुल्क से किस प्रकार बचा जाता है, उत्पाद शुल्क से किस प्रकार बचा जाता है। सरकार को इन सभी बातों की जांच करनी होगी।

यह एक स्वागतयोग्य कदम है कि समग्रता में, विस्तृत रूप से इसमें सुधार की गुंजायश है जिसमें सभी पहलू समाविष्ट हैं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति महोदय, विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण विधेयक 1974 का वैसे तो मैं समर्थन करता हूं लेकिन यह समर्थन के लायक विधेयक नहीं है। जैसा कि सर्वांगीण विधेयक होना चाहिए, वैसा नहीं बन पाया है। केवल क्षेत्र बढ़ा दिया है और कुछ नहीं किया है। इस कानून से सरकार का जो उद्देश्य है कि तस्करी के व्यापार को नियंत्रित किया जाए और विदेशी मुद्रा का संरक्षण किया जाए वह नहीं हो सकेगा। पहले विधेयक में यह था कि बिना सलाहकार बोर्ड के तीन महीने से अधिक और एक बरस तक उसको निरूद्ध किया जा सकता था। लेकिन अब उसको घटाकर छह महीने तक ले आए जिससे तस्करी करने वाले डरेंगे कि उन्हीं के लिए कुछ व्यवस्था की जा रही है।

यह बात सही है कि पहले यह कानून 1977 तक लागू था और उसमें अब फिर संशोधन दिया है। धारा-9 में जो संशोधन दी है, वह 1987 तक लागू होगी। आखिर, यह काल खण्ड में बांटने के पीछे राज क्या है ? इसमें लिखा है कि जो उपयुक्त स्थान है, वह इसके अन्दर आता है जबकि यह लिखना चाहिए था कि पूरे भारतवर्ष का एरिया इसके अन्दर आता है या जहां भी तस्करी का काम होता है, वह इसके अन्दर आता है। आपने इसको पांच खण्डों में बांट दिया है जिसमें नेपाल, बंगलादेश और भूटान आदि आते हैं। जब कानून बनता है तो स्मगलर, डाल-डाल और पात-पात पर पहुंच जाता है। उसकी पैनी दृष्टि और आगे रहती है। वह अपनी जगह खोज लेता है। आपने, एक से पांच तक के भीतर स्थान बता दिए हैं। इससे लगता है कि दूसरी जगह से तस्करी की जा सकती है। यह भी लूप-होल इसमें रह गया है। आपने 497 लोगों को पकड़ा है। जबकि ये लोग 1980 से लेकर 1983 तक तस्करी कर रहे थे।

मैं समझता हूं, आपने अपने चुनाव कोष में वृद्धि करने की मंशा रखी है। इस बिल के विरोध के दृष्टिकोण से कहा जाए तो इसको कांग्रेस आई का इलैक्शन फण्ड ही कहा जायेगा। अगर, अर्थ-

व्यवस्था को सुधारने की तरफ आपका ध्यान होता तो पक्ष और विपक्ष, दोनों तरफ के लोग आपका समर्थन करते। लेकिन, अर्थव्यवस्था तो जर्जर हो रही है। इसमें तस्करी, ब्लैक मार्किटिंग, काला-बाजारी और जमाखोरी का काम हो रहा है। इसको रोकने के लिए कारगर कदम उठाए जाने चाहिए। राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय हित के लिए विचार किया जाये तो मैं समझता हूं हर व्यक्ति आपका समर्थन करेगा। जिन लोगों को आपने अरेस्ट किया, उन्हें बाद में छोड़ दिया। इसके पीछे क्या राज है? यह राज हो सकता है कि आपके चुनाव कोष का काम पूरा हो गया होगा। मैं समझता हूं, बिना सलाहकार बोर्ड के डेढ़ बरस तक रखा जाना चाहिये क्योंकि ये देश के शत्रु हैं। कभी एक बरस, कभी छह महीने करने का तात्पर्य क्या है, यह समझ में नहीं आता है?

हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो करोड़ों लोगों के हितों का शोषण करते हैं और ऐसे शोषक लोगों को आपने खुली छूट दे रखी है। यदि आप कोई कानून बनाना चाहते हैं तो वह कानून सबके लिये बराबर होना चाहिये, क्यों कि हमारे यहां ईक्वैलिटी बिफोर लॉ है, कानून की दृष्टि में सब लोग बराबर हैं। लेकिन आपने इन लोगों को अभी एक महीना भी बंद नहीं रखा और फिर छोड़ दिया। कम से कम उनको साल या छः महीने तक तो बंद रखा जाता। इन सारी बातों को देखते हुये ऐसा लगता है कि यह कानून जनहित, देश की अर्थ व्यवस्था को सुधारने और अपराधिक कर्मों को रोकने की दृष्टि से नहीं बनाया जा रहा है। क्योंकि आप किसी भी हवाई अड्डे पर देख लीजिए, हर एक एअरपोर्ट पर कस्टम अधिकारी होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी रोजाना विदेशी टेलीविजन, बी० सी० आर, तरह-तरह के कैसेट, कैमरे और दूसरी नाना प्रकार की चीजें हमारे देश में आ रही हैं।

क्या उन सब को पकड़ा जा रहा है। इसलिए दूसरे नम्बर पर आकर हमारे कस्टम के अधिकारी भी इसमें दोषी हैं। यदि उनके अन्दर ऐसी भावना आ जाए कि हमने किसी भी कीमत का विदेशी सामान क्यों न हो, नहीं छोड़ना है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन आज क्या हो रहा है कि यदि किसी एम. पी. का लड़का पकड़ लिया तो हंगामा मचा दिया कि हम बहुत चुस्त-दुरुस्त हैं आपकी चुस्ती और दुरुस्ती तो इसी से साफ हो जाती है कि रोजाना हिन्दुस्तान में करोड़ों का माल ऐसे ही पास होकर आ रहा है और उसे कोई नहीं रोकता। यदि आप वास्तव में किसी भी विदेशी सामान को यहां न आने दें तो आपकी बात मानी जा सकती है।

हमारे देश में जो यह 7-8 हजार करोड़ रुपये की समानान्तर अर्थ-व्यवस्था चल रही है, उसने हमारी अर्थ व्यवस्था को तोड़-मरोड़ कर रख दिया है। यहां पर हाजी मस्तान और जितने दूसरे बड़े-बड़े स्मगलर्स हैं, पैसा उन लोगों के पास कम नहीं है। हमारे देश में इतने कानून बने हैं, लेकिन उनके अन्तर्गत आज तक क्या कार्यवाही हुई, पिछले वर्ष कितने स्मगलर्स को पकड़ा गया और जेलों में डाला गया। क्या मंत्री जी ये तमाम फीगर्स सदन में रखेंगे कि ऐसे कितने लोगों को पकड़ा गया, जेलों में बंद किया गया या उन लोगों को कोई ऐसा सबक दिया गया ताकि भविष्य में वे हिम्मत न कर सकें। आपको कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। आपने उनको खाली पकड़ा

और कुछ समय बाद छोड़ दिया। जैसे हम राजनीतिज्ञ लोग भी कभी-कभी पकड़े जाते हैं और फिर पांच दिन के बाद हमें छुट्टी दे दी जाती है। कई दफा हम लोग भी दफा 107 में पकड़ लिए जाते हैं, परन्तु दो चार दिन में छुट्टी हो जाती है।

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : क्या आपका दल तस्करों और अन्य समाज-विरोधी तत्वों को न बचाने का संकल्प पारित करेगा ?

श्री रोतलाल प्रसाद वर्मा : कोई भी पार्टी ऐसे स्मगलर्स को डिफैंड नहीं करेगी। लेकिन वे आपकी पार्टी को चन्दा दे रहे हैं। बी. जे. पी. को चन्दा नहीं दे रहे हैं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : किसी कांग्रेस आई के एम. पी. ने वसन्त दादा पाटिल को चिट्ठी लिखी है···

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : आपने जो चिट्ठी लिखी है, उसके बारे में सब लोगों को मालूम है, मैं उस अखबार-बाजी को यहां दोहराना नहीं चाहता। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बिल को लाकर आप देश की अर्थ-व्यवस्था को सुधारने नहीं जा रहे हैं बल्कि उनको चोर-दरवाजे से जगह दी जा रही है कि और काम करो और छूटो और जो कुछ कमाओ उसमें से हमें हिस्सा दो।

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : तस्करी तथा कालाबाजारी साथ-साथ हमारे आर्थिक तथा सामाजिक जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है। कोई भी व्यक्ति इन लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के विरुद्ध नहीं है क्योंकि यह हमारे लोगों के चरित्र का नाश करते हैं और कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते है। हाल ही में हमारे यहां कोचीन बन्दरगाह पर तस्करी की एक बड़ी घटना हुई। एक अन्तर्राष्ट्रीय रैकट का पता चला। मैं नहीं जानता कि उसका क्या हुआ। मैं समझता हूं कि मामला अदालत में है। देश के लगभग सभी पत्तन नगरों में तस्करों के अड्डे है। इतने सांविधिक प्रावधानों, कड़ी कार्रवाई और सेकनीयती के बावजूद यह सब किस प्रकार हुआ।

इसका कारण यह है कि जो लोग तस्करी रोकने के लिये जिम्मेवार है वह ईमानदार नही है। ईमानदार अधिकारी जो तस्करी को रोकना चाहते हैं, असहाय है। हांलाकि कि तस्कर इन गतिविधियों में लगे हुए है किन्तु उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। यह इस देश में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उनके ऊंचे सम्पर्क हैं। यदि आप देश के कुख्यात तस्करों के पिछले बहुत से वर्षों का इतिहास देखें तो आपको पता चलेगा कि उनके ऊंचे राजनीतिक सम्बन्ध हैं। मैं इसका दोष किसी विशेष राजनीतिक दल को नहीं देता किन्तु देश में यही स्थिति है।

कुछ क्षेत्रों में आप कानून की खामियों को दूर करना चाहते हैं। आप कितने ही ठीक तरह से कानून बनाएं, यदि उन लोगों द्वारा जो इन्हें प्रवृत्त करने के लिए जिम्मेवार है, इनका कुशलता पूर्वक कार्यान्वयन नहीं किया जाता, और उन अधिकारियों को राजनीतिक शक्ति द्वारा बचाया जाता है तो तस्करी को रोका नहीं जा सकता। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनमें ईमानदार

अधिकारियों जिन्होंने तस्करी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की, मुसीबत झेलनी पड़ी। एक दिन उन्हें पता चलता है कि उनका स्थानान्तरण कहीं और कर दिया गया है। ऐसे भी मामले हैं जहां इस प्रकार के अधिकारियों की हत्या कर दी गई, क्योंकि तस्कर इतने अधिक शक्तिशाली हैं कि वह परिणामों की परवाह किए बिना कुछ भी कर सकते हैं।

जहां तक इस कानून के उद्देश्यों का संबंध है, कोई भी इन पर आपत्ति नहीं कर सकता। किन्तु व्यावहारिक कार्यान्वयन में हम देखते हैं कि इसमें कई त्रुटिया हैं।

विदेशी माल के लिए हमारा शौक अथवा हमारे बावलेपन के कारण विशेष रूप से पत्तन नगरों में तस्करी गतिविधियां चल रही हैं। यहां तक कि उत्तरदायी सरकारी एजेन्सियां भी किसी न किसी तरह से तस्करी गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं।

हाल ही में 25,000 टन सीमेंट के आयात के लिए सेन्ट एन्थोनीज गिल्ड, मद्रास को एक आयात लाइसेंस दिया गया था। हालांकि सीमेंट का आयात सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों द्वारा किया जा रहा था परन्तु फिर भी एन्थोनीज गिल्ड को लाइसेंस दिया गया था। सीमेंट का आयात तमिलनाडु में तूतीकोरिन पत्तन से किया गया था और 15,000 टन केरल को बेच दिया गया था।

केरल के मंत्री ने विधान सभा में घोषणा की कि केरल को केवल बिक्रीकर के रूप में लगभग 16 लाख रुपए का घाटा हुआ, यह राज्य व्यापार निगम द्वारा किया गया था। मुझे नहीं मालूम कि इस गिल्ड को लाइसेंस किस आधार पर दिया गया था। वास्तव में उच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले की जांच की जानी चाहिए। लेकिन कुछ नहीं किया गया है। यह गिल्ड सोसाइटी के रूप में पंजीकृत भी नहीं है और फिर भी उसे यह लाइसेंस दिया गया था। केरल में 15,000 टन सीमेंट 100 रुपए प्रति बोरी की दर से बेचा गया था।

अत: मै सरकार पर इस बात के लिए जोर देना चाहता हूं कि जिन्हें इस कानून को लागू करने का काम दिया गया है उन्हें यह देखना है कि दोषी व्यक्तियों को समय पर दण्ड मिलता रहे। दुर्भाग्यवश होता यह है कि इन समाज-विरोधी लोगों के ऊंचे राजनीतिक क्षेत्रों में सम्बन्ध होते हैं, इसका परिणाम यह निकलता है कि ईमानदार अधिकारियों का स्थानान्तरण किया जा सकता है और यदि आवश्यक हो तो उनका कत्ल भी किया जाता है तथा फिर उनका कोई पता नहीं चलेगा। यही सब कुछ तटीय क्षेत्रों मे, नाजुक क्षेत्रों में, हो रहा है।

इस विधेयक का कोई विरोध नही कर सकता, फिर भी मैं नहीं जानता हूं कि हम इसे क्रियान्वित करने में कहा तक समर्थ हो सकेंगे। क्योंकि हमारा अनुभव यह रहा है कि तस्कर अपने क्षेत्रों में राजा है। किसी दिन सुबह आपको पता चलता है कि वे पकड़े गए हैं और दूसरे दिन सुबह वे रिहा हो जाते हैं तस्करों के बारे में सभी प्रकार के किस्से सुनने में आ रहे हैं, इसलिए मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में बोलते हुए इस बात पर बल देना चाहता हूं कि यह देखने के लिए राजनीतिक इच्छा होनी चाहिए कि यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा समाजवाद के लिए कार्य करे।

श्री वाई० एस० महाजन (जलगांव) : सभापति महोदय, हमारी अर्थव्यवस्था के प्रबन्ध में तस्करी से गम्भीर समस्या पैदा हो रही है। कई वर्षों से यह समस्या बनी हुई है किन्तु हाल ही में इसने व्यापक रूप धारण कर लिया है। मूल अधिनियम इन गतिविधियों को कुछ सीमा तक कम करने में सफल हुआ है, किन्तु हाल ही में 1981 से वर्जित माल में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है, परिणामस्वरूप तलाशियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। वर्ष 1981 में 1,700 तलाशियां की गई थीं। 1982 में 18,867 तथा 1983 में 2,307 इसी तरह जब्त माल का मूल्य 1982 में 60 करोड़ रुपए, 1983 में 89 करोड़ रुपए था और 1984 की पहली छमाही में इसका मूल्य 42 करोड़ रुपए है। इस प्रकार तस्करी की गतिविधियों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप राज्य को प्रति वर्ष 800 करोड़ रुपए की हानि हो रही है।

तस्करी के माल का मूल्य प्रति वर्ष लगभग 8,000 रुपए है, जिस सामान की देश में तस्करी की जाती है उसमें सोना, आभूषण, कीमती कपड़े, हीरे, मूल्यवान रत्न और घड़ियां शामिल हैं। जिस सामान की विदेशों को तस्करी की जाती है वह चांदी तथा वन्य-जीव उत्पाद हैं।

तस्करी के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव बहुत व्यापक हैं। इससे हमारे देश में बड़ी संख्या में उन धनी लोगों की मनोवृत्ति पर प्रभाव पड़ा है जिनकी उनके साथ सांठ-गांठ है। उनकी गतिविधियां हमारे अधिकारियों को भी प्रभावित करती हैं जिसके परिणामस्वरूप कानून को ठीक से लागू नहीं किया गया है। अब यह हमारे देश में लाखों गांवों में फैल गया है। इसलिए हमें इस ओर अत्यन्त गम्भीरता से ध्यान देना चाहिए।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि इसमें मूल अधिनियम के प्रवर्तन में सुधार करने का प्रावधान है। मूल अधिनियम की धारा 9 को अब अधिनियम के अंतर्गत पकड़े गए व्यक्तियों तथा उन क्षेत्रों, जिन्हें पुनः परिभाषित किया गया है, पर भी लागू किया गया है। यह क्षेत्र विशाल हैं। माननीय मंत्री महोदय पहले ही उनका वर्णन कर चुके हैं। इन क्षेत्रों में गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्र गोवा, दमन तथा दीव और पांडिचेरी से जुड़े हुए अन्तर्देशीय सीमाशुल्क समुद्र शामिल हैं, गुजरात, कर्नाटक, और केरल आदि राज्यों तथा उनके निकट के क्षेत्रों के अन्तर्गत भारत के तट से पचास किलोमीटर चौड़ाई के अन्तर्देशीय क्षेत्र स्पष्ट रूप से व्यापक हैं। प्रवर्तन असंतोषजनक क्यों है, इसका यह एक कारण है। पाकिस्तान तथा नेपाल सीमा का मामला लीजिए, वे हजारों मील लम्बी सीमाएं हैं और इसलिए वहां नियंत्रण करना कठिन है।

दूसरी बात यह है कि हमारे प्रवर्तन अधिकारी नवीनतम औजारों से सुसज्जित नहीं होते हैं। जिन लोगों को समुद्र में काम करना होता है, उनके पास बहुत तेज चलने वाली नौकायें नहीं हैं। इस विषय पर हमने लोक लेखा समिति में एक बार विचार किया था और हमें बताया गया था कि असंतोषजनक प्रवर्तन इस कारण है कि उनके पास तेज चलने वाली नौकायें पर्याप्त संख्या में नहीं हैं। न ही उनके पास संचार के पर्याप्त साधन हैं। अतः यदि बेहतर उपकरण उपलब्ध किए जाते हैं तो अधिनियम को और अधिक प्रभावकारी ढंग से लागू करना संभव हो जाएगा।

कानून और व्यवस्था की समस्या की तरह तस्करी एक आर्थिक समस्या है। हम इसे अब तक मुख्यतः कानून और व्यवस्था की समस्या के रूप में लेते रहे हैं, यह मुख्यतः आर्थिक समस्या है। लोग विदेशी वस्तुएं खरीदते हैं क्योंकि उनमें विदेशी माल के लिए बावलापन है, जैसे कि पूर्व उद्योग मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने स्पष्ट किया है। आजादी मिलने से पहले लोगों में यह बावलापन नहीं था। हम सब स्वदेशी पर विश्वास करते थे, अब, मैं यह कह दूं कि यहां तक कि हमारे पार्टी के लोग जो खादी पहनते हैं, किन्तु यदि आप उनके घरों में जायें तो आप वहां उनकी पत्नियों, पुत्रियों और पुत्रों द्वारा खरीदा गया बहुत सा विदेशी माल देखेंगे और वह सामान दिखावे के लिए रखा जाता है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अधिकांश मंत्री खद्दर नहीं पहनते हैं।

श्री वाई० एस० महाजन : हां, उसी बावलेपन के कारण, आपको स्वदेशी विचारधारा का प्रचार करना चाहिए, जैसे कि आपने आजादी से पहले किया था। **(व्यवधान)**

एक दूसरा तथ्य है। हमारी अर्थव्यवस्था के प्रबन्ध में यदि आप हमारे उद्योगों के कार्यकरण में सुधार ला सकें तो उन्हें लागत के प्रति जागरूक बनायें, कीमतों को कम कीजिए और गुणवत्ता में सुधार लाइये। इससे विदेशी वस्तुओं के लिए बावलापन समाप्त हो जाएगा। विदेशी माल और हमारे माल में कीमतों में अन्तर है जिससे ये लोग उस माल को यहां लाने के लिए प्रेरित होते हैं और उसे इस देश में बेचते हैं।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : केवल मूल्य ही नहीं, बल्कि गुणवत्ता में भी अन्तर है।

श्री वाई० एस० महाजन : हां, यदि आप इन बातों पर ध्यान दें तो हमारे लिए उस समस्या से प्रभावकारी ढंग से और व्यापक रूप से निपटना संभव हो जाएगा।

श्री बी० के० नायर (क्विलोन) : महोदय, यह एक महत्वपूर्ण विधान है। आर्थिक अपराध सम्पत्ति आदि लूटने के अपराधों से कहीं ज्यादा गम्भीर और दुःखद होते हैं। इसलिए सम्बन्धित लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने सम्बन्धी कोई भी उपाय काफी नहीं है। इसके साथ मैं यह भी कहूंगा कि उसमें कानूनी कार्यवाही ही अपेक्षित नहीं है। केवल समाज को इस पर विचार करना है। जैसाकि मेरे साथी जोर देकर कह रहे थे कि विदेशी माल के लिए लोगों में बावलापन है जिसके कारण सभी लोग विदेशी साड़ियां और यहां तक कि सोना और वी० सी० आर० (वीडियो कैसेट रिकार्डर) चाहते हैं। इस सम्बन्ध में पार्टी पर आक्षेप लगाया गया था। मेरा विचार इससे भिन्न है। यह पार्टी का प्रश्न नहीं है, हम इस संसद में यह चर्चा करते रहे हैं कि बंगाल में भारी मात्रा में अवैध कोयला खनन कार्य चल रहा है, पश्चिम बंगाल सरकार की मिलीभगत से यह अवैध कोयला खनन कार्य चल रहा है और हजारों टन कोयला पाकिस्तान को भेजा जा रहा है। इसी तरह पटसन के बारे में भी यह बात है।

हमारे पड़ौसी देश नेपाल की सीमा पर देखिए। वहां भी यही हो रहा है, वहां बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है। कुछ दिन पूर्व यह समाचार था कि सीमा पर हथियारों की तस्करी करके अमृतसर भेजा गया था और वहां सीमा सुरक्षा बल (बी०एस०एफ०) के कमांडर को यह शिकायत थी कि उनके आदमी पर्याप्त रूप से सशक्त थे परन्तु वे हमारे देश के भीतर और बाहर सक्रिय लोगों के ऊंचे सम्बन्ध और प्रभाव के कारण आवश्यक कदम नहीं उठा सके। अतः यह एक राष्ट्रीय समस्या है और हम इससे छोटे पैमाने पर नहीं निपट सकते हैं।

भारत को भेजी जा रही तस्करी की वस्तुओं में केवल आभूषण और सोना ही नहीं बल्कि बी० सी० आर० आदि जैसी अन्य मूल्यवान वस्तुयें भी हैं हमारे देश से जिन वस्तुओं की तस्करी करके बाहर भेजा जा रहा है हमें उनकी भी जांच करनी चाहिए। उदाहरण के लिए कलात्मक वस्तु, मूर्तिकला की वस्तुओं, मूर्तियों, जिनकी आप कीमत भी निश्चित नहीं कर सकत है, भारत से तस्करी करके बाहर भेजी जाती हैं। कुछ दिन पूर्व केरल से मूल्यवान खजूर की पत्तियों की आयुर्वेद सम्बन्धी पाण्डुलिपि को बाहर भेजने का मामला सामने आया था। पश्चिम जर्मनी का एक लड़का अथवा लड़की इन पाण्डुलिपियों को बाहर ले जाने का प्रयास कर रहा था। यहां पर दो बातें उठती हैं--- हमारे देश से बाहर ले जायी जा रही वस्तुएं तथा बाहर से वस्तुओं की तस्करी।

अतः इस सम्बन्ध में जो कानून है उसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि सीमाशुल्क विभाग के कर्मचारी निचले स्तर तथा मध्यम स्तर पर दोनों जगह इसमें अन्तर्ग्रस्त होते हैं, वे अपना हिस्सा मौके पर ही ले लेते हैं। यह व्हिस्की की बोतल भी हो सकती है, घटनास्थल पर हिवस्की की बोतल भी हो सकती है। सीमाशुल्क विभाग के कर्मचारियों को एक ही स्थान पर अनुचित रूप से ज्यादा समय तक बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वे इन लोगों के साथ अपने सम्बन्ध बना लेते हैं।

मैं सामाजिक जागरूकता की बात कर रहा था। मैं सुझाव दूंगा कि निर्वाचित संसद सदस्यों तथा विधान सभा सदस्यों के लिए कोई आचरण संहिता तैयार की जानी चाहिए। विधान सभा सदस्यों, संसद सदस्यों को इन लोगों के साथ सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। उन्हें उनकी पार्टियों में शामिल नहीं होना चाहिए, न ही उन्हें इन तस्करों के साथ कोई सम्बन्ध रखना चाहिए। जब कभी ये तस्कर अपने उत्सवों पर शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रित करते हैं तो उन्हें उसमें भाग नहीं लेना चाहिए।

तस्करों को हीरो अथवा रोबिनहूड के रूप में माना जाता है अथवा उन्हें इसकी सज्ञा दी जाती है। क्योंकि तस्कर बहुत अमीर होते हैं इसलिए वे अस्पताल स्थापित करते हैं इसके साथ वे समाज का संरक्षण प्राप्त करते हैं, लोग उन्हें हीरो के रूप में मानते हैं। वे तस्करों की पूजा करते हैं। तस्कर अपने धन से कितना ही समर्थन खरीद सकते हैं। यह समर्थन किसी भी पार्टी का हो सकता है, चाहे वह कांग्रेस (आई) हो या कोई अन्य पार्टी हो, मुझे याद है, केरल में एक तस्कर द्वारा हर पार्टी के

नेता की पुत्री की शादी में 101 स्वर्ण मुद्रायें भेंट की जाती थीं। आमंत्रण मिलने पर वह 101 स्वर्ण मुद्रायें अथवा सोना उपहार के रूप में दिया करता था। इस प्रकार उनको काफी प्रतिष्ठा प्राप्त है।

समाचार पत्र में एक खबर थी। एक तस्कर जेल में रखा गया। उसे किसी दूसरे जेल में स्थानान्तरित किया जा रहा था। सांयकाल के बाद का समय था। उसे रात भर कहीं बन्द रखा जाना था। पुलिस पार्टी, उसके साथ की पार्टी उसे ठहरने के लिए एक पांच सितारा (फाइव स्टार) होटल में ले गई। उसका यहां तक ध्यान रखा गया कि वे उसकी पत्नी को उसके साथ ठहरने के लिए लाए। इन लोगों को देश में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त है।

हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें हमारी हार है क्योंकि हमारी नौकायें और अन्य उपकरण पुराने हैं।

मुझे यह भी पता चला है कि दुबई तथा अन्य देशों में ऐसे शेख हैं, जिनके ऊंचे सम्बन्ध हैं, उनका व्यापार भारत को तस्करी से माल भेजना है।

हमें इन लोगों के साथ बड़ी लड़ाई लड़नी है। जब तक हमारे बक्तरबन्द पूरी तरह से सज्जित नहीं हो जाते, तब तक हम बुरी तरह हारेंगे।

यदि हम इस कानून को पास भी कर दें तो भी, मैं यह कहना चाहता हूं कि समाज इस कानून के लिए तैयार नहीं है।

इन तस्करों को समाज में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कोई भी व्यक्ति अपने को उसके साथ नहीं देखना चाहता है जैसे कि एक माननीय सदस्य ने टिप्पणी की थी। हम दिन में उनकी निन्दा करते हैं परन्तु रात को उनका साथ चाहते हैं। क्योंकि उसके पास ढेर सारा धन होता है। वे धर्मार्थ अस्पतालों और अन्य की स्थापना करते हैं और उसी प्रकार की अन्य बातें करते हैं और इसलिए हीरो बन गये हैं, मेरा सुझाव है मैं कम से कम ठोस सुझाव के रूप में यह कहूंगा कि हमें सम्पूर्ण सीमाशुल्क संगठन का पुनर्गठन करना चाहिए तथा हमें कर्मचारियों को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर बदलना चाहिए, यहां तक कि उन्हें विभाग से बाहर भी नियुक्त करना चाहिए।

अन्त में मैं यह सुझाव दूंगा कि हमें समाज में जागरूकता पैदा करनी चाहिए और हमें कम से कम राजनीतिक प्रतिनिधियों के लिए आचरण-संहिता बनानी चाहिए कि वे तस्करों के साथ सम्बन्ध न रखें अथवा उनके उत्सवों में शामिल न हों।

सभापति महोदय : श्री हरीकेश बहादुर,

श्री हरीकेश बहादुर (गोरखपुर) : महोदय, मुझे कितना समय दिया गया है।

प्रो० मधु दडवते (राजापुर) : समय दिया नहीं जा रहा है। समय लिया जा रहा है।

सभापति महोदय : कभी-कभी न कि हमेशा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : यह तब हो रहा है जब आप पीठासीन हैं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : माननीय सभापति महोदय, हमारे देश में तस्करी बहुत तेजी से बढ़ रही है और माननीय मंत्री जी को इस के बारे में पूरी जानकारी है। कई हजार करोड़ रुपये की तस्करी प्रतिवर्ष होती है और स्थिति यह है कि तस्करों में वे लोग भी शरीक होते हैं जो कि आज हमारे देश के अन्दर बहुत ही सम्मानित स्थानों पर बैठे हुये हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिये उनको जनता ने अवसर दिया है। लेकिन उनकी महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि वे इस प्रकार के कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं और कुछ तो खुद भी उस में लगे हुये हैं।

मेरे यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हमारे इसी सदन में कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध इस प्रकार की चर्चायें हुई हैं और कम से कम शून्य प्रहर के समय कुछ सदस्यों के बारे में यहां पर चर्चा हुई है। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, यद्धपि उनका नाम काफी लिया जा चुका है। यदि में उनका नाम लूंगा तो उस से केवल एक प्रकार की कटुता ही बढ़ेगी, इस लिये इसको ध्यान में रख कर मैं उनके नाम नही लेना चाहता।

अभी कुछ दिन पहले एक भूतपूर्व मंत्री के व्यक्तिगत सहायक पर्सनल एस्सिटेंट ऐक वीडियो सेट ले कर आ रहे थे और उनको पालम ऐअर पोर्ट पर कस्टम अधिकारी ने पकड़ लिया। उसकी काफी चर्चा यहां पर हुई थी। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में ऐक विधायक हैं जिनको पकड़ा गया। वे 20 किलो हिराईन की तस्करी कर रहे थे जो उनके कमरे से बरामद हुई। वे पिछले दिनों गिरफतार थे, पता नहीं अभी छूटे हैं या गिरफतार हैं। उनके बारे में जांच चल रही है।

दुर्भाग्य इन सारी बातों का यह है कि इस प्रकार के जो लोग सार्वजनिक जीवन में ऊंची जगहों पर बैठे हुये हैं, उनमें सत्ताधारी दल से ज्यादा लोग सम्बन्धित हैं, जिन के बारे में लोग आज तक जान सके हैं। ऐसे बहुत से लोग भी होंगे जो दूसरे दलों से सम्बन्धित हों, लेकिन जिरके बारे में जानकारी हो पाई हैं उनमें ज्यादातर लोग ऐसे है जिन का सम्बन्ध सत्ताधारी दल से है। अगर यही स्थिति रहेगी तो देश के उन लोगों की जो देश की व्यवस्था को चला रहे हैं, किस प्रकार.....

श्री गिरधारीलाल व्यास (भीलबाड़ा) : आपने पड़ौसियों से पूछा लो।

श्री हरिकेश बहादुर : व्यास जी, ज्यादा न कहिये, नहीं तो मुझे भी कुछ ज्यादा कहना पड़ेगा।

इस देश में तस्करी रुके—यह बाय सोचने की है और चिन्ता का विषय है। अभी कुछ ही दिन पहले कुछ तस्कर महाराष्ट्र में पकड़े गये, हाजी मस्तान, करीम लाला, वगरह। ये बहुत विख्यात नाम हैं, उनके साथ और भी बहुत से तस्कर पकड़े गये थे, लेकिन उनको कुछ समय बाद रिहा कर दिया गया। जार्ज साहब जब इस पर बोलेंगे तो आप को सही बाद बतलायेंगे कि किस प्रकार उन तस्करों को रिहा किया गया। मैं तो यह चाहता हूं कि मंत्री जी इस बात की जानकारी

सदन को दें कि क्या किसी संसद सदस्य ने उन तस्करों को छोड़ने के बारे में वहां के मुख्य मंत्री को कोई पत्र लिखा था ? अगर उस संसद सदस्य ने लिखा था तो क्या लिखा था और वह कौन से संसद सदस्य हैं ? यद्यपि वह पत्र किसी प्रकार हम लोगों की जानकारी में आ गया है ।

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि किसी संसद सदस्य ने उन तस्करों को छुड़ाने के लिए वहां के मुख्य मंत्री को कोई पत्र लिखा था । यह स्थिति है कि आज तस्करों को छोड़ा जा रहा है जबकि इस के बारे में सरकार के पास पूरी जानकारी है कि ये तस्कर देश की अर्थ-व्यवस्था को अस्थिर बनाने के लिए इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं जोकि राष्ट्र के लिए बहुत ही हानिकारक हैं और इस प्रकार वे राष्ट्रद्रोही के बराबर हैं । इस विधेयक में जो सजा देने की व्यवस्था की गई है, वह मेरी दृष्टि में बहुत ही अपर्याप्त है । इस प्रकार से जो लोग स्मगलिंग कर रहे हैं, उन के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उस के तहत उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए ।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पंजाब के बारे में जो श्वेत-पत्र रखा गया, उसमें कहा गया कि तस्करी के माध्यम से तमाम हथियार स्वर्ण मंदिर में चले आए । अब सवाल यह उठता है कि यह तस्करी कैसे हुई ? जो इन की तमाम मशीनरी है, इन का जो तमाम तंत्र है, वह उस समय क्या कर रहा था । बोर्डर सैक्यूरिटी फोर्स काम कर रही थी बोर्डर पर । उसके बाद मिलट्री काम कर रही थी । सी० आर० पी० एफ वहां भेज रखी थी और लोकल पुलिस वहां पर काम कर रही थी और फिर इनकी इनटेलीजेंस काम कर रही थी । या काम कर रहा था, सेन्ट्रल इनटेलीजेंस ब्यूरो काम कर रहा था, सी० बी० आई काम कर रही थी, लोकल इनटेलीजेंस काम कर रही थी और आप का एक्साइज डिपार्टमेंट काम कर रहा था और नरकोटिक डिपार्टमेंट काम कर रहा था । इस तरह ने 14-15 एजेन्सियां काम कर रही थीं और किसी को पता नहीं चला कि हथियार कैसे आए । यहां पर नेम हुआ, चौगम हुआ, एशियाड हुआ और इन में इस्तेमाल के लिए आपने आधुनिक एलेक्ट्रोनिक इक्युपमेंट्स मंगाए थे, जिन से जांच कर सकें कि कौन क्या ले जा रहा है । वैसे तो बहुत से इक्युपमेंट्स आप ने इमर्जेन्सी के समय 1975 में ही मंगा लिये थे । जब इतनी बड़ी-बड़ी इलेक्ट्रोनिक डिवाइस आप के पास थी, इस के बावजूद तस्करी हो कर इतने हथियार चले आए । तो उन हथियारों की तस्करी रोकने के लिए आपने क्या व्यवस्था की थी ।

आपने जो इतने सारे इक्युपमेंट्स मंगाए थे, उनको अमृतसर जाने वाली सारी सड़कों के किनारे पेड़ों पर लगा दिये होते या कहीं पर उनको इंस्टाल करने की कोशिश किये होते, तो ट्रकों से हो कर जो हथियार जा रहे थे, पता चल जाता कि क्या जा रहा है । अगर अमृतसर जाने वाली तमाम सड़कों पर इन का लगाना आप के लिए संभव नहीं था, तो कम से कम स्वर्ण मन्दिर पर जो सड़कें जा रही थीं, जिस रास्ते से ट्रक जा रहे थे, वहां पर आप इन यंत्रों को लगा सकते थे, इस्तेमाल कर सकते थे । तब आपको पता चल सकता था कि क्या चीज वहां पर जा रही है लेकिन आप की मंशा वास्तव में तस्करी रोकने की नहीं है और पंजाब की स्थिति को बिगाड़ने की आप की मंशा थी और सरकार ने वहां की स्थिति को खुद बिगाड़ा ।

यह तो ऐसी ही बात हुई कि जैसे मैं इस कागज को यहां जला दूं और उस के बाद पानी ला कर आग बुझा दूं और फिर आप से कहूं कि अगर मैं इसे बुझा न दिये होता, तो सारे के सारे सदन में आग लग जाती। इस पर आप हमें यह कहें कि 'आप ने बहुत अच्छा किया जो इसे बुझा दिया'। आपने हम से यह नहीं पूछा कि हमने आग ही क्यों लगाई। तो कहने का मतलब यह है कि आपने तस्करी को बढ़ावा दे कर पंजाब की हालत को इस हद तक बिगाड़ दिया कि वहां पर फौज भेज कर और जिस भी तरह से स्थिति को संभाला। यदि कोई दूसरी भी सरकार होती, तो आज जो वहां पर स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी, उस को भी फौज भेजना पड़ता। सरकार की यह बुद्धिमानी होती कि वह स्थिति को इतना बिगड़ने न देती। जब स्थिति इतनी हद तक बिगड़ गई, तो सरकार की यह नैतिक जिम्मेवारी है कि वह इस्तीफा दे।

2.53 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

तस्करी को बढ़ावा दे कर और तस्करी करा कर सरकार ने वहां पर हथियार पहुंचवाए। इस प्रकार तस्करी के द्वारा केवल देश की अर्थव्यवस्था को ही अस्थिर नहीं बनाया जा रहा है बल्कि तस्करी के माध्यम से राष्ट्र की एकता और अखण्डता को भी क्षति पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है और इस प्रकार की जो ताकतें हैं, उन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। स्थिति यह है कि तस्करी आज हमारे देश के लिए हर तरह से खतरनाक सिद्ध हुई है। देश की अर्थ-व्यवस्था एक तरफ बिगड़ रही है और दूसरी तरफ राष्ट्रद्रोही शक्तियों को तस्करी के माध्यम से इस प्रकार के हथियार वगैरह मिल रहे हैं, जिन से देश की एकता और अखण्डता को खतरा पहुंचने की संभावना है।

यह तस्करी सभी सीमाओं पर हो रही है। यदि किसी राज्य में विरोधी दल की सरकार है तो तस्करी की बात करके आप उस सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं। उस सरकार को देश में बदनाम करते हैं और फिर गिराते हैं। लेकिन इतनी तस्करी राजस्थान की सीमा से हो रही है। तस्करी की वजह से वहां की सरकार को नहीं गिराया गया क्योंकि वह आपके दल की सरकार है। उसको आप बरखास्त नहीं करना चाहते।

आज हालत यह है कि उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहुत तस्करी हो रही है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, गोरखपुर, और उसके बगल के जिलों बस्ती और बहराईच से नेपाल की सीमा लगती है। इन सारी सीमाओं पर भयंकर तस्करी हो रही है। तस्करी के माध्यम से क्या क्या चीजें हैं जो कि नहीं आ रही हैं जिनके बारे में कहा नहीं जा सकता। इस सारी तस्करी के मामले में तस्करों और अधिकारियों की मिली-भगत है। जहां बड़े-बड़े अधिकारियों की इसमें चर्चा की जाती है, वहां मैं यह भी जरूर बता देना चाहता हूं कि अधिकारियों और नेताओं दोनों के संरक्षण में ये तस्कर काम कर रहे हैं। मैंने भारत-नेपाल की सीमा पर हो रही तस्करी की कई बार सदन में चर्चा कर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि गोरखपुर और उसके आस-पास के जिलों में जो तस्करी हो रही है उसको रोकने के लिए सरकार ने कोई भी प्रभावशाली कदम नहीं उठाया है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि तस्करी को रोकने के लिए आप इस विधेयक में जो प्रावधान कर रहे हैं उसका कोई बहुत बड़ा असर तब तक पड़ने वाला नहीं है जब तक कि आप यह फैसला न ले लें कि तस्करी करने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मुकद्मा चलाया जाएगा और उनको वही सजा दी जाएगी जो कि देशद्रोह करने वालों को दी जाती है। तस्करी को देशद्रोह से कम अपराध मानना अपने आप में बहुत बड़ी भूल है। इसलिए मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि देशद्रोह की तरह का तस्करी को अपराध मानकर इस बिल में वैसा ही दंड देने का प्रावधान करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण (संशोधन) विधेयक 1984 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। तस्करी का कार्य अन्तर्राष्ट्रीय चंद सफेदपोश डाकू कर रहे हैं। इसका प्रभाव हर मुल्क की अर्थव्यवस्था पर और उस की सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है।

अभी विरोधी पार्टियों के लोगों ने यह बात कही कि जो तस्करी करने वाले लोग हैं उनके साथ सख्ती से बर्ताव किया जाए। मैं कहना चाहता हूं कि यह जो संशोधन हो रहा है वह इसीलिए हो रहा है। इससे पूर्व सन् 1974 में कांग्रेस सरकार ने ही इस तरह का बिल पास किया था। इसके बाद, चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारी रक्षा व्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ रहा था इसलिए श्रीमती इन्दिरा गांधी ने ही एमर्जेंसी में सारे स्मगलर्स को, चोर, डाकुओं और संग्रहखोरों को जेलों में बंद किया था। उसके बाद इन लोगों ने, मधु दंडवते जी ने जयप्रकाश नारायण का नाम लिया, उनके सामने इन सब तथाकथित देवताओं ने उन तमाम तस्करों को खड़ा कर दिया, खादी की टोपी पहना कर के खड़ा कर दिया और कह दिया कि ये देवता बन गये, धर्मात्मा बन गये, ये ईमानदार के बेटे बन गये। उनके बारे में कह दिया जो कि दिन-रात देश को चूसते थे। ये सारे अपराध इन लोगों ने किए। चाहे हाजी मस्तान हो, चाहे यूसुफ पटेल हो, चाहे बखिया हो, एमर्जेंसी के अन्दर श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सबको बंद किया। क्या ये इस बात को भूल गए हैं ?

आज ये लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर एक एम० एल० ए० ने ऐसा किया। मैं पूछना चाहता हूं इन विरोधी पार्टियों के लोगों से क्या यह कांग्रेस की सरकार नहीं थी जिसने कि अपने एम० एल० ए० को भी अपराधी पाकर गिरफ्तार किया और उसे जेल में बंद कर दिया ? इस बात के लिए ये हमारी सरकार को दाद क्यों नहीं देते ? अगर हमारी पार्टी में कोई गद्दार है या अपराधी है तो हम उसे नहीं छोड़ते हैं।

ये कहते हैं कि मन्त्री ने पत्र लिखा कि सख्ती करो और वहाँ पर चंद लोग गिरफ्तार हुए। जब भिवण्डी में कांड हुआ, उसके दो-तीन महीने पहले कुछ लोग गिरफ्तार हुए। उनमें कुछ तस्कर भी गिरफ्तार किये गये जिनको कि छोड़ दिया गया।

3.00 म० प०

मैं इन पढ़े लिखे लोगों को क्या कहूं। बुद्धि का ब्रह्मचारी कहूं या क्या कहूं। आज जो

तस्कर दो तीन महीने पहले गिरफ्तार हुए हैं वे इसलिए गिरफ्तार हुए हैं कि वहां पर हुए सांप्रदायिक दंगों में उनको संबंधित पाया गया। इनको तस्करी में नहीं पकड़ा गया था। जो लोग तस्करी में पकड़े गए हैं उन पर केस चल रहे हैं। कई लोग बंद हैं। आज ये कहते हैं कि हाजी मस्तान को छोड़ दिया। हाजी मस्तान को सांप्रदायिक दंगों के संबंध में पकड़ा गया था। वे उन दंगों से संबंधित थे। उन पर और शिव सेना के लोगों पर कार्यवाही हो रही है। इनको इस बात की दाद देनी चाहिए कि हम कार्यवाही कर रहे हैं। लेकिन ये इस तरह की बात कर रहे हैं। यह कानून क्यों लाया गया है, इसलिए कि उनसे सख्ती से निपटा जाए, क्योंकि देश की अर्थ-व्यवस्था पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूं। तस्कर लोग माल ले जाते हैं, कम या ज्यादा, उसकी यहां चर्चा भी होती है लेकिन यहां जो व्यक्ति बैठे हुए हैं और देशभक्ति का दावा करते हैं, वे यहां से विचार ले जाकर पड़ोस के पाकिस्तानी तानाशाह को पहुंचाते हैं और उनके विचार यहां लाते हैं। यह बहुत बड़ी भयंकर तस्करी है जो विरोधी पार्टी के तमाम लोग करते हैं। आज ये यूसुफ पटेल का, हाजी मस्तान और बखिया का नाम ले रहे हैं। विरोधी पार्टी के लोग, सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने चर्चा को शुरू किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सैनिक तानाशाह के पास, जहां लोकशाही स्थापित नहीं की गई है, उनके पास जाने का क्या कारण था। वहां से विचार लेकर उनकी वकालत करने का क्या कारण था। जार्ज फर्नांडिस यहां बैठे हुए हैं। ये भी सैनिक तानाशाह से मिलने गए थे। बीजू पटनायक, राम जेठमलानी, ये सब उनसे मिले हैं। यह भयंकर राजनीतिक तस्करी हो रही है। इलेक्ट्रानिक्स और सोने-चांदी की तस्करी से ज्यादा भयंकर यह राजनीतिक तस्करी है।

उन तस्करों को बचाने का काम कौन कर रहा है। विरोधी पार्टी के लोग कहते हैं कि उनकी रूलिंग पार्टी के, कांग्रेस (आई) पार्टी के लोग मदद कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि सारे हिन्दुस्तान के पढ़े लिखे लोगों से, किसी भी नौजवान व्यक्ति से पूछिए कि स्मगलरों की वकालत करने वाला वकील कौन सा है तो हर व्यक्ति यही कहेगा कि राम जेठमलानी, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष, वे ही उनकी वकालत करते हैं और उनको छुड़ाते हैं। इन लोगों ने, जार्ज फर्नान्डिस वगैरह ने जनता पार्टी के शासन में ××

इसका प्रमाण हमारे पास है। आप अगर समय दें तो मैं बता सकता हूं कि ये कब उनसे जाकर मिले और क्या कार्यवाही हुई। उपाध्यक्ष महोदय, समय बहुत कम है। इसलिए मैं अब कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

पहला सुझाव यह है कि जो भी व्यक्ति पकड़े जाते हैं, उनके बारे में भाषा की समस्या आती है। कोर्ट में केस चलता है और वे छूट जाते हैं क्योंकि वो अरबी, फारसी भाषा के होते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि भारत सरकार इस तस्करी को रोकने के लिए विशेष अदालतों की

×× कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

व्यवस्था करे और इसके अंदर जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, हिन्दी और अंग्रेजी की उनको वहां पर सुविधा दी जाए।

दूसरी बात यह है कि जो पार्लियामेंट के मेम्बर हैं, अगर वे उनकी वकालत करने के लिए फार्म पर हस्ताक्षर करते हैं तो उनको पार्लियामेंट का मेम्बर नहीं बनने दिया जाए। चाहे वे जेठमलानी जी हों या हमारी पार्टी के कोई व्यक्ति हों। इसके अलावा आयात-निर्यात की नीति के बारे में भी व्यावहारिक कदम उठाने की आवश्यकता है।

इसके अलावा कस्टम अधिकारियों को जो सुविधाएं दी जाती हैं वे अपर्याप्त हैं। राजभाषा समिति के तहत हमें जांच करने का मौका मिला है। उनके पास पूरे साधन उपलब्ध नहीं हैं। अच्छे हेलीकाप्टर नहीं हैं। सरहद पर जीपों और ऊंटों की उचित व्यवस्था नहीं है और आधुनिक साधनों की कमी है, जिससे वे उनको पकड़ने में सशक्त नहीं हो पाते हैं। इन साधनों को जुटाना आवश्यक है।

इसके अलावा हमने देखा है कि कस्टम अधिकारी जिन मुश्किलों में काम करते हैं। किन परिस्थितियों में ये इन शैतानों के साथ संघर्ष करते हैं। उनके साथ रात दिन मौत से खेलते हैं। इन को रिहाइश की पूरी सुविधाएं भी नहीं दी गई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे हुडको इत्यादि के द्वारा उनके लिए रिहायशी कालोनियों का निर्माण कराएंगे।

विशेष अदालतों के अभाव में किसी भी कानून का लाभ होने वाला नहीं है। इस बारे में मंत्री महोदय बताएं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बिल का हृदय से समर्थन करता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : उपाध्यक्ष महोदय, यदि कोई सदस्य आरोप लगाता है कि किसी सदस्य ने हाजी मस्तान को रिहा करवाया है और × × मैं समझता हूं यह बेबुनियाद बात है। मैं समझता हूं सदस्य को एक पत्र पीठासीन अधिकारी को अग्रिम रूप से देना चाहिए कि वह ऐसा कहेंगे।

आचार्य भगवान देव : मैंने नाम नहीं लिया है। मैंने तो सिर्फ जनरल बात कही है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, आप रिकार्ड देखें।

आचार्य भगवान देव : मैंने तो यह कहा है कि वह पाकिस्तान के जनरल जिया से मिले हैं।

(व्यवधान)

× × कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० मधु दंडवते : इन्होंने हिन्दी में यह कहा है कि जार्ज फर्नान्डीज ने हाजी मस्तान और दूसरों को छोड़ दिया था, जब वह सरकार में थे और ××

···(व्यवधान)

आचार्य भगवान देव : मैंने ऐसा नहीं कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड देखूंगा।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०एम० कृष्ण) : महोदय, आचार्य भगवान देव के प्रभावकारी हस्तक्षेप करने से मेरा बोझ काफी कम हो गया है—कम से कम इसे इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रखने का बोझ कम हुआ है।

महोदय, चर्चा में राजनीति दलों, संसद सदस्यों और सरकार के विरुद्ध अनेक गंभीर आरोप लगाए गए ? उन विचारों पर अनुचित रूप से पक्षपात रहित ढंग से देखते हुए मैं डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी के भाषण से आरम्भ करूंगा। उनका मूल संदेह था कि तस्करों के विरुद्ध लड़ने वाला संपूर्ण संचालन अथवा सरकार के संपूर्ण निवारण तंत्र को किसी वस्तु विशेष अर्थात् चुनाव को ध्यान में रख कर कार्य कर रहा है। कम से कम उनका मतलब यह है कि देश और सभा का यही निष्कर्ष हो।

महोदय, डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने पूछा कि उनमें से कितने रिहा किए गए हैं। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम की अंतर्गत लोगों को पकड़ना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष समय के बाद बन्द नहीं रखा जा सकता तथा उन्हें उस समय के अंत तक रिहा किया जाना होता है। लेकिन मैं डा० स्वामी को आश्वस्त कर सकता हूं कि देश में गत बड़ी कार्यवाही के दौरान जिन्हें हिरासत में लिया गया है, उनमें से किसी को भी रिहा नहीं किया गया है और किसी को भी रिहा नहीं किया जाएगा। उनके सभी मामले उचित अनुवर्ती कार्यवाही के लिए सलाहकार बोर्ड को प्रस्तुत किये जायेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी को विदेशी मुद्रा निधि के बारे में भी संदेह है और उस संबंध में उन्होंने डालर की शक्ति का उल्लेख किया। डालर की शक्ति पर कौन शंका कर सकता है ? डालर की तुलना में सोने का मूल्य गिर रहा है। डालर की तुलना में स्टरलिंग का मूल्य गिर रहा है, डालर की तुलना में येन का मूल्य गिर रहा है। अत भारतीय रुपया डालर की तुलना में गिर रहा है, तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है। क्या डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी भारत सरकार को यह सुझाव देने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा आर्थिक दृष्टिकोण वही होना चाहिए जो अमरीका में राष्ट्रपति रीगन का है ? हालांकि उनका कहना ठीक है कि डालर का मूल्य बढ़ रहा है। परंतु मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि डालर का मूल्य विश्व में प्रत्येक करेन्सी की तुलना में बढ़ रहा है और हम इसके अपवाद नहीं हैं।

××कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अब, भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) ने इसे प्रजातंत्र-विरोधी, सत्तावादी कहा है तथा यह भी कहा है कि तस्करी गतिविधियों का सामना करने की हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है और हमारे साथी ने यह दोष लगाकर हमें पूरी तरह से निरस्त्र कर दिया है, नि:संदेह पश्चिम बंगाल में जो दावा किया गया है वह यह है कि एक सदस्य ने पीठासीन अधिकारी को यह बताया कि वे सब पकड़े गये हैं और उन्हें दंड दिया गया है, वे सभी तस्कर जो पश्चिम बंगाल में तस्करी गतिविधियों में रत् हैं, पकड़े गए हैं और उन्हें दंड दिया गया है और पश्चिम बंगाल में अब एक भी तस्कर बाकी नहीं है तथा यह उनका तर्क है जिससे वे देश को और इस सम्मानीय सभा को भ्रम में डालना चाहते हैं। लेकिन मैं इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकता और इसके साथ-साथ उन्होंने भारत सरकार पर आक्षेप करने का दु:साहस किया है। भारत सरकार ने तस्करों के विरुद्ध ऐसे कड़े उपाय किये हैं और सत्तारूढ़ मार्क्सवादी पार्टी के पश्चिम बंगाल के संसद सदस्य द्वारा इस प्रकार का असाधारण वक्तव्य देकर राजनैतिक इच्छा शक्ति न होने का आरोप लगाया है। तथा उन्होंने यह दोष लगाने की भी धृष्टता की है कि तस्करों ने बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमीटी के अधिवेशन में सहायता की। जैसे कि हमारा और कोई सहारा न रहा हो, और बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमीटी का अधिवेशन करने के लिए हम तस्करों पर ही निर्भर थे। इस प्रकार के दोषारोपण करते समय हमें कुछ तो गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए।

अब संपत्ति की जब्ती के बारे में यह बात है कि यह एक कठिन प्रक्रिया है। केवल चाहने से ही जब्ती को समाप्त नहीं किया जा सकता है। 1974 से जब पहली बार श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा अपने प्रधानमंत्री पद पर अपने पहले कार्यकाल में इस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था कुछ अनुवर्ती कार्यवाही की गई है और 38.83 करोड़ रुपये के मूल्य की संपत्ति के 2420 मामलों में से इस समय तक सरकार द्वारा 30.80 लाख रुपए के मूल्य की संपत्ति को अधिकार में ले लिया गया है। शेष अन्य 37 करोड़ रुपए विभिन्न मामलों में विभिन्न न्यायालयों, विभिन्न न्यायाधिकरणों में अटके हुए हैं और सभा भारत सरकार को दोषी मानती है तथा यह भूल जाती है कि इस देश में न्यायिक प्रक्रिया कई बार दुर्भाग्यवश इतना लम्बा समय ले लेती है।

महोदय, कुछ राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्रों ने आर्थिक अपराधों की बढ़ती संख्या के बारे में चिन्ता प्रकट की है। कुछ राज्य सरकारों ने कुछ विशिष्ट केन्द्रीय अधिनियमों के संबंध में विशेष न्यायालय स्थापित किए हैं और मुझे यह बताने में बहुत प्रसन्नता है कि आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ने आर्थिक अपराधों संबंधी मामलों के लिये विशेष न्यायालय स्थापित किए हैं तथा महाराष्ट्र और दिल्ली प्रशासन ने भी विशेष न्यायालय स्थापित किये हैं, किन्तु मुझे इस सूची में पश्चिम बंगाल का नाम नहीं दिखाई देता। मेरे विचार से वहाँ इस प्रकार के कोई अपराध नहीं हो रहे हैं। महोदय, श्री फैलीरो ने आर्थिक अपराधों के संदर्भ में न्यायपालिका के साथ बातचीत करने की बात के बारे में कहा है।

इस सभा के विचाराधीन विधेयक की परिधि बहुत सीमित है और मैं उस संवाद के बारे में, जिसे वे चाहते हैं, टिप्पणी करके खतरा मोल नहीं लेना चाहता हूं। किन्तु मैं यह कह सकता हूं कि न्यायालयों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और हम इस सभा में पारित किए गये कानूनों के सामाजिक पहलुओं की ओर ध्यान देते भी हैं।

श्री पासवान ने 'नवभारत टाइम्स' और उसमें दिए गए विज्ञापन के बारे में उल्लेख किया है, दिल्ली में दिल्ली परिवहन की बसों में हम कैन्सर आदि जैसी घातक बीमारियों से संबंधित सभी प्रकार के विज्ञापन देखते हैं और डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने भी घरेलू उड़ानों में विज्ञापनों के बारे में उल्लेख किया है। संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के अनुसार हम इस देश में किसी भी उत्पाद के विज्ञापन पर रोक नहीं लगा सकते हैं, इसे विधि मंत्रालय के परामर्श के साथ भी इस पर विचार किया गया था और विधि मंत्रालय ने हमें सुझाव दिया है कि किसी विज्ञापन पर रोक लगाना अथवा उनको बन्द करना उत्पादकता-विरोधी कार्य होगा।

अपील न्यायाधिकरण स्थापित किया गया है। तस्करों के बारे में न्यायालयों में अनेक मामले हैं और सरकार ने समय-समय पर इसके लिए उपाय किए हैं।

सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही न करने का उल्लेख किया गया है।

इस संबंध में अनेक सदस्यों ने सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क अधिकारियों की सेवाओं और उनके प्रयासों की सराहना की जो तस्करों से निबट रहे हैं। उन्होंने इन अधिकारियों की सुरक्षा के बारे में भी चिंता व्यक्त की है। सरकार ने सुरक्षा संबंधी सवाल को भी ध्यान में लिया, परन्तु साथ ही कुछ सदस्यों ने इस बात की आलोचना की है कि कुछ मामलों में सीमा-शुल्क अधिकारी तस्करों से सांठगांठ रखते हैं। सीमा शुल्क के फील्ड कर्मचारियों की निरन्तर सतर्कता के कारण वर्ष 1983 में तस्करी गतिविधियों से संबंधित होने के कारण लगभग 41 सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया और लगभग 43 लाख रुपये मूल्य का माल जब्त किया गया। वर्ष 1984 में गत चार महीनों के दौरान पुलिस विभाग के एक कर्मचारी, विदेशी विमान सेवा कम्पनियों के एक, और एक अन्य विभाग से संबद्ध पांच कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया और इसमें 26 लाख रुपये मूल्य का माल अन्तर्ग्रस्त था। सीमा-शुल्क और उत्पादन शुल्क विभाग के चार अधिकारियों को भी विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। यह इस बात को सिद्ध करने के लिए है कि यदि सीमा-शुल्क के किसी अधिकारी अथवा फील्ड कर्मचारी को तस्करों से मिले हुये पाया गया वहां पर सरकार कठोरता से कार्यवाही करने से पीछे नहीं हटी है और उन लोगों को गिरफ्तार किया गया अथवा विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई।

प्रारंभिक वक्तव्य में जैसा कि मैंने कहा कि मात्र विधान से ही तस्करी को नहीं

रोका जा सकता। हमें सामान्य तौर पर लोगों के विशेष रूप से संसद सदस्यों का स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करना है जिससे इस खतरे को उसके सही परिप्रेक्ष्य में देखा जा सके तथा मुझे आशा है कि इस सभा और देश की जनता के सहयोग से हम तस्करी के इस खतरे पर व्यापक नियंत्रण रख सकेंगे।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : सीमाशुल्क विभाग के कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा के बारे में क्या किया गया है।

श्री एस० एम० कृष्ण : जहां सक संभव हो, सरकार ऐसा चाहती है और हमने दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, बंबई आदि जैसे बड़े शहरों में अपने सीमा-शुल्क अधिकारियों को आवास उपलब्ध कराने की कोशिश की है। हम राज्य सरकारों से भी इस संबंध में संपर्क बनाये हुए हैं जिससे उनकी आवास संबंधी तथा अन्य समस्याओं का हल हो सके ;

इन शब्दों के साथ मैं सभा से इस विधेयक की सिफारिश करता हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में इस बात को अस्वीकार नहीं किया है कि तस्करी बढ़ गई है। मैंने इस संबंध में कुछ आंकड़े दिये हैं और कहा है कि बंबई के जानकार सूत्रों के अनुसार गत वर्ष के दौरान 7000 करोड़ रुपये की तस्करी हुई थी। वर्ष 1974 से विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के बावजूद तस्करी में कोई कमी नहीं आई है अतः, सवाल यह है कि इस संशोधन से सजा और आधार बताने के बारे में क्या परिवर्तन होगा? इससे तस्करी को रोकने में कितनी मदद मिलेगी। उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है।

दूसरी बात यह है कि यदि आप कानून के कार्यकरण से असन्तुष्ट हैं, तो वह कोई ठोस सबूत दें कि वर्तमान कानून उपयुक्त क्यों नहीं है। क्योंकि 1974 में दिये गये वक्तव्य के अनुसार, उस समय यह कहा गया था कि यह कानून पर्याप्त है और उन्होंने स्वयं अपने बचाव में कहा था कि इसका प्रभाव निवारक होगा इसका कोई निवारक प्रभाव नहीं हुआ है। मैंने उन न्यायिक मामलों के बारे में पूछा जिसमें गिरफ्तारी संबंधी आदेशों को अवैध घोषित कर दिया गया था। उन्हें हमें उसकी एक सूची देनी चाहिये। मेरे विचार में यदि आप उन्हें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गिरफ्तारी संबंधी आदेशों को मामूली से कारणों से अवैध घोषित कर दिया गया और ऐसा लगता है कि इसके संबंध में कुछ मिलीभगत रही है।

तीसरी बात यह है कि उन्होंने विदेशी मुद्रा के संबंध में सभा को गुमराह करने की कोशिश की है। सबसे पहले उन्होंने इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया है कि शुद्ध भंडार वर्ष 1979-80 के 7.6 बिलियन डालर से घटकर 1.6 बिलियन डालर रह गया है। उनके शासन के 5 अथवा 4½ या 4.3/4 वर्षों में 6 बिलियन डालर कम हो गये हैं। मामला यह नहीं है। मामला रु० से संबंधित है जिसकी विनियम दर येन, मार्क अथवा स्टेर्लिंग की तरह स्वतंत्र और अल्पकालिक नहीं है जो एक बंधी हुई मुद्रा है तथा डालर की तुलना में प्रतिकूल प्रवृत्ति प्रदर्शित कर रही है। कई अन्य मुद्राओं से जुड़े रुपये का मूल्य घट रहा है। इस प्रकार आप पर विश्व की दोनों परिस्थितियों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है (क) क्योंकि आपने हर तरह के कृत्रिम प्रतिबंध लगा रखे हैं, लोग रुपये

को दूसरी मुद्राओं में नहीं बदल सकते और (ख) विनिमय दर में भी गिरावट आ रही है। जब आप विनियम दर में आने वाली गिरावट पर नियंत्रण रखने में असमर्थ हैं, तो विदेशी मुद्रा के लिए जुड़ी दर रखने का क्या लाभ है ?

महोदय, अन्त में सरकार की ये नीतियाँ तस्करी को प्रोत्साहित करती हैं और हर मामले में ऐसा होता है। वे जो प्रतिबंध या कर लगाते हैं उन सबसे तस्करी को बढ़ावा मिलता लगता है। मैं नहीं जानता कि भारत में, एक टेलीविजन सैट का मूल्य हांककांग अथवा जापान में सैट की तुलना में चार गुना अधिक क्यों होता है। इसका कारण कर-प्रणाली और कई अन्य बातें हैं। कर प्रणाली ऐसी बनाई जाती है जिससे तस्करी को प्रोत्साहन मिलता है। इसलिये भारत में तस्करी का कारण यह नहीं है कि उस पर नियंत्रण रखने हेतु उनके पास कानून नहीं हैं ; परन्तु आर्थिक नीति ही ऐसी है जो गतिविधि में बहुत ही लाभदायक है। इसलिए संशोधन का कोइ अर्थ नहीं है और मैं इसका विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 13 जुलाई, 1984 को प्रख्यापित विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अध्यादेश 1984, (वर्ष 1984 का अध्यादेश संख्या 8) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

" कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़े गये।

खंड 1

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री एस० एम० कृष्ण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, तस्करी का मामला दिन-प्रतिदिन हमारे देश में बढ़ता जा रहा है, जिसकी चर्चा यहां हुई है। बिहार और नेपाल के बीच में जो तस्करी चल रही है, उसकी तरफ मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मालूम नहीं, किसी सदस्य ने मंत्री महोदन का ध्यान उस तरफ दिलाया है या नहीं। नेपाल से बिहार के रास्ते से हमारे देश में बड़े पैमाने पर गांजे का स्मगलिंग होता है। हमारे देश में गांजा पीने वालों की तादाद बहुत बड़ी है। नेपाल में गांजा बहुत सस्ता मिलता है। तस्कर उसको नेपाल से बिहार के जरिये हिन्दुस्तान में लाते हैं। इस व्यापार में बहुत से राजनैतिक नेता भी लिप्त हैं। अगर सरकार पता लगाए, तो उसको मालूम होगा कि बहुत से राजनीतिज्ञ भी गांजे का व्यापार करते हैं। समय समय पर उनकी जीपें और कारें पकड़ी जाती हैं, जिनमें वे लोग गांजा भर कर लाते हैं। उनमें सत्तारूढ़ दल के लोग भी हैं—बल्कि ज्यादा लोग सत्तारूढ़ दल के ही हैं। सरकार को पता लगाना चाहिए कि नेपाल से कितना बड़ा तस्करी का व्यापार होता है।

सिर्फ गांजा ही नहीं, नेपाल से स्टील के बर्तन, कपड़े, कलम और घड़ियां आदि बहुत से सामान बहुत बड़े पैमाने पर हमारे देश में लाए जाते हैं। तस्करी को रोकने वाला जो सरकारी विभाग है, वे लोग भी तस्करी में उन लोगों की मदद करते हैं। सरकार इस बारे में सख्ती करे और दोनों देशों के बीच गांजे और दूसरी चीजों की जो तस्करी होती है, उसको बन्द करे।

मंत्री महोदय ने संसद्-सदस्यों से मदद मांगते हुए कहा है कि केवल कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। यह ठीक है कि केवल कानून से कोई काम नहीं होता है, बल्कि जन-भावना और जन-चेतना भी जगानी पड़ती है। इस काम में मंत्री महोदय का संसद-सदस्यों से मदद माँगना जायज भी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि बहुत से संसद्-सदस्य विदेश जाते हैं और जब वे लौटते हैं, तो क्या उनकी भी कोई खोज-खबर ली जाती है कि वे कोई सामान लाते हैं या नहीं। वी. आई. पी. और संसद्-सदस्य के बक्स को कोई खोल नहीं सकता। लेकिन कभी उन्हें खोल कर तो देखना चाहिए कि वे क्या सामान लाते हैं। तब सरकार को पता चलेगा कि कानून बनाने वाले जो हम लोग हैं, हममें भी ऐसे बहुत से लोग हैं, जो तस्करी का सामान ले आते हैं। विदेशों में सस्ती चीजें

बिकती हैं और वे लोग अपने बैगेज या बक्स में उन्हें बन्द करके ले आते हैं। कोई उसको देखता नहीं है। अगर हम संसद्-सदस्य भी इस तरह का काम करते हैं, तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए।

जहां तक सजा का सम्बन्ध है, क्या हिन्दुस्तान में मामूली सजा से तस्करी रुकने वाली है ? जो ढाई या तीन हजार बड़े-बड़े तस्कर हैं, क्या वे दो चार महीने की कैद की सजा से मानने वाले हैं ? उनको तो मुसलसल लम्बी अवधि तक जेल में रखा जाए।

आचार्य भगवान देव : इमर्जेन्सी की वकालत कीजिए।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं इमर्जेन्सी की वकालत नहीं करता हूं। लेकिन उन लोगों के साथ कोई मुरव्वत नहीं होनी चाहिए; क्योंकि वे बहुत बड़ा अपराध करते हैं, कानून के खिलाफ काम करते हैं। इस लिए उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, तब तस्करी रुकेगी। उन लोगों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ये लोग उनके साथ दोस्ती करते हैं और सम्भवतः दुनिया को दिखाने के लिए यह कानून बना रहे हैं। लेकिन भीतर ही भीतर इन लोगों की उनके साथ मिली-भगत और सांठ-गांठ रहती है। यह काम बन्द करना चाहिए। सरकार कानून को और सख्त बनाए और उसको सख्ती के साथ लागू करे, ताकि इस सम्बन्ध में जितने नाम लिए जाते हैं—यूसुफ पटेल, बखिया और हाजी मस्तान आदि, ये जेल में बन्द रहें और लोग यह समझें कि ये अपराध-कर्मी हैं और समाज के विरुद्ध काम करते हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) उपाध्यक्ष महोदय,मैं मंत्री महोदय की अपील की पुष्टि करता हूं जिसके माध्यम से उन्होंने तस्करी से निबटने से संबंधित इस कानून को लागू करने में सरकार को विशेषकर प्रशासन को सहयोग देने के लिये संसद सदस्यों से कहा है। मैं विपक्ष की उत्कंठा को भी समझता हूं जिससे कि वे इस तरह के किसी विधान के प्रति सतर्कता बरतने और अधिक निवारक कार्यवाही करने तथा इस तरह की अन्य सरल कार्यवाही करने के लिए सामान्य नियम से परे हट जाते हैं।

परंतु हमारे जैसे देश में तस्करी जैसे अपराध की बात जब आती है और सरकार इस तरह के प्रस्ताव लेकर आती है, तो विपक्ष को सरकार के प्रति अधिक सहनशीलता बरतनी चाहिए। सरकार क्या करना चाहती है ? सरकार दंड की मात्रा को कम करना नहीं चाहती, गिरफ्तारी की अवधि को भी घटाना नहीं चाहती ? यह तो इनको बढ़ाना चाहती है। क्यों ? इसका कारण यह है कि सरकार को इस खतरे का सामना करना है जो दिन प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा है। यदि ऐसे अपराधों की ही मात्रा कम हो रही होती तो विपक्ष के रवैये को समझा जा सकता था। यदि सरकार इस तरह का कोई नया विधान लेकर आए तो यह निश्चित है कि विपक्ष इसका विरोध करसकता है कि आप जनता को सजा क्यों देना चाहते हैं, आप इस तरह का अपराधिक कानून संविधान में क्यों

बनाना चाहते हैं जबकि अपराध कम होने लगे हैं ? दूसरी तरफ, जब सरकार स्वयं कहती है कि यह समस्या है, इस तरह के सामाजिक अपराध बढ़ रहे हैं और वह इस तरह का विधेयक पेश करती है, तो क्या विपक्ष से ऐसी अपेक्षा रखना उचित नहीं होगा कि विपक्ष सरकार को अपना सहयोग दे और विपक्ष के हो-हल्ले के बजाय सरकार चाहती है कि विपक्ष एक से दूसरे का अन्तर समझे, ऐसा करने के स्थान पर केवल चिल्लाना और फिर यह कहना कि सरकार कानूनों को समुचित रूप से कार्यान्वित करने में विफल होते हुए भी अधिक से अधिक शक्तियां प्राप्त करना चाहती है और उन्हें गलत लोगों पर लागू करती है। मेरे विचार में यह कोई उचित दृष्टिकोण नहीं है। अफसोस की बात है कि यह समस्या बहुत ही संगीन और दुखदायी हो गई है और हमारे सामाजिक जीवन को इसने जकड़ लिया है।

यूरोपीय देशों को देखिए। उन्होंने अपने लोगों के लिए हमारी तुलना में तस्करी करने का बहुत ही कम अवसर रखा है। नेपाल को ही देखें। नेपाल की शिकायत क्या है जो अव्यक्त है। और उसी कारण से तथा विभिन्न अन्य कारणों से नेपाल और भारत के बीच के संबंध उतने अच्छे नही हैं।

इसी कारण से हमारी कार्यपालिका इस तरह के खतरे को बढ़ने से रोकने की कोशिश करती है। चीनी वस्तुएं तथा विश्व के अन्य देशों में बनाई गई वस्तुएं नेपाल में बड़ी मात्रा में आ रही हैं, हम उन्हें रेल, सड़क की सुविधाएं उपलब्ध कराने को बाध्य हैं। ये सभी सामान नेपाल पहुंचता है और नेपाल से हमारे देश में आने लगता है। हमें इस तस्करी के सामान के बहाव को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। अतः स्वाभाविक रूप से ऐसे सैकड़ों लोग नेपाल में हैं, कोई जरूरी नही कि वे सभी के सभी नेपाली ही हों, वे किसी भी देश के हो सकते हैं। परन्तु वे वहां पर रह रहे हैं। वे इस खतरनाक व्यापार में रुचि रखते हैं परन्तु उन्हें उनका नुकसान होता है। उन नेपालियों का भी नुकसान होता है जो अपनी समृद्धि चाहते हैं और वे हमारे विरुद्ध अपराध करते हैं। बांग्लादेश और हमारे देश के बीच की स्थिति भी इसी प्रकार की है और यही कारण है कि हमारे देश में इस खतरे ने एक विशेष रूप धारण कर लिया है। तथा हम इस पर चर्चा करने को बाध्य हैं। और जब कभी और जहां भी कोई कार्यवाही की जाती है, तो क्या विपक्ष के लिये ऐसा करना उचित होगा कि वह सरकार का विरोध करने लगे ? सरकार ने क्या प्रस्ताव रखा है ? वह कहती है कि गड़बड़ी है और वह बढ़ रही है। इसलिये, गिरफ्तारी की अवधि पर्याप्त नहीं है। हम उसे बढ़ाना चाहते हैं। हम उसमें वृद्धि करना चाहते हैं। विपक्ष कह सकता है कि आप न्यायालय में जा सकते हैं। हम सब जानते हैं कि न्यायालयों में बहुत अधिक समय लगता है हालांकि ऐसा कहना न्यायालयों पर आरोप लगाना नहीं है, परन्तु यह सच है। परन्तु विलम्ब को रोकने तथा अनिश्चयता को समाप्त करने हेतु हम इस कानून को पारित करना चाहते हैं, अतः मैं विपक्ष को आश्वासन देता हूं और एक संसद सदस्य के रूप में अपने को भी आश्वस्त करता हूं कि सरकार गल्त काम कोई नहीं

कर रही है और सरकार एक तरफ देश की सहायता करने की कोशिश करती रही है तथा यह देश के किसी व्यक्ति अथवा समूह के नागरिक अधिकारों के खिलाफ नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय,

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : गैर-सरकारी सदस्यों संबंधी कार्यवाही के बारे में क्या हुआ ? इसे सोमवार को लिया जा सकता है। यदि इसे सोमवार को लिया जाये, तो हर्ज क्या है। आप गैर-सरकारी सदस्यों के समय पर अतिक्रमण कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह समय दिया जायेगा । गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिये ढाई घंटे का समय दिया जायेगा ।

श्री जी० एम० बनातवाला : आप सिर्फ हमें कार्यवाही की सूची दे देते हैं ।

श्री एस० एम० कृष्ण : भारत और नेपाल के बीच भारत नेपाल द्विपक्षीय व्यवस्था है और सरकारों के बीच आपसी विचार-विमर्श हुये हैं और दोनों सरकारें इस तरह की गतिविधियों को रोकने के बारे में प्रयत्नशील हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

3.36 म० म०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
79 वां प्रतिवेदन

श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन (करूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 8 अगस्त, 1984 को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के 79 वें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 8 अगस्त, 1984 को सभा में प्रस्तुत किये गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के 79 वें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक लेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज।

3.37 म० प०

विधेयक

(एक) बाल श्रमिक नियोजन विनियमन विधेयक

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बालश्रमिक नियोजन को विनियमित करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बाल श्रमिक नियोजन को विनियमित करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

(दो) धार्मिक स्थानों का दुरुपयोग रोकना विधेयक

श्री बी० वी० देसाई (रायचूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि धार्मिक स्थानों का दुरुपयोग रोकने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि धार्मिक स्थानों का दुरुपयोग रोकने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बी० वी० देसाई : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

(तीन) भारतीय पेंशन विधेयक

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को, अथवा उनके आश्रितों को, उनके स्वेच्छापूर्वक अथवा अन्यथा सेवानिवृत्त होने पर अथवा "सरकारी" कर्मचारी की मृत्यु होने पर, देय पेंशन, उपदान और मंहगाई भत्ते की मंजूरी संबंधी कानून को समेकित करने तथा उसमें संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को अथवा उनके आश्रितों को उनके सेवानिवृत होने, स्वेच्छापूर्वक अथवा अन्यथा पर अथवा सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर देय पेंशन, उपदान और महंगाई भत्ते की मंजूरी संबंधी कानून को समेकित करने और उसमें संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो० मधु दंडवते : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

(चार) धर्म के नाम पर भूमि पर अधिक्रमण की समाप्ति विधेयक

श्री बी० वी० देसाई (रायचूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि धर्म के नाम पर भूमि पर अधिक्रमण की समाप्ति करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि धर्म के नाम पर भूमि पर अधिक्रमण की समाप्ति करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बी० वी० देसाई : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.40 म० प०

जनसंख्या वृद्धि रोक विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री पी० राजगोपाल नायडू द्वारा 27 जुलाई, 1984 को रखे गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे, अर्थात :

"कि देश में जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के उपायों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है क्योंकि यह जनसंख्या और जनसंख्या और जनसंख्या के नियंत्रण के लिए आवश्यक उपायों से संबंधित है। इस देश में जनसंख्या के नियंत्रण के संबंध में कोई दो राय नहीं हो सकती है। मैंने देखा है कि धर्म और धार्मिक समूहों पर आधारित कुछ दलों को छोड़कर किसी भी जागरुक राजनैतिक दल ने जनसंख्या नियंत्रण का विरोध नहीं किया है। इस संबंध में मतभेद इस बात पर होता है कि क्या तरीके अपनायें जायें—क्या इसे अनिवार्य किया जाये अथवा समझा बुझाकर किया जाये।

मैं महसूस करता हूं कि समझा-बुझाकर करना ही लोकतांत्रिक तरीका होगा। जब तक लोग स्वयं नहीं समझते हैं कि यह आवश्यक है, तब तक अनिवार्यता से कुछ नहीं किया जा सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात उन्हें शिक्षित बनाना है, उन्हें उनमें जागरूकता पैदा करना है जिससे वे स्वेच्छा पूर्वक जनसंख्या नियंत्रित करने और जन्म दर सीमित करने के लिए स्वच्छापूर्वक आगे आयें। मेरे विचार में हमारे देश में निरक्षरता ही सबसे बड़ी बाधा है। हमारे अधिकांश लोग गांवों में रहते हैं। गांवों के लोग अभी तक पुरानी प्रथाओं, परम्पराओं, दकियानूसी विचारों पर चलते हैं और कुछ क्षेत्रों में धर्म भी प्रमुख भूमिका निभाता है।

इसलिए, धर्मों में भी कुछ सुधार आवश्यक हैं जिससे कि धर्म आधुनिक दृष्टिकोण अपना सकें जबकि मेरा सरकार के साथ उसकी लोगों की सहमति के माध्यम से परिवार नियोजन सम्बन्धी नीति से कोई झगड़ा नहीं है, मेरा उनके दृष्टिकोण के सम्बन्ध में निश्चित रूप से झगड़ा है हर जगह आपको विज्ञापन पट दिखाई देंगे जिन पर लिखा है 'यदि आप एक खुशहाल परिवार चाहते हैं तो परिवार को छोटा रखें।

क्या सरकार उन सभी छोटे परिवारों को गारन्टी देगी कि वे खुशहाल होंगे ? खुशहाली के लिए खाना, निवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यक हैं। मेरे ख्याल में केवल परिवार को सीमित करने से हमारे लोग ये सभी चीजें प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और इससे भी बढ़कर बहुत खतरनाक विचार जिसका कि लोगों में प्रचार किया गया है वह है कि हमारे दुखों का मूल कारण हमारी जनसंख्या है। पूर्ण बल जनसंख्या पर है। क्या यह सच है कि हमारी जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारी गरीबी बढ़ रही है ?

सरकार हमें यह विश्वास दिलाना चाहती है कि यह मुख्य कारण यही है। मेरा विचार है कि यह गत धारणा है। इस बात को स्वीकार करते हुए कि जनसंख्या पर नियंत्रण आवश्यक है, मैं इस तथ्य पर जोर देता हूं कि जनसंख्या वृद्धि भी घटिया रहन सहन का ही परिणाम है। सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा तथा विशेषज्ञों द्वारा, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि ऐसे देशों में जहां प्रोटीन की खपत कम है, जहां लोग गरीबी में रहते हैं, वहां जनसंख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है।

अफ्रीकी देशों को देखें जहां प्रति व्यक्ति आय कम है। उन देशों में कुछ विकासशील देश हैं और कुछ अल्प-विकसित हैं। जनसंख्या में वृद्धि का वहां व्याप्त प्रभाव प्रत्यक्ष गरीबी के साथ सीधा संबंध है। मैं एक पुस्तक का हवाला दूंगा जिसे अभी भी उस विषय पर अधिकाधिक माना जाता है। यह पुस्तक है "**जियो पालिटिक्स आफ हंगर**" जिसके लेखक हैं कॉस्ट्रो (फीडल कास्ट्रो नहीं बल्कि खाद्य और कृषि संगठन के विशेषज्ञ कास्ट्रो) जिसमें उन्होंने आंकड़ों द्वारा यह सिद्ध किया है कि जनसंख्या में वृद्धि और गरीबी साथ साथ चलती है।

जनसंख्या वृद्धि के संघर्ष में हमें गरीबी से संघर्ष करना होगा। यदि कोई देश गरीबी से सफलतापूर्वक संघर्ष कर सकता है तो वह जनसंख्या की विकास दर को भी सफलतापूर्वक कम कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि विकसित देशों की ओर देखें जहां जनसंख्या वृद्धि से कोई समस्या पैदा नहीं होती है। उन देशों में समस्या यह है कि जनसंख्या में वृद्धि पर्याप्त नहीं है, जोकि आर्थिक उत्पादकता प्रणाली के लिए खतरनाक है। ऐसी क्या बात है कि हम देखते हैं कि अधिकतर विकसित देशों में वहां जनसंख्या समस्या अथवा विस्फोट स्थिति नहीं है। दो सौ वर्ष पहले उनके सामने इस प्रकार की समस्या थी। लेकिन औद्योगीकरण, उच्च रहन सहन, शिक्षा के प्रसार के साथ, वे जनसंख्या में वृद्धि पर नियंत्रण करने में सफल हुए और आज उन देशों में से कुछ में जनसंख्या में विकास की दर ऋणात्मक हो गई है, जोकि खतरनाक है।

मैं उसको सिद्ध करने के लिए कुछ आंकड़े देना चाहूंगा कि भारत सरकार जो कुछ अपने प्रचार तन्त्र के माध्यम से कह रही है वह न केवल निराधार है बल्कि उस दृष्टि से वह खतरनाक है कि वास्तविक समस्याओं का पता लगाने की बजाय वह एक ऐसी समस्या पर जोर दे रही है जोकि इसके मुकाबले कम महत्वपूर्ण है। भारत में जनसंख्या में विकास की दर क्या है? मैं 1981 की जनगणना से आंकड़े दे सकता हूं जोकि हजारों में हैं :

1911-1920	48.1	प्रति हजार
1921-1930	46.4	,,
1931-1940	45.2	,,
1941-1950	31.9	,,
1951-1960	41.7	,,
1961-1970	41.2	,,
1971-1980	37.2	,,

अतः 1911 से 1980 तक जन्म दर प्रति हजार 48.1 से घटकर 37.2 तक आ गई है। इसलिए यह कहना सत्य नहीं है कि जन्म दर कम नहीं हो रही है। जन्म दर, प्रति हजार जनसंख्या के पीछे, कम हो रही है।

यह भी खुशी की बात है कि मृत्यु दर प्रति हजार जनसंख्या के पीछे कम हो रही है। वर्ष 1911-1920 की अवधि के दौरान यह 48.6 प्रति हजार थी। वर्ष 1971-80 के दशक में यह घटकर 15 हो गई। इस प्रकार जन्म और मृत्यु दोनों की दर में कमी हुई है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि भारत में जन्म दर में भारी वृद्धि हुई है। इस शताब्दी के अनुमान क्या हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार, जन्म दर, प्रति हजार के अनुमानित आंकड़े इस प्रकार हैं :

1981-86	32.46
1986-91	32.30
1991-96	31.97
1996-01	31.06

ये अनुमानित आंकड़े अधिकतम, मध्यम अथवा निम्नतम हो सकते हैं। मैं न्यूनतम आंकड़े नहीं बल्कि अधिकतम आंकड़े दे रहा हूं। इस प्रकार ये 48.1 से घटकर 31.06 तक आ जाएंगे।

इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत में जन्म दर, बहुत से अन्य अफ्रीकी और एशियाई देशों की तुलना में कम हैं। ऐसे कुछ देश है जहां जन्म दर भारत की तुलना में अधिक है। फिर भी, जैसाकि मैंने पहले कहा है इसे कम करना होगा। यह सत्य है कि जन्म दर में कमी के बावजूद भी, सही मानों में जनसंख्या बढ़ रही है।

जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ गरीब लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। हमारे सभी विकास कार्यों के बावजूद भी—मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि विकास नहीं हुआ है—लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में कमी नहीं हुई है, इसकी गणना का सिद्धांत कोई भी हो ? इसके लिए बहुत से आंकड़े दिए जाते हैं। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का पता लगाना इस बात पर निर्भर करता है कि उनका पता लगाने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाते हैं। हमारे देश में कौन सा तरीका अपनाया जाता है ? यदि एक व्यक्ति केवल खाना खाता है, वह कोई कपड़ा अथवा दवाई नहीं खरीदता, यदि वह शिक्षा पर कोई खर्च नहीं कर रहा है, यदि वह एक पशु की तरह जीवन व्यतीत करता है, वह गरीबी की रेखा से ऊपर है ? यहां तक कि उस तरीके को अपनाने से भी 50 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी की रेखा को पार करते हैं। शेष 50 प्रतिशत लोग ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं जोकि पशु के जीवन से भी बदतर है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय के लिए दो घन्टे निर्धारित किए गए थे। हम उन्हें पहले ही समाप्त कर बैठे हैं। अभी 5 अथवा 6 सदस्य बोलना चाहते हैं। क्या यह सदन की सर्वसम्मति है कि हम एक घंटे का और समय बढ़ाएं ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, एक घंटे का समय बढ़ाया जाता है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : इस प्रकार, अंकों में जनसंख्या की बात करने की बजाए, हमें अधिकतम जनसंख्या की बात करनी चाहिए। इसके लिए विख्यात अर्थशास्त्री कातलीन कलार्क द्वारा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया गया है कि क्या किसी देश की जनसंख्या अधिक है अथवा नहीं इसका निर्धारण इस बात से होता है कि देश के फालतू संसाधनों के उपयोग के लिए सभी अधिकतम कितनी जनसंख्या की अपेक्षा है। उनके अनुसार कोई देश जनसंख्या बाहुल्य हो सकता है जबकि उसकी वास्तविक जनसंख्या बहुत थोड़ी भी हो।

मान लो एक देश जहां पर आर्थिक विकास की दर बहुत ही कम है और यहां तक कि उसकी जनसंख्या केवल पांच करोड़ है, यह भी जनसंख्या बाहुल्य हो सकता है क्योंकि लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता। इसलिए बुनयादी प्रश्न यह है कि क्या हम अपने सभी संसाधनों को उपयोग करने की स्थिति में हैं, दूसरे शब्दों में क्या हम अपने सभी संसाधनों का उपयोग करके अपने उत्पादन को अधिक बढ़ा सके हैं ? मंत्री जी यह बताएंगे कि क्या भारत में हम ऐसा कर पाए हैं। मैं कहता हूं, नहीं, हम ऐसा नहीं कर पाए हैं।

दूसरे, महोदय, गरीबी केवल जनसंख्या की दर में वृद्धि के कारण नहीं है। आप देश में पर्याप्त मात्रा में सामान पैदा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी देश में अकाल की स्थिति हो सकती है। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या लोगों के पास अपनी मांगों को पूरा करने के लिए क्रय शक्ति है अथवा नहीं। इसलिए उत्पादन आवश्यक है। सरकार ने उत्पादकता का नारा दिया है। लेकिन यदि उत्पादकता की खपत के लिए पर्याप्त लोग नहीं हैं तो यह पैदा करने और उसे नष्ट करने की समस्या बन जायेगी। मुख्य प्रश्न क्रय शक्ति का है। हाल ही में, एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री अमृतिया सेन ने अपनी पुस्तक में कहा है कि अकाल अथवा यह गरीबी, लोगों की क्रय शक्ति का प्रश्न है। मान लो भारत में हमारा उत्पादन बढ़ा है। क्या यह सच है कि प्रति व्यक्ति खाद्य की खपत भी बढ़ी है ? नहीं, यह नहीं बढ़ी है। वह इसलिए कि खाद्य की खपत प्रति व्यक्ति केवल तभी बढ़ेगी जब लोगों की क्रय क्षमता अधिक होगी। यह उनके आय के स्तरों, मूल्यों के स्तरों, रोजगार के स्तरों पर निर्भर है।

इसलिए केवल ऐसा कहना कि जनसंख्या पर नियंत्रण करने से आप हर चीज पर नियंत्रण कर लेंगे, ऐसा कहना न केवल सदन को गुमराह करना होगा बल्कि लोगों को भी खतरनाक तरीके से गुमराह करना होगा। असल में सरकार की असफलता वास्तव में लोगों की आंखों से छुप जाएगी और सरकार इस बात पर जोर देगी कि लोग गरीब हैं क्योंकि लोग अधिक बच्चे पैदा कर रहे हैं। इसलिए सरकार को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आर्थिक स्तर का उससे कोई मतलब नहीं। उत्पादन तथा खपत को अधिक से अधिक बढ़ाने का भी इसमें कोई लेना देना नहीं।

यदि आप जनसंख्या पर नियंत्रण करते हैं तो आप परिवार को खुशहाल रख सकते हैं। यह विज्ञापन पटों पर देखा जा सकता है। अपने परिवार को सीमित रखना खुशहाली का एक रास्ता है। अब, मुझे बताएं यदि एक आदमी बेरोजगार है और उसका एक सीमित परिवार है अथवा यहां तक कि यदि यह विवाहित नहीं है, तब वह अपनी समस्या किस प्रकार हल करेगा ? मैं यह कभी नहीं कहूंगा कि जनसंख्या नियंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है। जनसंख्या पर नियंत्रण की आवश्यकता है। यदि हम अपने आर्थिक विकास की योजना बना रहे हैं, तो वहाँ जनसंख्या के बारे में भी योजना अवश्य होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार इस मुद्दे पर जरूरत से अधिक बल दे रही है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : किस मुद्दे पर ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह मुद्दा कि गरीबी, जनसंख्या में वृद्धि का ही परिणाम है।

प्रो० एन० जी० रंगा : ऐसा किसने कहा है ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : वे ऐसा नहीं कहते कि गरीबी, वर्तमान प्रणाली के कारण है जोकि हमारे देश में प्रचलित है। आदमी द्वारा आदमी के शोषण पर आधारित आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक

4.00 म० प०

व्यवस्था, जहाँ फालतू संसाधन है, आर्थिक व्यवस्था, प्रो० रंगा, जहाँ आपके पास मशीन है, जहाँ आपके पास आदमी हैं, वहां मशीन बेकार है, आदमी बेकार हैं, मशीन को जंग लग रहा है और यह आर्थिक व्यवस्था है। और ऐसा क्यों है कि यहां बेरोजगारी है, ऐसा क्यों है कि यहां गरीबी है ? सबसे पहले, आप उन लोगों को रोजगार कैसे दे सकते हैं जो गांवों में रह रहे हैं ? यह अर्थव्यवस्था

की बहुत ही साधारण बात है। उनको या तो भूमि पर काम करना होगा अथवा उनको लघु अथवा ग्रामीण या खादी उद्योगों में काम करना होगा। क्योंकि सचाई यह है कि खेती योग्य भूमि के बहुत बड़े क्षेत्रों पर बहुत कम लोगों का नियंत्रण है, उनमें से अधिकतर भूमिहीन हैं।

जब तक वे भूमिहीन रहेंगे, उन्हें अन्य लोगों की भूमि पर काम करना होगा और उन्हें मालिकों द्वारा दी जाने वाली मजदूरी पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। और उनकी मजदूरी इतनी कम है कि उनको गुजारा करना मुश्किल हो जाता है।

और यही कारण है, उपाध्यक्ष महोदय, कि आज जब हम भूमि सुधारों की बात करते हैं लोग कुछ लोग सोचते हैं कि यह वामपंथी मोर्चा सरकार की बात है।

जब आप ईमानदारी से भूमि सुधारों को लागू करने की बात करते हैं, वे यह सोचते हैं हैं कि यह एक कम्युनिस्ट कार्यक्रम है। लेकिन आप अपने प्रस्तावों को देखें। पश्चिम बंगाल में वामपंथी मोर्चा सरकार आज जो कुछ कार्यान्वित करने की कोशिश कर रही है आपने उससे अधिक नारे दिए थे। यह कांग्रेस का ही प्रस्ताव है जिसमें कहा गया कि भारत में गरीबी से संघर्ष के लिए बड़े पैमाने पर भूमि सुधार होने चाहिए और भूमि काश्तकार को दी जानी चाहिए।

आज कुछ लोग यह कहते हैं कि वे किसान हैं, उनमें से अधिकतर यह नहीं जानते कि चीजें कहां पैदा होती हैं। वे सभी मालिक हैं, किसान नहीं। धनी वर्ग के लोग भूमि पर काम नहीं करते, वे केवल मुनाफा प्राप्त करते हैं और सरकार उनके हितों की सुरक्षा करती है। उन 45 से 50 प्रतिशत लोगों की स्थिति क्या है जिसके पास कोई भूमि नहीं है? उद्योगों के विकास के साथ अतिरिक्त लोग उद्योगों में काम करेंगे। लेकिन आज भारत में क्या हो रहा है? उद्योगों के धीमे विकास के कारण, स्थिरता के कारण, ऐसे लोग जिन्हें गांवों से आर्थिक दृष्टि से उजाड़ा जाता है वे शहरों में आते हैं लेकिन उन्हें वहां रोजगार नहीं मिल पाता। यह समस्या है। इसलिए यह जनसंख्या वृद्धि की बात नहीं है, यह औद्योगिक विकास है। आप औद्योगिक विकास किस तरह प्राप्त कर सकते हैं? यदि आप भूमि सुधार नहीं करते, तो हमारे लाखों लोगों की क्रय शक्ति कम बनी रहेगी इससे जहां चीजें बेची जाएगीं वहां उनकी बिक्री कम हो जाएगी। यह अर्थ शास्त्र है। तब ऐसा क्यों है कि कारखानों में विकास धीमा है?

श्रीमान, जो कुछ भी कारखाने में पैदा होता है उसे बाजार में बेचना होता है। जो चीजें कारखानों में पैदा होती है उन्हें कौन खरीदेगा? गरीब लोग खरीदेंगे? यदि वे गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं, तब बाजार में उनकी बिक्री कम हो जाएगी तब यहां निर्यात के लिए आयोजन चलाया जाएगा। लेकिन आप निर्यात भी नहीं कर सकते क्योंकि बाहर कड़ी प्रतियोगिता है। आपको देश के अन्दर बाजार का विस्तार करना होगा और उसके लिए भूमि सुधार आवश्यक है और उसके लिए भी एकाधिकार घरानों—जब हम 'राष्ट्रीयकरण' की बात कहते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि यह एक मंत्र है। नहीं। यदि आप यह नहीं करते, आप आर्थिक समस्या को हल नहीं कर सकते क्योंकि 'एकाधिकार' का अर्थ है उत्पादन को सीमित करना, 'एकाधिकार' का अर्थ आप किसी पाठ्य-पुस्तक में देखें।

प्रो० रंगा, आप अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं। 'एकाधिकार' की क्या परिभाषा है। उत्पादन को सीमित करना क्योंकि सही प्रतियोगिता में, उद्देश्य क्या है ? कोई भी अकेला उत्पादन पर नियंत्रण नहीं कर सकता। एकाधिकार के अन्तर्गत हम अल्पाधिकार पर नियंत्रण करते हैं और उसमें उत्पादन को सीमित करते हैं और मूल्यों को बढ़ाते हैं। हमें अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है। इसलिए हम मांग करते हैं कि बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और सरकार को छोटे उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए जिनमें जहां रोजगार मिलेगा और उत्पादन भी अधिक होगा।

जनसंख्या पर अधिक ध्यान देने की बजाए और हर समय यह कहने से कि जनसंख्या बढ़ रही है और हम क्या कर सकते हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, आप केवल अपनी असफलता को छुपाने की कोशिश करते हैं। आप वास्तविक समस्या को नहीं समझते और आप सही और सुधारात्मक उपाय नहीं उठाते, आप ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि वास्तविकता यह है कि आप समृद्ध किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप एकाधिकार घरानों का प्रतिनिधित्व करते हैं...(**व्यवधान**)।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा...यह कहना बेकार है कि उनका तरीका कुछ और है और हमारा तरीका यह है। आप यह बताएं कि चीन जिसकी जनसंख्या बहुत अधिक है किस तरह काम चल रहा है ? जब आप कहते हैं मुद्रास्फीति विश्वव्यापी है तो आप तुलना करें। क्या यह विश्वव्यापी घटना नहीं है।

क्या यह एक समाजवादी देश है और इस कारण यहां मुद्रास्फीति है। चीन में, भारत की तुलना में अधिक जनसंख्या है और वहां कृषि योग्य भूमि भारत की तुलना में कम है वे किस प्रकार जनसंख्या पर नियंत्रण कर रहे हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि जनसंख्या पर नियंत्रण आवश्यक नहीं हैं। ऐसी क्या बात है कि उन्होंने अपनी बेरोजगारी की समस्या को हल कर लिया है ? यह कैसे हो गया है कि इस्पात, सीमेंट और प्रत्येक चीज में भारत की तुलना में उनका उत्पादन अधिक है। यदि आप विश्व बैंक की रिपोर्ट को देखें, उनके रहन-सहन का स्तर भारत की तुलना में बहुत अधिक ऊंचा है। आपको इसका स्पष्टीकरण देना होगा।

जनसंख्या के विकास की बात करने की बजाए, जोकि नम्बर एक शत्रु है, उन्हें समृद्ध किसानों, जमीदारों, एकाधिकारियों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ना चाहिए उन्हें आर्थिक व्यवस्था में भी मूलभूत परिवर्तन करने चाहिये जिससे शिक्षा के प्रसार के साथ साथ लोगों के रहन-सहन के स्तर में वृद्धि हो और उससे जनसंख्या के विकास में कमी होगी और मैं यह पहले ही दिखा चुका हूं कि जनसंख्या के विकास में कमी हुई है और मृत्यु दर में भी कमी हुई है जोकि एक अच्छी बात है। ऐसा अच्छी चिकित्सा शिक्षा सुविधाओं के कारण हुआ है।

मैं यह नहीं कहता कि आपने कुछ नहीं किया है। गरीब लोगों के लिए आपने बहुत थोड़ा काम किया है। क्योंकि यह एक गैर-सरकारी विधेयक है, इसको वाद-विवाद का मुद्दा न बनाते हुए, मैं एक मूलभूत विषय उठा रहा हूं। इसकी अन्य देशों के साथ तुलना की जाए और बताएं कि क्या उन उपायों को अपनाने जा रहे हैं अथवा नहीं।

श्री विष्णु प्रसाद (कार्लयाबोर) : जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति हमारे देश में सामाजिक-आर्थिक विकास की प्राथमिक बाधा है । जब तक कि हम अपने देश में जनसंख्या के विकास पर कठोर उपायों से रोक नहीं लगाते, हम रहन सहन के स्तर को बेहतर नहीं बना सकेंगे । रहन सहन का स्तर ज्यों का त्यों रहेगा । हमारे देश में 37 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं । ऐसी आशा है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में ग़रीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत घटकर 21 प्रतिशत रह जाएगा और आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह और घटकर 10 प्रतिशत हो जाएगा । ये आंकड़े योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हैं ।

महोदय, सरकार जन्म दर पर नियंत्रण करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है और हमारे देश में क्योंकि यह स्वैच्छा पर आधारित है । सरकार जन्म दर पर नियंत्रण बलपूर्वक नहीं कर सकती । हम लोगों को शिक्षित करते रहे हैं कि वे स्वैच्छा से परिवार नियोजन उपायों को अपनाए । इसलिए जो वर्तमान जनसंख्या की विकास दर है उसको शून्य तक लाना अथवा जो इस समय है उसमें कमी करना संभव नहीं है ।

मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश में जनसंख्या किस प्रकार बढ़ रही है । आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 1921 से लेकर 1980-81 तक यह शून्य प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत हो गई है । 1921 में मेरे राज्य आसाम की जनसंख्या 51,57,789 थी और अखिल भारतीय जनसंख्या 35,12,39,492 थी । तब मेरे राज्य में विकास की प्रतिशत दर 19 प्रतिशत थी और अखिल भारतीय दर (—) 0.40 प्रतिशत थी । अब महोदय, स्वतंत्रता के बाद जब देश में उन्नति हुई है, अखिल भारतीय जनसंख्या 1951 में 36,09,50,365 थी और असम से यह 88,30,732 थी । असम के लिए विकास की प्रतिशत दर 19.30 थी और अखिल भारतीय दर 13.20 थी ।

4.12 म० प०

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

श्री विष्णु प्रसाद : 1961 में इसमें तेजी से वृद्धि हुई । आसम की जनसंख्या 1,18,73,000 थी और विकास दर 34.45 प्रतिशत थी । उसी अवधि के दौरान अखिल भारतीय जनसंख्या 43,90,72,582 थी और विकास दर 21.50 प्रतिशत थी । 1971 में, असाम की जनसंख्या 1,49,57,542 हो गई और अखिल भारतीय जनसंख्या 54,81,59,652 हो गई । 1981 में जब जनगणना पूरी की गई थी, तो यह पाया गया कि अखिल भारतीय जनसंख्या 68,51,85,000 हो गई थी और आसाम की जनसंख्या 1,98,87,000, अनुमानित आंकड़े, थी असाम में विकास की दर 36 प्रतिशत थी जबकि देश में यह 25 प्रतिशत थी ।

इसके साथ साथ हमारे देश में मृत्यु की दर भी घट रही है । आसाम में 1970 की रिपोर्ट में यह कहा गया है जोकि मुझे प्राप्त हुई है । मृत्यु पर 16.2 प्रतिशत थी और अखिल भारतीय दर 15.7 प्रतिशत थी । 1980 में आसाम में यह 10.7 प्रतिशत थी और अखिल भारतीय 12.4 प्रतिशत थी ।

4.14 म० प०

(डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी पीठासीन हुईं)

श्री विष्णु प्रसाद : इससे यह सिद्ध होता है कि मृत्यु दर कम हो रही है और इसके साथ-साथ जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हमें इसे अव्यवस्था के रूप में लेना होगा। सरकार जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है। वास्तव में भारत पहला देश है जिसने सरकारी स्तर पर ठीक 30 वर्षों पहले जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को शुरू किया था। अब यह कहा गया है जबकि जनसंख्या बढ़ रही है, देश में शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या में बंटवारा है। इसके साथ-साथ जहां जनसंख्या बढ़ रही है और उसी दर से गरीबी भी बढ़ रही है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ रही है। हमारे देश में हमारी 76 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और यही कारण है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को शिक्षा और जीवन की अन्य सुविधाएं और रहन-सहन का बेहतर स्तर प्रदान नहीं कर सके हैं। 68 करोड़ की जनसंख्या में से 52 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 16 करोड़ शहरी क्षेत्रों में रहती है। जनसंख्या के शहरी-ग्रामीण विभाजन की प्रवृति से यह पता चलता है कि भारत की अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण है यद्यपि शहरी जनसंख्या में कुछ हद तक वृद्धि हुई है।

विख्यात पर्यावरण विद् डा. रशिम मयूर ने कहा है कि 2000 ईसवी तक विश्व की 50 प्रतिशत जनसंख्या शहरी हो जाएगी और अगले 100 वर्षों के अन्दर अधिकतर शहरी हो जाएगी।

शताब्दी के अन्त तक मैक्सिको का सूची में प्रथम स्थान होगा जिसकी जनसंख्या 3.1 करोड़ होगी जबकि कलकत्ता और बम्बई की जनसंख्या क्रमशः 2.3 करोड़ और 1.6 करोड़ होगी।

हमें वर्तमान स्थिति से इस तरीके से निबटना होगा कि जिससे हम नियंत्रण कर सके और अपने लोगों का रहन-सहन का स्तर बेहतर बना सकें।

हमारे देश में, आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने देश में शहरी क्षेत्रों को प्रोत्साहन दें। यदि ग्रामीण क्षेत्रों का शहरीकरण किया जा सकता है और हम उनके रहन सहन का स्तर बेहतर कर सकते हैं और शिक्षा सहित जीवन की सभी आवश्यकताएं प्रदान की जा सकती हैं तब इस संकट से निकलना संभव होगा।

दूसरा, यदि हम देश का औद्योगीकरण कर सकते हैं और अधिक सुविधाएं दे सकें तो देश की जनसंख्या को सीमित करना संभव होगा।

तीसरा, साक्षरता में वृद्धि की जानी चाहिए। यदि हम लोगों को शिक्षित कर सकें तो हम जनसंख्या को सीमित कर सकेंगे और तब परिवार नियोजन को अपनाने वालों में वृद्धि होगी। जहां काम-काजी लोगों की संख्या में स्त्रियो की संख्या अधिक होती है वहां जनसंख्या कम होती है। इसलिए, पश्चिमी देशों में, जनसंख्या घट रही है। यहां तक कि यह शून्य विकास दर तक पहुंच गई है। इसका कारण यह है कि वहां साक्षरता अधिक हैं और काम काजी लोगों में स्त्रियों की संख्या अधिक है। पश्चिमी जर्मनी और बेल्जियम को लें। वहां जनसंख्या विकास की दर शून्य है। लेकिन आर्थिक विकास में वृद्धि हो रही है। अतः उनका बेहतर जीवन स्तर है और लोग बेहतर तरीके से रह सकते हैं।

हमें ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर महिलाओं को यह समझाना चाहिए कि बच्चों की संख्या कम करके हम परिवार का स्तर सुधार सकते हैं। और जीवन स्तर को बढ़ा सकते हैं तथा बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। यदि हम महिलाओं को समझा सकते हैं, तो महिलाएं निश्चय ही परिवार नियोजन उपायों को अपनाने के लिए आगे आयेंगी। जनसंख्या की वृद्धि को कम करने के लिए एक प्रबल राजनैतिक इच्छा का होना भी आवश्यक है। लोगों को इसकी जानकारी रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्रों तथा धार्मिक स्थलों के माध्यम से दी जानी चाहिए जैसा कि एक मुस्लिम देश इण्डोनेशिया में किया जा रहा है। वहाँ पर, धार्मिक स्थानों के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाती है और इस प्रकार उस देश में परिवार नियोजन को अपनाने की आवश्यकता की शिक्षा दी जाती है। अतः इण्डोनेशिया तथा कुछ अन्य देशों में जो परिवार नियोजन को गंभीरता से अपना रहे हैं, वहाँ की जनसंख्या घट रही है।

हमारे देश में वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर 2.2 प्रतिशत है और यह आशा है कि सातवीं योजना में यह घट कर 1.8 प्रतिशत रह जायेगी। मेरे मित्र श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती चीन के सम्बन्ध में उल्लेख कर रहे थे। चीन सरकार ने अपने देश में इस प्रकार प्रतिबन्ध लगाया है कि एक परिवार में एक बच्चे से अधिक बच्चा नहीं रखा जा सकता। दूसरे बच्चे के लिए उनको सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। सरकार की अनुमति के बिना एक मां दूसरे बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। उस देश में भी वे लोग कठोरता से परिवार नियोजन का अनुसरण कर रहे हैं। मेरे माननीय मित्र श्री राजगोपाल नायडू द्वारा जो विधेयक लाया गया है, उसमें भी कुछ कठोर उपायों की व्यवस्था है हमारे देश में इस प्रकार के कठोर उपायों को अपनाने का समय नहीं है क्योंकि यदि हम यहां पर इस प्रकार के कठोर उपायों को अपनाते हैं अथवा इस प्रकार का एक अधिनियम पास करते हैं अथवा इस प्रकार का कोई कानून बनाते हैं तो विपक्षी दल लोगों के पास जाकर यह कहेंगे "शासक दल ने इस प्रकार का अधिनियम पास किया है जिसके अनुसार आप दो से अधिक बच्चे नहीं रख सकते हैं", क्योंकि विधेयक में यह व्यवस्था है कि एक परिवार में दो से अधिक बच्चे नहीं रखे जा सकते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब तक हम कुछ कठोर उपायों को नहीं अपनाते हैं तब तक देश में वृद्धि दर को कम करना संभव नहीं होगा। जनसंख्या वृद्धि से रोजगार क्षेत्र में कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं। अभी भी हमारी 37 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे रह रही है जिसके पास न रहने के लिए एक मकान है तथा न खाने के लिए भोजन है। सरकार अपनी ओर से लोगों को सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बेहतर प्रयास करती रही है और हम यह आशा करते हैं कि सातवीं योजना के अन्त तक यह 47 प्रतिशत से घट कर 21 प्रतिशत हो जाएगी। अभी भी हमारे सामने शिक्षा, आवास, परिवहन, आदि की समस्यायें मौजूद हैं तथा 'जनसंख्या की' इस वृद्धि दर से लोगों को एक बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने की गति धीमी हुई है।

आय घटने का सबसे अधिक खतरा उन देशों को हो रहा है जहां पर जनसंख्या की वृद्धि एक वर्ष में तीन प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो रही है। कीनिया जैसे देशों में तीन प्रतिशत से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। लेकिन कोरिया, तैवान, हांगकांग तथा सिंगापुर जैसे कुछ पूर्व एशियाई देशों ने जन्म दर को घटाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। चीन अपनी जन्म दर को इस तरीके से कम करने में समर्थ रहा है कि वहां की सरकार बेरोजगारी तथा आवास की समस्या

को बेहतर तरीके से हल करने में समर्थ रहे हैं। जापान 1947 से एक दशक में अपनी जन्म-दर को प्रति हजार 34 से 17 तक कम करने में सफल रहा है लेकिन हमारे देश में 43 से 32 तक कम करने में तीन दशक का समय लगा है। अतः हमें अपने देश में इस समस्या की ओर उचित ध्यान देना चाहिए तथा देश के हित को ध्यान में रखते हुए हमें आगामी वर्षों में इस प्रकार का कानून बनाना चाहिए ताकि हम जनसंख्या को इस ढंग से कम कर सकें जिससे कि लोगों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान किया जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री राजेश कुमार सिंह (हाथरस) : सभापति महोदया, श्री नायडू साहब का यह बिल, जिस का मकसद है—

"देश में जनसंख्या की वृद्धि पर रोक"

बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बिल के सम्बन्ध में उन्होंने जो मंशा जाहिर की है तथा जो चिन्ता व्यक्त की है, मैं भी उससे सहमत हूं। देश की आबादी जिस तरह से बढ़ रही है उससे बहुत सी समस्यायें सामने खड़ी हो गई हैं। बेरोजगारी, बेकारी, भुखमरी—ये सारी समस्यायें जनसंख्या की वृद्धि के साथ जुड़ी हुई हैं इसलिये हमारे देश में इसकी ज्यादा चिन्ता होनी चाहिये। यह चिन्ता हमारे देश में नहीं, बल्कि सारे विश्व में बनी हुई है। विश्व की आबादी को यदि आप देखें तो विश्व की एनुअल ग्रोथ रेट 1.72 परसेन्ट है और ऐसा मत है कि 2000 ई० तक यह 1.46 परसेन्ट हो जाएगी। अब जहां तक हमारे देश का सम्बन्ध है यदि 2.2 परसेन्ट की ग्रोथ रेट इसी रफ्तार से चलती रही तो दुनिया की आबादी इस शताब्दी के अंत तक 6.1 बिलियन हो जायगी और 2095 तक 10.5 बिलियन हो जायगी।

अब आप तुलना कीजिये—डवेलप्ड कन्ट्रीज और डवेलपिंग कन्ट्रीज के बीच में। डवेलप्ड कन्ट्रीज आबादी की ग्रोथ रेट इस समय 0.69 परसेन्ट है जो सन 2000 तक उम्मीद की जाती है 0.4 परसेन्ट हो जाएगी। हमने पता नहीं इसमें क्या टारगेट फिक्स किया है, फिर भी हमको कोई टारगेट अवश्य फिक्स करना चाहिये कि हम वर्तमान ग्रोथ रेट को कहां तक ले जायेंगे।

अब मैं इस बिल के सम्बन्ध में थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं— भारत की जनसंख्या इस समय जिस तरह से बढ़ रही है, यदि यह बढ़ोत्तरी कायम रही तो आने वाली शताब्दी तक हम चाइना से आगे बढ़ जायेंगे। चाइना जनसंख्या में दूसरे नम्बर का राष्ट्र हो जायगा। इस समय चाइना की ग्रोथ रेट 1.2 परसेन्ट है, थाईलैंड ने अपनी बर्थ रेट को गिराया है, उनके यहां 46.6 परसेन्ट से गिर कर 20.6 परसेन्ट हो गई है। फिलीपीन्ज, श्रीलंका, कोलम्बिया, क्यूबा, जमैका और कोस्टारिका आदि देशों ने अपनी ग्रोथ रेट को रोकने का प्रयास किया और इसमें सफलता प्राप्त की है। इनकी सफलता का कारण क्या है ? उनकी सफलता का प्रमुख कारण यह है कि उन्होंने फैमिली प्लानिंग के उस पार्ट में जहां विमेन-एजुकेशन की बात आती है सबसे ज्यादा महत्व दिया है। खासकर चाइना ने अपने ग्रामीण अंचल में फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं के हैल्थ रिफार्म्स पर ज्यादा जोर दिया है तथा इस क्षेत्र में उनको शिक्षित और जागृत करने का प्रयास किया है। लेकिन अफसोस यह है कि हमारे देश में हम अभी तक वहां नहीं पहुँच पाये हैं।

कुछ मुद्दे ऐसे हैं—जैसे मैं रंगा साहब के भाषण को पढ़ रहा था उन्होंने कहा है कि सरकार को भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों से इस दिशा में विचार-विमर्श करके लेजिस्लेटिव मेजर्ज लेने

चाहिए, कुछ कानून बनाने चाहिये। जहां तक इस देश में कानून बनाने का प्रश्न है—बहुत सी चीजें इसमें सामने आती हैं—जैसे धार्मिक प्रवृत्ति, मनोवैज्ञानिक और पुरानी रूढ़ियां जिन्हें आप रोक नहीं पायेंगे। एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारी जनता रिजीम में हमने उसका बहुत ज्यादा फायदा उठाया। यह बात गलत है, वह फायदा हमने नहीं उठाया···

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : रिजीम में नहीं, चुनाव में उठाया है।

श्री राजेश कुमार सिंह : जहां तक मैं समझता हूं—आपने कानून तो बना दिया, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। उसका इस्तेमाल कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने तरीके से किया और सरकार उसमें मौन बनी रही।

उसके नतीजे पूरे देश के पैमाने पर देखने को मिले। अब इसके उपाय क्या हैं। पहला तो यह है कि कानून बनाएं लेकिन कानून बनाने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि आपके कानून को लागू करने वाले लोग कितने ईमानदार हैं और वे कानून पर कितना अमल करवाएंगे। किसी अधिकारी ने यह कह दिया कि फैमिली प्लानिंग के अन्तर्गत अगर पांच लोगों की नसबन्दी करवा दी जाए, तो प्रोमोशन मिलेगा। अब कुछ लोग 10 लोगों की नसबन्दी करवा देंगे और वे ऐसे लोगों की करवा देंगे, जिनकी शादी न हुई हो। तो यह निगेटिव एप्रोच नहीं होनी चाहिए बल्कि प्रौजीटिव एप्रौच होनी चाहिए और ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा, जो लोग फैमिली प्लानिंग पर अमल कर रहे हैं। इस विधेयक में माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है कि किसी के निर्धारित बच्चों से ज्यादा बच्चे हो जाएं, तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए। मैं कार्यवाही करने की बात नहीं करता। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि ऐसा सरकारी कर्मचारी, जिसने फैमिली प्लानिंग से अपने आपको नियंत्रित कर रखा है और इस कार्यक्रम में सहायक है, उसके करेक्टर रोल में इसका उल्लेख होना चाहिए और उसको प्रोमोशन मिलना चाहिए और यह नहीं होना चाहिए कि अगर किसी के तीन बच्चों की बजाए चार बच्चे हो गये, तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी, जैसा कि विधेयक में कहा गया है। मैं इस बात को नहीं मानता हूं।

आज ऐसे बहुत से लोग हैं, जो बेचलर हैं और हमारी मंत्री महोदया भी हैं। एक जमाना था आजादी का और यह आपके जमाने की बात है कि अधिकांश लोग, जो सेनानी थे, वे विवाह नहीं करते थे। उन्होंने विवाह नहीं किया और अपने जीवन में सारे समाज को ही अपना परिवार समझा। उसके पीछे एक मंशा थी कि वे आजादी की लड़ाई में लगन से लगेंगे। आज भी कुछ ऐसी ही स्थिति है लेकिन आज जो एक प्रश्न उठता है, वह सोशल सेक्यूरिटी का है। परिवार बनाने की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि आने वाले दिनों में जब वृद्धावस्था होगी, तो हमारे बच्चे हमारी देखभाल करेंगे। आज जबकि सोशल सेक्यूरिटी की कोई व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिलता। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो लोग अपने परिवार को सीमित रखना चाहते हैं और अपने परिवार को बढ़ाना नहीं चाहते, उनको कुछ प्रोत्साहन मिले। गांवों और देहातों में कई कारणों से लोग अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि हमारे ज्यादा बच्चे होंगे, तो वे मजदूरी का काम करेंगे और खेती में हमारी मदद करेंगे। कुछ लोग इसलिए परिवार बढ़ाना चाहते हैं कि आबादी बढ़ेगी, तो दूसरों पर प्रभाव पड़ेगा और एक यह भी कारण है कि बुढ़ापे में बच्चे हमारे काम आएंगे। तो यह जो अंधकार उनके दिमाग में है, इसको निकालने की जरूरत है। कुछ सदस्यों ने वहां पर एकोनामिक्स और मार्क्स की थ्यौरी की चर्चा की। इस पर उन्होंने यहां पर बहस चलाई। मैं कुछ हद तक उनसे सहमत हो सकता हूं कि एजूकेशन आएगी तो खुशहाली आएगी लेकिन शिक्षा और खुशहाली आएगी कहां से, इतनी बड़ी आबादी में।

मैं आपको बताऊं कि मैं नीदरलैंड गया था। वहां पर एक मिनिस्टर बता रहे थे कि हमारे यहां एक बहुत बड़ी प्राब्लम अनएम्पलायमेंट की खड़ी हो गई है। एक छोटा सा देश है, जो कि आलीशान देश है और वहां पर सड़कों पर जाएंगे, तो पाएंगे कि कारों की कतारें खड़ी हैं लेकिन लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। वह मुल्क भी बेरोजगारी के बारे में सोच रहा है कि हमारे यहां बेरोजगार लोग बढ़ रहे हैं। वहां की आबादी 14 मिलियन है, फिर भी वह सोचता है कि बेरोजगारी बढ़ गई। मैंने उनसे कहा कि आपके यहां कितने बेरोजगार बढ़ गए। वे कहने लगे कि हमें 1200 गिल्डर बेरोजगारी भत्ता देना पड़ रहा है। जो देश इतना सम्पन्न है, समृद्ध है और जहां सड़कों पर जाएं, तो लोग दिखाई नहीं देते, वह भी इस तरह से सोचता है और हमारे यहां दिल्ली में और अन्य शहरों में भीड़ की भीड़ चली जा रही है और बनारस और आगरा की गलियों में शाम को जायें, तो चलने को जगह नहीं मिलेगी, हमें भी जनसंख्या की वृद्धि के बारे में सोचना पड़ेगा।

एक आश्चर्य की बात और मैंने वहां पर देखी। वहां की पार्लियामेंट के सामने प्रदर्शन हो रहा था। एबोर्शन बिल आया हुआ था। रोमन केथोलिक्स एक तरफ प्रदर्शन कर रहे थे और उसको रिफार्म करने वाले दूसरी तरफ जबकि वहां पर एबोर्शन कानूनन वैलिड है लेकिन और व्यापक बनाने के लिए वहां कानून लाया जा रहा था। तो उनके यहां भी लोगों को इस बात की चिन्ता है। अब धर्म के टकराव की जो बात है, उसको भी आपको देखना चाहिए। लोगों के अन्दर जो यह संकीर्णता है, मेरा ख्याल है कि धार्मिक लोगों को पहल करने के लिए आह्वान करना चाहिए और जो मनों में अंधकार है, उसको दूर करना चाहिए और खास तौर से इसमें महिलाओं की भूमिका सबसे बड़ी होनी चाहिए। तभी यह सफल हो सकता है।

फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम के बारे में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। आपके फैमिली कार्यक्रम तो बहुत अच्छे बनते हैं लेकिन आपके इसके टारगेट्स पेपर में कुछ होते हैं और अचीव कुछ और होते हैं। आप सोचते कुछ हैं और उसका रिजल्ट कुछ और निकलता है। मैं आपको कोट करके बताता हूं—

> "मंत्रालय के छठी योजना के इस अन्तिम वर्ष के लिए 78 लाख लोगों की नसबंदी का लक्ष्य निर्धारित किया है जो पूर्व वर्ष के 59 लाख के लक्ष्य से लगभग 20 लाख से अधिक है। अब इस वर्ष के लिए 59.50 लाख लोगों की नसबन्दी का जो लक्ष्य निर्धारण हुआ है, उससे प्राधिकारियों के कम महत्वाकांक्षी तथा अधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण का स्पष्ट पता चलता है।"

आपने कभी 7, 5 कर दिया। फिर आपको वास्तविक ज्ञान हुआ तो आप लौट आये। आपने एलोकेशन कुछ की और एक्सपैन्डीचर कुछ किया। क्या आपने कभी देखा है कि आपने जितना एलोकेशन किया था उतना एक्सपेंडीचर हुआ या नहीं। आप कहते हैं कि आपके फेमिली प्रोग्राम चल रहे हैं। वे क्या चल रहे हैं? आल इंडिया रेडियो पर खबर आ जाती है कि कुछ केम्प लगाये गये, कुछ नेता वहां चले गये और उनका उद्घाटन कर दिया। इस तरह से देश में फेमिली प्लानिंग कार्यक्रम नहीं चलेगा।

आप बस्तियों में जाकर देखिये कि छोटे-छोटे बच्चे नंगे घूम रहे हैं। एक तरफ आपके परिवार नियोजन के कार्यक्रम चल रहे हैं दूसरी तरफ आपकी गंदी बस्तियों में, शहरों की गलियों में बच्चों की आबादी बढ़ रही है। पढ़े-लिखे समाज में, सभ्य समाज में तो बच्चों की संख्या कम हो रही है क्योंकि उस समाज ने परिवार में नियंत्रण रखा हुआ है लेकिन गरीब और दरिद्र लोगों में

बच्चों की संख्या बढ़ रही है। वे गलियों और मोहल्लों में नंगे घूम-फिर रहे हैं। क्या इससे देश में क्राइम नहीं बढ़ेगा, भुखमरी नहीं बढ़ेगी ? इस बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण करने की जरूरत है।

हमारे समाज में कुछ पुराने तरीके थे। लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। जीवन में कुछ विधि-विधान थे। आपने मेरिज के बारे में नियम बनाये है। क्या कभी आपने देखा है कि 12-13 साल की बच्चियों की शादी हो जाती है ? आपने कानून बना दिया कि इस आयु से कम की आयु की बच्ची का विवाह नहीं होगा। क्या आपके इस कानून पर अमल होता है ? नहीं होता है। आपको इस कानून पर अमल कराने की कोशिश करनी चाहिए। अगर छोटी बच्चियों की शादी होगी तो उनके बच्चे भी पहले आयेंगे। इन माताओं का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा, आने वाली जेनरेशन का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा। आपको इस कानून पर सख्ती से अमल कराना चाहिए। कानून आपके पास है लेकिन उन पर अमल नहीं होता है।

फेमिली प्लानिंग में मोटीवेशन बहुत काम कर सकता है। इससे लोग स्वेच्छा से परिवार-नियोजन करेंगे। इसके लिए आपको ग्रामीण अंचलों में जहां कि अधिकांश लोग अशिक्षित हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, परम्पराओं में जकड़े हुए हैं वहां काफी प्रत्यन करने होंगे। जब तक आप उनके अंधविश्वासों को नहीं तोड़ेंगे तब तक ग्रामीण अंचलों में काफी सफलता आपको मिलने वाली नहीं है।

मेरे दोस्त यह बिल लाये हैं। यह बिल बहुत अच्छा है। ऐसे ही आपके और भी बहुत से कानून हैं। सामाजिक सुधार के कानून, बाल विवाह पर रोक के कानून हैं। लेकिन उन पर अमल नहीं हो रहा है। उन पर भी आप सख्ती से अमल कराएं। अपनी शिक्षित बहिनों को भी अपनी ग्रामीण अंचलों की महिलाओं को यह बोध कराना है कि उन्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचना है। हमारी ग्रामीण अंचलों की महिलाएं अपने अस्तित्व को नहीं समझ पाती, वे तो यह समझती हैं कि उनके पति का अस्तित्व ही सब कुछ है। उन्हें समझाना होगा कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो उनका परिवार भी अच्छा रहेगा और आगे बढ़ेगा।

आपको इस कार्यक्रम के अन्दर एक रचनात्मकता लानी होगी। इस बिल से तो मैं आशा नहीं करता कि इस संबंध में कुछ हो सकेगा लेकिन सरकार से जरूर अनुरोध करता हूं कि वह इस पर गंभीरता से विचार करे। यह राजनीतिक दलों का प्रश्न नहीं है कि कोई राजनीतिक दल इससे उपलब्धि हासिल करना चाहता है। सरकार को चाहिए कि देश के सभी विद्वानों और समझदार लोगों को बुलाकर विचार करे और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि देश में बढ़ती हुई आबादी को किस तरह से रोका जाए।

इतना कहता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदया, जो बिल श्री नायडू ने प्रस्तुत किया है, उसकी मैं कद्र करता हूं। मगर जो प्रावधान उसमें उन्होंने रखे हैं वे हमारे लिए इतने उपयुक्त नहीं होंगे जितना कि हमने वालैंट्री तरीके से इस व्यवस्था को इस देश में लागू करने की कोशिश की है। आबादी का दवाब हमारे ऊपर बहुत बड़ा है। हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर छठी पंचवर्षीय योजना तक, वे सब पापूलेशन ग्रोथ की वजह से कामयाब नहीं हुई। हमारे पिछड़ेपन, बेरोजगारी, गरीबी का मुख्य कारण हमारी पापूलेशन है। अभी

हमारे कम्युनिस्ट भाई इसका जिक्र कर रहे थे और पापूलेशन, गरीबी और पिछड़ेपन का मुख्य कारण योजनाओं का सही क्रियान्वयन न होना बता रहे थे। उनका कहना था कि योजनाओं के जरिए से हम लोगों का स्टेंडर्ड आफ लिविंग बढ़ा पाते और उनको रोजगार-धंधा ज्यादा से ज्यादा दिला पाते। इसके जरिए हम निश्चित रूप से अच्छी व्यवस्था बना पाते और पापूलेशन की ग्रोथ को रोक सकते थे। ये सब बातें जो उन्होंने कही हैं, इनके बारे में हमारी सरकार ने बहुत बड़ा काम देश भर में किया है।

खासतौर से छठी पंचवर्षीय योजना में हमने उस कार्यक्रम को तेजी से चलाया है और ग्रामीण-अंचल को भी टच करने की कोशिश की है, जिसको अभी तक टच नहीं किया गया था। खास कर वहां जहां लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। जिनकी संख्या यहां पर भिन्न-भिन्न बताई जाती है। विरोधी पक्ष के लोग कुछ संख्या बताते हैं और सरकार कुछ संख्या बताती है। मगर जितने भी लोग हैं, उन लोगों के लिए कार्यक्रम बनाए गए हैं और वे कार्यक्रम निश्चित तरीके से सराहनीय और प्रशंसनीय हैं। उनसे अच्छा काम हुआ है और काफी लोगों को हम गरीबी की सतह से ऊंचा उठा सके हैं। इस दिशा में काफी काम हुआ है। इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रमों के जरिए से ग्रामीण अंचल को भी इसमें लिया है और उनका स्टैंडर्ड आफ लिविंग बढ़ाने की व्यवस्था की है। इस कार्यक्रम को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने की कोशिश की है। अन-एंप्लायमेंट और स्टेंडर्ड आफ लिविंग की ओर ध्यान दिया गया है।

आज सबसे आवश्यक बात यह है कि इस व्यवस्था को ग्रामीण क्षेत्रों में सुचारु रूप से चलाने की आवश्यकता है। टारगेट आप मुकर्रर कर लेते हैं हर एक प्रांत के लिए कि इतने आपरेशन होंगे, इतने लूप लगाए जाएंगे, लेकिन व्यवस्था ठीक प्रकार से संचालित नहीं हो पाती। फण्ड भी आप दे देते हैं लेकिन जब तक इन सारी चीजों को आप नहीं देखेंगे तब तक यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता। ग्रामीण क्षेत्र में अगर एक भी केस खराब हो जाता है तो उसका पूरे क्षेत्र पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आपने दूरबीन के जरिए नसबंदी की व्यवस्था कर दी है और अन्य प्रकार के आधुनिक तरीकों की व्यवस्था भी कर दी है मगर आफ्टर सर्विस की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे लोगों पर अच्छा असर हो और लोगों का ज्यादा से ज्यादा सहयोग मिल सके। इन चीजों को ब्लाक लेवल पर ग्राम लेवल पर पहुंचाने की आवश्यकता है। एक रोज मंत्री महोदय बता रहे थे कि बहुत से ऐसे अस्पताल हैं जहां पर डाक्टर नहीं हैं, नर्सेस, कंपाउंडर नहीं हैं। ऐसी स्थिति में इस कार्यक्रम को किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाएगा। आफ्टर केयर की नितांत आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसके लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता इसलिए है कि अगर एक भी केस खराब हो जाता है तो उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। सारी मेहनत बेकार हो जाती है। सब लोग यही कहते हैं कि आपने इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। इसलिए, इस प्रकार की व्यवस्था हमारे इस कार्यक्रम के अन्दर होनी चाहिए ताकि यह कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा सम्पन्न हो सके और पापूलेशन ग्रोथ, जो इतनी तेजीके साथ हो रही है उसको रोक सकें, आंकड़ों के अनुसार जितनी पापूलेशन पहले बढ़ती थी, उससे अब नीचे आ गए हैं। हमारी कोशिश है कि हम और नीचे आएं। उसके बाद ही यह व्यवस्था ठीक हो पायेगी। 1947 में आबादी कितनी थी, आज सन् दो हजार में कितनी हो जायेगी ? इस प्रकार के आंकड़ें अगर देखें तो हमारे सारे प्लान विफल हो जायेंगे। इसलिए, इस व्यवस्था को ठीक तरीके से इम्पलीमेंट करने की आवश्यकता है। मैडीकल फैसिलिटीज के संबंध में भी व्यवस्था होनी चाहिए प्रि-मेडीकल केअर और आफ्टर मेडिकल केअर होनी चाहिए। गांवों में महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी आपने क्या व्यवस्था की है ? कागजों में तो

सब आंकड़े दे दिए होंगे कि हमने इतने अस्पताल और पी० एच० सी० सेन्टर खोल दिए हैं। जब तक उनके देखभाल की व्यवस्था नहीं होगी तब तक यह कार्यक्रम सुचारु रूप से लागू नहीं हो सकता। गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन फिर भी महिलाओं और पुरुषों में इसका काफी प्रचार हुआ है और वे जागृति के रास्ते पर आए हैं। बच्चा होने से पूर्व जो मेडीकल केअर होनी चाहिए, वह तो गांवों में कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। आपने तो कह दिया है कि "हैल्थ फार आल इन 2,000 ए० डी०"। इसको किस प्रकार से सम्पन्न करायेंगे: मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि यह कार्यक्रम पूरा हो पायेगा ? आज आपने आंकड़े दे दिए हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना में इतने सेन्टर खोलने की व्यवस्था है। लेकिन वे आज तक खुले ही नहीं हैं। आपने कहा है कि दस हजार पर एक पी० एच० सी० सेन्टर खोलेंगे। हमारे गांव में तो एक लाख की आबादी पर एक पी० एच० सी० सेन्टर है। उससे आप कैसे एक्सपैक्ट कर सकते हैं कि वह सारी पापुलेशन की देखभाल कर लेगा ? हैल्थ फार आल का जो कार्यक्रम आप बना रहे हैं, यह बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इसको किस प्रकार से इम्पलीमेंट करेंगे ? इसका इम्पलीमेंटेशन तो राज्यों के जरिए से होता है। उनके पास इतने साधन हैं ही नहीं और न आप उनको इतने साधन उपलब्ध कराते हैं। इस तरीके से यह व्यवस्था नहीं चल पायेगी। जब तक आप चार-चार या पांच-पांच हजार की पापुलेशन पर डिस्पेंसरियां, पी० एच० सी० सेन्टर और हैल्थ वर्कर्स तथा दाइयों की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक ये सारे कार्यक्रम कामयाब नहीं हो पायेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्टैण्डर्ड आफ लिविंग भी बढ़ाना पड़ेगा। जब तक खाने के लिए प्रोटीन, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए अच्छा मकान नहीं होगा तब तक ऐसी व्यवस्था चल नहीं पायेगी। अच्छे घरों में ज्यादा बच्चे पैदा नहीं होते जबकि गरीब के घर में ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि उनके स्टैण्डर्ड आफ लिविंग में बहुत बड़ा अन्तर है। इसलिए इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। खेती-बाड़ी, और एक माननीय सदस्य ने लैण्ड रिफार्म, धन का बंटवारा और रोजगार की व्यवस्था के लिए भी कहा है, जब तक यह व्यवस्था नहीं होगी तब तक उनका स्टैन्डर्ड आफ लिविंग नहीं बढ़ पायेगा। हमारे देश में पावर्टी लाइन के नीचे जो इतनी बड़ी पोपूलेशन है, उसको पावर्टी लाइन से ऊपर लाने के लिए आपने कार्यक्रम तो बनाये हैं मगर वे कार्यक्रम ऐसे नहीं हैं कि उनके जरिए इन 37 प्रतिशत से अधिक लोगों को पावर्टी लाइन से ऊपर लाया जा सके।

अभी हमारे एक आसाम के भाई बोल रहे थे कि हम सन् 2000 तक इस प्रतिशत को 10 तक ला देंगे। यदि आप इस देश में हर साल बढ़ने वाली पौपूलेशन को ध्यान में रखते हुए पावर्टी लाइन से नीचे रहने वालों का प्रतिशत सन् 2000 तक दस प्रतिशत तक ले आते हैं, तो मैं उसको बहुत बड़ी उपलब्धि मानूंगा। आपने सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो एप्रोच पेपर हमको दिया है, उसके अंदर इस दिशा में काफी कदम उठाने की बात कही गई है, आप ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़े पैमाने पर सारी व्यवस्थाएं करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन सारे कार्यक्रमों के बावजूद भी क्या आप तेजी के साथ देश के विकास कार्यों की गति बनाए रख सकेंगे ? यह प्रश्न भी विचारणीय है कि इन सारे कार्यों के बाद भी क्या हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकेंगे ? इसीलिए मैंने कहा कि जहां हमें इन सारे कदमों को उठाना चाहिए, वहीं जैसा हमारे राजेश जी जिक्र कर रहे थे, हमारे देहाती क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों के सफल इम्पलीमैंटेशन के सामने बाल-विवाह की कुरीति आड़े आती है। देश में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां गांवों में छोटे-छोटे बच्चों की शादी हो जाती है और पापूलेशन के बढ़ने का एक मुख्य कारण यह भी है। वैसे तो हमने अपने देश में शारदा एक्ट लागू कर रखा है और उसके अनुसार 18 साल से कम उम्र की लड़की तथा 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी कानूनी

तौर पर वैध नहीं है, मगर हमारे गांवों में दो-दो और चार-चार साल के बच्चों की शादी कर दी जाती है। मैं समझता हूं कि यह कुरीति भी हमारी पापूलेशन ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस दिशा में भी कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि इस कुप्रथा को रोका जा सके। वैसे हमारे यूरोपियन कन्ट्रीज में तथा कुछ दूसरे देशों में लोग 30-30 और 40-40 साल की उम्र में जाकर कहीं शादी करते हैं। इसी कारण उनके यहां कम बच्चे होते है जबकि हिन्दुस्तान में ज्यादा बच्चे होते हैं। एक यह भी कारण है जिससे हम अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक इम्पलीमेंट नहीं कर पाते। हमारे यहां इन हालात के चलते रहने के कारण पौपूलेशन ग्रोथ दूसरे देशों की अपेक्षा ज्यादा है। इसलिए ऐसी व्यवस्था का होना भी नितान्त आवश्यक है। **(व्यवधान)**

माननीय सभापति महोदया, एक और सुझाव ऐसा है जिसको मैं यहां कह नहीं सकता। मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक हम इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं बनायेंगे, इन कुरीतियों को नहीं रोकेंगे तब तक इस समस्या पर काबू नहीं पाया जा सकता। इस समय जो बिल यहां पेश हुआ है, उससे तो कोई फायदा नहीं हो सकता क्योंकि हमने पहले ऐसा करके देख लिखा है, जबर्दस्ती करने से हमारा राज चला गया। इसलिए अब लोगों को समझाने की जरूरत है, उनको एजूकेट करने की जरूरत है। जब तक हम इन कुरीतियों को नहीं रोकेंगे, कोई फायदा नहीं हो सकता। अब सब लोग समझ गये हैं कि जबर्दस्ती से काम नहीं कराया जा सकता। हमें गांव के लोगों को समझाना चाहिए। गांवों में किसी काश्तकार के जब तक तीन-चार लड़के नहीं होते, वह संतुष्ट नहीं होता। क्योंकि उसके अनुसार एक भेड़ बकरियाँ चराएगा, दूसरा खेती में मदद करेगा और इसी तरह से बाकी भी कुछ दूसरे काम करेंगे। उनके दिमाग में यह एक बहुत बड़ी धारणा घर कर गई है। इसलिए जब तक हमारा स्टैन्डर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ेगा, लोगों के दिमाग से ऐसी धारणा नहीं निकलेगी, लोगों की भावनाएं नहीं बदलेंगी, तब तक हमारा पापूलेशन ग्रोथ नहीं रुकेगा। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तावक महोदय से चाहता हूं कि वे अपने बिल को वापस ले लें और सरकार से निवेदन करूंगा कि इस संबंध में कुछ ऐसे कदम उठाये जाएं जिससे पापूलेशन ग्रोथ को रोका जा सके और उन योजनाओं को कार्यान्वित करके देश से गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को दूर किया जा सके।

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए 4.53 मध्यान्ह पश्चात् तक का समय निर्धारित किया गया था। अब वह समय समाप्त हो गया है। मंत्री महोदय उत्तर देने में लगभग 20 मिनट का समय लेंगे। अभी भी पांच सदस्य बकाया हैं। यदि प्रत्येक सदस्य केवल पांच मिनट का समय भी लेता है तो 25 मिनट का समय और चाहिए और इसके अलावा 20 मिनट और अर्थात् कुल मिलाकर 45 मिनट का समय चाहिए। अतः मेरे विचार से इस सदन के इस विधेयक के लिए कम से कम 45 मिनट का और समय बढ़ाना चाहूंगा। लेकिन आपको समय के अनुसार चलना होगा। यदि प्रत्येक सदस्य केवल पांच मिनट का समय लेता है, तो तब हम इसको 5.30 बजे मध्यान्ह पश्चात् तक समाप्त कर सकते हैं। अतः हम 5.30 बजे मध्यान्ह पश्चात् तक समय बढ़ाते हैं। 5.30 बजे तक हम इस विषय पर चर्चा करेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभानेत्री जी, आबादी नियंत्रण की समस्या बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है और आबादी में कमी आनी चाहिए इस बात का कोई भी विरोध नहीं कर सकता। यह वाजिब बात है कि जनसंख्या पर नियंत्रण लाया जाय। असल झगड़ा पैदा होता है कि यह किस प्रकार से लाया जाय ? इस नीति का अमल कैसे किया जाय ? 1930 में जब हमारा देश एक था उस

समय आबादी 30 करोड़ थी, लेकिन पाकिस्तान बन जाने के बाद आज हमारी आबादी 1981 की जनगणना के अनुसार 68 करोड़ कुछ लाख है। लेकिन अब मेरे ख्याल से 70 करोड़ तक पहुंच चुकी होगी। तो इस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। इसके कारण क्या हैं ?

हमारा देश बहुत गरीब है, ज्यादा गरीबों की संख्या है। उनके सामने जो समस्यायें हैं उनसे हम सब परिचित हैं। गरीबी मिटाना जन संख्या को रोकने के लिए आवश्यक है, शिक्षा भी आवश्यक है, उनकी चेतना बढ़ाना भी आवश्यक है। लेकिन मूलभूत बात अगर देखें तो गरीबी से इसका संबंध है जनसंख्या वृद्धि का। हम अपने देश में ही देखते हैं जो लोग पढ़े-लिखे हैं, आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी है उनके बच्चे कम होते हैं। लेकिन देहातों में जब जाते हैं तो खेत मजदूरों को देखते हैं, हरिजनों, आदिवासियों को देखते हैं क्योंकि उनका संसार बहुत ही सिमटा हुआ होता है इसलिये उनकी आबादी ज्यादा बढ़ती है। इसलिये सम्पन्नता लाना, लोग गरीबी, रेखा के ऊपर आवें, उनकी धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति अच्छी बने इस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये। लेकिन अभी इस तरह जो कुछ होता भी है वह पूरा-पूरी अमल में नहीं आता। दूसरी तरफ जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो गरीबी को मिटाने पर ज्यादा जोर डालना चाहिए। लेकिन अभी सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसा परिवार कल्याण के नाम पर खर्च कर रही है। ठीक ही कहा एक माननीय सदस्य ने इन पैसों में से बहुत का दुरुपयोग होता है। तो दुरुपयोग को रोकना चाहिये, उसका सदुपयोग हो, इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। और दूसरी तरफ गरीबी कैसे मिटे इसके लिये विभिन्न योजनायें जो सरकार बनाती है वह संतोषजनक तो नहीं होती हैं, फिर भी उनका कार्यान्वयन नहीं होता है। उनका कार्यान्वयन होना आवश्यक है।

दूसरी तरफ समाजवादी मुल्कों को देखिये, वहां आबादी बढ़ाने की होड़ है, इनाम दिये जाते हैं ताकि आबादी बढ़े। सोवियत रूस हो, या पिछले साल हमारा पार्लियामेंट का एक डेलीगेशन पूर्वी जर्मनी गया था वहां बहुत कोशिश करते हैं लेकिन इसके बावजूद आबादी बढ़ती नहीं है।

5.00 म० प०

समाजवादी देशों में आबादी बढ़ना, सम्पत्ति बढ़ना समझते हैं। अगर वहां दो हाथ पैदा होते हैं तो वह समझते हैं कि काम करने वाला, धन पैदा करने वाला पैदा हो गया है।

हमारे यहां आबादी बढ़ना अभिशाप माना जा रहा है। घर में अगर ज्यादा बच्चे हो जाते हैं, ठीक है कि मां-बाप उसे अभिशाप नहीं मानते, लेकिन समाज वही मानता है। अगर घर में बच्ची पैदा हो जाती है तो सचमुच में उसे अभिशाप माना जाता है क्योंकि उसके बड़ा होने पर दहेज आदि के चक्कर में जाना पड़ता है। यह परेशानी की बात मानी जाती है।

एमर्जेन्सी के जमाने में नसबन्दी का सिलसिला बहुत चलाया गया, लेकिन उसका क्या हश्र हुआ, यह हमारे सामने है। नतीजा यही है कि जोर-जबर्दस्ती से आप जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं रख सकते। उनकी आर्थिक स्थिति सुधार कर, शिक्षा-दीक्षा देकर, सहूलियतें देकर, प्रोत्साहित कर के, समझा-बुझाकर ही आप ऐसा कर सकते हैं। यही एक रास्ता है।

यह ठीक ही कहा गया है कि कम उम्र में शादी नहीं करनी चाहिये। इस पर हमें भी विचार करना चाहिये, हम भी समाज के नेता हैं, रहबर हैं, रास्ता दिखाने वाले हैं। राजनीतिक नेता, सांसद्, विधान-सभा सदस्य वगैरह भी क्या अपने बच्चों की शादी कानून के अनुसार करते हैं ? उत्तर है, नहीं करते हैं, पहले कर देते हैं। जब हमने 18 और 21 साल की उम्र का कानून बनाया है तो

उसका सख्ती से पालन करना चाहिये, अगर कोई तोड़ता है तो उस पर नियंत्रण करने की कोशिश होनी चाहिये, लेकिन ऐसा होता नहीं है ।

मैंने एक सवाल उठाया था, जब डा० कर्णसिंह यहां पर स्वास्थ्य मंत्री थे । मैंने कहा था कि हमारे 500 से अधिक 800 सांसद् हैं, हम समाज के नेता हैं, रास्ता बतलाने वाले हैं, कानून बनाने वाले हैं। हम लोगों की स्थिति क्या है ? प्रत्येक सांसद के कितने-कितने बच्चे हैं, जरा इसका तखमीना बताइये ? डा० कर्णसिंह ने जवाब दिया कि बड़ा दिलचस्प सवाल है, जवाब भी दिलचस्प होगा, इसका अलग से सवाल दीजिये । जब मैंने अलग सवाल किया तो उस वक्त के अध्यक्ष श्री बलिराम भगत ने मेरे उस प्रश्न को स्वीकार ही नहीं किया और उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि अगर इसको स्वीकार करेंगे, तो हम जानते हैं कि बहुत सारे मंत्रियों और सांसदों व विधायकों के बच्चे ज्यादा हैं, हम समाज का नेतृत्व करते हैं तो इसका असर समाज पर बुरा पड़ेगा ।

मेरे कहने का अर्थ यह है कि हम अपने को समाज का नेता कहने वाले जो हैं, सरकार चलाने वाले हैं, क्या फैमिली प्लानिंग, आबादी पर नियंत्रण करने का हम लोगों का भी कोई जिम्मा है या नहीं ? मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि उनके और हमारे सहयोगियों की स्थिति क्या है ? इस पर भी कोई नियंत्रण होगा या नहीं, या हम लोग छुट्टा सांड़ की तरह हर जगह चलते जायेंगे ? इस पहलू पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये । सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक नेता, राजनीतिक दलों के नेता, जो इस तरह का प्रचार करते हैं, उनकी स्थिति क्या होगी ?

हस्पतालों में नसबन्दी के लिये और औरतों के आपरेशन के लिये जो केन्द्र बनाये गये हैं, उनकी स्थिति दयनीय है। वहां सफाई नहीं है,आपरेशन करने की साज-सज्जा ठीक नहीं है, बिस्तर ठीक नहीं है । वहां देखभाल ठीक नहीं होती जिसकी वजह से उनको बीमारियों का शिकार होना पड़ता है । आपको उस तरफ भी ध्यान देना चाहिये ताकि लोगों को परेशानी न हो ।

श्रीमती विद्या चेन्नुपति (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं यह एन्टीपापुलेशन एक्सप्लोजन बिल इन्ट्रोड्यूस करने के लिए श्री राजगोपाल नायडू को धन्यवाद देती हूं ।

हमारे देश में जनसंख्या बहुत बढ़ती जा रही है और यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्राब-लम बन गई है । मैंने इस बारे में कुछ डेटा कलेक्ट किया है । उसके अनुसार पापुलेशन की दृष्टि से भारत का संसार में दूसरा स्थान है। 1981 में उसकी पापुलेशन 684 मिलियन थी। हमारे देश का एरिया 3.28 मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर है, जबकि पूरे संसार का एरिया 135.89 मिलि-यन स्क्वेयर किलोमीटर है । 1911 में हमारे देश में पापुलेशन का ग्रोअथ रेट 5.42 परसेंट था, जबकि 1981 की सेन्सस के अनुसार वह 186.84 परसेंट हो गया है । इससे पता लग सकता है कि हमारी जनसंख्या कितनी बढ़ रही है ।

आजादी मिलने के बाद हमारे देश का बहुत इकानोमिक डवेलपमेंट हुआ है । बहुत सी नई-नई इंडस्ट्रीज स्थापित हुई हैं । जहां तक एग्रीकल्चरल डवेलपमेंट का सम्बन्ध है, पहले एक एकड़ में चार पांच बैग अनाज पैदा होता था, जबकि आज एक एकड़ में तीस चालीस बैग अनाज पैदा होता है । एग्रीकल्चर में हमने तीन चार गुना उन्नति की है । लेकिन जितनी इकानोमिक डेवेलपमेंट हुई है, उतनी ही जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण डेवेलपमेंट का लाभ कम होता है ।

जनसंख्या पर कंट्रोल करने के लिए गांवों में अस्पताल बनाए गए हैं और फैमिली वेलफेयर कैम्प भी लगाए जाते हैं । लेकिन उनमें आम जनता के लिए जितनी सुविधाएं होनी चाहिए, वे हम

नहीं दे सकते हैं। इसलिए आज यह आवश्यक हो गया है कि हम आम लोगों के विचारों में परिवर्तन करें। हमारी प्राइम मिनिस्टर ने गांवों में फैमिली वैलफेयर कैम्प और लोगों के माइंड को चेंज करने के लिए ओरियंटेशन कैम्प इन्ट्रोड्यूस किए थे, ताकि लोग अपनी इच्छा से आपरेशन कराएं।

आज हमें सोचना चाहिए कि इतना काम करने के बाद भी हमें सफलता क्यों नहीं मिली है। अगर हम फैमिली प्लानिंग को कम्पलसरी करें, तो कुछ लोग कहेंगे कि हम पर दबाव डाला जा रहा है। हम लोगों में मेंटल चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आम जनता का यह विचार है—तेलुगु में हम कहते हैं: नारु पोसिन वारे नीरु पोस्तारु, अर्थात् भगवान् बच्चों को देता है, वही उनका पालन भी करेगा। हम लोगों की इस भावना को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं।

आज हमारे सामने यह प्राबलम है कि क्या हम फैमिली प्लानिंग को कम्पलसरी करें या कोई और उपाय करें। हमने देश की जनता के सामने नारा रखा है: हैल्थ फार आल। लेकिन आज गांवों के हास्पिटल्ज में डॉक्टर और नर्स नहीं हैं और मेडिसन्ज भी नहीं है। मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहती हूं कि सरकार ने गांवों में जो हास्पिटल बनाए हैं, क्या वहां मेडिसन्ज भी होती हैं या नहीं, मडिसन्ज के लिए जो बजट रखा जाता है, क्या उसका पूरा इस्तेमाल होता है या नहीं, सरकार जहां फैमिली प्लानिंग को शुरू करती है, क्या वहां डाक्टर भी भेजती है या नहीं।

दूसरी बात यह है कि अधिकतर डाक्टर्स शहरों में ही रहना चाहते हैं, गांवों में नहीं जाना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि शहरों में तो उनके लिए फैसिलिटीज रहती है लेकिन गांवों में कोई फैसिलिटीज नहीं होती हैं. गांवों में उनके रहने के लिए मकान तक नहीं होते हैं। वह एक बहुत बड़ी प्राब्लम है। इसलिए मेरा सुझाव है कि गांवों में डिस्पेंसरी के साथ-साथ डाक्टर के रहने के लिए मकान बनाकर भी देने चाहिए। इसके साथ-साथ मेरा यह भी सुझाव है कि गांवों में जो डाक्टर रखे जायें उनको कुछ ज्यादा एलाउन्स दिया जाए ताकि वे वहां जाने के लिए खुशी से तैयार हो सकें। इस तरह की आप उनको कुछ फैसिलिटीज दे सकें तो बहुत अच्छा रहेगा।

इसके अलावा मैं मन्त्री जी का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहूंगी कि अस्पतालों में इक्वीपमेन्ट्स की भी बड़ी कमी रहती है। वहां पर केवल फर्स्ट एड के लिए ही कुछ सामान रहता है। मेरा सुझाव है कि वहां पर आपको आपरेशन वगैरह करने के लिए जिस इक्वीपमेन्ट की आवश्यकता होती है उसका प्रबन्ध भी करना चाहिए। इस तरह की कुछ फैसिलिटीज देकर आप गांव वालों को फैमिली प्लानिंग के लिए मदद करें, यह मेरी सलाह है।

***श्री एम० कंडास्वामी** (तिरुचेंगोडे): सभापति महोदय, मेरे मित्र श्री पी० राजगोपाल नायडू ने अपने जनसंख्या विस्फोट विरोधी विधेयक के माध्यम से जनसंख्या विस्फोट के गम्भीर मामले की ओर सभा का ध्यान आकर्षित किया है। चूंकि जनसंख्या वृद्धि की स्थिति बहुत गम्भीर हो गई है, इसलिए उनको बाध्य होकर यह विधेयक लाना पड़ा है। चूंकि मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने अप्रतिबन्धित जनसंख्या वृद्धि के गम्भीर परिणामों पर प्रकाश डाला है, इसलिए मैं केवल उन्हीं मुद्दों पर अपने विचार प्रकट करूँगा जो परिवार कल्याण योजनाओं को प्रभावी कार्यान्वयन में बाधक बने हुए हैं।

*तमिल में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

जब वर्ष 1928 में द्रविड़ आन्दोलन के संस्थापक सदस्य थनथई पेरियार ने परिवार नियंत्रण के उपायों की आवश्यकता का प्रचार प्रारम्भ किया था तो उनको इस प्रश्न का सामना करना पड़ा था कि मनुष्य ईश्वर की व्यवस्था पर कैसे प्रतिबन्ध लगा सकता है जो कि मानव समाज का सृष्टा है? आज वे ही लोग जिन्होंने इस प्रश्न को उठाया था परिवार नियंत्रण योजनाओं के प्रबल समर्थक हो गये हैं। ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की आवश्यकता को समझा गया है। सारे संसार में इसकी स्थिति को व्यापक रूप से समझा गया है। यदि हम जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित नहीं करते हैं तो अधिक जनसंख्या के कारण भूमि नष्ट हो जायेगी जैसा कि प्राकृतिक विपत्ति-बाढ़ के कारण विध्वंस हो जाता है। मानव समाज को जीवित रखने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण करना बहुत ही अधिक आवश्यक है।

मैं जुर्माना आदि लगाने के विचार से सहमत नहीं हूं जैसा कि विधेयक में प्रस्ताव किया गया है। उन कर्मचारियों के मामले में जो दो से अधिक बच्चे उत्पन्न करते हैं उनके वेतन का पांचवें हिस्से की कटौती करने का प्रस्ताव किया गया है। इसी प्रकार समृद्ध व्यक्तियों के मामले में 20 रु० के जुर्माने तथा अन्य व्यक्तियों के मामले में 10 रुपये के जुर्माने का प्रस्ताव भी मेरे मित्र के विधेयक में किया गया है। इस प्रकार दण्ड देने की व्यवस्था से हम जनसंख्या को नियंत्रित नहीं कर सकेंगे। मैं इस प्रकार के नकारात्मक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करता हूं। इस सम्बन्ध में एकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। जिसका लोगों पर प्रभाव पड़ेगा।

भारत की वर्तमान जनसंख्या लगभग 70 करोड़ है। और यदि यही वृद्धि दर जारी रही तो 20वीं शताब्दी के अन्त तक हमारी जनसंख्या 100 करोड़ हो जायेगी। क्या हम इस प्रकार की दण्ड व्यवस्था से इस तीव्र वृद्धि दर को रोक सकते हैं? नहीं, उत्पत्ति विरोधी होगी?

प्रथमत: साधारण व्यक्तियों को उनकी प्रतिदिन की भाषा में यह समझाया जाना चाहिए कि यदि जनसंख्या वृद्धि को स्थिर नहीं रखा जाता है तो उनकी अपनी भावी संतानों का क्या हाल होगा? उनको परिवार कल्याण उपायों को अपनाने की उपयोगिता को समझाया जाना चाहिए, जो कि उनकी भलाई के लिए है।

दूसरे, जो लोग परिवार कल्याण योजनाओं को अपनाते हैं उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति बन्ध्यीकरण अथवा स्त्री नसबन्दी आपरेशन करवाते हैं उनको प्रति व्यक्ति 1000 रु० दिया जाना चाहिये। इस समय उनको बहुत ही कम धनराशि दी जाती है। इस प्रयोजन हेतु स्वास्थ्य विभाग को पर्याप्त धनराशि का नियतन किया जाना चाहिए।

तीसरी बात यह है कि परिवार कल्याण योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं की दयनीय स्थिति है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में गर्भ-निरोधकों की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्य करने वाली दाइयां परिवार कल्याण कार्यों के प्रति निष्ठावान तथा समर्पित कार्यकर्ता होने चाहिये। प्रचार, प्रयोजनों हेतु प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को श्रव्य-दृश्य उपकरण दिये जाने चाहिए। परिवार कल्याण उपायों का प्रचार करने के लिए एक ब्लाक में तथा जनता को गर्भ-निरोधकों आदि की सप्लाई करने के लिए एक ब्लाक के लिए एक चलती फिरती गाड़ी की व्यवस्था की जानी चाहिये।

इस समय भारत में 'लाप्रोस्कोपिक' बन्धीकरण प्रणाली को सफलतापूर्वक कार्यान्वित नहीं किया गया है। मैं मांग करता हूं कि बन्धीकरण, पुरुष नसबन्दी तथा स्त्री नसबन्दी आपरेशन को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। यह जनसंख्या वृद्धि को सीमित रखने का सुनिश्चित उपाय है।

चौथी बात यह है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के उन कर्मचारियों के मामले में जो अपने परिवारों की सीमा दो बच्चों तक रखते हैं, एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए। वास्तव में मेरा यह सुझाव है कि उनको अपने संवर्ग में एक पदोन्नति दी जानी चाहिए। इससे अन्य कर्मचारियों को भी अनुसरण करने का प्रोत्साहन मिलेगा। यदि आवश्यक हो तो कानून द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उन कर्मचारियों को शिक्षा सम्बन्धी रियायतों तथा अन्य रियायतों से वंचित रखा जाये जिनके दो से अधिक बच्चे हैं। हमें उन सफल प्रणालियों का अध्ययन करना चाहिए जिनको चीन में अपनाया गया है और हमें उनको यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त संशोधनों सहित भारत में कार्यान्वित करने का प्रयास करना चाहिये।

जनसंख्या नियंत्रण योजनाओं को देश में सभी धर्मों के लोगों पर लागू किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में जाति, धर्ममत, सम्प्रदाय और धर्म का ध्यान न रखते हुए सभी लोगों पर कानून को लागू किया जाना चाहिए। इस समय परिवार नियंत्रण योजनाओं को लागू करने में कुछ धार्मिक अड़चनें हैं। इस प्रकार के धार्मिक प्रतिबन्ध का आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं है। परिवार कल्याण योजनाओं के सम्बन्ध में इस प्रकार के धार्मिक मान्यताओं पर प्रतिबंध लगाने के लिये कानून होना चाहिए।

इसी प्रकार समृद्ध वर्ग के लोग परिवार नियंत्रण उपायों को स्वेच्छा से अपनाते हैं, क्योंकि उनके पास मनोरंजन के अन्य साधन मौजूद हैं। लेकिन निर्धन व्यक्ति के लिये केवल प्रजनन ही मनोरंजन का साधन है। अपने घरों से बाहर जाकर मनोरंजन करने के लिए उनके पास धन नहीं होता है अथवा उन्हें अवसर नहीं मिलता है। यह बहुत ही आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क मनोरंजन केन्द्रों को स्थापित किया जाये।

जनसंख्या विस्फोट से निर्धनता में वृद्धि होती है जिसके परिणामस्वरूप वेश्यावृत्ति आदि जैसी सामाजिक बुराइयां उत्पन्न होती हैं। यदि हम गरीबी का उन्मूलन करना चाहते हैं तो हमें अपनी योजनाओं में जनसंख्या नियंत्रण को प्रमुख स्थान देना चाहिये। ऋण की व्यवस्था करके हम अपने देश से गरीबी को दूर नहीं कर सकते। इससे जनसंख्या वृद्धि रूपी रोग को कुछ कम किया जा सकता है लेकिन यह एक स्थायी उपचार नहीं है। क्या हम वर्तमान बेरोजगारी को ऋण की व्यवस्था कर के दूर कर सकते हैं? जनसंख्या विस्फोट के कारण ही प्रत्यक्ष रूप से बेरोजगारी उत्पन्न हुई है। हमें शीघ्र लाभ पहुंचाने वाले आर्थिक कार्यक्रमों को प्रारम्भ करना चाहिये ताकि निर्धनता तथा बेरोजगारी रूपी दोहरी बुराई को समाप्त किया जा सके। जिसका जनसंख्या वृद्धि पर हितकर प्रभाव पड़ेगा।

सदन में कोई भी सदस्य इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि निर्धनता के कारण ही हमारे देश में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि हुई है। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे समाज को वसीयत में

मिली है। इस देश में निर्धन वर्ग के लिए जिनकी संख्या 40 करोड़ आंकी गई है समयबद्ध तथा कम लागत के आर्थिक कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करके इस समस्या से बच सकते हैं।

मैं इस समस्या के सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख करके अपने भाषण को समाप्त करूंगा। तमिलनाडु में डी० एम० के० पार्टी के सात वर्षों के शासन के दौरान डा० के० करूणानिधि के मुख्यमंत्री नेतृत्व में, जोकि अपनी सक्रिय कर्मठता के लिए जाने जाते हैं, परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रबल रूप से लागू किया गया था। डी० एम० के० पार्टी की सरकार ने परिवार नियोजन योजनाओं के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री-श्रीमती इन्दिरा गांधी के निदेशों को सारे तमिलनाडु राज्य में क्रियान्वित किया था। राज्य सरकार जनसंख्या को कम करने में सक्षम रही। दुर्भाग्यवश राज्य को इसका क्या पुरस्कार मिला है ? तमिलनाडु राज्य से लोक सभा की 41 सीटें थीं। जनसंख्या में कमी होने के कारण यह संख्या घटकर 39 हो गई। क्या समग्र रूप से देश की भलाई परिवार नियोजन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये तमिलनाडु राज्य को यह प्रोत्साहन मिला है ? इसी प्रकार चूंकि केन्द्रीय वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग जनसंख्या के आधार पर राज्यों को धनराशि का नियतन करते हैं जनसंख्या में कमी होने के फलस्वरूप तमिलनाडु को कम धनराशि का नियतन हो रहा है। अब आठवें वित्त आयोग ने भी जनसंख्या के आधार पर राज्यों को केन्द्रीय धनराशियों के नियतन करने की सिफारिश की है। इसके अनुसार भी तमिलनाडु को कम धनराशि मिलेगी।

18 म० प०

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

मेरा यह विचार है कि माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जो राज्य परिवार नियोजन योजनाओं को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करते है उनके साथ इस प्रकार का अन्याय किया जाये, जोकि हमारी प्रधान मंत्री की परिवार नियोजन योजनाओं पर जोर दिये जाने के विपरीत है। यदि इस प्रकार ही चलता रहा तो इससे प्रवृत्ति विपरीत हो जायेगी। यहां तक कि जो राज्य परिवार नियोजन योजनाओं को लागू करने में अग्रणी हैं वो भी इनको कार्यान्वित करने में रुचि नहीं लेंगे।

अपने भाषण को समाप्त करने से पूर्व मैं यह मांग करता हूं कि तमिलनाडु के लिए 41 सीटें बहाल की जाएं और यदि सरकार ने जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने का निश्चय कर लिया है तो जनसंख्या के आधार पर वित्तीय नियतन पद्धति को सशोधित किया जाना चाहिए। महोदय, आप जानते हैं कि हाल ही में हमारी प्रधान मंत्री जी को जनसंख्या नियंत्रण योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक पदक से सम्मानित किया गया था। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा हमारी प्रधान मंत्री में व्यक्त किये गये विश्वास को बनाये रखने के लिए परिवार नियोजन योजनाओं को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को सभी प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री भीम सिंह (झुन्झुनू) : माननीय सभापति महोदया, मैं राजगोपाल नायडू साहब के बिल का समर्थन करता हूं परन्तु इस बिल में जो खामियां रह गई हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा ।

इसमें एक धारा जोड़ी जानी आवश्यक है और वह धारा इसमें छूट गई है। वह धारा यह है कि एक पत्नी के मौजूद होते हुए दूसरा विवाह करने के ऊपर रोक लगाई जाए । हमारे यहां देश में एक से ज्यादा विवाह लोग धर्म की आड़ में और सामाजिक रीतियों के आधार पर करते रहते हैं । इस पर रोक लगाना बहुत आवश्यक था क्योंकि यह बिल जो है यह पापूलेशन की वृद्धि रोकने के बारे में है । यह एन्टी-पापूलेशन एक्सप्लोजन बिल है । एक से ज्यादा शादी होने पर पापूलेशन में वृद्धि होती है और इस को आप रोक नहीं सकते । हमारे समाज में कुछ ऐसे तबके हैं, जो यह कहते हैं कि हमारे धर्म में छूट है कि हम एक से ज्यादा शादी करें पर देश पहले है और धर्म पीछे है । धर्म में कुरीतियों की छूट नहीं हो सकती अगर समान को सुधारना है और देश की आबादी को रोकना है । धर्म की आड़ में एक से ज्यादा शादी करने की लोग छूट लेना चाहते हैं । इस पर रोक लगानी ही पड़ेगी ।

अगर किसी की पत्नी की मृत्यु हो जाए, तो मुझे आपत्ति नहीं है। अगर किसी का डाइवोर्स हो जाए, तो मुझे आपत्ति नहीं है । अब यह कहना कि मेरे धर्म में चार शादियां करने की छूट है, तो धर्म में तो और भी बहुत सी बातें होती हैं । पहले धर्म में नर-बलि की बात करते थे, तो क्या आप आज ऐसा करने की छूट देंगे । इसलिए मेरा कहना यह है कि इस चीज को रोकना बहुत आवश्यक है ।

दूसरा एक निवेदन और करना चाहता हूं । मैं क्लाज 5 की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिस क्लाज में एक पैनेल क्लाज रखा हुआ है । उसमें यह दिया हुआ है :

> "यदि कोई व्यक्ति पहले से ही सरकारी कर्मचारी है तो वह व्यक्ति प्रत्येक अतिरिक्त बच्चे को जन्म देने के लिए जुर्माना के रूप में अपने वेतन का पांचवां हिस्सा सरकार को देगा ।"

गैर-सरकारी कर्मचारी के लिए यह व्यवस्था की गई है :—

> "एक व्यक्ति जो गैर-सरकारी कर्मचारी है और उसके दो से अधिक बच्चे हैं तो उसे 20 रु० का जुर्माना देना होगा···"

इसमें एक प्रोवाइजो जोड़ने का मैं सुझाव दूंगा और वह प्रोवाइजो यह है :—

> "बशर्ते यह खण्ड रक्षा सेवाओं पर लागू नहीं होगा ।"

डिफेन्स सर्विसेज में एक परम्परा बनी रहती है । मैंने देखा है कि गांव के एक परिवार के बहुत से लोग फौज के अन्दर हैं और पुश्त-दर-पुश्त एक परिवार के लोग फौज में नौकरी करते आए हैं और बड़ी लड़ाइयों में और सैकेन्ड वेर्ल्ड वार में एक एक आदमी के पांच - पांच लड़के लड़ाई के अन्दर गये हैं, जिन में से तीन-तीन और चार-चार लड़के मारे गये हैं । इसलिए डिफेन्स सेर्विसेज के जो परसोनेल हैं, उनके लिए यह पाबन्दी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनके लड़के लड़ाई में जाते हैं

और मारे भी जाते हैं। इसलिए यह जो क्लाज है, इस में डिफेन्स सर्विसेज के लिए में एक प्रोवाइजो एड करने की सिफारिश करता हूं ।

एक बात और कहना चाहता हूं कि फैमीली प्लानिंग के अन्दर जो आजकल आपरेशन्स होते हैं और खासतौर पर महिलाओं के आपरेशन्स होते हैं, उनके लिऐ ऐक्सपर्ट्स होने चाहिए। देखा यह गया है कि जहां भी ये केम्प लगते है, वहां पर लोगों को 100, 100 और 50, 50 रुपये का प्रलोभन दिया जाता है और डाक्टरों को भी कमीशन मिलता है और मास आपरेशन्स चलते हैं और डाक्टर लोग अंधाधूंध तरीके से आपरेशन करते हैं। आपरेशन कर के महिला को छुट्टी दे देते हैं लेकिन उस महिला को बाद में कोई खराबी होती है और वह दोबारा अस्पताल में भर्ती होना चाहती है, जनरल होस्पीटल में भर्ती होना चाहती है, तो उसे भगा देते हैं और इससे वह बहुत तकलीफ पाती है और कई केसेज में तो डेथ्स भी हुई हैं। उसका असर यह होता है कि गांव या मोहल्ले में रहने वाली जो दूसरी महिलायें होती हैं, वे यह कहती हैं कि अमुक महिला की हालत आपरेशन के बाद ऐसी हो गई थी और तुम नजदीक मत जाना वरना मौत हो जाएगी।

हमारे यहां 80 परसेन्ट देहात हैं और देहात के लोगों को इस बारे में जानकारी कम है, उन में जागृति कम है। इसलिये यह बहुत जरूरी हो गया है कि ऐसे आपरेशन्स के लिये ऐक्सपर्ट्स होने चाहिये और जिन डाक्टरों के हाथों से गड़बड़ हो या कोई खराबी हो, तो उन के खिलाफ ऐक्शन होने का प्रोविजन भी इसमें होना चाहिये। इससे लोगों को आपरेशन कराने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा। आबादी को बढ़ने से रोकने के लिये कोई दो राय नहीं हैं।

अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि आपरेशन्स के बाद जो औरतें तकलीफ पाती हैं, उस की रोकथाम होनी चाहिये और एक्सपर्ट्स के द्वारा आपरेशन होना चाहिये और धर्म की आड़ में जो चार चार शादियां होती हैं, उनको रोकने के लिये जाति तथा धर्म का भेदभाव किये बिना एक प्रोविजन होना चाहिये।

श्री बी० के० नायर (क्विलोन) : सभापति महोदय, हमारे देश के समक्ष यह समस्या है कि प्रत्येक तीस वर्षों के पश्चात् हमारी जनसंख्या दोगुनी हो रही है। योजना के द्वारा हम जो कुछ भी करते हैं वह जनसंख्या वृद्धि के कारण समाप्त हो जाता है। मैं केवल उपचारात्मक उपायों का सुझाव दूंगा।

मेरा प्रमुख मुद्दा यह है कि सरकारी गतिविधियों का विस्तार किया जा रहा है और इसके अन्तर्गत बड़ी जनसंख्या को शामिल किया जा रहा है उदाहरण के तौर पर सरकारी रोजगार नगर-पालिका रोजगार, स्थानीय निकायों में रोजगार, और इसके अतिरिक्त ऋणों, मकानों के लिए भूखण्ड, ऋणों की स्वीकृति आदि है। अतः सरकार के कार्यकलापों में जनसंख्या के अधिकतर भाग को अर्थात कम से कम जनसंख्या के 70 प्रतिशत भाग को सम्मिलित किया जा रहा है। अतः जो लोग अपने परिवारों को सीमित नहीं रखते हैं उनके मामले में कुछ पृथक नीति अपनाई जानी चाहिए।

यदि विद्यालय में तीसरे बच्चे को प्रवेश देने का प्रश्न है, तो उसको प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। यदि यह तीसरे बच्चे को रोजगार देने का प्रश्न है, चाहे सरकारी रोजगार हो अथवा

औद्योगिक रोजगार हो और चाहे कोई अन्य रोजगार हो, तीसरे बच्चे को रोजगार नहीं दिया जाना चाहिए। ऋण स्वीकृत किये जाने के मामले में भी तीसरे बच्चे वाले व्यक्ति को ऋण की सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। हमारे मित्र बता रहे थे कि परिवार नियोजन का गावों में प्रचार हो रहा है। निसंदेह यह सच भी हो सकता है। लेकिन इस समस्या से निपटने का केवल यही उपाय है कि हमें रोजगार, आदि न देकर उन्हें इस बात का एहसास कराना चाहिए। जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं तब तक जनसंख्या पर रोक लगाना बहुत ही कठिन है। आवेदन-पत्र में भी एक कालम यह होना चाहिए जिसमें आवेदक को यह बताना चाहिए कि क्या उसके दो से अधिक बच्चे हैं। इस प्रकार सुविधाएं प्रदान करते समय सकारात्मक विभेद किया जाना चाहिए।

देश में बहुत से कारखाने हैं। प्रत्येक औद्योगिक इकाई को इसके लिए सहमत किया जाना चाहिए कि वह कर्मचारियों में परिवार नियोजन के बारे में प्रचार करे। वास्तव में वे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि कर्मचारियों पर उनका काफी नियंत्रण रहता है। दक्षिण भारत में एक संस्था एक महिला को जो स्वेच्छा से आपरेशन कराती है 1000 रु० का लाभ दे रही है। इस प्रकार जन-संख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। एक ओर लोगों को आपरेशन आदि कराने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सकता है और दूसरे परिवार में बच्चों की संख्या बढ़ाने को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये तथा इसे सकारात्मक रूप से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। दंडात्मक कार्य-वाही भी की जा सकती है। मुझे यह बताया गया है कि चीन के गांवों में जो लड़की जन्म लेती है उसको तुरन्त ही मार दिया जाता है। वहां के गांव वालों का विश्वास है कि लड़की का उत्पन्न होना अनिष्ट है। यह जानकारी मैंने समाचार पत्रों में पढ़ी है।

उसके बावजूद भी वे संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि वहां पर जनसंख्या की काफी वृद्धि हुई है। लेकिन हम अपने देश में ऐसा नहीं करते हैं।

अतः जनसंख्या की वृद्धि को हतोत्साहित करने तथा उस पर रोक लगाने के लिए सकारात्मक विभेद किया जाना चाहिए। राशन कार्डों को जारी करने के मामले में भी कुछ प्रतिबन्ध लगाए जाने चाहिए। बढ़ते हुए बच्चों के लिए हमेशा राशन कार्ड नहीं दिये जा सकते। सरकार द्वारा की जाने वाली इस कार्यवाही का स्वागत किया जाना चाहिए। सरकार इस मामले में कुछ सकारात्मक कार्यवाही कर सकती है। अतः मेरा यह सुझाव है कि इस प्रकार के जैसे कुछ उपाय किये जाने चाहिए।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों की आभारी हूं जिन्होंने इस गैर-सरकारी विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लिया है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब मैंने कुछ माननीय सदस्यों, विशेषकर प्रो० चक्रवर्ती को जिन्हें मैं जानती हूं कि वे एक अर्थशास्त्री हैं, सुना तो मैं उनसे किसी ठोस सुझाव की अपेक्षा कर रही थी।

सभापति महोदय : प्रो० चक्रवर्ती मेरे विचार से मंत्री महोदय का आशय आप से है।

कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी : मैंने कुछ सदस्यों को सुना है—लगभग 18 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है। सौभाग्य से मैं प्रो० चक्रवर्ती की बात सुन रही थी जो कि अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं

और मैं उनसे यह अपेक्षा कर रही थी कि वे जनसंख्या की समस्या के बारे में कोई ठोस सुझाव देंगे। उसकी बजाए जिस ढंग से उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए उससे मुझे थोड़ा भ्रम हुआ कि क्या वे परिवार-कल्याण कार्यक्रम का समर्थन कर रहे हैं अथवा वे कुछ और कहना चाहते हैं। लेकिन, दुर्भाग्य से उन्होंने इसे राजनीतिक रूप दिया है हम इस विषय को एक राजनीतिक विषय नहीं बनाना चाहते हैं। हम इसमें लोगों को शामिल करना चाहते हैं और इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाना चाहते हैं। जनसंख्या की समस्या का सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों से सीधा सम्बन्ध है।

कुछ सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और उनके विचारों से सहमत हूं कि कृषि, उद्योग, विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी सहित अन्य विकासीय कार्यों के क्षेत्र में योजनाबद्ध आर्थिक विकास होने के बावजूद विकास के फल देश में साथ-साथ बढ़ती जनसंख्या के कारण जनता तक नहीं पहुंच सके।

प्रो० चक्रवर्ती कुछ सुझाव दे रहे थे। इस बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी। उन्होंने यह कहा है कि जनसंख्या का सामाजिक आर्थिक स्थिति से कोई सम्बन्ध नहीं है। मेरे पास यहां भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई० सी० एम० आर०) की रिपोर्ट है। इसमें यह बताया गया है कि कितनी धनराशि हम केवल बच्चों को भोजन प्रदान करने पर ही खर्च कर देते हैं।

हमें 1 से 3 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे पर 120 रुपये प्रति माह खर्च करना पड़ा था। 4 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे पर हमने प्रति माह 160 रुपए खर्च किए। 10 से 20 वर्ष तक की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे पर 230 रुपए प्रति माह खर्च किए गए तथा 10 से 12 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे पर हमने प्रति माह 211 रुपए खर्च किए। इसलिए इसका जनसंख्या से सीधा सम्बन्ध है। जब एक तरफ हम यह कहते हैं कि कृषि उत्पादन बढ़ रहा है, औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है, परन्तु इसका सीधा सम्बन्ध है।

दूसरे, सरकार ने ठीक ही जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता को समझा है और इसीलिए हमारी माननीय प्रधान मंत्री ने इसे भी सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों के साथ-साथ 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया है। परन्तु इस कार्यक्रम को शामिल करते समय यह स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि इसे स्वैच्छिक आधार पर कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इस बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ सुझाव दिए हैं। मेरे विचार से ये सुझाव हमारे उस दर्शन के अनुरूप नहीं हैं जिसके अनुसार हम यह कार्यक्रम लागू करना चाहते हैं।

जब तक हम इसमें लोगों को शामिल करेंगे, जब तक हम इसे जन-आंदोलन का रूप नहीं देंगे तब तक देश अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेगा। हमने लक्ष्य प्राप्त किया है। मैं आंकड़े देना चाहती हूं। उसमें लोग शामिल हैं। उससे हमें निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिली है। इसीलिए मैं कुछ उन माननीय सदस्यों से असहमत हूं जिन्होंने कुछ निरूत्साहित और जोर-जबर्दस्ती करने का सुझाव दिया है। हम जोर-जबर्दस्ती में विश्वास नहीं करते। मेरी सरकार जोर-जबर्दस्ती में विश्वास नहीं करती। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस बात से सहमत नहीं होगा। यह एक व्यक्तिगत समस्या है। जब तक इसमें व्यक्ति शामिल नहीं होता, जब तक व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता, जब

तक परिवार इसमें शामिल नहीं होता, तब तक मेरे विचार से हम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हम दूसरे देशों के कार्यक्रमों की नकल नहीं करना चाहते हैं।

हमें अपने लोगों की मनोवैज्ञानिक पृष्ठ भूमि को देखना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है कि यह कार्य स्वयंसेवी अधिकरणों के माध्यम से किया जाना है और इसमें स्वयंसेवी अभिकरणों का शामिल होना बहुत आवश्यक है।

वर्ष 1983 में स्वयं संसद में हमने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को स्वीकृति प्रदान की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में हमने यह पहले ही सपष्ट उल्लेख किया है कि 2000 ईसवी तक प्रति दम्पत्ति शिशु जन्म दर एक हो जाएगी। इस स्तर पर हमने निम्नलिखित विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए हैं :

जन्म दर 20 प्रति हजार

मृत्यु दर 9 प्रति हजार

शिशु मृत्यु दर प्रति हजार 60 से कम का लक्ष्य है और इसी प्रकार प्रभावपूर्ण दम्पत्ति संरक्षण दर निर्धारित की गई है। जब मैं प्रभावपूर्ण संरक्षण की बात कर रही हूं तो मैं सदन में कुछ आंकड़े बताना चाहूंगी। स्वयंसेवी अभिकरणों अथवा राज्य सरकारों के माध्यम से चलाए गए हमारे कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप गत दो अथवा तीन वर्षों में दम्पति संरक्षण की दर में वृद्धि हुई है। गत दो या तीन वर्षों के दौरान कार्य निष्पादन के परिणामस्वरूप दम्पत्ति संरक्षण दर में तेजी से वृद्धि हुई है। मार्च, 1984 के अन्त में दम्पत्ति संरक्षण की दर 23.7% थी और मार्च, 1983 के अन्त में यह 25.9% थी तथा मार्च, 1984 के अन्त में यह 29.3% थी। इसका मतलब है कि 1983-84 के दौरान दम्पत्ति संरक्षण की दर 1982-83 की तुलना में 50% अधिक थी।

एक माननीय सदस्य ने परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिए निर्धारित परिव्यय के बारे में पूछा है। मैं सदन को यह सूचित करना चाहूंगी कि चौथी पंचवर्षीय योजना अर्थात 1969-74 के दौरान कुल परिव्यय राशि 285.76 करोड़ रुपए थी और खर्चा 284.43 करोड़ रुपए था। पांचवीं पंचवर्षीय योजना 1974-78 में परिव्यय धनराशि 285.65 करोड़ रुपए थी और खर्चा 408.98 करोड़ रुपए हुआ। छठी पंचवर्षीय योजना 1978 से शुरू हुई है— मैं अनवरत योजना के बारे में बात नहीं कर रही हूं। मैं 1978 से 1980 तक की छठी योजना अवधि की बात कर रही हूं। परिव्यय राशि 228 करोड़ रुपए थी और खर्चा 226.6 करोड़ रुपए हुआ।

कुछ सदस्यों ने ग्रामवासियों की कुछ समस्याएं उठाई हैं। मैं यह कहना चाहूंगी कि जहां तक बुनियादी सुविधाओं का सम्बन्ध है, हम राज्य सरकारों को कुछ मार्गनिर्देश देने का प्रयास कर रहे हैं जिनके अंतर्गत वे यह भी देख सकें कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कम से कम एक डाक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी हों। हम यह देखने के लिए निरन्तर राज्य सरकार से सम्पर्क बनाये हैं कि राज्य सरकारें कार्यक्रमों को भली-भांति कार्यान्वित कर रही हैं। हमारी एक महिला सदस्य ने कहा है कि डाक्टर गांवों में जाने के इच्छुक नहीं हैं। मैं यह कहना चाहूंगी कि हमने राज्य सरकारों से कहा है कि वे गांवों में सेवा करने के इच्छुक डाक्टरों को कुछ प्रोत्साहन प्रदान करें। अब यह

राज्यों पर निर्भर करता है कि वे हमारी सलाह का किस प्रकार अच्छे से अच्छे ढंग से पालन करती हैं।

अब हमने एक हजार की जनसंख्या वाले प्रत्येक राज्य में एक गाइड नियुक्त किया है। जहां तक आधारभूत सुविधाओं का सम्बन्ध है, हमारे माननीय सदस्यों को भी हमारी थोड़ी सहायता करनी चाहिए क्योंकि उनके चुनाव क्षेत्रों में भी सारे कार्यक्रम केवल आधारभूत सुविधाओं पर ही निर्भर नहीं कर सकते। सरकार आधारभूत सुविधाएं प्रदान करती है परन्तु प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और यदि किसी कार्यक्रम में सुधार की आवश्यकता है तो यह अच्छा होगा कि वे राज्य सरकारों से भी सम्पर्क करें क्योंकि ये राज्य सरकार ही हैं जिन्हें कार्यक्रम लागू करने पड़ते हैं। जहां तक परिवार नियोजन कार्यक्रम का सम्बन्ध है, 100% अनुदान केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाता है।

सभापति महोदय : मंत्री महोदया के वक्तव्य के बाद सदस्य प्रेरित होंगे।

कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी : महोदय, मैं उपलब्धियों के कुछ आंकड़े देना चाहूंगी। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1980-81 में 29 लाख लोगों की नसबन्दी का लक्ष्य था जबकि 20 लाख 50 हजार लोगों की नसबन्दी की गई। 90 हजार महिलाओं के लूप लगाने का लक्ष्य था जबकि 6 लाख 30 हजार महिलाओं को लूप लगाए गए। गोलियां खाने सहित कन्डोम का प्रयोग करने के लिए 55 लाख 40 हजार व्यक्तियों का लक्ष्य था जबकि इनका उपयोग 38 लाख 10 हजार व्यक्तियों ने किया। मैं विस्तार में जाना नहीं चाहूंगी। परन्तु नसबन्दी के मामले में 1984-85 में 59 लाख 60 हजार लोगों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और जून 1984 तक 4 लाख 80 हजार लोगों की नसबन्दी की गई। लूप और कन्डोम (सी० सी०) प्रयोग कर्ताओं के लिये क्रमश: 30 लाख 40 हजार और एक करोड़ 10 लाख व्यक्तियों का लक्ष्य है। गत दो अथवा तीन वर्षों में कार्य निष्पादन के परिणामों के परिणामस्वरूप दम्पति संरक्षण की दर जो 1982 में 23.7% थी, 1984 में बढ़कर 29.3% हो गई। मैं यह और कह सकती हूं कि 1982-83 में परिवार नियोजन के सभी तरीकों को अपनाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या लगभग 1 करोड़ 10 लाख थी। वर्ष 1983-84 के दौरान यह संख्या 1 करोड़ 44 लाख व्यक्तियों तक पहुंच गई जो गत वर्ष की तुलना में लगभग 30% अधिक है, जोकि एक रिकार्ड है। ऐसा स्वयंसेवी अभिकरणों के शामिल होने के कारण संभव हुआ जिसमें भागीदारों का योमदान अधिक है। यदि हमने जोर जबर्दस्ती की होती अथवा कोई अन्य उपाय किया होता तो हम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते थे।

वर्ष 1971-81 की अवधि के दौरान परिवार-नियोजन कार्यक्रम के परिणामस्वरूप 3 करोड़ 70 लाख बच्चों का जन्म रोकने का अनुमान है। यदि इन बच्चों ने जन्म ले लिया होता तो जनसंख्या वृद्धि दर जोकि 1971-81 के दशक में 2.5% आंकी गई थी, वह लगभग 3% होती।

एक माननीय सदस्य ने वृद्धि दर के बारे में पूछा है। वर्ष 1977-89 के दौरान वृद्धि दर का स्तर 2.24% था। अब 1985 में हमारा लक्ष्य 1.90% तक और 1990 में 1.66% तक तथा सन् 2000 तक 1.20% तक पहुंचने का है।

कुछ माननीय सदस्यों ने परिवार-नियोजन सेवाओं के बारे में शिकायत की है। हमने सेवाएं प्रदान की हैं। जब तक हम माता-पिता में इस बात का विश्वास पैदा नहीं करते कि हमने जो चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करनी थीं वे प्रदान कर दी हैं वे परिवार नियोजन के लिए आगे नहीं आएंगे। हमने आधारभूत ढांचा और सुविधाएं प्रदान की हैं और इसी कारण से कार्यक्रम को लागू करने के लिए परिवार आगे आ रहे हैं।

जब तक आप बच्चों के उपचार की सुविधाएं प्रदान नहीं करते हैं तब तक परिवार-कल्याण कार्यक्रम में माता-पिताओं को शामिल करना सम्भव नहीं है। वर्ष 1983-84 में बच्चों को टीके लगाने की कार्यस्थिति इस प्रकार रही :—

(लाखों में)

टीका	वर्ष 1983-84
डी० पी० टी०	101.6
पोलियो	69.5
बी० सी० जी०	139.6
डी० टी०	97.2
टाइफाइड	54.3
टी० टी० 10 वर्ष+15 वर्ष	45.4
टी० टी० (गर्भवती महिलाएं)	74.5

मैं श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती को यह बताना चाहूंगी कि हमारे देश में प्रति वर्ष कुल 22 लाख बच्चे जन्म लेते हैं। हमसे इन बच्चों को रोग निरोधी टीके लगाने की अपेक्षा की जाती है? हम जो कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं, वे हैं—टीके लगाने का कार्यक्रम, प्रोटीन और पोषण कार्यक्रम और इसके अलावा हम बच्चों को स्कूलों, वस्त्रों और शिक्षा की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। श्री सत्य-साधन चक्रवर्ती जब अगली बार इस विषय पर किसी मंच पर अपने विचार व्यक्त करें तो यह बेहतर होगा कि वे इस प्रकार के राजनीति सुझाव देने की बजाए कुछ ठोस सुझाव दें।

सभा को यह पता है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू करने और परिवार-कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा और विश्लेषण करने के लिए एक उच्च स्तरीय निकाय, एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इस परिषद के अध्यक्ष माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। इसमें स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों, जन-नेताओं और अर्थशास्त्रियों के प्रतिनिधी भी शामिल हैं। सभी मिलकर इस बारे में सलाह दे रहे हैं और कार्यक्रम की समीक्षा कर रहे हैं। कि किस प्रकार हम कार्यक्रम को सर्वश्रेष्ठ ढंग से कार्यान्वित कर सकते हैं और भविष्य के लिए हमारी क्या नीति होनी चाहिये।

श्री राजगोपाल नायडू यहां नहीं है। उन्होंने कहा है कि अतिरिक्त बच्चा पैदा करने पर जुर्माना किया जाना चाहिये। परन्तु इस परिषद ने, जोकि उच्चतम सलाहकार परिषद है, अपनी

बैठक में यह सुझाव और सलाह दी है कि छोटे परिवार वालों को कोई प्रोत्साहन न दिया जाए क्योंकि ऐसा करना उन लोगों के लिए दंडात्मक होगा जो किसी श्रेणी में नहीं आते और इससे बच्चों के विरुद्ध भी अन्याय होगा। यदि हम इस प्रकार के सुझावों को स्वीकार करते हैं तो इसके शिकार कौन लोग होंगे ? इसके शिकार नवजात शिशु होंगे।

हम इस प्रकार का सुझाव स्वीकार नहीं करेंगे जिससे विकास पर प्रभाव पड़ता हो। इसलिए हम उन सभी मुद्दों से असहमत हैं।

माननीय सदस्यों को इस बात की भली-भांति जानकारी है कि हम स्वयंसेवी अभिकरणों और व्यक्तियों के भी शामिल होने की बात कर रहे हैं। हमने कुछ प्रोत्साहन दिए हैं। यह शत प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है।

अब हमने उन राज्यों और संघशासित क्षेत्रों को पुरस्कार देना आरम्भ किया है जो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अच्छा कार्य करके दिखाएंगे। वर्ष 1982-83 के लिए राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों के लिए परिवार कल्याण कार्य-निष्पादन पुरस्कार इस प्रकार हैं :—

श्रेणी एक में हमने 2.5 करोड़ रुपए का प्रथम पुरस्कार महाराष्ट्र को दिया है और दूसरा पुरस्कार हरियाणा की दिया गया है। श्रेणी दो में पहला पुरस्कार पंजाब को और दूसरा पुरस्कार कर्नाटक को दिया गया है। श्रेणी तीन में पहला पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया गया है, इस श्रेणी में दूसरा पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया। श्रेणी-चार में हिमाचल प्रदेश को और श्रेणी-पांच में दादर और नगर हवेली को पुरस्कार दिए गए।

कुछ राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों ने उन दम्पतियों को हरे कार्ड दिए हैं जिन्होंने दो बच्चों के बाद परिवार नियोजन अपना लिया है ; ये राज्य हैं, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चन्डीगढ़ तथा दादर और नगर हवेली।

कुछ राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों ने उन दम्पत्तियों के लिए लाटरी प्रणाली शुरू की है जो परिवार-नियोजन कार्यक्रम स्वीकार करने के लिए आगे आते हैं। ये हैं—हरियाणा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केरल ; चण्डीगढ़, पांडिचेरी तथा दादर और नगर हवेली।

जहां तक निरूत्साहित करने का प्रश्न है, सरकार इसे सिद्धांत रूप में स्वीकार नहीं करेगी।

श्री राजगोपाल नायडू ने अपने विचारों और अपनी सभी शुभ भावनाओं के साथ यह विधेयक प्रस्तुत किया है। दुर्भाग्य से वे यहां उपस्थित नहीं हैं। मैं यह चाहूंगी कि वे उपलब्धियों तथा उस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जो हमने स्वीकार किया है और कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए अपना विधेयक वापिस ले लें क्योंकि अब यह एक जन आंदोलन बन गया है और हम इसे जन-आंदोलन के रूप में सुदृढ़ बनाना चाहते हैं और हम उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। हमारी सहायता करने और इस कार्यक्रम को अधिक लोकप्रिय बनाने की बजाये उन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत किया। इस प्रकार के विधान से समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए

मैं सभा से यह अनुरोध करती हूं कि वह इस विधेयक को वापिस लिए जाने की अनुमति दें ; मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करती हूं क्योंकि जब 18 सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है, मैं भली भांति उनकी भावनाओं को समझ सकती हूं ; जहां तक जनसंख्या की वृद्धि का प्रश्न है इससे इस सम्बन्ध में वे भी उतने ही चिंतित हैं। मैं उन्हें बधाई देती हूं, मैं उनकी चिंता समझती हूं और मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि वे विधेयक को वापिस लेने के लिए अपनी अनुमति दें और लोगों की भागीदारी, व्यक्तिगत भागीदारी के साथ इसे जन-आंदोलन बनाने में हमारी सहायता करें।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिण) : महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। मेरा विषय अर्थशास्त्र नहीं है। मेरा विषय राजनीति शास्त्र है। एक बात तो यह हुई। दूसरी, मैंने कोई राजनीतिक भाषण नहीं दिया। मैंने केवल यह कहा है कि आर्थिक विकास मुख्य बात है। मैं वह बात उद्धृत करना चाहूंगा कि भारत में.....

सभापति महोदय : आप केवल कुछ स्पष्टीकरण मांग सकते हैं.....

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : भारत में विभिन्न राज्यों में जनसंख्या की दस वर्षीय वृद्धि—मैं केवल उद्धृत कर रहा हूं, यह आवश्यक है क्योंकि इससे कुछ पता चलता है.....

सभापति महोदय : इस स्तर पर नहीं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : केवल एक बात। मंत्री महोदया को यह बात बतानी होगी कि ऐसा क्यों है कि तुलनात्मक दृष्टि से भारत में विकसित राज्यों में जनसंख्या वृद्धि की दर पिछड़े राज्यों से कम है। इसका क्या कारण है?

सभापति महोदय : आप बात बढ़ा रहे हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : वह दूसरा भाषण दे रहे हैं। वह पहले ही लम्बा भाषण दे चुके हैं।

सभापति महोदय : मैं प्रस्ताव पर मतदान करा रहा हूं : प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्य यहां नहीं हैं।

सभापति महोदय : अब मैं प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि देश में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए उपायों का प्रावधान करने सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

———

5.51 म० प०

इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय (बरेली में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक

सभापति महोदय : अब हम अगले विधेयक पर चर्चा करते हैं।

श्री हरीश रावत : महोदय, विधि मंत्री कहां हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : मैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप रक्षा मंत्री हैं। आप देश की रक्षा कर सकते हैं। परन्तु आप उनका (विधि मंत्री का) प्रतिनिधित्व कैसे कर सकते हैं?

श्री के० पी० सिंह देव : हम कानूनी रूप से देश की रक्षा करेंगे।

श्री हरीश रावत : विधेयक का प्रस्तावक होने के नाते मैं संतुष्ट हूं।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय की बरेली में एक स्थायी शाखा स्थापित करने का प्रावधान करने सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय सभापति महोदय, हमारी डैवलपिंग इकनामी के साथ हमारा जुडिशियल सिस्टम भी उसी प्रकार का होना चाहिये ताकि जनता की भावना के अनुरूप उनको चीप और सब्स्टेंशियल जस्टिस मिल सके।

इस हाउस में एक से अधिक बार इस बात को उठाया गया है, और माननीय सदस्यों की हमेशा यह भावना रही है कि हमारे देश का प्रैजेन्ट जुडिशियल सिस्टम कई मामलों में हमारी आवश्यकता को सर्व नहीं करता। इसी कारण जनता में और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों में काफी असंतोष है। इसका एक कारण यह भी है कि हमारी जितनी जुडिशियल आर्गेनाइजेशन्ज हैं, उन तक सामान्य आदमी की पहुँच नहीं है, विशेष तौर पर हाई कोर्ट तक।

कई राज्यों से हाई कोर्ट की बैंच दूसरी जगहों पर भी स्थापित करने की मांग है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, बिहार के अलावा इस प्रकार के और भी कई प्रान्त हैं जहां के लोगों ने इस प्रकार की मांग उठाई है। सरकार ने यही सोच-समझकर जसवन्तसिंह कमीशन उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों की मांग पर जो बिठाया था, उसकी कार्यविधि और कार्य-क्षेत्र को भी बढ़ाया है।

हम जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों से आते हैं, विशेषतौर पर हमारी शिकायत है कि सरकार वहां के लोगों की जायज मांगों को बराबर टालने की कोशिश कर रही है। 1980 के बाद कई जिलों में लोगों ने आन्दोलन किये और उनके फलस्वरूप जनता की प्रबल मांग को देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया कि वह पश्चिमी

उत्तर प्रदेश में, जहां भी केन्द्रीय सरकार उचित समझे, इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बैंच स्थापित करने की बात को स्वीकार करे।

कहां, कौनसा स्थान हो सकता है, इस पहलू तथा उससे संबंधित अन्य पहलुओं के अध्ययन के लिये केन्द्रीय सरकार ने 3 आदमियों का एक पैनल नियुक्त किया। उस समय उम्मीद दिलाई गई थी, आशा बंधवाई गई थी कि यह पैनल 6 महीने में अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के विधि मंत्रालय को सब्मिट करेगा। बजाय 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देने के इस पैनल के क्या टर्म्स एंड कंडीशन्स रहेंगे, क्या कार्यविधि रहेगी, इस सब पर ही विचार नही हो पाया। उसको देखते हुए जसवंत सिंह कमीशन का टर्म फिर से बढ़ाया गया है। लेकिन उसके बावजूद कमीशन अभी तक केवल विभिन्न स्थानों में जाकर लोगों की एविडेंस ही कलैक्ट कर पाया है। उसके अलावा उसने और कोई काम नहीं किया है। इस कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों के न केवल वकील और बुद्धिजीवी, बल्कि सामान्य लोग भी यह महसूस करने लगे हैं कि हमारी मांग को टालने के लिए ही सरकार ने जसवंत सिंह कमीशन का कार्यक्षेत्र और भी बढ़ा दिया है। जिन दूसरे राज्यों में इस प्रकार के नये बैंच खोलने की मांग की जा रही है, कमीशन उन राज्यों में जाकर अध्ययन करेगा और इस संदर्भ में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। मैं नहीं समझता कि इस तरह उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों की बुनियादी मांग के साथ कहाँ तक न्याय हो सकेगा।

मैंने इस बिल के आबजेक्ट्स एंड रीजन्ज में साफ कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों—टिहरी, उत्तर काशी, चमौली, पिथौरागढ़ आदि—के लोगों को इलाहाबाद जाने में करीब 600 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है और इसके लिए तीन चार दिन की जर्नी करनी पड़ती है। यही कारण है कि इन जनपदों के सब से कम केसिज इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने जाते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि इन जनपदों में कोई लीगल काम्प्लीकेशन्ज नहीं हैं। वहाँ पर लीगल काम्प्लीकेशन्ज हैं। वहाँ के लैन्ड लाज सब से ज्यादा काम्प्लीकेटिड हैं। वास्तव में वहाँ के लोग सफीकेटिड फील करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सी. जे. एम. की कोर्ट या किसी और कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करना चाहता है, तो अग्रिम न्याय पाने के लिए हाई कोर्ट में जाने के बजाए वह चुप्पी साध कर घर बैठ जाता है, क्योंकि वह जानता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने और आने में जितना खर्च करना पड़ेगा और वकील को जितनी फीस देनी पड़ेगी, उतने का तो उसका मामला भी नहीं है।

इस स्थिति के कारण मैंने माँग की है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बैंच बरेली में स्थापित करनी चाहिए। इसके पीछे कोई पृथकता की मंशा या राज्य के विभाजन की माँग नहीं है। कुछ लोगों द्वारा आवाज उठती है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, इसलिए उसका विभाजन होना चाहिए। अगर हम लोगों की इस जायज माँग को स्वीकार नहीं करेंगे, तो लोग यह महसूस करेंगे कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों का अलग राज्य होता, तो उनका अलग हाई कोर्ट होता और उनको सब सुविधायें मिलतीं। इस तरह राज्य के विभाजन की मांग को बल मिलेगा। लेकिन अगर हम बरेली में एक बैंच स्थापित करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों के लोगों को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करा देंगे, तो वह मांग भी कमजोर होगी और जो लोग इस प्रकार की माँग को उठाकर सरकार के लिए दिक्कत पैदा करना चाहते हैं और उसका ध्यान रचनात्मक कार्यक्रमों से हटाना चाहते हैं, उन्हें असफलता का मुंह देखना पड़ेगा।

जिस समय जसवंत सिंह कमीशन नियुक्त किया गया था, उस समय इस बात को उठाया गया था कि चूंकि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने मांग की है, इस लिए केन्द्रीय सरकार को एक अन्तरिम बैंच—उसको सर्कट बैंच कह सकते हैं—उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में खोलनी चाहिए। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि यह मामला ऐसा है, जिसमें केन्द्र सरकार के विधि मंत्रालय को अनुमोदन मात्र देना है। उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रकार की रीकमंडेशन कर चुकी है, केन्द्र सरकार के विधि मंत्रालय को उसे ऐपरूवल मात्र देना है। केन्द्रीय विधि मंत्रालय को यह ऐपरूवल देना चाहिए और एक अस्थायी बैंच उत्तर प्रदश के पश्चिमी जिलों में खोलनी चाहिए।

कमीशन का कार्य-काल 13 दिसम्बर, 1984 तक बढ़ा दिया गया है। इस लोक सभा का जितना कार्य-काल बचा हुआ है, उससे भी अधिक, या उसके समकक्ष, उसका कार्य-काल बढ़ा दिया गया है। इससे हमारी शंका और भी बढ़ गई है। यह अस्थायी बैंच स्थापित करने से उस शंका का समाधान हो सकेगा और लोगों को सरकार की मंशा पर उंगली उठाने का मौका भी नहीं मिलेगा। उंगली उठाने वाले लोग यहां बैठे हैं, जो खुद कुछ नहीं कर पाए हैं।

श्री राजेश कुमार सिंह : चुनावों के बाद ही सरकार पश्चिमी जिलों को कुछ देगी, उससे पहले नहीं।

6.00 म० प०

श्री हरीश रावत : यदि इस सर्किट बैंच की मांग को नहीं मानेंगे तो इससे कई प्रकार के वेस्टेड इन्टरेस्ट्स पैदा हो जायेंगे विशेषकर उन क्षेत्रों में जो इलाहाबाद के नजदीक हैं या इलाहाबाद वार में क्योंकि इलाहाबाद वार के लोग बराबर इस मांग का विरोध कर रहे हैं। उनके विरोध का कोई न्यायिक आधार नहीं है, जनहित पर आधारित नहीं है, किसी तर्क पर आधारित नहीं है बल्कि उनका विरोध केवल वेस्टेड इन्टरेस्ट के कारण है। उनका अपना हित इसके साथ निहित है क्योंकि यदि यहां से बेंच मेरठ में, बरेली में, आगरा में, शाहजहांपुर में या रामपुर में कहीं भी खुलेगी तो जितने केसेज इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट में आ रहे हैं जिनका लाभ निश्चित तौर पर उनको मिल रहा है वह उनका लाभ बंट जायगा। इसके आधार पर वह विरोध कर रहे हैं। इससे सरकार के सामने भी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। राजनैतिक दिक्कतें पैदा हो रही हैं, क्षेत्रीय आधार पर कई दिक्कतें ऐसी पैदा की जा रही हैं, क्षेत्रीय दबाव पैदा हो रहा है। तो इन सारे दबावों का सामना करने के लिए यह जरूरी है कि सरकार सर्किट बैंच की इस मांग को स्वीकार करें और उत्तर प्रदेश की सरकार को कहे कि इस हाई कोर्ट की बैंच तुरन्त उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में खोली जाय।

तीसरा कारण जो मैं देना चाहता हूं वह यह है कि इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट में इतने केसेज पेंडिंग हैं जिनकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। 1952-54-55 में भी जो रिट दायर की गई थी वह भी अभी तक वहां पेंडिंग पड़ी हुई है। भूमि सम्बन्धी विवाद जमींदारी उन्मूलन के समय के अभी तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं जबकि उसी की एक बैंच लखनऊ में है, लखनऊ बैंच के मामले, चूंकि उसका जूरिस्डिक्शन एक सीमित एरिया तक है, निपट चुके हैं। वहां ऐसे केसेज नहीं हैं जबकि सारे उत्तर प्रदेश के अन्दर जमींदारी उन्मूलन से एक ही

प्रकार की न्यायिक समस्या पैदा हो जानी चाहिए थी और एक ही प्रकार का समय भी इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ बैंच को लेना चाहिए था। मगर लखनऊ बैंच ने अपने मामले निपटा दिए हैं और इलाहाबाद बैंच के सामने अब भी ऐसे मामले लम्बित हैं। उस व्यक्ति की कल्पना कीजिए जिसके भूमि सम्बन्धी मामले केवल इस कारण से अभी तक लम्बित हैं और इससे सरकार की पालिसी भी अफेक्टेड हो रही है। सीलिंग के अंदर हजारों एकड़ जमीन निकली हुई है। सरकार ने उसको भूमिहीनों को या भूतपूर्व सैनिकों को एलाट भी कर दिया है।

माननीय के. पी. सिंह देव जी का बराबर सिरदर्द है कि जगह-जगह से मांग आती है, भूतपूर्व सैनिक कहते हैं कि हमें जमीन दी जानी चाहिए मगर दी कहां से जाय? जो जमीन सीलिंग से निकली हुई है वह जमीन भूमिहीनों या भूतपूर्व सैनिकों को या किसी डेस्टीच्यूट को एलाट की जाती है तो एलाटी को पजेशन नहीं मिल पाता क्योंकि हाईकोर्ट से वह भूमिधर स्टे आर्डर लिए हुए है और उस स्टे आर्डर को वैकेट कराना असंभव सा काम है क्योंकि इतने लम्बे एरियर्स, इतने ज्यादा केसेज वहां पर पेंडिंग हैं कि उनका नम्बर ही नहीं आ सकता और जब नम्बर नहीं आ सकता तो हमारी एक अच्छी मंशा, एक अच्छा उद्देश्य इससे फ्रस्ट्रेट होता है, उसकी भी पूर्ति नहीं हो पाती।

इसी प्रकार से और भी कई बातें हैं जिनको और भी माननीय सदस्य यहां पर उठाएंगे। इन सारे कारणों से मेरा विधि मंत्री जी से आग्रह है, मुझे आशा है मेरी इस भावना को रक्षा राज्य मंत्री जी विधि मंत्री जी तक पहुंचा देंगे, उनसे मेरा यह आग्रह है कि सारे उत्तर प्रदेश के हित में, इस न्यायिक व्यवस्था के हित में यह जरूरी हो गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बेंच खोली जाय और इस मामले को जो कई प्रान्तों से इस प्रकार की मांग उठ रही है उसके साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

महोदय जब अगली बार इस विधेयक पर चर्चा होगी तो मैं अपना भाषण जारी रखना चाहूंगा। मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री इस समय सभा में उपस्थित नहीं हैं।

सभापति महोदय : ठीक है, अगली बार आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

6.05 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र — जारी

सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

खेल विभाग, निर्माण और आवास मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं, श्री एस० एम० कृष्ण की ओर से सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) अधिसूचना संख्या 216/84 सीमा-शुल्क और 217/84-सीमा-शुल्क, जो 10 अगस्त 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो

6-एमीनो पैनिसिलिनिक एसिड पर सीमा शुल्क को 25 प्रतिशत मूल्यानुसार से बढ़ाकर 100 प्रतिशत मूल्यानुसार करने के बारे में है।

(दो) अधिसूचना संख्या 218/84-सीमा-शुल्क, जो 10 अगस्त, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो आयातित कच्चे एरिथ्रोमाइसीन/एरिथ्रोमाइसीन थियोसिओनेट पर सीमा शुल्क को 25 प्रतिशत मूल्यानुसार से बढ़ाकर 140 प्रतिशत मूल्यानुसार करने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8566/84]

6.06 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 13 अगस्त, 1984/22 श्रावण, 1906 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : आर० आर० गुप्ता प्रेस, 472 पं० रामचन्द्र देहलवी मार्ग, दिल्ली-6